



आधुनिक  
राज्य तथा स्वतंत्रता

लेखक  
न० वि० गाडगिल

जयपुर पुस्तक सदन  
चीड़ा रास्ता, जयपुर

मूल्य १२.५०

---

प्रकाशक : गीरीशकर शर्मा, मैनेजर, एस० चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली ।  
मुद्रक . रसिक प्रिंटर्स, करोल बाग, नई दिल्ली ।

## यस्येयं जन्मकुण्डली

प्रस्तुत ग्रन्थ की जन्मकुण्डली का बताना जल्द ही है। तन् १९६० के अप्रैल महीने में मुम्बई कागड़ी विश्वविद्यालय की हीरक जयन्ती मनायी जाने वाली थी। उस निमित्त मैंने एक कार्यक्रम होने जाने से तथा उनमें से एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था। मुख्य दोघांत समारम्भ राष्ट्रपति के हाथों होना था। उस समारम्भ से लगभग १५ दिन पहले उनकी तबियत खराब हो गई और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोघांत अभिभाषण में हूँ, और मैंने उसे मंजूर कर लिया।

ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर दोघांत अभिभाषण देना कोई चार पर भीग मांगकर मल्लनारायण करना नहीं है, इस बात का अनुभव हुआ। रोजमर्रा का विषय लेकर भाषण तैयार करना भी मन को प्रिय नहीं लगा। प्रतः निश्चय किया कि भाषण किसी तात्त्विक एवं तात्कालिक परिस्थिति के अनुकूल विषय को लेकर तैयार किया जाए। उस दृष्टि से भाषण की तैयारी की तथा उसमें स्वतन्त्रता, समता, कानून तथा लोकतन्त्र इन चार विषयों पर विचार किया। यह भाषण हिन्दी में था तथा मैंने उसे पढ़कर उसकी प्रशंसा की। उससे मन में आया कि इस भाषण के विषय को ही अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाए तथा उस पर एक छोटा-सा ग्रन्थ लिखा जाए। निश्चय स्थिर किया, आवश्यक ग्रन्थ इकट्ठी किए तथा छः महीनों में इस ग्रंथ को लिखकर पूरा भी कर डाला। अब यह ग्रंथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

राज्य-विषयक कल्पनाओं का विस्तृत विचार 'राज्य-शास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में मैंने किया है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता, समता तथा लोकतन्त्र का विचार 'राज्यव्यवहार-शास्त्र' एवं 'राज्यकारभार-शास्त्र' नामक ग्रन्थों में मैं कर चुका हूँ। 'विश्वशास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में मैंने कानून के तत्त्वज्ञान एवं व्यवहार पर प्रस्तुत किए हैं। तथापि इस ग्रन्थ में जो विचार मैंने पाठकों के सामने रखे हैं, वे राजनीतिगत दार्शनिक दृष्टिकोण से रखे गए हैं। यह सही है कि कानून, स्वतन्त्रता एवं समता के सम्बन्ध में विचारों को लेखबद्ध करते समय, एक विनोद कानून, एक विनोद स्वतन्त्रता एवं एक विनोद क्षेत्र की समता आँखों के सामने रही है, तथापि अधिक मात्रा में विचार इन सब विषयों के पीछे विद्यमान तात्त्विक सिद्धान्त एवं दार्शनिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में ही है। लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार भी इसी दृष्टि से किया गया है। स्वातन्त्र्य एवं समता जिन बातों द्वारा मनुष्य के जीवन को मुखी पत्र सम्पूर्ण बताते हैं, वे बातें लोकतन्त्रात्मक राज्य ही में लोगों को

अधिक-से-अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। लोकतन्त्र का कार्यान्वयन कानून के द्वारा होता है। इस दृष्टि से कानून के महत्व, उसके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन की आवश्यकता एवं उसकी सीमा आदि बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता गत डेढ़ सौ बरसों में बढ़ी है। उसका पर्याप्त प्रचार हुआ है। यह सही है कि आज हमें अनेक प्रदेशों एवं राज्यों में स्वतन्त्रता की स्थापना हुई दृष्टिगत होती है, तथापि उसकी रक्षा के लिए हमें सदैव जागरूक रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। 'यो जागार तमूचः कामयन्ते। यो जागार तमु सामानि यन्ति।' इस वेदवाक्य के पीछे छिपे सत्य को ठीक से जान लेना बहुत जरूरी है। जो जाग्रत रहेगा वही स्वतन्त्र भी रह सकेगा, यह एक ठोस सत्य है। स्वतन्त्रता एवं अधिकारों का भाषण का सम्बन्ध वैसा ही है, जैसा कि चढ़ने और उतरने वाले समुद्र का तथा भूमि का होता है। अक्सर पाते ही अधिकार या सत्ता स्वतन्त्रता पर हमला कर देते हैं। अतः सीमा पर का पहरा सदैव सजग होकर दिया जाना चाहिए। आज के युग में जाग्रति की कितनी जरूरत है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। स्वतन्त्रता को सार्थक बनाना हो तो व्यक्तिमात्र को आर्थिक क्षेत्र में सम्पन्नता, सामाजिक क्षेत्र में न्याय एवं समता तथा जीवन में पूर्णता का आनन्द प्राप्त होना चाहिए। इसी सिद्धान्त को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रतिपादित करने का इस ग्रन्थ में यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। इसमें आलोचिक अथवा नई बात कुछ नहीं कही गई। अनेक विचारकों ने जो कुछ इन विषयों पर कहा है, उन्हीं के विचारों का अनुसरण करते हुए, अपने अनुभवों की कसौटी पर उन्हें अच्छी तरह कस कर अपने कुछ एक स्वतन्त्र विचारों के साथ उनका प्रतिपादन मेने किया है। पाठकों को मेरा यह प्रयास सचिकर प्रतीत होगा, ऐसी आज्ञा है।

न० वि० गाडगिल

## अनुक्रमणिका

१. स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुछ स्थूल विचार	१
२. विचार स्वतन्त्रता के विविध स्वरूप	५१
३. स्वतन्त्रता तथा सामाजिक अंकुश	१४२
४. स्वतन्त्रता, समता तथा कानून	२१६
५. एक दृष्टिकोण	२६८



## स्वतंत्रता संबंधी कुछ स्थूल विचार

राजकाल की दुनिया में जिन राष्ट्रों को पहले दर्जे का माना जाता है, उनमें भारत की भी गणना की जाती है। सन् १९४७ के प्रारम्भ में भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान-सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १९५० को उसे लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बना। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य पूरा करके नवम्बर १९४९ में भारतीय जनता द्वारा उसे स्वीकृत कराया। भारत का यह संविधान भ्रष्टीय के अनुभवों के आधार पर, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के हेतु आवश्यक विचार विमर्श के अनंतर तैयार किया गया। प्रत्येक समाज भविष्य को ध्यान में रखकर ही वर्तमान काल के प्रयत्नों की दिशा निर्धारित किया करता है। समाज सदा बदलता रहता है। समाजगत नैतिक मूल्य बदलते रहते हैं। सामाजिक विचार क्षेत्र में एक भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती, जो बदलती न हो। भाषा कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, कोई कानून हर परिस्थिति में एक-सा तथा अपने भाष में पूरा नहीं उतर सकता। इस कारण बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ही सामान्य कानून एवं संविधान का भी बदलना अभीष्ट सिद्ध होता है। भवन-निर्माण में जिस प्रकार सामान्य मरम्मत तथा मौलिक स्वरूप के परिवर्तन में भिन्नता रहती है, उसी प्रकार कानून में किये जाने वाले परिवर्तनों को भी दो भिन्न-भिन्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है। एक वह जो मौलिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्वरूप का परिवर्तन कानून में किया जाता है तथा दूसरा वह जो उसमें मौलिक रूप का परिवर्तन किया जाता है। घर को रंग देना, टूट-फूट को ठीक करना, दरवाजों छपवा लिङ्कियों में थोड़ा-बहुत बदल करना एक बात हुई। परन्तु घर के आकार को ही बदल डालना, उसके चबूतरों को तोड़कर नया रूप दे डालना दूसरी बात हुई। जिस प्रकार किसी भवन की नींव तथा चबूतरा होता है तथा उन्हीं पर सारी भवनरचना अवलम्बित रहती है, उसी प्रकार किसी भी समाज एवं राज्य की नींव की तरह कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, जिन्हें बदल डालने का अभिप्राय होता है एक प्रकार की क्रांति को जन्म देना।

सन् १९५० में भारत का संविधान लागू हुआ एवं उसके अनुसार लोकव्यवहार का नियमन, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन प्रारंभ हुआ। दो सार्वजनिक चुनाव भी हो चुके हैं। एक दस वर्षों में संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हो चुके हैं। जो सामाजिक एवं धार्मिक ध्येय भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, उन्हें कार्यान्वित करने की दृष्टि से संविधान का उपयोग करना होता है। यह कार्य लोगों की भासामों और भाकांशाओं को ध्यान में रखकर करना होता है। भारत का राज्य लोकतन्त्रात्मक गणराज्य होने के कारण नागरिकों को संविधान द्वारा



स्वतंत्रता प्राप्त है तथा प्रत्येक नागरिक को, उचित सीमा में रहते हुए, अपनी भीतरी प्रतिक्रिया को प्रकट करने का पूरा अधिकार है। मुद्रण भाषण तथा सगठन की स्वतंत्रता संविधान द्वारा उसे प्राप्त है तथा उमका यदि वह उपयोग करे तो उसे उचित ही माना जाना चाहिये। जो वस्तु प्रिय नहीं है, उसे कहने का उसको पूरा अधिकार है। उसे कहने का काम वह व्यक्तिगत रूप से करे या सामूहिक रूप से करे, उसकी इच्छा पर निर्भर है। कलियुग में शक्ति व्यक्ति में न होकर संघ में है, ऐसी उक्ति है। यदि कोई भकेला धादमी सड़क पर चिल्लाता हुआ निकले तो वह पागल कहनायेगा। पर यदि एक समूह बनाकर लोग चिल्लाते हुए निकलें तो उसे 'मोर्चा' अथवा 'प्रदर्शन' नाम दिया जायेगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य यही है कि अपने विकार के लिये व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, वह एक उचित सीमा में रहकर कर सके। केवल चुनावों के समय ही इस अधिकार को काम में लाने की बात नहीं है, वह उसका सार्वकालिक अधिकार है। भाषण एवं सगठन की स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में वही स्थान है, जो स्थान श्रामोच्छ्वास का हो सकता है। राज्य का कानून तथा कामकाज कामकाज पर किसी भी रूप में बंधन न लिखा जाय, उसका वास्तविक रूप वही है, जो व्यक्ति के अनुभव में आता है। इसलिये व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह समाज की इच्छा पर जाकर अपने उस अनुभव को मुना सके। तथा सरंसाधारण व्यक्तियों के अनुभव एवं सम्मति को ध्यान में रखते हुए मारामार का विचार करके शासन को राज्य का कामकाज करना चाहिये। लोकतान्त्रिक राज्य-प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इस दृष्टि से गत दशकों में जो कुछ घटित हुआ है, उसे ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिये। तथा जिन नीतियों पर, एवं कल्पनाओं पर लोकतान्त्रिक राज्य की निर्भरता हुई है, उन्हें भी निरन्तर अपनी दृष्टि के सम्मुख रखना चाहिये। आज भारत में अनेक व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि राज्य के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उससे उनकी मौलिक स्वतंत्रता कम हो गई है। लोकतन्त्र के सिद्धान्तों में जिस समत्व का प्रतिपादन किया जाता है, वही लोगों को लगता है कि, भारत के लोकतन्त्र में उसका अनुभव जितनी मात्रा में होना चाहिये, उतनी मात्रा में नहीं होता। प्रायः हर कोई अपनी बुद्धि के अनुसार उपाय वनसाता है। ऐसी अवस्था में, राज्य तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तों का विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। तथा इसी दृष्टि को सामने रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ में विचार किया जा रहा है।

हम वह पाये हैं कि भारत एक प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। जिन प्रकार भारत स्वतन्त्र राष्ट्र है, उसी प्रकार भारत के निवासियों भी स्वतन्त्र नागरिक हैं, यह स्पष्ट है। स्वतन्त्र राष्ट्र वे हैं, जो किसी अन्य राष्ट्र की आज्ञा नहीं मानते एवं उसे मानने के लिये नैतिक अथवा कानूनी किसी भी दृष्टि से बाधित नहीं हैं। प्रभुत्वसम्पन्न राज्य वह है, जो किसी अन्य की आज्ञा नहीं मानता एवं उसके अपने क्षेत्र में यदि कोई उसकी आज्ञा को न माने तो उसे निरिबध रूप से दण्ड दिया जाय। इस बात को सामने रखते हुए हमें देवना है कि आधुनिक राज्यों में स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है तथा उसकी क्या सीमाएँ हैं। स्वतन्त्रता का सामान्यतया अर्थ होता है किसी प्रकार के बंधन का अथवा सीमा का न होना। व्यक्ति को धाराम में जीवन बिताने के लिये

जिस परिस्थिति की आवश्यकता अनुभव होती है, उस परिस्थिति का होना ही, उमकी दृष्टि में स्वतंत्रता है। उस पर यदि किसी प्रकार का नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगा दिया जाय तो उसे सगता है कि उसका मुख कम हो गया है तथा उमकी स्वतंत्रता पर हमला किया गया है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को वैयक्तिक मुख के लिये आवश्यक प्रतीत होने वाली परिस्थिति, जिस समाज एवं राज्य में वह निवास करता है, उसके उद्देश्यों एवं प्रादेशों के विपरीत नहीं होनी चाहिये। इस संगति को बनाने का अर्थ यह हुआ कि राज्य की शक्ति पर भी कुछ नियंत्रण एवं प्रतिबंध होने चाहिये। व्यक्ति तथा समाज के बीच जो मध्य है, उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज अथवा राज्य की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए देखा जाना चाहिये। स्वतंत्रता का अर्थ बन्धनों का न रहना एक सीमित अर्थ में सही है। परन्तु व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखते हुए उस स्वतंत्रता की कल्पना में एवं वस्तुस्थिति में भी प्रगति के लिये गुंजायमान रहनी चाहिये। व्यक्ति के वैयक्तिक विकास में बाहरी रुकावटें पैदा हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता माने पूरे रूप में नहीं रह पायेगी। व्यक्ति पर कोई स्वतंत्रता लागू नहीं करता। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कोई सीमा को तोड़कर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। सीमा को स्वीकार करना अथवा कानून का पूरी तरह पालन करना स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार किसी भी कानून को न मानना अथवा किसी भी सीमा को स्वीकार न करना ही स्वतंत्रता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। सीमाएं यदि व्यक्ति के विकास में बाधक न बनती हों तथा उनमें विफलता की भावना पैदा न करती हों, तो यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। इसके विपरीत, व्यक्ति का मन जिस बात को नहीं मानता, उसे करने के लिये उसे बाध्य होना पड़े, तो यह कहना अनुचित न होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं है। समाज के हित एवं सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति को अनिर्बंधित एवं निःसीम स्वतंत्रता देना कोई भी अभीष्ट अथवा उचित नहीं मान सकता। तथा समाज के आर्थिक हित की दृष्टि से किन्हीं बातों में राज्य के द्वारा नियंत्रण से काम लिया गया, तो उससे स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रही, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करेगा। देवों का टीका लगाना, प्राथमिक शिक्षण तथा मेलों के अवसरों पर टीका लगाना आदि बातों में राज्य द्वारा जबर्दस्ती से काम लिया गया तो उससे स्वतंत्रता की हानि नहीं होती। किन्तु जहाँ जबर्दस्ती तो होती हो पर जिसका संबंध सांख्यिक हित अथवा सुरक्षा से न हो, तो वहाँ यह कहना ही पड़ेगा कि इस आचरण से स्वतंत्रता की हानि होती है।

जब स्वतंत्रता पर सादे जाने वाले बन्धनों पर हम विचार करते हैं, तो हम यह मानकर चलते हैं कि कोई-न-कोई सत्ता ऐसी है, जो स्वतंत्रता पर बन्धन लादती है। जहाँ यह अमर्याद सत्ता किन्हीं छोड़े से व्यक्तियों के हाथ में रहती है, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता का ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं, जहाँ किसी के हाथ में निःसीम सत्ता आई हो और उसका उपयोग विवेक से किया गया हो। इसके विपरीत निःसीम सत्ता मनुष्य में निःसीम अहंकार को जन्म देती है तथा सत्ताधारी व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसका हर काम ठीक ही होता है,

उसका हर कयन मृत्यु ही होता है। सत्ताधारी लोग यह भी मानते हैं कि वे जो बुद्ध करते हैं, वह सब लोगों के कल्याण के लिए होता है, और यदि सत्ता उन लोगों के हाथ में न रहे, तो राष्ट्र को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा तथा राष्ट्र उन्नति-पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप, उनकी यह धारणा हो जाती है कि लोगों के कल्याण के लिए सत्ता का उनके हाथ में रहना बहुत आवश्यक है। इतिहास के इस अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सत्ता के ऊपर नियन्त्रण आवश्यक है। निःसन्देह स्वतन्त्रता का उपयोग सत्ता पर ही निर्भर करता है। और तब तक स्वतन्त्रता का उचित उपभोग असम्भव है, जब तक सत्ता पर भी किसी का उचित अंकुश नहीं रहता। इसी प्रकार समाज की स्वतन्त्रता की रक्षा तब तक असम्भव है जब तक उसके वातावरण में निर्भयता न हो। सत्ता के आदेश के पालन की भाँति उसकी अनुचित आज्ञाओं का विरोध करना भी स्वतन्त्र नागरिक का एक मौलिक सिद्धान्त है। हम यह चुके हैं कि स्वतन्त्रता का सामान्य अर्थ बन्धनों का न रहना है। परन्तु बन्धनों का एकदम अभाव ही स्वतन्त्रता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। जिस समाज में नैतिक तथा कानूनी किसी प्रकार का कोई बन्धन व्यक्ति पर न हो तो उस समाज का अस्तित्व सतरे में पड़ जायेगा। वहाँ शान्ति तथा व्यवस्था सतरे में पड़ जायेगी। 'आत्मन प्रति-बुलानि परेणा न समाचरेत्' इस नियम का पालन जब तक व्यक्ति नहीं करेंगे, तब तक समाज की रचना सम्भव नहीं। यदि हो जाय तो वह बहुत विष्टु सल रहेगी। समाज की निर्मित का यह एक मौलिक नियम है। समाज में अनेक व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक की बुद्धि, भाषा, भाकाभा आदि सब भिन्न होती हैं। इस कारण समाज की धारणा के लिए विन्ही नियमों एवं बन्धनों का रहना अनिवार्य हो जाता है। ये न रहे तो समाज में गड़बड़ फैल जायेगी तथा व्यक्ति का सुख एवं सुरक्षा सतरे में पड़ जायेगी। अतः व्यक्ति एवं समाज दोनों का लाभ इसी में है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर कुछ नियन्त्रण बना रहे। मनुष्य समाज में कहीं भी व्यक्ति को सर्वथा उच्छु सल स्वरूप की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। अधिक से अधिक प्रयत्न यह होना चाहिए कि व्यक्ति एवं समाज इन दोनों की इच्छाओं तथा आदर्शों के मध्य कोई उचित संतु-सन बनाए रखा जाय। सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा लोगों पर जो भी नियन्त्रण किया जाय, उसमें व्यक्ति के विकास के लिए हर प्रकार की गुंजायश रखी जानी चाहिए।

यह सही है कि स्वतन्त्रता के मानी बन्धनों का न होना है तथापि हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह सापेक्ष है। एकदम बन्धनों का अभाव ही स्वतन्त्रता है, यह सही नहीं। कोई भी पन्था अपनाया जाय और कहीं भी नोकरी की जाय दम बारे में बन्धन न हों तो इसके मानी यह नहीं होने कि वह व्यक्ति अपना समाज पूरी तरह स्वतन्त्र है। नौकरी में स्थिरता न हो, पन्थे में आमदनी न हो और बेकारी का दर सामने मौजूद हो तो ऐसी अवस्था में यदि यह कहा जाय कि व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है तो यह एक सिष्टाचार मान ही होगा, अमान्य नहीं। स्वतन्त्रता का अर्थ केवल बाहरी परिस्थिति की स्वतन्त्रता नहीं, उगका सम्बन्ध व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति के साथ भी है। जीना है इसलिए किंगी भी धर्म को मंजूर करते नौकरी करना अपना आसार-पन्था करने समय अनेक मानसिक विघ्नों से पीड़ित रहना

कोई स्वतंत्रता का लक्षण नहीं। प्रायुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि शरीर, मन तथा आत्मा इन तीनों की प्रगमता वा ही नाम स्वास्थ्य है। ठीक इसी प्रकार शरीर तथा मन दोनों की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब मनुष्य का मन निर्दिष्ट न हो, तब मतदान इत्यादि बातों की स्वतंत्रता कोई मानी नहीं रखती। धार्मिक चिन्ता का अभाव भी स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। अगर गुलामी को खाने-पीने के मामले में सब प्रकार की छूट रहे तो भी वे गुलाम ही बने रहेंगे। अगर किसी के सामने एक घोर स्वर्ग और दूसरी घोर स्वतंत्रता रख दी जाय और किसी एक को चुन लेने के लिए कहा जाय तो निःसन्देह वह चुनाव उसके लिए एक टेढ़ी खीर हो जायेगी। यदि जीवन में धार्मिक मुश्किल न हो तो स्वतंत्रता के कोई मानी नहीं; क्योंकि यह देता गया है कि स्वतंत्रता के घोर उपासक भी भविष्य की चिन्ता से धार्मिक मुश्किल की ओर मुकते हैं। नाम की स्वतंत्रता ही घोर स्वतंत्रता से प्राप्त होने वाला सुख न हो तो वह स्वतंत्रता बेकार है। स्वतंत्रता के मानी तभी पूरे होते हैं जब मनुष्य की धार्मिक स्थिति भी ठीक हो। तो भी धार्मिक मुश्किल ही स्वतंत्रता है, यह समीकरण भी ठीक नहीं। जिस दुनिया में हम साँस ले रहे हैं, वहाँ हमें धार्मिक मुश्किल एवं स्वतंत्रता के बीच खाई नजर आती है। इस खाई को पाटने की बरामकाज जारी है। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ धार्मिक परिस्थिति के अच्छा होते हुए भी मनुष्य का जीवन जकड़-गा गया है और उसकी विचार-शक्ति लुप्तप्राय हो गई है। जिस तरह आजकल दुबानों पर 'रेडिमेड' बपटा बिकने लगा है ठीक उसी प्रकार रेडिमेड विचार और सिद्धान्त भी बिकने लगे हैं; या कहिए, लोगों को उन्हें खरीदना पड रहा है। यह कोई नुम लक्षण नहीं है। वैचारिक स्वतंत्रता एक मूल्यवान वस्तु है। उमरा गंवा बँटना कोई अच्छी बात नहीं। प्राप्त स्वतंत्रता को काम में लाना भी कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इस शक्ति को हासिल करना कोई हँसी-खेल नहीं है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है और इस कारण व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति की अधिकधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ज्ञान एक शक्ति है और उसके पास ज्ञान का संबंध जितना अधिक होगा, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान करने से इन्कार करना स्वतंत्रता से वंचित रखना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित रखना है एवं उसे समर्थ न होने देना है। अगर कोई किसी व्यक्ति पर पढ़ाई-लिखाई के लिए जबरदस्ती करे तो इसके मानी यह नहीं कि वह उस व्यक्ति को स्वतंत्रता का अपहरण कर रहा है; क्योंकि पढ़ाई-लिखाई से ज्ञान प्राप्त होगा और वह ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अतः इस मामले में जबरदस्ती से काम लेना भी उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा शक्ति-दान है। अपने अनुभवों को अधिक अलंकृत रूप में समाज के सम्मुख उपस्थित करने के कार्य में ज्ञान बहुत अधिक सहायक होता है। जब तक मनुष्य अपने अनुभवों को उचित रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तब तक उसकी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती। और स्वतंत्रता का सही मानी में उपयोग करने के लिए मन का शिक्षित एवं सुसंस्कृत होना परम आवश्यक है।

व्यक्ति को जिस समाज में रहना है, उस समाज में यदि बहुत अधिक विषमता हो, तो व्यक्ति स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकता। जिस समाज में कुछ ही व्यक्तियों को विशेष सुविधाएँ अथवा अधिकार प्राप्त हों तो उस समाज के नागरिक को स्वतन्त्र बहना उपहासास्पद सिद्ध होगा। इसी प्रकार धर्म, जाति एवं जन्म की दृष्टि से समाज के अलासंख्यकों पर बहुसंख्यक प्रत्याचार करें, वहाँ भी नागरिक की स्वतन्त्रता सन्देह में पड़ जाती है और यह उसकी स्वतन्त्रता पर एक असह्य प्रहार सिद्ध होता है। स्वतन्त्रता के लिए समाज में समता का होना बहुत जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि सत्ताधारी वर्ग के प्रत्याचारों से प्रजा को मुक्त करना भी स्वतन्त्रता का एक अर्थ है। सत्ताधारी चाहे कोई व्यक्ति हो, वंश हो या कोई वर्ग हो, सब सत्ता को इस रूप में क्रियान्वित करते हैं कि हर व्यक्ति को उनका कड़ा मानना पड़ता है और उनके आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। यदि कोई उनका कड़ा न माने तो उसे स्वतन्त्रता के फल से वंचित रहना पड़ता है। उस पर प्रत्याचार के पहाड न भी टूटें तो भी उसे उपेक्षित तो होना ही पड़ता है और इसी कारण स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सत्ता को सीमित किया जाता है तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं तथा राज्य द्रम बात का आश्वासन देता है। सत्ता के सभी देशों का अनुभव है कि अनियंत्रित सत्ता स्वतन्त्रता का घोर शत्रु है। यदि सत्ता पर नियंत्रण न हो तो किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है और इसमें व्यक्ति के श्रेष्ठ एवं उदात्त गुणों का भीतर ही भीतर लोप हो जाता है, जिसके फल-स्वरूप समाज को भी उत्तम गुणों से वंचित रह जाना पड़ता है। यदि सत्ता के अनियंत्रित होने पर व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करने का अवसर मिलता हो तो सम्भना चाहिए कि व्यक्ति के उन गुणों से पूरे समाज की प्रगति न होकर केवल सफेद पोश, मालदार अथवा सब प्रकार से सम्पन्न व्यक्तियों का ही हित होगा। सत्ता का उपयोग करने वाले समाज के निम्न स्तर से अथवा जिस वर्ग से सम्बन्धित होते हैं, उसी वर्ग के हित के लिए सत्ता का उपयोग किया जाता है। मतदान का अधिकार जिस वर्ग के पास है, उसी वर्ग का हित किया जाता है। इतिहास का यही अनुभव है। जिन दिनों मतदान का अधिकार केवल घरमालिकों को ही था, उन दिनों नगरपालिकाओं का सारा काम-काज घरमालिकों के हित की दृष्टि से हुमा करता था। जिन दिनों मतदान का अधिकार बड़े-बड़े जमींदारों, मालदार किसानों और आय-कर देने वालों को ही था, उन दिनों जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें देखकर हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। यदि समाज के किसी व्यक्ति अथवा समूह को राजकीय काम-काज में भाग लेने का अधिकार न हो अर्थात् उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार न हो, तो कहना होगा कि उन व्यक्तियों अथवा समूहों की नागरिकता अधूरी है। वे सत्ता से ही वंचित नहीं, अपितु सुखोपभोग से भी वंचित हैं। धर्म, वंश, शिक्षा अथवा सम्पत्ति किसी भी दृष्टि से व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से वंचित क्यों न किया जाय, फल एक ही होता है; इसलिए स्वतन्त्रता को हर दृष्टि से स्वयंपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में उनका उपयोग समता की दृष्टि से होना चाहिए। समता ही स्वतन्त्रता नहीं है। परन्तु समता के अभाव में स्वतन्त्रता अधूरी है। लोग कहते हैं कि समता

घोर स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी वस्तुएँ हैं तथा आज भारत में इस विरोध की बहुत अधिक चर्चा है। एक पक्ष का कहना है कि राज्य द्वारा व्यापार तथा उद्योग पर नियंत्रण से स्वतन्त्रता की हानि हुई है। यह भी कहा जाता है कि कानून द्वारा समता स्थापित करने से स्वतन्त्रता के वास्तविक रूप की हानि हुई है। उन लोगों का यह भी कहना है कि जब निर्मागतः मनुष्यों में तथा उनकी बुद्धि में समानता नहीं है, तब कानून की सहायता से इस नैसर्गिक स्थिति को बदलकर समता लाने से व्यक्ति के विकास में एक प्रकार से बाधा उत्पन्न हुई है तथा उनकी स्वतन्त्रता की हानि हुई है। समता की माँग से स्वतन्त्रता की हानि होती है यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। समता तथा स्वतन्त्रता में विरोध नहीं है बल्कि ये दोनों वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। किसी निरंकुश शासक के राज्य में प्रजा के हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रत्यक्ष होता है, तो वहाँ समता तो है पर स्वतन्त्रता नहीं। जहाँ आवश्यक मात्रा में समता न हो वहाँ स्वतन्त्रता का ठीक से उपभोग नहीं हो सकता। समाज में, विशेषकर उम समाज में, जहाँ विषमता अधिक है तथा अधिक तीव्र है, समता की इच्छा भी अधिक तीव्र रहती है। जहाँ विषमता साधारण मात्रा में हो वहाँ समता की इच्छा उसनी तीव्र नहीं होती और वह त्रेष का रूप धारण नहीं करती। परन्तु जहाँ विषमता अधिक तीव्र होती है वहाँ समता की भावना भी अधिक तीव्र होती है तथा उसका हान्तर सामाजिक द्वेष में होता है और वहाँ क्रान्ति की भावना जन्म लेती है। विषमतायुक्त समाज की विषमता का आधार कोई नैसर्गिक तथ्य नहीं होता। जो लोग सम्पन्न होते हैं, उनकी सम्पन्नता में मनुष्य द्वारा निर्मित वायून भयवा मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक परिस्थिति का हाथ रहता है। शरीर के रंग भयवा ऊँच-नीच को देखकर लोगों की गुस्सा नहीं आता। कोई व्यक्ति बगैर मेहनत के मालदार या सुखी हो तथा कोई व्यक्ति हिन्दी नैसर्गिक भयवा शारीरिक दुर्गुणों या अवयवनाओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के कारण इनसे वंचित तथा उपेक्षित हो तो, इन दोनों वर्गों के बीच के सम्बन्ध क्रान्ति की पृष्ठभूमि बन जाते हैं और इस क्रान्ति का मार्गदर्शन करते हैं ऐसे गुणो एवं योग्यता रखने वाले लोग, जिनके गुणों की पूरी तरह उजाड़ा एवं प्रवहेलना की गई होती है। सम्पत्ति एवं समृद्धि के चल पर मुख पर अधिकार जताने वाले लोग प्रत्यसंख्या में होते हैं। इस कारण बहुसंख्यक लोग उनके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। सम्पत्ति की प्राप्ति एवं रक्षा सत्ता के द्वारा की जाती है तथा यह सत्ता एक सम्पत्ति इकट्ठा होकर समाज के बहुसंख्यक वर्गों को मुत्तोपभोग से वंचित रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुख की प्राप्ति सभी होती है, जब सत्ता हाथ में हो तथा ऐसी भी बात नहीं कि सत्ता के न होने पर मुख की प्राप्ति होती हो। किन्तु इतना अवश्य सत्य है कि सत्ता के प्रभाव में जो मुख की प्राप्ति होती है, उसकी मात्रा बहुत सीमित रहती है। सत्तासम्पन्न व्यक्तियों के उपभोग के बाद जो बचा-बुचा मुख रह जाता है, वही सत्ताहीन व्यक्ति को नसीब हो पाता है। अतः जहाँ समता है, जहाँ सामाजिक अधिकार समान हैं, वहाँ मुखोपभोग का वितरण अधिक न्यायपूर्ण होता है और इसी कारण स्वतन्त्रता का उपभोग भी अधिक मात्रा में तथा अधिक प्रच्छी तरह होता है। इतिहास हमें बताता है कि जिन देशों में विशेष सुविधाओं एवं विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ लोगों के

गुणोपभोग में कृत्रिम ही हुई है। निश्चय यह है कि जहाँ समता अक्षिप्त हो, वहाँ स्वयंज्ञा का उपभोग एवं उपयोग अक्षिप्त होता है तथा अक्षिप्त उत्तम रीति में होता है।

त्रिग प्रकार स्वतन्त्रता का पूरा पूरा अर्थ समझने के लिए उसके प्रत्येक पक्ष को ठीक-ठीक समझना आवश्यक होगा है, उसी प्रकार समता को भी ठीक-ठीक समझने के लिए हमें उसके विविध पक्षों का अध्ययन करना होगा। त्रिग प्रकार स्वतन्त्रता के उपभोग के लिए उम पर विन्ही नियन्त्रणों का रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार समता के लिए भी कुछ नियन्त्रण आवश्यक होते हैं और उन नियन्त्रणों से ही समता का विद्वान्ता पूर्णता को प्राप्त करता है। अतिशय निरस्त एवं नियन्त्रणहीन समता को बचाना ही जाय तो उसके समता को पूर्णता नहीं प्राप्त होती और अस्तुत्थिति का स्थिति होता है। समता का अर्थ निरस्त साहज्य अथवा प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक ही भाँसे में बना हुआ व्यवहार नहीं है। मनुष्य निर्भीर नहीं है। उसके शरीर का आधार भी समान नहीं रहता और उसके मन की स्थिति अथवा पचनता का वर्णन करना तो बलि तथा योगी दोनों ही के सामर्थ्य में बाहर को बाध रही है। जनपरम्परा से प्राप्त होने वाली पवित्र सम्पत्ति को कानून द्वारा बच या अक्षिप्त किया जा सकता है; परन्तु मानसिक सम्पत्ति को कानून द्वारा बच या अक्षिप्त नहीं किया जा सकता, अनेक ही यह सम्पत्ति उम व्यक्ति को बच परम्परा में प्राप्त हुई हो। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को जनपरम्परा से विन्ही न विन्ही मात्रा में मानसिक विचारों का उत्तराधिकार प्राप्त होता है तथा सामाजिक परिस्थिति के कारण मनुष्य के स्वभाव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके पनस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अथ्य अर्थ में भिन्न होता है। अतः समाज में किन्हीं विविधताओं एवं विपत्तियों का होना अनिवार्य है। 'मुष्टे-मुष्टे मतिभिन्ना' याना विद्वान्ता अर्थ्य नहीं है। यह मति अथवा स्वभाव सामाजिक परिस्थिति तथा जनपरम्परा से पने अनेक पक्षों से निर्मित होता है। मनुष्य का मन कोई निरस्त अस्तु नहीं है; बल्कि वह ऐतिहासिक निर्मित है। उम वर्तमान रूप में जाने के लिए अनेक पीढ़ियों का समय लगा है। ठीक इसी प्रकार अनेक पीढ़ियों तक प्रवर्तन करने में उसके वर्तमान स्वरूप को बदला भी जा सकता है। यह कथन सर्वमान्य है। तथापि आज समाज के अन्दर व्यक्ति व्यक्ति में दृष्टिगोचर होने वाली विविधता एक ठोम साथ है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। छोटे और बड़े सबको एक जैसा समझकर व्यवहार करना असम्भव नहीं है तथापि अवाञ्छनीय है। कुचेर में लेकर भित्तमंगे तक सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार करना समता का सही अर्थ नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य की सुखोपभोग की कामना रहती है; परन्तु प्रत्येक मनुष्य की सुखोपभोग सम्बन्धी विचारधारा एक जैसी नहीं होती। इस कारण समाज में रहते हुए सुखोपभोग के लिए मनुष्य को जित्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है, वह भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार सुख की प्राप्ति का अवसर समाज द्वारा मिलना चाहिए। यदि कोई मटर पसन्द करता हो और दूसरा मेथी पसन्द करता हो, तो उसकी अपनी इच्छानुसार वस्तु खरीदने की छूट देना समता के विशद आचरण करना नहीं होगा। कोई व्यक्ति बकील बनना चाहता है,

कोई डाक्टर तथा कोई व्यक्ति कारीगर बनना चाहता है। यदि समाज इन सब व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने ही बनाने का अवसर प्रदान करे, तो इसे विपमता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार कृषि स्वल्प के दान्य एवं नियंत्रणों से यदि जीवन के किन्हीं क्षेत्रों को किन्हीं निश्चित व्यक्तियों अथवा समूहों के लिए सीमित कर दिया जाए तो निश्चित ही यह बात समता की कल्पना के विरुद्ध होगी। समता का अर्थ है स्तर की समानता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति एवं कौशल को विकसित करने का अवसर समान रूप से मिले तो यह समता होगी। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म अथवा उसकी जाति के कारण इन अधिकारों से वंचित रखना विपमता होगी। मौलिक अधिकारों में यदि किसी प्रकार की ऊँच-नीच बनाए रखनी पड़े तो यह देख लेना चाहिए कि वह किसी उचित उद्देश्य के लिए है तथा उसमें सार्वजनिक हित होता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि वह ऊँच-नीच लोगों को स्वीकृत है या नहीं। जो बात समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हों वे सब की सब प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। उनके प्राप्त होने के बाद यदि किन्हीं गौण बातों में किसी प्रकार का कोई भेद हो जाए तो उसका उतना विरोध नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को मालपूरा और खीर खाने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक समाज के हर व्यक्ति को 'रोज़मर्रा' का दोनों समय का खाना नसीब न हो। किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊँचे दर्जे की पढ़ाई-लिखाई का अधिकार तब तक नहीं मिलना चाहिए, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक शिक्षा नहीं मिलती। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो समता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। समता का अर्थ हुआ कि व्यक्ति मात्र को समाज में रहते हुए आत्मोन्नति के लिए समान अवसर का प्राप्त होना। तथा यदि किसी को यह अवसर कम मिलता हो अथवा किसी को कम अवसर देना हो, तो यह देख लेना चाहिए कि बंसा करना समाज के हित में है या नहीं। यह बात स्वयंसिद्ध हीनी चाहिए। शहरियों को शिक्षा की जरूरत है, यह देखकर गाँव वालों की शिक्षा में कमी करना अथवा विद्वविद्यालयीन शिक्षण की आवश्यकता अधिक है, यह देखकर प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती करना समता के विद्वान्त के अनुकूल नहीं बैठता। किसी कार्यविशेष के लिए किसी व्यक्तिविशेष को, उसकी योग्यता को देखते हुए, अधिक अनुकूल समझने से समता की हानि नहीं होती। हाँ, उस व्यक्ति का चुनाव उसके गुणों को देखकर किया जाना चाहिये। सम्पत्ति को गुणों पर रीझकर व्यक्ति के पास आना चाहिए, केवल व्यक्ति के वंश अथवा जन्म पर रीझकर नहीं। गुणों के अनुसार व्यक्ति को इनाम दिया जाये तो इससे समता के अर्थ की हानि न होकर उस पर प्रकाश पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के वैयक्तिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा वंचित नहीं रखा जाएगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि यह अवस्था हो तो इससे समता में वृद्धि होती है। यदि कोई ऐसी दिवकत हो जो हर व्यक्ति के सामने समान रूप से आई हुई हो तो व्यक्ति को उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होती। समान अवसर देने के बाद यदि किसी को कम और किसी को अधिक लाभ होता हो तो उसका दोष समाज के मरथे नहीं मढ़ा जा सकेगा तथा इस



वास्त्र विचार' नामक ग्रंथ में किया गया है। भारतीय तत्त्वज्ञान दृग सम्बन्ध में योदा-  
 सा भिन्न है तथा प्राचीन भारत में राज्यविवेक कल्पना के विभाग का इतिहास मनो-  
 रञ्जक है। तथापि उग विभाग के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रमाण में विचार करने की  
 प्रस्तुत संभव की मनीषा है। सामान्यतया यो कहा जा सकता है कि सर्वभूत समानता  
 हिन्दू सत्त्वृति की धारणा है। धनः राजनीति पर भी दृग तरह का प्रभाव पड़ा है।  
 जो कुछ धारमयन है, यह स्वतन्त्रता है और जो परयन है, यह पराजयता है, यह विचार-  
 धारा भारतीय समाज में प्राचीनकाल में पनी धा रही है। भारत में समाज की रचना  
 एक विशिष्ट विचारधारा पर आधारित होने के कारण समता की विचारधारा कुछ  
 मात्रा में भीमिन हो गई है। तथापि स्वयंभानुसार व्यवहार करने में स्वतन्त्रता एवं मुग  
 रहता है, दृग दृष्टि से समाज में यो की रचना करने धर्म व्यवस्था बनाई गई है।  
 भारतीय समाज के संघर्षों यो के इतिहास में हम देखते हैं कि विचारों की पूर्ण स्व-  
 तन्त्रता है। उगे कहने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। परन्तु व्यवहार में धर्म की दृष्टि से एक  
 प्रकार का व्यन है। भारत के राजनैतिक विचारों में जो व्यवस्था है, यह धर्म पर  
 आधारित है। दृग कारण स्वतन्त्रता तथा समता के विचार को यहाँ मौलिक नहीं माना  
 गया, यह कहना अनुचित नहीं होगा। पाश्चात्य राष्ट्रों में जो राजनैतिक तत्त्वज्ञान  
 विकसित हुआ उगमें शुरू में ही स्वतन्त्रता एवं समता की न्यूनधिक मात्रा में स्थान  
 दिया गया है। ग्रीक देश के राजनैतिक विचारों से लेकर प्राग देश की क्रांति के  
 समय के राजनैतिक विचारों तक स्वतन्त्रता या धर्म निरंकुश स्वतन्त्रता नहीं समझा  
 गया। राज्यकर्ताओं अथवा राज्य की सीमा में रहने हुए तथा राज्य के सम्बन्ध में  
 जो स्वतन्त्रता होती है, वही वास्तविक स्वतन्त्रता है। जर्मन राजनैतिक विचारों के  
 अनुसार तो राज्य की धाशाओं या पालन करना ही स्वतन्त्रता या मुख्य लक्षण हो  
 गया था। स्वतन्त्रता का धर्म केवल बन्धनों का अभाव न होकर व्यक्ति की अपनी  
 इच्छा के अनुसार निर्णय करने का अधिकार उपर्युक्त विचारधारा के अनुसार  
 स्वतन्त्रता का लक्षण था। तथापि यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी इच्छा के  
 अनुसार निर्णय करने का अधिकार दिया जाए तो बड़ी ही विवट समस्या उत्पन्न हो  
 जाएगी। अतः सब व्यक्तियों के निर्णय में जो वस्तु समान हो, उसी को समाज की  
 इच्छा मानना चाहिए तथा उस इच्छा या सच्चा प्रतिनिधि राज्य को मानना चाहिए  
 तथा राज्य की इच्छा के अनुसार व्यवहार करना एवं राज्य की धाशाओं का पालन करना  
 ही स्वतन्त्रता का लक्षण है, ऐसा उक्त विचारधारा का स्वरूप था। व्यक्ति कोई ऊट-  
 पटांग निर्णय ले सकता है। व्यक्ति की इच्छा अनगल हो सकती है। व्यक्ति के विचार  
 अव्यवस्थित हो सकते हैं। इन सब रोगों का एकमात्र इलाज यही है कि राज्य की इच्छा  
 को थोड़ा समझा जाय और जब इस प्रकार राज्य की इच्छा एक बार निश्चित हो  
 जाती है, तब व्यक्तियों की अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार किए गए निर्णयों की अन-  
 गलता एवं अव्यवस्थितता दूर हो जाती है। इसका यह अभिप्राय लिया गया कि  
 व्यक्ति राज्य की इच्छा के अनुसार जैसे-जैसे व्यवहार करेगा तथा राज्य की धाशा  
 का पालन करेगा, वैसे-वैसे उसकी स्वतन्त्रता बढ़ती चली जाएगी। राज्य तथा  
 व्यक्ति, समाज तथा व्यक्ति के बीच सम्बन्धों की कल्पना कुछ इस प्रकार की है

कि राज्य अथवा समाज की इच्छानुसार व्यवहार करना ही स्वतन्त्रता का लक्षण है। इसी विचारधारा को स्वीकार करने से अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो खंष्ट है, वही राज्य की भाज्ञा में निहित है तथा जब मैं राज्य की भाज्ञा का पालन करता हूँ तब मैं अपनी ही भाज्ञा का पालन किया करता हूँ, ऐसा इस विचारधारा का अर्थ होता है। जैसे-जैसे राज्य के ध्येय और उद्देश्यों का साक्षात्कार मुझे होता जाता है, वैसे-वैसे राज्य के ध्येयों और उद्देश्यों में मुझे अर्थ ही ध्येय एवं उद्देश्य प्रतिबिम्बित दिखाई देते हैं। इस कारण राज्य की इच्छानुसार व्यवहार करना मुझे अपनी इच्छानुसार व्यवहार करना प्रतीत होने लगता है। राज्य भाज्ञा देता है इसका अर्थ यह हुआ कि मैं ही भाज्ञा देता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा के मूल में राज्य के अन्तर्गत व्यक्तियों की इच्छाओं एवं भाजाधाओं का सामुदायिक स्वरूप राज्य की इच्छाओं और भाजाधों में समाविष्ट है, यह भाव काम करता है और इसीलिए यह बात प्रमाणित होती है कि राज्य की इच्छा न केवल व्यक्ति की इच्छाओं का प्रातिनिध्य करती है बल्कि उसी को प्रमुखता प्राप्त है और उसके अनुकूल व्यवहार करने में मेरा व्यक्तिगत कल्याण ही होता ही, ऐसी बात नहीं, बल्कि राज्य के हित में ही मेरा अर्थ भी हित है। और यदि वह हित मिट्ट हुआ तो समझना चाहिए कि मेरा अर्थ ही मिट्ट हुआ। 'सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः' ऐसा समझना चाहिए। यदि एक ही शब्द में कहें तो कहना होगा कि राज्य की भाज्ञा के पालन में ही स्वतन्त्रता निहित है। स्वैच्छा से किए गए निर्णयों में स्वतन्त्रता नहीं, अपितु राज्य द्वारा लादे गए निर्णयों में स्वतन्त्रता निहित है, यह इस विचारधारा का निष्कर्ष है।

१९वीं सदी के आरम्भ की यह विचारधारा, जिसका मूला पर बड़ा असर रहा है, बहुत देर तक न टिक सकी। इस विचारधारा को स्वीकार कर लें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य ही नहीं रह जाएगा। उसकी इच्छाएँ मूल्यहीन हो जाएँगी। उसका निश्चय लौगड़ा पड़ जाएगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति के इस स्वभावसिद्ध अनुभव के लिए कि वह भी कुछ है, तथा अर्थों की अपेक्षा अपने में भिन्नता रखता है, कोई अवकाश ही नहीं रह जाएगा। राज्य में व्यक्ति का प्रतिक्षण वास्ता पड़ता है तथा व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि राज्य एक हुकम देने वाला संगठन है। या तो वह व्यक्ति राज्य की भाज्ञा को स्वैच्छा से स्वीकार करे या फिर उसे अपरिहार्य मान कर स्वीकार करे। परन्तु यदि वे भाज्ञाएँ उसकी मौलिक धारणा के विरुद्ध हों, तो उसका विरोध करने की तात्त्विक भूमिका अथवा नैतिक अधिकार इस विचारधारा में उसके लिए नहीं रह जाँगे। व्यक्ति को किसी ऐसे काम के करने में, जो उसे अयोग्य तथा अप्रिय प्रतीत होता हो, स्वतन्त्रता की अनुमति कैसे हो सकेगी? बाह्य जगत् के साथ सम्बन्ध अर्थों के बाद व्यक्ति को जो कार्य उचित प्रतीत होता है, उसे वह करने न दिया जाए तो भले ही वह कानून के अनुकूल हो तो भी उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। निश्चित ही वहाँ नैतिकता की दृष्टि से अर्थ उठा है। व्यक्ति के अपने अनुभवों को अनुचित कह कर उसे अन्य व्यक्तियों के अनुभवों के अनुसार काम करने को बाध्य करना उसका अपमान करना है तथा इससे व्यक्ति के गुणों का हनन होता है। हर व्यक्ति

सारह से विचारहीन होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक विचार शक्ति हर व्यक्ति में रहती है। व्यक्ति का उसके जगत्जीवन में धर्मों के साथ सम्बन्ध जाता है तथा उसके मन में पैदा होने वाले विचारों का जगत् उन्हीं सम्बन्धों से होता है। वे विचार सर्वथापारण साम्राज्य के विचारों से मिलने-जुलने हैं। तथापि उनमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता भी होती है। धर्म एक ही है। पर उसे कोई पूरा कर लायेगा, कोई धातू से टुकड़ा करके लायेगा, तथा कोई उमका रंग निरामकर लायेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता रहती है। धार्मिक जगत् के साथ घाने वाले सम्बन्धों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को अपने विचार रूपी इमामदस्ते में बूट कर हर व्यक्ति एक प्रकार का रमायण निर्माण करता है। व्यक्तिगत रूप से किए गए विचारों को, व्यक्तिगत रूप से निश्चित की गई बातों को व्यक्तिगत साम्राज्य के सामान्य व्यवहार में अवतरित करता है। अब यह ऐसा करने में समर्थ होगा, सभी कहा जा सकेगा कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।

जहाँ तक हो सके व्यक्ति को साम्राज्य एवं राज्य के दृष्टिकोण के साथ अपने विचारों का अधिराधिक सामञ्जस्य स्थापित करना चाहिए, इसी में अधिक स्वतंत्रता है, इस विचारधारा में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के श्रेष्ठ तत्वों को ध्यान में रखकर ही राज्य के आदेशों की सृष्टि होती है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति केवल श्रेष्ठ तत्वों का ही मन्त्र है। प्रत्येक व्यक्ति गुण-दोषमय होता है तथा व्यक्ति की दृष्टि एकरूप न होकर उभयरूप रहती है। धर्मानुसारेण उसके विचारों की सृष्टि भले तथा बुरे दोनों प्रकार के अनुभवों से होती है। व्यक्ति का अस्तित्व उन सब वस्तुओं एवं शक्तियों का सकलन है, जो मसार में विद्यमान हैं। अतः व्यक्ति के जीवन के किसी एक धर्म को पृथक् करके उस पर विचार करना उचित नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्रयास करता है, उनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है तथा उसमें प्राप्त अनुभव उस व्यक्ति को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। व्यक्ति के सारे प्रयास इस उद्देश्य से होते हैं कि उसे अपने जीवन में मार्थरता प्रतीत हो। अतः राजकीय आदेशों अथवा सामाजिक दृष्टिकोण में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा-पूरा दृष्टिकोण समाविष्ट हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसी कारण उस अर्थ तक यह कहना पड़ेगा कि जिन बातों का अनुभव व्यक्ति की नहीं प्राप्त हुआ उनके मामले में उसे अन्यों के अनुभवों पर निर्भर रहना होगा। इसका स्वाभाविक फल यह होगा कि 'व्यक्ति स्वतन्त्र है' ऐसा कहना अनुचित हो जाएगा। यह पूरा नया सत्य नहीं कि समाज के दृष्टिकोण अथवा राज्य के आदेशों में उन्हीं बातों का समावेश होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में समान हैं। 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना' ऐसी वास्तविक परिस्थिति है। ऐसी अवस्था में, जो अनुभव एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही दूसरे को भी प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त सर्वांश में सच नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि भिन्न-भिन्न मनोरचना वाले लोग राजनैतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में निवास करते हैं। काल की दृष्टि से भी मनोरचना में भिन्नता होती है। आज जो अनुभव होता है वही सदैव अनुभव होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। इतना ही नहीं, जो वस्तु आज जैसी प्रतीत होती है, वह सदा वैसी ही प्रतीत होती रहे, ऐसी भी बात नहीं।

इस प्रकार प्रतिक्षण बदलने वाली मनोरचना की पृष्ठभूमि में मनुष्य किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में कोई निश्चित एवं अपरिवर्तनीय मत नहीं बना सकता। आज हर कोई चाहता है कि संसार में शांति रहे तथा भारत को समृद्धि में वृद्धि हो। परन्तु मसाल की शान्ति के सम्बन्ध में हर व्यक्ति की धारणाएँ भिन्न हैं एवं भारत की समृद्धि के सम्बन्ध में भी हर व्यक्ति की कल्पना भिन्न-भिन्न है। किसी के मत में उत्पादन की अधिकता ही राष्ट्र की समृद्धि का लक्षण है तो किसी के मत में उत्पन्न वस्तुओं के विभाजन को अधिक समता ही समृद्धि का लक्षण है। समृद्धि एवं शान्ति के सम्बन्ध में कुछ भ्रंश में बहुत-सी बातें समान हैं; तथापि प्रत्येक के अनुभव एवं इच्छाओं में भेद तो रहेगा ही। इन सब अनुभवों एवं इच्छाओं को स्थूल रूप से एकत्र करके उनमें सम-न्वय की स्थापना का प्रयत्न किया जाय, तो उससे भी हर व्यक्ति का मानसिक सन्तोष हो जायगा ऐसा कहना कठिन है। राजनैतिक क्षेत्र का तो अनुभव यह है कि स्थूल रूप से एक ही दृष्टिकोण वाले लोग जब एक जगह पर जमा होते हैं, तब उनकी भिन्नता और घृणकता और अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। यहाँ तक कि एक वस्तु को यदि एक व्यक्ति रचनात्मक ममकता है तो दूसरा व्यक्ति उसी को विनाशरूपक समझ बैठता है। एक वस्तु यदि एक व्यक्ति को सफलता प्रतीत होती है, तो वही वस्तु दूसरे को असफलता प्रतीत होने लग जाती है। इन बातों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि किसी भी एक वस्तु के सम्बन्ध में सम्पूर्ण समाज की एक ही धारणा है। तथापि कुछ घुंघने रूप में यह बात कही जा सकती है कि सारे समाज की इच्छा का स्वरूप क्या है। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की धारणा अपने प्राय में एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न ही रहती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को जान नहीं सकता। यदि सबकी इच्छाओं को एक जगह इकट्ठा करके उसकी एक डेरी बना दी जाए, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का स्वरूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अतः राजनैतिक तत्त्वज्ञान का आधार यह मानना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट इच्छा को ध्यान में रखकर ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए।

जब हम यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा एवं दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न होता है, तो 'सारे समाज की इच्छा' यह वाक्य-प्रयोग एक सीमित अर्थ में ही उचित माना जाना चाहिए। साथ ही राज्य जो कुछ करता है वह, तथा उसकी आज्ञाएँ समाज की ही इच्छा का प्रतिफल है, यह भी एक सीमित अर्थ में ही सही मानना चाहिए। समाज के जीवन में सब कुछ तर्क की दृष्टि से उचित होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तथा समाज में जो कुछ घटित है, वह पूर्ण विचारपूर्वक ही घटित होता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जिसे हम 'समाज का मत' कहते हैं, वह वस्तुतः कोई ठोस सचाई नहीं होती। समाज के व्यक्तियों की इच्छाओं में मौजूद एक स्थूल रूप को समानता को वह नाम दे दिया जाता है। अनेक व्यक्तियों से मिलकर बना समाज, अनेक व्यक्तियों के विचारों से उत्पन्न होने वाला सामाजिक व्यवहार भी किन्हीं पूर्वनिश्चित योजनाओं तथा प्रणालियों के अनुसार ही होता है, ऐसा दृष्टिगत नहीं होता। सामाजिक व्यवहार में कुछ नियमबद्धता दिखाई देती है, यह सही है।

इस नियमबद्धता के जन्मदाता नियम भी किसी के द्वारा बनाये गये होते हैं, यह भी उतना ही सही है। निःसन्देह इन नियमों के निर्माण में बहुतांशों का हाथ रहता है। समाज के शासकीय प्रतिनिधि राज्य का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। राज्य का अर्थ है अनेक नियम तथा कानून, जो अपने क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों का नियमन एवं नियंत्रण किया करते हैं। अपने क्षेत्र में राज्य का पूरा प्रभुत्व रहता है तथा वह अपनी सत्ता के बल पर समाज में होने वाले नाना प्रकार के वैयक्तिक एवं सामाजिक व्यवहारों का नियंत्रण करता है। आवश्यकता पडने पर राज्य बलप्रयोग द्वारा अपनी आज्ञाओं एवं नियमों का पालन करवाता है तथा उसका दावा होता है कि यह बलप्रयोग समाज के हित की दृष्टि से किया जाता है। ये सामाजिक हित धार्मिक होते हुए भी समाज के तथा राज्य के स्थायी हितों का ही एक भाग होते हैं। तथा इसी कारण राज्य मानता है कि उसका यह बलप्रयोग उचित है। समाज में रहने वाले कुछ व्यक्ति राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को प्रजा के हित में नहीं मानते। तथा कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि राज्य के हाथों जो कुछ भी होगा, वह प्रजा के हित के लिए ही होगा तथा राज्य कभी गलती कर ही नहीं सकता। इस दूसरी विचारधारा को मान लिया जाय तो समाज में सच्ची स्वतंत्रता नामक वस्तु कभी पनप ही नहीं पायेगी। तथा आज जीवन को विफल वस्तु मानने की जो विचारधारा लोगों में घर कर गई है, वह इसी का फल है। यह सही है कि राज्य सब का है। पर यह तभी हो सकता है, जब सब लोग स्वीकार करें कि राज्य उन सब का है तथा सब राज्य के प्रति निष्ठावान् रहे, सब में एकता की भावना हो एवं सब लोग राज्य की आज्ञाओं को शिरसावन्ध मानें। परन्तु यह समझ लेना चाहिए कि राज्य की आज्ञाओं का पालन यदि विचारहीनता एवं अज्ञानपूर्वक किया जाये तो वह एक निःसार वस्तु हो जाती है। राज्य द्वारा दी गई आज्ञा के भीतर जो नस्ब छिपा है, उसको ठीक-ठीक समझ कर उसका पालन करना ही सच्चा आज्ञापालन है। योगवासिष्ठ में लिखा है कि—'स्वभावात् न तु भयात् यः पश्यति स पश्यति।' दण्ड के डर से किया जाने वाला आज्ञापालन निवृष्ट कोटि का आज्ञापालन होता है तथा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो आज्ञापालन समझ-बूझ के साथ किया जाता है, वही सच्चा और टिकाऊ होता है। इसमें यह अभिप्राय निकलता है कि राज्यविषयक निष्ठा के लिए कुछ शर्तें हैं। वह निरपेक्ष नहीं है। सब कहीं लोगों की निष्ठा को प्रामाणिक मानकर काम करना राज्य के लिए विपत्ति का मूल हो सकता है। १९वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यह विचारधारा सर्वप्रथम हो चली थी। राज्य सबका है तथा सबके हित के लिए है, वह सबको उचित न्याय प्रदान करता है, यह मानना इस दृष्टि से उचित है। यदि व्यक्तिमान को अपने व्यावहारिक जीवन में इस सच्चाई का अनुभव हो तो फिर राज्य के बारे में शिंशय की कोई बात ही नहीं रह जाती। पर लोगों का अनुभव ऐसा नहीं है। उनका अनुभव बतलाता है कि राज्य तो सब लोगों का है, पर शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथ में है, और उसका लाभ कुछ ही इने-गिने लोगों को होता है। 'सर्वत्रुदा का, मुक्त बाइसाह का तथा धामन कम्पनी सरकार का।' यही सच्चाई हमें सब कहीं दिखाई देनी है। अतः कानूनीक न्यायप्रिय एवं निर्दोष राज्य का विवेचन करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष

अनुभव में घाने वाले राज्य का ही धियेवन हमें करना चाहिए। राज्य करने वाले सत्ता-धीन सर्वसाधारण नागरिकों जैसे ही होते हैं। वे सब मनुष्य ही होते हैं। अतः उन सब प्रजोपनों का वे विचार करने हैं, जो सामान्य लोगों को अपने चंगुल में ले लेते हैं। इसी कारण उन सत्ताधीनों के सारे आदेशों को कसौटी पर ठीक तरह से कस कर देना चाहिए तथा उनके प्रकट एवं गुप्त उद्देश्यों का परम की जानी चाहिए। समाज के अनुभवों से उनका भिन्नान करने के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए। सत्ताधीनों के अनुभव का क्षेत्र सीमित होता है। तथा बहुत बार तो उनके घात-गाम में डराने वाले स्तुतिपाठकों के सम्बन्धों से ही उस ही मृष्टि होती है। अतएव सत्ताधीनों के आचरण को निर्दोष एवं सर्वथा योग्य मानने से व्यक्ति एवं समाज की स्वतन्त्रता सतरे में पड़ सकती है। जिन वस्तु में अपने मन का बिदबास न हो, उन्हे केवल राज्य के कहने पर मान लेना अपने व्यस्तित्व, अस्मितता तथा स्वाभिमान को तिलांजलि देना है। आज संसार में हमें जो स्वतन्त्रता दीसती है, उसका कारण राज्य की आजायों को बर्बर किसी ननुनव के स्वीकार करना नहीं; बरन् विद्यमान राज्यमत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज को बुन्द करना है तथा अपनी सदस्यविवेक बुद्धि की राज्य के कानून से अधिक पवित्र एवं अधिक अविश्वामी मानना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें मन्देह नहीं; परन्तु उसकी महत्ता तथा अविन उसके पृथक्त्व में तथा उसकी वैयक्तिक विशेषता में निवास करती है। उसके अनुभव की भाँति ही उसकी इच्छा एवं सम्मति भी वैयक्तिक ही होती है। इस कारण यदि वह इन वस्तुओं में दूसरों का गुनाम हो जाय तो उसे स्वतन्त्र कहना निरर्थक हो जायेगा। शारीरिक गुनामी की अपेक्षा मानसिक गुनामी अधिक भयानक होती है। अतः वास्तविक स्वतंत्रता का आधार मानसिक स्वतंत्रता है। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।'

मनुष्य का राज्य के अन्दर रहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि राज्य के साथ उसकी तदात्मता स्थापित हो गई है। उस अवस्था में तो वैयक्तिक तथा सामाजिक किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता पर विचार विमर्श करना व्यर्थ ही जायेगा। राज्य एवं व्यक्ति में यदि एकदम 'घट्ट' हो जाय तो स्वतंत्रता के भ्रम में विद्यमान 'द्वैत' ही विलुप्त हो जायेगा तथा स्वतंत्रता की कल्पना ही समाप्त हो जायेगी। स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि किसी अन्ध व्यक्ति, बन्धन तथा सीमा से छुटकारा। जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई बन्धन नहीं, कोई आज्ञा देने वाला तथा कोई आज्ञाओं का पालन करने वाला नहीं, वहाँ स्वतंत्रता शब्द ही अप्रासङ्गिक हो जाता है। अतः जब भी कभी हम स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ इस द्वैत की उन्नति को मानना ही पड़ता है। समाज के भीतर व्यक्ति की मौजूदगी को देखकर, समाज एवं व्यक्ति के बीच के सम्बन्धों को देखकर हम विचार करते हैं कि व्यक्ति अस्तित्वी मात्रा में स्वतंत्र तथा अस्तित्वी मात्रा में बन्धन युक्त है। इसी प्रकार एक नागरिक के नाते व्यक्ति के समाज में रहने के कारण हम राज्य के बन्धनों तथा सीमाओं पर विचार किया करते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है तथा उसका जीवन अनेक वर्गों तथा जातियों से सम्बन्धित रहता है। इन सभी सम्बन्धों तथा व्यवहारों से युक्त अवस्था में उसे अपने जीवन को सुखी

तथा मर्यादपरिपूर्ण बनाना होता है। अपने परिवार वामों में, मित्रों में, अनेक सम्बन्धियों के सम्बन्धों में तथा शत्रुओं के सम्बन्धों में उग्रता सम्बन्ध पाता है। तथापि कुछ सम्बन्ध ऐसे होते हैं, जिनकी मूर्च्छि उमने शर्य को होती है तथा कुछ सम्बन्ध ऐसे होते हैं, जो उमके जन्मने के साथ ही जन्म लेते हैं तथा मृत्यु तक बने रहते हैं। माता-पिता, बहन, भाई आदि सम्बन्ध उमके जन्मने के साथ ही जुट जाते हैं। पत्नी तथा अनेक अनेक व्यावहारिक सम्बन्ध उमके अपने बनाये हुए होते हैं, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार तोड़ भी सकता है। पत्नी को तलाक दे सकता है; नौकरी तोड़ सकता है; परन्तु वह माता-पिता को बदल नहीं सकता। इमने यह गिद्ध हुआ कि वह अपने बनाये सम्बन्धों को तो तोड़ सकता है, किन्तु जिन सम्बन्धों ने उसे बनाया है, उसे वह नहीं तोड़ सकता। पत्नी वह बदल सकता है, किन्तु जिन राज्य में वह पैदा हुआ है, उसकी नागरिकता को वह घामानो से नहीं बदल सकता। जन्म द्वारा प्राप्त शर्य जन्म के समय विद्यमान नागरिक के कानून द्वारा प्राप्त नागरिकता का वह परिष्कार नहीं कर सकता। उस राज्य को छोड़कर बाहर जाने पर भी उसकी नागरिकता शर्य की मरिण उमके साथ साथ फिरती रहती है। अतः राज्य का नागरिक होने तथा उम नागरिकता का परिष्कार करने में शर्य का अममर्य होने के कारण राज्य के आश्रयों व आशाओं का अथन उस पर जन्म ही से रहता है। नागरिकताहीन (Stateless) अथन किसी भी अधिचार-अवस्था पर अथना अधिचार नहीं जाता सकता। निष्प्राण शरीर की-सी उमकी अवस्था हो जाती है। गत महायुद्ध के बाद विकृत राजनीति के कारण ऐसे अथन अनेक जगह पाये जाते हैं। इमने यहाँ उन अथनियों का विचार करना है, जिन्हें नागरिकता प्राप्त है। राज्य नागरिकों को आशा देता है, इसका अर्थ यह है कि वह आशा या तो कोई अथन देता है या कोई समूह देता है तथा उन आशाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। अतः अथन को कितनी मात्रा में स्वतंत्रता हो तथा उस स्वतंत्रता का स्वरूप क्या हो, इस बात पर विचार करना सार्थक सिद्ध होता है। श्रुति तथा स्मृतियों की आशा का पालन न करने से कोई किसी को जेल में नहीं डालता। पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करने का विधान अर्थ में भले ही किया हो तथापि उसका पालन करना अनिवार्य अस्तु नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य कानून बना दे तो फिर वही अनिवार्य अस्तु हो जाती है तथा जो अथन उसका पालन नहीं करेगा, उससे राज्य अथनी शक्ति से पालन करायेगा। यदि कोई अथन किसी सस्था का सभासद हो तो उसका यह नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस सस्था की आशाओं का पालन करे। परन्तु उन आशाओं का पालन न करने वाले अथन का अधिक से अधिक यदि कुछ बिगड़ेगा तो मही कि उसे सभासदत्व से हाथ धोना पड़ जायेगा; इससे अधिक कुछ नहीं। किन्तु यदि कोई राज्य की आशाओं का पालन न करे तो उसे दण्डित होना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई अथन सस्था से त्यागपत्र देकर अलग हो सकता है, उस प्रकार वह राज्य की नागरिकता से त्यागपत्र नहीं दे सकता। उस अवस्था में उसके सामने दो ही विकल्प रहते हैं, या तो राज्य की आशाओं का पालन करे, या फिर कैंद की सजा भुगतें। यदि राज्य की आशाओं का पालन अनिवार्य हो, तो फिर अर्थन यह उत्पन्न होता है कि उसकी स्वतंत्रता कहाँ रहती? राज्यअवस्था की नींव है अथन द्वारा राज्य के कानून का पालन। यह

उसका मूल आधारस्वरूप है। परन्तु यदि कानून व्यक्ति के सुखों का हनन करने वाला हो तो व्यक्ति क्या करे ? तब उसके लिए एक ही मार्ग है, उसे जो प्रिय है, वह सही हो या गलत, उसके अनुसार आचरण करे तथा राज्य जो सजा दे उसे चुपचाप सहन करले। इस स्थिति में उसे यह प्रतीत होगा कि राज्य की आज्ञाओं को न मानने में ही उसकी मानसिक स्वतंत्रता निहित है। राज्य की आज्ञाओं के पालन में स्वतंत्रता की अनुभूति तभी होती है, जब उसे यह अनुभव हो कि कानून के पालन से उसके अपने वैयक्तिक विकास पर प्रथवा अपनी नैतिक भावना पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इस प्रकार की अनुभूति जिस परिस्थिति में उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति की विद्यमानता ही स्वतंत्रता है, ऐसा कहना होगा। अतएव नागरिक जब स्वतंत्रता की उम्मीद करता है, तब उपरिनिर्दिष्ट परिस्थिति का समाज में रहना अनिवार्य हो जाता है। सुखप्राप्ति एवं अपनी ध्येयपूर्ति के लिये नागरिक जीवन के मार्ग पर चलते समय राज्य के आदेशों के कारण उसके मार्ग में बाधाएँ नहीं आनी चाहियें, किसी किस्म का खतरा नहीं पैदा होना चाहिये। तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता मौजूद है। यह परिस्थिति स्थायी नहीं होती। तथा उसमें सोलही आने स्वतंत्रता को गारंटी भी नहीं होती। यह परिस्थिति सर्वव्यापी भी नहीं होती। राज्य आपको भाषण-स्वतंत्रता का आश्वासन दे सकता है, पर वह आपके लिये श्रोताओं को नहीं जुटा सकता। एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता वह आपको दे सकता है, पर लोगों को इकट्ठा करने का इन्तजाम वह नहीं कर सकता। एक निश्चित उम्र होने पर स्त्री-पुरुषों के विवाह के मार्ग में कानूनन कोई रुकावट वह नहीं डालेगा। यह इस बात की छूट दे सकता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी पुरुष या स्त्री से विवाह करे। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह आपको ऐसी स्त्री या पुरुष पत्नी या पति के रूप में प्राप्त करा दे, जिस पर आपको बहुत अधिक स्नेह है। धार्मिक कारणों प्रथवा अन्य किन्हीं कारणों से उत्पन्न सब बाधाओं को राज्य दूर कर सकेगा। पर सामाजिक मामलों में वह किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। नौकर किसे रखना है, यह राज्य नहीं बतायेगा; पर नौकर रखने के बाद वह छुट्टियों, वेतन, बीमा आदि के मामलों में दबाव अवश्य डालेगा।

स्वतंत्रता की कल्पना स्थूल होने पर भी अनेक विवरणों से उसका स्वरूप स्पष्ट होता है। मनुष्य का जीवन विविध प्रकार का होता है एवं उसके आचरण का क्षेत्र भी विविध प्रकार का होता है। यदि हम मानें कि व्यक्ति को उन क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की पूरी छूट हासिल है। यदि वह छूट न रहे तो कहना होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हासिल नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि किसी को अपनी इच्छानुसार काम करने से रोकना न जाय। परन्तु हर कही व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की पूरी छूट दे देना अन्य व्यक्तियों की एवं समाज की स्वतंत्रता की दृष्टि से ठीक नहीं है। अतः किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाय, इसका विचार करते समय व्यक्ति के अधिकारों एवं उसके समाज तथा राज्य से सम्बन्धित कर्तव्यों का विचार करना



भी परम आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तथा राज्य को सुव्यवस्था चाहिये। व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों का व्यौरेवार विवेचन करना आसान काम नहीं है। राज्य के किस नियम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण होता है, यह व्यक्ति ही बता सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कब राज्य के नियमों की उपेक्षा कर बैठेगा, यह कोई नहीं बता सकता। राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यह व्याख्या ठीक नहीं है। अठारहवीं सदी की इस विचारधारा को आज की दुनिया में कोई मंजूर नहीं करेगा। अतः व्यक्ति के जीवन में कानून भंग करने के प्रसंगों का आना कोई अनहोनी बात नहीं है। यदि हम मानें कि किन्हीं खास मौकों पर व्यक्ति को कानून भंग करने का नैतिक अधिकार प्राप्त है, तो हमें बताना होगा कि वे खास मौके कौनसे हैं। सामान्यतया, व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपने गुणों का विकास करने की सब प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो, तो कहा जा सकता है कि नागरिकों की पूरी स्वतंत्रता है। इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना समाज का काम है, राज्य का नहीं। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में विफलता की प्रतीति न हो, घुटन की प्रतीति न हो, तो हमें सामाजिक एवं राजकीय जीवन में किन्हीं ऐसी मूल्यों को स्वीकार करना होगा, जो नित्य तथा शाश्वत स्वरूप के हों तथा हमें उन मूल्यों को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए सविधान में किन्हीं मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा सामाजिक प्रचलनों एवं परम्पराओं को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि राज्यकर्ताओं को उनके विरुद्ध आचरण करने का साहस ही न हो। सविधान में तो नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, पर नागरिकों के अनुभव में उसका लेश भी न हो, तो उसे कौन स्वतंत्रता कहेगा? सत्ताओं का उद्देश्य कितना भी ऊँचा क्यों न हो, जब तक वे लोगों के अनुभव के विषय नहीं धन पाते, तब तक उनका होना न होना बराबर है। समाज का वातावरण इस बात का विश्वास दिलाने वाला होना चाहिए कि जब तक हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तब तक राज्य की व्यवस्था अथवा कानून हमारी राह में रोड़े नहीं भटकायेगा। इसके अभाव में स्वतंत्रता एक औपचारिक वस्तु बनकर रह जायेगी, वास्तविक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमें उचित प्रतीत होता है, वह हम कर सकते हैं तथा जब तक हमारा आचरण उचित सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक हमें कोई अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। यदि हम कोई नया काम करना चाहें तो उसे करने का अवसर हमें मिलना चाहिए। यदि हम अन्धों से संबंधाभिन्न जीवन व्यतीत करें, भिन्न विचार रखें, तो बंसा करने की इच्छा हम में होनी चाहिए तथा हमें इस बात का विश्वास होना चाहिये कि बंसा करते समय समाज हमें किसी प्रकार का नष्ट नहीं पहुँचायेगा। तभी स्वतंत्रता का कुछ धर्म होगा। हम कौनसा व्यवसाय करें, अपने जीवन की रूपरेखा क्या बनायें इत्यादि बातों को निश्चित करने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिये तथा इन्हें निश्चित करते समय अथवा निश्चय के अनुसार आचरण करते समय समाज द्वारा किसी प्रकार की रोकटोक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ हमें इस बात का भी खयाल रखना होगा कि जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं तथा जो हमारे जीवन के लिये आवश्यक प्रतीत होती

है, वह अनियंत्रित नहीं है तथा वह स्वतंत्रता राज्य के कानूनों के अनुकूल होनी चाहिये। राज्य के कानूनों द्वारा उक्त स्वतंत्रता के लिये पूरा-पूरा प्राद्वामन दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक ऐसा भी स्थान होता है, जहाँ राज्य वा कानून प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता अनियंत्रित रहती है; किन्तु समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों का नियंत्रण वहाँ भी बना रहता है।

जैसा कि अभी हमने कहा स्वतंत्रता में राज्य के कानूनों तथा समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों दोनों का अन्तर्भाव होता है। स्वतंत्रता सत्ताधारी व्यक्तियों के अत्याचारों से व्यक्ति की रक्षा करने का एक साधन है। अब तक का अनुभव हमें बताता है कि जिसके हाथ में शक्ति रहती है, वह उसका दुरुपयोग किये बिना नहीं रहता। केवल निरंकुश राजतंत्र में ही ऐसा होता हो, सो बात नहीं है। प्रजातंत्र में भी बहुसंख्यक पक्ष अल्पसंख्यक पक्ष पर अत्याचार कर सकता है। अधिकार की प्राप्ति से एक प्रकार का मद भ्रा जाता है तथा उन अधिकारों का दुरुपयोग होने लगता है। अधिकार चाहे किसी व्यक्ति के हाथ में हों या किसी दल के हाथ में, सभी वही उनका दुरुपयोग हो सकता है। अतः उन अधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिये तथा उनके उपयोग को उचित रूप में होने देने के लिये राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता का होना जरूरी हो जाता है। केवल प्रजातंत्र की स्थापना से ही सब की स्वतंत्रता अबाधित हो जाती हो, ऐसी बात नहीं। प्रजातंत्र में भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के द्वारा अत्याचार किये जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बंग शुद्धि के नाम पर किया जाने वाला अन्याय भी इसी का उदाहरण है। राज्य में रहने वाले राजकीय अल्पसंख्यकों पर भी अन्याय होता रहता है। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से ही काम नहीं चलता। व्यक्ति को शक्ति राज्य में रहने वाले वश, धर्म, व्यवसाय आदि के कारण निमित्त समुदायों को भी अपनी उन्नति करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही नहीं, आज बहुत से ऐसे भी देश हैं, जिन पर अन्य देशों का शासन है और वे परतंत्रता में हैं। वह परतंत्रता चाहे उपनिवेशों के रूप में हो या सरक्षण व्यवस्था के रूप में हो परन्तु चूँकि वे अन्य देशों के अधीन हैं; अतः वे परतंत्र हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः स्वतंत्रता पर विचार करते समय केवल इतना ही नहीं देखना चाहिये कि वह कानून के मुताबिक है या नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिये कि शासन करने वाले कौन हैं तथा उनके राज्य का स्वरूप क्या है।

यह माना कि प्रजातंत्र में बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होता है, तथापि हमें मानना पड़ेगा कि अन्य सभी शासन-प्रणालियों के मुकाबले प्रजातंत्र शासन-प्रणाली में व्यक्ति को तथा अल्पसंख्यक समुदायों को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जहाँ प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता कुछ-एक लोगों के या वर्गविशेष के हाथ में ही रहती है। इतिहास के अनुभवों के आधार पर हमें मानना पड़ेगा कि व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र अभीष्ट ही नहीं; प्रत्युत आवश्यक भी है। तो भी भारत में मानते हैं कि प्रजातंत्र मिथ्या वस्तु है तथा चुनाव एक अवाञ्छनीय

लोग यह कहते हैं कि प्रजातन्त्र अभीष्ट तो है, किन्तु उसकी कुछ एक पद्धतियाँ जो आज प्रचलित हैं, ठीक नहीं हैं। उनमें मनुष्य के मद्गुणों का विकास नहीं होता; बल्कि वे स्वार्थी हो जाते हैं। अन्य कुछ लोग मानते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली द्वारा उचित सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाती। प्रजातन्त्र द्वारा सिन्ही इने-गिने लोगों के हाथ में ढेर सारी सम्पत्ति बनी जाती है तथा देश जनगमुशय गरीब हो बना रहता है। अतः जनसाधारण के हित की दृष्टि से प्रजातन्त्र अनुपयुक्त सिद्ध होता है। आजकल तो भारतीय विद्वानों में प्रजातन्त्र का उपहास करने का एक फंशन ही बल पडा है। प्रजातन्त्र न हो तो उसके स्थान पर कोई अन्य तंत्र जैसे अधिनायक तंत्र या नौकरशाही जैसी कोई वस्तु आ जाएगी। इस बात की ओर लोगों का बहुत धम ध्यान जाता है। प्रजातन्त्र न रहे तो व्यक्ति की महत्ता खत्म हो जाएगी। सामक लोग व्यक्ति के अनुभवों का खयाल नहीं रखेंगे। प्रायिक दृष्टि से भले ही थोड़ा-बहुत संतोष प्राप्त हो, पर मानसिक प्रगन्नता नहीं प्राप्त हो सकेगी। प्रजातन्त्र में ठीक इसके विपरीत होता है। प्रजातन्त्र का अर्थ है प्रजा द्वारा दी गई सत्ता से युक्त सरकार तथा प्रजा के हित के लिये किया जाने वाला राजकाज। कहा जा सकता है कि इसमें कुछ न कुछ वास्तविकता भवश्य होती है। लोग मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तथा उस दल की सरकार बनती है, जिसका बहुमत होता है। यह प्रजातांत्रिक सरकार होती है। इस पद्धति से स्थापित सरकार द्वारा जो कानून बनते तथा आदेश दिये जाते हैं, वे सबके लिए समान होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रजातन्त्र की स्थापना के कारण भयवा कानून के सबके लिए समान होने के कारण नागरिक बहुत सुखी रहते हैं। व्यक्ति तभी अपने को सुखी अनुभव करता है, जब वह देखता है, उसकी पूछताछ करने वाला कोई मौजूद है, उसकी सम्मति भयवा कथन का सम्मान किया जाता है, होनेवाले राजकीय कार्य-कलापो में उसका भी कहीं कोई स्थान है तथा योग्यता के होने पर उसे किसी भी अधिकार पद पर काम करने से वंचित नहीं किया जायेगा। प्रजातन्त्र में सार्वजनिक मतदान का अधिकार होने के कारण व्यक्तियों को पूरा महत्त्व प्राप्त होता है। निर्वाचन के दिनों प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है; उसकी कीमत बढ़ जाती है। मनुष्य को विवाह के समय प्रतिष्ठा होती है—“लक्ष्मीनारायणस्वरूपिणो वराय” कहकर उसे सम्मानित किया जाता है। लगभग ऐसी ही प्रतिष्ठा का अवसर मतदाता नागरिक को चुनाव के दिनों में प्राप्त हुआ करता है। पाँच वर्ष तक उसे कोई पूछेगा नहीं। पर ज्यों ही चुनाव के दिन आये कि देखिये, वे लोग जिन्होंने उसकी ओर फूटी आँख से भी नहीं देखा होगा, उसके दरवाजे पर चले आते हैं। उम्मीदवार तथा दल के प्रचारकर्त्ता लोग उसके पास आने लगते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय नागरिक का महत्त्व बढ़ जाता है तथा उसे अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। तब वह अनुभव करता है कि वह राज्य का स्वामी है। मतदान का अधिकार न रहे तो यह सब नहीं हो पाता। अतः कहना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये, उसके विकास के लिए तथा उसके सुख के लिये उसके हाथ में मतदान के अधिकार का होना नितान्त आवश्यक है। जिन दिनों भारत में सामान्य जनता को मतदान का

अधिकार नहीं था, उन दिनों उसे कोई भी नहीं पूछता था। राजनैतिक नाटक मंडलियाँ शहरों की सीमा के बाहर अपने-नाटक दिखाती ही नहीं थी। जबसे इन राजनैतिक चुनावों का श्रोगगेश हुआ है, तब से राजनैतिक कार्यकर्ता तथा उम्मीदवार लोग गाँवों में भी जाने लगे हैं। कोई स्कूल खोलने की बात कहता है, कोई सड़क बनवाने की बात कहता है, तथा कोई लगान बमुनी से छूट दिलाने की बात कहता है। इसी किस्म की बातें शहरों में भी कही जाने लगी हैं। अन्त्यज लोगों के मुहल्लों में जाकर बड़े बड़े तिलकारी ब्राह्मण, भयवा बड़े-बड़े सत्रियों के घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी भाड़ लगाने लग गये हैं तथा हरिजनो की बस्तियों की सफाई करने लग गये हैं। अचिल का बहना है, चुनाव के दिनों में समाज में जितनी समता स्थापित होती है, उतनी अन्य किसी भी परिस्थिति में नहीं होती। प्रजातन्त्र में हजार खराबियाँ हो सकती हैं; पर मतदान का अधिकार उन सब खराबियों को दूर करने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। उसके कारण बड़े-बड़े लोभी सत्ताधारियों को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। सरकार का सामान्य जनता के कष्टों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सबसे बड़ा साधन है। मत देने के मानो हैं, राज्य कौन करे, इस बात का निश्चय करना। यह कुछ मानों में स्वयंवर जैसी वस्तु है। इस से व्यक्ति को उस व्यक्ति भयवा दल को चुनने का अवसर प्रप्त होता है, जो उसे सुखी कर सके तथा उसकी अपनी दृष्टि में ठीक से राजकाज चला सके। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ बदलती रहती हैं। अतः किसी एक दल को सदा के लिए सत्ताारु बनाना ठीक नहीं होगा। इसी कारण प्रजातन्त्र में किसी दल भयवा व्यक्ति के सत्तारु बनने रहने की एक पवनि निश्चित रहती है। प्रजातन्त्र का सबसे महत्व का हिस्सा यह है कि लोगों के अनुभव तथा इच्छाओं के अनुरूप राज्य का काम-काज चलाना हो तो कभी भी किसी व्यक्ति भयवा दल को सदा के लिए निरंकुश सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी दल को सदा के लिये सत्ता दे दी जाय तो उसका फल यह होता है कि जनहित के स्थान पर उस दल के हाँथों केवल स्वजनहित ही होता है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। प्रजातन्त्र की दूसरी महत्व की बात यह है कि सत्ताधारी दल को भयवा सरकार को उत्तरदायी होना चाहिये। यदि सत्ताधारी दल भयवा सरकार उत्तरदायी न हो तो राज्य का काम-काज सामान्य जनता के लिए नहीं होता; बल्कि जनता सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाती है। उस अवस्था में शासक-वर्ग प्रजा के सुख का साधन नहीं बनता; बल्कि प्रजा शासक-वर्ग के सुख का साधन बन जाती है। प्रजातन्त्र का अनुभव तथा लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किया गया प्रयत्न हमें बताना है कि सामान्य जनता के हाथ में कुछ ऐसे अधिकार अवश्य होने चाहिये जो मौजूदा सरकार भयवा शासक-वर्ग की इच्छा पर निर्भर न हों। वास्तविक प्रजातन्त्र वही है, जहाँ सरकार के तिर पर हमेशा पदच्युत होने की नंगी तलवार लटकती रहे। तभी सरकार प्रजा की भलाई के लिए कुछ कर सकेगी। साथ ही सरकार को यह अनुभव होने रहना चाहिए कि यदि वह प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम करेगी या उसके स्वातन्त्र्य का अपहरण करेगी, तो वह देर तक शासन की गद्दी पर नहीं टिक सकेगी। इस कारण ये मौलिक अधिकार किसी की-

उदारता या सहिष्णुता पर निर्भर नहीं होने चाहियें। उन्हें स्वयंभू होना चाहिये। नागरिकता के साथ ये अधिकार भी प्राप्त होने चाहिये। ऐसा न होना चाहिए कि जब मर्जी में प्राये तब वे प्राप्त हों, तथा जब मर्जी में प्राये तब वे चले जायें।

जिन मूलभूत अधिकारों पर व्यक्ति की तथा अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता निर्भर करती है, उनका कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कोई उनका उल्लंघन कर बैठे, तो उसका इलाज करने की व्यवस्था संविधान में मौजूद रहनी चाहिए। अन्यथा ये अधिकार केवल एक विडम्बना बनकर रह जायेंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर सवाल यह पैदा होता है कि इस व्यवस्था का स्वरूप क्या हो। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ पड़े अथवा किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का अन्याय हो जाए, तो उसके निराकरण के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। पर यहाँ हम जिन बातों पर विचार कर रहे हैं, उनका सम्बन्ध व्यक्तिगतों के आपस के लड़ाई-झगड़े से नहीं है बल्कि उनका सम्बन्ध व्यक्ति एवं राज्य के बीच उठ खड़े होने वाले झगड़ों से है तथा हम चाहते हैं कि ऐन भवसर पर कोई ऐसा इन्तजाम ज़रूर होना चाहिए, जिससे किसी के प्रति अन्याय न हो सके। इसके लिए चाहे साधारण न्यायालय की शरण लेनी पड़े या किसी विशेष न्यायालय की शरण लेनी पड़े। इस दृष्टि से यह प्रश्न अधिक महत्व का है कि न्यायाधीश कैसे बनाया जाय तथा बनाने वाला कौन हो। जिन्हें हमने शासन की बागडोर सौंपी है, वे लोग अन्त तक निष्पक्ष एवं निःस्पृह रह सकेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। अतः निष्पक्ष न्यायदान अच्छे राज्य की आत्मा है। यदि न्यायदान निष्पक्ष न हो तो समझ लेना चाहिए कि भ्रारजकता का वातावरण शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, तो समाज के नियमों का सबके लिए समान होना अनिवार्य है। उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को इन बात का विश्वास होना चाहिए कि उन नियमों में कभी किसी क्रिम का हेर-फेर नहीं होगा। राज्य में कानून के अनुसार काम करने वाली शासन व्यवस्था प्राधुनिक राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर होती है तथा उसे बहुत अधिक काम करने पड़ते हैं। तो भी शासन के सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता से काम लिया जाना चाहिए। अन्यथा स्वतंत्रता के कुछ मानी नहीं रह जायेंगे। अतः न्यायदान का कार्य उचित रूप में तथा निष्पक्ष रूप में होता है, इस बात का विश्वास राज्य के हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसलिए न्यायदान का काम तथा कानून का अर्थ लगाने का काम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्तियों के हाथ से किया जाना चाहिए। राज्य के छोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति मौजूदा सरकार के हाथों होती है। अतः इस दृष्टि से उनकी नियुक्ति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और राज्य के बीच पैदा होने वाले दोनों प्रकार के मामलों में न्याय से काम लिया जाना चाहिए। यदि राज्य बिना कारण किसी व्यक्ति को नज़रबन्द कर दे, उसके खिलाफ राजद्रोह का अभियोग चलाये, या उसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दे, तो इन सब मामलों में किसी निःस्पृह न्यायाधीश को न्याय देने का काम करना चाहिए। यदि न्यायाधीश को ऐसा लगे कि उसकी नौकरी सरकार की मर्जी पर

प्रबलम्बित है, तो उसके लिए निःस्पृह भाव से न्याय देना प्रमत्त हो जाएगा। अतः न्याय देते समय न्यायाधीश को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब कभी वह अपनी सदसद्विवेकबुद्धि से काम लेकर न्याय देने बैठे, तब उसकी पदोन्नति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पहुँचेगा, न कोई गड़बड़ होषी और न ही किसी प्रकार का पात-पात होगा। फंसला यदि सरकार की मर्जी के खिलाफ भी होता हो, तो भी न्यायाधीश पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः एक बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हो जाने के बाद तब तक न्यायाधीश के काम में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, जब तक उसकी उम्र सेवानिवृत्त होने की न हो जाए। संक्षेप में जब तक उसका आचरण ठीक रहे, तब तक उसे अपने पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। अगर उसका आचरण ठीक न रहे, वह चरित्रभ्रष्ट अथवा दारौरीक दृष्टि से असमर्थ हो जाए, तो प्रत्यक्ष उसे सेवा से निवृत्त कर देना चाहिए। अमेरिका में न्यायाधीशों का भी चुनाव होता है। अतः वहाँ फिर से चुने जाने की इच्छा से जो न्याय दिया जाता है, उसके पीछे लोकप्रियता का दृष्टिकोण काम करता है; निःस्पृहता का नहीं। जैसे यह अनुचित है, वैसे ही उनकी नियुक्ति का मौजूदा सरकार की मर्जी पर आधारित रहना भी अनुचित है। बड़ों की इच्छा अथवा लोकमत को ध्यान में रखकर फैसला करना सर्वथा प्रवाञ्छनीय एवं हानिकारक है। अतः एक बार नियुक्ति हो चुकने के बाद तब तक न्यायाधीश को अपने पद पर बने रहने देना चाहिए, जब तक उसका आचरण ठीक है। उसमें सरकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। परन्तु यह कहना भी कठिन है कि उल्लिखित व्यवस्था के रहते व्यक्ति निःस्पृह तथा निष्पक्ष रहेगा ही। व्याकरण की दृष्टि में अशुद्ध न होता हुआ भी वाक्य कभी-कभी सर्वथा निरर्थक रहता है। अतः जो व्यक्ति न्यायाधीश बनने जा रहा है, उसको मूलवृत्ति में निःस्पृहता तथा निष्पक्षता होनी चाहिए तथा सही-सही फैसला करना उसे अपना प्राथमिक कर्तव्य समझना चाहिए। फैसला करते समय न तो उसे बड़ों की मर्जी का खयाल करना चाहिए और न ही लोकमत की इच्छा-अनिच्छा का। साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी राजकीय मतमत को ध्यान में रखकर वह फैसला न दे। यदि कोई न्यायाधीश न्यायदान के समय इस बात का ध्यान रखने लगे कि उसके न्यायदान से किस राजनैतिक दल की क्या हालत हो जाएगी—कौन दल फले फूलेगा और कौन दल मुरझा जाएगा, तो उसके फैसले न्यायानुकूल नहीं कहे जा सकेंगे। यदि न्यायाधीश यह सोचकर काम करे कि सेवा से निवृत्त होने के बाद उसे राज्यपाल का पद मिलेगा या नहीं, तो उसका दिया फैसला न्यायोचित कैसे कहा जा सकेगा? बहुत बार देखा गया है कि न्यायाधीश लोग सत्ताधारी दल की इच्छाओं का खयाल रखकर फैसला करते हैं तथा वे सत्ताधारी सरकार के पुरस्कार के पात्र बन जाते हैं। अतः सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायाधीशों को ऐसे बड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे निष्पक्ष न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित हो सकती है।

यदि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष न्यायदान के मार्ग में बाधा न उपस्थित हो, तो हमें चाहिए कि सत्ताधारी सरकार के हाथ में ऐसा कोई अधिकार न सोंपें, जिससे वह न्यायाधीशों की पदवृद्धि आदि के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इसी प्रकार

सर्वगामी होने के कारण साधुनिक राज्य की कार्यपालिका के जीवन में प्रायः सभी क्षेत्रों को घपने में समेट लिया है। साधुनिक राज्य केवल सरकार का ही काम नहीं करता, वरन् यह व्यक्ति एवं समाज दोनों के सर्वज्ञ का उत्तरदायित्व भी धारण कर लेता है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त नागरिकों के शिक्षण, योग्यता एवं स्वास्थ्य की मारी जिम्मेदारी राज्य ने संभाल लिया अधिधान द्वारा घपने कर ली हुई है तथा इन सब बातों को नियमित एवं नियन्त्रित करने के हेतु में बड़े परिमाण में राज्य विधान सभामें के द्वारा कानून बनाया जाता है। अधिक घारीतियों में जाकर कानून बनाना विधान सभा के लिए सम्भव नहीं होता। उनका समय उमरें गाय नहीं होंगी। तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि घारीतियों में जाकर विचार करने की विशेष योग्यता विधान सभा के हर सभासद में होती है। इगनित साधुनिक प्रकृति यह है कि पहले सामान्य तत्वों को प्रमित करने वाला मुख्य कानून बना लिया जाता है तथा उसके बाद उन स्वीकृत तत्वों के अनुसार घारीतियों में जाकर नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे दिया जाता है। और सब कार्यपालिका सर्वान् राजकीय काम-काज करने वाले विभिन्न विभाग प्रभुग नियमों का निर्माण करते हैं। नियम बन जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार उन लोगों को दे दिया जाता है, जिनकी इस कार्य के लिए नियुक्ति होती है। और बहुत बार यह प्रश्न उठ गया होता है कि जिसे नियमों के क्रियान्वयन का अधिकार सौंपा जाता है, उसके हाथों बनाये गए नियम मुख्य कानून के अनुसार हैं या नहीं। अनुभव बताता है कि इन नियमों के क्रियान्वयन के समय अनेक बार व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाती है। व्यक्ति के अधिकारों पर आक्रमण होता है। और सब न्यायालय को देतना पड़ता है कि वास्तव में व्यक्ति के अधिकारों पर आक्रमण हुआ है या नहीं, तथा बनाये गए नियमों के अनुसार आचरण हो रहा है या नहीं। साधारणतया नियमों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों प्रथम शासकों को वकीलों से अथवा कानून के व्यावृत्त पालन के विषय से अधिक स्नेह नहीं होता। नियम बनाने वाले ही जब उन्हें क्रियान्वित करने लगते हैं, तब यह बहुत कठिन हो जाता है कि वे लोग निष्पक्ष होकर आचरण करेंगे ही। राजकीय काम-काज की आवश्यकतानुसार अनेक छोटे छोटे केन्द्र बनाये जाते हैं तथा सब कहीं निरन्तर नागरिकों के जीवन के सम्बन्ध में फैसले किये जाते हैं। जाहिर है कि इन फैसलों को नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। अतः कोई न कोई ऐसा सरलक उपाय अवश्य किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति के अधिकारों का अघरण न हो सके। अर्थात् काम-काज की प्रक्रिया (प्रोसीजर) बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। सम्बन्धित नागरिक को घपना पक्ष उपस्थित करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। जहाँ जरूरी हो, वहाँ उसे वकील देने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ नियमों के अनुसार फैसला न हुआ हो, वहाँ घपील करने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। कार्यकारी अधिकारी भटपट फैसला करना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा प्रशंसनीय है; पर इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि इससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो जाए। किन्हीं-किन्हीं कानूनों के अनुसार कुछ बातों के विरुद्ध नागरिकों का अन्य अदालतों में फेरियाद करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि तथा

अन्य सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। परन्तु जिन्हें सरकार सार्वजनिक कार्य का नाम देती है, वे कार्य सार्वजनिक नहीं हैं, यह किसी घटना के मामले में सिद्ध करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं। सरकार का किसी कार्य को सार्वजनिक बताना ही पर्याप्त है। उनके बाद उस मामले में कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। नागरिकों को यह कहने का अधिकार अवश्य है कि उनको जो मुआवजा दिया गया है, वह बहुत कम है। एक दृष्टि से यह अनुचित भी नहीं। तयारि नागरिक को अपने कथन को सिद्ध करने का कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए। यदि निर्धारित नियमों एवं न्यायदान की सुलभ प्रक्रिया के विरुद्ध कोई पदाधिकारी आचरण करे, तो घटनात्मक में घपीन करने का अधिकार लोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए। आजकल बहुत से राज्यों में प्रशासनसम्बन्धी कानून (Administrative Law) होता है और उसमें काम की प्रक्रिया निर्दिष्ट की जाती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रता पर अपने बानों विपत्ति बहुत कुछ दूर हो जाती है। उचित तो यह है कि मुख्य घटनात्मक के अधिकारों में विभिन्न शासकीय निकायों में किए जाने वाले निर्णयों से किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आनी चाहिए। आय-कर के सम्बन्ध में एक द्विचूतल नियुक्त किया गया, मातापिता के साधन के बारे में एक अन्य मंडल नियुक्त किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था राजकीय काम-काज की दृष्टि से मूविधाजनक है, इसमें सन्देह नहीं। तथापि इन मंडलों के हाथों यदि न्यायदान के मौलिक सिद्धान्तों के मार्ग में रुकावट आने लगे, तो उसके सम्बन्ध में सामान्य घटनात्मक से परिवाद करने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। राजकीय काम-काज का क्षेत्र भी इतना अधिक तांत्रिक हो गया है कि न्यायदान की दृष्टि से सामान्य न्यायाधीश को सब बानों का पूरा-पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अतः ऐसे मामलों में, जहाँ उस विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, फैसला करने का काम विशेषज्ञों के मंडल ही को सौंपा जाना चाहिए। यदि उन विशेषज्ञों का निर्णय न्यायसम्बन्धी सामान्य कल्पनाओं एवं सिद्धान्तों के अनुकूल न हो, तो सामान्य घटनात्मक में परिवाद करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। आजकल अनेक स्वतंत्र मंडल राजकीय काम-काज के क्षेत्र में काम करते हैं और उनके कारण काम-काज सम्बन्धी अनेक निर्णय बहुत सीधे किए जा सकते हैं। तथापि इन मंडलों द्वारा न्याय का प्रवन्ध करने का धर्म हुआ कार्यपालिका के हाथ में ही न्यायपालिका का काम सौंप देना। कार्यपालिका के हाथ में इस प्रकार निरकुल अधिकारों का सौंप देना व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से ठीक नहीं। अतः राज्य प्रयात् कार्यपालिका प्रथम सरकार कोई अन्याय या अरकृत्य कर बैठे, तो उसके विरुद्ध करियाद करने का अधिकार व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए; नहीं तो स्वतंत्रता का कोई धर्म नहीं रह जाएगा। अन्याय चाहे राज्य के किसी पदाधिकारी ने किया हो प्रथम राज्य द्वारा नियुक्त किसी मंडल ने किया हो, उसके विरुद्ध करियाद करने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। राज्य का काम-काज अन्ततोगत्वा व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। अतः राज्य के किसी भी नौकर के हाथों अन्याय क्यों न हुआ हो, उसका उत्तरदायित्व राज्य ही पर होता है। अतः राज्य के विरुद्ध करियाद करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। अपने मालिक की नौकरी करते समय नौकर के हाथों हुई हर भूल का



हम ऊपर कह आए हैं कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक-दूसरे से पृथक् रहना चाहिए। उतने से स्वतन्त्रता की पूर्ण रक्षा हो सकेगी, यह कहना कठिन है। स्वतन्त्रतासम्बन्धी जो कानून बनेंगे, उन्हीं का प्रर्थ न्यायाधीश लगायेगा तथा कार्यपालिका अर्थात् सरकार उन्हीं कानूनों को कार्यान्वित करेगी। इसका प्रर्थ यह हुआ, या तो राज्य के संविधान में स्वतन्त्रताविषयक कानून मौजूद होने चाहिए या फिर राजकीय परम्परा एवं प्रथाओं को अधिक प्रभावशाली होना चाहिए तथा ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जिसमें न्यायालय एवं राज्य दोनों उन परम्पराओं एवं प्रथाओं को प्राचरण में लाते हों। संविधान में स्वतन्त्रताविषयक परम्पराओं की योजना प्राधुनिक राज्यों के सभी संविधानों में दृष्टिगत होती है। संविधान के पश्चात् नागरिक स्वतन्त्रता को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक विधान एवं संविधान में उसका उल्लेख किया जाने लगा है। कानून दो प्रकार के होते हैं—एक संविधानात्मक कानून तथा दूसरा सामान्य कानून। संविधानात्मक कानून द्वारा राज्य का स्वरूप, रचना, उद्देश्य तथा आदर्श निर्धारित किए जाते हैं तथा सामान्य कानून के द्वारा नित्य के व्यवहारों का नियमन किया जाता है। संविधानात्मक कानून में बार-बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संविधान का महत्त्व एवं पावित्र्य अपनी एक विशेषता रखते हैं। संविधान में परिवर्तन करने के लिए कुछ विशेष उपायों से काम लिया जाता है। उसकी सारी व्यवस्था ही भिन्न होती है तथा इसकी व्यवस्था संविधान में ही की जाती है। सामान्य कानून के बनाने, बदलने तथा सारन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। इंग्लैंड में संविधानात्मक कानून बना हुआ नहीं है। वहाँ अनेक कानूनों के द्वारा राज्य की रचना से सम्बन्धित व्यवस्था की गई है। संविधानात्मक कानून के न रहने के कारण वहाँ किसी भी कानून को बदलने की एक ही प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से प्रायः कर एवं यातायात के साधनों में परिवर्तन संविधानात्मक कानूनों में किया जाता है, उसी प्रक्रिया से राजा रहे या न रहे, House of Lords रहे या न रहे इत्यादि विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। एक ही संसदीय से मारे कार्य किए जा सकते हैं। परन्तु जहाँ संविधानात्मक कानून हैं, वहाँ परिवर्तन करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। अमेरिका में संविधान में परिवर्तन करना ही तो अतिशय ही कठिन है। अमेरिका में संविधान में परिवर्तन करने के लिए दो-तीहाई सभासदों द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही कोई भी संसदीय विधायक संसदीय विधायकों के पाम होने से काम नहीं चलता। उसके लिए House of the Representatives में उक्त संसदीय का पाम होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अनुमति प्राप्त होने पर ही कोई संसदीय विधायक संसदीय विधायकों के पाम होने से काम नहीं चलता। उसके लिए House of the Representatives में उक्त संसदीय का पाम होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अनुमति प्राप्त होने पर ही कोई संसदीय विधायक संसदीय विधायकों के पाम होने से काम नहीं चलता। उसके लिए House of the Representatives में उक्त संसदीय का पाम होना आवश्यक है।

होता। सामान्य कानूनों को बदलना आसान होता है। इस दृष्टि से संविधान-त्मक कानूनों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाना उचित एवं स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से बांछनीय है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए एक स्वतंत्र अध्याय अथवा प्रकरण है, जिसमें भाषण, संगठन इत्यादि स्वतंत्रताओं का तथा उसकी सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख है। प्राधुनिक राज्यों के सभी संवैधानिक कानूनों में न्यूनाधिक मात्रा में मौलिक अधिकारों का उल्लेख रहना है। संवैधानिक कानूनों में सब प्रकार की व्यवस्था कर देने से नागरिकों को स्वतंत्रता की निश्चित रूप से रक्षा हो सकेगी, यह नहीं कहा जा सकता; तो भी इतना तो सही है कि मुनिक्षित नागरिकों के सामने मौलिक अधिकारों का विचार प्रवश्य बना रहता है। मौलिक अधिकारों का उपयोग दैनंदिन जीवन में हुमा करता है तथा एक दृष्टि से वे अधिकार नागरिकों के जीवन का एक स्वाभाविक अंग बन जाते हैं। एक जगह इकट्ठा होना, किसी विषय पर चर्चा करना, सभाएं करना, भाषण देना, अपने विचारों को लेखनी के द्वारा लोगों के सामने पेश करना, राज्यों में कहीं भी घूमने-फिरने की श्रुती छूट, अपनी रुचि के अनुसार रोजगार करना इत्यादि बातें नागरिकों के लिए अत्यन्त स्वाभाविक हो गई हैं। भाषण करने वाला मूखों की तरह बोलता हो, सभा में गड़बड़ होती हो, अथवा काम-धन्ये में नाना प्रकार की अवांछनीय बातें होती हों और इन सब बातों को नागरिक देख रहा हो, तो भी उसे कभी यह अनुभव नहीं होगा कि इन अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाए जाएं। संविधान द्वारा केवल समाज के जीवन का ही नियमन नहीं होता; बल्कि व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन का भी धनजाने नियमन होता रहता है। इसी कारण नागरिक स्वतंत्रता को व्यवस्था प्रभोष्ट वस्तु है। इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान में लिखित होने भर से व्यक्ति के अनुभवों में वह प्रवर्ती हो जाये। बहुत बार समाज में धोम उत्पन्न हो जाना है, जनता विवेक से कीसों दूर चली जाती है तथा संविधानगत स्वतंत्रता क्षणिक सिद्ध होती है। इसी प्रकार संस्कृतकालीन परिस्थिति की घोषणा करके अथवा उसका दावा करके मौजूदा सरकार थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता को कम-जोर और अर्थहीन बना सकती है। अतः स्वतंत्रता की सच्ची रक्षा नागरिकों के निश्चय पर जितनी अवलम्बित रहती है, उतनी अन्य किसी व्यवस्था पर नहीं। लोगों का निश्चय जितना अधिक मजबूत होगा, संविधानगत स्वतंत्रता भी लोगों को उतनी ही अधिक उत्तम होगी। निरोधक प्रतिबन्ध के कानून से गिरफ्तार करने की परिस्थिति है या नहीं, यह सब कार्यपालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस सम्बन्ध में अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अदालत केवल इतना ही देख सकती है कि एक निश्चित समय के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, उसकी गिरफ्तारी के कारण बता दिए हैं या नहीं तथा यह गिरफ्तारी नियमानुसार हुई है या नहीं। यदि इन प्रकार की घटनाएँ बार-बार होने लगे और जनता उन्हें चुपचाप सहती रहे, तो यह कहना कि वहाँ लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है, उचित नहीं होगा। अतः सच्ची स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जनता का जाग्रत होना

बहुत आवश्यक है। सभी स्वतन्त्रता का सुख लोगों को मिल सकता है। स्वतन्त्रता की कीमत है अराजकता।

जिस प्रकार स्वतंत्रता की मजबूती के लिए लोगों का जाग्रत होना आवश्यक है, उसी प्रकार उनका विवेकशील होना भी आवश्यक है। यदि समाज का लोकमत विचारवान् एवं विवेकशील होगा तो न्यायाधीश के लिए न्याय करना आसान हो जाएगा। न्यायदान जनता की स्वतंत्रता के लिए तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। न्यायाधीश भी समाज का एक अंग है। समाज में उठता-बैठता है। उसके भी मित्र होते हैं, जिनके साथ वह भी चर्चा किया करता है। समाज में क्या बोला और क्या लिखा जाता है, इस सब की जानकारी उसे रहती है। समाज की नीतिसम्बन्धी कल्पनाओं का उसके मन पर भी संस्कार पडा रहता है। समाज में वर्गों के अस्तित्व के कारण वर्गव्यपेक्षक भावना से वह भी सर्वथा प्रतिष्ठ नहीं रह पाता। जाने या भनजाने, समाज के जीवन में काम करने वाले बिन्ही अस्वच्छ भावों का प्रभाव उसके मन पर भी होता रहता है तथा उसके फैसलों पर इन सब बातों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता ही रहता है। तो भी इन प्रभावों की माना बहुत थोड़ी होती है। क्योंकि न्यायाधीश को अपने पद की प्रतिष्ठा की रक्षा का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पडता है। इसी प्रकार अनुभव एवं अध्ययन के द्वारा उसके आचरण या स्वभाव में एक प्रकार का मनुलन आ जाता है। सामान्य जनता विवेक में जितनी ही दूर होगी, उतना ही उसमें विचारशीलता का अभाव रहेगा। ऐसा देखने में आया है कि जब किसी मुकद्दमे के बारे में लोगों में नीच असन्तोष उत्पन्न हो जाता है तथा जहाँ पंचों द्वारा अपनी सम्मति प्रकट करनी होती है, वहाँ विगुण एवं निराशा न्याय के काम में पंचों की ओर से बहुत अधिक सहायता नहीं हो पाती। ये पंच लोग सामान्य जन होते हैं तथा पंच होने के कारण समाज की धारणा एवं दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही वे लोग अपना निर्णय देते हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा होने पर भी न्यायाधीश के लिए न्याय करना सम्भव नहीं हो पाता। इसका एकदम ताजा उदाहरण बम्बई का नानावटी केस है। पंचों द्वारा किया गया निर्णय पूरी तरह विकृत तथा विपर्यस्त था, यह जाहिर है। अतः यदि हम चाहते हैं कि समाज में न्याय एवं स्वतंत्रता की उत्तम रीति से प्रतिष्ठा हो, तो हमें लोकमत को विचारवान् एवं विवेकशील बनाना होगा। स्वतंत्रता को मजबूत बनाये रखने के लिए समाज में ऐसा वातावरण होना चाहिए, जिसमें अपकृत्य अथवा अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा जरूर दी जाए। यदि सरकार अथवा सरकार का कोई अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग करे तथा उसके हाथों कोई अपराध या अनुचित कार्य हो जाए, तो तत्काल उसके विरुद्ध कोई आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जाएगी, ऐसा जनता में विद्वान्त होना चाहिए। बहुत बार समाज का वातावरण क्षुब्ध हो जाता है तथा संकटकालीन परिस्थिति का नाम देकर सरकार कुछ बदल उठाती है और बहुत बार अधिकारों का वहाँ दुरुपयोग होता है तथा अक्षय्य व्यर्थ किए जाते हैं। उन कार्यों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संकटकालीन परिस्थिति के समाप्त होने के बाद कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अधाधुन्य गोलि चलाई गई हो, संकटों आदमियों को

जान से हाथ धोना पड़ा हो तो इन मामलों में सरकारी जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी ने कोई अनुचित कार्य किया हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह ठीक है कि संकट का मुकाबला करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। यदि ऐसा करने का अधिकार पुलिस को न दिया जाए तो शान्ति एवं सुव्यवस्था सतरे में पड़ जाती है। लोकरू समूह के क्षुब्ध होने का भय है भविष्य एवं भविवेकपूर्ण कार्यों का श्रेयलेश। जब जनता बिगड़ खड़ी होती है तो उसको काबू में लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लोगों के प्रिय नेता भी जनता के शोभ को शान्त नहीं कर पाते। ऐसी बातें भारत में ही नहीं होती बल्कि दुनियाँ के सभी देशों में ऐसी ही होता है। इस कारण प्रत्येक गौरीवाँड की मशालती जाँच करवाने का आग्रह जहाँ भविवेकपुस्त है वहाँ राजनीतिक दृष्टि से अदूरदर्शिता का सूचक एवं भ्राजकता का सहायक भी है। अतः आवश्यक मात्रा में एवं आवश्यक समय के लिए गोली चलाना तथा अन्य कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। राज्य सत्ता का वह एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। परन्तु जहाँ आवश्यकता से अधिक मात्रा में तथा अधिक काल तक गोली चलाई गई हो अथवा अनावश्यक मात्रा में कड़ी कार्यवाही की गई हो वहाँ उनकी जाँच जरूर हो जानी चाहिए तथा उसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करना समाज की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सन् '३० में शोलापुर के अन्दर फौजी कानून जारी किया गया। वहाँ सैनिकों ने या अन्य अधिकारियों ने जो कुछ किया वह सब आवश्यक था ऐसा नहीं कहा जा सकता। सामान्यतया फौजी कानून के लागू हो जाने पर जो कुछ किया जाता है उसके विषय में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। परिस्थिति इतनी संकटपूर्ण है इस विषय में सम्बन्धित अधिकारियों की सम्मति को ही प्रमाण माना जाता है और एक दृष्टि से यह उचित भी है। तो भी जहाँ स्पष्ट रूप से निर्दयता से काम लिया गया हो वहाँ वैसा करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आवश्यक कार्यवाही न करना भी अनुचित है। सन् १९१९ में पंजाब में फौजी शासन शुरू हुआ और खुल्लमखुल्ला अनावश्यक मात्रा में गोली चलाई गई तथा लोगों से निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया। तो भी उस मामले की जाँच तक नहीं की गई। यह ठीक है कि पुलिस को अथवा फौज को राज्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए कहा जाए और उनके तिर पर जाँच तथा सजा की तलवार भी टंगी रहे यह उचित नहीं कहा जा सकता। तो भी पुलिस अथवा फौज पर कुछ एक प्रतिबन्धों का न लगाया जाना नागरिक स्वतंत्रता की दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं है।

यह मानना ठीक नहीं कि नागरिकों की स्वतंत्रता तथा राज्य की रक्षा इन दोनों के बीच कोई विरोध है इसी प्रकार यह भी ठीक नहीं कि व्यक्ति एवं समाज के हितों में भी कोई ऐसा विरोध है जिसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। राज्य अथवा शासन की प्रणाली एक प्रकार से तेल की बूँद का-सा स्वभाव रखती है। जिस प्रकार तेल की बूँद को पानी पर डालने से वह फैलती है उसी प्रकार यह प्रणाली भी फैलती है। तो भी शासनसत्ता का मूल स्वभाव निष्पक्ष रहने का है। वह अपने

रहती है। उतना स्वतन्त्रता उतनी नाम में लाने वाले की इच्छा के अनुसार बनता है। लो दोनो काम कर सक्ती है; उतना भी कर गक्ती है और प्राग भी तगा गक्ती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह लो है उतनी जो इच्छा होगी उतके अनुसार ही वह काम करेगी। ऐसी स्थिति में राज्य के नागरिकों के अधिभार घबरा उनको स्वतन्त्रता को उत काल में विद्यमान सरकार की इच्छा पर निर्भर न रू से छोड़ देना भला नहीं है। बंसा होने से नागरिकों की स्वतन्त्रता राज्यसत्ता की इच्छा एवं गुविधा पर प्रबलन्वित रहेगी। इस विपत्ति को टालने के लिए प्राधुनिक राजनैतिक विचारों के अनुसार बुद्ध मौलिक अधिकार तथा बुद्ध नियन्त्रण राज्य सत्ता पर सविधान में डाले जाते हैं। केवल सविधान के अन्दर राज्यसत्ता पर प्रतिकल्प लगाने घबरा मौलिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था कर देने से स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो पाती। हर कोई मौलिक अधिकारों के महत्व को स्वीकार करता है। परन्तु से इन मौलिक अधिकारों को प्राणप्रतिष्ठा होती है और पूँकि वे जनता के मन में जड़ जमा लेते हैं इसलिये राज्य-सत्ता घुल्लमघुल्ला उनका अधिकरण नहीं कर सक्ती। अधिकरण न करना या अधिकारों के महत्व को स्वीकार करना एक बात है। परन्तु यदि जनता अपने अधिकारों के प्रत्यक्ष रूप से अधिकरण करना एक बात है। परन्तु यदि जनता अपने अधिकारों के बारे में सतर्क रहे तथा राज्यसत्ता की प्रायेक हरकत को बारीकी से देखे, उतकी जांच-पड़ताल करती रहे तो निश्चित ही यह स्वतन्त्रता प्रभावित रहती है। जिस सेत की रसवाली ठीक तरीके से की जाती है उसकी पंदावार भी ठीक रहती है। स्वतन्त्रता होने के कारण समाज में नाना प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है और बहुत बर एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उपयोग दूसरे व्यक्ति को स्वतन्त्रता की राह में रोड़ा बनकर सडा हो जाता है। सामान्यतया व्यक्ति को अपनी खुद की स्वतन्त्रता के बारे में अधिक चिन्ता रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ वे करते हैं और समझते हैं वह स्वतन्त्रता का दुुरुपयोग प्रतीत होता है। शान्त मन से तथा विवेकपूर्वक विचार करके नाम करने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। जो सन्तुलित मनोवृत्ति ग्यायाधीश की होती है वह सर्वसामान्य जनता में नहीं दीख पडती। अतः यह ठीक है कि सविधान में उल्लेख करने से जनता का सजग रहना आवश्यक है। साथ ही जनता को सन्तुलन एवं विवेक से युक्त मौलिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता की रक्षा में बहुत अधिक सहामता प्राप्त होती है। तथापि भी होना चाहिए। जनता कभी-कभी विधुव्य हो जाती है और पूर्वग्रहों का शिकार बनकर अविवेक से काम लेती है। बंसा होने से अनेक व्यक्तियों के प्रति अन्याय होता है और उनकी स्वतन्त्रता निरर्थक हो जाती है। देवन सामान्य जनता ही विधुव्य होती हो ऐसी बात नहीं, कभी-कभी स 'कार भी विधुव्य हो उठती है। उसका भी सन्तुलन नहीं रहता और वह भी विवेक लो बंठती है। जिस प्रकार शास्त्रार्थ में लगे हुए व्यक्ति पराजित हो जाने पर 'शेष कोपेन् पूरयेव्' इस न्याय के अनुसार आचरण करते हैं उसी प्रकार सरकार भी करती है। लोकतन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था में सत्ताधीश लोग सार और असार का विचार करके काम करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु जहा उनके अपने हितों का सवाल उठ सडा होता है वहाँ वे युक्तिवाद को एक ओर हटाकर विरोधियों की स्वतन्त्रता एवं मौलिक अधिकारों पर हमला करने का कोई तरीका निकाल लेते हैं।

सकटकालीन परिस्थिति न हो तो भी वे लोग सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर देते हैं। और यदि वास्तविक सकटकालीन परिस्थिति हो तो उस काल में काम में लाने के लिए मन्त्रिधान में दिए गए अधिकारों का उपयोग उस परिस्थिति के टल जाने पर भी करते चले जाते हैं। विरोधी पक्ष की प्रतिरेक्युक्त मालोचना से घबराकर सामान्य विरोध को अराजकीय विरोध मान कर कानून में दिए गए सारे अधिकार राजसत्ता अपने काम में ले आती है एवं विरोध को पूरी तरह खत्म कर डालने का प्रयत्न करती है। अतः स्वतन्त्रता की वास्तविक रक्षा और वृद्धि के लिए जहाँ एक ओर जनता को विवेकयुक्त होना चाहिए वहाँ सरकार का भी विवेकयुक्त होना बहुत जरूरी है। विरोधी पक्ष की विचारधारा मने ही अप्रिय हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। बहने का अभिप्राय यह है कि दूसरों की सम्मति के बारे में समाज के भीतर सहिष्णुता का वातावरण होना चाहिए। विचारों में संतुलन तथा व्यवहार में सहिष्णुता मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं होती उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनुभवों एवं अभ्यास से काम लेना पड़ता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों को सदा जाग्रत रहना पड़ता है और यदि सामान्य जनता जाग्रत न रहे तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है ठीक उसी प्रकार विचारों में संतुलन एवं व्यवहार में सहिष्णुता की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो स्वतन्त्रता मुट्टी भर व्यक्तिओं के एक विद्विष्ट वर्ग की बपीती बन जाती है और सामान्य जनता को उससे वंचित रह जाना पड़ता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता का अनुभव न करे तब तक स्वतन्त्रता पूर्ण तथा अर्धपूर्ण नहीं हो सकती। समाज एक दृष्टि से निश्चय तथा दूसरी दृष्टि से अनिश्चय है। कुछ मामलों में वह निरंतर गतिशील रहता है तथा कुछ मामलों में सर्वथा स्थिर, स्थिर एवं गतिशून्य हो जाता है। समाज के इस स्वरूप को ध्यान में रखने से यह प्रतीत होगा कि स्वतन्त्रता की कल्पना एवं स्वरूप समय के साथ-साथ बदलता रहता है। किन्तु उमता अन्तःरिड सदा एक ही बना रहता है। अतः एक ही अन्तःरिड बाने एवं समय के साथ बदलने वाले स्वतन्त्रता के स्वरूप पर बार-बार विचार करना पड़ना है। जिस प्रकार मन्चे ब्राह्मण का संघ्या एवं गायत्री का जप अनिवार्य है ठीक उसी प्रकार एक सच्चे नागरिक के लिए स्वतन्त्रता रूपी मन्त्र का जप अनिवार्य है। नागरिक मतकं रहे जागरूक रहे तो उसकी स्वतन्त्रता अबाधित रहेगी। दुनिया के बाजार में उठने-बैठने वाले व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए तभी वे दुर्गति से अपने को बचा सकते हैं।

स्वातन्त्र्य का सही माने में संरक्षण तभी सम्भव है जब उस पर होने वाले हमले के खिलाफ निर्भीक होकर बोलने एवं उमके लिए आवश्यक बदम उठाने की वृद्धि नागरिक लोगों में मौजूद रहे। अभ्यास के प्रति रोष एक स्वाभाविक वस्तु बन जानी चाहिए। आज्ञा-पालन जितना समाज की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक होता है उतना ही आज्ञा का उत्सर्जन भी होता है। अभ्यास को चुपचाप सहन कर जाना, स्वतन्त्रता पर होने वाले आक्रमण के प्रति उदासीन बने रहना समाज की स्वतन्त्रता के दीर्घ जीवन के लिए खतरनाक है। नागरिकों में अभ्यास के प्रति विद्रोह की वृद्धि कंधे उत्पन्न हो सपवा वह कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक

है। कुछ इने-दिने लोगों में यह कृति काम करने लगी थी। यद्यपि इन मुद्दी भर लोगों को जोशा, प्रतीभन तथा धन्यभाष द्वारा निर्माण कर जानना सहायकारियों के लिए बहुत ही सज हो जाता है। यही नहीं, जब सामान्य जनमन उदासीन एवं निष्क्रिय हो गये धन्यभाष के लिए धन्यभाष उठाने वाले इन मुद्दी भर लोगों को सामान्य तथा स्वतन्त्रता भी समझा जाता है। अतः धन्यभाष का विरोध करने की कृति तथा स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए त्याग करने की कृति समाज के अन्दर अन्तर्गत में होनी चाहिए। यह न हो तो स्वतन्त्रता की रक्षा तथा समाज की नैतिक उन्नति सम्भव नहीं। अतः समाज के कार्य में नागरिकों का अतिव्यवस्थापित भाग्य उठाने ही लोगों में यह कृति अतिव्यवस्थापित होगी। राज्य की नैतिक यदि केन्द्रित रहे तो उगना सामान्य जनता में बहुत ही सम्भव्य भाग्य। उग धन्यभाष में बहुत ही लोगों के अनुभवों के आधार पर बड़ी-बड़ी नीतियों का निर्धारण होगा तथा छोटे से लोगों की सम्मति को ही नागरिक सम्मति मानकर काम किया जाएगा। इसका ही धन्यभाष है यह बात इसका अर्थन माना ही गया रहेगा, उसे अपने वाला दुःखान्तर नहीं। अतः जो जीवन पर नागरिक धन्यभाष सामान्य निर्णयों का प्रमाण पड़ता है, उन्हीं के अनुभवों को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि देश में अन्तः राज्य की स्थापना करना है तो उसके लिए नैतिक विवेकीकरण करना निश्चयन आवश्यक है। विवेकीकरण से समाज के अधिकाधिक व्यक्ति समाज के साधक्य में आते हैं और उनका सहयोग प्राप्त होता है। नैतिक एवं स्वतन्त्रता के इच्छा होने से सपर्य दूर हो जाते हैं। नागरिक एवं समाज दोनों की सुविधा की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। समाज की प्रक्रिया से सम्पर्क स्थापित होने के कारण स्वतन्त्रता का बहिष्कार होने लगे तो लोगों को उगना जान सीध ही हो जाता है तथा लोगों में जागरूक रहने की कृति करने काय उद्वेग हो जाता है। नागरिकों को अनुभव होता है कि अतः उनकी गताह से काम किया जाने लगा है। अतः अपने ही निर्णयों का पालन करने का नैतिक उत्तरदायित्व लोगों में पैदा हो जाता है। इतिहास का अनुभव हमें बताता है कि सुराज्य कितने भी महत्व की वस्तु यद्यपि न हो स्वराज्य के साथ उसको कोई तुलना नहीं। जो चीज लोगों पर जबर्दस्ती थोपी जाए वह कितनी भी अविद्यमान क्यों न हो लोगों को प्रिय नहीं प्रतीत हो सकती। वे लोग उसके प्रति उदासीन ही बने रहेंगे। परन्तु जो बात लोगों से पूछकर उनकी सलाह से तथा उनकी इच्छाओं को सम्झकर की जाती है उससे जनता में उत्साह छा जाता है। स्वाभाविक प्रेरणा से मनुष्य के भीतर जिन श्रेष्ठ गुणों की उत्पत्ति होती है वे गुण किन्हीं दूसरे की आज्ञा से अथवा धारण से नहीं उत्पन्न हो पाते। प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्ति एवं प्रेरणा के अनुसार सर्वथा निरकुल रूप से काम करने देना भी ठीक नहीं होता। समाज में जीवन के किन्हीं क्षेत्रों में तथा किन्हीं विषयों में एकता एवं समानता का रहना भी आवश्यक होता है। साथ ही व्यक्ति की स्वतन्त्र रूप से विचार करने की तथा अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करने की छूट है इन बातों की जानकारी के रहने से स्वतन्त्रता की रक्षा करने की बुद्धि एवं प्रवृत्ति उगने उत्पन्न होती है तथा विकसित होती है।

समाज तथा व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा आवश्यकताओं में विचारपूर्वक सम-भौता ध्येय समन्वय होना आवश्यक है। यह समझकर कि वह अपने धाप ही जाएगा उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं। इस उपेक्षा के कारण बहुत-सी अच्छी बातों की भी उपेक्षा हो जाया करती है। बहुत बार ऊपर से सुख और दान्ति की दिखाई देने वाली परिस्थिति भी बहुत विस्फोटक एवं विघटनात्मक मिद्ध होती है अतः व्यक्ति, समाज, दल इत्यादि विषयक किन्हीं सिद्धान्तों को स्थिर करने से पहले उन्हें अपने मन में ठीक से विचार करके स्थिर कर लेना चाहिए। सामान्यता उनका वर्गीकरण कर लेना चाहिए और जो सिद्धान्त स्थिर हो चुके हों उन्हें आवश्यकतानुसार वातून का रूप दे देना चाहिए तथा कभी उन्हें सामाजिक सवल्प एवं प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की व्यवस्थित सूची बनाकर उनके विवरण को स्थिर कर देना प्रगतिशील समाज में प्रायः सम्भव नहीं होता। तथापि अनेकों ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक, नागरिक तथा राजकीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार किया है। समाज में व्यक्ति को कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े पहने बगैर नंगी हालत में सार्वजनिक स्थानों पर जाना अनुचित है। यह सार्वजनिक व्यवहार का क्षेत्र राज्य एवं समाज का है। कपड़े पहनना चाहिए, यह राज्य का आदेश मानना चाहिए परन्तु अशुभक तरह का तथा अशुभ रंग का कपड़ा ही पहना जाए, ऐसा आग्रह राज्य नहीं करेगा। उस सम्बन्ध में व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक आचरण करने की पूरी छुट्टी रहती है। सामाजिक प्रथाएँ इन मामलों में भी व्यक्तियों की इच्छाओं पर अंकुश लगाती हैं। किन्तु बातों पर विचार किया जाय, क्या खाया जाय, ये व्यक्ति के क्षेत्र में आने वाली बातें हैं। क्या पडा जाय, कितन प्रकारका ज्ञानार्जन किया जाय यह भी सामान्यतया व्यक्ति के क्षेत्र में आने वाली बातें हैं। तथापि समाज एवं राज्य अद्वैतता एवं धराजकता का विचार करके इन बातों पर कुछ अंकुश प्रवन्ध रग्य सकता है। जिन प्रकार व्यक्ति एवं समाज के बीच किसी व्यवस्था का होना आवश्यक है उसी प्रकार कुछ व्यवस्था नागरिक एवं राज्य के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए। उसी प्रकार स्वतन्त्रता की वृद्धि की दृष्टि से भी व्यक्ति का विकेन्द्रीकरण अभीष्ट एवं आवश्यक मान लेने के बाद अब प्रश्न उठता है कि विकेन्द्रीकरण का रूप क्या हो। कौनसे काम और कौनसे विषय मुख्य शासन सत्ता के हाथ में हों तथा कौनसे विषय स्थानिक शासन-सत्ता को दिए जाएँ। यदि राज्य-व्यवस्था संयुक्त हो तो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में कौन से काम हों तथा घटक राज्य के हाथ में कौनसे काम हों, इस सम्बन्ध में भी निर्दिष्ट सिद्धान्तों का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में जो काम का विभाजन किया गया है वह इस देश के पहले के अनुभवों पर तथा अन्य संयुक्त राज्यों के अनुभवों पर आधारित है। संयुक्त राज्य की दृष्टि से जो आवश्यक कार्य हैं वे केन्द्रीय सरकार के हाथ में आने चाहिए, यह साफ जाहिर है। देश का संरक्षण सारे देश का कार्य है; अतः इस संरक्षण की व्यवस्था का भार केन्द्रीय सरकार पर होना उचित है। महा-राष्ट्र राज्य की वैदेशिक नीति तथा बंगाल की वैदेशिक नीति भिन्न नहीं हो सकती क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में भारत एक राज्य है तथा उसके घटक राज्यों का निर्माण भारत राज्य के राज-बाज की सुविधा की दृष्टि से किया गया है; वे कोई स्वतन्त्र



राज्य नहीं है। घनमारी में घनेत्र पट्टे होते हैं, उनमें में किसी एक पट्टे को निष्ठा कर झतहदा सभी विषय का मकता। प्रायःक राज्य का घनता स्वतंत्र्य घनित्य है किन्तु उन्में एक-दूसरे में झतहदा सही विषय जा मकता। देग में मुदा एक ही होनी चाहिए। ध्याकारिक नीति भी एक ही होनी चाहिए। मातापान की घनमता में भी एक-दूसरे होनी चाहिए। घन इन सब विषयों का केन्द्रिय सरकार के हाथ में घाना उचित एव घावःघक विद्घ होना है। इनी प्रकार जो काम घोर जो घेग स्पानिक स्वहण के हैं; जिनका मन्वन्ध स्पानिक घावःघकताओं के माय घधित है, में काम स्वभावात स्पानिक सरकार के हाथ में घनवा अनुकन राज्य के मारभ में कटना हो तो घटक राज्यों के हाथ में होन चाहिए। घुना सहर की घदकें नीघेट की हो या सारकीस की, दग मात का विघार घुना की मगरघानिका की ही करना चाहिए। उध-का विघार महाराष्ट्र राज्य की मुख्य सत्ता करन सभे तो यह उचित नहीं होना। इनी प्रकार जगनों की किग म्द में मुरशिन रगा जाए घयरा उनमें मृद्धि की जाए, शिक्षा की व्यवस्था (नीति नहीं) कंगी हों यह भी घटक राज्य हो की तय करना चाहिए। छोटी-मोटी बातों को लेकर घाम-वागियों को हर बार घम्यई जाना पडे तो काम-जाज टीक से नहीं हो सकेगा तथा सोगों को मन्तोर नहीं होना। एक सान जाहिर है कि सामाजिक एवं राजकीय घेघों के घधित एव ममाज के एक राज्य के घापगी सम्बन्धों में, जिनका घधिक ममन्वय स्पानित किया जाय, उतना घच्छा।

स्पानिक एव समाज के सम्बन्ध, नागरिक एव राज्य के सम्बन्ध क्या हों, यह तय करते समय घधिक में घधिक मागा में घधितमों की इच्छा का घ्यान रक्षना चाहिए। इसी प्रकार उक्त निलुंघ का घनता भी स्थान है, ऐमा घधिन को प्रतीत होना चाहिए तथा जब किमी निलुंघ से जघदस्त पंमाने पर घनतोंव निर्वाल होता है, उग समय उग निलुंघ को जघदस्ती सादना राज्य की स्थिरता एव स्थापना की दृष्टि से घनभीष्ट सिद्ध होना है। सोगों के मन को भीर लेना तथा उनकी इच्छाओं का घधिक में घधिक सम्पान करना आधुनिक राजनैतिक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से राज्य का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। सोगों की इच्छाओं को जान लेना महत्त्वपूर्ण होने हुए भी कोई घासान बात नहीं है। किन बातों में सोगों को सतोंघ मिलेगा, इसे निश्चित रूप में सभक लेना मुश्किल बात है। परन्तु उठवा जानना बहुत जरूरी है। यथोंकि राज्य जो निलुंघ लेता है, यह घनत में कानून का रूप धारण कर लेता है। घत. यह न.गरिकों के लिए बन्धनधारक हो जाता है। तथा राज्य की घाशा एवं कानून का पालन करना ही राज्य सस्था का सधेसे बडा घाधार-स्तम्भ होता है। नागरिक लोग कानून को मजूर करते हैं, इसीलिए राज्य काम कर सकता है। बैसा न हो तो वह राज्य राज्य नहीं रह जाता बल्कि घराजकता उत्पन्न हो जाती है। कोई किसी की सोज रावर नहीं लेता। 'जिसकी लाठी उसकी भंम' की-सी घवस्था एव घव्यवस्था मच जाती है। इस दृष्टि से राज्य के कानून के वीछे घधिकाधिक मात्रा में सोगों का अनुभव प्रभावी होना चाहिए यह साफ जाहिर है। घधिकाधिक सतोंघ की निमितति घधिकाधिक विघार विनि-मय करने से होती है। सलाह मसखिरे से सन्तोंघ की उत्पत्ति होनी है ऐमा बहना अनुचित न होगा। जब नागरिकों को यह अनुभव होता है कि उनके साथ सलाह

मसखरिा किया गया है, तो वे निर्णयों का पालन अधिक मन लगाकर करते हैं। वैयक्तिक व्यवहार में भी हम यही देखते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि लोग उससे सलाह लेते हैं, तब वह उन बातों में अधिक अचढ़ा सहयोग प्रदान करता है तथा अधिक संतोष अनुभव करता है। जब हम किसी से विचार-विनिमय करते हैं, तो उसे लगता है कि मेरा भी कुछ महत्व है, मैं कोई अनुपयोगी अथवा क्षुद्र व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के जीवन में मेरा भी कोई स्थान है। इस अनुभूति से उसका मन प्रसन्न होता है तथा उसका दृष्टिकोण अधिक मृज्जनशील हो जाता है। जब वह देखता है कि राज्य उसकी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है, तब उसकी राज्य के प्रति निष्ठा त्रिगुणित हो जाती है। हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, तब वह विचारोन्मुख होता है। और एक बार विचार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है, तो फिर क्या सम्भव है, क्या असम्भव एवं क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब बातों पर वह विचार शुरू कर देता है। इससे किसी भी सवाल पर वह अधिक सन्तुलनपूर्वक एवं अधिक विवेकपूर्वक अपना विचार व्यक्त करने में समर्थ हो जाता है। यदि किसी बात पर उससे विचार-विमर्श न किया जाए तथा उस पर कुछ बातें साद दी जाएँ तो स्वभावतः उसकी मानसिक प्रतिक्रिया विरोधी स्वरूप की हो जाएगी। राज्य द्वारा प्रमुख-प्रमुख विषयों पर नागरिकों में विचार-विमर्श किये जाने के कारण नागरिक अधिक विवेकशील बनते हैं तथा अपने अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक जागरूकता से काम लेते हैं। उनके इस प्रकार जागरूक हो जाने से अधिक सही माने में वे लोग स्वतन्त्रता के संरक्षक बनते हैं। अगर राज्य उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे तो वे उसका विरोध करेंगे। और यदि राज्य उनके विरोध एवं निंदा की परवाह न करके कुछ करेगा तो उससे राज्य की स्थिरता खतरे में पड़ जायेगी। जो सरकार प्रजा के प्रतिनिधियों की बनी होती है, उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है। जहाँ प्रजातन्त्री शासन व्यवस्था है, या जहाँ किसी न किसी रूप में लोकमत का सम्मान किया जाता है, वहाँ मौजूदा सरकार लोकमताभित होती है, अतः वहाँ वह लोकमत का एकदम तिरस्कार नहीं कर सकती। लोकमत भजे ही जागरित बयों न हो, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्राणपण से काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत हो कम होती है। तथापि यह भी मानना होगा कि ये थोड़े से लोग भी अपने आदर्श आचरण एवं सही निष्ठा के कारण सम्पूर्ण जनमत को अच्छी तरह से भड़का सकते हैं। ये मुट्ठी भर लोग ही स्वतन्त्रता के सच्चे संरक्षक होते हैं। ससार के स्वतन्त्रता के इतिहास में हम देखते हैं कि इन्हीं मुट्ठी भर व्यक्तियों ने अपनी निर्भीकवृत्ति से एवं निश्चय शक्ति से बहुत बड़े-बड़े कामों का श्रेयण किया है तथा ये दोनों वृत्तियाँ भागे चलकर किन्हीं इने-निने व्यक्तियों की ही वस्तु न रह कर अधिक व्यापक बन जाती हैं तथा अन्धकार के प्रति रोष की भावना उस समाज का लक्षण बन जाता है एवं तभी समाज में स्वतन्त्रता पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाती है।

सामान्यतया होता यह है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति प्रचलित बस्तुओं के प्रति अधिक आसक्ति प्रदर्शित करते हैं। और यदि वह बहुत प्रिय न हो तो अधिक से अधिक यही होता है कि वे उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। समाज में जो कुछ बन

रहा है, यह घटल एव घनिष्ठानं ?), ऐसा गोपहर के प्रजाह्न तथा घगनिह हो जाने है। यदुन घोड़े व्यक्ति प्रयत्नशील होते हैं तथा जो घनी घनिष्ठ की गीना मे बाहर की बातें हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते ?। कुछ लोग मरतन भी हो जाते हैं। कुछ लोग ममात्र की कुशिलन गृणि के विहार करने ?। तयारि ममार के बडे बडे इतिहास के घोष की बदलने वाली बातें इन्ही घोड़े मे निश्चयो व्यक्तियों के मोमुन ही मे उद्गम होती है। ममात्र के प्रादनों वा पालन करने की यह मपरपया मरंमामान्य लोगो के हाथ मे नही होती। सनन जापन रहने का काम भी मव नागरिको के हाथ मे नही होता। धामुनिह प्रजातन्त्रात्मक राज्यों मे यह जापनि का काम प्रतिनिधियों के हाथो किया जाता है। जो व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, यह राजकीय मस्या के मार्फत किया जाता है। एक दृष्टि मे ममात्र यह कार्यपालिका को सौंप देना है तथा मार्फ-मामान्य लोग घने प्रतिनिधि चुनकर घाने ऊपर का भार प्रतिनिधियों के कंधों पर डाल देते हैं। त्रिम प्रकार पुरोहित द्वारा किया गया घमं-कर्म मरंश्रेष्ठ नही माना जाता, द्यो प्रकार केवल प्रतिनिधियों का चुनाव कर देने भर मे नागरिक की इतिहास्यता पूरी हो गई, ऐसा नही मानना चाहिए। चुनाव मे सोहमत का अनुमान होना है, यह गही है। नागरिक मवभ्रता है कि उनही प्रादशक्तियों का पूरा-पूरा जान उमके प्रतिनिधि को है ही घा उनलो विहायनों की ठीक-ठीक मुनवाई हो सकेगी। नागरिको की स्वतन्त्रता की सुरक्षा का भार प्रतिनिधि ने घाने कंधो पर से लिया है, ऐसा विद्वानम उन्हें हो जाना है। पर केवल प्रतिनिधियों को चुनने मे उनका कर्तव्य पूरा ही गया, ऐसा यदि नागरिक समझे तो यह ठीक नहो। यह नही कहा जा सकता कि प्रतिनिधि सर्वव योग्य, नि गृह एव कर्तव्यदश होना। प्रजातन्त्र का मतलब है 'घडेबाजी'। तथा ऐसी घडे-बाजी की राजनीति मे कव राजा का रक एव रक का राजा हो जाय, इमका भरोसा नही होना। सभी प्रतिनिधि ऐसे नही होते, जो घाने हितो के वारे म उदासीन रहे। बहुत वार तो वे घाने हितो को ही मतदाताओं का हित मानकर चरने हैं तथा इन प्रकार वे गुल्मम खुलना घाने स्वार्थ भाषन मे लग जाते हैं। भारत के लिए प्रजातन्त्र एकदम नई चीज है, मतः सारा भार प्रतिनिधियों के कंधो पर डालकर निश्चित हो जाना ठीक नही। उससे स्वतन्त्रता की रक्षा नही हो सकेगी। सारा भार सन्तो के गिर मड़ देने से काम नही चनेगा। भक्तो को भी कुछ भार घाने ऊपर लेना चाहिए। साथ ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य का काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार करते समय यह कहना भी ठीक न होगा कि ससद् (पालियामेंट) अकेली ही स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेगी। मंग्य प्रतिनिधि चुने गये, पालियामेंट ने भी अच्छा कानून पास कर दिया। पर इतने मे ही यह नही कहा जा सकेगा कि कार्यपालिका पालियामेंट के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सकेगी। आजकल के राज्य के बढते हुए कार्यक्षेत्र को देखते हुए सरकार नया करती है, किम तरह करती है तथा कव करती है इस बात की ओर नागरिको को अधिक ध्यान देना चाहिए। चुनाव पांच बरम बाद एक वार होगा। पालियामेंट जो कानून पास करेगी वह गृहे छमाहे कभी एक वार। परन्तु नागरिको के जीवन मे प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन जो सम्बन्ध आता है, वह सरकार ही का आता है। मत. ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की दृष्टि से सरकार पर

मत्त निरीक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वतंत्रता पर हमला करने का मौका न मिले। यह व्यवस्था दासन के निचले स्तर के केन्द्र से लेकर उस विभाग के मुख्य केन्द्र तक रहनी चाहिये। कानून की अचूक वुराई, उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता यह नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आधार पर स्थिर की जानी चाहिये। ग्राम ऊपर से पीला तथा परा हुआ लगता हो पर खाने पर भीतर से खट्टा निकले तो उसका उपयोग कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार कानून की भी बात है। देखने में कानून कितना भी अचूक क्यों न हो, उसका प्रभाव जिन लोगों के जीवन पर होगा, उनकी दृष्टि से यदि वह ठीक न हो, तो उसका क्या लाभ? यतः उचित यही होगा कि जिन लोगों पर कानून का साक्षात् प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे पूछकर तथा उनकी सलाह से उसका निर्माण होना चाहिये। इस दृष्टि में, जैसा हम पहले कह आये हैं, सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। दिल्ली में बैठकर भाबुड़ों की राजनीति का विचार संभव नहीं होगा। साधारणतया कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का काम मुख्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में होना चाहिये तथापि छोटी-मोटी बातों में, जिनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता हो, स्थानीय लोगों की सलाह अवश्य ही जानी चाहिये। लोगों पर उत्तरदायित्व डालने से वे उत्तरदायित्व को महसूस करने लगते हैं। उत्तरदायित्व के महसूस होने पर लोग उसकी ठीक-ठीक निमाने की दृष्टि से विचार करने लगते हैं। और इस प्रकार विचार करना प्रारम्भ करने पर उनमें चातुर्य उत्पन्न होने लगता है। कार्यकुशलता उदित होती है। सामुदायिक स्वरूप का उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं सामान्य आवश्यकताओं का विचार लोग अधिक करने लगते हैं तथा इस बात का भी महसास होने लगता है कि सामान्य एवं सामुदायिक आवश्यकताएँ क्या हैं? सामुदायिक आवश्यकताओं का महसास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाथ में कुछ अधिकार भी हों, तो लोगों को उत्साह प्रतीत होता है तथा उनके प्रयत्नों पर तेज चढ़ने लगता है। एवं प्रयत्नों की सफलता से उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है, उससे उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता होती है तथा उनकी सामुदायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऊपर से कुछ चीज लाद दी गई, बगैर मेहनत के कुछ मुविधाएँ हासिल हो गईं, तो उससे आनन्द के होने पर भी व्यक्ति के नैतिक जीवन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज सारे देश में विकास के क्षेत्र दिखाई देते हैं। अनेक गाँवों में रास्ते, कुएँ, स्कूल, पुलिस चौकियाँ तथा आधुनिक सड़कों की जानकारी कराने के केन्द्र आज उपलब्ध हो गये हैं, पर ये सारी चीजे सरकार की माफत तथा सरकार द्वारा प्रणीत व्यवस्था के कारण हुई हैं। लोगों में आत्मोन्नति की वृद्धि तथा विकास की तीव्र इच्छा अभी बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देती। गाँवों का विकास हो रहा है पर गाँव वालों का विकास नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि गाँव वालों का विकास हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि गाँव वालों का विकास कुछ महशुस नहीं रखता। गाँव वाले सुधर जायें, तो गाँव भी सुधर जाते हैं तथा उस सुधार का भ्रम अखंड बना रहता है। यतः इस दृष्टि से जो कुछ भी किया जाय वह उन्हीं लोगों के हाथों से होना चाहिये, जिनके लिये सब किया जा रहा

रहा है, वह घटल एव प्रतिवार्य है, ऐसा मोनार ये प्रजाह्वन तथा घनतिक हो जाने हैं । बहुत थोडे व्यक्ति प्रयत्नशील होते हैं तथा जो घवनी घक्ति की गीना मे बाहर की बातें हैं, उन्हें बदलने की कोशिस करने है । कुछ लोग सफन भी हो जाने हैं । कुछ लोग समाज की कुस्मिन वृत्ति के निकार बनने हैं । तयारि मसार के बडे-बडे इतिहास के घोष को बदलने वाली बातें इन्ही थोडे मे निश्चयी व्यक्तियों के गोमुग ही से उद्गत होती है । समाज के आदसों का पालन करने की यह तपदर्श्या सवंगामान्य लोगो के हाथ मे नही होती । सनत जाग्रत रहने का काम भी मब नागरिको के हाथ मे नही होता । प्राधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्यों मे यह जाग्रति का काम प्रतिनिधियों के हाथो किया जाता है । जो व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, वह राजकीय संस्था के मार्फन किया जाता है । एक दृष्टि मे समाज यह कार्यपालिका को सौंप देता है तथा सार्व-सामान्य लोग घवने प्रतिनिधि चुनकर घवने ऊपर का भार प्रतिनिधियों के कंधों पर डाल देते हैं । जिस प्रकार पुरोहित द्वारा किया गया धर्म-कर्म सर्वश्रेष्ठ नही माना जाता, इसी प्रकार केवल प्रतिनिधियों का चुनाव कर देने भर से नागरिक की इतिकर्तव्यता पूरी हो गई, ऐसा नही मानना चाहिए । चुनाव से लोरुमत का अनुमान होता है, यह सही है । नागरिक समझता है कि उनकी आवश्यक्ताओं का पूरा-पूरा ज्ञान उनके प्रतिनिधि को है ही घन. उनकी शिक्षापतो की ठीक-ठीक सुनवाई हो सकेगी । नागरिकों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा का भार प्रतिनिधि ने घवने कंधो पर ले लिया है, ऐसा विश्वास उन्हें हो जाता है । पर केवल प्रतिनिधियों को चुनने से उनका कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा यदि नागरिक समझे तो वह ठीक नही । यह नही कहा जा सकता कि प्रतिनिधि सदैव योग्य, निस्पृह एव कर्तव्यदर्श होगा । प्रजातन्त्र का मतलब है 'धडेबाजी' । तथा ऐसी धडे-बाजी की राजनीति मे कब राजा का रक एव रक का राजा हो जाय, इसका भरोसा नही होता । सभी प्रतिनिधि ऐसे नही होते, जो घवने हितो के बारे मे उदासीन रहे । बहुत बार तो वे घवने हितो को ही मतदाताओं का हित मानकर चलते है तथा इस प्रकार वे खुलनम खुलना घवने स्वार्थ साधन मे लग जाते हैं । भारत के लिए प्रजातन्त्र एकदम नई चीज है, अतः सारा भार प्रतिनिधियों के कंधो पर डालकर निश्चित हो जाना ठीक नही । उससे स्वतन्त्रता की रक्षा नही हो सकेगी । सारा भार सन्तो के मिर मड देने से काम नही चनेगा । भक्तों को भी कुछ भार घवने ऊपर लेना चाहिए । साथ ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य का काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार करते समय यह कहना भी ठीक न होगा कि ससद् (पार्लियामेंट) अकेली ही स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेगी । योग्य प्रतिनिधि चुने गये, पार्लियामेंट ने भी अचूक कानून पास कर दिया । पर इतने से ही यह नही कहा जा सकेगा कि कार्यपालिका पार्लियामेंट के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सकेगी । आजकल के राज्य के बडते हुए कार्यक्षेत्र को देखते हुए सरकार नया करती है, किम तरह करती है तथा कब करती है इस बात की ओर नागरिको को अधिक ध्यान देना चाहिए । चुनाव पाँच बरम बाद एक बार होगा । पार्लियामेंट जो कानून पास करेगी वह शूडे छमाहै कभी एक बार । परन्तु नागरिको के जीवन मे प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन जो सम्बन्ध आता है, वह सरकार ही का आता है । अतः ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की दृष्टि से सरकार पर

मनुष्य निरोक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वतंत्रता पर हमला करने का मौका न मिले। यह व्यवस्था ग्रामन के निचले स्तर के केन्द्र से लेकर उस विभाग के मुख्य केन्द्र तक रहनी चाहिये। कानून की अचूक बुराई, उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता यह नागरिकों के जीवनो पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आधार पर स्थिर की जानी चाहिये। ग्राम स्तर में पीला तथा पका हुआ लगता हो पर खाने पर भीतर से खट्टा निकले तो उसका उपयोग कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार कानून को भी बात है। देखने में कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका प्रभाव जिन लोगों के जीवन पर होगा, उनकी दृष्टि से यदि वह ठीक न हो, तो उसका क्या लाभ? अतः उचित यही होगा कि जिन लोगों पर कानून का साक्षात् प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे पूछकर तथा उनकी सलाह से उसका निर्माण होना चाहिये। इस दृष्टि से, जैसा हम पहले कह आये हैं, सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। दिल्ली में बैठकर माबुडों की राजनीति का विचार संभव नहीं होगा। साधारणतया कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का काम मुख्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाथ में होना चाहिये तथापि छोटी-मोटी बातों में, जिनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता हो, स्थानीय लोगों की सलाह अवश्य ली जानी चाहिये। लोगों पर उत्तरदायित्व डालने से वे उत्तरदायित्व को महसूस करने लगते हैं। उत्तरदायित्व के महसूस होने पर लोग उनको ठीक-ठीक निभाने की दृष्टि से विचार करने लगते हैं। और इस प्रकार विचार करना धारम्भ करने पर उनमें चातुर्य उत्पन्न होने लगता है। कार्यकुशलता उदित होती है। सामुदायिक स्वरूप का उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं सामान्य आवश्यकताओं का विचार लोग अधिक करने लगते हैं तथा इस बात का भी महसूस होने लगता है कि सामान्य एवं सामुदायिक आवश्यकताएँ क्या हैं? सामुदायिक आवश्यकताओं का अहसास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाथ में कुछ अधिकार भी हों, तो लोगों को उत्साह प्रतीत होता है तथा उनके प्रयत्नों पर तेज चढ़ने लगता है। एवं प्रयत्नों की सफलता से उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है, उससे उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता होती है तथा उनको सामुदायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऊपर से कुछ चीजें लाद दी गईं, बर्गर मेहनत के कुछ मुविधानें हासिल हो गईं, तो उसमें आनन्द के होने पर भी व्यक्ति के नैतिक जीवन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज सारे देश में विकास के क्षेत्र दिखाई देते हैं। अनेक गाँवों में रास्ते, कुएँ, स्कूल, पुलिस चौकियाँ तथा आधुनिक मशीनों की जान-कारी कराने के केन्द्र आज उपलब्ध हो गये हैं, पर ये सारी चीजें सरकार की मार्फत तथा सरकार द्वारा प्रणीत व्यवस्था के कारण हुई हैं। लोगों में आत्मोन्नति की वृद्धि तथा विकास की तीव्र इच्छा अभी बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देती। गाँवों का विकास हो रहा है पर गाँव वालों का विकास नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि गाँव वालों का विकास हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि गाँव वालों का विकास कुछ महत्त्व नहीं रखता। गाँव वाले सुधर जायें, तो गाँव भी सुधर जाते हैं तथा उम सुधार का मोक्ष समुद्र बना रहता है। अतः इस दृष्टि से जो कुछ भी किया जाय वह उन्हीं लोगों के हाथों से होना चाहिये, जिनके लिये सब किया जा रहा

है। लोग सरकारी काम-काज में रुचि ले तथा उन्हें उसमें आनन्द अनुभव होने लगे, तो समझिये सरकार सही ढर्रों में सरकार है। सामान्यतया हम देखते हैं, नियम, नमूने, पत्रक तथा परिशिष्ट आदि में ही सरकार के कामकाज की परिसमाप्ति हो जाती है। फल की अपेक्षा कार्यपद्धति पर ही समय एवं धन का व्यय होता है। व्याकरण शुद्धता की ओर अधिक ध्यान देने से जिस प्रकार अर्थसौरभ एवं पद-लालित्य की क्षति होती है तथा काव्य में रूढ़ता एवं एकरसता आती है, वैसे ही कुछ तब होता है, जब सत्ता अधिकाधिक केन्द्रित हो जाती है। केन्द्र में भीषण चहल-पहल तथा दूररूप क्षेत्रों में पूर्णतया निशब्दता। केन्द्र में कणवायु तथा परिधि में अर्धाणवायु—ऐसा चित्र दृष्टिगोचर करता है। (ऐपिलेस्पी इन सेन्टर एण्ड पॅरेलेसिस ऐट दि सरकमफरेन्स)।

राजकीय कार्यव्यवहार में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये। केन्द्रीकरण से भले ही ऊपरी दृष्टि से व्यवस्था बयो न दृष्टिगत हो, पर वास्तव में अव्यवस्था ही रहती है। सब क्षेत्रों की आवश्यकताओं में समानता के न होते हुए भी राजकीय कार्य-व्यवहार सब वही समान होता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य—अर्थात् लोक सन्तोष—पूरा नहीं हो पाता। राजकीय कार्यव्यवहार बितना भी कार्यक्षम बयो न हो, उसकी सफलता की एकमात्र कसौटी लोगों का सतोष ही है। काम ठीक चल रहा हो, पर लोग नाराज हो तो इससे राज्य की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। काम नियमानुसूल भले ही हो, वह मनोनुकूल नहीं हो पाता। लोग राजकीय काम-काज में हाथ बटायेँ और दिलचस्पी लें तो सामाजिक शान्ति एवं सतोष की स्थापना अधिक होती है। सामाजिक सतोष तब होता है, जब लोग समझें कि काम उनके हाथों से हुआ है। दक्षिण के मन्दिरों में भक्त को खुद पूजा नहीं करने दिया जाता। वह पुरोहित को पैसे देता है, तथा पुरोहित उसकी ओर से पूजा करता है। इससे भक्त को उतना सतोष नहीं होता, जितना उसे अपने हाथ से पूजा करने पर होता। इसी प्रकार राजकीय काम-काज भी केन्द्रित हो जाय तथा केवल नौकरशाही के हाथों होने लगे, तो लोग नाराज हो जाते हैं और सब वही एक जैसे काम-काज के होते हुए भी लोग सतुष्ट एवं प्रसन्न नहीं होते। अतः लोगों का राजकीय-काम-काज के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिये। इससे सहयोग बढ़ता है। 'जिस काम को गाँव कर सकता है उसे राव नहीं कर सकता, इस उक्ति का आशय ध्यान में रखना चाहिये। इस दृष्टि से स्थानीय मामलों में—स्थानीय स्वराज्य विषयक कामकाज में—जिवा गाँवों से सम्बन्धित शासन के मामलों में लोगों का अधिक से अधिक हाथ होना चाहिये। जितनी समानता अनिवार्य हो, उतनी रहने दी जानी चाहिये तथा अन्य सारा काम-काज स्थानीय इकाइयों को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। वह इकाई चाहे कोई गाँव हो, या गाँवों का कोई समूह हो। सर्वसाधारण नीति के अनुरूप एवं कार्यक्षमता की दृष्टि से बनाये गये नियमों के अनुरूप राजकीय काम-काज करने की स्थानीय लोगों को पूरी छूट होनी चाहिये। इस व्यवस्था में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाला अनुभव सम्पूर्ण राज्य के लिये उपयोगी साबित होता है। एक निश्चित सीमा में रहकर परीक्षा करने की छूट हो तो अनेक स्थानीय स्वरूप के परीक्षण होंगे तथा उनमें से कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त

होये, जो व्यापक राज्य की दृष्टि के बहुत महत्व के सिद्ध होंगे। जहाँ परिस्थिति समान हो, वहाँ समान रूप के कानून एवं नियम लागू हों तो कोई आपत्ति नहीं। पर 'सब थोड़े बारा टक्के' यह न्याय ठीक नहीं। रोग एक ही हो, तो भी सब रोगियों का इलाज एक ही दवा से करना शास्त्रीय दृष्टि से शुद्ध प्रक्रिया नहीं है। 'युतियुक्त रसायनम्' यह न्याय जिस प्रकार बंदों के लिये ठीक है, उसी प्रकार राजकीय व्यवहार के लिये भी ठीक है। व्यवहार में तारतम्य का रहना बहुत जरूरी है। एकांगी कल्पना राजनीति में अनुचित साबित होती है तथा कभी-कभी घातक भी साबित होती है। भाषा के आधार पर प्रान्तों की रचना ठीक है तथापि सब कहीं एक ही प्रकार से उसे लागू करना योग्य नहीं होता। इतिहास, परम्परा तथा अन्य सामाजिक कारकों का उचित रूप से विचार करके ही किसी भी सिद्धान्त को काम में लाना चाहिये। लोगों को अपनी गर्जों के धृताविक स्थानीय राजकाज चलाने का मौका देने से, तथा उनपर उसका उत्तरदायित्व डाल देने से लोगों को इस बात का ग्रहसास होता है कि उन्हें अपने सवालियों को अपने आप ही हल करना चाहिये तथा उत्तम रीति से हल करना चाहिये। तथा इस प्रकार अनुभव प्राप्त करते हुए वे कुशल होते जाते हैं, पक्व होते जाते हैं तथा इससे उनका नागरिकत्व श्रेष्ठ होता जाता है। उनमें विचार करने की क्षमता बढ़ती है। राज्य का सार्वजनिक जीवन उन्नत हो जाता है। केवल अधिकार के जोर पर काम-काज चलाना अथवा कानून को अमल में लाना, कुछ देर के लिये, अधिक मुगम प्रतीत हो सकता है, पर वास्तविक कार्यक्षमता इस मामले में नहीं दिखाई देगी। जो वस्तु अपनी इच्छा एवं खुशी से स्वीकार नहीं की जाती, वह देर तक टिक नहीं सकती तथा कब उसके विरुद्ध विद्रोह भड़क उठे, नहीं कहा जा सकता। सरकार कानून बनाती है इसके मानी यह हुए कि उसे कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु इतने से यह नहीं कहा जा सकता कि वह कानून एकदम उचित ही है। कानून की नैतिक प्रतिष्ठा नागरिकों के संतोष एवं स्वीकृति पर अवलंबित है। अतः सामान्यतः जनमत का विचार करके, लोगों की भावना एवं विचारधारा को ध्यान में रखकर यदि ऐसा कानून बनाया जाय, जो उक्त बातों के विरुद्ध न जाता हो तो निश्चय से उसे नैतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा उसे अमल में लाने में जनता को किसी प्रकार का विषाद नहीं होगा। वह उसका पालन योग्य रीति में करेगी। जब जनता यह जानती है कि यह काम-काज अपना ही है, हमी ने यह नियम बनाये हैं तब वह प्रसन्न रहती है।

साधुनिक समाज अब पहिली की भाँति नहीं रह गया है। पहले वह जिस अर्थ-व्यवस्था पर आधारित था, वह अब रह नहीं गई है। समाज के व्यवहार एवं व्यवसाय इतने बढ़ गये हैं कि पुरानी परम्परा तथा पुराने मूल्य अब अनुपयोगी साबित होने लग गये हैं। पुरानी बागवन्दी (अर्थात् अंगरखा) अब कोई नहीं पहनता है। जैसे हर साल कपडों का फैशन बदलता है, उसी तरह सामाजिक विचारधारा भी बदलती है। नई-नई निष्ठाएँ, नई-नई अस्मिताएँ तथा धारणाएँ निर्माण होती जाती हैं। अब कोई भी राष्ट्र अकेला नहीं रह गया है। किसी भी राष्ट्र में घटित घटना की प्रतिध्वनि गोल गुम्बज की गूँज की भाँति मारे संसार में सुनाई देती है।



दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना बयो न घटे, उसका प्रभाव दुनिया के पिछड़े हुए हिस्से पर भी अवश्य पड़ेगा। युद्ध छिड़ जाय तो अब युद्ध-भूमि का विस्तार बंधल प्रत्यक्ष युद्ध में पड़े हुए राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर उम युद्ध का प्रभाव सारे ससार पर पड़ता है। युद्धछिड़ा कोरिया में और पूना में चीजों के दाम बढ़ गये। यह अनुभव अब सार्वत्रिक हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र की भाँति सामाजिक विचार एवं व्यवहार क्षेत्र में भी जो बात एक स्थान पर होती है, उसकी प्रतिध्वनि सब कहीं गुनाई देती है। इस दृष्टि से विचार करने पर, जिस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखत हुए प्रादेशिक दृष्टि से विवेचीकरण अभीष्ट प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह काम की दृष्टि से भी अभीष्ट है। समाज में अब वकील, व्यापारी, बँध तथा उद्योगी काम की दृष्टि से आधुनिक समाज में आधुनिक राज्य में संगठित होते जा रहे हैं। वकीलो का मण्डल, बँधों का मण्डल, व्यापारी संघ आदि सारे संगठन कार्य-विषयक दृष्टि से बने हुए हैं। उनमें प्रादेशिक भाव का महत्त्व मुख्य नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि उनका उन-उन कार्यक्षेत्रों में नियमन करने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। उन व्यवसायों को प्रपनाने वाले लोग ही अपनी आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। चूँकि वे अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं, अतः उन लोगों को भी कुछ-एक प्रतिबन्धों के साथ अपने व्यवसाय का नियमन करने का अधिकार देना उचित प्रतीत होता है। आज अनेक राज्यों में यह व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। सारे भारत के यकीली पेशों के लोगों का एक संगठन बनने जा रहा है। कुछ सामान्य स्वरूप के प्रतिबन्ध राज्य निर्दिष्ट कर देगा तथा उसके अनुरूप ही उम पेशों की व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी अनुशासन की व्यवस्था उस पेशों के संगठन को ही करनी होगी। ऐसा ही विभिन्न प्रकार के पेशों के सम्बन्ध में भी होगा। जो पेशों के क्षेत्र की बात है वही उद्योग-धंधों के क्षेत्र की भी बात है। होना अभीष्ट भी है। मजदूर तथा मालिकों के सम्बन्धों को निर्दिष्ट तथा नियमित करने वाले कानून सर्वसामान्य रूप में सरकार बना देगी। तथापि विभिन्न व्यवसायों के मुख्य तत्वों को ध्यान में रखकर मुख्य कानूनों के अनुसार अनेक नियम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि उन-उन धंधों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही बँसा करना उचित होगा। इस रीति में यदि राज्य का काम-काज चले, तो केवल आवश्यक मात्रा में ही भ्रमानता रखकर शेष सभी क्षेत्रों में पूरी छूट देने से लोगों को स्वतंत्रता का अनुभव अधिक होगा तथा लोगों के वर्तुत्व को अधिक अवसर प्राप्त होगा। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी वृत्ति अधिक विधायक स्वरूप की होगी। स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व दोनों जहाँ एकत्र होते हैं वही प्रयत्न हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, यह अनुभव है।

अब तर्क के विवेचन में हमने बताया कि कानून एवं नियमों का पालन बल-प्रयोग द्वारा न होकर सतोपपूर्वक होना चाहिए। कानून अथवा नियम बंधल इसी-लिए टोक नहीं माने जा सकते कि उन्हें बनाने वाले वही व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके बनाने का अधिकार मिला हुआ है। यों हम कानून की दृष्टि से देखें तो किसी मुलतान एवं श्वेच्छाचारी शासक को मनमाने कानून बनाने का अधिकार है। पर केवल इसलिए उनके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता कि उमें उनके

बनाने का अधिकार प्राप्त है। कानून की बाध्यनीयता अथवा औचित्य का निरवयव लोकमत एवं लोक-प्राकांक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। अधिकारयुक्त व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा जारी किया गया आदेश ही कानून कहलाता है, ऐसा कहना संकुचित दृष्टि का द्योतक तो है ही परन्तु इस विचारधारा में नैतिकता एवं वैधत्व भी नहीं है। (कान्स्टीट्यूशनल) कानून लोक-व्यवहार के नियमन के लिए होते हैं। अतः लोगों की इच्छाओं एवं भावनाओं को अधिक महत्त्व प्रदान करना चाहिए। 'आप रामेश्वरी एवं बम्बे सोमेश्वरी, ऐसी बात यदि कानून द्वारा होने लगे तो कानून बेकार हो जाता है तथा कानून का मुख्य प्रयोजन—लोक व्यवहार का नियमन—सिद्ध नहीं होता। ब्रितानी माथा में वह समाज की विचारधारा तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, उतनी ही मात्रा में उल्लेख लोग अन्तःकरणपूर्वक स्वीकार करेंगे। पसन्द आने के कारण किसी बात को मंजूर करने में तथा बेवकाल दण्ड के भय से किसी बात को मंजूर करने में बहुत बड़ा मौलिक भेद है। लोगों की इच्छाओं को ठीक से समझ कर कानून बनाना चाहिए। क्योंकि कानून का कानूनपना, उसकी वैधता तथा उसकी नैतिक प्रतिष्ठा लोगों की अन्तःकरणपूर्वक ही गई मंजूरी पर ही अवलम्बित है। लोगों की इच्छाओं को जानने का उपाय यह है कि जिस प्रणाली से कानून बना करता है, उस प्रणाली की प्रत्येक अवस्था में सरकार को लोगों की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में सरकार को लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। लोगों को जो बातें मौलिक प्रतीत होती हैं, नैतिक जीवन के लिए अपरिहार्य प्रतीत होती हैं, यदि कानून की व्यवस्था उनके विघ्न जाती हो, तो लोग उन्हें मंजूर नहीं करेंगे, उनका विरोध करेंगे तथा समय पड़ने पर वे क्रांति द्वारा प्रचलित शासन को उखाड़कर फेंक देंगे। यह हो सकता है कि लोगों की मौलिक श्रद्धा अथवा नैतिक भावना गलत हो या पागलपन की हो, संकुचित हो। परन्तु उनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उपयोगिता की दृष्टि से गोशय अनुचित नहीं है तथापि चूँकि लोग गो को माँ के समान घादर एवं श्रद्धा की वस्तु समझते हैं, अतः आप उसके विघ्न कानून नहीं बना सकते। यदि आप कोई ऐसा कानून बना डालें, जो लोगों की इस श्रद्धा को ठेस पहुँचाने वाला हो, तो निःसन्देह लोकमत विक्षुब्ध हो उठेगा। यह सही है कि लोगों की श्रद्धा एवं मान्यता एकदम निरपेक्ष नहीं है। समयानुसार वह भी बदलती है। तो भी जब तक वह श्रद्धा एवं मान्यता चालू सिक्के का काम करती है, तब तक उनका भी मूल्य है तथा यदि समाज के व्यवहार में उन्हें माना न गया तो स्वभावतः घमन्तोष पैदा होगा। रुक नहीं गयेगा। अतः इन मौलिक श्रद्धाओं के बारे में शासक को बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। हर कहीं कानून का उत्कर्ष होने लगे, हर छोटी-मोटी चीजों पर सत्याग्रह होने लगे, तो भ्रातृजता फँस जाएगी, सरकार भङ्ग हो जाएगी श्वादि बातों के उपदेश से जनता अपनी मौलिक श्रद्धा को तिलांजलि देने के लिए राजी नहीं होगी। प्रत्येक युग में ऐसे दो चार व्यक्ति अवश्य होते हैं जो भ्रातृजता को पसन्द करेंगे किन्तु सरकार द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को सहन नहीं करेंगे। ये लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह की बात करते हैं तथा निर्भीक होकर अनन्य श्रद्धा के

के विरुद्ध प्रचार करते हैं। समय घाने पर इन्हीं लोगों का दृष्टिकोण प्रायः जनता का दृष्टिकोण बन जाता है। मगर के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े समाज गुप्तार के प्राबल्य हुए हैं, उनका जन्म इन्हीं घोंडे में व्यक्तियों के मानव-गरोवर में हुआ दृष्टिकोण-गोचर होता है।

इस दृष्टि से विचार करने पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि राज्य का कानून सभी सही मानने में समझ में लाया जा सकता है, जब जनता की महमति एवं स्वीकृति उसे प्राप्त हो। कानून एवं जनता का विवाह राक्षसी विवाह न होकर प्रेम-विवाह होना चाहिए। इस समय में बाध्य भी है, वस्तुस्थिति भी। कानून केवल प्राणा नहीं है, वह एक सामान्य है। उन कानून में तथा उनकी व्यवस्था में जनता की घाने प्रनुभव का प्रतिबिम्ब दिगाई देना चाहिए। घाना की किरण दिगाई देनी चाहिए। तथा जनता का ब्यापक एवं रचनात्मक स्वरूप का सदुपयोग प्राप्त करने तथा उसका पालन करवाने के लिए कानून बनने से पूर्व अधिकाधिक संस्था में लोगों के साथ उस पर विचार-विनिमय किया जाना चाहिए। घोर प्राधुनिक राज्य का अनुभव यह है कि यदि कानून लोगों की मर्जी के गिलाफ चला जाय तो उसे कभी स्थिरता या प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। इससे समाज की शांति नष्ट हो जाती है तथा इस बात का नियम नहीं रह जाता कि जब जनता सघर्ष के लिए उत्तम हो जाए। कानून बनाने वालों को इस बात की जानकारी भवस्य होनी चाहिए कि जनता को कानून की अधिकार हासिल हैं तथा जो भी कानून बने उसमें जनता के में अधिकार जरूरी दोसने चाहिए। नागरिक को यह प्रतीत होना चाहिए कि कानून उचित तथा सब दृष्टियों से अभीष्ट है। यदि यह प्रतीत नहीं होगा तो जाहिर है कि उन कानून को मानने के लिए प्रेरणा देने वाली कोई वस्तु-स्थिति नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में कानून का पालन करना अपने को नापसन्द पति के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की सी भवस्था हो जाएगी। मन में घुटन पैदा होगी। बुद्धि निष्प्रभ हो जाएगी। व्यक्ति का विकास रक जाएगा। विफलता तथा विमनस्वता घर्ने-घर्ने उसके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। फल यह होता है कि जीवन एकदम घुण्टित हो जाता है। समाज की दृष्टि से समाज का नैतिक सामर्थ्य घट जाता है तथा कानून की स्वीकार करने का सीधा धर्म हो जाता है अपनी स्वतंत्रता से हाथ धो बैठना। यह सही है कि लोग इस स्थिति में भी ऊपरी तौर से कानून को मानेंगे घोर उसका पालन भी करेंगे। पर कुछ-न-कुछ लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो उस कानून का विरोध करेंगे तथा अपने नैतिक बल से इस समाज-जीवन रूपी वृक्ष को जडमूल से हिला डालेंगे। अतः अधिक-से-अधिक मात्रा में अधिक-से-अधिक लोगों के विचारों को घ्यान में रखते हुए, उनके अभिप्राय को घ्यान में रखते हुए, कानून की रचना की जानी चाहिए। प्राधुनिक राज्यों में, सात करके प्रजातांत्रिक राज्यों में, राज्य सत्ता केवल अपनी सत्ता के बल पर अनिश्चित काल तक अपना शासन नहीं चला सकती। जितनी मात्रा में राज्य-सत्ता जनता को इस बात का विश्वास दिला सकेगी कि उसका शासन अच्छा है तथा जनता के लिए हितकर, उसनी मात्रा में ही वह अपनी सत्ता को टिका कर रख सकेगी। लोगों का विश्वास हासिल करने के मानी उनकी ऊपरी सहमति हासिल करना नहीं है। उनके घन्तः-

करण को इस बात का विश्वास होना चाहिए। अन्ततः, राज्य तो नागरिकों का है और एक नागरिक भन्ने ही धुंध बघो न दिखाई दे, वास्तव में वह धुंध नहीं है। उनकी मानसिक शक्ति में से समाज की नैतिक शक्ति उत्पन्न होती है। उसके विचारों में से समाज के नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है और राज्य अन्ततोगत्वा इन्हीं नैतिक मूल्यों पर टिका होता है। जो मन को सही नहीं प्रतीत होगा, उसे मन स्वीकार नहीं करेगा। तथा अन्त में उनकी श्रद्धा उसे सारी दुनिया के विरुद्ध निर्भय हो खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग राज्य के प्रति निष्ठावान् रहें, तथा कानून का पालन करें, तो उसके लिए आपको उनकी सहमति से ही काम करना होगा। कहना होगा, जनता की सहमति एवं स्वीकृति समान धारणा का श्रेष्ठ जीवन-सत्त्व है। कोई भी राज्य-सत्ता इसकी उपेक्षा करेगी तो वह स्वयं भी उपेक्षित हो जाएगी।

अपरिनिश्चित विचारधारा के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यदि यह मान लिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई बात उसकी बुद्धि को न जँचे, तो सर्वथा उच्छ्रंखल रूप में व्यवहार करने का अधिकार है, तो हमने समाज में धराजकता फैल जाएगी तथा समाज की स्थिरता नष्ट हो जायेगी तथा समाज में आए दिन संघर्ष मचने लग जायेगा। इसी प्रकार यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारी होने लग जाय तो समाज धारणा का मूल तत्त्व—धर्मव्यवस्था का परस्पर मिल-जुग कर काम करना तथा जो सार्वजनिक हित की बात है उसे मानना—ही नष्ट हो जाएगा। 'भिन्नश्चिह्नं लोकः' इस अनुभव की भाषा पर सामुदायिक हित रूपी व्याकरण का नियन्त्रण अवश्य रहना चाहिए। व्यक्ति भेद के रहते हुए भी उन व्यक्तियों के बीच जो साधर्म्य है, संयम तथा सौजन्य आदि, उसे तो समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए नीति एवं सुव्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है। व्यक्तियों में अनेक बातें समान रहनी हैं। अनुभव लगभग सबका समान ही रहता है, तथापि निष्के की भाँति उनमें असमानता भी रहती है। एकता रहती भी है, नहीं भी रहती। एक व्यक्ति का अनुभव गत प्रतिगत मात्रा में दूसरे व्यक्ति के अनुभव से नहीं मिलता। अतः एक व्यक्ति की इच्छा को पूरी तरह से सभी व्यक्तियों की इच्छा नहीं कहा जा सकता। गोक बुलते समय भिन्न-भिन्न तामे अपना भेद दूर करके गोक में एकत्र हो जाते हैं। अपना पृथग्भाव दूर करके गोक नामक वस्तु में स्वत्व को भूल जाते हैं। तथापि संपूर्ण सायुज्यता यहाँ भी नहीं रहती। एक-एक तामा वहाँ रहता है। दूसरी उपमा गुड़दानी की लीजिये। उसके गुड़ में हर दाना मिला रहता है। तथापि प्रत्येक दाने का अस्तित्व अनुभूत होता है। वही स्थिति व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों के बारे में भी होती है। वहाँ ऐकारण्य भी है पार्थक्य भी है। अतः व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समाज रूपी सामष्टिक व्यक्तित्व में विलीन नहीं करना चाहता। जीवन के किसी क्षेत्र को व्यक्ति अपने लिए अलग से रख लेना चाहता है। उसमें वह अन्य किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता। राज्य की आज्ञाओं को वह अपने क्षेत्र की सीमाओं में प्रवेश करने नहीं देगा। उसे अपने उस क्षेत्र में अन्य किसी का अधिनार प्रिय नहीं होगा। उस क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ नैतिक शक्तियाँ,

होती हैं; कुछ मूल्य होने हैं और वह उनके साथ सम्पत्ता प्राप्त करता है। वही उसका व्यक्तित्व एव वे व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे के मातृ साधारण्य प्राप्त कर लेते हैं। इस हालत में, यदि उस पर कुछ ऐसी बातें लाद दी जायें, जो उसे जँचती नहीं हैं, तो वह समझता है कि उसकी स्वतंत्रता का प्रहरण हो रहा है। उसे लगता है कि कोई उसमें गुनाहों जैसा काम ले रहा है। इसमें उसके जीवन में घस्तव्यस्तता आ जाती है। यह सोच कर कि वह कानून के हाथ का निशाना बनाया जा रहा है, भौतिकता हो जाता है। जब वह देगना है कि जो कुछ वह बनना चाहता है, बन नहीं पाता, तब उसे लगता है कि कानून एक रिस्म की जर्दस्ती है, तथा उसके द्वारा उसने व्यक्तित्व पर हमला किया जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी कलना का विद्वसिमट गया है। यदि प्राप चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन उसी दृष्टि में अधिक सार्थक एव परिपूर्ण हो तो राज्य के कानून प्रापको उसकी अधिकाधिक इच्छा के एव सहमति के अनुरूप बनाने पड़ेंगे तथा उनमें 'घादेस का स्वरूप म्युनातिम्यून रसना होगा। तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व नष्ट नहीं होगा एव उसकी रचनात्मक वृत्ति भी वृद्धिगत होगी। व्यक्तिमात्र को अपनी सदसद्विक बुद्धि को जँचने वाली बात को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भोत्रन में जो स्थान नमक का है, वही स्थान व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का होना चाहिए। उसकी सदसद्विक बुद्धि का मार्ग-दर्शन करने वाली सामाजिक परम्पराएँ एवं संस्थाएँ हो सकती हैं। तथापि यह बात जाहिर है कि वह मार्ग-प्रदर्शन उसे कभी-कभी अपूर्ण प्रतीत होता है। सामाजिक परम्परा, संस्था तथा देश के कानून अनुभव पर प्राधारित हों तो उनसे उसका मार्ग-दर्शन अधिक मूल्यवान एव महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं। तथापि यदि कभी उसे वह अपूर्ण प्रतीत हो तो उसे अपनी सदसद्विक बुद्धि को जँच बैठा व्यवहार करने की छूट रहनी चाहिए। तथापि यह छूट या स्वतंत्रता निःसीम नहीं होती। उस पर समाज के मौलिक हित की सीमाएँ रहती हैं। व्यक्ति को इन सीमामो का मौलिक स्वधिकार करना चाहिए। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तथा जन्मते ही उसे हमारो वर्षों के अनुभव एवं ज्ञान का उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। समाज के अनन्त उपकार व्यक्ति पर उसके जन्म से ही हो जाते हैं। अतः उसे समाज की मौलिक बातों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के सन्दर्भ ही में घूमता फिरता है। अराजकता को स्थान न देते हुए अपने ध्येय की प्रति एवं अपने मूल्यों का परिपोषण करने की वृत्ति व्यक्ति में सामान्यतया रहनी चाहिए। तथापि ऐसे अवसरों का प्राना असंभव नहीं, जब व्यक्ति के लिए समाज की परंपरा के अनुसार काम करना अथवा राज्य की आज्ञाओं का मानना—उसकी मौलिक श्रद्धा के अनुरूप न होने के कारण—सभव नहीं होता। और तब उसका कर्तव्य एव श्रेष्ठ धर्म हो जाता है, अपनी सदसद्विक बुद्धि को जो-जँचें उसके अनुसार व्यवहार करना। यह जानकर भी कि अन्याय हो रहा है, जो लोग चुप बँटे रहते हैं, उदासीन प्रेक्षक बने रहते हैं, वे भले ही अर्थिक व्यावहारिक समझे जायें पर उन्हें मन ही मन ऐसा लगता है कि उनमें वही कोई अपराध हो रहा है। जो लोग सुल्लमसुल्लना विरोध करते हैं, यह सही है कि उन्हें उस विरोध का

प्रायश्चित्त करना पड़ता है तथापि उन्हें एक प्रकार की आत्मिक मंतीप अवश्य प्राप्त होना है। जो लोग उदासीन रहते हैं, वे कुछ काल पश्चात् अन्वयाय के स्तुति के पाठक बनते हैं, यह भी संसार का अनुभव है; अतः स्वतंत्रता का अर्थ अपनी श्रद्धा के प्रति निष्ठावान् रहना तथा उसको रक्षा के लिए धैर्यपूर्वक-विरोध करना है। तथा इस प्रकार का धैर्य जिस समाज में नहीं है वहाँ सच्ची स्वतंत्रता नहीं रह सकती। तथा इस प्रकार का धैर्य जिस व्यक्ति में नहीं वह अपने तर्क ईमानदार भी नहीं रह सकता।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यवहार करने देना उसके व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित होने देना है। इससे वह सृजनशील बनता है तथा उसकी रचनात्मक बृत्ति का संपोषण होता है। तथापि यह परिस्थिति समाज एवं राज्य की स्थिरता के लिए सतरनाक है इस भावसे से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति-स्वतंत्रता के स्वरूप को इतना व्यापक बना देने से व्यक्ति को प्रचलित सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है, ऐसा मानना तन्त्रशुद्ध एवं अनिवाय हो जाएगा। विचारशील व्यक्ति के सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे व्यक्ति स्वातन्त्र्य चाहिए या व्यवस्था, सत्य का आग्रह चाहिए या सुविधा? तथा इस प्रश्न का उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं रह जाता। व्यवस्था का यदि यह अर्थ किया जाय कि जो कुछ हो रहा है, उसे चुपचाप सहते जाना तो यह स्थिति समाज की प्रगति की दृष्टि से इष्ट नहीं है। व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति की आशाओं पर तथा स्वतंत्रता पर पानी फेर देना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। राज्य का विरोध यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह एकदम गलत है ऐसा समझना भी ठीक नहीं। शान्ति एवं व्यवस्था के नाम पर विरोधकों को कुचल डालने से सरकार की शक्ति का प्रदर्शन तो होता है पर उनमें प्रचलप्रदी खोजने पर भी नहीं मिलेगी। मुहम्मदीगिरी (राजनीति-पाण्डित्य) खतन हुई कि गुट्टेगिरी (मुककाबाजी) शुरू हो जाती है। ऐसा ही अनुभव सब कही दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार हर तरह सारासार का विचार न करके क्रान्ति-क्रान्ति चिल्लाते रहना तथा सत्याग्रह एवं मोर्चों का आलाप अतापना तथा भूख हड़ताल करके न जैवने वाली बात को मंजूर कराना यही आज की राजनीति होगई है। सत्ताधारियों को सत्ता प्रदर्शन के लिए सत्ता नहीं प्रदान की जाती, बल्कि सत्ता को साधन बनाकर राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने की व्यवस्था करने के लिए दी जाती है और यदि उसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए न हो तो सत्ताधारियों के कृत्य अप्रयुक्त एवं लोक-कल्याण विरोधी होंगे। लोगों को जो वस्तु चाहिए, उससे उन्हें जबरदस्ती वंचित रखा जाता ही तो जनता को या तो उस सत्ता का विरोध करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए या फिर अपनी मौलिक स्वतंत्रता को तिलांजलि दे देनी चाहिये। आज हमें संसार की जो प्रगति दिखाई देती है, उसका श्रेय प्रत्येक युग में श्रेष्ठ धैर्यशाली व्यक्तियों ने अपने समय की सत्ता का जो विरोध किया तथा जो कार्य किया, उसको है। ये लोग तत्काल यशस्वी (सफल) हो जाते हो, सो बात नहीं है। अथवा (असफलता) का फल उन्हें फाँसी के तख्ते पर झूठ कर भोगना पड़ता है। जेल की चहारदीवारी के पीछे बंद रहकर सत्य का मूल्य चुकाना पड़ता है।







स्वाभाविक है। जो लोग शराब पीते थे, उन्हें स्वभावतः लगा कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा रहा है। शराब के दूकानदारों को अपना रोजगार खिन जाने के कारण सरकार पर चुरी तरह गुस्सा आया। शराबबन्दी के कारण शराब के अड्डे के आस पास का शोरगुल कम हो जाने तथा गुण्डागर्दी के रुक जाने से सामान्य नागरिकों को भला प्रतीत हुआ। कहने का मतलब यह कि हर किमी का अनुभव एक जैसा नहीं होता तथा वह 'पेटेट मेडीसिन' की भाँति मोल लिया हुआ नहीं होता। हर किमी का अनुभव उसकी अपनी भित्तिगत होती है। अतः राज्य के किसी आचरण से किसी को सुख होता है या दुःख, यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं तय करना होता है। जो अनुभव एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, वही सब का अनुभव है, ऐसा सिद्धान्त बना बैठना ठीक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव को आँखों के सामने रख कर काम करना जरूरी तथा स्वतन्त्रता की दृष्टि से प्रगतिशील राज्य का लक्षण समझना चाहिए। अतः हर किसी को सुने तौर पर अपने अनुभव को कह सुनाने की पूरी छूट होनी चाहिए। भाषण स्वतन्त्रता, मुद्रण स्वतन्त्रता तथा संगठन स्वतन्त्रता आदि बातें तथा अधिकार मानसिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से बहुत जरूरी साबित होती हैं। कहना होगा कि इस प्रकार मानसिक स्वतन्त्रता का स्वरूप तीन प्रकार का है। मानसिक स्वतन्त्रता की पूर्णता के लिए, मन में जो कुछ है उसे कहने का अधिकार; जो हम चाहते हैं उसे छापने का अधिकार तथा जो कुछ हमारे मन में है, उसके संबंध में धोरो से मिलकर विचार विमर्श करने तथा उसे भगली जामा पहनाने का अधिकार अत्यन्त आवश्यक है। कहना होगा, इन अधिकारों के अभाव में स्वतन्त्रता अधूरी है। उसका अस्तित्व शून्यप्राय है। यदि मनुष्य को अपने मन की बातें प्रकट करने का अधिकार न रहे, तो जीम रहते हुए भी वह मूँगा है। हाथ पैर कें रहते हुए भी वह निरक्षर है। समाजव्यवस्था तथा राज्य के कामकाज की निगाह में वह उपेक्षित है। जिस प्रकार धोरों के बाजार में बेचे तथा मोल लिए जाने वाले धोरो की जो अवस्था होती है, वह उसकी भी हो जाती है। यदि तीनों प्रकार की मानसिक स्वतन्त्रता न रहे; संगठन की स्वतन्त्रता न रहे तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसे समाज की ओर से सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। व्यक्ति के नैतिक जीवन तथा मानसिक विकास के लिए मानसिक स्वतन्त्रता का होना बहुत जरूरी है। भले ही जो बात उसके मन में है, वह गलत हो, पर उसे कहने, लोगों को बनाने तथा संगठन बनाकर उसे भगली जामा पहनाने का अधिकार उसको अवश्य मिलना चाहिए। उमना यह आचरण अनुचित हो, प्रचलित सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध हो, तो उस पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार समाज एवं राज्य को है, यह कह कर व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण कर लेना ठीक नहीं। उनके अधिकारों को खींकार करना ही चाहिए। अधिकारों के उपयोग की सीमा समाज को राज्य के माध्यम से निर्दिष्ट करनी चाहिए। उनके मूल अधिकारों में उसे बचिन करने का धर्म हुआ वह स्वतन्त्र न होकर गुनाम है। भाषण की स्वतन्त्रता के अपहरण का धर्म यह हुआ कि समाज में जो कुछ धम रहा है, उस की आलोचना न होने देना। जो ऊट-पटांग बातें, स्वाधियों का पेट भरने वाली तथा अन्धधृष्टा की बातें समाज में धम रही हैं, उन्हें बदमूर कापम रचना। जहाँ भाषण

की स्वतन्त्रता नहीं वहाँ सत्ताधारी लोग अपने दृष्टिकोण को ही समूचे समाज का दृष्टिकोण समझने लगते हैं, अपने हितों को ही वे सामाजिक हित समझते हैं तथा अपनी राय को ही वे समूची जनता की राय समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं ही समाज हैं तथा उनका मत ही जनमत है। क्योंकि जनता पर भाषण की बन्दी है, अतः विरोध सुनाई नहीं देता, और चूंकि विरोध नहीं सुनाई देता अतः उन की धारणा हो जाती है कि उनका समूचा क्रिया-कलाप जनता को पूरी तरह मंजूर है। क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं अतः उनका 'मौन सम्मतिप्रमाण' मान लिया जाता है। फल यह होता है कि वह कानून, जिसे जनमत का प्रतिबिम्ब होना चाहिए; जिस में समूची जनता की आवश्यकताओं का विचार किया जाना चाहिए; मुट्टी भर सत्ताधारियों की इच्छा बनकर रह जाता है। उन्हीं की इच्छाओं का निर्देशक बन जाता है। संसार की क्रान्तियों का इतिहास माफी है कि तानाशाही एवं घडपशाही की मात्रा हमी वातावरण में दृष्टा करती है।

विचार की स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता तथा संगठन की स्वतन्त्रता यों देखने को जुदा-जुदा नजर आती है, पर हैं वे एक ही। मान लीजिए मुझे बोलने की पूरी स्वतन्त्रता है, पर मैं किसी से बात नहीं कर सकता—इसके मानो हुए कि मुझे वस्तुतः बोलने की स्वतन्त्रता ही नहीं है। अतः यदि भाषण की स्वतन्त्रता को खरा साक्षित होना है, तो उसके लिए संगठन की प्रथात् एकत्रित होकर विचार-विनिमय करने की स्वतन्त्रता होनी ही चाहिए। एक जगह जमा हो जाइए, परन्तु बोलिएगा नहीं, इसके मानो हुए कि आपके संगठन की कोई स्वतन्त्रता नहीं है। जो लोग एक जगह जमा होते हैं वे किसी उद्देश्य से बैसा करते हैं। उस उद्देश्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय या चर्चा करना है तो एक जगह आने वालों को बोलने की तथा बहस करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अन्यथा लोगों का एकत्र होना किसी भी किस्म के विचार-विनिमय के अभाव में डोरो का बाजार लगने जैसा हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग एक जगह आकर जमा हो गए, पर आप लोग एकत्रित नहीं हुए। इससे आपके शरीर तो इकट्ठे हुए; पर मनो को इकट्ठा होने का मौका नहीं मिला। अतः भाषण की स्वतन्त्रता तथा संगठन की स्वतन्त्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में से किसी एक से इन्कार करना दोनों से ही इन्कार करना हो जाता है। प्रथात् अर्थात् की स्वतन्त्रता से ही इन्कार करना हो जाता है। और जब राज्य सत्ता इन स्वतन्त्रताओं से इन्कार करती है तो उसका अर्थ यह होता है कि राज्य-सत्ता को किन्हीं खास हित-सम्बन्धों की रक्षा करना है। उन्हें संरक्षण देना है। भाषण की स्वतन्त्रता अथवा संगठन की स्वतन्त्रता अथवा अन्य मौलिक स्वतन्त्रता कोई निरपेक्ष अथवा असीम वस्तु नहीं है। इन स्वतन्त्रताओं की कौन-कौनसी सीमाएँ हैं, कौनसी होनी चाहिएँ, उनकी मात्रा क्या हो, तथा कब ये सीमाएँ उनकी हों, आदि बातों पर हम यथावकाश विचार करेंगे। पर इन सब सीमाओं का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि समाज की दृष्टि से ये सारी स्वतन्त्रताएँ हर व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिएँ। ये सीमाएँ प्रचलित सत्ता की दृष्टि से समाज-विरोधक प्रतीत हो या उनकी दृष्टि में समाज की स्थिरता एवं शांति के लिए आव-

स्यक प्रतीत हों तो उठने भर से उनका मोक्षित मित्र नहीं हो जाता। विचार करने की तथा भाषण की स्वतंत्रता समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को अन्य विधियों द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि राज्य समझता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रजा का सुख है—जैसा कि प्रत्येक सामुनिक राज्य ने इसे मंजूर किया है—तो उसे ठीक से समझ लेना चाहिए कि प्रजा का सुख किस माँगों में है। और यदि वह इन बातों को समझना चाहता है तो उसे प्रजा को धरना धन्य-करण तोत कर प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए। प्रजा को—सोचों की क्या चाहिए, इसे समझने के लिए उनके मन की बात को अधिक से अधिक मात्रा में जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। विशेषकर प्रमुख विषयों के मामले में, दिन-दिन सोचों का साक्षात् स्थिति-सम्बन्ध बोझो-बहुत मात्रा में भाता हो, उन-उन की मन की बातों की अधिक विस्तार से गुना जाना चाहिए। अगर धारकों मजदूरों के संबंध में बानून बनाना है, तो व्यक्तिगत: हमका सम्बन्धों के माध्यम से मानिषों एवं मजदूरों को धपनी बातों को बढने की पूरी छूट होनी चाहिए। धार चाहते हैं कि भाठ पट्टों का एक दिन हो, या बानून बनाया जाए, तो उनसे लिए धारकों मजदूरों का दृष्टिकोण समझ लेना चाहिए। परन्तु यदि धार इन मामलों में बेवत उद्योगधियों एवं उनके संबंधों की ही बात गुनवर काम चालाने की कोशिश करें तो समाज के बेवत एक बाजू की बात गुनवर बानून बनाने की बात हो जाएगी। इनसे बानून एवांगी हो जाएगा। धतः मजदूरों की भी राय जरूर लेनी चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की भी धाँसो के सामने जरूर रखना चाहिए। दस पट्टे काम करके मजदूर एक जाता है, और उसका जीवन रहनी हो जाता है, नि मार हो जाता है। ब्योति काम से वापस जाने तक उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। मनुष्य के लिए धन, धन्य धादि बातें जितनी जरूरी होती हैं, उतनी ही जरूरी होती है—विध्वंसि एवं मनो-रंजन। मजदूर बोर्ड मनीन नहीं है, यह मनुष्य है। जिन परिस्थिति में वह काम करता है, उसका उमके जीवन पर क्या असर होता है, यह वही यथा सक्ता है। धत, उसकी राय ली जानी चाहिए। यह ठीक है कि कारखाने का उद्देश्य उत्पादन है। पर वह उत्पादन असांख्यिक रूप से नहीं होना चाहिए तथा उमके से सामाजिक असांख्यिक उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तारयं यह है कि बानून बनाते समय या किसी और काम के करते समय राज्य-सत्ता को उन सब की राय जान लेनी चाहिए, जिनके जीवन पर उनका सीधा असर होता हो तथा सदा इस विचारधारा को धरने सामने रखना चाहिए कि उसके धृत्यों से अधिक-से-अधिक सुख तथा कम-से-कम दुःख की उत्पत्ति हो। तलाक का बानून बनाने समय स्थियों की भावनाओं का भी विचार किया जाना चाहिए तथा पुरुषों की भावनाओं का भी विचार किया जाना चाहिए। और इसके लिए दोनों को तुलकर अपने विचारों को प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए। इसलिए विचार की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। भाषण की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसी प्रकार इकट्ठा होकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ऐसा होने से राज्य-सत्ता को अधिक-से-अधिक मात्रा में सोचों के मन की बातों को जानने का अवसर मिलता है। सामान्यतया इन स्वतंत्र-

तार्किकों के दिए जाने के मामले में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब इन स्वतन्त्रताओं का भाष्य किया जाता है, उस वक्त लोगों के मन में शंका घर करने लगती है। यहूत से तो कभी-कभी इनका विरोध भी कर बैठते हैं। सामान्यतया होता यह है कि जो बातें प्रचलित हैं, उनकी स्तुति की जाती है तथा जब तक विद्यमान हित-सम्बन्धों पर हमला नहीं होता, तब तक भाषण तथा सङ्गठन की स्वतन्त्रताओं को पुष्कारा जाता है। पर जब राज्य-शक्ति की निन्दा की जाती है, उस पर ग्रन्थायी होने तथा पक्षपाती होने का दोषारोपण किया जाता है, तब इन मालोचकों को उपद्रवी करार दिया जाता है तथा कहा जाता है कि समाज के शांत वातावरण को उनमें खतरा है। और समाज के इस शांत वातावरण का भयं वह विचारधारा है, जो इस बात में विश्वास करती है कि समाज में जो कुछ इस समय प्रचलित है, वही सही है। जो प्रचलित है, उसके पीछे समाजपुरष का सहस्रों वर्षों का अनुभव खड़ा है, ऐसा मानकर भी नवीन विचारों तथा नवीन अनुभवों को अपने से दूर रखने की इच्छा होने लग जाती है। जब लोग कहते हैं कि आज समाज में जो विपमता या ऊँच-नीच दिखाई देती है, वह केवल जन्म के आधार पर निर्दिष्ट की जाती है और इसी कारण वह ग्रन्थाय है, तो तत्काल कुछ लोग धागे बढ़कर सरकार को सुझाव देने लगते हैं कि इससे समाज की भाँति चौपट हो जाएगी अतः सरकार को चाहिए कि वह इस विचारधारा को कुचल डाले। अगर आप चाहते हैं कि समाज धागे बढ़े, तो आपकी व्यक्तियों को नया विचार करने, नये अनुभवों को हासिल करने तथा अपने विचारों को स्पष्टरूप से प्रकट करने का अवसर देना ही होगा। लोग यदि कहना चाहते हैं कि समाज में दिखाई देने वाली आर्थिक विपमता मानवनिर्मित है तथा जिस कानून ने उसे प्रस्थापित किया है या उसे प्रतिष्ठा दी है, उस कानून को बदल डालना चाहिए, तो उन्हें ऐसा कहने की पूरी-पूरी छूट दी जानी चाहिए। सम्पत्ति समूचे समाज की सहायता से निर्मित होती है, अतः समाज को उस सम्पत्ति के निर्माण में भागीदार समझा जाना चाहिए। जो विपमता निमग्ननिर्मित नहीं है, मानव के संवल्प एवं कृत्यों से निर्मित हुई है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कहने की छूट यदि आप लोगों को नहीं देंगे, तो वह विपमता मरने के लिए बनी रहेगी तथा लोगों के मन में जो शक्य चुना हुआ है, वह अधिक असह्य होता चला जाएगा। उस अवस्था में, राज्य का जो ध्येय है—समाज को सुखी बनाना—वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई कहे कि आर्थिक समता के बिना समाज में अधिक-अधिक सुख की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, तो उसके ऐसा कहने में रती भर भी राज्यद्रोह या समाजविरोध नहीं है। भाषण की स्वतन्त्रता के ये मानी नहीं कि जो कुछ प्रचलित है, उसकी तारों की जाय तथा सत्ताधारियों की स्तुति में स्तोत्र पाठ किया जाए। भाषण की स्वतन्त्रता में—दोषों को और मनेत्र करना, ग्रन्थाय का विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, नवीन विचारों को पेश करना, नवीन समाज की रचना की रूपरेखा बतलाना आदि सभी बातों का समावेश होता है। बुद्धिमत्ता अथवा दूरदर्शिता किसी एक व्यक्ति अथवा जाति या जमात की बनी नहीं है। कोई भी सर्वज्ञता का दम नहीं भर सकता। और यदि कोई ऐसा दम

भरे तथा दूसरा व्यक्ति उगर्त निरुद्ध बोले, तो उसे विरोधी की बात की गुनना चाहिए। मारा राज्य वेरो एवं उपनिगरो में भरा पड़ा है, ऐसा साफ प्रजापत्र के मुग मे अनुभवना गाबित होना है। 'जो भारत में नहीं पढ नहीं भी नहीं' ऐसा करने का मतलब यह हुआ कि महाभारतकार के गन्ध्या निगी घोर में निवार करने की पात्रता ही नहीं है। प्रदेशक मुग के राज्य परिस्थिति के गाप-ताप बदलने रहने हैं। मान एक घटाए प्रथाह वाली गंगा है। गमात्र भी सब नहीं तथा सब वाली में एक जंता नहीं रहा। घगः निगी घात की बडे साफ के गाप प्रतिपादन करने का प्रयत्न उचित नहीं करा जा सकता। विचारों की स्वागता रहे, तो हर बाग की ठीक से परत की जा सकती है। अनुभवों के पाशों पर हर बाग की तोना जाता है। घालोचना हरी घननी में से हर बाग की घाना जाता है तथा इन प्रकार उन-उन युगों के साथ घाहार पाते हैं तथा बिपर होते जाते हैं। प्रजापत्र के युग में घाप्रदुगन प्रतिपादन (कठमुन्नाल) एक प्रकार से घनिघ की कर्तव्य-निधि पर गन्हे प्रकट करना हुआ। घतः ऐसे विचारों की भी गुनना चाहिए जो घाने की पसन्द न हों या ठीक न जंचने हों। जिन गत्यो एव घादनों की गमात्र ने घास्वत एवं सनातन मान लिया है, उनके विरुद्ध भी घायोचना का घथिघार घनिघमान की दिया जाना चाहिए। जब इन प्रकार की घालोचना हों, तथा प्रचलित बातों के विरुद्ध घावाज उठाई जाय, तो हगी से हम लोगो की यह समझ लेना चाहिए कि घाज हम जिसे सनातन एवं निबानावाधित गत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें भी नहीं की घपूर्यता है, घपूरापन है, ऐसी प्रतीति समाज में घर करते सग गई है। जो विचार समाज की घप्रिय तथा राज्य सत्ता की भयानक प्रतीत होते हैं, यदि उन्हें प्रकट होने का घवसर न दिया गया या उन्हें कुचलने की कोसिग की गई तो निरुचय ही इससे उन बातों की टाला नहीं जा सकेगा जो घटल हैं। समाज घुपा-रक घागरकर का तीव्र विरोध हुआ। जीवित दना में ही उनकी घवघाना निबाली गई। इन सबमें उनके विचार मरे नहीं वरन् हजारों मुगों से बाहर निकलने सगे। जो लोग 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति' इन विचार में बिस्वास रखते थे उन्होंने बसकर विरोध किया। पर स्त्री स्वातन्त्र्य को कोई रोक नहीं सता। उलटे घव समाज की प्रगति 'घन नार्यस्तु पून्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' इस मजिल पर जा पहुँची है। ७५ वर्षों तक 'घधिक-मे-घधिक घडपशाही से काम लेकर घंप्रेखी ने भारत की स्वतंत्रता की टालने की भरसक कोसिग की, पर उसे टाल न सके। घडपशाही से विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा देने पर भी घ्रान्तिकारको तथा समाजघुधारको की उत्पत्ति की रोक नहीं जा सघ। जिन लोगो ने समाज की गन्धगी, दोष तथा राजकीय काम-काज में फँसे भ्रष्टाचार एवं राजनीति में घाई हुई शीलघ्रष्टता को उघाड फेंकने का बीडा उठाया है, उन्हें राज्य सत्ता घपनी पूरी ताकत लगा कर भी उनके हई निरुचय से डिगा नहीं सकती। घधिक घत्याचारों से तो उनकी ताकत घौर बडती है। लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दबाव डालकर किसी की राय को बदला नहीं जा सकता। शारीरिक बल-प्रयोग से किसी के मन को नहीं जीता जा सकता। यदि किसी विचारधारा घयवा घान्दोलन को कुचलने की चेष्टा की जाय, तो उससे उक्त विचार-

धारा एवं आन्दोलन के प्रति लोगों में कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जो लोग उदासीन थे, वे उसमें दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। समाज में उन सब नई बातों के बारे में कुतूहल पैदा होता है, जो अब तक समाज की अनुभूति का विषय नहीं बनी थी। मुँह पर हाथ रख देने से मत को दबाया नहीं जा सकता। समाज पर प्रतिबन्ध लगाने का फल यह होता है कि जिन बातों पर चौराहों में विचार-विनिमय होता, उन पर तहम्बानों में विचार-विनिमय होने लग जाता है। समाज पर लगाया प्रतिबन्ध पड़पन्न को जन्म देता है। राज्य सत्ता या समाज यदि किन्हीं बातों पर प्रतिबन्ध लगा दे, उनकी उपेक्षा करे या उन्हें सुनने से इन्कार कर दे तो उनका परिणाम अधिक भीषण होता है। ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो अधिक भीषण आघात उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का भीषण विस्फोट होता है कि बहुरो को भी मुनाई दे जाय। कोई स्नेहलता आत्महत्या करके दहेज के सवाल को अधिक तीव्रता से जनमत के सामने प्रस्तुत कर देती है। कोई खुदीराम पिस्तौल की ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है कि भारतीयों के मन में दबी पड़ी भावनाओं की प्रतिध्वनि सारे विश्व में गूँज उठे। मत प्रदर्शन बंद कर देने से वे बातें समाज की आँखों के सामने आ जाती हैं, जो अब तक किसी उपेक्षित कोने में पड़ी हुई थी तथा अब तक कभी न मुनाई देने वाली आवाज कान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। जो विचारधारा अथवा भावना समाज के जन सामान्य के मन में नहीं आई थी, वह उसके मन में धाने लगती है। यही नहीं, वह मन को अभिभूत भी कर डालती है। सन् १९२६ से पहले भारत में साम्यवाद के सम्बन्ध में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। परन्तु मेरठ काण्ड के कारण साम्यवादी तत्त्वज्ञान चर्चा का विषय बन गया। जिस विषय का अध्ययन घर के पिछवाड़े के छोटे से कमरे में किया जाता था, वही अब गलियों और चौराहों में, होटलों तथा हेयर कटिंग सँल्लनों में चर्चा का विषय बन गया। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी विचारधारा को कुचला नहीं जा सकता। अनेक बार सत्य को पँरों के तले रौंदने की कोशिश की गई, उसका अपमान किया गया; पर उसे रौंदा नहीं जा सका। वह एक अमर वस्तु है। उसे जितना तोड़ा जाय या खोश जाय, वह हरियाली की भाँति घोर बढ़ जाता है। ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके शरीर का अन्त कर दिया गया, पर उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य सारी दुनिया में फैल गया, अमर हो गया—क्रूस की मदद से। तात्पर्य यह है कि सत्य क्या है, यह शासन सत्ता नहीं निर्दिष्ट कर सकती। यदि शासन सत्ता अभिमान अथवा आवेश के बश हो निन्ही विरोधी विचारों को कुचलने की कोशिश करे, तो आज नहीं तो कल उसकी वह कोशिश निष्फल हो जाएगी। तथा सत्ताधारियों का तथाकथित सत्य उनके प्रतिस्त्व के साथ ही एक इतिहास की वस्तु बन जाएगा। परास्त हो जाएगा। ज्ञात इतिहास में ऐसा तरीका किसी के हाथ नहीं लगा, जिससे विचारधारा एवं भावनाओं को इस तरह कुचला जा सके कि वे फिर बनना सिर न उठा सकें। ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया; मुकर्रात को जहर दिया गया; अनेकों को देशनिकाला दे दिया गया; पर इतिहास बताता है कि अन्ततः गत्वा सत्य की जीत होकर रही।

भरे तथा दूसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध बोले, तो उसे विरोधी की बात को सुनना चाहिए। सारा सत्य वेदो एवं उपनिषदों में भरा पड़ा है, ऐसा आग्रह प्रजातंत्र के युग में अनुपयुक्त साबित होता है। 'जो भारत में नहीं बड़ कही भी नहीं' ऐसा कहने का मतलब यह हुआ कि महाभारतकार के पदचात् विभी श्रौर में विचार करने की पात्रता ही नहीं है। प्रत्येक युग के सत्य परिस्थिति के साथ-साथ बदलते रहते हैं। ज्ञान एक अखण्ड प्रवाह वाली गंगा है। समाज भी सब कही तथा सब कालों में एक जैसा नहीं रहा। अतः किसी बात को बड़े आग्रह के साथ प्रतिपादन करने का प्रयत्न उचित नहीं कहा जा सकता। विचारों की स्वतंत्रता रहे, तो हर बात की ठीक से परख की जा सकती है। अनुभवों के फलनों पर हर बात को तोला जाता है। आलोचना रूपी छलनी में से हर बात को छाना जाता है तथा इस प्रकार उन-उन युगों के सत्य आगार पाते हैं तथा स्थिर होते जाते हैं। प्रजातंत्र के युग में आग्रहयुक्त प्रतिपादन (कठमुल्लापन) एक प्रकार से व्यक्ति की कर्तृत्व-शक्ति पर सन्देह प्रकट करना हुआ। अतः ऐसे विचारों को भी सुनना चाहिए जो अपने को पसन्द न हो या ठीक न जँचते हों। जिन सत्यों एवं आदर्शों को समाज ने शाश्वत एवं सनातन मान लिया है, उनके विरुद्ध भी आलोचना का अधिकार व्यक्तिमात्र को दिया जाना चाहिए। जब इस प्रकार की आलोचना हो, तथा प्रचलित बातों के विरुद्ध आवाज उठाई जाय, तो इसी से हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि आज हम जिसे सनातन एवं त्रिकालाबाधित सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें भी कहीं कोई अपूर्णता है, अधूरापन है, ऐसी प्रतीति समाज में घर करने लग गई है।

जो विचार समाज को अप्रिय तथा राज्य सत्ता को भयानक प्रतीत होते हैं, यदि उन्हें प्रकट होने का अवसर न दिया गया था उन्हें कुचलने की कोशिश की गई तो निश्चय ही इससे उन बातों को टाला नहीं जा सकेगा जो घटल है। समाज मुधारक आगरकर का तीव्र विरोध हुआ। जीवित दशा में ही उनकी शवयात्रा निकाली गई। इन सबसे उनके विचार मरे नहीं बरन् हजारों मुखों से बाहर निकलने लगे। जो लोग 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति' इस विचार में विश्वास रखते थे उन्होंने क्रमशः विरोध किया। पर स्त्री स्वातन्त्र्य को कोई रोक नहीं सका। उलटे अब समाज की प्रगति 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।' इस मन्त्र पर जा पहुँची है। ७५ वर्षों तक अधिक-से-अधिक घड़पशाही से काम लेकर अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता को टालने की भरसक कोशिश की, पर उसे टाल न सके। घड़पशाही से विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा देने पर भी क्लान्तिकारकों तथा समाजमुधारकों की उत्पत्ति को रोक नहीं जा सका। जिन लोगों ने समाज की गन्दगी, दोष तथा राजकीय काम-काज में फँसे भ्रष्टाचार एवं राजनीति में आई हुई शीलघ्रष्टता को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया है, उन्हें राज्य सत्ता अपनी पूरी ताकत लगा कर भी उनके दृढ़ निश्चय से डिगा नहीं सकती। अधिक प्रत्याचारों से तो उनकी ताकत और बढ़ती है। सोचप्रियता में वृद्धि होती है। दबाव डालकर किसी की राय को बदला नहीं जा सकता। शारीरिक बल-प्रयोग से किसी के मन को नहीं जीता जा सकता। यदि किसी विचारधारा अपना सनातन को कुचलने की चेष्टा की जाय, तो उभरे उक्त विचार-

धारा एवं आन्दोलन के प्रति लोगों में कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जो लोग उदासीन थे, वे उत्तम दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। समाज में उन सब नई बातों के बारे में कुतूहल पैदा होता है, जो अब तक समाज की अनुभूति का विषय नहीं बनी थी। मुँह पर हाथ रख देने से मन को दबाया नहीं जा सकता। समाज पर प्रतिबन्ध लगाने का फल यह होता है कि जिन बातों पर चौराहों में विचार-विनिमय होना, उन पर तद्द्वारा मे विचार-विनिमय होने लग जाता है। समाज पर लगाया प्रतिबन्ध पड़पन्न को जन्म देता है। राज्य सत्ता या समाज यदि किन्हीं बातों पर प्रतिबन्ध लगा दे, उनकी उपेक्षा करे या उन्हें सुनने से इन्कार कर दे तो उनका परिणाम अधिक भीषण होता है। ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो अधिक भीषण आघात उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का भीषण विस्फोट होता है कि घहरों को भी सुनाई दे जाय। कोई स्नेहलता घातमर्त्या करके दहेज के सवाल को अधिक तीव्रता से जनमत के सामने प्रस्तुत कर देती है। कोई खुदीराम पिस्तौल की ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता है कि भारतीयों के मन में दबी पड़ी भावनाओं की प्रतिध्वनि सारे विश्व में गूँज उठे। यत प्रदर्शन बंद कर देने से वे बातें समाज की आँसों के सामने आ जाती हैं, जो अब तक किसी उपेक्षित कोने में पड़ी हुई थी तथा अब तक कभी न सुनाई देने वाली आवाज कान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। जो विचारधारा अथवा भावना समाज के जन सामान्य के मन में नहीं धाई थी, वह उसके मन में घाने लगती है। यही नहीं, वह मन को अभिभूत भी कर डालती है। सन् १९२६ से पहले भारत में साम्यवाद के सम्बन्ध में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। परन्तु मेरठ काण्ड के कारण साम्यवादी तत्त्वज्ञान चर्चा का विषय बन गया। जिस विषय का अध्ययन पर के पिछवाड़े के छोटे से कमरे में किया जाता था, वही अब गलियों और चौराहों में, होटलों तथा हेपर कटिंग सैलून में चर्चा का विषय बन गया। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी विचारधारा को कुचला नहीं जा सकता। अनेक बार सत्य को पँरो के तले रौंदने की कोशिश की गई, उसका अयमान किया गया; पर उसे रौंदा नहीं जा सका। वह एक अमर वस्तु है। उसे जितना लोड़ा जाय या खोसा जाय, वह हरियाली की भाँति और बढ़ जाता है। ईसा को क्रूम पर चढ़ाया गया, उसके शरीर का अन्त कर दिया गया, पर उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य सारी दुनिया में फैल गण, अमर हो गया—क्रूम की मदद से। तात्पर्य यह है कि सत्य क्या है, यह दामन सत्ता नहीं निश्चित कर सकती। यदि शासन सत्ता अभिमान अथवा आदेश के वश ही किन्हीं विरोधी विचारों को कुचलने की कोशिश करे, तो आज नहीं तो कल उसकी वह कोशिश निष्फल हो जाएगी। तथा मताधारियों का तथाकथित सत्य उनके प्रतिस्व के साथ ही एक इतिहास की वस्तु बन जाएगा। परास्त हो जाएगा। ज्ञान इतिहास में ऐसा तरीका किसी के हाथ नहीं तथा, जिसने विचारधारा एवं भावनाओं को इस तरह कुचला जा सके कि वे फिर अमरता सिर न उठा सकें। ईसा को क्रूम पर चढ़ाया गया; मुकदान को जहर दिया गया; अनेकों को देवनिवाला दे दिया गया; पर इतिहास बताता है कि अन्तर्गत मत्वा सत्य की जीत होकर रही।



कहने का अभिप्राय यह है कि विचारों की तथा भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाने या कुचल डालने का फल यह होता है कि सत्ताधारियों को अपनी सत्ता से ही हाथ धोना पड़ जाता है। इसी प्रकार प्रचलित विचारधारा भी समाज के स्वरूप की नहीं हो सकती। जो बातें समाज को भाज अप्रिय प्रथम समाजविरोधी प्रतीत होती हैं, वही कल सोचप्रिय बन जाती हैं तथा एक श्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु मानी जाती हैं। नया विचार पहले-पहल किसी एक व्यक्ति के मन में पैदा होता है। गोमुखा से निकलने वाली गोदावरी की नन्हीं-सी धारा बढ़ने-बढ़ते एक विस्तीर्ण जलधारा का रूप धारण करती है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुआ विचार धनेकों के साथ होने वाली चर्चा के माध्यम से धनेक व्यक्तियों में फैलते-फैलते यह एक व्यक्ति का विचार नहीं रह जाता तथा वह समाज की वस्तु बन जाता है। केवल नवीन विचार होने के नाते उस पर प्रतिबन्ध लगाना सामाजिक हित की दृष्टि से उचित नहीं है। नया विचार गलत हो सकता है। समाजविघातक हो सकता है। पर केवल इस हेतु से उसे कुचल डालना कि वह नया विचार है, ठीक नहीं। 'पुराणमिरयेव न साधु सर्वम्' अर्थात् जिस प्रकार यह कहना सही नहीं कि जो कुछ पुराना है, वह सब अच्छा है, उसी प्रकार यह भी सही नहीं कि जो कुछ नया है, वह सब बुरा है। अतः समाज को सारासार का विचार करके स्वयं निर्धारित करना चाहिये कि प्राण्य क्या है तथा अप्राण्य क्या है। इसके लिये विचार-विनिमय की आवश्यकता है। विचार-विनिमय के लिये भाषण की स्वतन्त्रता अपेक्षित है। आज समाज में जो विचार प्रचलित हैं, उनका निरीक्षण करने से प्रतीत होगा कि आज से ५० वर्ष पूर्व जब इन विचारों को समाज के सम्मुख पेश किया गया था, तब उन्हीं को समाज ने समाजविरोधी ठहराया था। 'न वदेद् यावन्ती भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि' अर्थात् मौत भली है पर यवनों की भाषा नहीं। पिछली सदी का यह विचार अब लुप्त हो चुका है। आज से १०० या ५० वर्ष पूर्व जो विचारधारा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मानित थी, वह अब केवल इतिहास समालोचकों का एक आलोच्य विषय बन चुकी है तथा अतीत के वस्तु सग्रहालयों में रखने योग्य वस्तु बन गई है। कहने का तात्पर्य यह कि समाज का जीवन कोई अपरिवर्तनशील एव नित्य वस्तु नहीं है। वह हर घड़ी तथा हर युग में बदलता रहा है। इसी प्रकार समाज की नीतिविषयक धारणा एव दर्शन शास्त्र भी बदलता रहता है। जो वस्तु आज बुद्धि को ठीक नहीं जँचती वह कल ठीक जँचने लगती है। जो वस्तु आज असत्य प्रतीत होती है, वही कल एक प्रतिष्ठित सत्य हो जाती है। सत्य विशेषतः सामाजिक एवं राजनैतिक सत्य—एक सापेक्ष वस्तु है। और इसी कारण सत्य क्या है तथा असत्य क्या है, इस बात का विचार सदैव सामाजिक सन्दर्भ में किया जाना चाहिये। शासन सत्ता के कहने या घोषित करने से कोई वस्तु सत्य या असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। सत्य तथा असत्य का निर्णय चर्चा तथा अनुभव की सहायता से किया जाता है। जो बात बुद्धि को ठीक नहीं जँचती, उस पर विस्तारपूर्वक विचार होता है तथा उसकी सत्यता एव प्रतिष्ठा को प्रतिपादित करने का प्रयत्न उसके समर्थकों को दिया जाता है। सम्पत्ति, धर्म, उत्तराधिकार तथा विवाह आदि से सम्बन्धित कल्पनाएँ ऐसी नहीं हैं जो कभी बदलती ही न हो। 'श्रुतिः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः'

अर्थात् किसी वस्तु की योग्यता की ये चार बसोटीयाँ शास्त्रों ने मानी हैं। किसी भी अवस्था में—यहाँ तक कि सर्वसम्मति से भी क्यों न ठहराई गई हो—समाजविरोधी मानी जाने वाली बातों की चर्चा पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। जो प्रसृत्य होगा, समाज को न जँवने वाला होगा, उसका स्वरूप भी समाज के सम्मुख तभी स्पष्ट होगा, जब उस पर प्रच्यो तरह चर्चा को आयेगी। जो स्वभावतः असत्य होगा, उसका स्वरूप खुली चर्चा के घातावरण में कभी छिप्त नहीं रहेगा। कभी यह भी हो सकता है कि पूर्ण चर्चा के पश्चात् जिस प्रसृत्य को समाज प्रगत्य ठहरा देता है, उसी को जब कुछ स्वार्थी लोग हठपूर्वक सत्य सिद्ध करने की कोशिश करने लगेंगे तथा उससे समाज का ग्रहित होने लगेंगे, तो उस समय समाज के हित की धारों के सामने रखते हुए, उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर देना योग्य एवं प्रभोष्ट सिद्ध हो जाय।

अब यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है। खुले विचार-विनिमय के पश्चात् जो वस्तु समाज के लिये भ्रातृनीय एवं ग्रहितकर सिद्ध हो जाती है, उस पर प्रतिबंध कौन लगाये तथा किस प्रकार लगाये? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध—चाहे वह प्रांतिक ही क्यों न हो—नगने तथा उसे सीमित करने के इस प्रयत्न की प्रपवादात्मक ही समझना चाहिये। तथा इस मामले में यही छानबीन के बाद कोई कदम उठाया जाना चाहिये। प्रतिबन्ध लगाने के लिये कुछ कसोटियाँ अवश्य होनी चाहियें। केवल इत्ता कह देने में काम नहीं चलेगा कि वह प्रतिबन्ध समाज के हित में लगाया जा रहा है अथवा जो लोग रक्षा करने के लिये कह रहे हैं, वे समाज के हितैषी हैं तथा निःस्वार्थ वृत्ति के हैं। मान लीजिये कृष्णराव नाम के कोई सज्जन बड़े ही धर्माभिमानी हैं, बड़े ही समाजहितैषी हैं। वे यदि किसी लेख को अश्लील कहें तो क्या इसी आधार पर कि यह बात कृष्णराव जो कहते हैं, समाज या सरकार भी उसे अश्लील मान ले तथा उसके विरुद्ध कोई प्रतिबंधक कदम उठाने ? शिष्ट अथवा भ्रष्टाष्ट, श्लील अथवा अश्लील, सदभिरुचि-पूर्ण अथवा कुशचिपूर्ण क्या है, इस बात का निर्णय कोई प्रासन काम नहीं है। इस निर्णय की क्रिया मन वा भाग है, वस्तुस्थिति नहीं। एक उदाहरण लीजिये। मैं इस जगह कुर्सी पर बैठा हूँ। यह बात मत का विषय नहीं, वस्तुस्थिति है। पर मेरे सामने लेखक बैठा हुआ है, वह लिखने का काम मन लगाकर कर रहा है या नहीं, यह मत का प्रश्न है। सदाचार कहीं खरम होता है तथा स्वैराचार कहीं से शुरू होता है, यह सीमा अस्पष्ट होनी है और चूँकि यह मानसिक मृष्टि में होनी है अतः जिस प्रकार हम जमीन पर रेखा खींच सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ नहीं खींच सकते। जो भी मत हम गपज करे, वह तत्कालीन समाज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यक्त किया जाना चाहिये। एक समय था, जब ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं था, जो टोपी न पहनता हो। पर आज हज़ारों में कोई एक ऐसा विद्यार्थी मिलेगा, जो टोपी पहन कर बालेज जाता होगा। अतः कुछ काल पहने का सदाचार अथवा स्वैराचार वर्तमान समय में धारने उसी रूप में नहीं बना रह सकता। समय के साथ अनमत भी बदलता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को समाजविरोधी या अश्लील सिद्ध करना प्रासन बात नहीं है। अदालत में होने वाले फैसले भी इस मामले में निर्दिष्ट रूप से कुछ नहीं बदलाते। वे भी यद्वा-तद्वा की ही भाषा काम में लाते

हैं। भारत में अश्लीलता के सम्बन्ध में कानून की स्थिति क्या है, इस पर बम्बई के 'आलमगीर' में कुछ लेख छपे हैं। उनमें भी लेखक अश्लीलता को परखने की कोई निश्चित कसौटी नहीं बता सका। सच तो यह है कि कोई भी इसकी कसौटी नहीं बनला सकता। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था साहित्य का फौजदार बनकर श्लील एवं अश्लील का निर्णय करने की बात कहे तो वह ठीक नहीं हो सकती। यही बात सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में भी सही है। जिन लोगों का जन्म भर साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं आया, उन्हें किसी लेख के अश्लील अंश को पता चलाने का अधिकार देना उचित नहीं होगा। प्रचलित धारणाओं तथा परम्परागत रीति रिवाजों के विरुद्ध कुछ अंश किमी लेख में मिल जाय तो अधिकारी की दृष्टि में वह भी खतरनाक प्रतीत होता है। उसे लगता है कि उस लेख से समाज उलट-पुलट हो जायेगा। किन्हीं-किन्हीं अधिकारियों के स्थान ऐसे होते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आयेगा, वह भूख तथा धोखेबाज ही होगा, ऐसी धारणा उन स्थानों पर लोगों की हो जाती है। वे लोग सशयो वृत्ति के बन जाते हैं। सामान्य नियम के अनुसार आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जाना चाहिये, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाय। यह कानून का आद्य तत्त्व है। तथापि अधिकारी लोग यह मान लेते हैं कि चूँकि छानबीन के लिये आई पुस्तकों को पुलिस वालों ने भेजा है, अतः वे अश्लील निश्चित ही होगी। और तब वे उनकी छान-बीन करते हैं। सामान्य मनुष्य को किसी लेख के पढ़ने के बाद उसमें कुछ भी अश्लील अंश नहीं प्रतीत हुआ तो भी सेन्सर को या अधिकारी को उसमें अश्लीलता की वृत्ति जरूर आयेगी, चित्रपट नियन्त्रण मण्डल के विरुद्ध लोगों की यही शिकायत है। जिन प्रसंगों को देखकर सामान्य दर्शक को कुछ भी खास बात नहीं प्रतीत होगी, उन्हीं पर नियन्त्रण मण्डल की कंघी चल जायेगी। अतः समाज की दृष्टि से योग्य अथवा अयोग्य क्या है, समाज को कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिये तथा कौन से चित्रपट देखने चाहिये आदि मामलों के लिये किन्हीं सामान्य कसौटियों का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य जो कुछ पढ़ता है, सुनता है, या देखता है, उन सब से प्रेरणा लिया करता है। वह इस सामग्री में से अपने लिये किन्हीं विशेष आदर्शों का निर्माण किया करता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जो लेख असभ्यता से भरे हों, अश्लील अथवा घातक स्वरूप के हों, उन पर रोक जरूर लगनी चाहिये। तथापि कानून में, जैसा हम पहले कह चुके हैं, इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती कि निश्चित रूप से अश्लील तथा घातक किसे कहा जाय। 'समाज स्वास्थ्य' नामक मासिक पत्रिका के अंकों को अश्लील बतला कर उसके सम्पादक के विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई की थी। पर उस मुकद्दमे में भी निश्चित रूप में यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि अश्लील किसे कहा जाय। यौन विषयों पर चर्चा को एक जमाने में अश्लील समझा जाता था। माना जाता था वह समाज की नीति के विरुद्ध है। पर आजकल इस बात का प्रचार किया जाता है कि यौन विषयों की शिक्षा विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों को दी जानी चाहिये। एक जमाने में बर्नार्ड शां के नाटकों पर भी इंग्लैण्ड की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। सामान्यतया, अश्लील क्या है, समाज की नीति पर हमला करने वाला क्या है, यह ठहराने समय जिन प्रकार

समाज में मौजूद भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, उसी प्रकार व्यक्ति की भाषण-स्वतंत्रता तथा विचार-स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। केवल मौजूदा नैतिक धारदों तथा धारणाओं का एकांगी विचार करने से समाज की प्रगति नहीं हो सकेगी तथा नये विचारों का पहुंचने ही गला घोट दिया जायेगा। अतः उद्युक्त दोनों दृष्टियों में विचार करके न्यायाधीश को इस मामले में फैसला देना चाहिये। राज्य में कानून लोकमत के अनुसार रहेगा इस बात का शन-प्रतिशत धारवासन परिपक्व प्रजातन्त्र में भी नहीं प्राप्त होता। लोकमत प्रागे बढ़ता जाता है। नये-नये विचार प्रणय की भाँति प्रागे-प्रागे चलते हैं। समाज में जो दूरदर्शी तथा श्रेष्ठ धैर्यशील व्यक्ति होते हैं, वे विचार क्रिया करते हैं। उनके विचार खलबली मचाने वाले होते हैं। सामान्यतया नये विचारों को धीमे-धीमे समर्थन प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का मत अनेकों का मन बन जाता है। और तब उनका कानून के रूप में रूपान्तर होता है। कानून के बन जाने से मौजूदा विचारों तथा धारदों को प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। तब वे धारदों समाज के जीवन का अंग बन जाते हैं। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उससे प्रागे और प्रगति होती ही नहीं। लोकमत प्रागे चलता चना जाता है और कानून अपने को उसके साथ बनाये रखने की कोशिश करता रहता है। लोकमत के लिये प्रगतिक्त्व नहीं होता तथा कानून का भी कोई अन्त नहीं होता। अतः धरलील तथा अनुचित का निर्णय करने समय सरकार को प्रचलित एवं प्रगतिशील दोनों प्रकार की बातों का विचार करके निर्णय करना चाहिये। सामान्यतया जनता में अभिहित एवं सम्यक्ता की एक ऐसी भावना होती है, जिसका वागुंन करना कठिन है। उसका स्वरूप क्या है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तथापि वह रहती है और हर किसी को उसकी जानकारी भी रहती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उसकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को जो वस्तु विसंगत प्रतीत हो, उसे प्रयोग्य एवं शिष्ट कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। न्याय की कल्पना जनता में होती है तथा उसकी जानकारी हर किसी की होती है। जब कभी अन्याय हो जाता है, तब सहज ही व्यक्ति के मुँह से निहल पडता है—'मला यह भी कोई न्याय है?' इससे जाहिर होता है कि उनके मन में न्याय एवं अन्याय वस्तु की जानकारी मौजूद है। इसी प्रकार अश्लीलता एवं श्लीलता के सम्बन्ध में लोगों की यह धारणा होती है कि जिस नाटक या चित्रपट की बीबी-बच्चों सहित देखने से हमें संशय नहीं होता वह अश्लील नहीं है। यह कवीटी तात्या साहेब केलकर की बताई हुई है। संशय में, कवीटी यह होनी चाहिये कि जो वस्तु सर्वमाधारण लोगों को शिष्ट प्रतीत हो, वह शिष्ट समझी जानी चाहिये। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें हर नयी चीज अप्रिय लगती है। वे अपने वेदान्तासजड होते हैं कि किचित् भी मनोरंजनात्मक वस्तु उन्हें अप्रिय लगती है। समाज का दृष्टिकोण दो चार स्वयंमन्य शिष्ट व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को निश्चित करना चाहिये कि मुदचिपूर्ण एवं कुदचिपूर्ण क्या है। यदि एकांगी एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो रामायण एवं महाभारत जैसे धर्मग्रन्थ भी अश्लील साबित होंगे। अभिज्ञान शाकुन्तलम् के अनेक संवादों को हटा

देना पड़ेगा। तथा सामाजिक मामलों में प्रगति की दृष्टि से किये गये सभी विचार-परिष्कार सन्भवे जायेंगे। यौन विचारों पर तो कोई विचार तक नहीं बनेगा।

धर्मोत्तम क्या है? समाज के दृष्ट के लिये जिन बातों पर रोक लगाना है चाहे बातों का विचार उत्तरिनिमित्त रीति में ब्यारत एव प्रगतिशील दृष्टि में किया जाना चाहिये। समाज के जीवन के विविध क्षेत्रों में नाना प्रकार की गमग्याएँ उठ गयी होती हैं, उनके सम्बन्ध में बोना जाना है, विगा जाना है तथा विचार किया जाना है। समाज का यातावरण जब बर्षाप्रदण हो जाता है, तब मन में गिरे हुए सन्देश तथा धनजाने में मन पर धसर करने वाले पूर्वप्रद बाहर आ जाते हैं तथा उगमे सम्बन्धित व्यक्ति का जीवन एवं मन अधिक प्रगन्न हो जाता है। बेइंमे हीर में धर्माय एवं धतिरेक से मुक्त होकर मनुष्य जब पुरानी बाधों से निरक्त कर क्रिन्दगी बसर करता है तब यह अधिक आग्रही एवं प्रगति पराट्मुग हो जाता है। मोमा में बाहर की गोम्य-सत्ता एवं सनातनीयन समाज में—विदेगनया प्रगतिशील समाज में—दृष्ट नहीं होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि जो कुछ नई बात दीगे, उगी के पीछे दोटना शुरू किया जाय। अज्ञान जिस प्रकार स्वतंत्रता के लिये बाधक है, अल्पज्ञान अथवा विकृत ज्ञान भी उगी प्रकार स्वतंत्रता के लिये बाधक होता है। अतः समाज में ब्यापक दृष्टि तथा स्वतंत्र बुद्धि से विचार करने की प्रवृत्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से बढ़ावा मिलना चाहिये। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि विचार करने की जैसी स्वतंत्रता अपने को है, वैसी दूसरों को भी है। अतः जो व्यक्ति स्वतंत्रता तथा विचार स्वतंत्रता के मर्म को जानता है, वह कभी भी दूसरों की भावनाओं का निरादर नहीं करेगा। दूसरों की धार्मिक भावनाओं का तिरस्कार करना जिस प्रकार सौजन्य का लक्षण नहीं है, वैसे ही स्वतंत्रता के मर्म के बोध का भी लक्षण नहीं है। आजकल मराठी के समाचारपत्रों में जो कुछ लिखा जाता है, उसमें सौजन्य तथा सद्भाव की मात्रा बहुत कम नजर आती है। समाचारपत्रों को मार्गदर्शक तथा समाज के नैतिक आदर्शों का रक्षक होना चाहिये। और इसी कारण मुद्रण की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना जाता है। तथापि इस प्रजातंत्र के युग में जिस पर क्या आरोप किये जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। हाथ में समाचारपत्र हो तो सचाई पर परदा डाल कर, असत्य का ढोल पीटकर किसी बनते हुए काम का पूरी तरह से नाश किया जा सकता है। जिस सत्य का बोध वाद विवाद द्वारा होना चाहिये, उसी की पहले अपमृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो वाद-विवाद होता है वह गाली-गलौज की धूल से सारे समाज को कलंकित कर डालता है। एक बार जब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, तब सूक्ष्मावृत्त एव योग्यायोग्य किसी का विचार न करके विद्वेषपूर्वक एवं विकृत रूप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। विवाद्य विषय भले ही सार्वजनिक स्वरूप का हो तो भी वैयक्तिक जीवन की कथित एव तदाकथित बातों को तूल देकर बदनामी एव अपकीर्ति का उच्चाक हासिल किया जाता है। कार्य के स्थान पर कर्त्ता की आलोचना की जाती है। गाना मीठा है या नहीं इस बात का विचार न करके गायक को शकल-भूरत पर बहस की जाती है। तथा इस प्रकार मुद्रण की स्वतंत्रता तथा \_\_\_\_\_ की स्वतंत्रता का दुर्लभयोग किया जाता है और तब पता चलता है कि

राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये उठाये जाने वाले कदम बिलने अच्छे हैं। जब तक समाज में हमारी भ्रष्टाचारिता भ्रष्टाचारिता नहीं होती, तब तक समाज में चलने वाले हृदय को हम भ्रष्टाचार से देखते रहते हैं। जब हमारे अपने ऊपर कोई भ्रष्टाचार हो, तभी हम उसके प्रतिकार के लिये बुद्ध करे यह बात ठीक नहीं, किन्तु भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार होता हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके विरुद्ध भी भ्रष्टाचार उठाएँ। विरोधी दल वालों को समाज में परस्पर तथा चण्डालों की बर्षा होने का समाचार सुनकर बुद्ध लोग मन-ही-मन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करते हैं। पर ऐसे भी बहूतरे होते हैं, जिन्हें यह सुनकर बुरा लगता है। पर वे नीतिज्ञतापूर्वक चुप बैठे रहते हैं और जब प्रसंग उन पर आता है, उनकी धोती खोली जाती है, तब वे सामाजिक नीतिमत्ता की तथा सार्वजनिक जीवन की शुद्धता की बड़ी-बड़ी बातें करने लग जाते हैं। इस प्रकार के ढोंगी एवं उदासीन लोग सामाजिक स्वतंत्रता को दुपमन होने हैं, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसमें सत्य का अंश रहता है। जो बात सार्वजनिक जीवन के मामले में सही है, वही बात धार्मिक मामलों के बारे में भी सही है। भ्रष्टाचार धर्मोपयोग धर्मोपयोग में लड़ते भ्रष्टाचार रहे, तो लोगों को भ्रष्टाचार लगता है। मुसलमान और ईसाई धर्म में लड़ें-भ्रष्टाचार, या ईसाई लोग किन्हीं भ्रष्टाचार धर्मों के साथ लड़ें-भ्रष्टाचार, तो सामान्य रूप से हिन्दू धर्मोपयोग उदासीन बने रहते हैं। यदि सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, तो समाज में धार्मिक भ्रष्टाचारिता का विरोध किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विचार स्वतंत्रता भ्रष्टाचार भारतीय संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि ये स्वतंत्रताएँ भ्रष्टाचार हैं। किसी धर्म की श्रेष्ठता एवं उदात्तता का प्रदर्शन करना जुदा बात है। किन्तु विचार स्वतंत्रता का नाम लेकर उन-उन धर्मों के भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार स्थानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार-जनक बातें कहना भ्रष्टाचार उनका उदात्त करना सम्भव साबित नहीं होता। धर्म विषयक विचार-विनिमय तो अत्यन्त श्रेष्ठ वातावरण में होना चाहिये। सबाल यह पैदा होता है कि क्या इन माली-गलौज अनुत्तरदायितापूर्ण भ्रष्टाचार तथा सामाजिक भ्रष्टाचार को उसी प्रकार चलने दिया जाय ? भ्रष्टाचार ही उस सीमा तक मुद्रण पर बंदी लगा देनी चाहिये। समाज का हित तथा समाज की शांति के लिये यदि सख्त पैदा हो जाय, तो हर कोई कहेगा कि उन पर रोक लगाई जानी चाहिये और यह रोक स्वतंत्रता का भ्रष्टाचार न होकर स्वतंत्रता की रक्षा ही है, यह बात भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर बुद्धि को जंचने वाली है।

यदि प्राथमिक राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र की ओर ध्यान से देखा जाये, तो ज्ञात होगा कि व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों पर राज्य का नियन्त्रण रहता है। भाषण, सभा तथा विचार की स्वतंत्रता है पर विचार स्वतंत्रता को मोड़ देने वाली पृष्ठभूमि ऐसी होनी चाहिये, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये। गत ४० वर्षों का इतिहास बताता है कि अनेक राष्ट्रों में वचन से ही लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनके मन तथा आदर्शों एक विशेष सचि में डबकर निकलें। सोवियत रूस में शिक्षा का सारा कार्यक्रम सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है। वहाँ पाठ्यक्रम की किताबों से लेकर कव्याद तक

को सारी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में रहनी है। 'जिन्हा हातो पावनाची दीगी तो देना उजरी' (जिन्हे हाथ में पकने की रस्मी है, वही देना का उच्चारण कर सकती है।) का गिज्ञान करने विभिन्न धर्मों में हमार अनुभव का विषय बन रहा है। अब निश्चय देने वाला तो क्या, पकने की रस्मी को भी हाथ में लेने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है तथा सरकारी मण्डलों के हाथों में काम चले जा रहे हैं। महिगामों का पार गर्द कि उनके बच्चे दाइयों के परिचार में, बड़े हुए कि मृत्यु के परिचार में; तथा उनके धनन्तर ममाक की नियोजन व्यवस्था के अधीन। इन व्यवस्था में जो कुछ घषणन में लिगाया जायेगा, उमने अनुहार ही बच्चे की बुद्धि भी विकसित होगी। इनका धर्म यह हुआ कि उमका मन विचार करने के एक विविध गति में इनकर निर-सेवा तथा यह बुद्धि उत्पन्न होगी कि जो कुछ लिगाया गया है, वही श्रेष्ठ एवं योग्य है। इन सचाई की ओर ध्यान देने से यह प्रतीत होगा कि विचारों की स्वतंत्रता देने भर से ही काम नहीं चलेगा। मन को स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की छान भी होनी चाहिये। भारत में राज्य निरपेक्ष है, अतः सामान्य रूप से स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इत्ता ही नहीं, नीति विषयक शिक्षा भी अब पढ़ाई लिखाई का हिस्सा नहीं रह गयी है। इनका थोडा-सा प्रभाव विद्यालयों की अनुनामन-हीनता में लिखाई देता है। भारत में धर्म हैं, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि प्रमुग हैं। वास्तव में सब धर्मों के आधनरूप एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। नीति विषयक बल्प-नाएँ भी सामान्य रूप से एक जैगी ही हैं। तथापि जिनो भी शिक्षा सस्था को जिनो खास धर्म की शिक्षा देने की छूट नहीं होनी चाहिये। क्योंकि धर्मनिष्ठा बच धर्मान्धता में परिणत हो जाय, इसका कोई भरोसा नहीं। और जब एक बार धर्मान्धता का पागलपन समाज में आ जाता है, तब अस्तित्थिगुना उत्पन्न हो जातो है। और अस्तित्थिगुता के वातावरण में स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पानी। अतः बल्पन ही में बच्चों में अस्तित्थिगुता एवं सद्भावना का वातावरण रहे, तो बच्चों में विचार-शीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जो बात धर्म विषयक शिक्षा के बारे में है, वही बात सर्वधर्मा सामान्य रूप से समाजशास्त्र की शिक्षा के बारे में भी समझनी चाहिये। धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र की शिक्षा देते समय बठमुखलेपन से काम नहीं लेना चाहिये। विभिन्न धर्मों एवं विचारधाराओं का ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिये, उससे तुलनात्मक विचार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान प्रथमतः दिया जाना चाहिये। विचार शक्ति के लिये अवसर दिया जाना चाहिये तथा सारे शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल वातावरण होना चाहिये। धार्मिक राज्य में शिक्षा का महत्त्व बहुत अधिक है। हियारों के जमा करने की उपेक्षा की जा सकती है, पर शिक्षा की नहीं। शास्त्रास्यों की सामर्थ्य कित्ती भी बयो न हो, उन्हें चलाना मनुष्य ही को है; अतः मनुष्य की सामर्थ्य अधिक होनी चाहिये। यदि उसका मन न हो तो वह वही बात की करेगा नहीं। करेगा भी तो जिगाड कर करेगा। राज्य का धर्म है नागरिक। किसी दीवार की ताकत उसमें लगी हुई ईंटों पर आश्रित रहती है। कच्ची ईंटों की दीवार पक्की नहीं हो सकती। एकानी शिक्षा वाले नागरिक व्यापक दृष्टि के तथा मनुष्य बुद्धि के नहीं होते, यह स्पष्ट है। अतः यदि आप चाहते हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा हो, तो

ध्यापको सन्तुलित एवं व्यापक बुद्धि के नागरिक निर्माण करने होंगे। और ऐसे नागरिक निर्माण करना शिक्षा-क्षेत्र का काम है। अतः शिक्षा-क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार को सर्वसामान्य रूप से एक रूपरेखा खींच देनी चाहिये और तब उममें आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। विद्यार्थी दशा में किसी खास विचार एवं उद्देश्य से बनाये गये पाठ्यक्रम की पुस्तकों द्वारा मतों का लादना उचित नहीं। विद्यार्थियों में ज्ञान के सम्बन्ध में कुतूहल उत्पादन करने तथा सम्बन्धित विषयों में रुचि उत्पन्न करने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ह्रास नहीं।

विद्यार्थी दशा में क्या पढ़ा जाय, इस बारे में सामान्य सीमाएँ सरकार द्वारा निश्चित हो जाने के बाद, जो अभीष्ट हो, जिसकी इच्छा हो, उसके पढ़ने की छूट होनी चाहिए। विद्यमान सरकार या सत्ताधारी दल को जो सिद्धान्त प्रिय है, वही पढ़ाया जाने का आग्रह ठीक नहीं। सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक शास्त्र से सम्बन्धित मत निरपेक्ष नहीं हो सकते। समाज के बदलते ही समाज-विषयक सिद्धान्त भी बदल जाते हैं। अतः समाज-शास्त्र सम्बन्धी किसी भी बात के प्रतिपादन में हठ से काम नहीं लिया जाना चाहिए तथा व्यक्ति को विविध दृष्टिकोणों से जानकारी दी जानी चाहिए व उसे स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मत भले ही नवीन हों, विपरीत हों, धर्मान्यता से युक्त हों, अश्लील हो, इतिहास-विरुद्ध हो, या असामाजिक हो, तो भी उनके प्रदर्शन पर राज्य की ओर से प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाने चाहिए। सामान्य रीति से वे ही प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए, जो राज्य के आत्यन्तिक हित की दृष्टि से आवश्यक हों। अन्य प्रतिबन्धों का लगाना ठीक नहीं। पुस्तक प्रकाशन पर ही प्रतिबन्ध लगा देना एक अनुचित प्रतिबन्ध है। इस प्रतिबन्ध के लगने से लोगों को पुस्तक में प्रतिपादित विषय की तथा लेखक के दृष्टिकोण की जानकारी नहीं होगी तथा उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार के संशय लोगों के मनो में घर कर जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी एक अधिकारी को प्रतिबन्ध लगाने का हक दे डालना भी ठीक नहीं। जिस अधिकारी को नाट्य-शास्त्र की गन्ध नहीं; साहित्य से परिचय नहीं, वह यदि उठकर यह कहने लगे कि फर्मा नाटक समाज के हित में नहीं है, तो इसे कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है? यदि एक सिरे से लेकर सब पर रोक लगाई जाने लगे, तो समाज में नये विचारों के पनपने के लिए अवसर ही नहीं रह जायेगा। समाज का वैचारिक जीवन एक बन्द पानी वाले जोहड़ जैसा हो जायेगा। जहाँ किसी भी बात पर केवल इतने ही से प्रतिबन्ध लगे कि वह परंपरा तथा रीति-रिवाज के अनुसार नहीं है, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। और एक बार नये विचारों पर रोक लगाने के सिद्धान्त को मान लिया गया कि बस वहाँ वही सही माना जायेगा जो इस वक्त प्रचलित है। तथा लोग समझेंगे कि इस समय शासन की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, उन्हें छोड़ अन्य कोई आदमी दुनिया में समझदार है ही नहीं। सामान्य रूप से यह कोई नहीं बहेगा कि मत स्वतन्त्रता में विवेक या प्रतिबन्ध से काम लेना ही नहीं चाहिए। जो प्रतिबन्ध हों, उनके पीछे क्या



दृष्टिकोण हो, यह भी समझ लेना चाहिए। सामान्य रूप से उनके पीछे समाज के ध्येष्ठ हित ही का दृष्टिकोण होना चाहिए। जिस मत स्वतन्त्रता का हम विचार करते हैं, उसका अर्थ है वे सामान्य प्रश्न, जो समाज में निर्माण होते हैं तथा जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से है। किसी व्यक्ति के अथवा उसके कृत्य के सम्बन्ध में बोलने तथा उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रदर्शित करने जैसी बातों पर स्वभावतः अधिक प्रतिबन्ध होंगे। व्यक्ति के जिन कृत्यों का स्वरूप एकदम वैयक्तिक है, तथा जिसका सम्बन्ध किसी भी सार्वजनिक सवाल अथवा नीतिमत्ता से नहीं आता, उन पर मत देने के सम्बन्ध में देश में जो कानून बने हुए हैं, वे विचार करेंगे। अब तक हम जिस मत स्वतन्त्रता का विचार करते आये हैं, वह स्वतन्त्रता इससे भिन्न है। मत स्वतन्त्रता के नाम पर व्यक्ति की बदनामी अथवा अपमान करना स्वतन्त्रता के अधिकार का सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। किसी को शराबी, दुराचारी, पत्नी को मारने-पीटने वाला या वेईमान कहते फिरना मौलिक स्वतन्त्रता की ध्येष्ठी में नहीं आता। अतः वह अपराध हो जाता है। हाँ, जब किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक महत्त्व का हो, तो उसकी आलोचना मौलिक स्वतन्त्रता की ध्येष्ठी में आ जाती है। कोई व्यक्ति कपटी हो, और कोई यह कहे कि उसके साथ व्यवहार करना खतरनाक होगा तो यह कहना क्षम्य ही माना जायेगा। क्योंकि ऐसे कपटी से सारे समाज को खतरा होता है। अतः ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रकट किये गए विचार अपराध नहीं होते। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में जो भी कुछ कहा जाय, वह सही हो तथा लोगों की भलाई में हो। मत स्वतन्त्रता का अर्थ किसी की निन्दा करना कदापि नहीं। मुद्रण स्वतन्त्रता का यह अर्थ नहीं कि झूठ-मूठ का जो भी मत में आये, वह निख दिया या लोगो की बदनामी कर दी या किसी की पगड़ी उछाल दी। विचारों का प्रकट करना या लिखना ऐसा न हो जो अपराध बन जाये। जो व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, उसकी आलोचना होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पर कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में आये तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके वैयक्तिक जीवन को लेकर समाज के चौराहे पर उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाय। विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता के नाम पर ऐसा करना शोभा नहीं देता। कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो, तो उसकी पार्टी तथा उसके प्रोग्राम की आलोचना करना अनुचित नहीं। पर उसके वैयक्तिक जीवन ही की आलोचना करने लग जाना अनुचित है। यदि किसी व्यक्ति को दुराचारी तथा वेईमान होने के कारण नौकरी से हटा दिया गया हो, तो सार्वजनिक महत्त्व की वस्तु होने के नाते इस बात को कहना उचित ही होगा, वशर्त कि यह बात सही हो। सभी सही बातों का सार्वजनिक महत्त्व नहीं होता। केवल उन्ही बातों को जनता के सामने लाना चाहिए, जो सार्वजनिक महत्त्व की हो। यदि किसी गर्वम्ये का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही निर्दय हो, तो उस समय इसका उल्लेख करना योग्य नहीं, जब उसकी गायकी की आलोचना हो रही हो तथा ऐसी बातों के उल्लेख को मत स्वतन्त्रता नहीं कहा जा सकेगा। क्योंकि इस सचाई का कोई सार्वजनिक महत्त्व नहीं है। इसके विपरीत, यदि पार्टी का प्रोग्राम नशाबन्दी का उम्मीदवार सट शराबी हो, तो उम्मीदवार के शराबी होने की आलोचना

अनुचित नहीं बही जायेगी, वशतें कि वह सचमुच ही शराबी हो। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो जी में आये सो बोलने, तथा जैसा जी में आये वैसा उमका अपमान करने या उसे नीचा दिखाने का अधिकार या स्वतन्त्रता किसी को नहीं है। इस नियम का जो एकमात्र अपवाद है, वह हम ऊपर बता आये हैं। मत स्वतन्त्रता का उपयोग समाज के हित में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित की दृष्टि से मत स्वतन्त्रता को काम में लाकर व्यक्ति जो बात करेगा, उसे संरक्षण मिलना चाहिए। बहुत दफा आलोचना में प्रतिशयोक्ति से काम लिया जाता है। पर प्रतिशयोक्ति का प्रायश्चित्त आलोचक को उचित मात्रा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा है। आलोचक ने उनकी योग्यता एवं वस्तुत्व के बारे में बोलते हुए कहा—श्रीयुक्त 'क्ष' जमुहाई लेने भर को सभाशुह में मुँह खोलते थे। इस कथन में वक्रता एवं दुर्जनता स्पष्ट है तथापि यदि इसमें सच्चाई हो, तो उनका यह कथन समाज के लिए हितकर ही सिद्ध होगा। सार्वजनिक जीवन में इतना पेशवा हो गया है कि अब बिल्कुल नाप-तोलाकर बोलना या लिखना उत्कृष्ट ध्येय होते हुए भी उस पर धमल करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रजातन्त्री समाज-व्यवस्था में हजारों व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, भाग लेते हैं तथा सभी १०० फीसदी उत्तरदायित्व से काम लेने वाले नहीं होते अतः जो कुछ भाषण में बोला या लेख में लिखा जाता है, उसके बारे में अदालत के सामने कोई ममला पेश हो तो अदालत को उस मामले में अधिक व्यापक दृष्टि से तथा सहानुभूति से काम लेना चाहिए। एकाध शब्द मुँह से निकल गया हो तो उसके लिए नुकसान भरपाई या दण्ड की सजा देना कानून के अनुसार होते हुए भी विशेष न्याय का सूचक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों को विचारपूर्वक बोलना तथा संतुलित होकर लिखना चाहिए, यह हम मानते हैं, तथापि वैसा लिखा या बोला गया है या नहीं इसका विचार करते समय बहुत बारीकी से काम नहीं लेना चाहिए।

समाज में व्यक्तियों के विरुद्ध बोलते समय विचार-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में, तथा स्वतन्त्रता की सीमाओं के सम्बन्ध में हम थोड़ा-सा मत प्रदर्शन तथा दिग्दर्शन पहले कर आए हैं। व्यक्ति के विरुद्ध मतप्रदर्शन के सम्बन्ध में हमें तभी विचार करना चाहिए, जबकि व्यक्ति का सम्बन्ध सार्वजनिक क्षेत्र से हो, अन्यथा वह अप्रासंगिक साबित होगा। समाज के रीति-रिवाज, समाज की परम्परा, धार्मिक मान्यताएँ, धार्मिक प्रथाएँ—अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ है या होता है, उसके बारे में मत प्रकट करते समय अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। तथा उस स्वतन्त्रता की सीमा क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा-सा विचार हम ऊपर कर आए हैं। तथापि राजकीय एवं धार्मिक मामलों में स्वतन्त्रता का विचार करते समय मत स्वतन्त्रता का मन्त्राल कुछ टेढ़ी खीर हो जाता है। मनुष्य को कौनसे कपड़े पहनने चाहिए, कौनसा रोजगार करना चाहिए, इस सवाल में तथा उसे राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए या नहीं, इस सवाल में बहुत जबरदस्त अन्तर है। मनुष्य का खाना-पीना, पहना-भोड़ना आदि बातें ठीक हैं। अतः राजकीय क्षेत्र के मत स्वतन्त्रता का सकारण अधिक महत्व का है। अतः उसका विचार हमें अधिक विस्तार से करना होगा। अब

मनुष्य पैदा होता है, उस समय समाज की जो परिस्थिति होती है, उसको उसी रूप में उसे स्वीकार करना पड़ता है। उसके पैदा होते समय जो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक रचना तथा राजनैतिक संगठन होंगे, उन्हें उसे ब्यस्क होने तक स्वीकार करना पड़ता है। उस समय उसके लिये कोई विकल्प या चुनने का मौका नहीं होता। मनुष्य पत्नी का चुनाव कर सकता है, पर माता-पिता का नहीं। उसी प्रकार पैदा होने से पूर्व मनुष्य यह नहीं कह सकता कि फलाँ राज्य या फलाँ समाज ही में उसे पैदा होने दिया जाना चाहिए। हाँ, पैदा होने के बाद, पैदा होने के समय की परिस्थिति को बदलने तथा बदलने की कोशिश करने का उसे पूरा हक हासिल है। डॉ० अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि 'भले ही मैं हिन्दू के रूप में पैदा हुआ होऊँ, पर मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा।' उनका यह कहना उनके वैयक्तिक निश्चय का द्योतक तो है ही, साथ में उसमें मानवीय समाज के सम्बन्ध में एक चिरन्तन सत्य की ओर भी संकेत होता है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजकीय व्यवस्था को बदलने का व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार निर्विवाद है। जन्म देवायत्त है; पर पौष्ट्य पुरुषायत्त है, यह ध्यान में रखना चाहिए। तथापि सवाल यह पैदा होता है कि जन्म-सिद्ध अथवा सविधान-सिद्ध अधिकार एवं स्वतन्त्रता निरपेक्ष, निःसीम अथवा सन्दर्भ-शून्य हैं या नहीं? बोलने तथा प्रकाशित करने से सम्बन्धित मत स्वतन्त्रता में कुछ अन्तर है या नहीं? इसी प्रकार संकट-कालीन तथा शान्तिकालीन मत स्वतन्त्रता में कुछ अन्तर है या नहीं? जब चारों ओर हड़ताल, सत्याग्रह, विक्षोभ आदि का बोलबाला हो, उस समय राज्य की आलोचना करने की किसी स्वतन्त्रता होनी चाहिए? इसी प्रकार भाषण कहाँ दिया गया, इस बात का विचार होना चाहिए या नहीं, इत्यादि प्रश्न उपस्थित होते हैं। सामान्यतया यह नहीं कहा जा सकता कि सभी आलोचनाएँ, सद्बुद्धि या सद्भावनापूर्वक नहीं होती। इसी प्रकार सभी आलोचनाएँ दुष्टबुद्धि या द्वेषभाव से नहीं की जाती। कुछ आलोचनाओं में क्रियात्मक एवं उपयोगी सुझाव होते हैं तथा कुछ में मन को क्षत-यिक्षत करने वाले 'वाक्शत' होते हैं। सार्वजनिक मामलों में मत स्वतन्त्रता का विचार करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों अर्थात् आलोचकों का उद्देश्य प्रधान नहीं होता वरन् आलोचना की सरपटा तथा सार्वजनिक हित की दृष्टि से होने वाला उसका प्रभाव प्रधान होता है। सरकार के राजकीय कृत्यों की आलोचना होनी चाहिए, उसके सम्बन्ध में मत प्रदर्शन होना चाहिए। प्रजातन्त्रीय राज्य व्यवस्था में आलोचना तथा चर्चा प्रजातन्त्र की आत्मा है; उसका जीवन तत्व है। तथापि हर समाज व्यवस्था में अथवा राज्य व्यवस्था में कुछ सार्वत, मनातन तथा राज्य सस्था को जीवन शक्ति प्रदान करने वाली बात अत्यन्त होती है। अथ सवाल यह पैदा होता है कि दिन-दिन सामान्य बातों की आलोचना में तथा उन बातों की आलोचना में, जिन पर समाज खड़ा है, या जिन पर राज्य मण्डित हुआ है, हमें कुछ फर्क करना चाहिए या नहीं? लोकमान्य तिलक ने राज्य तथा सरकार ऐसा उपयोगी फर्क किया था। राज्य एक अचन-प्रतिष्ठ-मूर्ति है तथा सरकार एक उत्तम मूर्ति है। उत्तमवर्गीय मूर्ति की पूजा भी की जाती है और समय आने पर उसे विगर्जित भी कर दिया जाता है।

अचन-प्रतिष्ठ मूर्ति है वह अचन-प्रतिष्ठ ही रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक

राज्य की व्यवस्था एवं संविधान में शाश्वत, मौलिक एवं अपरिवर्तनीय तथा अशाश्वत, अमौलिक एवं परिवर्तनीय तत्त्वों का निर्देश एवं संवेत आवश्यक होता है। प्रचलित सरकार अथवा मौजूदा सत्ताधारी मंत्रिमंडल की आलोचना करना या आलोचना की भरमार कर देना जुदा बात है तथा राज्य के मौलिक सिद्धान्तों की आलोचना करना जुदा बात है। सरकार द्वारा किये गए नियोजन की आलोचना करना जुदा बात है तथा प्रजातन्त्रीय राज्य व्यवस्था का एकदम विरोध करना जुदा बात है। सरकार के विरुद्ध बोलने या लिखने के मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उस प्रकार मत प्रकट करना सरकार-द्रोह होगा पर राज्यद्रोह नहीं होगा। किसी सरकार विशेष के प्रति अनिच्छा प्रकट करना योग्य है पर किसी भी प्रकार की सरकार नहीं चाहिए ऐसा कहना राज्य के विरोध में है। अतः वैसा कहना असंयोग्य होगा। तथापि यह कहना आसान नहीं होता कि कोई भी आलोचना वा मत स्वतंत्रता विद्यमान सरकार के विरुद्ध है या विद्यमान व्यवस्था के विरुद्ध। अंग्रेजों के राज्य में जिस आलोचना या लेखन को राज्यद्रोह कहा जा सकता था, उसे अब राज्यद्रोह नहीं कहा जा सकता। उस जमाने में सरकार तथा राज्य के बीच अन्तर नहीं किया जाता था। अब वह स्थिति नहीं रह गई है। सरकारें अब राज्य की मुनीम हैं और उनकी नियुक्ति एक निश्चित समय तक की जाती है। उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। किसी नौकर को नौकरी से अलग करना हो तो उसे एक महीने का नोटिस दिया जाता है। पर प्रजातन्त्र में किसी भी मन्त्रिमंडल को जनता अर्थात् राज्य की मालिक एक क्षण का भी नोटिस दिये बगैर हटा सकती है। अतः मत स्वतंत्रता का विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्री है। भारत में सबसे पहला राज्यद्रोह का अभियोग लोकरमान्य तिलक के विरुद्ध १८६६ में लगाया गया। उसके बाद स्वतंत्रता मिलने तक ऐसे अभियोग कई लगाए गए। सरकार के विरुद्ध आलोचना करने के अधिकार को साफ तौर से कभी मन्सूर नहीं किया गया। केवल यही कहा गया कि आलोचना से सरकार के विरुद्ध अप्रीति या द्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना है। अब यह स्थिति नहीं रह गई है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को भाषण की स्वतंत्रता दे दी है। अब प्रश्न सिर्फ यही रह जाता है कि जो योग्य (रीजनेबल) मर्यादाएँ हमने बताई हैं उनका पालन होता है या नहीं।

प्रस्थापित समाज-रचना के विरुद्ध, आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध, राजकीय व्यवस्था के विरुद्ध बोलना अपराध नहीं बरन् नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उपयोग है। आज की परिस्थिति को पुराने मानों में राजद्रोह कहा जा सकता है। वह अपराध अब रह नहीं गया है। यदि आलोचना सीमा के बाहर हो जाय तथा कोई बहे कि प्रस्थापित सरकार को हिंसा के रास्ते से हटाना चाहिये तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इसी प्रकार संविधान में बताये गए वैध मार्ग से न बदल कर हिंसा के अवैध मार्ग से बदलने का प्रचार करना भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हिंसा का माध्यम लिये बिना किया गया प्रचार हमेशा अपराध होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जो प्रचार हिंसा का माध्यम लेकर किया जाता है, वह निःसंशय अपराध

विद्य होगा है, इसमें सन्देह नहीं। तथापि प्रचार जैसा घोर बंध किया गया इस बात का धर्षार्थ स्पष्ट, बान एवं सामाजिक परिस्थिति का विचार किये बिना कोई निर्णय नहीं देगा। निश्चित तथा मौलिक दोनों प्रकार के प्रकारों का फल एक जैसा ही होता है, ऐसी बात नहीं। गोप्य प्रतिरोध का प्रकार मुस्लिम मुद्दों में हिन्दू लोग तीव्रता से करें, तो उमरा जो फल होगा, वह हिन्दू वर्गी में करने में नहीं होगा। इसी प्रकार गोप्य के धारे में एक योगी प्रकाशित करने में जो फल होगा, वह समा में किये गये व्याख्यानात्मक प्रचार के फल में जुदा होगा। यदि कोई साम्यवादी लोग एक निबन्ध लिखे और उगमे घट प्रतिपादन करे कि भारत का मविधान पूंजीवादी स्वरूप का है तथा सामान्य जनता को सूझने के इरादे में बनाया गया है; परंतु लोगों को चाहिये कि वे उसके विरुद्ध आन्दोलन करें तथा जनता के राज्य की स्थापना करें, तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि उसने धनी स्वतंत्रता का दुर्लभयोग किया है। जैसा कि हम पहले यह धार्ये हैं; समाज-रचना तथा राज्य-रचना को बदलने का अधिकार व्यक्तिमात्र को प्राप्त है। प्रश्न यही रह जाता है कि उमे बदलने के लिये किन उपायों का प्रतिपादन किया गया है तथा उक्त प्रतिपादन का समाज पर क्या असर हुआ है। यदि उक्त प्रतिपादन में हिंसा के मार्ग का स्पष्ट एवं प्रशोभक निर्देश होगा, तो मोमा का प्रतिप्रमाण साफ है। तथापि कथन सोमा के प्रतिप्रमाण को देकर ही सरकार को उसके विरुद्ध बंदन नहीं उठाने चाहिये। मान लीजिये कि उस किस्म की बात किंगो पुस्तक या ग्रन्थ में बनी गई हो, तो इस बात का भी विचार करना चाहिये कि पाठकों पर उसका क्या असर हुआ है। तथा सामान्य रूप से नागरिकों की राजकीय चतुरता पर, समझदारी पर, कुछ-न कुछ विश्वास प्रवृद्ध करना चाहिये। जहाँ लोगों को पूरी जानकारी है कि वे मतदान द्वारा सरकार को बदल सकते हैं तथा अहिंसक क्रांति कर सकते हैं, वहाँ लोग हिंसक मार्ग का आश्रय नहीं लेंगे तथा ऐसी विचारधारा की उपेक्षा करेंगे। किसी आलोचनात्मक निबन्ध में केवल आलोचना ही हो, दोनों पक्षों का सन्तुलित आलोचन न हो। अथवा एक ही पक्ष का आलोचन किया गया हो, दूसरे पक्ष को हाथ ही न लगाया गया हो, तो केवल इतने से वह निबन्ध या ग्रन्थ मत स्वतंत्रता का दुर्लभयोग नहीं साबित होता। मौजूदा बातों की स्तुति न करने के कोई भी आलोचना स्वतंत्रता का दुर्लभयोग नहीं हो सकती। प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं कि जो प्रच्छा है उसी को देना जाय या जो बुरा है, सिर्फ उसी को आलोचना की जाय। यदि कोई बँसा करता है तो वह अपराध भी नहीं। यह ठीक है कि चर्चा में साधक-बाधक दोनों ही पक्षों का समावेश होना चाहिये। तथापि यदि उसमें कोई एक पक्ष रह जाय, तो उसे मौलिक अधिकारों का दुर्लभयोग नहीं कहना चाहिये। राज्य के काम-काज के तथा शासन के दोषों को दिताना नागरिक का कर्तव्य है। वह यदि उन्हें दितानेगा नहीं तो राज्यकर्त्ताओं को लगेगा कि उनके कामकाज में कोई त्रुटि नहीं है। उनकी यह धारणा हो जाना कि वे सर्वथा त्रुटिहीन हैं; लोगों की स्वतंत्रता की दृष्टि से वह ठीक नहीं तथा मत में वह बहुत भयानक बात हो जाती है। आज भारत में इतनी विचार-स्वतंत्रता है कि गत १२ बरसों में आक्षेपार्ह समझ कर जस्त किये जाने वाले राजनैतिक लेखों की संख्या बहुत ही नगण्य है। भारतीय सविधान की आलोचना करने वाली किसी ही पोथियाँ लिखी गई

हैं, इसी प्रकार राजकीय विचारधारा की दृष्टियों से कितने ही निबंध भड़कीली भाषा में लिखे गये हैं। गत १२ बरसों में भारतीय जन-साधारण की राजनैतिक बुद्धि एव राजनैतिक चतुरता पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। केवल निबंध से, चाहे वह 'घाबंडी' का हो या 'दामाडी' का, सामान्य जनता धुंध नहीं होती। जिन्हें अनुभवों तथा प्रत्यक्ष कहा जा सकता है, ऐसे मनुष्यों की सख्या भारत में शर्त-शर्त: बढ़ती जा रही है। आज पूंजीवाद के विरुद्ध जो भी कुछ पुस्तकों या प्रसंगों में लिखा जा रहा है, वह बहुत ही मधुर एवं मिलनसारों से युक्त भाषा में लिखा जाता है। कठोर श्रयवा कट्टा भाषा का प्रयोग घुल्लम-घुल्ला नहीं होता। तथापि यदि इस मामले में किसी प्रसंग में कुछ अतिरेक हो जाय, तो उसे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता। यदि हिंसा का आश्रय लेने के लिए कहा जाता हो तथा उसके कुछ प्रभाव दृष्टिगत होने लगे हों; या हो चुके हों तो भ्रवश्य वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग एव अतिक्रमण होगा तथा उसे रोकने के उपाय करना सामाजिक हित की दृष्टि से उचित होगा। केवल हिंसा की गंध भ्राने भर से लेख को आक्षेपाहं समझ लेना—या जब्त कर लेना शासन की दृष्टि से व्यावहारिकता तथा राष्ट्र की दृष्टि से राजनीतिज्ञता का द्योतक साबित नहीं होगा। केवल राज्य के लिये या सार्वजनिक शान्ति के लिये खतरे की सम्भावना भर से स्वतंत्रता का अपहरण करना ठीक नहीं। खतरे या सार्वजनिक शान्ति के भंग की पूरी निश्चिति होनी चाहिए; तथा यदि वह खतरा बहुत ही नजदीक भ्रान पड़ा हो, तो सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम समर्पणीय ही सिद्ध होंगे। और साथ ही किसी एक शासक श्रयवा मंत्री के यह कहने पर कि बैसी परिस्थिति है, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई समर्पणीय नहीं मानी जा सकती। संयुक्त महाराष्ट्र के आन्दोलन में जिन व्यक्तियों को यह कहकर पकड़ लिया गया कि वे दंगे करेंगे, उनके सम्बन्ध में सरकार के कृत्य सर्वथा असमर्पणीय थे। तथा जिस मंत्री ने यह कहा कि यदि उन्हें पकड़ा न जाता तो आन्दोलनकारी सरकार पर कब्जा कर लेते, उसका यह कथन अदूरदर्शिता-पूर्ण था। इसमें राजनैतिक अप्रामाणिकता भी थी। परिणाम की सम्भावना के आधार पर किसी के लेख पर रोक लगा देना नागरिकों के अधिकार का अपहरण करना है। और यदि इस रीति से लेखों पर रोक लगाई जाने लगे, तो उसका असर विचार-स्वतंत्रता पर पड़ेगा तथा लोग विचार करने की आदत ही भुला देंगे। मन निरिक्म हो जायेगा तथा जीवन नि सत्त्व ही जायेगा। समाज का जीवन निस्तेज हो जायेगा तथा जो विद्यमान है, उसकी स्तुति नागरिक धर्म बन जायेगा। तथा विचारशून्य आज्ञापालन नागरिकों का श्रेष्ठ कर्तव्य माना जायेगा। शासन समझने लगेगा कि वह सर्वज्ञ है। तथा चूँकि लोग उसके बहें को मुनते हैं अतः उसे लगेगा कि लोगों को उसकी सब बातें मंजूर हैं। जिस सरकार की आलोचना नहीं होती, जिस सरकार के कृत्यों को जीव जनता द्वारा नहीं की जाती, वह सरकार आगे चलकर मुट्टी भर लोगों के हाथ का खिला बन जाती है और तब वह मुट्टी भर लोगों के हितों का ही ध्यान रखने लग जाती है। इसीलिये लोगों के राज्य में राजकीय विचारों की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। राजकीय विचार आसमान में टपकते नहीं हैं। उनके सिपर समाज में होने वाली दैनन्दिन बातों की नींव पर ही बंधे जाते हैं। उनका आकार एवं सिलस-

व्यक्तिमान को प्राप्त होने वाले रोज के धनुमंत्रों द्वारा निर्मित होता है। जब कोई नागरिक कहता है कि पूँजीवाद खत्म होना चाहिए; तो उस समय उसकी भाँसों के सामने पूँजीवादी-रचना में मजदूरों का गोपण, ग्राहकों की भाँसों में भ्रोकी जाने वाली धूल तथा मालिकों का स्वार्थयुक्त बर्ताव रहता है। नानाविध लोगों की सम्मतियों पर आधारित विचारों में से भागे चलकर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होता है तथा राज्य की प्रगति होती है।

मत स्वतन्त्रता का विचार करते समय उसके माध्यम का विचार करना चाहिए, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। विचार स्वतन्त्रता का माध्यम सामान्यतया भाषण, मुद्रण, श्रुति के प्रतिरिक्त शिल्प, चित्रकला आदि भी हो सकता है। भाषण में संगीत एवं काव्य गायन इत्यादि का भी समावेश होता है। शायर डफ पर घाप देकर घूरवीरो का पोवाडा गाये, तो उसका प्रभाव तो पट्टा ही है। वह भाषण न भी हो, तो भी विचार-प्रदर्शन का एक प्रभावी साधन तो है ही। यही बात कीर्तन, काव्यगायन, आदि के बारे में कही जा सकती है। एक चट्टिका की मूर्ति बनाई जाय और उसके भाले का आघात अप्रिय व्यक्ति तथा विचार-सरणी पर होता हुआ दिखाया जाय, तो यह भी विचार-प्रदर्शन का माध्यम हो जायेगा। लिखित भयवा भाषित न होने पर भी चित्रकला, कला एवं शिल्प के द्वारा मत स्वतन्त्रता का दुरपयोग किया जा सकता है। जब मत स्वतन्त्रता का आविष्कार प्रकाशन अथवा पुस्तक के द्वारा होता है, तब उस पर केवल इस वारण प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए, कि वह फलां व्यक्ति ने या फलां दल ने प्रकाशित किया है। शान्तिकाल में किसी प्रकाशन पर सामान्यतया प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। प्रकाशन से पूर्व भी प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। बाद में भी प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। तथापि किसी भी विचारधारा के उन्मुक्त एवं निःप्रतिबन्ध रूप से समाज में प्रभूत होने से राज्य के लिये खतरा पैदा हो जायेगा ऐसा मानना उचित नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि इस पर कुछ पाबन्दी होनी चाहिये या नहीं। किन्हीं प्राधुनिक राज्यों में सैनिकों के हाथ में उन्मुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तकों को जाने नहीं दिया जाता। राज्य की सुरक्षा तथा अस्तित्व अततो गतवा सैनिकों की निष्ठा पर निर्भर करता है और यदि कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो जाये, जो सैनिकों की निष्ठा को विचलित करने वाली हो, तो ऐसे समय सम्भावित खतरा राज्य को मोल लेना चाहिये क्या? उसके विरुद्ध समय रहते प्रतिबन्धक उपाय करने चाहिएँ। क्या समतावादी समाचार-पत्रों पर सैनिकों के लिये प्रतिबंध होना चाहिये? लोक सभा में यह प्रतिपादित किया गया था कि प्रतिबंध होना चाहिये तथा यह भी दिकायत की गई थी कि सैनिकों के हाथों में सदा धामपक्षियों के अलखार नजर आते हैं। सैनिक एक नागरिक है तथा केवल इसलिये कि उसने बर्दी पहनी हुई है, उसे नागरिक के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या सैनिकों को राजनैतिक स्थानों में जाने या उपस्थित होने का अधिकार होना चाहिये? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिकता की दृष्टि से प्रत्येक सैनिक को मतदान का अधिकार है और किसे मत दिया जाय, इस बात का निर्णय करने के लिए उसे भी हर पक्ष की विचारधारा को समझने की आवश्यकता है। उसे सुनने का अवसर उसे मिलना चाहिये। यह तर्क

उचित है। साथ ही यदि सैनिकों में कुछ गड़बड़ मच जाय, तो राज्य की सुरक्षा बटिन हो जाती है और राज्य ही नहीं रह जाता, तब राज्य द्वारा दिये गये सारे धारकासन, सारे अधिकार तथा स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। धार की आवश्यकता कुछ क्यों न हो, पर राज्य तो एक युग की वस्तु है तथा उसकी सुरक्षा एवं अस्तित्व को मौलिक एवं प्राथमिकता युक्त माना जाना चाहिये। प्रस्तुत लेखक के मन में सैनिकों का राजनैतिक सम्भाषण में जाना तथा हर किस्म का निन्दित्व करना प्रामाण्य नहीं है। उम पर किन्हीं बन्धनों का होना जरूरी है। सैनिकों को दिङ्मूढ़ करने वाली परिस्थिति उत्पन्न करने में सरकार का व्यवहार भी कारण बन सकता है। तथापि सरकार को सही रास्ते पर साना ध्येयवा उसे बदल डालना राज्य के सुरक्षा विभाग का काम नहीं है। सेना का काम नहीं है। वह काम सामान्य नागरिकों का है। मान लीजिये, राज्य मौजूदा सरकार से बहककर किसी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दे और सैनिक बहने लगे कि यह युद्ध की घोषणा ठीक नहीं है; अतः युद्ध करने में इन्कार कर बैठें तो क्या होगा? राज्य का शासन ही जायेगा तथा धारकासना फल जायेगी। इसी प्रकार मान लीजिये देश में अस्वस्थता उत्पन्न हो गई है, जनता प्रसुप्त होकर दगा करने लग गई है, उसे जाग करने के लिए सैनिकों को बुला लिया गया है। ऐसे समय यदि सैनिक लोग बहें कि हम दंगों को नहीं रोकेंगे, तो क्या होगा? उसका फल समाज की दृष्टि से निश्चित ही बहुत भयानक होगा। यह माना कि सैनिक लोग यंत्रवत् निर्जीव नहीं हैं। यह भी माना कि वे नागरिक हैं तथापि जो व्यवसाय उन्होंने स्वीकार किया है, उस व्यवसाय के नैतिक धारकों को तो उन्हें स्वीकार करना ही होगा। यदि बसाई को बकरा काटते समय रलाई घा जाय, तो बहना होगा कि वह उस ध्येय की दृष्टि से प्रयोग्य है। सैनिक का कर्तव्य है कि उसे जो धारकास मिले, उसका बगैर किसी न नुन च के तथा पूरी तरह से पालन करे। दिया गया धारकास योग्य है या प्रयोग्य; इस बात का निर्णय करना उसका काम नहीं है। अगर वह धारकास उसे अनुचित लगता हो, तो भी उसका कर्तव्य एवं धर्म यही बहता है कि उसे उसका पालन करना ही चाहिये। विद्यमान कानून के अनुसार न्यायाधीश को न्याय देना चाहिये। वह हो सकता है, गलत हो, अनिष्टकारक हो तथापि उसे ताक में रखकर न्याय देना सम्भव नहीं। यदि न्यायाधीश अपनी मर्जी के मुताबिक न्याय देने लग जाय तो समाज में निश्चिति नहीं रह सकेगी तथा कोई भी यह बताने में असमर्थ रहेगा कि कानून क्या है। यदि कानून के मुताबिक फैसला देना पसन्द न हो, तो न्यायाधीश को चाहिये कि वह अपने पद से हट जाय। दिया गया धारकास पालन करने की इच्छा न हो, तो सैनिक को नौकरी छोड़ देनी चाहिये। परन्तु यदि नौकरी छोड़ने की छूट दे दी जाय तो समाज की दृष्टि से वह भी प्रयोग्य ही साबित होगा। देश की रक्षा के लिए जिन सैनिकों को वर्षों से तालीम देकर तैयार किया गया है, वे यदि सुरक्षा का वक्त घाते ही नौकरी से हट जाय करें तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड जायेगा। अतः सैनिकों को यह अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। बहने का धर्मिप्राय यह कि मत स्वतंत्रता का अर्थ भले ही यह हो कि जो जो में धारके सुनो, जो जो में धारके लिखो, जो जो में धारके बोलो, तो उस पर समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक प्रतिबन्ध तो लगाने ही चाहिये।



इस दृष्टि से सैनिकों की राजनैतिक समझों में जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिये। विचारस्वतंत्रता के सम्बन्ध में सैनिकों की दृष्टि से प्रतिबन्ध होना चाहिये। इत्ता ही नहीं, इकट्ठे होने तथा संगठन स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। इस विषय में हम आगे विचार करेंगे।

कोई कह सकता है कि सिर्फ भाषण सुनने या किसी पुस्तक को पढ़ने से क्या होता है। संसार का अनुभव हमें बताता है कि विचार तथा कल्पना सामान्य बातें नहीं हैं। ये क्रान्ति के जन्मदाता होते हैं। कल्पनाएँ स्फोटक होती हैं। अतएव हर किसी विचार एवं कल्पना को खुली छूट दे देने तथा उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाने का फल जान बूझकर सामाजिक अज्ञाति एवं सघर्ष को बुलावा देना होगा। इस विचारधारा में कुछ तथ्य है। परन्तु साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि विचारों पर पाबन्दी लगा देने से सामाजिक प्रगति में रुकावट पड़ जाती है। कल्पनाओं पर लगाया गया प्रतिबन्ध सामाजिक विकास के लिये प्रतिबन्धकारक हो जाता है। अग्नि रचनात्मक भी है, विध्वंसक भी। इसी प्रकार मनुष्य की विचार-शक्ति तथा कल्पना-शक्ति भी रचनात्मक एवं विध्वंसक दोनों ही प्रकार की होती है। अतः विचारों पर प्रतिबन्ध लगाना अभीष्ट नहीं। अप्रतिबन्ध छूट देना भी अभीष्ट नहीं तथापि इस बात का फँसला करना आसान नहीं कि कौनसी कल्पनाएँ घातक हैं या विनाशकारी हैं। इसकी व्याख्या करने बँटें तो अनेक अडचनें पैदा हो जायेंगी तथा अन्त में यह सारा पचड़ा एक वेबवूफो की बात साबित होगी। कर्ना विचार-धारा से राज्य खतरे में पड़ जायेगा, यह फैसला कौन करे? जो लोग सत्ताधारी हैं, उन्हें यह काम सौंपा जाये, तो जो बात या विचारधारा उनके मन के विरुद्ध होगी, उसी को वे खतरनाक मानेंगे। समाज के भीतर, राज्य के लिये खतरा पैदा करने वाले जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे किसी की बवि कल्पना नहीं होते। विचार अनुभवों की देन होती है। जब तक कोई अनुभव न प्राप्त हो, तब तक व्यक्ति के मन में विचार जाग्रत नहीं होते। किसी-न-किसी मात्रा में यह बात लोगों की बुद्धि को जँच चाती है और इसलिए वह महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती है। उस विचारधारा को जन्म देने वाला अनुभव समाज को आये, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यवस्था में कहीं-न-कहीं कोई कमी या दोष है, यह स्पष्ट है। सामान्यतया मनुष्य की प्रवृत्ति बेकार के पचड़े या झपेने में पड़ने की नहीं होती। मनुष्य सदा धाराम से जिन्दगी बिताना पसन्द करता है तथा जो कुछ अर्थ तक होता प्रा रहा है, उसी को चमाते चला जाना चाहता है। बेकार को उखाड़-पछाड़ करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती और जब व्यक्ति इस प्रवृत्ति से हट कर कुछ करने लग जाते हैं अथवा अपने विचारों का प्रदर्शन करना आरम्भ कर देते हैं तो इसके मानी ये हो जाते हैं कि कोई न कोई बात ऐसी हो गई है, जिसका सहन करना उनके लिये कठिन हो गया है। जब तक कोई बात मर्त्री के विरुद्ध न हो जाये, व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता, यह सामान्य अनुभव है। जब लोग सरकार या राजकीय काम-काज के विरुद्ध सोचने लगते हैं, तब वेसी ही कोई बात राज्य की सरकार के द्वारा हुई होगी, ऐसा अनुमान करना गलत नहीं होगा। सरकार के विरुद्ध जब अमनोप निर्माण होता है, तब उसमें कारणों का पता चमाना गया उन्हें दूर

करना ही बुद्धिमत्ता की बात होती है। शक्ति का प्रदर्शन करके जबदंती जनता के असंतोष को दवाने की कोशिश करना राजनीति शास्त्र के ज्ञान का परिचायक नहीं है। राज्य का सच्चा स्वरूप इस बात से जाहिर होता है कि उस राज्य के नागरिकों को राज्य की भालोचना का कितनी मात्रा में अधिकार है। यदि नागरिकों को राज्य की भालोचना करने का अधिकार न हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के नागरिकों को सच्चे मानों में स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि भालोचना का अधिकार है, मतस्वतंत्रता की पूरी गुंजायश है, तो इसके मानी ये हुए कि वह राज्य प्रजाजनों के दुःख निवारण के लिये पूरी तरह तत्पर है। लोगों के दुःखों को दूर करने में राज्य जित्ती तत्परता दिखायेगा, उती मात्रा में उसे लोगों की निष्ठा एवं प्रेम की प्राप्ति होगी। लोगों को भालोचना करने तथा अपने दुःखों को सुनाने की पूरी स्वतंत्रता हो, तो लोग गडबड़ नहीं करते। क्योंकि उस प्रवस्था में बँसा करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तत्पर सरकार उपाय ढूँढ़ निकालती है तथा की गई भालोचनाओं की उपेक्षा नहीं किया करती। जहाँ कोई गुनवाई नहीं होती, पर्वान नहीं की जाती, जहाँ अधिक भालोचना का फल अधिक उपेक्षा एवं अधिक उद्दामवृत्ति होता है, वहाँ लोगों का क्षोभ बढ़ जाता है और यदि उसके विरुद्ध दबाव से काम लिया जाय, तो गुप्त भ्रान्दोलन शुरू हो जाते हैं तथा परिणाम अधिक भयानक होता है। लोगों की शिकायतों तथा दुःखों के आविष्कार पर प्रतिबंध लगाने से लोगों का असंतोष कम नहीं होता। स्वतंत्रता के लिये की गई कोशिश, जित्ती दवाई जाय, उती ही सिर ऊपर उठाती है। भाषण की स्वतंत्रता छिन जाने पर जो बात एक सभा में होती, वह गुप्त रूप में सड़कों सभाओं में होने लग जाती है। जनता के नेताओं को बंदी बना डालने से या निर्वासित कर देने से उनका प्रभाव कम नहीं होता वरन् दुगना हो जाता है। उनकी विचारधारा लुप्त नहीं होती, वरन् वह चारों ओर फैल जाती है। तिसक को जेल में डाल देने से स्वतंत्रता की इच्छा अनेक गुना बढ़ गई। सत्य को कुचलने से वह विरन्तन हो जाता है। उसे मारने की कोशिश करने से वह अधिक सम्मानित होता है। अतः स्वातंत्र्य तत्त्व तथा नीति दोनों ही दृष्टियों से अधिक अभीष्ट सिद्ध होता है। जो लोग स्पष्ट वक्ता हैं, अप्रिय सत्य बोलने वाले हैं, वही सच्चे मित्र हैं। यह ठीक है कि सत्ताधारियों की श्रुति-पाठों की भावश्यकता रहती है; पर उनके सच्चे सम्बन्धी या मित्र वे होते हैं, जो अप्रिय होते हुए भी सत्य कथन करते हैं। जो सत्ताधारी लोग सत्य को दबा देते हैं, अपनी भालोचना नहीं होने देते वे अतंतोगत्वा विनाश की ओर चले जाते हैं।

विचार स्वतंत्रता के लेख द्वारा तथा भाषण द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों में अन्तर है, यह हम कह आये हैं। जब मनुष्य किसी लिखित पुर्जा को भी पढ़ता है, तो उस समय वह अपने ही सन्दर्भ में रहता है। चाहे वह उसे ड्राम में पढ़े, ट्रेन में पढ़े या बस-स्टैण्ड पर पढ़े पर उसका वह पढ़ना वैयक्तिक रहता है। औरों को उसका ज्ञान नहीं होता। अतः उसका जो भी असर होता है, वह उसी के मन पर होता है। सभा में होने वाले भाषण की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ के भाषण का तथा श्रोताओं की प्रतिक्रिया अर्थात् बेहरे में माने वाला फर्क, लोगों की तालियाँ, चीखना-बिस्त्रोना

भाषि—दुगो प्रवार वता के बहरे मे घाने वाले पत्र तथा एविटग भाषि का भी  
 घसर पडगा है । भाषण का वातावरण एव गडभं गाभूटिक होगा है । जब कोई भाषि  
 कोई लेत या पुनक पडगा है, उग गमय मेगक का अविनाय उगके सामने नहीं होगा ।  
 भाषिभाषि और अभिनय भी नहीं होगे । लेगक वही पाठक को एव अविन मानकर  
 उगके मन पर घसर डालने की कोशिस करता है । घानी बचनार्थों को उगके मन-  
 वाने की कोशिस करता है । यहाँ मेलेर तर्क का आधार लेरर पाठक के मन को प्रति-  
 पादिन विषय की और भाषुष्ट किया करता है । पाठक भी पढ़ने-गाने या पढ़ पुनने  
 के बाद योगता-विन्ताया नहीं है । 'ऐगा होना ही पाहिये' बहुर पुनारता  
 नहीं है । पढ़ने के बाद सामान्य रूप से लोगों की प्रवृत्ति मनन की ओर होगी है ।  
 मनन करने के बाद वह सामान्य रूप से उगके सम्बन्ध मे घानी राय जाहिर किया  
 करता है । पर सभा मे ऐगा नहीं होना । यहाँ धोताधो की प्रतिक्रिया उगी वचन  
 नजर आ जाती है तथा वे सलियों द्वारा घपया अन्य घाराओ द्वारा घपनी पगन्द  
 और नापगन्द उगी समय अयन कर देने हैं और सामान्य रूप से यह सब दली  
 सीधता से होता है कि गुनने तथा राय जाहिर करने के बीच घलविराय की भी  
 गुञ्जाइस नहीं रहती । जिन्हें सभाधो का—विशेषकर ऐने समय की सभाधो का,  
 जबकि समाज मे बापी शोभ ही—घनुभव है, वे लोग जानते हैं कि एक अम्यरत  
 एव चतुर वचना सभा मे किस प्रकार घाग भडका सजता है । महाराष्ट्र मे तो यह घनु-  
 भव सर्वविदिन है । सभा सतम हुई कि लोगों ने परो मे घाग लगाना शुरू कर दिया,  
 सभा सतम हुई कि यह चलते घादमियो पर हमले शुरू हो गये, दुबानो की सूट लिया  
 गया—यह विस्ता हर किगो का जाना-पहनाना है । इसी प्रकार यह भी महत्व रगता  
 है कि जो भाषण हुमा है, वह कही हुमा है ? हरिजनों की बस्तियों मे जाकर जेंच  
 वलें के लोगों द्वारा सामाजिक घन्याय के विरुद्ध बिये गए भाषण का क्या घसर होगा,  
 यह यात प्राय. निविचत रहती है । यदि वही भाषण सामान्य बस्तियों मे हो, तो फल जुदा  
 होगा । घस हर किसम का भाषण करने की, हर किसी जगह भाषण करने की दूट  
 देना, तथा उस मामले मे सम्पूर्ण स्वतन्त्रता देना समाज की दृष्टि से अमीष्ट नहीं ।  
 भुण्ड बनाकर चलने (जुलूम) का घधिकार, मोर्चा ले जाने का अधिकार भादि सब  
 अधिकार घनुचित तो नहीं हैं, फिर भी वातावरण धुग्घ हो, तो जुलूम और मोर्चा ले  
 जाने का फल मारपीट, सिरफुडीवल तथा घागजनी भादि हो जाता है, यह भी घनु-  
 भव बघाता है । अतः, सरकार को समाज की दृष्टि से, समाज की भलाई एव सुरधा की  
 दृष्टि से कुछ भी न करने देना या करने का अधिकार छीन लेना हितकारक नहीं है ।  
 जिन भाषणों से हिंसा को बढावा मिलता हो, या मिलने की पूरी सम्भावना हो, तो  
 भाषण पर पाबदी लगाना उचित ही नहीं, सरकार का कर्तव्य कर्म हो जाता है ।  
 तथापि ऐसा समझ लेना कि वातावरण मे शोभ होने तथा लोगों के घुरी तरह क्रुद्ध  
 होने के कारण उस समय जो भाषण होगा, वह हर हालत मे लोगों की हिंसा पर उतारू  
 करने वाला होगा, ठीक न होगा । जैसा हम पहले कह आए हैं, परिस्थिति ऐसी हो कि  
 खून-खराबी की पूरी सम्भावना हो, और यदि उस पर रोक न लगाने से यह सम्भा-  
 वना एक ठोस सत्य बनने जा रही हो, तो सरकार द्वारा भाषण पर पाबदी लगाना

योग्य है या नहीं, यह बात अधिकारी लोग खुद अपनी मर्जी से निश्चित करें यह ठीक नहीं। जिस परिस्थिति में उन्हें प्रतिबन्ध किया हो, उस परिस्थिति पर पूरी तरह विचार करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार की प्रतीति होनी चाहिए। इसा सोचने-विचारने के बाद वह पाबंदी लगाई जानी चाहिए। भाषण हो चुकने के बाद पाबंदी लगाने की बात या अन्य कोई कार्रवाई करने की बात सरसरी निगाह से देखने पर उचित प्रतीत होती है। बहुत कम बक्ताओं के प्रथोभजनक भाषण करने की उम्मीद रहती है। अतः भाषण से पूर्व ही किसी अवांछनीय घटना की संभावना को लेकर सभा न होने देना सामान्यतया अनुचित प्रतीत होता है। तथापि किन्हीं खास परिस्थितियों में बक्ता पर या सभा पर अग्राह्य पाबंदी लगाना समाज की दृष्टि से हितावह एवं आवश्यक सिद्ध होता है। बक्ता ने भड़कीला भाषण दिया तथा उसके फलस्वरूप दंगा-फसाद हो गया और उसके बाद कुछ उपाय किये गए तो वे निरर्थक सिद्ध होंगे, क्योंकि जो कुछ होना था वह तो हो ही गया होता है। अतः जिस बक्ता का पूर्व चरित्र ज्ञात है, सभा में जिस विषय पर चर्चा होने वाली है अथवा जो बक्ता बोलने वाले हैं, जिस स्थान पर वह सभा होने जा रही है, तथा जो लोग वहाँ आने वाले हैं, उन सबका खयाल करके तथा भड़कीले भाषणों तथा दंगा-फसाद की संभावना को पूरी तरह आँखों के सामने रखकर ही प्रतिबंधक उपायों की योजना की जानी चाहिए। जो अत्याचार होते हैं, उनके फल अन्य लोगों को भोगने पड़ते हैं। समाज के मुट्ठी-भर आन्दोलनकारियों को खुलकर छेड़ने की छूट दे देना समाज की दृष्टि से हितावह नहीं। भाषण होने पर यदि यह साबित हो जाय कि वह भाषण बहुत अधिक भड़काने वाला था तथा उससे दंगे-फसादों का होना या समाज में गड़बड़ी का मच जाना निश्चित हो जाय, तो उसके खिलाफ कदम उठाना तथा बक्ता को सजा देना उचित होगा। हाँ, इसी बात जरूर है कि वह भाषण स्पष्ट रूप से दंगों-फसादों को भड़काने वाला होना चाहिए। यह भाषण वैसा था या नहीं, इस बात का विचार करते समय बक्ता का वैसा करने का इरादा था या नहीं, इस बात का विचार करना जरूरी नहीं। हाँ सक्ता है, उसके इरादे बुरे न हों, तथापि उसके भाषण में जो शब्द प्रयुक्त हुए तथा जिस शैली एवं अभिनय के साथ वह भाषण दिया गया, उन सबसे यदि दंगों-फसादों का होना या हिंसात्मक प्रचार का होना स्पष्ट हो, तो उस भाषण को दोषयुक्त माना जाना चाहिए। कोई भाषण इत्ते से दोषयुक्त नहीं हो जाता कि सामान्यतया उन्नत भाषण से समाज में अल्पवस्था तथा गड़बड़ मच सकती है। निःसंदेह वह भाषण कब दोषी सिद्ध होता है कब नहीं, यह निश्चित करना न्यायाधीश का काम है। तथा उसी को देखना चाहिए कि उस भाषण का सामान्य जनता पर क्या असर होगा और तब अपना फैसला देना चाहिए। सभा में किस लेबल के लोग थे, इसका भी उसे विचार करना होता है। इसी प्रकार भाषण के समय समाज में क्या स्थिति थी, इसका भी विशेष विचार करके उसे अपना फैसला देना चाहिए। अगर कुछ ही लोगों को वह भाषण अप्रिय लगा हो, या समाजविरोधी लगा हो, तो न्यायाधीश को अपनी दृष्टि उनकी भाँति नहीं बनानी चाहिए। सामान्य जनता को उस भाषण के बारे में क्या लगता है तथा सामान्य जनता पर उसका क्या असर होता, इस बात का विचार किया जाना चाहिए। यह सम्भव है

कि भाषण में सरकार बठिनाई में पट गई हो, नाराज हो गई हो। तथापि सरकार की बठिनाई या नाराजगी पर ध्यामाधीन का फँगना घयनम्बित नहीं रह सकता। भाषण स्वतंत्रता नागरिकों का अधिकार है तथा समाज की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखने हुए फँगना किया जाना चाहिए। भाषण में प्रकलित सरकार पर असन्त बढोर दम्भों में आलोचना हुई है, इनमें उमको आलो-पाहं नहीं गमभना चाहिए। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समाज में जो कुछ चल रहा है, उसके विरुद्ध एक दम्भ भी गुनने को तैयार नहीं होते। तथा कुछ ऐसे भी स्वयमन्य एषं अपने को सर्वज्ञ समझने वाले हूटो व्यक्ति या मन्त्री सरकार में होते हैं, कि उन्हें इस प्रकार की आलोचना सहन नहीं होती परत ये इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह मानते हैं। नवीन विचार तथा प्रयोग उन्हें बढों की तरह घटकते हैं तथा ये इस प्रकार के नव-विचार-प्रवर्तक लोगों को जेल में डालकर समझते हैं कि हम समाज का भला ही कर रहे हैं। तथापि नागरिकों की मत स्वतंत्रता का विचार करते समय तथा उम पर लगी सीमाओं का निर्देश करते समय जित्त मुख्य मूत्र का गपाल रचना होता है, वह है समाज का धाज का तथा धाने वाले बल का हित तथा वह हित भी किन्ही इने-गिने लोगों का या किन्ही छोटे-मोटे दल का नहीं; परन्तु सर्व सामान्य जनता का हित।

उल्लिखित विचारधारा का मुख्य मुद्दा यह है कि राज्यकर्ताओं के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण सुगम नहीं होना चाहिए। इस विषय में अलिखित या लिखित संविधान द्वारा कुछ-न-कुछ सीमाएँ अवश्य होनी चाहियें तथा उनका पूरी तरह पालन किया जाना चाहिये। बहुत बार ऐसे विचार प्रति-पादित किये जाते हैं कि नागरिक की दृष्टि से तथा राज्य की दृष्टि से जो सीमाएँ होती हैं, उनका विचार करते समय शान्तिकाल तथा सकट एवं सघर्ष काल का भेद अवश्य किया जाना चाहिये। दोनों स्थितियों में सरकार पर एक जैसे बन्धनों का रक्षा जाना तथा नागरिकों को एक जैसी स्वतंत्रता का प्रदान किया जाना ठीक नहीं। न वह अभीष्ट है, न न्यायोचित ही। समाज तथा राज्य व्यक्ति को सुखी रखने के लिये हैं। जहाँ यह दोनों सुख्यवस्थित रहते हैं, वहाँ शांति बनी रहती है और तभी व्यक्ति तरवकी कर सकता है। समाज की प्रगति भी तभी हो सकती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के नागरिकों की रक्षा हो—बाहरी आक्रमणों से भी तथा भीतरी दंगो-फमादों से भी। सगठित संरक्षण केवल राज्य ही से प्राप्त हो सकता है। राज्य का मुख्य लक्षण तथा कर्तव्य भी वही है। जब तक जीवन और धन के बारे में निश्चिन्तता न हो, तब तक नागरिक स्वतंत्रता का उपयोग सम्भव नहीं हो सकता। 'सिर सलामत तो पगडी पचास' वाला न्याय यहाँ भी लागू होता है। मत: यदि हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता बनी रहे तो राज्य में शांति और सुखवस्था को बनाये रखना बहुत जरूरी है। और चूँकि यह काम राज्य का है; मत: उस काम के लिये आवश्यक शक्ति राज्य के हाथ में जरूर होनी चाहिये। जब राज्य में गदर मचा हो, बाहरी शत्रु का राज्य पर आक्रमण हुआ हो, उस समय विचार स्वतंत्रता के मौलिक अधि-कारी में कमी करने या उन्हें कुछ समय के लिये उठा रखने की शक्ति भी राज्य के

हाथ में होनी चाहिये। तार्किक दृष्ट्या आन्तरिक विद्रोह प्रयत्न चाहरी आक्रमण के काल में राज्य के हाथ में उल्लिखित शक्ति के दिये जाने में इन्कार नहीं किया जा सकता। जब आन्तरिक विद्रोह मचा हो, राज्य में फूट पड़ी हो, राष्ट्र विभक्त हो गया हो, समाज के दो टुकड़े हो गये हों, और उभय विचारसरणों के लोगों ने वैध मार्ग को छोड़ अन्य मार्ग का अवलम्बन किया हो, उस समय भाषण तथा विचार संबंधी स्वतंत्रता का विचार तार्किक साबित होता है। जो बोलना होता है, वह बोला ही जाता है। वैध मार्ग एक ओर हट जाते हैं तथा हिंसा ने लोगों के मन पर कब्जा किया होता है। ऐसी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं देता बसंतुतः हिंसा तथा स्वतंत्रता ये दो बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। और हिंसा के लोगों के मनों पर अधिकार कर लेने के बाद सच्ची स्वतंत्रता लोगों के मन से निर्वासित हो जाती है। जब चारों ओर तलवारें खनखना रही हों, क्रान्ति की चीखो-पुकार मुनाई दे रही हो, उस समय उसका उच्चारण तक कोई नहीं करता। और जब दो पक्षों में से किसी पक्ष की जीत हो जाती है और वह सत्ताधारी बन जाता है, तब उसका पहला काम पराजित पक्ष को नेस्तोनावुद करना होता है। अपनी जीत होने से पहले वह पक्ष जिस स्वतंत्रता की मांग करने लिए करता था, उसी स्वतंत्रता से वह पराजित पक्ष को वंचित रखने का प्रयत्न करता है। भाषणों में जो भाषणी मुद्द होता है, उसमें हारें हुए पक्ष को स्वतंत्रता से तो हाथ धोना ही पड़ता है, शाखों की भी निश्चिन्ता नहीं रह पाती। सफल क्रान्तिकारकों के सत्ताधारी बन जाने पर वे आलोचना के लिये इत्ते तुनुकमिजाज बन जाते हैं कि तनिक भी आलोचना करने वाला व्यक्ति उनकी निगाह में प्रतिक्रियावादी एवं क्रान्तिविरोधी बन जाता है तथा वे उसे नेस्तोनावुद कर डालते हैं। विजयोन्माद से मुक्त होने पर शक्ति का दुरुपयोग होता है तथा विजय से पूर्व के ध्येयदर्शों लोग विजय के उपरांत प्रतिक्रान्तिकारक भावही एवं भ्रमहिप्पु बन जाते हैं। इतिहास हमें बताता है कि क्रान्ति के सफल होते ही क्रान्ति के जनक तथा नेतागण ही उनकी पहली बलि बनते हैं। विजयी पक्ष के कुछ प्रतिरोधी बोलने लगते हैं तथा शक्ति के लिये लोकहित तथा लोकानुनय का नीताम किया जाता है और जो नेता उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रान्तिविरोधी माना जाता है तथा उन्हें शक्ति से दूर हटा दिया जाता है और उनकी रथानगी या परलोक में होती है या परदेश में होती है। रॉबर्ट स्पेयर का उदाहरण हमें यही बतलाता है। मार्च, १६१७ की रूसी क्रान्ति के जनक को जो दिन देखने पड़े, वे भी यही दरसाते हैं कि क्रान्तिकारक जब सफल हो जाते हैं, तब शायद ही कही वे समाज प्रस्थापना तथा राज्य के सुप्रतिष्ठित करने के काम में नेता बन पाते हैं तथा सफल हो पाते हैं। ऐसा अनुभव सिर्फ भारत ही में आया है। इसका कारण यह है कि सत्ता की प्राप्ति के बाद नागरिकों को सब प्रकार की स्वतंत्रताओं के उपयोग के अवसर मुक्त रूप में दे दिये गये। गाँव के काल में सुराज्य की दृष्टि से राज्य के कामकाज की आलोचना होनी चाहिये। गृहयुद्ध के दिनों में तो आलोचना का सवाल ही नहीं उठता। गृह-युद्ध के क्षम होने पर सरकार को स्थापना के बाद यदि स्वतंत्रता न रहे, तो वह खानापाही घासन हो जाता है। क्रान्ति का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। क्या

यही मेरी तरफ़ा धीरे-धीरे का फल है', ऐसा कहने का प्रवृत्ति या उपस्थित होता है। गृहयुद्ध तो न हो, पर समाज में गड़बड़ हो; राज्य सत्ता की तीव्र आलोचना होती हो; राज्य की शक्ति भंग होने की सम्भावना हो, तो उस स्थिति में नागरिकों की स्वतंत्रता पर किस प्रकार का अंधा होना चाहिये इसका विचार हम पहले कर आये हैं। जहाँ कहीं क्रान्ति हुई, वहाँ सत्ताधिकारियों ने जब भी विरुद्ध आलोचना को बंद करने की कोशिश की, उसे दबाना चाहा, तब वहाँ लोकमत की सत्ताधारियों को उखाड़ फेंकना पड़ा। गृहयुद्ध के बाल में मुख्य प्रश्न होता है कि सत्ता किसके हाथ में रहे, कौन राज्य की बागडोर संभाले। गृहयुद्ध न हो; पर राज्य में संघर्ष मचा हो, तो उस समय मुख्य प्रश्न होता है कि राज्य सत्ता की नीति क्या हो तथा उसका व्यवहार कैसा हो। यह भी सच है कि गृहयुद्ध से पूर्व का संघर्ष यदि किसी संगठित पक्ष के द्वारा निर्माण किया हुआ हो तो धर्म-धर्म: उसका मुकाबला गृहयुद्ध की ओर हो जाता है। और यदि वैध रीति से सत्ता हाथ में न आई हो, या सम्बन्धित पक्ष ने अवैध मार्ग को अपनाया हुआ हो, तो राष्ट्र गृहयुद्ध की मंजिल पर पहुँच जाता है। गृहयुद्ध का फल सामान्यतया निर्णायक कुशती के समान होता है। एक पक्ष के हाथ में सत्ता आ जाती है और दूसरा पक्ष परास्त हो जाता है। नष्ट हो जाता है। सत्ता प्राप्ति के बाद नागरिक स्वतंत्रता का सवाल पैदा होता है। पर उस समय जो लोग पराभूत हो जाते हैं, वे देमट्रोही माने जाते हैं। जो लोग विद्रोही थे, वे सफलता मिलने पर सत्ताधीन बन जाते हैं। सफल क्रान्तिकारकों के सामने प्रश्न यह उठ पड़ा होता है कि उनके विरुद्ध विद्रोह न हो, इसके लिए क्या तरीका बिया जाय। और तब जो तरीका काम में लाया जाता है, उसके आधार पर यह निर्दिष्ट किया जाता है कि जो राज्य अस्तित्व में आया है, उसका स्वरूप क्या है। सच देखा जाय तो दोनों ही दल सत्ताधियों को काम में लाते हैं; अतः पराभूत पक्ष के लोगों को, हिंसा या अशान्ति करने के बहाने, एक सिरे से फौजी पर धडा देना या फौजी अदालत के मार-पट्ट गोलियों में उड़ा देना न्याय के अनुकूल नहीं होता। पर उस समय जो लोग सत्ताधारियों बनने हैं, वे न्याय को एक वेतार का अडगा मानने हैं। जिन लोगों ने उग आन्दोलन में भाग नहीं लिया, उन्हें भी सत्ताधारियों लोग स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों का उपभोग नहीं करने देते। जहाँ कहीं ऐसा होता है, वह नागरिक स्वतंत्रता की दृष्टि में अनुचित है। सत्ता हस्तगत करने वालों को याद रखना चाहिये कि जिन लोगों ने गृहयुद्ध में भाग लिया है, वे लोग गृहयुद्ध में पहले एक ही राज्य के नागरिक थे। एक ही राष्ट्र के अंगों में तथा गृहयुद्ध के पदचान् भी उगी अन्तर्गत को पुनः स्थापित करने में ही न्याय है, मौलिक है तथा नये सत्ताधारियों के लिए निर्दिष्टता है।

सामान्य अनुभव हमें बताता है कि क्रान्ति के पदचान् बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ सत्ता हस्तगत करने वालों ने सत्ता का दुर्लभोपयोग न किया हो। धार्मिक भारत में अब तक गृहयुद्ध की परिस्थिति नहीं आई, तबानि उगमें पूर्व के समय में गृहयुद्ध उगसधिकार का अंगद आया करता था। जब ऐसा होता था, तब उगसधिकारियों-उगसधिकारियों के बीच अंगद होता था। तब दो दल बन जाते थे और

उनमें लड़ाई शुरू हो जाती थी। जो जीतता यह गद्दी पर बैठता। गद्दी पर बैठने-पर या तो उसे यमलोक जाना पड़ता या राज्य से बाहर निकल जाना पड़ता। उन दिनों प्रजातंत्र नहीं होता था अतः सामान्य जनता इस गृहयुद्ध में भाग नहीं लेती थी। सरदार लोग या उत्तराधिकारियों के दृष्टिगत ही उसमें भाग लेते थे। साहजहाँ के पुत्रों में हुई लड़ाईयाँ उस काल के गृहयुद्ध के स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। इतिहास में भ्रातृहत्या तथा पितृहत्या तक के उदाहरण मिल जाते हैं। सत्ता हाथ में आते ही प्रतिप्रशवप के उदाहरण मराठों के इतिहास में उल्लेख होते हैं। जो राजगद्दी पर हो या जो आने वाला हो, उसका मुल्लम-मुल्ला बध किया जाता था। नागरिक स्वतंत्रता की कल्पना उन दिनों प्रचलित नहीं थी। इस कारण सत्ता प्राप्ति के बाद किमका बध हुआ, कौन अधिकारच्युत किया गया, इस बात की महत्त्व प्राप्त नहीं था। जिनके नाम की मुनादी हुई या डंका बजा, प्रजा उसी के पीछे हो जाती थी। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्ता प्राप्त होने के बाद सत्ताधारी लोग हाथ में आई सत्ता का दुरुपयोग ही करते हैं। अमेरिका के इतिहास में गत शताब्दी के मध्य में, उत्तर के तथा दक्षिण के राज्यों के बीच युद्ध हुआ तथा उस गृहयुद्ध में जो विजयी हुए, उन्होंने हाथ में आई सत्ता का दुरुपयोग ही किया। इसी प्रकार असाधारण तथा संकटकालीन परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर कानून द्वारा दिये गये विशेष अधिकारों का भी दुरुपयोग हुए बिना नहीं रहा। १९१६ में भारत में, विशेषतः पंजाब में, मार्शल लॉ लागू कर दिये जाने के बाद जो कुछ हुआ उसका तात्पर्य यही है कि हाथ में अधिकार के आते ही अनुरूप मदमत्त हो उठता है। उसका विवेक रह नहीं जाता। अधिकार तथा कानून दोनों का दुरुपयोग होता है। न्याय के साधारण तरकों की भी उपेक्षा कर दी जाती है। छोटे में धाराध पर कड़ी-मे-कड़ी सजा दी जाती है। कामकाज की रीति को भी उपेक्षा कर दी जाती है। फौजी कानून का यही अर्थ लगाया जाता है। अमृतसर में जो कुछ हुआ, उसमें भी यही कुछ प्रकट होता है। १९३० में शोलापुर में जो हुआ वह भी यही प्रकट करता है। जहाँ-जहाँ जोर-जबर्दस्ती की गई, वहाँ-वहाँ जो भी घटनाएँ हुई हैं, उनमें यही प्रकट होता है कि एक बार जोर-जबर्दस्ती से काम लिया जाने लगा कि व्यक्ति के सारे अधिकार, सारा मालमत्ता, जीवन, प्रतिष्ठा आदि सब नष्ट हो जाता है। राज्यकर्ता समझने लगते हैं कि वे तनवार तथा लाकत के बल पर शांति तथा व्यवस्था बनाये रख सकते हैं तथा लोगों की प्रीति भी प्राप्त कर सकते हैं। शांति और व्यवस्था ही तो जाती है, पर असंतोष की एवं द्वेष की भाव भीतर ही भीतर लोगों के मन में सुजगती रहती है। समुद्र में जिस प्रकार बड़बानल प्रचलित होता है, उसी प्रकार लोगों के मनरूपी समुद्र में द्वेष प्रचलित होता रहता है और राज्य के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो जाती है तथा राज्यकर्ताओं की जनता का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसी राज्यक्रान्ति में पहले जारसाही ने यही किया तथा जारसाही को यही अनुभव प्राप्त हुआ। और अन्त में १९१७ में विद्रोह में एक अमृत-पूर्व शांति हुई। यही कुछ अमृतसर तथा शोलापुर की घटनाओं के बाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन को ५० वर्ष तक कुचलने की कोसिस की गई पर उसे कुचला नहीं जा सका। अन्त में स्वतंत्रता आन्दोलन को और ज्यादा बढ़ावा मिला,



उत्तरी तावत घोर ज्यादा बढ़ी तथा उसे अधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल हुई। जोर-जुल्म से भले ही कोई ग्याप का स्वांग मर सके, पर सही मानों में ग्यापामीन के हाथो ग्याप नहीं मिल पाता। ग्यापामीन की सगाम सरकार के हाथ में होगी है। कायेंतारिणी (एम्ब्रीस्यूटिव) द्वारा ग्यापदान का धर्म होता है ग्यापदान में इन्कार करना। घोर शांति एवं अन्तराष्ट्रीय की रक्षा के नाम पर सरकार को यह करना पड़ता है, ऐसी जब सरकार की घोर से दुर्दाई दी जाती है, तब उसका धर्म इना ही होगा है कि शांति स्थापना के नाम में ग्याप बुद्धि का गला घोंट दिया गया है।

अब तक हम यह विचार कर रहे थे विचार स्वतंत्रता की क्या सीमाएँ होगी चाहिएँ—शांति काल में, शांति भंग होने के काल में तथा प्रत्यक्ष युद्ध-युद्ध छिड़ जाने के काल में। अब हम इस विषय पर विचार प्रस्तुत करेंगे कि विचार स्वतंत्रता की उस समय क्या सीमाएँ हों, जब देश पर दूसरे देश का आक्रमण हुआ हो, तथा देश युद्ध में लगा हुआ हो। युद्ध के समय व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकारों का जो सवाल पैदा होता है, उसका रूप पर्याप्त भिन्न होता है। उस समय सबसे महत्त्व का विषय होता है जीवित रहना। राष्ट्र यदि जीवित रहा, सभी नागरिकता की बात की जा सकेगी। राज्य बचा रहा सभी नागरिक स्वतंत्रता की बात की जा सकेगी। सातत्य यह कि सिर सलामत रहे, सभी पगढी की बात हो सकेगी। मान लीजिये कि परदेशी सेनाएँ हमारे देश की सीमा पर सड़ी हैं या सीमा के भीतर घाई हैं। ऐसे समय यदि कोई नागरिक अहिंसा का प्रचार करने लगे, बहे कि लडो मत, सेना में भर्ती मत होमो, सरकार को पैसे में मदद मत दो। तो उस समय सवाल यह पैदा होता है कि नागरिक अधिकारों एवं विचार स्वतंत्रता के नाम पर उसे कैसा प्रचार करने दिया जाय या उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया जाय। घोर इस सवाल का एक ही जवाब यह है कि उसे राष्ट्र के हित की दृष्टि से जेल में डाल देना चाहिये। इसी प्रकार केवल यही न हो कि दुश्मन की सेनाएँ सीमा पर सड़ी हैं या भीतर चली घाई हैं, बल्कि एक-एक करके हमारे गाँव घोर कस्बे दुश्मन द्वारा जीते जा रहे हों, उस समय यदि कोई भाषण एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए लोगों के हौसले को कम करता शुरू कर दे, तो उसे भी कैसा नहीं करने दिया जाना चाहिये, यह बात हर कोई स्वीकार करेगा। शांति के काल में व्यक्ति के अधिकारों में एक प्रकार की वैयक्तिकता बनी रहती है। घोर उन पर अंकुश लगा भी दिया जाय तो वह केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। पर दुश्मन के हमले के दिनों में वैसी व्यक्ति विषयक भावना नहीं रह जाती। जो हमला हुआ होता है, वह सारे राज्य पर होता है। जो रक्षा करनी होती है, वह व्यक्ति की नहीं, बल्कि सारे राज्य की करनी होती है। इस अवस्था में, राज्य के व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाते, वे सब राज्य एवं राष्ट्र का संगठित रूप बन जाते हैं। वह एक असामान्य परिस्थिति होती है। ज़िंदगी और मौत का सवाल व्यक्ति की दृष्टि से नहीं; राष्ट्र की दृष्टि से उत्पन्न होता है। ऐसी हालत में दार्शनिक विचार अर्थहीन हो जाते हैं। वैयक्तिक अधिकार अप्रस्तुत मान्य हो जाते हैं। सब के मन एक ही बात पर केन्द्रित रहते हैं या उन्हें होना चाहिये। अतः शांति तो दूर, युद्ध-युद्ध के काल में भी जो विचार अधिक महत्त्व

रखते हैं, उन्हें भी इस समय अर्थात् युद्ध के प्रसंग में स्थान नहीं रहता तथा रहना भी नहीं चाहिये। तथापि प्रत्यक्ष युद्ध होने के समय, युद्ध के चालू रहते समय, युद्ध खत्म हो जाने पर तथा सबसे महत्त्व की बात यह कि युद्ध शुरू होने से पहले व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में क्या दृष्टि होनी चाहिये; इन सब बातों का विचार करना बहुत जरूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ रही हो, युद्ध होने की सम्भावना बहुत बढ़ चली हो, भासमान में वादान घुमड़ रहे हों, हवायें बहने लगी हों, विजलियाँ भी चमकने लगी हों, ऐसी अवस्था में नागरिकों को क्या करना चाहिये—क्या वे चुप रहें तथा अपने विचारों को मन ही में रलकर निष्क्रिय बने रहें? कुछ लोगों के मत में सम्भव है कि मौजूदा सरकार की नीति गलत हो, कुछ लोगों की राय में युद्ध होने से देश का सर्वनाश होता हो; तो सवाल यह पैदा होता है कि उस समय उन्हें अपने विचारों को प्रकट करना चाहिये या नहीं। यदि एक ओर यह आशंका हो कि अपनी राय को खुल्लमखुल्ला प्रकट कर देने से शत्रु का समर्थन होता है, उसे भ्रष्टा लगता है तो दूसरी ओर यह भी खतरा बढ़ जाता है कि राय के जाहिर न करने से मौजूदा सरकार की अनुत्तरदायिता और अधिक बढ़ जाय। जो लोग सरकार के विरोधी होते हैं, उनका भी अपना एक दृष्टिकोण होता है, उनके भी कुछ सिद्धांत होते हैं तथा यदि वे प्रत्यक्ष संकट के उपस्थित होने से पहले अपने विचारों को जनता के सामने न रखें तो एक दृष्टि से उनकी बड़ी भारी कर्त्तव्यच्युति होगी। नागरिक के कर्त्तव्य उस समय निश्चित रूप से क्या है यह बताना नागरिक के लिए भी कठिन हो जाता है। क्योंकि उस समय वह जो कुछ करेगा, उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। उसका असर केवल देश पर ही पड़े सो बात नहीं, विदेशों पर भी उसका असर होता है। केवल इसलिये कि युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या नागरिकता के अधिकारों को तिलांजलि दी जाय? या उन्हें निःप्रभ कर दिया जाय? या युद्ध के आरम्भ होने के बाद सब प्रकार की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया जाय? इन प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल होता है। युद्ध शुरू होने से नागरिकता स्थगित हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। युद्धकालीन स्थिति के नाम से राज्य हमसे अधिक सेवा तथा सहयोग की इच्छा रखे इसा ही नहीं अनिवार्य भी बरदे, तथा हम उसके बारे में कुछ भी न बोलें, कुछ भी न लिखें, युद्ध विरोधी कुछ भी काम न करें, इस बात की हमसे सिर्फ उम्मीद ही न रखे वरन् हम पर बैसा न करने के लिए दबाव भी डाले, तो उस अवस्था में सरकार का यह काम उचित होगा या अनुचित यह कहना कठिन हो जायेगा। आप भी सोचिये, राष्ट्र ने जिस युद्ध की घोषणा की है, वह यदि किसी की सन्तुष्ट अनुचित लगता हो, तो वह क्या करे? युद्ध किसी छोटे राष्ट्र के साथ हो या बड़े राष्ट्र के, छोटे पैमाने में हो या बड़े पैमाने में, प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि उसका उद्देश्य उचित है या नहीं यह निश्चित करने का अधिकार, युद्ध के घोषित हो चुकने के बाद, व्यक्तिगत नागरिक को है या नहीं। केवल इसलिये कि सरकार ने युद्ध घोषित किया है, नागरिक अपने मन की बात को जाहिर न करे तथा युद्ध के बारे में विचार तक करना छोड़ दे तो इसका अर्थ यही होगा कि मौजूदा सरकार को बारे कागज पर दस्तखत करके दे दिया है, भागे उस पर वह जो जो मैं चाहें सो लिख डाले। सच पूछिये तो संकट के काल में सरकार को आलो-

चना की आवश्यकता ज्यादा होनी चाहिये। तथापि इतिहास हमें बताता है कि जो लोग सार्वत्रिक दृष्टि से तथा व्यावहारिक दृष्टि से युद्ध का विरोध करते हैं, सरकार उनके विच्छेद लोकमत को कल्पित करने का प्रयत्न किया करती है। जिन लोगों को लगता है कि जो युद्ध घोषित हुआ है, वह उचित है तथा उसमें सरकार की कोई गलती नहीं, उनके बारे में कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। वे लोग अपनी बात कहते भी हैं तथा युद्ध में सहायता भी करते हैं। पर जिन्हें यह लगता है कि युद्ध की घोषणा उचित नहीं है, वे क्या करें? उन्हें दिन से यह महसूस होता है कि जो युद्ध होने जा रहा है या हो रहा है, वह सब तरह से अनुचित है तथा उससे राष्ट्र का ग्रहित होगा। तब उन्हें अपना मत प्रदर्शित करना चाहिये या नहीं? पुनश्च, वेचल मत प्रदर्शित करके ही रुक जायें या युद्ध-विरोधी कोई मोर्चा भी खड़ा करें? और मान लीजिये, उन लोगों ने वंसी कोई बात की, तो वे राज्य की रक्षा के लिये मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए? पहले विश्वयुद्ध के समय इंग्लैंड के कितने ही मजदूर नेताओं को युद्ध प्रिय नहीं था। उन्हें अपने मत को स्पष्ट रूप से प्रकट करना एक नैतिक कर्तव्य प्रतीत हुआ तथा उन्होंने उसके अनुरूप व्यवहार भी किया। युद्ध शुरू होने पर अपने मतों का त्याग करके सरकार की नीति को मजूर करने में निःसंदेह देशभक्ति का काम है। पर इससे थोड़ा नैतिकता को बट्टा लगता है। बहुतों को यही लगता है कि युद्ध का अर्थ है बड़े पैमाने पर तथा बहुत बड़ी तादाद में मनुष्यों की हत्या करना। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मार डालता है, तो उसे हत्या या खून का नाम दिया जाता है। पर यदि हजारों ने हजारों को जान से मार डाला तो उसे युद्ध का नाम दिया जाता है, तथा उसमें हिस्सा लेने वालों को देशभक्त, स्वार्थ-त्यागी तथा वीर पुरुष कहकर सम्मानित किया जाता है। एक आदमी खाये तो कहेगे गोबर और यदि एक समूह उसे खाये तो कहेगे श्रावणी। जो लोग सिद्धान्ततः हिंसा के विरुद्ध हैं, उनके लिये युद्ध का अर्थ होगा हिंसा का एक पैशाचिक काण्ड। यदि वे उस समय अपनी आवाज न बुलन्द करें तो क्या शांति के समय बुलन्द करें? जिन दिनों समाज में शांति रहती है, उन दिनों अहिंसा के प्रचार की उत्ती ज़रूरत नहीं होती। जब युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं, तभी लोगों को तथा राष्ट्र को अहिंसा का उपदेश देना सम्योचित कहा जा सकता है। उस समय यदि देशभक्ति से पूर्ण हृदय वाला मनुष्य चुप बैठ जाय, तो कहना होगा कि उसका अहिंसा-प्रेम महो नहीं है। देशभक्ति की तीव्र भावना के सामने यदि वह टिक न सके तो लोगों का आरोप होगा कि वह अहिंसा खरी अहिंसा नहीं, खोटी अहिंसा है। पिछले महायुद्ध में ऐसा ही प्रथम भारत के अनेक विचारकों के सामने पेश हुआ था। कांग्रेस में फूट पड़ने की नीवत या गई थी। बहुतों की सम्मति थी कि यदि भारत को आजादी दे दी जाय, तो वह युद्ध में भाग लेने को तैयार है, यह कहना इस बात का द्योतक है कि ऐसा कहने वालों का अहिंसा पर पूरा विश्वास नहीं है। जो लोग यह कहते थे कि भले ही स्वतंत्रता न मिले या उसके मिलने में देरी लग जाय; पर हम किसी भी शर्त पर अहिंसा का परित्याग नहीं करेंगे, उन्हें भी लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। गांधीजी की अहिंसा अदम्य अहिंसा थी, अतः उनका युद्ध का विरोधी होना साफ ही था। असली युद्ध के शुरू होने से पूर्व अपनी राय को जाहिर करने का

मौका हर किसी को मिलना चाहिये। और यदि कोई व्यक्ति अपने मत को साफ-साफ शब्दों में बहकर नहीं सुनाता, तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है।

व्यक्ति को जो कुछ कहना था सो उसने कह दिया तथापि राष्ट्र ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो उस समय व्यक्तिगत नागरिक का कर्तव्य क्या हो जाता है, इन पर विचार करना चाहिये। युद्ध के शुरु होने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र अपनी रक्षा के लिये लड़ रहा है। उस समय यह भावना प्रबल हो जाती है कि राष्ट्र की रक्षा से ही हमारी भी रक्षा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का युद्ध के प्रयत्नों के विरुद्ध कुछ भी लिखना, बोलना या कुछ और करना राष्ट्र की रक्षा के काम में रुकावट डालने जैसी बात हो जायेगी। युद्ध शुरु हो जाने से हर व्यक्ति को चाहिये कि वह उसे सफल बनाने की प्राणपण से कोशिश करे। विरोधी मत जाहिर करके जनता के मन में विकल्प उत्पन्न करना अहितकर होगा तथा उसका फल जनता के निश्चय, धैर्य तथा हीसले के लिये बुरा होगा। एक बार मन में संशय ने स्थान बना लिया कि मन कमजोर पड़ता चला जाता है। संकल्प डगमगाने लगता है। श्रद्धा में कमी आ जाती है। अतः युद्ध काल में सबको ऐसी ही कोशिश करनी चाहिये जिससे जनता के मन में धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा आशा पनपी रहे। युद्ध शुरु होने के बाद 'युद्ध नहीं होना चाहिये या' ऐसा कहना बेमानी हो जाता है। जो सामने आ गया है, हमें उसी का विचार करना चाहिये, उसी से लड़ना चाहिये। उस वक्त इस कहने का कोई मूल्य नहीं कि 'यदि ऐसा न हुआ होता, तो अच्छा होता।' सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह युद्ध-विरोधी राय को जाहिर होने से रोके। इसके मानी यह नहीं कि युद्ध सम्बन्धी विषयक दृष्टि से की जाने वाली धारणा पर भी रोक लगा दी जाय। युद्ध प्रयत्नों को किस प्रकार चलाया जाय, किस क्षेत्र में अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये, युद्ध का ध्येय क्या हो, युद्ध के साधन क्या हों, तथा युद्ध के बाद परिस्थिति कैसी हो इत्यादि का विचार करने के मामले में मत-स्वतंत्रता आवश्यक होनी चाहिये। जहाँ प्रजातंत्र मौजूद है, वहाँ यह सब हो सकता है। पर जहाँ तानाशाही है, वहाँ तो शांतिकाल में भी मत की स्वतंत्रता नहीं रहती ऐसी परिस्थिति में युद्ध काल में उसके होने का सवाल ही नहीं उठता। अनेकों के मन में युद्ध की सफलता के लिये 'एकमुखा अधिकार प्रमाणी (डिक्टेटोरियन) स्वरूप की सरकार होनी चाहिये। इनके विपरीत जहाँ सरकार प्रजातन्त्रात्मक होती है वहाँ सफलता निश्चित होती है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं तथा इतिहास भी साक्षी है कि दोनों विश्वयुद्धों में सफलता प्रजातन्त्री सरकारों को ही प्राप्त हुई है। प्रजातन्त्री राज्य के निर्णय सामान्यतया जनता के ही निर्णय होते हैं। और इसी वजह से जनता युद्ध के समय भी अधिक से अधिक व्यत्न करने के लिये तैयार रहती है। चूँकि युद्ध का निर्णय लोकमतानुसार हुआ होता है, अतः युद्ध शुरु होने के बाद मत की तथा विचारों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबन्धों का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है विचारों की स्वतंत्रता का होना। युद्ध काल में पूरी तरह से इनके स्थगित नहीं कर देना चाहिये। दोनों विश्वयुद्धों में, जर्मनी तथा अमेरिका के नागरिकों की स्वतंत्रता पूरी तरह स्थगित नहीं हुई थी।

इत्ता ही क्यों, महायुद्ध जब अपने पूरे योवन पर था, तब मन्त्रिमंडल बदले गये। एस्विन्वय दूर हुए और लायड जाज ने प्रधान मंत्री का पद स्वीकार किया तथा युद्ध को सफलतापूर्वक चलाया। दूसरे महायुद्ध में भी वैसे ही कुछ हुआ। चेंबरलेन हटे तथा चर्चिल प्रधान मंत्री बने तथा अपने प्रभावी व्यक्तित्व तथा वक्तृत्व से युद्ध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। युद्ध काल में मन्त्रिमण्डल का बदलना कोई सीधी सारी बात नहीं है। यह लोकमत की जीत है। और यदि लोकमत को कुचल दिया गया होता तो नालायक या अयोग्य नेताओं के हाथ में बागडोर आ गई होती तथा सफलता भी न मिली होती। अतः कहना होगा कि युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी मत सम्बन्धी स्वतंत्रता का होना राष्ट्र के हित की दृष्टि से उचित है। राष्ट्र में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं, जिनका ज्ञान तथा अनुभव राष्ट्र की सम्पत्ति होती है। मौजूदा हालत में भले ही वे अधिकार पद पर न हों, तो भी उनकी सम्मति ग्राह्य होती है और इसी से उन्हें अपना मत निर्भीकतापूर्वक राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से कह डालना चाहिये। तथा मौजूदा सरकार को इसके लिये अनुकूल वातावरण निर्माण करना चाहिये। राष्ट्र में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनकी वृत्ति यह होती है कि चाहे कुछ हो जाए वे सुलह समझौता करने को तैयार नहीं होंगे, वे पूरी तरह फंडला करना ही पसंद करेंगे। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो सम्मानयुक्त समझौता पसंद करके मनुष्य-हानि तथा वित्त-हानि को टालना चाहते हैं; यदि किसी ने सुलह-समझौते की बात उठाई तो उसे एक दम देशद्रोही कह बैठना ठीक नहीं। तथा कोई निर्णायक बुद्धि के पक्ष में हो तो उसे भी व्यवहार शून्य कहना ठीक नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यह कि युद्ध-काल में भी मत स्वतंत्रता को स्थान दिया जाना चाहिये।

युद्ध-काल में मत स्वतंत्रता की सीमायें क्या हो तथा उसे कितनी मात्रा में छूट दी जानी चाहिये, इस बारे में थोड़ा विचार हमने ऊपर किया है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की युद्ध की नीति का समर्थन करने वाली आलोचना को ही छूट दी जानी चाहिये तथा उसी सीमा तक लोगों को मत की स्वतंत्रता होनी चाहिये। उनके इस दृष्टिकोण का कुछ भी अर्थ नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। तथापि इतनी ही सीमा हो इस कथन का यह अर्थ निकलता है कि जब युद्ध चल रहा हो, तब कार्यकारी सत्ता अर्थात् सरकार की जो भी नीति हो, जनता उसे मंजूर करती है। यदि सरकार यह समझने लगे, तो उसमें एक प्रकार का खतरा है। सेना लड़ाई के मैदान में है तथा वहाँ लड़ाई जारी है, राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का आतंरिक सघर्ष नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है, तो सरकार को लगने लगता है कि उसका अपना मत ही लोगों का भी मत है। और यह स्थिति किसी भी दृष्टि से अभीष्ट नहीं कही जा सकती। वास्तव में युद्ध का प्रसंग एक राष्ट्रीय महत्त्व की वस्तु है तथा युद्ध के परिणाम मौजूदा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहते। ऐसी अवस्था में सही-सही आलोचना का न होने देना उचित नहीं। सरकार ने साथ मतभेद प्रदर्शित करने वाली सही-सही आलोचना को बंद कर डालने से सरकार की ओर से हुई भयवा होने वाली गलतियों तथा अनुचित कृत्यों के बारे में पहले से ही पकना बन्दोबस्त कर डालने जैसी बात हो जायगी। युद्ध में शामिल हुए राष्ट्रों का इतिहास

यही बताता है कि जहाँ भालोचना पर रोक लगा दी जाती है, वहाँ निःसंदेह गलतियाँ होती हैं। इतना ही नहीं, सरकार की वृत्ति भी तानाशाही की हो जाती है तथा सत्ता-धारी लोगों को लगता है कि विरोधी भालोचना करने वाले एक-दम देशद्रोही हैं। भालोचना के न होने की अवस्था में आवश्यक एवं सही-सही जानकारी लोगों के सम्मुख नहीं आ पाती तथा लोग भी सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपनी उचित राय जाहिर नहीं कर पाते। सरकार की ओर से दिये गये बयानों को शुद्ध सत्य मानना पड़ जाता है। इससे यह होता है कि सरकारी बयानों में सचार्ड को तिलांजलि दे दी जाती है, तथा जो सचार्ड नहीं होती, उसे प्रकट किया जाने लगता है। और यदि सरकार प्रचार के काम में प्रवीण हो तो, वह जनता की भाँखों में धूल भँकना शुरू कर देती है। इस प्रकार सरकार चाहें तो युद्ध की सही-सही परिस्थिति को अपने नागरिकों से छिपा सकती है। पर दुश्मन को सही-सही स्थिति का पूरा ज्ञान होता है। आक्र के आकाशवाणी के युग में अब पहले की भाँति जनता को भ्रम में धून नहीं भोकी जा सकती। तथापि दुश्मन की आकाशवाणी के काम में दस्तावेजों देना करने का भी वैज्ञानिक उपाय आविष्कृत हो चुका है। इसी प्रकार एक और भी बात है। युद्ध काल में लोगों को वही समाचार एवं विचार प्रिय लगते हैं, जो अपने राष्ट्र के लिये अनुकूल होते हैं। फलस्वरूप प्रतिकूल परिस्थिति सम्बन्धी बातें लोगों के मन को भाती नहीं। सरकारी प्रचार का संगठन भी इसी दृष्टि से काम करता है। यदि वस्तुस्थिति लोगों को न सुझानेवाली हो, तो भी उसे सुझानेवाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है। छोटी-मोटी जीतों को बड़ा-बड़ाकर पेश किया जाता है। यदि कहीं हार हो जाय तो उसे ऐसा दिखाया जाता है कि वह हार नहीं बरन् जीत की पूर्व तय्यारी है। यदि सेना को पीछे हटना पड़ा हो तो वहाँ कड़ा जायेगा कि यह सब लडाई के मोर्चे को अवस्थित करने के लिये किया गया है। सैनिकों की दुर्दशा को जनता तक पहुँचाने नहीं दिया जाता। सामान की कमी हो तो उसे भी छिपाने की कोशिश की जाती है। युद्धकाल में सरकार अहम्मन्थ, विडंबिड़ी तथा अश्रिय सत्य से तारु भी सिकोड़ने वाली बन जाती है। ऐसी अवस्था में उसे विक्रयिष्णु बनाना तथा उसके कामों में सन्तुष्ट की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिये यह अनिवार्य भी है। यदि यह सब होना है तो उसके लिये सरकार की नीति के तथा विशेषकर उनके क्रियान्वयन के क्षेत्र में अधिक सावधानी से भालोचना का होना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि इस प्रकार की भालोचना देशद्रोह मानो जाने लगे, तो उससे राज्य की नैतिक प्रतिष्ठा पर भ्रम आती है। युद्ध के बाद के काल में जो भारतीय राज्य की एकता तथा प्रगति के लिये जरूरी माने गये थे, उन पर भी बुरा प्रसर होता है। घटः युद्धकाल में भी सामान्यतया यत्र स्वतंत्रता का होना जरूरी है। इसका यह अर्थ नहीं कि यह स्वतंत्रता उतनी होनी चाहिये जितनी कि शांति के काल में होती है। युद्ध, जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, एक राष्ट्रीय विपत्ति है और उस मौके पर हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये तथा ईमानदारी से करना चाहिये तथा राष्ट्र के हित की दृष्टि से नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ अकुल का बहुत जरूरी है, यह साक है। प्रयोग विशेष में यह कहना बुरा नहीं कि

गलती पर है तथा उगने भविष्यकारपूर्वक नाम दिया है। पर हाँ, सरकार के हर काम पर निरंतर कट्टर आलोचना करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि उगने राष्ट्र के आत्म-विश्वास के नष्ट होने की आशंका पैदा हो जाती है। ऐसी आलोचना करना कि उसने राष्ट्र के होसने परत हो जायें, एक भारी होसने का ही काम है। क्योंकि युद्ध के दिनों में सामान्य जनता बहुत अधिक भायुक्त होती है। फलस्वरूप, ऐसी आलोचना की सुचलने में सरकार को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तयारि की गई आलोचना का सरकार के कार्यों पर कुछ असर प्रबन्ध होता है। बहुत दफा इन बिम्ब की आलोचना से युद्ध के समाप्त होने में मदद मिलती है। पहले महायुद्ध में यह अनुभव सा चुका है। युद्धकाल में राष्ट्र में पूरी एतता का एक ऐकमरय का होना जरूरी है, यह माना, पर वह ऐकमरय वैचारिक मन्वत का फल होना चाहिये। अपना रूप भाजा का नहीं होना चाहिये मन्वत रबर के स्टैंड जैसा नहीं होना चाहिये। कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उमरा क्रिया जनप्रतिजन सही है। तयारि युद्ध जीतने के लिये वह जो भी प्रयत्न करती है, उनमें बाधा न पड़े, देश में विररीत भावना उरान्न न हो, पराभूत मनोवृत्ति का निर्माण न हो, इन बात की चिन्ता आलोचकों को प्रबन्ध होनी चाहिये। क्रान्तिकारक पराभूत मनोवृत्ति के लिये प्रजातन्त्र में कोई स्थान नहीं, मन्व कही हो तो हो। तयारि यह है कि युद्ध शुरू होने के बाद से युद्ध के सारप होने तक सरकार का अनुभवयुक्त एव रचनात्मक आलोचना द्वारा मार्ग दर्शन किया जा सके इनकी मत स्वतन्त्रता राष्ट्र में प्रबन्ध होनी चाहिये। युद्धकाल में समय-समय पर आलोचना तथा निर्भीक आलोचना को यदि मौका न दिया जाय तो युद्ध में मिली जीत भी कभी-कभी हार से उरान्न महँगी पड़ती है। कभी-कभी युद्ध के बाद स्थापित हुई शांति अधिक स्फोटक हो जाती है। युद्ध के बाद के इंतजाम के बारे में उचित प्रबन्ध न होने से कभी-कभी युद्ध में शामिल हुए सभी राष्ट्रों को बहुत बड़ी चिन्ता का आस बनना पड़ता है। और वह शांति का काल, शांति का काल न होकर आगामी युद्ध की तैयारी का काल बन जाता है। गत दोनों विश्वयुद्धों का अनुभव इस दृष्टि में विचार करने योग्य है। युद्धकाल में तथा युद्ध के श्रोगणेश के काल में युद्ध के उद्देश्य दोनों महायुद्धों में घोषित किये गये थे। पहले महायुद्ध के काल में अमेरिका ने जो नैतिक भूमिका ली थी तथा घोषणा की थी कि नसार में लोकतन्त्र की स्थापना के लिये तथा उसके विकास के लिये यह युद्ध लड़ा जा रहा है और जिस पर विश्वास करके युद्ध में शामिल हुए राष्ट्रों की जनता ने युद्ध के प्रयत्नों की सहायता की थी, वह सब युद्ध की समाप्ति के पश्चात् आमक सिद्ध हुई। कमल के डोडे में बन्द भँवरा मन ही मन उम्मीद लगाये बँडे कि सूर्योदय होने पर यह कमल का डोडा जित उठेगा और तब मैं बाहर निकल आनंद करूँगा, पर हाथी आकर उस कमल की खेल ही को जड़मूल से उखाड़कर फेंक दे, ऐसी ही अबस्था उन लोगों की भी पहले महायुद्ध के बाद हुई। लोकतन्त्र तो दूर, संसार में शांति स्थापना के उद्देश्य से जो 'लीग ऑफ नेशन्स' नाम की संस्था बनी, वही आगामी महायुद्ध का कारण बन गई। युद्धकाल के युद्धोद्देश्यों पर, घोषणाओं पर विजयी राष्ट्रों ने विचार ही न होने दिया। उलटे दुश्मन के खिलाफ प्रचार कराने का प्रयत्न किया गया। युद्ध में जीत होते ही जीत के सम्बन्ध

में परमेश्वर के आभार माने गये तथा साथ ही जर्मनी को नेत्रोनावृद्ध करने वाले कैंसर को फोसी देने की घोषणा की गई। लोगों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि वे उम्र पक्ष को मत देंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ला लगे तथा पराजित जर्मनी तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों को ज्यादा से ज्यादा सजा देगा। इंग्लैंड में १९१६ में जो चुनाव हुए उसमें भावुकता अपने उच्चतम शिखर तक पहुँच गई थी। जर्मन जनता जर्मन सरकार के अपकृत्यों के लिये दोषी ठहराई गई तथा बात इस सीमा तक पहुँची कि जर्मन व्यक्ति को राक्षस समझा जाने लगा। सारा स्तर विचार पूरी तरह से लुप्त हो गया तथा राज-नैतिक आकाश 'बदला' 'बदला' की घोषणाओं से भर गया। फलस्वरूप जो मुलह हुई, उससे शांति का निर्माण नहीं हुआ वरन् उससे भावी युद्ध के बीज बो दिये गये तथा उसीसे दूसरा विश्वयुद्ध हुआ। यदि युद्ध काल में सभी युद्धरत राष्ट्रों के लोगों की विचार स्वतंत्रता मिली होती, तो इस किष्म की मुलह न हुई होती, ऐसा विख्यात राजनीतिज्ञों का कहना है। केवल मत की स्वतंत्रता दे देने से ये सब घातें दूर हो गई होती, ऐसा निश्चित रूप से कहना कठिन है। पर हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुलहनामे की बैठको में ज्यादा विधेक एवं सन्तुलन के भाव विचार-विनिमय हुआ होता। पराभूत राष्ट्र विद्वत् परराधियों के रू में वहाँ न आये होते तथा बदने की एवं सजा देने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा न बढ़ी होती। इसी प्रकार यदि युद्धकाल में मत की स्वतंत्रता की पूरी छूट होती, तो अनेक गुप्त सन्धियों न हुई होती तथा जब बोल-बोविया ने बड़े-बड़े राष्ट्रों की उन गुप्त सन्धियों का भाण्डा फोड़ किया उस समय उनकी प्रतिष्ठा को जो बट्टा लगा, वह न लगा होता। मत स्वतंत्रता के न होने के कारण सरकारें सारी सवाई लोगों के सामने पेश न करने में सफल हो गईं। सवाई को छिपा दिया गया तथा उसके कारण सरकार को उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो मार्ग-दर्शन मिलना चाहिये था, वह न मिल सका। तत्पर्य यह कि युद्ध चालू रहते समय भी युद्ध-मत विजय के लिये मत स्वतंत्रता एक जरूरी वस्तु है। इसी प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद के काल में वास्तविक शांति की स्थापना के उद्देश्य से भी मत स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता है। उसी की न्यायबुद्धि जागरित रहती है, जो भावुकता का श्रास नहीं बनता। ऐसे ही लोग सन्तुलित बुद्धि से विचार कर सकते हैं। ऐसे ही लोग राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विशेषतः संकटकाल में—समर प्रसंग में ऐसे लोगों को विचारों की स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिये।

मत स्वतंत्रता की कल्पना में व्यक्ति की भाँति समुदाय की मत स्वतंत्रता का भी समावेश होता है। व्यक्ति जब समाज में जन्म लेता है, उस समय अनेक सम्बन्ध भी उसके बारे में उत्पन्न होते हैं। और उन सब सम्बन्धों का ध्यरित के जीवन पर असर होता रहता है। बचपन से विबहना जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त व्यक्ति अनेक प्रसंगों में अनेक संदर्भों में अपना व्यवहार किया करता है। उसे अनेक अनुभव हासिल होते हैं, अनेक मुसीबतें उसके सामने आती हैं—जिनमें से होता हुआ वह अपनी राह बनाता है। अनेक बार वह अपने मृद के प्रयत्नों से सफलता या असफलता प्राप्त करता है। पर अनेक बार उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता से काम करना पड़ता है। चाहे वह शैव सांस्कृतिक हो, प्रौद्योगिक हो, ब्यावसायिक हो या व्यक्तिगत व्यवहार से



सम्बन्धित हो, बहुत बड़े पैमाने पर उसका वास्ता समाज से पड़ता है। व्यक्ति अकेला भी विचार कर सकता है, विश्वास ले सकता है। इस प्रकार के कुछ कामों को, जो अन्यो के सम्पर्क के बिना भी किये जा सकते हैं, छोड़ अन्य सब बातों में व्यक्ति का जीवन समाज के जीवन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों को मनाने के काम में उसे पत्नी की मदद लेनी पड़ती है। घर मालिक को मकान की मरम्मत करवाना हो तो अपने साथ रहने वाले किरायेदार से सलाह-मशविरा करना पड़ता है। नौकरी में वृद्धि के लिए उसे मजदूर सघ से सम्बन्ध रखना पड़ता है। फिन्ही राज-नैतिक मतों की चर्चा करने के लिए किसी सघ या समिति से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। यदि वह साहित्यिक है, तो उस विषय की सस्थाओं से उसका सम्बन्ध आता है। किबहुना नाना प्रकार के सघों, समूहों का चाहे वे संगठित हो या असंगठित हो, आधुनिक युग में व्यक्ति तथा उसके जीवन से इतना अधिक सम्बन्ध आने लगा है कि ये सघ एवं समूह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से अनिवार्य हो गए हैं। कहा जाता है कि हर अंग्रेज का एक बलब, एक अखबार तथा एक हॉबी होती है। भारत में भी ६०-७० वर्षों से धीमे-धीमे व्यक्ति के जीवन में सघ एवं समूह का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। और जहाँ विचार-स्वतंत्रता है, वहाँ विचार-विनिमय तो होगा ही। मुझे यदि विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसके मानी ये हुए कि मुझे जो कुछ प्रतीत होता है, मैं उसे या तो भाषण द्वारा या लेख द्वारा प्रकट करूँगा। इसके मानी ये हुए कि मुझे कोई न कोई श्रोता या पाठक चाहिए जो मेरे कहे को सुने तथा लिखे को पढ़े। मैं जो कुछ बोलूँगा या लिखूँगा उसे सुनने या पढ़ने वाले के मन पर कुछ असर पड़ता है। तथा वे भी अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मत की स्वतंत्रता समाज में कार्यान्वित हुआ करती है। मत की स्वतंत्रता के लिए समाज की जरूरत होती है। अर्थात् कुछ व्यक्ति एक जगह इकट्ठे हुए कि उनका पारस्परिक विचार-विनिमय होता है। वे संगठित हो या असंगठित हो, पर दो आदमी एक जगह जमा हुए कि वहाँ सभा हो गई। सभा के लिए कम से कम एक वक्ता तथा एक श्रोता तो होना ही चाहिए। सभा का एक अर्थ में सार्वजनिक स्वरूप होता है। तथापि थोड़े लोगों का एकत्र होना, विशिष्ट बातों के बारे में सर्वसामान्य चर्चा करना प्रजातंत्री समाज का, किबहुना आधुनिक स-ज का एक जीवनतत्व माना गया है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज में पूरा मौका होना चाहिए। और वह मौका वेबल समाज में ही उपलब्ध हो सकता है। आम गायक अपने आनन्द के लिए गाता है यह कहना एक हद्द तक सही है। तथापि उसके व्यक्तित्व एवं कला के विकास के लिए रबिक श्रोताओं की निताड आवश्यकता होती है। यही बात साहित्य-सम्बन्धी कला की भी है। कला निरपेक्ष रूप में सत्य नहीं है। यदि वैसा होना तो किसी भी साहित्यिक को पाठकों की आवश्यकता महसूस न होती। किसी चित्रकार को दर्शकों की जरूरत न महसूस होती। सन्त तुलसीदास ने स्वान्त. मुन्नाय रामचरितमानस लिखा यह सही है। पर उसे भी जो मुख हुआ वह समाज के संदर्भ ही में हुआ। अपनी रचना से जन-मनोरजन होगा, भक्तिभाव बढ़ेगा, इस कल्पना से स्वान्तः मुख का जन्म हुआ है। घट. कला, वाज्य, शिल्प इत्यादि सारी बातें समाज में ही होनी हैं, और उनमें

सामाजिक भाव होता है। उस प्रकार के भाव के उत्पन्न होने के लिए समाज में व्यक्तियों का एक जगह भ्राना जरूरी हो जाता है। आधुनिक समाज में एवत्र होने की पूरी छूट होनी चाहिए। भाषण एवं मत की स्वतंत्रता का वह एक अविच्छिन्न अंग है। किंवदन्ता, जिस मौलिक प्रेरणा से व्यक्ति के जीवन के लिए समाज की निमित्त हुई है, उसी का पोषण एकत्र होने की स्वतंत्रता द्वारा हुप्रा करता है। व्यक्ति के लिए राज्य एवं समाज की जितनी जरूरत रहती है, उतनी ही जरूरत है एकत्र होने की तथा संगठन स्वतंत्रता की। समान विचार वाले व्यक्तियों को एक जगह भ्राना चाहिए तथा उन्हें जो भी उचित प्रतीत हो संगठन की दृष्टि से उसे करें। इससे जहाँ समाज-भावना का विकास होता है, समाज की स्थिरता बढ़ती है, वहाँ इस एकत्र भ्राने से किन्हीं खतरों के भी पैदा होने की सम्भावना रहती है। अतः इस एकत्र भ्राने के अधिकार पर, संगठन स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य एवं समाज के हित एवं रक्षा की दृष्टि से कुछ अंकुशों का रहना भी बहुत जरूरी है।

स्वतंत्रता कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, यह हम पहले ही बता चुके हैं। स्वतंत्रता के उचित उपयोग के लिए राज्य द्वारा किन्हीं अंकुशों का रखा जाना अनिवार्य हो जाता है। ये अंकुश राज्य कानून बनाकर या क्रियान्वयन के आदेश देकर उपयोग में लाये जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ कानून के भूताधिक स्वतंत्रता (लिबर्टी अंडर लॉ) है। अतः संगठन स्वतंत्रता का विचार करते समय भी उस पर भ्राने वाले अंकुशों का विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सामान्य रूप से प्रतिबंधों को पसन्द नहीं करता। भले ही वे लेखक के बारे में हों, भाषण के बारे में हो या कहीं भी घूमने-फिरने के बारे में हों। पर चूँकि व्यक्ति की रहना समाज ही में है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्तियों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता का यथोचित लाभ हरेक को प्राप्त कराने की दृष्टि से राज्य के लिए सम्बन्धित प्रतिबन्धों का लगाना जरूरी हो जाता है। कानून बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग इकट्ठे हों, संघ स्थापित करें तथा उस संघ में शामिल होने वाले सभासदों पर निःसीम अधिकार चलाएँ या उन्हें सजा दें, और यह सब संगठन स्वतंत्रता के नाम पर हो, यह कोई भी पसन्द नहीं करेगा। संघ का सभासदत्व ऐच्छिक होता है तथा संघ के नियमों का उल्लंघन होने पर यदि संघ किसी सभासद पर जुर्माना करदे और वह सभासद उसे देने से इन्कार कर दे तो संघ उसे सभासदत्व से हटा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। राज्य एक ऐसी संस्था है कि उसका सभासदत्व ऐच्छिक नहीं होता तथा राज्य एक ऐसा संघ है कि उसके नियमों का पालन न करने वाले को सजा भोगनी ही पड़ती है। राज्य में जो अन्य संघ निर्माण होते हैं तथा जो रजिस्टर्ड किये जाते हैं, उन सबका सभासदत्व ऐच्छिक स्वरूप का होता है तथा किसी भी संघ को सजा देने का हक नहीं होता। यदि उन्हें बैसा अधिकार दे दिया जाय, तो वे सबके सब राज्य के प्रतिस्पर्धी साबित होंगे तथा राज्य में भ्रानकता मच जायेगी। इन सब बातों से बचने के लिए राज्य संगठन-स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। सबाल यह पैदा होता है कि ये अंकुश किस प्रकार के हों, उन्हें कब उपयोग में लाया जाय तथा किस प्रकार उपयोग में लाया जाय। समाज में अनेक किस्म के लोग होते हैं। अनेक सिर-फिरे इकट्ठे

सभी मनों ने मजिद कर रगा है। तथापि जब कानून द्वारा उगे बंद करने का प्रयत्न किया गया या किया जा रहा है, तब किसी मजिदगी की उम्मीद थी, उगी तकलता हासिल नहीं हुई। जो बात सरासरी की है, वही मारे सामाजिक गुणों की भी है। शिवाय प्रतिबंधक कानून को मोहमय बनाने के लिए समाज गुण-र्यों को समाज ४० क्यों तब मोहमय को मंदार करना पदा। सामाजिक गुणों के बहुमहत्त्व मोग हक में हों तथा अन्तर्गतक मोग उदासीन हों तथा मीजिदयेपी कोई न हों, तो समाज-गुणार सम्बंधी कानून मगन हो जाता है तथा मोगों के धारण में साम्यता के कारण प्रतिबिम्बित होता है। विवाह विधयक धोरों का अनुसर मही बनाया है। साक्षात् कानून १९२६ के समाज बना तथापि उग ममय मगारण अनुसर महीं था। फल यह हुआ कि इन कानून का पाग होना न होना बराबर हो गया। मने-मने: मोहमय अनुसर होता गया और मय धाम-विवाह मूल बड़े पैमाने पर बंद हो गया है। तथापि इस विषय में मोहमय मंदार करने को जो मयिध धमय मग्यार्ण थीं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उन्हें पूर्ण मत की स्वतंत्रता दी गई। धाएव धात्र की यह मगति दृष्टिगोचर हो रही है। एक समय था, जब मगति-नियमन के बारे में मोहमय इना विरोधी था कि इन विषय का उदायोह धमय धर्मा करना तब धमय हो गया था तथा मगति-नियमन के प्रचारको को कानून की मदिम में से लिया गया था। पर धात्र मंतति-नियमन के साधनो का सम्भरण तथा मगमबंधी प्रचार मुन्ममगुन्ता चल रहा है। साक्ष्य यह है कि समाज में मत की स्वतंत्रता को प्रशंसित करने-करते मोरमय मंदार हो जाता है, वही कानून को मही मानों में मंपता प्राप्त करा देता है। और तब उस कानून की नैतिक प्रतिष्ठा मर्यमान्य हो जाती है।

जो मत स्वतंत्रता सामाजिक क्षेत्र में होनी चाहिये, वही तथा उसी ही मत-स्वतंत्रता धाधिक क्षेत्र में भी होनी चाहिये। सामाजिक क्षेत्र में मग प्रचार धवितयो तथा मस्याधों को मंगटित होकर कुछ काम करने की छूट रहती है, उसी प्रचार धाधिक क्षेत्र में भी होना चाहिये। सामाजिक क्षेत्र में कानून द्वारा जिस धस्तु पर निश्चित रूप से प्रतिबंध न लगा हो, उसके लगाने की पूरी छूट रहती है। जिस काम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो, उसे नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। तथापि उसके बारे में भी विचार करने की, उसे कह मुनाने की तथा उसके सम्बन्ध में प्रचार करने की छूट होनी चाहिये, यह सत्य है। इसका धर्य यह हुआ कि विचार-स्वतंत्रता तो है, पर धाचार-स्वतंत्रता नहीं। सारी सम्पत्ति समाज में निर्माण होती है; मत- उस पर सारे समाज का धधिकार है, ऐसा विचार प्रतिपादित करना अनुचित नहीं। सम्पत्ति का मूल धोरी एवं मग्याय है, ऐसा कहना या दृष्टि-कोण प्रतिपादित करना अनुचित नहीं। धावश्यकता से धधिक कोई भी वस्तु धपने पाम रखना धोरी है, ऐसा उपनिषदो का उपदेश देना अनुचित नहीं। इसी प्रकार 'तेन धवतेन भुञ्जीया' कहना भी अनुचित नहीं। परन्तु इन उपदेशो के नाम पर यदि 'म' के पास की धधिक सम्पत्ति को 'ब' धीन ले तो यह उचित नहीं होगा। समाज-सत्तावाद को कानून द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जोर-जबर्दस्ती में नहीं। सपत्ति के विषय विभाजन को कर लगा कर कम करना होता है, धोरी या डाकेडनी के मार्य

से नहीं। समाज में नई कल्पनाओं के प्रचार की छूट होने का अर्थ यह नहीं कि प्राचरण भी उनके अनुरूप करना शुरू कर दिया जाए। अतः समाज में जो प्राचरण व्यक्तियों की करना है, वह मौजूदा कानून के अनुरूप होना चाहिए। जो कानून अहितकर हो, कदाचित् अनेक लोगों को वह अहितकर एवं अनैतिक प्रतीत होता हो, तो भी उसके विरुद्ध प्राचरण करना समाज की दृष्टि में अहितकर है। उस कानून को बदल डालना तथा उसे बदलने की दृष्टि से अधिकाधिक प्रचार करना, संगठित होकर प्रचार करना ठीक रहता है। जो अभीष्ट हो, जो अहितकर हो, उसको निर्माण करने की दृष्टि से संगठित होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसका अर्थ हड़ताल करना भी हो सकता है। जिस काम को करना व्यक्ति के लिए सम्भव है, उसे करना संगठन के लिए भी सम्भव होना चाहिए, इस कथन में सुसङ्गति है। तथापि व्यक्ति के हल्का-गुल्ता मचाने तथा एक समूह के हल्का-गुल्लाने मचाने में जो अन्तर है, वह काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के काम पर न जाने तथा हजारों व्यक्तियों के काम पर न जाने में अन्तर है। समूह द्वारा किये गए कृत्य का असर सामाजिक होता है, यह मुलामा नहीं जा सकता। अतः सङ्गठित एवं सामुदायिक प्राचरण का विचार समाज की दृष्टि से किया जाना चाहिए। समाज की स्थिरता तथा संरक्षण की दृष्टि से उस प्राचरण को धीरे देखना चाहिए, यह स्पष्ट है। इस दृष्टि से विचार करने पर, जब मजदूर संघ या सरकारी कर्मचारियों का संघ सङ्गठित होकर प्रयत्न करते हैं, हड़ताल का विचार करते हैं, हड़ताल करते हैं, तब उनका यह प्राचरण कुछ-एक व्यक्तियों के प्राचरण के समान नहीं हो सकता। यदि सार्वजनिक हड़ताल की जाये, या सार्वजनिक महत्व की सेवाओं में हड़ताल हो जाये, तो मौजूदा सरकार को समाज के हित की दृष्टि से उस पर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करना चाहिए। सार्वजनिक हड़ताल करके समाज के जीवन में अड़गल डालने को यदि सामान्य एवं महत्वहीन बात मान ली जाये, तो वह गलती होगी। हड़ताल का अर्थ है सङ्गठित रूप से की जाने वाली जबरदस्ती, यह स्पष्ट है। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के हड़ताल करने का अर्थ समाज की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने जैसा है। हम जो कुछ मंगते हैं, वह दीजिये, नहीं तो एक भी इंसान चीटी नहीं देगा, इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी माँगों के आभितय के विषय में सरकार को भ्रमगत कराने के बदले जबरदस्ती तथा धमकियों द्वारा अपनी माँग को मनवाया जाये। तथा यह निश्चित ही सर्वसामान्य जनता के हित में नहीं है। जो वस्तु न्यायवृद्धि को न अँचे, उसे धमकी द्वारा मंजूर करना पड़ता है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। रेलों की हड़ताल से देना भर का मातामात रुक जाएगा। डाक, तार-विभाग की हड़ताल से सुव्यवस्थित व्यवहार बंद हो जाएगा एवं समाज में गड़बड़ मच जायेगी। इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाने की सम्भावना बढ़ जाती है, ऐसा इतिहास का अनुभव हमें बताता है। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने से सरकारी कामकाज बंद पड़ जाएगा। सामान्यतया मातामात, बिजली एवं अनाज आदि की सप्लाई आदि ऐसे मामले हैं कि उनके बारे में उचित व्यवस्था के न हो तो समाज परमरासर ढेर हो जाएगा और सब कहीं भ्रष्टाचार मच जाएगा। अतः जो बातें सामाजिक जीवन के लिए अत्यन्त जरूरी हैं,

उनमें होने वाली हस्तगतों एवं सङ्घटित प्रयत्नों के विरुद्ध यदि सरकार कुछ कार्रवाई करे तो उसे उचित मानने में कोई बाधा नहीं होती।

जिस काम में समाज में कभी गड़बड़ नहीं आती या और साधुनिक व्यवस्था की उद्योग व्यवस्था काम नहीं करती थी, उस काम में मजदूर लोग संगठित होकर आन्दोलन नहीं करते थे। मजदूर तथा निर्गोत्र प्रायः एक ही रूप करते थे। प्रायः व्यवस्था उद्योग यंत्रों की जो सफल परेमान विद्ये रहते हैं, वे मजदूर उन दिनों पैदा ही नहीं होते थे। बिगान धनात्र पैदा करता तथा बाजार में में जाकर उसकी बिक्री करता था। मुम्हारे मिट्टी के यंत्र बनाता तथा उसकी बिक्री करता था। जुनाहा कपड़ा बुनता तथा मुद्द ही बाजार में जाकर बेच जाता था या या मोर व्यापारी की बेच देता था। साधुनिक उद्योग-व्यवस्था में धम करने वाले बेचम धमने धम ही के नियंत्रित होते हैं। उन्हें धर्मार्थ मजदूरों की कष्टना मान गरीबना नहीं पटना तथा पक्का मान बेचना नहीं पटना। उनका सम्बन्ध शिकं धमनी मजदूरी में रहता है। संसार मान की बीमारी की पट बड़ में उनका कोई सम्बन्ध नहीं आता। कष्टना मान मजदूरी लेना पट जाये तो उनमें भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं। उनका सम्बन्ध बेचन धमनी मजदूरी में रहता है। उत्पादन के माध्यम उनके धमने नहीं होने; उत्पादन की बिक्री में उनका सम्बन्ध नहीं रहता। कष्टना मान से उनका कुछ लेना-देना नहीं होता। संक्षेप में, एक निश्चित दर में धमना धम मासिक की बेचनी हैं और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह में उनके मालिक के हाथ में होती है। साधुनिक उद्योग-यंत्रों में मालिकी भी संगठित हो गई है। उद्योग-यंत्रों का स्वरूप भी संगठित हो गया है। जैसे मजदूरों का सम्बन्ध उद्योग यंत्रों के साथ उद्योग तक ही सीमित रहता है, उसी प्रकार उद्योग-यंत्रों की पूँजी देने वाले मालिक धर्मार्थ जिम्मेदार लोगों का सम्बन्ध भी उनके तक ही सीमित रहता है। धर्म की मरदा करना, उसे सुस्पष्टीकृत करना तथा उसे फायदेमन्द बनाना प्रादि बातों की मारी जिम्मेदारी व्यवस्थापक-वर्ग की होती है। व्यवस्थापक-वर्ग बहुत महत्व का होता है। संचालक मण्डल सामान्य देख-रेख से ज्यादा और कुछ नहीं करता। सारे धर्मार्थ व्यवस्थापक-वर्ग के हाथ में होते हैं। सामान्यतया आज के युग में छोटे-बड़े उद्योगों की मालिक व्यक्ति की नहीं होती, बरन् कम्पनी के बानून के अधीन रजिस्टर्ड सीमित पूँजी वाली निजी या सार्वजनिक कम्पनियों की होती है। साधुनिक उद्योग क्षेत्र में व्यवस्थापक वर्ग, संचालक मण्डल तथा उन्हें चुनने वाले हिस्सेदार लोग मालिक होते हैं। वे सब संगठित होते हैं तथा उसके कारण वे मजदूरों पर, जोकि असंगठित होते हैं, धमनी हूकूमत चला सकते हैं। और यदि मजदूर संगठित भी हो जायें, तो भी उनकी शक्ति सीमित रहती है। मजदूर लोग संगठित हो तो मालिक लोग छोड़ा दबकर काम करते हैं। इसके प्रतिरिक्त देश की राज्यसत्ता धमनेक बानून बनाकर मालिक एवं मजदूरों के सम्बन्धों को नियमित किया करती है। मालिक मजदूरों के सम्बन्धों के क्षेत्र में सरकार की बीच में नहीं पटना चाहिये तथा धमने के सारे भगडे उन्हें धमने धम ही तय कर लेने चाहिये ऐसी भी एक विचारधारा है। मालिक और मजदूरों के बीच कुछ समझौते हुए हैं; दोनों को उनके अनुसार ही धमने करना चाहिये तथा उस समझौते की पवित्रता को धमने

रखना चाहिये, इत्यादि बातें ऊपर से सही नजर आती हैं। पर वास्तव में जिनके बीच यह समझौता होता है, उन दोनों दलों को समान भूमिका पर होना चाहिये। कल चूल्हा बन्द पड़ जायेगा, इस डर से मजदूर को जो भी मजदूरी मिल जाये, वह उसी पर काम करने को तैयार हो जाता है। चूंकि वह राजी-खुशी से तैयार हो जाता है, अतः उसने जो समझौता किया है, वह वैध भले ही हो; पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्याययुक्त भी है। अतः जहाँ समान स्तर पर दो दलों में समझौता न हुआ हो, वहाँ जो भी समझौता हुआ हो, उसके वैध होने पर भी उसे न्यायोचित मानने की कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार बहुत दफा संगठित मजदूर लोग अपने संगठन के जोर पर अपनी माँगें मंजूर करने के लिये मालिकों को विवश करते हैं तथा मालिक भी लाचार होकर उनकी माँगें मंजूर कर लेते हैं। सो यहाँ भी जो समझौता हुआ है, वह मने ही राजी-खुशी का समझौता प्रतीत हो, पर वह वास्तव में शक्ति के जोर पर हुआ है, अतः वह देखने को वैध होते हुए भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस भवस्था में, न्यायपूर्ण तथा योग्य क्या है, इसे देखने का अधिकार पुनः सरकार ही का होना चाहिये। अतः एक दृष्टि से समाज में जहाँ कहीं भी संघर्ष निर्माण हो, वहाँ समाज की दृष्टि से, समाज की रक्षा की दृष्टि से अपनी सत्ता का उपयोग करना यह सरकार ही का अधिकार होगा। यह भी मान लिया जाना चाहिये कि संगठन की स्वतंत्रता दोनों को होनी चाहिये—मालिकों को भी तथा मजदूरों को भी। जब दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े का फैसला सरकारी अदालत के माध्यम से किया जाता है, तब दो समूहों एवं संगठनों के बीच के झगड़े का फैसला भी सरकार ही को करना चाहिये। यह सरकार का कर्तव्य-कर्म हो जाता है। जिस प्रकार स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच के सम्बन्धों में राज्य को अदालत फैसला किया करती है, उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों में भी सरकार को औद्योगिक न्याय देना चाहिये। औद्योगिक क्षेत्रों की स्वतंत्रता पर जब सरकार अंकुश लगाती है, तब समाज के हित की दृष्टि से उसकी अनिवार्यता को तथा अधिचर्य को प्रकट करना सरकार के लिए सम्भव होना चाहिये। प्रत्येक राज्य में सत्तारूढ़ राज्यसत्ता के हाथ में निर्णायक स्वरूप की शक्ति एवं अधिकार होते हैं तथा उन अधिकारों का प्रयोग तब किया जाता है, जब समाज की स्थिरता एवं रक्षा खतरे में हो। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि समाज के लिए खतरा तभी पैदा होता है, जब कि मालिक वर्ग के लिये खतरा पैदा हो। साथ ही यह मानना भी ठीक न होगा कि समाज के लिये खतरा तभी पैदा होता है, जब मजदूर वर्ग के लिये खतरा पैदा हो। जो भी खतरा हो वह सारे राज्य के लिये होना चाहिये। किसी एक वर्ग या हिस्से के लिये खतरा पैदा हो गया हो तो वह खतरा सारे समाज के लिये है, ऐसा मानना ठीक नहीं। अनुभव यह बताता है कि सरकार की निर्णायक शक्ति मालिकों के पक्ष में जाती है तथा मालिकों के फायदे के लिये उसका उपयोग किया जाता है।

समाज के किसी व्यक्ति या समूह का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रीति से सरकार के ऊपर जोर या दबाव डालना उचित नहीं है। व्यक्ति अथवा समूहों को जो कुछ प्रतीत हो, वह उन्हें वैध एवं धार्मिक उपायों द्वारा हासिल करना चाहिये।

घौर इन उपायों में से सबसे अधिक शक्तिशाली उपाय है चुनाव के समय अपने मत देना। अपने संगठन के जोर पर हड़ताल करने जैसी सीधी कार्रवाई (डायरेक्ट एक्शन) ठीक नहीं, ऐसा कहना सामान्यतया ठीक ही है। हड़ताल शुरू करके सरकार के ऊपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है। घौर तब सरकार के लिये उन उपायों का अवलम्बन करना कर्तव्य-कर्म हो जाता है, जो समाज के हित को दृष्टि से जरूरी हों। सार्वजनिक हड़ताल का अर्थ केवल यही नहीं होता कि किसी बातों एवं माँगों की पूर्ति के लिये वह की जा रही है। सामान्यतया सार्वजनिक हड़ताल अथवा सहानुभूति प्रकट करने के लिये की जाने वाली हड़ताल क्रान्ति का एक हथियार बन जाती है। संविधान में सामाजिक अथवा आर्थिक ढाँचे को बदलने के लिये जो विधि बतलाई गई है, उसका अवलम्बन न करके असंवैधानिक विधि से उस ढाँचे को बदलने के लिये हड़ताल एक क्रिम के हथियार का काम देती है। घौर जो असंवैधानिक है निश्चय ही वह एक अवैध एवं अनुचित वस्तु है। अतः उसे कुचनना तथा उसके विरुद्ध उपाय करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। तथापि हड़ताल एवं सार्वजनिक हड़ताल के सम्बन्ध में उक्तिवित्त विचारधारा को सामान्य रूप से मंजूर करके भी, सरकार द्वारा की गई जरूरी कार्रवाई की निन्दा करने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि हड़ताल के लिये जो कारण बताये जाते हैं क्या वे सही हैं? तथा क्या उन कारणों के लिये हड़ताल करना उचित है? हड़ताल कोई सीधा-सादा साधन नहीं है। छोटी-मोटी बातों के लिये उसका उपयोग नहीं करना चाहिये, इसे हर कोई मंजूर करेगा। तथा हड़ताल एक ऐसी क्रिया है कि जिसके मंत्र-तंत्र में यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाय तो उसका दुष्परिणाम हड़ताल करने वाले के ऊपर तथा समाज पर उलटा भी हो सकता है। घौर यदि वह हड़ताल सार्वजनिक हो, तो उसका अप्रत्याशित स्वरूप का ऐसा भी फल हो सकता है कि लेने के देने पड़ जायें। अतः एकत्र आने की स्वतंत्रता तथा उसमें से उत्पन्न होने वाली संगठन-स्वतंत्रता का उपयोग करते समय अधिक-से-अधिक जागरूकता एवं उत्तरदायिता से काम लेना चाहिये। हड़ताल करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, ऐसा माना भी जाय, तो भी वह ऐसा अधिकार नहीं है, जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा किया जा सके। साथ ही, यदि हड़ताल न की जाय तो मजदूर लोग या सम्बन्धित समूह गुलाम ही बना रह जायेगा, ऐसा मानने की कोई बजह नहीं। हड़ताल का विचार करते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि वह निजी उत्पादन क्षेत्र में है या सरकारी क्षेत्र में। निजी क्षेत्रों में उत्पादन का उद्देश्य अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाना होता है। सरकारी उत्पादन में मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा। निजी उत्पादन क्षेत्र में अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाने, कम-से-कम खर्च में उत्पादन करने तथा अधिक-से-अधिक दामों में उसे बेचने की प्रवृत्ति काम करती है। अतः वहाँ यदि मजदूर लोग हड़ताल कर बैठें तो यह सही है कि परोक्ष रूप में उसका समाज पर असर होता है तथापि उसका सबसे ज्यादा असर होता है उद्योग-पंथों के निजी मालिकों के नफे पर। अतः निजी क्षेत्रों में हड़ताल हो जाय तो तत्काल उसे गैर-वानुवी ठहराना तथा अपनी सारी शक्ति खर्च करके उसे नेरनोनोवुद करना सरकार के लिए उचित नहीं। सामान्यतया निजी

क्षेत्रों में हड़ताल का उद्देश्य एवं कारण मजदूरों से सम्बन्धित परिस्थिति होती है। वेतन, काम के घंटे, तबादला, काम की पालियाँ, बढ़ती, अधिकारियों का हृदयहीन बर्ताव इत्यादि मामलों को लेकर हड़तालें होती हैं। और सहानुभूति प्रकट करने के लिये की जाने वाली हड़तालें भी इन्हीं किन्हीं कारणों को लेकर भ्रष्ट स्थान के मजदूरों द्वारा की जाती हैं। अतः उन्हें सहानुभूति प्रदर्शक हड़ताल कहा जाता है। यदि कोई हड़ताल मजदूरों के मामलों को लेकर हुई हो, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए किसी और जगह हड़ताल हुई हो, या इन्हीं मामलों को लेकर सार्वजनिक हड़ताल हुई हो, और वह सबकुछ बेसी ही हो, तो सदैव सरकार को अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। यदि बेकारी भत्ता, काम के घंटे आदि बातों को लेकर सार्वजनिक हड़ताल हुई हो, तो उसमें थोड़ा-सा दोष सरकार का भी होता है। मजदूर-विषयक कानून सरकार को बनाने चाहियें तथा उन पर प्रभल भी करना चाहिये। मालिकों के मुनाफे पर संकुच होना चाहिये। मालिक तथा मजदूरों के बीच झगड़े उठ खड़े हों तो उनका फँसला करने के लिए योग्य मदीनरी होनी चाहिये। ये सब बातें सरकार के कर्तव्य क्षेत्र में आती हैं। अतः निजी घंटा की परिस्थिति को लेकर भी गई सार्वजनिक हड़ताल को केवल यह कहकर कि वह सार्वजनिक स्वरूप की हड़ताल है तथा उससे सार्वजनिक जीवन में रुकावटें पड़ने की सम्भावना है, भ्रष्ट एवं अनुचित नहीं कहा जा सकता। और यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि सार्वजनिक हड़ताल करने के लिये जब संगठित मजदूर लोग तैयार होते हैं, तब वे अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं और उसके मारे खतरों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी समय किसी भी कारण को लेकर साधारण या सार्वजनिक हड़ताल कर बैठना आसान नहीं है। अतः यदि कोई सार्वजनिक हड़ताल हो जाय तथा उसका उद्देश्य मजदूरों की परिस्थिति को सुधारना हो, तो जब तक उसके चालू रहने से समाज के जीवन प्रयत्न समाज की रक्षा के लिये साक्षात् खतरा न पैदा हो जाय, तब तक सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये। सार्वजनिक हड़ताल की घोषणा हो जाने तथा उससे सार्वजनिक जीवन के लिये खतरा पैदा होने की संभावना से ही सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि आवश्यकता न होने पर भी सरकार हस्तक्षेप करने लगे तो इसके मानी होंगे कि सरकार मजदूर विरोधी पूँजीवाद के हाथ मजबूत करना चाहती है तथा मजदूरों को न्याय प्राप्त कराने से इनकार करती है। पर इसके ये भी मानी नहीं कि सरकार को कभी हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये। झगड़ा भले ही निजी क्षेत्र में हो, पर सरकार का तटस्थ होकर शक्ति भंग न होने की स्थिति तक निष्क्रिय बना रहना भी उचित नहीं। कुदनी ब्रह्माड़े ने बाहर नहीं आती है, दोनों पहलवान ब्रह्माड़े में लड़ रहे हैं, इस बात को देखने तक ही सरकार की दृष्टि सीमित नहीं रहनी चाहिये। मजदूर भले ही संगठित हों पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बहुत समय तक हड़ताल जारी रख सकें। इसी प्रकार मालिक-गण भी अन्त काल तक कारखानों को बन्द रखकर, होने वाले नुकसान को स्थितप्रज्ञ की भाँति देखते बँठे नहीं रह सकते। इस प्रकार की परिस्थिति में प्रजातन्त्री सरकार का कुछ कर्तव्य होता है। केवल मत स्वतन्त्रता एवं समझौते की



स्वतंत्रता की दुहाई देकर यदि सरकार चुन बैठे रहे तो यह ठीक नहीं होगा। उस हालत में भगड़े को पिटाने के लिये तथा गुलह-गमभीता करवाने के लिये यदि सरकार बीच-बचाव करे तो यह उचित ही होगा। मजदूरों को हड़ताल की घोषणा नहीं करनी चाहिए, यह कहना उचित है, परन्तु यदि हर प्रकार की कोशिश करने पर भी मानिक लोग कोई उचित कार्रवाई करने को राजी न हों, तो मजदूरों का हड़ताल करना उचित ही कहा जायेगा। यदि किसी को इनलिये न्याय न मिले कि वह गरीब तथा दांत है तथा गरीबों एव दांतों में काम नेता है तो इन स्थिति को प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकेगा तथा कहना होगा कि राज्य-मत्ता मामदारों एवं पूँजीवादियों की गुनाह है। निम्न समय सरकार हस्तक्षेप करे, गुलह-गमभीता कराने, घबरा बिग परिस्थिति में निष्पक्षिक दत्ता को काम में लाकर हड़ताल को दबा दे, यह हर हड़ताल की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। हड़ताल के उचित होने पर भी उसे सार्वजनिक एव सहानुभूतिक हड़ताल का नाम देकर अशेष टहरा देना या दबा देना एक प्रकार से सगठन स्वतंत्रता पर अपदेस्त हमला ही समझा जायेगा। तथा न्यायप्राप्ति का जो एक बंध मसख है, यह सरकार के अयोग्य हस्तक्षेप के कारण सर्वथा निष्कृत सिद्ध हो जायेगा। समाज में तथा विवेकतया औद्योगिक क्षेत्र में दांति बनी रहनी चाहिए इन बात का हठ पकड़कर कोई सरकार अपना काम-काज ठीक से नहीं चला सकती। अन्याय होता ही, तो व्यक्ति नौकरी त्याग देता है, स्वाभिमान की रक्षा के लिये त्याग-पत्र दे देता है। व्यक्ति के इन कृत्य के पीछे जो एक अष्ट भूमिका रहती है, वही भूमिका मजदूरों की सार्वजनिक हड़ताल के पीछे भी रहती है। अतः सत्तासत्य का विचार न करके केवल हड़ताल की घोषणा को गुलकर ही उगे दबाने की कोशिश करना या गैर-कानूनी टहराना एक प्रकार से समाज की अष्ट प्रवृत्तियों को पनपने न देने जैसी बात हो जायेगी।

कोई भी यह दावा नहीं करेगा कि हड़ताल में या सार्वजनिक हड़ताल से समाज का नुकसान नहीं होता। व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कुछ बमी-बेशी हो जाय, रोजमर्रा की बातों से कुछ अलहदा बात हो जाय, तो घादमी तंश में आ जाता है। ऐसी हालत में जब सारे समाज की या समाज के अधिकांश व्यक्तियों को किन्हीं व्यक्तियों के संगठित प्रयत्नों के कारण परेशानी हो तो उनका तंश में आना स्वाभाविक है। पर जिन लोगों के कारण परेशानी हुई है, उनका कहना क्या है तथा उस कहने में कहाँ तक औचित्य है, इस बात को ठंडे दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं। जब अनेक साहित्यपूर्ण उपायों से समाज की न्याय-शुद्धि जागरित नहीं हो पाती, लेख लिखने से या सीधे-सादे निरुपद्रवी प्रस्तावों के पास करने से अन्याय के पैरो तले कुचले जाने वाले लोगों की पुकार नहीं सुनी जाती, तब गाँवों के लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं; मोर्चे निकालने के लग जाते हैं। और तब उसे देख कर लोग उसके पीछे छिपे कारखों को जानने लिये उत्सुक हो उठते हैं। एक दृष्टि से लोकमत को जगाने के लिये ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, जिससे लोग चौंक जायें। तभी लोकमत जागता है, ऐसा अनुभव है। शहर में जब हड़ताल घोषित होती है, द्रापगाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, टैक्सी वाले यात्रियों को लेने से इनकार कर देते हैं,

तब समाज के मन को एक प्रकार का भाघात पहुँचता है तथा भ्रम तक वे जिस मामले में एक-दम भ्रमानी भ्रमवा उदासीन थे, उस मामले को लेकर उनके मन में विचार उठने शुरू हो जाते हैं। इसके मानी हुए कि जब तक समाज को थोड़ी बहुत मात्रा में मुसीबत में न डाला जाय, तब तक समाज को भ्रम्याय की जानकारी नहीं हो पाती तथा समाज उस पर विचार करने को धरसर नहीं होता। पुरुष को प्रसिद्धि चाहिये, तो उसके लिये उसे कोई न कोई ऐसा काम करना चाहिये, जिससे लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो। उदाहरणार्थ, घड़ा फोड़ना, कपड़े फाड़ना या कोई भ्रमजोव भाषाज गले से निकालना इत्यादि। इसी किस्म की कुछ बातें थोड़े हेर-फेर से आजकल के जमाने में भी भ्रम्याय के पैरों तले दबे हुए लोग किया करते हैं तथा उसमें कोई अनौचित्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब कुछ शास्त्रोक्त एवं वेदोक्त कर चुकने के बाद यदि फल प्राप्ति न होती हो, तो कुछ पुराणोक्त भी करना ही पड़ता है। उसके बगैर फल प्राप्ति नहीं होती। ऐसा ही कुछ आजकल की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, अधिकारों के लिये झगड़ते समय करना पड़ता है। चाहे जित्ता भी भ्रम्याय हो, उसे सह लेना चाहिये, किसी भी हालत में हड़ताल का रास्ता नहीं धरनाना चाहिये, ऐसा कहना देखने में बहुत भ्रम्याय लगता है, यह सही है; तथापि जिन्हें न्याय नहीं मिलता, पेट की भाग जिन्हें चैन नहीं लेने देती, जिनके जीवन में, थोड़ी मात्रा में भी मुख नसीब नहीं होता, उन्हें यह वेदांत प्रिय नहीं लगेगा, यह साफ है। भ्रतः जब भादमी देखता है कि सिर झुकाने से कुछ काम नहीं धनता, तब वह धरना सिर उठा लेता है। जब वह देखता है कि हाथ जोड़ने से कुछ नहीं बनता तब वह मुट्टी तान लेता है। ऐसी भ्रवस्या में हड़ताल के अधिकार से इनकार करना भ्रववा उस पर भ्रम्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लगाना एक तरह से धौजोगिक क्षेत्र में मजदूरों को गुलामी के सिक्कजे में जकड़ देना होगा। यह कह कर कि सामान्य जनता की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा समाज का जीवन तितर-बितर हो जाता है, हड़ताल का अधिकार धीन लेना हर परिस्थिति में उचित एवं न्याय्य नहीं होगा। किन्हीं परिस्थितियों में हड़ताल का अधिकार न धीनकर भी उस पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना जिससे कि वह कार्यक्षम न रहे, समाज की दृष्टि से तथा समाज के धारवन्तिक हित की दृष्टि से सरकार का कर्तव्य हो जाता है। सार्वजनिक हड़ताल या साधारण हड़ताल या सहानुभूतिक हड़ताल जब किसी राजकीय कामकाज के बारे में धोपित न होकर राजकीय उद्देश्यों के बारे में हो भ्रववा हड़ताल धोपित हो चुकने के बाद उसका स्वरूप या उसका उपयोग राजनीति के लिये किया जते लये, तो सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है धौर होना चाहिये। तथापि जो हड़ताल हुई है, वह निश्चित रूप से राजकीय कारणों के लिये हुई है या उस दृष्टि से उसका उपयोग किया जा रहा है, यह कहना सासान काम नहीं है। किन्हीं भ्रवसरो पर हड़ताल उल्लम-धुल्ला राजनैतिक उद्देश्य से की जाती है। राजनैतिक उद्देश्यों से किया जाने वाला सत्याग्रह या की जाने वाला सीधी कार्यवाही इस लेखक की राय में भ्रवव्य एवं धनुचित है। राजनैतिक उद्देश्यों से की जाने वाली राजनैतिक हड़ताल को यदि उचित मान लिया जाय, तब तो कोई भी सरकार टिक कर

काम नहीं कर पायेगी। प्रजातन्त्री राज्य-व्यवस्था में सार्वजनिक चुनावों में बहुमत द्वारा चुना गया दल सत्ताधारी होता है। वह सभ्यतः ५१ प्रतिशत हो और विरोधी दल ४९ प्रतिशत हो। तथापि ४९ प्रतिशत वालों को मौजूदा हालत में ५१ प्रतिशत वालों का कहा मानना चाहिये। और सार्वजनिक चुनाव होने तक उन्हें उन बातों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिये, जो सचमुच अनर्थ करने वाली हो। पर उन बातों को दूर करने का रास्ता देश में सत्ताग्रह या सीधी कार्यवाही करना नहीं है। लोगों के मन को अपनी बातों की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये तथा चुनावों में बहुमत द्वारा चुने जाकर सत्ताधारी होना चाहिये तथा कानून द्वारा अनर्थकारी बातों को दूर करना चाहिये। यही रास्ता प्रजातंत्र में सर्वश्रेष्ठ होता है। किंबहुना, इस रास्ते को अपनाते से ही प्रजातन्त्री व्यवस्था स्थिर होती है। अल्पमत में आने के बाद तत्काल देश में क्षीभ निर्माण करना, हड़ताल, मोर्चे, जुलूस आदि बातों से अराजकता उत्पन्न करके निर्वाचित सत्ताधारी दल को नीचे घसीटना अनुचित, अवैध तथा अन्त में खतरनाक है। यदि एक दल इस रास्ते को अपनाकर सफलता प्राप्त कर ले तो वही रास्ता असफल दल के लिये भी तो खुला है। और यदि वह दल भी उसी रास्ते को अपनाते लगे तो देश में लगातार अशांति बनी रहेगी एवं वातावरण अनिश्चित हो जायेगा। प्रगति के कदम वहीं के वहीं पड़े रह जायेंगे। अतः इन सब बातों का विचार करके चुनाव होने तक उन बातों को मजूर कर लेना चाहिए जो कानून द्वारा निश्चित की गई हैं। अगले चुनावों तक रुका रहना पड़ता है, यह सही है, तो भी अन्तिम सफलता की दृष्टि से यह समय बहुत जरूरी है। किंबहुना, यह समय प्रजातंत्र का एक महान् तत्त्व है। अतएव राजनैतिक कारणों को लेकर हड़ताल का रास्ता अपनाना अनुचित है। मिल मजदूरों के सब का संयुक्त महाराष्ट्र के लिये हड़ताल करना अनुचित है। इसी प्रकार छोटी-मोटी राजनैतिक बातों को लेकर हड़ताल करना भी अनुचित है। राजनैतिक क्षेत्र में तबशीली लाने के लिये मविधान के अनुसार चुनाव ही एकमात्र उपाय है और होना भी चाहिये। लोकमत को तैयार करना, उसे उसी प्रकार बनाये रहना, किंबहुना, मौजूदा सत्ताधारी सरकार के प्रत्येक अन्यायपूर्ण कृत्य को चौराहे पर लाकर खड़ा करना, उनके विरुद्ध लिपना, बोलना, एक दृष्टि से चुनाव के लिये अपने पक्ष में प्रबल लोकमत निर्माण करना—यही कार्य की दिशा होनी चाहिये। राजनैतिक विषयों पर मजदूरों का, मण्डित समूहों का या और किसी मण्डल का हस्तक्षेप कर बैठना एक प्रकार से मविधान एवं परम्परा द्वारा संबंधात्मक जनता को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक ढाँचे को बदलने के लिये, मविधान को बदलने के लिये राजनैतिक हठनायें नहीं होनी चाहियें, यह यदि मान लिया जाय, तो कर्मा-बन्धी ऐसे मौके घा जाने हैं, जब कि मण्डित मजदूरों का हड़ताल करना राष्ट्र की स्थिरता के लिये जरूरी हो जाता है। उदाहरणार्थ, मौजूदा सरकार राष्ट्र की मुक्ति की सार्ई में घगोड़ने के लिये उदात्त है तथा प्रजातन्त्री तरीकों में उनके विषय में किया जाने वाला विरोध अपूरण ग्राहित हो रहा है तथा उनका कुछ फल नहीं हो रहा, ऐसे समय समाजगत मण्डित संस्थाओं को, मजदूरों को एवं अन्य मण्डलों को हड़ताल करनी चाहिये या नहीं? उग

प्रवस्था में हड़ताल करना अनुचित नहीं है, ऐसा प्रो० लास्की का मत है। तथापि देश में यदि युद्ध के विरुद्ध इत्ता जबरदस्त विरोधी वातावरण हो, तो सामान्यतया सरकार उसकी उपेक्षा नहीं किया करती। पर यदि मौजूदा सरकार युद्ध की घोषणा कर बैठे, तो उसके बाद देश में उसके विरुद्ध हड़ताल करना युद्ध में अपनी पराजय को भ्रामन्वित करने जैसा हो जायेगा; सारे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा हो जायेगा; इच्छा न होते हुए भी शत्रु को नैतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने जैसा हो जायेगा, शत्रु के हाथ मजबूत करने जैसा हो जायेगा तथा उस हड़ताल का असर निश्चित ही गृहयुद्ध के निर्माण होने पर पड़ेगा, जो कि युद्ध में हार होने की प्रथम सूचना है। तात्पर्य यह कि राजनैतिक कारणों को लेकर—भले ही कारण युद्ध सरीखी महत्व की वस्तु क्यों न हो—हड़ताल करना अनुचित तथा अवैध है। अतः इस प्रकार की हड़ताल हो जाय तो सरकार को उसे दबा देना चाहिये और उसे गैर-कानूनी घोषित कर देना चाहिये। सरकार का ऐसा करना उचित ही होगा। किन्तु, वैसे यदि सरकार न करे तो वह उसकी कर्तव्यपराह्मुखता होगी। सरकार का यह कृत्य किसी भी प्रवस्था में जनता की मत स्वतंत्रता एवं सगठन स्वतंत्रता पर हमला नहीं कहलायेगा। राज्य रहे तभी स्वतंत्रता रह सकेगी। अतः हर कोई यह स्वीकार करेगा कि सरकार को वह सब कुछ करना चाहिये, जो राज्य को बनाये रखने के लिये जरूरी है।

राजनैतिक मामलों को लेकर हड़ताल हो जाय तो उसके विरुद्ध केवल प्रदालती कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनैतिक उद्देश्यों से हड़ताल की जाती है, उस समय मामला प्रदालत की दीवार से भी भ्रामे पहुँचा होता है। प्रदालत कुछ क्यों न कहें, हड़ताल करने वाले तथा उन्हें उकसाने वाले लोग उसकी भी पर्वाह नहीं करते। उनकी दृष्टि में कानून की कोई कीमत्त नहीं होती। यदि कानून को स्वीकार कर लिया जाय तो हड़ताल का समूचा नैतिक आधार ही नष्ट हो जाता है। अतः कानून की उपेक्षा करके ही उन्हें सफलता की मजिल तक पहुँचना पड़ता है। कानून चाहे कुछ भी हो, उनकी दृष्टि में वही सही है, जो वे करते हैं। वे लोग कहा करते हैं कि मौजूदा कानून से भ्रामे भी एक नैतिक तत्त्व एव नैतिक दर्शन है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा है। वे लोग मौजूदा कानून को तुच्छ समझते हैं। कानून की प्रवृत्ता अथवा सत्याग्रह उनका धर्म होता है। कानून केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाता है और मौजूदा परिस्थिति से उसका सम्पर्क नहीं रह जाता। सत्ताधारी लोग बार-बार उसका उल्लेख करते हैं। परंतु जिन्हें उसका पालन करना होता है, उनके मन पर कानून की नैतिकता या उसकी दण्ड-विषयक भावना का कुछ भी असर नहीं होता। सार्वजनिक हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने भर से वह खत्म नहीं हो जाती। उलटे वैसे करने से वातावरण अधिक बिगड़ जाता है। सार्वजनिक हड़ताल को न होने देने का सबसे बढ़िया उपाय है, उस हालत को ही पैदा न होने दिया जाय, जो इन हड़तालों की वजह बनती है। पर जब सार्वजनिक हड़ताल घोषित हो चुकी हो तब केवल प्रदालती कार्रवाई के भरोसे पर बैठे रहने से काम नहीं चलता। अतः राज्य के लिए अपनी निर्णायक शक्ति से काम लेना आवश्यक हो जाता है। केन्द्र

हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने से ही समाज के हित की रक्षा नहीं की जा सकती। हड़ताल के गैर-कानूनी साबित होने पर हड़ताल करने वाले कारकुन लोग तुरंत कचहरी में चले जाते ही ऐसी बात नहीं होती। एक बार हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर चुकने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति का सरकार को पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। जो हड़ताल हुई है, उसके बारे में जैसे-जैसे लोगों की यह धारणा होती जाती है कि वह अनुचित उद्देश्यों को लेकर हो रही है, वैसे-वैसे वह अपने खात्मे की ओर तेजी से बढ़ने लग जाती है। हड़ताल के नेताओं को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि जनता की सहानुभूति के बगैर वह चल नहीं सकती। हड़ताल का उद्देश्य ही जनता की सहानुभूति हासिल करके सरकार को हड़ताल की माँग पूरी करने के लिए विवश करना होता है। सरकार यदि जनता को यह विश्वास दिला सके कि हड़ताल के उद्देश्य अच्छे नहीं हैं या उसका फल समाज के जीवन के लिए खतरनाक होगा, तो सरकार बड़ी तेजी से हड़ताल को खत्म करवा सकती है। पहली सहानुभूति सर्वद्व हड़ताल करने वालों के साथ होती है। न्योक्ति हड़ताल करना कोई आसान बात नहीं होती; उसके लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत होती है; कभी-कभी तो अपने प्राणों से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अतः अन्त में जनमत जिसके पक्ष में होगा, जीत उसी की होगी, यह साफ जाहिर है। जनता भले ही भावुक हो, पर फिर भी उसमें कुछ न कुछ तो सही और गलत को जाँचने की बुद्धि होती ही है। विवेक से वह एक-दम झुट्टी नहीं होती। देर बयो न हो, सच्चाई तथा प्रोपेगेंडा के बीच का अन्तर वह समझ ही लेती है। व्यक्तिगत अन्याय, समूह पर किया जाने वाला अन्याय तथा समाज का आत्यंतिक हित इन सबके बीच का फर्क वह जानती है। अतः जब सरकार के तिर पर हड़ताल की बला आ जाती है, तब पहला काम सरकार का यह हो जाता है कि वह जनता को हड़ताल के उद्देश्यों से परिचित कराने केवल प्रदालत पर भरोसा रखने से, या हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर देने से हड़ताल का प्रतिकार नहीं हो सकता। यह ठीक है कि जरूरत पड़ने पर पुलिस की ताठियो एव बन्दूक की गोलियो से भी काम लेना चाहिए तथापि उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाय कि सरकार जो कुछ कर रही है, वह ठीक ही कर रही है। हड़ताल करने वालों के लिए यह कहना आसान है कि हमारे सामने इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं था तथा सामान्यतया पहले-पहल लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण ही रहता है। हड़ताल का उन्हे अधिकार है, यह बात उनकी भाँति जनता की भी भली प्रकार विदित होती है। पर लोगों को इस बात की तुरन्त जानकारी नहीं होती कि हड़ताल का फल क्या हो रहा है या होने वाला है। जब प्राग की लपटें प्रौसों को दिवाई नहीं देती तब लोगों को यही प्रतीत होगा कि प्राग बुझाने का दमकन लोगों को बेवार में परेशान कर रहा है। अतः लोगों के मन का अज्ञान व्यवस्थित रूप से दूर किया जाना चाहिए। तथा मुट्टी भर लोगों की वजह से समूचे समाज का जीवन खतरे में पड़ जाय, यह ठीक नहीं, ऐसा सोचकर जनता को भी हड़ताल करने वालों की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जनता का इस चुनौती को स्वीकार करना एव सरकार से सहयोग करना

मन्त्र ही होता है। व्यक्ति की भाँति समाज की भी अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा हक हासिल है। यह चलता चोर यदि पिस्तौल तान कर खड़ा हो जाय, तो देने पर घन घोर न देने पर घन घोर प्राण दोनों ही गँवा बैठने की हालत जैसे व्यक्ति के जीवन में भ्रमण एवं अनर्थकारी होती है, वैसे ही संगठित मजदूर या अन्य वर्ग के लोग समाज की अपने संगठन के शक्त पर परेशान करें, डरावें और न्याय-प्रत्याय का विचार न करके समाज को मंजूर करने के लिए विवश करें, यह अनर्थकारी है तथा यदि ऐसा होने लगे तो समाज में भ्रामकता एवं अव्यवस्था मचे बिना नहीं रह सकती। और यदि समाज संगठित होकर हड़ताल का मुकाबला करे तो यह कहना भी ठीक नहीं कि इससे संगठन की स्वतंत्रता पर हमला होता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, यह कहकर उससे इन्कार करना अनुचित है, उसी प्रकार उसके दुरुपयोग होने के बाद समाज या राज्यसत्ता का घुप बैठे रहना भी अनुचित है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग व्यक्ति तथा संप्रभु किया करते हैं। पर उसका दुरुपयोग देश की विधान सभा या पार्लियामेंट भी कर सकती है और बहुत दफा संकट से सभ्रमित होने के कारण स्वतंत्रता के भ्रमभूत तत्वों को तिलांजलि देने वाले कानून भी बना दिये जाते हैं। तथापि ऐसे भी उपायों का संविधान में निर्देश होता है, जिनसे विधानसभा तथा पार्लियामेंट द्वारा किये गये कानूनों को बदला जा सके। और उस मार्ग से ही श्रुतिपूर्ण कानूनों को ठीक किया जा सकता है तथा जो कुछ बर्मी-बेसी रह गई हो उसे पूरा किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि हाथ में सत्ता होने के कारण सरकार या पार्लियामेंट जो जो में आए करे, यह ठीक नहीं। इसी प्रकार संगठन के बल पर समाज के जीवन के मूल पर कुठाराघात करना, समाज के जीवन को भ्रशात कर डालना तथा भ्रामकता को ज्योता देना भी ठीक नहीं है। सरकार तथा संगठन दोनों की स्वतंत्रता पर एक-दूसरे को हमला नहीं करना चाहिए। और यदि वैसा हो जाय, तो उसके लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। तथा ऐसे जो उपाय किये जाएँ, उन्हें समाज को सहन भी करना चाहिए।

अब तक हमने जिन हड़तालों का विचार किया है, वे समाज के निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हड़तालें हैं। आधुनिक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आधुनिक राज्यों का स्वरूप लोककल्याणवात्मक (वेलफेयर स्टेट) होता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। नागरिकों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व अब अधिकाधिक मात्रा में सरकार के सिर पर आने लग गया है। जन्म के लिए मातृ-गृह, शिक्षा के लिए पाठशालाएँ, रोजगार दिलाने के लिये तंत्रशिक्षण देने वाले केन्द्र, छुट्टी सरकारी काम-काज में हासिल होने वाला रोजगार, बीमारी या बेकारी की हालत में सरकार की मदद, बुढ़ापे में सेवानिवृत्त होने के बाद की पेन्शन तथा अन्य प्रकार की सहायता, किंबहुना, मृत्यु के बाद दहन अथवा दफन की व्यवस्था आदि सारी बातें अब सरकार के कार्यक्षेत्र में आती हैं। व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु यद्यपि वैयक्तिक मामले हैं तथापि उनके सम्बन्ध में जो उत्तरदायित्व है, वह सरकार तथा समाज का है, यह सिद्धान्त अब स्वीकार किया जा चुका है। माता-पिता का उत्तर-

दायित्व एवं स्थान अब सरकार लेने लग गई है अतः खुद सरकारी नौकरी में काम करने वाले नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाहन विभाग, डाक-तार विभाग, शिक्षा-विभाग इत्यादि अनेक क्षेत्रों में होने वाला कार्य सरकार के नियंत्रण में आने लगा है और इस कारण सरकारी नौकरों की संख्या घट रही है। जहाँ साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ निजी क्षेत्र का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है। व्यापार, उद्योग, उत्पादन, विभाजन आदि सभी क्षेत्रों में, साम्यवादी राज्य-व्यवस्था में काम करने वाले सब-के-सब सरकारी नौकर ही होते हैं। वहाँ हड़ताल का सवाल ही नहीं उठता। सरकार एवं कर्मकर या प्रजा के बीच पूरा द्वैतत्व होता है। वर्ग-कलह वहाँ नहीं होता। अतः वहाँ हड़तालों की गुंजायश रह नहीं जाती। और यदि कहीं उसकी आहट पहुँच जाये, तो मुँह से शब्द निकलने से पहले ही मुँह का इन्तजाम कर दिया जाता है। हड़ताल के जिते भी प्रकार हैं, वे तानाशाही रहित राज्य में ही दृष्टिगत होते हैं। प्रजातन्त्री राज्य में सरकार तथा बगैर-सरकारी संस्थाएँ सामान्यतया काम किया करती हैं। और यदि प्रजातन्त्र को सफल होना है तो चर्चा तथा विचार स्वतंत्रता के लिए अवश्य अवसर होना चाहिए। तानाशाही में चर्चा तथा विचार स्वतंत्रता मन की सीमा को लाँघ नहीं सकती तथा जो कुछ विचार-स्वतंत्रता के नाम पर होता है, वह मिट्टी के बनाये फल की भाँति होता है। उसके अस्तित्व की प्रतीति तो होती है, पर अनुभव नहीं होता। तात्पर्य यह कि सरकारी नौकरों की हड़ताल का अर्थ यह है कि समाज की सारी रचना अभी साम्यवादी स्वरूप की नहीं हुई है। और इसी कारण विचार स्वतंत्रता की गुंजायश है। अपने दुःखों को वाणी प्रदान की जा सकती है। इस परिस्थिति में सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में नियमन एवं नियंत्रण करने की दृष्टि से अधिक अधिकार होने चाहिए, यह हर कोई कबूल करेगा। और अधिकार के द्वारा सरकारी नौकरों को अनेक स्वतंत्रताओं पर एक विशेष प्रकार के अक्रुश रक्ष दिये जाएँ, तो उन्हें भी कबूल करना चाहिए। सेना के किसी विभाग में या पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक अक्रुश रहना चाहिए, इस बात की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि इन सरकारी कर्मचारियों को सर्वसामान्य नागरिकों की भाँति स्वतंत्रता दे दी जाय और उसके अनुसार समितियाँ तथा सगठन बनाने की छूट दे दी जाय एवं उनको हड़ताल आदि करने की स्वतंत्रता दे दी जाये तो उसका अर्थ होगा कि राज्य की निर्णायक शक्ति को ही उसमें छीन लिया गया है। पुलिस का हाथ उठने ही मोटर रक जाती है, इसके मानी ये होने हैं कि पुलिस को आज्ञा राज्य को आज्ञा है तथा उसे न मानने पर राज्य को सारी ताकत उसे न मानने वाले के खिलाफ उठ सको होगी। अतः पुलिस को दो गई आज्ञा का जिस प्रकार पुलिस को बगैर किसी ननुनच के पालन करना चाहिए, उसी प्रकार उसकी आज्ञा का भी सामान्य नागरिकों को बगैर किसी ननुनच के पालन करना चाहिए। पुलिस यदि आज्ञाधारक न हो, तो उसकी घननी आज्ञाओं का पालन भी ठीक तरह में नहीं होगा। समूचे राज्य-प्रबंध का अग्निम आधार है दण्ड विधान। माना कि, प्रजा को सम्प्रति एवं अनुमति का होना जरूरी है, पर कुछ लोग ऐसे उद्भट एवं सारवांशु होते हैं कि वे किसी का कुछ

नहीं मानते। विवेक से उनका घोर सशुल्क होता है। गुंडागर्दी उनका सहज धर्म होता है। ऐसे व्यक्तियों को सीधी राह पर लाने का एकमात्र साधन है राज्य की निष्पक्ष-शक्ति, जिसका कि भाविष्कार होता है पुलिस तथा सेना आदि के द्वारा। सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी मशीनरी राज्य के साधन हैं अतः उन्हें पूरी तरह से निर्विकल्प होना चाहिए। तलवार द्वारा हत्या करना है अतः उस तलवार को स्वयं-प्रज्ञा नहीं होनी चाहिए। शक्ति अथवा सत्ता को तटस्थ रहना चाहिए। उसका उपयोग उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। नैतिक तथा पुलिस के लोग मनुष्य ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं। पर यदि उन्हें स्वयं-प्रज्ञा का अधिकार दे दिया जाय तो राज्य का वह हथियार निरूपयोगी हो जायेगा। सरकारी कर्मचारी मुलकी तथा लष्करी सभी सरकारी नौकर हैं। माना कि नागरिकता के अधिकार उन्हें भी हासिल हैं, तथापि उनके कर्तव्यकर्म अन्य नागरिकों से कुछ भिन्न हैं। वे हर काम अपनी भर्जों के मुताबिक नहीं कर सकते। यदि उन्हें संगठन स्वतंत्रता के नाम पर संगठन बनाने तथा हड़ताल करने की छूट दे दी जाय, तो सरकार का काम नहीं हो सकेगा, किचडुना, सरकार नाम की कोई चीज ही बच नहीं रहेगी। सरकार का कार्य उर्दू कवि के शब्दों में कहें तो बहना होगा कि

‘न कसीदे से चलती है,  
न दोहे से चलती है,  
कारे सलतनत लोहे से चलती है।’

भावगीतो के गाने या प्रेम का राग अनापने से राज्यकार्य नहीं हुमा करता। राज्य का कार्य तलवार के जोर पर होता है। राज्य का अर्थ है संगठित-शक्ति। सरकारी नौकरों को नियंत्रण में रखना उसका प्राथ कर्तव्य होता है। यह ठीक है कि नियम बनाते वक्त सम्बन्धित कर्मचारियों से भी विचार-विनिमय कर लेना अच्छा होता है; पर इन नियमों को अन्तिम रूप तो सरकार ही को देना होगा। इन मामलों में अदालत को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए, यह भी ठीक है। जो लोग मुलकी नौकर हैं, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार देना ठीक है। पर वह अधिकार केवल अपनी शिकायतों को पेश करने तक ही सीमित रहना चाहिए। मजदूर संगठनों की भाँति किसी भी बाहर के आदमी को सरकारी नौकरों के संगठन में स्थान नहीं होना चाहिए तथा राजनीति में बीच भिड़ाने वाले केन्द्रीय मजदूर संघ में उन्हें नहीं जाना चाहिए। यह भी अर्थात् रहेगा कि वे अपनी संस्थाओं को उनके साथ रजिस्टर न कराएँ। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन, नियुक्ति, निवृत्ति, बढ़ती, बहाली आदि मामलों में समजस वृत्ति से तथा अत्यधिक उदारता से व्यवहार करे। हड़ताल की स्वतंत्रता न भी दी जाये, तो भी इस बात का खयाल जरूर रखा जाना चाहिए कि वे लोग सतुष्ट रहे। सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच खड़े होने वाले झगड़ों को विचार-विनिमय तथा शान्तिपूर्वक उपायों से निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उल्लिखित विवेचन में हमने सरकारी नौकरों को दो विभागों में बाँटा है। एक मुलकी (सिविल एम्पलाईज) तथा दूसरे सरक्षक कर्मचारियों। इस दूसरे वर्ग



में स्थल-सैनिक, जल-सैनिक, वायु-सैनिक तथा पुलिस का समावेश होता है। जो मुलकी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सज़्जटन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर उन्हें हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये, यह प्रष्टुन सेराक का मत है। सरकार तथा उनके बीच उठ सके होने वाले बगैरों का स्वरूप केवल उनके करने सवालों से ही सम्बंध रखने वाला होना चाहिये। राजनैतिक कारखों को सेकर यदि वे हड़ताल करें या अन्य किसी भी हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली हड़ताल करें, तो सरकार को तुरन्त उसके सिताफ कारंवाई करना चाहिये। नरमाई से काम लेना एक तरह से समाज के प्रति विद्यमान करने कर्तव्यों से मुँह मोड़ना होगा। मुलकी कर्मचारियों की सतुष्टि का सवाल जरूर रखा जाना चाहिए, यह माना, तथापि इसके मानी वे नहीं कि अपने वेतन भादि के बारे में जो कुछ वे कहे, वह मज़ूर कर लिया जाना चाहिए। समाज में उस-उस किसम का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके रिस्कों के अनुसार सरकारी नौकरी में वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि निजी नौकरी में टाइपिस्ट को १०० रु० मिलते हों, तो सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट को उगसे उगसा मिलना तो ठीक है पर उसका भयं यह नहीं कि वह दुगुनी हो। सरकारी नौकरी में स्थिरता, अधिक सुट्टियाँ तथा अन्य सुविधाएँ अधिक होती हैं, मत. इन बातों को ध्यान में रखते हुए वेतन का दरजा निश्चित किया जाना चाहिये। सरकारी नौकरी करने वालों का एक ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए, जिसे भीरो से बहुत अधिक सुविधाएँ प्राप्य होती हैं। भारत में राजा महाराजा भव नामदेव हो गये हैं। जागीरदार भीर इनामदार नष्टप्राय हो गये हैं। पर सरकारी नौकरी का एक अधिक सुविधाप्राप्त वर्ग (प्रिविलिज्ड क्लास) बनता जा रहा है। यह प्रजातंत्र तथा सामाजिक समता की दृष्टि से उचित नहीं है। सरकारी नौकरी की मामदनी तथा गैर-सरकारी नौकरी की मामदनी में समेशता होनी चाहिए। सामान्य नागरिक को प्राप्त होने वाली सारी स्वतंत्रताओं की सरकारी नौकरी को उम्मीद नहीं करनी चाहिये, यह विचारधारा सरकार के मुलकी नौकरों के मामले में मस्वीकृत नहीं की जानी चाहिये। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ अधिक ही होने चाहिये। पुलिस वालों की हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये। सज़्जटन होकर अपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाने का अधिकार भी सीमित माना में होना चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय में इन पुलिसवालों की फरियादें सुनीनी चाहिये। उनके यदि कुछ सज़्जटन हों, तो उनमें पुलिस विभाग से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनकी समस्याओं को केवल उन्ही मामलों पर फरियाद करनी चाहिये, जिनका सम्बंध उनकी नौकरी के मामलों से हो। उचित माँगे ठुकरा दी जाएँ तो क्या करें? हड़ताल कर नहीं सकते। शिकायतें सुनी नहीं जाती। ऐसी हालत में वे लोग क्या करें, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर यही है कि बार-बार प्रार्थना करते चने जाइये। कोई भी प्रजातंत्री सरकार उनकी उचित माँगों की मन्हेलना बहुत देर तक नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति में पुलिस के लोगों का हड़ताल करना या किसी प्रकार की कोई सीधी कारंवाई करना क्षम्य नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसकी उपेक्षा

नहीं करनी चाहिये। उपेक्षा करने का भय होगा अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ना। रक्षा-सेवाओं में धर्यात् स्थल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना में काम करने वाले कर्मचारियों को सङ्गठन बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। क्रीड़ा, मनोरंजन आदि बातों के सम्बन्ध में कुछ सहूलियतें देने में कोई आपत्ति नहीं। रक्षा-सेवाओं में जो लोग ऐने हों, जिनका सड़ाई से सम्बन्ध न आता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कर्मचारियों के समान अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं। तो भी इस मामले में भी सावधानी जरूर बरती जानी चाहिये। प्राधुनिक युद्धों में जित्ता महत्त्व उन लोगों का है, जो प्रत्यक्ष रणार्णग में जाकर लड़ते हैं, उतता ही महत्त्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला-बारूद तैयार करने वाले सरकारी कारखानों में काम करते हैं। किचड़ना, सेनाओं को गोला-बारूद या अन्य वस्तुएँ मुहय्या करने वाले जित्ते भी विभाग हैं, उन सबका उतता ही महत्त्व है, जित्ता कि रणार्णग में लड़ने वाले सैनिकों का होता है। अतः वहाँ भी जो सङ्गठन की स्वतंत्रता दी जाये, वह सीमित होनी चाहिए तथा उसके बारे में सरकार को सावधानी से काम लेना चाहिये। सरकारी नौकरी चाहे मुलकी हो, चाहे लश्करी हो, बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण है। और इसीलिए इस क्षेत्र में सङ्गठन तथा भाषण की उतती स्वतंत्रता नहीं होती, जित्ती कि सामान्य जनता को हुमा करती है। सरकार के मुलकी कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह सिद्धांततः ठीक है। तथापि मुलकी नौकरी में भी किन्हीं विभागों में इस मामले में अधिक नियंत्रण की तथा अधिक सावधानी की जरूरत होती है। डाक-तार, रेलवे, हवाई यात्रा आदि ऐसी सेवाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध देश की शांति एवं रक्षा से होता है तथा इन सेवाओं एवं इसी प्रकार की अन्य सेवाओं में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य नागरिकों जित्ती स्वतंत्रता दी जाए, तो उसका दुष्प्रयोग हो सकता है। १९४६ में डाक-तार विभाग में हड़ताल हुई थी। उन दिनों अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुमा था। इस कारण राजनैतिक नेताओं ने उसका समर्थन किया था। १९५७ में उसी प्रकार की हड़ताल की नौबत आई थी। पर उसके बारे में जो परिस्थिति सामने आई, उससे भी प्रतीत हुमा कि उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग हो हुमा है। १९६० में स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी वह प्रकारण थी और यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था कि स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग ही किया गया है और आज भी केन्द्रीय सरकार के मुलकी कर्मचारियों ने हड़ताल करने की टानी है और यह सङ्गठन-स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग है। सुदूर भर सरकारी कर्मचारियों के कारण करोड़ों नागरिकों के जीवन में उपद्रव मच जाए, राष्ट्र मुसीबतों में पड़ जाए तथा अराजकता की-सी स्थिति उत्पन्न हों जाए, यह राष्ट्रविरोधी वस्तु ही कही जाएगी। जो वेतन उन्हें आज मिल रहा है, वह निजी क्षेत्रों में मिलने वाले वेतनों की तुलना में अधिक है। हड़ताल करने वालों का यह वृत्त्य अन्वय्य एवं अन्व्यावहारिक बातों को छाती पर पिस्तौल तानकर मनवाने जैसा है। सरकारी सेवा के मुलकी कर्मचारी स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा बार-बार कहा जाता है। पर कम-से-कम भारत में जो अनुभव आ रहा है, वह एकदम भिन्न है। सरकारी काम जन-सेवा की दृष्टि से किया जाता है, किसी व्यक्ति के नफे के लिए नहीं होता। अतः जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों से डट कर

मे स्थल-सैनिक, जल-सैनिक, वायु-सैनिक तथा पुलिस का समावेश होता है। जो मुलकी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सङ्गठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर उन्हें हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये, यह प्रस्तुत लेखक का मत है। सरकार तथा उनके बीच उठ खड़े होने वाले बखेड़ों का स्वरूप केवल उनके अपने सवालों से ही सम्बंध रखने वाला होना चाहिये। राजनैतिक कारणों को लेकर यदि वे हड़ताल करें या अन्य किसी भी हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली हड़ताल करें, तो सरकार को तुरन्त उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिये। नरमाई से काम लेना एक तरह से समाज के प्रति विचमान अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना होगा। मुलकी कर्मचारियों की संतुष्टि का खयाल ज़रूर रखा जाना चाहिए, यह माना, तथापि इसके मानी ये नहीं कि अपने वेतन आदि के बारे में जो कुछ वे कहे, वह मज़ूर कर लिया जाना चाहिए। समाज में उस-उस किस्म का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके किस्मों के अनुसार सरकारी नौकरी में वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि निजी नौकरी में टाइपिस्ट को १०० रु० मिलते हों, तो सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट को उससे ज्यादा मिलना तो ठीक है पर उसका अर्थ यह नहीं कि वह दुगुना हो। सरकारी नौकरी में स्थिरता, अधिक छुट्टियाँ तथा अन्य सुविधाएँ अधिक होती हैं, मतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए वेतन का दरजा निश्चित किया जाना चाहिये। सरकारी नौकरी करने वालों का एक ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए, जिसे औरों से बहुत अधिक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। भारत में राजा महाराजा भद्र नामशेष हो गये हैं। जागीरदार और इनामदार नष्टप्राय हो गये हैं। पर सरकारी नौकरों का एक अधिक सुविधाप्राप्त वर्ग (प्रिविलेज्ड क्लास) बनता जा रहा है। यह प्रजातंत्र तथा सामाजिक समता की दृष्टि से उचित नहीं है। सरकारी नौकरी की आमदनी तथा गैर-सरकारी नौकरी की आमदनी में सापेक्षता होनी चाहिए। सामान्य नागरिक को प्राप्त होने वाली सारी स्वतंत्रताओं की सरकारी नौकरों को उम्मीद नहीं करनी चाहिये, यह विचारधारा सरकार के मुलकी नौकरों के मामले में मस्वीकृत नहीं की जानी चाहिये। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ अधिक ही होने चाहिये। पुलिस वालों को हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये। सङ्गठित होकर अपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाने का अधिकार भी सीमित मात्रा में होना चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय में इन पुलिसवालों की फरियादें सुननी चाहिये। उनके यदि कुछ सङ्गठन हों, तो उनमें पुलिस विभाग से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनकी संस्थाओं को केवल उन्हीं मामलों पर फरियाद करनी चाहिये, जिनका सम्बन्ध उनकी नौकरी के मामलों से हो। उचित माँगें ठुकरा दी जाएँ तो क्या करें? हड़ताल कर नहीं सकते। शिवायतें सुनी नहीं जाती। ऐसी हालत में वे लोग क्या करें, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर यही है कि बार-बार प्रार्थना करते चने जाइये। कोई भी प्रजातन्त्री सरकार उनकी उचित माँगों की अवहेलना बहुत देर तक नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति में पुलिस के लोगों का हड़ताल करना या किसी प्रकार की कोई सीधी कार्रवाई करना शक्य नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसकी उपेक्षा

नहीं करनी चाहिये। उपेक्षा करने का अर्थ होगा अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ना। रक्षा सेवामों में अर्थात् स्थल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना में काम करने वाले कर्मचारियों को सङ्गठन बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। क्रीड़ा, मनोरंजन आदि बातों के सम्बन्ध में कुछ सहूलियतें देने में कोई आपत्ति नहीं। रक्षा-सेवामों में जो लोग ऐसे हों, जिनका सड़ाई से सम्बन्ध न आता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कर्मचारियों के समान अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं। तो भी इस मामले में भी सावधानी जरूर बरती जानी चाहिये। आधुनिक युद्धों में जितना महत्त्व उन लोगों का है, जो प्रत्यक्ष रणंगण में जाकर लड़ते हैं, उतना ही महत्त्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला-बारूद तैयार करने वाले सरकारी कारखानों में काम करते हैं। किंवदन्ता, सेनामों को गोला-बारूद या अन्य वस्तुएँ मुहैया करने वाले जितने भी विभाग हैं, उन सबका उतना ही महत्त्व है, जितना कि रणंगण में लड़ने वाले सैनिकों का होता है। अतः वहाँ भी जो सङ्गठन की स्वतंत्रता दी जाये, वह सीमित होनी चाहिए तथा उसके बारे में सरकार को सावधानी से काम लेना चाहिये। सरकारी नौकरी चाहे मुलकी हो, चाहे लश्करी हो, बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण है। और इसीलिए इस क्षेत्र में सङ्गठन तथा आपण की उन्नी स्वतन्त्रता नहीं होती, जितनी कि सामान्य जनता को हुमा करती है। सरकार के मुलकी कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह सिद्धांतवः ठीक है। तथापि मुलकी नौकरी में भी किन्हीं विभागों में इस मामले में अधिक नियंत्रण की तथा अधिक सावधानी की जरूरत होती है। डाक-तार, रेलवे, हवाई यात्रा आदि ऐसी सेवाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध देश की शांति एवं रक्षा से होता है तथा इन सेवामों एवं इसी प्रकार की अन्य सेवामों में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य नागरिकों जितनी स्वतंत्रता दी जाए, तो उसका दुष्प्रयोग हो सकता है। १९४६ में डाक-तार विभाग में हड़ताल हुई थी। उन दिनों अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस कारण राजनैतिक नेताओं ने उसका समर्थन किया था। १९५७ में उसी प्रकार की हड़ताल की नौबत आई थी। पर उसके बारे में जो परिस्थिति सामने आई, उससे भी प्रतीत हुआ कि उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग ही हुआ है। १९६० में स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी वह प्रकारण थी और यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था कि स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग ही किया गया है और आज भी केन्द्रीय सरकार के मुलकी कर्मचारियों ने हड़ताल करने की ठानी है और यह सङ्गठन-स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग है। मुद्दी भर सरकारी कर्मचारियों के कारण करोड़ों नागरिकों के जीवन में उपद्रव मच जाए, राष्ट्र मुसौबतों में पड़ जाए तथा अराजकता की-सी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यह राष्ट्रविरोधी वस्तु ही कही जाएगी। जो वेतन उन्हें आज मिल रहा है, वह निजी क्षेत्रों में मिलने वाले वेतनों की तुलना में अधिक है। हड़ताल करने वालों का यह कृत्य अनाय्य एवं अव्यावहारिक बातों को छाती पर पिस्तौल तानकर मनवाने जैसा है। सरकारी सेवा के मुलकी कर्मचारी स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा बार-बार कहा जाता है। पर कम-से-कम भारत में जो अनुभव आ रहा है, वह एकदम भिन्न है। सरकारी काम जन-सेवा की दृष्टि से किया जाता है, किसी व्यक्ति के नफे के लिए नहीं होता। अतः जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों से

काम लिया जाता है तथा उनके श्रम का दुरुपयोग किया जाता है, वंसा सरकारी नौकरी में नहीं होता। इसके प्रतिरिक्त आजकल के आधुनिक राज्यों में यदि सरकार एव सरकारी नौकरों के बीच भगडा उपस्थित हो जाये तो उसका फेंकला करने के लिए मशीनरी होती है। केवल कर्मचारी ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हों, और सरकार कभी न करती हो, यह दावा नहीं किया जा सकता। सरकार गलती पर हो सकती है। पर उसे सुधारने का मार्ग भिन्न है। हड़ताल या काम में टालमटोल करना वह मार्ग नहीं है।

सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के कारण किसी नागरिक के नागरिकता के अधिकार नष्ट नहीं हो जाते। सामान्यतया निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को जो अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार सरकारी कर्मचारियों को भी होने चाहियें, यह कहना अनुचित नहीं है। तर्कसंगत ही है। तथापि सरकारी नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है। उसमें सम्मान तथा पैसे अवश्य मिलते हैं, तो भी उसमें सेवा एव त्याग की भावना काम करती है। अतः सरकारी नौकरी में प्रविष्ट होते समय स्वतंत्रता का कुछ त्याग करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, यह व्यवस्था बहुतेरे राज्यों के संविधान में है। किन्हीं राज्यों में, चुनाव में खड़े होने की अनुमति है तथा असफल हो जाने पर उसे फिर नौकरी में ले लिया जाता है। स्वभावतः बहुतेरे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में खड़ा होने दिया जाये। पर इस बात की अनुमति देना अभीष्ट नहीं है। इस अनुमति के न देने से सरकारी तौर पर, स्वतंत्रता पर आक्रमण किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है तथापि सरकारी कर्मचारियों को यदि राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेने तथा चुनाव में खड़ा होने की छूट दे दी जाये, तो अनेक बड़े-पैदा हो जायेंगे। मंत्री निर्वाचित हो, उसका सचिव निर्वाचित हो तथा ये दोनों सभा-गृह में एक-दूसरे के विरुद्ध दृष्टिकोण अपना लें तो उसका क्या फल होगा, इस बात पर शांति से विचार किया जाना चाहिये। एक शासनाधिकारी होने के नाते, उस पर अनुशासन के बंधन रहेंगे। यदि वह उनका पालन करेगा तो वह जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा और यदि पालन न करेगा, तो वह निष्ठावंत शासक नहीं रह पायेगा। गुप्तता की शपथ का यदि वह पालन करेगा, तो वह सच नहीं बोल पायेगा। यदि पालन नहीं करेगा, तो सरकार का शासन सुरक्षा एवं सुचारुतापूर्वक नहीं चल सकेगा। निर्वाचन में पराजित होने पर वह अपनी जगह वापिस आयेगा तथा जो बातें विधान मण्डल द्वारा की जानी थी उन्हें कार्य-पालन द्वारा करने की ओर वह अग्रसर होगा। तात्पर्य यह कि सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर देना चाहिये। जिस जगह शासन सम्बन्धी अधिकारिता कार्यक्षमता की आवश्यकता है, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। उन्हें राजनीति में पूरी तरह अज्ञान रहना चाहिये। राजनैतिक जीवन तथा तत्सम्बन्धी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखनी चाहिये और यदि किसी नामक अथवा सरकारी कर्मचारी को राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करना हो या नीति हासिल करना हो तो उसे सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिये और यदि

चुनाव में बहू हार जाये तो उसे फिर सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाना चाहिये । अतः सरकारी कर्मचारी को त्याग की भावना से काम लेना चाहिये तथा सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी सेवा भाव के सातिर राजनैतिक महत्वाकांक्षा की तिलांजलि देने चाहिये । यदि ऐसा नहीं होगा तो शासक वर्ग पर तथा उसकी निष्पक्षता पर लोगों का विद्वाम नहीं रह जायेगा । राजनीति में पड़ने वाले लोग समाज की दृष्टि में अधिक विश्वासार्ह नहीं रह जाते । शासकों पर जनता का घोर-बहुल विश्वास रहता है । पर यदि वे लोग भी राजनीति में भाग लेने लगे तो यह विश्वास एकदम उठ जायेगा । सरकारी नौकरी को राजनीति में भाग लेने देना स्वतंत्रता की कल्पना के विरुद्ध होते हुए भी देश की राजनैतिक स्थिरता की दृष्टि से तथा लोगों को उचित न्याय प्राप्त कराने की दृष्टि से आवश्यक है । मुलकी नौकरी के बारे में यह शंका होना चाहिये । पर यदि रक्षा सेवाओं में काम करने वाले मुलकी कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर यह शंका न रखा जाये तो उनको निष्ठा नामाविध पक्षों के प्रति हो जायेगी, राज्य के प्रति नहीं । जो लोग शासन-कार्य में लगे हैं, उन्हें तटस्थ रहना चाहिये । यदि यह तटस्थता न रहे और सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेने लगे तो राज्य में स्थिरता एवं सुव्यवस्था नहीं रह जायेगी । इससे मुराग्य नहीं रहने पायेगा ।

सरकारी कर्मचारियों की पूर्ण तटस्थता का अर्थ यह है कि वे स्वयं चुनाव में न पड़े हों तथा राजनीति में किसी प्रकार का कोई सक्रिय भाग न लें । यदि शासन में काम करने वाले लोग पक्षनिष्ठ हो जायें तो राज्यकर्त्तारों के लिये उन पर विश्वास करके काम करना सम्भव नहीं होगा तथा इसका फल यह होगा कि जो पक्ष अधिकाराढू होगा वह पक्ष अपने पक्ष की लोगों की अधिकार पद पर नियुक्त करेगा । ऐसा होने से केवल मंत्रिमंडल ही नहीं बदला करेगा, चुनावों के परिणामों की घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों में भी तबदीली हुय्रा करेगी । अतएव सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाना ; कार्यक्षम, प्रामाणिक काम-काज की दृष्टि से अभीष्ट है तथा इत्ता शंका इन कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर रखना देश की स्वतंत्रता की दृष्टि से अभीष्ट है । सरकारी नौकरी में भर्ती होते समय इस प्रकार का प्रतिबंध एक आवश्यक शर्त होना चाहिये । विशेषतः पुलिस तथा सब प्रकार की रक्षा-सेवाओं में भर्ती होने वाले सिपाहियों एवं सैनिकों के लिये ये प्रतिबंध और भी अधिक कड़े होने चाहिये । मुलकी नौकरी में भी रंधल होने चाहिये । पर वहाँ तक डिलाई से काम लिया जा सकता है । किन्तु सैनिकों-सिपाहियों के बारे में की गई डिलाई अनर्थाह हो सकती है । सैनिकों एवं सिपाहियों में दलगत राजनीति का प्रवेश उन की तटस्थता एवं राज्यविषयक निष्ठा को कलुषित कर देता है । सैनिकों तथा सिपाहियों के राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ न रहने से राज्य का टिकना असम्भव हो जाता है । सैनिकों की चित्त-वृत्ति उघाट हो जाये या सेवा में भी राजनीति के दौब-वेव शुरू हो जायें तो सैनिक भी राजनीति चलाने लग जाते हैं तथा ऐसा होने पर प्रजातंत्र का लोप हो जाता है । नशकरशाही के बल पर तानाशाही फिर उठती है । बहुत बड़े पैमाने पर राज्य में अनास्था उत्पन्न हो जाती है । सैनिकों एवं सिपाहियों के तटस्थ न रहने की अवस्था में हर दल उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करता

है। इत्ता ही नहीं, पूँजीपति लोग भी उन्हें अपने जाल में फँसाने की कोशिश करते हैं। सेना में राजनीति के प्रवेश से क्या होता है, इस बात को देखने के लिये हम पाकिस्तान के उदाहरण को अपनी आँखों के सामने रख सकते हैं। अभी हास में जो बातें तुर्की में हुई हैं, उनसे भी यही जाहिर होता है। बर्नल नासिर का उदय भी इसी बात की साक्षी उपस्थित करता है। सेना के राजनीति में चक्षुपात करने से राजनैतिक जीवन तथा विद्येय रूप से प्रजातन्त्री जीवन असम्भव हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि सेना तथा पुलिस को राजनीति में भाग लेने देना चाहिये, वे इति-हास के अनुभवों को जानते हुए भी छुप नहीं बैठते। एक बार फौज ने राजनीति में भाग लेना गुरु कर दिया तो समझ लीजिये कि राज्यकर्ताओं को फौज के इशारों पर नाचना पड़ेगा और उस अवस्था में फौजी शासन को बहुत देर तक टाला नहीं जा सकेगा। और फौजी शासन एक बार जोर पकड़ने लगा तो समझ लीजियेगा कि फिर राजनैतिक स्वतंत्रता की खँर नहीं।

सैनिकों एवं सिपाहियों का राजनीति में तटस्थ रहना एवं उसमें उनका भाग न लेना समाज एवं स्वतंत्रता की दृष्टि से क्यों आवश्यक है, इस बात का विवेचन हम ऊपर कर आए हैं। फौज तथा पुलिस के समान ही महत्व राष्ट्र के उद्योग-धन्यों का भी होता है। देश की रक्षा एवं सुव्यवस्था के लिये ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्राधुनिक युग में युद्ध का तंत्र पूरी तरह बदल गया है। युद्ध-क्षेत्र में एक सिपाही को कार्यक्षम बनाना हो तो राष्ट्र में ४०० व्यक्तियों को खटना पड़ता है। भ्रमन पंदा करने वाला सेतिहर, यूनिकार्म तैयार करने वाली मिलें तथा दर्जों, गोला बारूद बनाने वाले कारखानों के मालिक, उसकी तन्दुरस्ती का ध्यान रखने वाली डाक्टरों व्यवस्था, उसे कारखानों के मालिक, उसकी तन्दुरस्ती का ध्यान रखने वाली डाक्टरों व्यवस्था, उसे पटाव से युद्ध-क्षेत्र पर पहुँचाने वाली वाहन व्यवस्था इत्यादि सब स्थानों पर भरपूर प्रादमी काम करते हैं तथा वे सारे उद्योग एवं व्यापार व्यवस्थित रूप से चलते हैं; युद्ध-क्षेत्र में वह सैनिक कार्यक्षम साबित हो सकता है। अतः युद्ध की दृष्टि से ये सारे उद्योग-धन्ये प्रत्यक्ष महत्त्व के हो जाते हैं और यदि इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों को निःसीम विचार स्वतंत्रता तथा हड़ताल करने का अधिकार दे दिया जाय तो राष्ट्र के हित की दृष्टि से वह उचित नहीं होगा, ऐसी विचारधारा को गलत नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष फौज तथा सैनिकों का जिता महत्त्व है, उता महत्त्व इन्हें न भी हो, तो भी कम-से-कम युद्धकाल में, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए, यह साफ है। युद्ध की दृष्टि से इन सब उद्योगों को 'प्राव-द्यक उद्योग' (मॉटेरियल इंडस्ट्रीज) घोषित किया जाता है और वह उचित है। पर प्रश्न अधिक महत्त्व का यह है कि शांति-काल में, युद्ध-स्थिति न रहने के काल में समाज जीवन के लिये आवश्यक उद्योगों को 'प्रावद्यक उद्योग' घोषित करने का अधिकार सरकार को हो या नहीं। 'प्रावद्यक उद्योग' अथवा 'सार्वजनिक सेवा क्षेत्र' (पब्लिक यूटिलिटी बन्सर्न) घोषित करने में होता यह है कि उन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की स्वतंत्रता पर अक्रुश भा जाता है, उनके हड़ताल करने के अधिकार पर अक्रुश भा जाता है तथा एकबार हड़ताल के गैर-कानूनी घोषित हो जाने के बाद उमगा भापन रचना भा राख हो जाता है। बिजली का सभरण, यात्रापात की व्यवस्था,

स्थानिक स्वराज्य गते स्वास्थ्य इत्यादि सब क्षेत्रों में ग्रन्थवस्था मचने या हड़ताल हो जाने से सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। गैस तथा बिजली का सम्भरण एक दैनिक आवश्यकता है, उसमें यदि रुकावट पड़े तो समाज में हाहाकार मच जाता है। रेलों का ध्वान्त जाना बन्द हो जाय तो उसने ऐश-भाराम की चीजों की सप्लाई बन्द हो जाती हो, सो बाढ नहीं; रोज की जरूरियात की चीजों की सप्लाई भी बन्द हो जाती है। डाक याई पर काम करने वाले नजदूर यदि हड़ताल कर बँटेंगे, तो मनाज के येलों का उनारा जाना रुक जाएगा; बन्दरगाह में जहाजों की भीड हो जायगी, ग्रन्थ यातायात के काम में रुकावट पड़ेगी। ताररयें यह कि जो उद्योग या जो सार्वजनिक सेवाएँ (पब्लिक सर्विस) रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उनके रास्ते में रुकावट पैदा करने का मतलब है व्यक्ति तथा समाज दोनों के जीवनो को परास्त कर देना; जीवन की मौलिक व्यवस्था पर हमला करना। इन क्षेत्रों में काम करने वालों को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ मिलें यह बात मानी जा सकती है तथापि उते से यदि उन्हें मन्तोप न हो और यदि उन्हें हड़ताल करने तथा समाज की नाइियों को जकड़ डालने का अधिकार दे दिया जाय, तो फिर समाज समाज नहीं रह जायेगा। यदि ये उद्योग या ये सार्वजनिक सेवाएँ निजी मालिकी की हों तो उन पर भी नियन्त्रण होना चाहिये। निजी क्षेत्रों में कोई बखेडा उठ छड़ा हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। और मानिक एवं मजदूरों के बीच के विवाद को दूर करने के लिए पंच की नियुक्ति करनी चाहिये। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मालिक और मजदूरों को खुद धपने विवाद का कोई उभयसम्मत निर्णय कर लेना चाहिए। अपनी मर्जी से समझौता करना चाहिए यह कहना ठीक है तथापि यदि बेमा न हो तो, हमें निजी क्षेत्र में हस्त-क्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहकर सरकार को सिर्फ शांति एवं व्यवस्था के काम से ही अपना सरोकार रखना चाहिये, यह विचारधारा आधुनिक युग में तथा आधुनिक राज्यों में नहीं चल सकेगी। धत, जब भी उचित धवसर दीते सर-कार को जबदंस्ती एक पंच की नियुक्ति कर देनी चाहिए तथा उसके निर्णय को मंजूर करना दोनों दलों के लिए लाजमी होना चाहिए तथा उसके अनुसार सरकार को कार्य-पालन करवाना चाहिए। जो उद्योग या जो सार्वजनिक सेवा समाज के जीवन के लिए आवश्यक है, उसके बारे में सरकार का ढिलाई में काम लेना म्दय नहीं कहा जा सकता। बहुत बार साधारण-साधारण उद्योग-धन्धे भी परिस्थितिवश समाज के जीवन के लिए आवश्यक हो जाते हैं। उम परिस्थिति में या असाधारण परिस्थिति में साधारण तथा कम महत्व के उद्योगों को अथवा सार्वजनिक सुविधाओं को 'आवश्यक' घोषित करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। इन सब परिस्थितियों में अर्थात् सङ्कटमालीन परिस्थिति में समाज के हित की दृष्टि में सरकार द्वारा उठाये गए कदम सभ्य होते हैं। सरकार के उन सब कृत्यों को जनता की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात चतलाना गलत होगा। जो उद्योग 'आवश्यक' स्वरूप के होने हैं तथा सरकारी क्षेत्र में होते हैं तो उन पर भी उता ही मरवारी अकुन होना चाहिए, जिता कि निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर होता है। यदि आवश्यक स्वरूप के उद्योग निजी क्षेत्रगत मालिकों के हाथ में हों, तो जहाँ भी आपसी विवादो को दूर करने का मौका दिया जाना चाहिए।



घोर, यदि उगहा उपयोग न हो तो पंच की भारिजायं निगुनिा सरकार की करनी चाहिए । भातिक लोग विवाद को निपटाने के लिए तैयार न हों ; या वे लोग तैयार हों किन्तु मजदूर लोग तैयार न हों, या दोनों के दोनों हूट पर उतारू हों, तो उम परिस्थिति में जनता की जो हानि होगी उसे सरकार तथा एक निष्क्रिय दर्जे की भीति ही देखती रहे ? पंच की अपरिहायं निगुनिा का विरोध होना नहीं चाहिए । घोर यदि विरोध हो भी तो भी उगहा योग्य परिस्थिति में धवलंबन करना जनता का रक्षक प्रहरी होने के नाते सरकार का कर्तव्य हो जाता है । हटताल को पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता । जो हटताल होनी नहीं चाहिए पर वह होनी हो तो उसे बन्द करवाने का प्रयत्न करना उचित है । परन्तु उगरे हो जाने के बाद सरकार का धात बना रहना भी उचित नहीं । सरकार को धीम में पटना ही चाहिए तथा जनता पर घाने वाली विपत्ति को दूर करना ही चाहिए । हटताल धन्तिम उपाय है, प्रारम्भिक नहीं, यह मान कर यदि धन्तिम उपाय के रूप में भी इगना धवलंबन किया गया हो, तो भी समाज के हित की दृष्टि से उगहा बन्दोबन्ध करना सरकार का पहला कर्तव्य है ।

हटताल होने पर सरकार के अपने सारे साधनों को काम में लाने की अपेक्षा पहले ही सरकार को कदम उठाना चाहिये यह कहना युक्तियुक्त है । यह प्रश्न व्यापक स्वरूप का है तथा उसका विचार करते समय समाज की धार्थिक व्यवस्था एवं राज-नीतिक संगठन दोनों का विचार करना चाहिये । देश में राजनीतिक संगठन की दृष्टि के लोकतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था हो तो सरकार को प्रत्येक काम लोकतन्त्रात्मक उपायों से ही करना पड़ता है । नीति निर्धारित करने से पहले जनमत को समझ लेना पड़ता है । जानकार लोगों की समितियाँ बनानी पड़ती हैं । उसके बाद बिल बनाना पड़ता है तथा ससदीय काम-काज की प्रणाली के अनुकूल विधान-मण्डलो द्वारा उसे पास करवाना पड़ता है । संसद् में अनेक हितसम्बन्धों वाले गुट होते हैं । उनके प्रति-निधि लोग अपने-अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हैं । विधान-मण्डलो से बाहर भी सम्बन्धित हितसम्बन्धों वाले दल आन्दोलन करते हैं तथा लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं । इत्ते प्रयत्नों के बाद बिल पास होता है । पास होने के बाद उसे कार्यान्वित करते समय अनेक बाधाये अप्रत्याशित रूप से उठ खड़ी होती हैं । केवल इत्ते से काम चल जाय ऐसी बात नहीं । बहुत दफा मामला अदालत में भी जाता है तथा पास हुआ कानून सविधान की दृष्टि से उचित है या नहीं, इसकी चर्चा अदालत में होती है । कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतन्त्रात्मक रीति से काम में देर काफी लग जाती है । किसी हिटलर सरीखे व्यक्ति ने हुक्म जारी किया और एकदम उस पर अमल हो गया, यह बात प्रजातन्त्री शासन प्रणाली में नहीं होती । कानून बना, उस पर अमल होना शुरू हुआ तो भी चुनावों के आ जाने तथा उसमें सत्ताधारी दल के परा-जित हो जाने से फिर उसी सारी प्रक्रिया को दुहराना पड़ जाता है । फिर स्लेट को धोकर नये सिरे से उस पर लिखना पड़ता है । गत १५ बरसों में इगलैंड का इतिहास बताता है कि मजदूर दल ने शासन की बागडोर हाथ में आते ही राष्ट्रीयकरण (नैशनलाइजेशन) की नीति शुरू कर दी थी तथा सन् १९५२ में जब उसकी हार

हुई तब सारे पहिये उलटे घूम गये। जो उद्योग राष्ट्र के प्रधान हो गये थे, वे पुनः निजी क्षेत्र के मालिकों के हाथ में आ गये। भारत में भी एक समय राष्ट्रीयकरण की नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तथापि कुल जमा भारत की आर्थिक नीति लचकीली है तथा होनी चाहिए ऐसा यहाँ के सत्ताधारी नेतागण कहते प्राये हैं। इस कारण यह लचकीलापन सम्बन्धित हितसम्बन्धों में सींचातानी करने को प्रेरित करता है। भारत में प्रजातन्त्र होने के कारण हर कोई आलोचना कर सकता है। इसका फल यह होता है कि निश्चित नीति तथा निश्चित कर-व्यवस्था क्या है, यह पता नहीं चलता। गत १२ वर्षों में प्रत्यक्ष-कर कम होते गये हैं तथा अप्रत्यक्ष-कर बढ़ते गये हैं। मुनाफे पर कर, आमदनी पर कर या प्रत्यक्ष-कर के स्थान पर अब अप्रत्यक्ष-कर लगाने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हो रही है। इसका फल यह है कि सर्व-साधारण जनता पर करों का बोझ बहुत पड़ रहा है। अतः उद्योग क्षेत्रों में अर्थात् निजी क्षेत्रों में मजदूरों को न्याय दिलाने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। पर इन प्रयत्नों के सकल होने के मार्ग में देश का राजनैतिक संगठन कितनी बाधाएँ उत्पन्न करता है, गत १० वर्षों का भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। मजदूरों को ज्यादा देकर संतुष्ट रखने का अर्थ है पूँजीपतियों को कम देना या उपभोक्ताओं से अधिक पैसा खींचना। मजदूर संगठित हैं। मालिक संगठित हैं। यदि कोई संगठित नहीं है, तो वह है उपभोक्ताओं का वर्ग। उनका कोई वाली नहीं है। उनका कोई संगठन हो भी नहीं सकता। अतः उनके हितों की रक्षा सरकार को करनी होती है। यह तो कहा ही जाता है कि मुनाफे पर अंकुश रखना चाहिये। मजदूरों के ज्यादा पैसा करने पर जनता अपनी सहानुभूति उन्हें प्रदान करती है। पर उपभोक्ता की जेब पर जो कैंची चलती है, उसकी ओर सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसी स्थिति में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को संतुष्ट रखने की व्यवस्था करना मुश्किल है। तथापि उद्योगपतियों को मिलने वाले मुनाफे पर अंकुश रखा जाना चाहिये। उनके बिना मजदूरों को उचित वेतन एवं-उपभोक्ताओं को उचित कीमत दिलाने का इंतजाम नहीं किया जा सकता। मुनाफे पर नियंत्रण करने अर्थात् मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर नियंत्रण करने से लोगों की प्रतीत होता है कि सरकार न्यायपुत्र आचरण कर रही है। मुनाफे पर नियंत्रण करने से या मजदूरों के हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने से कितनी की स्वतन्त्रता या संगठन की स्वतन्त्रता पर आंच आती है, ऐसा मानने की कोई बजह नहीं है। विवादों को निपटाने का उपाय होना चाहिये तथा उसमें परस्पर विचारों के आदान-प्रदान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। एक प्रकार की आचार संहिता (कोड ऑफ कण्डक्ट) होनी चाहिये। और यदि विवाद समझौते द्वारा न निपटाये जा सकें तो सारा मामला अदालत के सुपुर्दे करने का अधिकार सरकार-को होना चाहिये। योग्य परिस्थिति में पंच की अपरिहार्य नियुक्ति करना वास्तव में बरदान सिद्ध होता है। इन सब बातों पर भी यदि मजदूरों को संतोष न हो तो उन्हें हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिये। तो भी इसके मानी ये नहीं कि उन्हें हड़ताल करना ही चाहिये। उस परिस्थिति में समाज के हित की दृष्टि से जो उचित हो वह सरकार को करना चाहिये। आज भी मजदूर-विषयक

टटों के बारे में विविध कानून बने हुए हैं, विविध यंत्रणाएँ बनी हुई हैं। बहुतेरे टटे सतोपजनक रूप से इन यंत्रणाओं के माध्यम से दूर किये जाते हैं। तथापि हड़ताल का वातावरण गत १२ बरसों से इस देश में कायम है और उसका मुख्य कारण यह है कि बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधे निजी-क्षेत्रों में हैं और वहाँ के हितसम्बन्धों को प्रजातन्त्री व्यवस्था अपने सकुचित एवं स्वार्थी हितसम्बन्धों की रक्षा करने का एक साधन प्रतीत होता है तथा उस प्रकार विधानमंडलों का तथा अन्य साधनों का वे उपयोग किया करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में टटे न हों तो उसके लिए या तो हमें औद्योगिक क्षेत्रों को सरकार के स्वामित्व में लाना होगा या उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लेना होगा। सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण एक प्रकार की गुलाम-गोरी है, ऐसा भारत में बड़े जोर-शोर से प्रतिपादित किया जाता है। समाज में स्वतन्त्रता के होने का अर्थ पूँजीपतियों तथा धनिकों पर प्रतिबन्ध का न रहना माना जाता है। समाज में कहीं भी उत्पादन, विभाजन या उपभोग आदि पर प्रतिबन्धों का न रहना सही मानों में स्वतन्त्रता है। इस व्यवस्था में गरीबों एवं पददलितों को शीघ्र मरने की स्वतन्त्रता मिलती है। परन्तु इन स्वतन्त्रताओं की मृष्टि में गरीबों को कोई नहीं पूछता। हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिये, इसके मानी होते हैं मुट्टी भर लोगों का बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार चलाना तथा यदि कुछ लोगों को गरीबी एवं मुक-लिसी में दिन बिताने पड़ें तो उसमें समाज का कोई दोष नहीं है, ऐसा दैववाद बतलाना। सच्ची स्वतंत्रता के ये मानी नहीं हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, इसके लिये स्वतंत्रता पर किन्हीं प्रतिबन्धों का होना जरूरी हो जाता है। और इसीलिये समाज के धनिकवर्ग पर, पूँजीपतियों पर, पूँजीवादी उत्पादन पर नियंत्रण का होना जरूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि यह नियंत्रण प्रभावी हो तो समूचे औद्योगिक-क्षेत्र पर हमें इस नियंत्रण को लागू करना होगा। इसके मानी ये हुए कि यदि हम चाहते हैं कि औद्योगिक भग्ने न हो तो हमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को जड़मूल से बदलना होगा।

सरकार का प्रयोजन समाज का हित साधन है। और समाज के मानी मुट्टी भर धनिक या वरिष्ठ श्रेणियों के लोग नहीं हैं। इस बात को मान लेने के बाद समाज में सम्पत्ति की निर्मित पर पूर्ण नियंत्रण का रहना अपरिहार्य हो जाता है। समाज को जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, उनका उत्पादन होना चाहिये तथा उनका उचित विभाजन होना चाहिये। यह व्यवस्था केवल माँग और पूर्ति के सिद्धान्त से नहीं हो पाती। जिनके भाव ज्यादा होंगे उनकी माँग होगी और उन्हीं की पूर्ति की जायेगी यह पुराने अर्थशास्त्र का सिद्धान्त नई परिस्थिति में लागू नहीं पड़ता। करार को स्वतन्त्रता के नाम पर जो पगार मालिक दे, उसे लिया जाय और उसमें सरकार किसी किस्म की दखलंदाजी न करे, यह बात अब नहीं चल सकती। राज्य ने अब हर एक को शिक्षा तथा रोजगार दिलाने का वचन दे रखा है। इस सन्दर्भ में किसी को भी नौकरी में ले लेने या किसी को भी नौकरी से हटा देने की स्वतन्त्रता यदि मालिकों को दे दी जाय तो सरकार के लिए अपने बर्तव्यों का पालन सम्भव नहीं हो सकेगा। नौकरी से हटा दिये जाने पर प्रत्येक को नौकरी मिलना सम्भव नहीं होगा। किबहुना,

## विचार स्वतंत्रता के विविध स्वरूप

हर किसी को हर काम करना नहीं आता है। इंजीनियर एक ढाँचा में बकील नहीं बन सकता। इसी प्रकार बकील तत्काल कया-लेखक नहीं हो सकता। सिनेमा नटी की नौकरी बनी जाय तो तत्काल नर्तन नहीं बन सकती। अतः जिसकी जैसी योग्यता हो उसके अनुसार ही उसे रोजगार के क्षेत्र में स्थान दिया जाना चाहिये। नौकरी की गारण्टी होनी चाहिये। इसी में उसकी सच्ची स्वतंत्रता है। जहाँ चाहे वहाँ नौकरी करने की छूट हो, पर नौकरी न मिले, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति से यह कहना कि तू स्वतंत्र है, एक प्रकार से उसका अपमान करना हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति को गुणसपदा को नष्ट न होने देने के लिये राज्य-सत्ता के समूचे आर्थिक जीवन का नियोजन करना चाहिये जिसमें किसी को बेकार न रहना पड़े, गायक को ड्रिलमास्टर का, मास्टर को ट्राम कंडक्टर का काम करने की सौ-नौबत न प्राये। उस नियोजन में उचित स्थान पर नियंत्रण से काम लेना पड़ेगा। ये नियंत्रण राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सापेक्षता के लिये बहुत जरूरी हैं। समाज का हित प्रथम वस्तु है तथा व्यक्ति की जरूरत या व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे नम्बर पर है, यह विचार प्रभावी होना चाहिये। नियोजनपूर्ण अर्थ-व्यवस्था से स्वतंत्रता का अपहरण होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं। स्वतंत्रता को सापेक्ष करने के लिये नियोजनपूर्ण अर्थ-व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। नियोजनपूर्ण अर्थ-व्यवस्था में निजी-क्षेत्रों के लिए भी गुंजायश है। इसी प्रकार नियोजन की तत्त्व प्रणाली का अनुसरण करने वाले मजदूरों एवं अन्य व्यावसायिकों के संधों के लिये भी गुंजायश है। उन्हें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उसको नियोजन-व्यवस्था से भ्रूच नहीं आती। इसके विपरीत नियोजन-व्यवस्था में समाज के समस्त हितसम्बन्धों को ध्यान में रखा जाता है। निोजन की नीति एवं क्रियान्विति में सारे हितसम्बन्धों का स्थान रहता है। मजदूरों के संगठनों तथा अन्य सभी संगठित संघों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक सम्मान दिया जाता है। सामान्यतया मजदूर मजदूर मजदूरों के बारे में विचार-विनिमय करें या अपने-अपने क्षेत्रों में तज्ज्ञ होते हैं, मर्यादित करें तो अधिक प्रच्छा होगा। एक तो वे अपने-अपने क्षेत्रों में तज्ज्ञ होते हैं, और दूसरे वे अपने-अपने क्षेत्रों की कठिनाइयों को अधिक प्रकार जानते भी हैं। अतः उनके कहने को नियोजन-व्यवस्था में अधिक मान दिया जाता है। सामान्यतया मजदूर संगठनों को अपने उद्योगों के तथा अन्य व्यवसाय संगठनों को अपने-अपने व्यवसायों के बारे में बोलना, प्रस्ताव पाम करना तथा कार्य करना चाहिये। संगठन स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी संगठन को किसी भी विषय पर प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिये। कोई अज्ञात संगठन उठे और अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर प्रस्ताव करने लगे तो वह हास्यास्पद सिद्ध होगा। साहित्यिकों का कोई सघ उठे और किसी फौजी मामले पर प्रस्ताव करने लगे तो वह भी पागलपन की बात होगी। इसी प्रकार मजदूरों का संगठन, चावू राजनैतिक मामलों पर, जिनका सम्बन्ध मजदूरों के साथ नहीं होता है, प्रस्ताव करे यह भी ठीक नहीं। जिस समय सचमुच ही राष्ट्र के सामने बहुत ही महत्व का विषय मोजूद हो, उस समय राष्ट्र के विविध क्षेत्रों के संगठित संघों द्वारा किया गया मत प्रदर्शन दाम्य हो सकता है, परन्तु वो ही अपने उद्देश्यों से असम्बन्धित मामलों

पर प्रस्ताव पास करना, मत प्रदर्शन करना या कुछ सक्रिय बानें करना उचित नहीं होगा तथा उस दृष्टि से राज्य यदि उन पर कुछ अनुश रने तो उगे अनुचित नहीं कहा जा सकता। तथा ऐसे अनुशों से उनकी स्वतन्त्रता पर भी प्रभाव पड़ती है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है।

कीनसा कार्य संघ के उद्देश्यों के अनुरूप है, कीनसा नहीं, यह ठहराना आसान नहीं है। कोई संघ संगठित हो गया है, कानून के अनुरूप उसकी रजिस्ट्री हो गई है, उसका हिसाब-बिताब सुव्यवस्थित है, इत्यादि बातों से उगे हर किसम का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं मिल जाता। जो दूरान्वय द्वारा किसी मामले में कुछ कर देना शक्य माना जा सकता है। मजदूर संगठनों का उद्देश्य मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिये कार्य करना है। उद्योगों की स्थिति अच्छी रहेगी तो मजदूरों की भी स्थिति अच्छी रहेगी। उद्योगों की स्थिति देश की आर्थिक नीति से जुड़ी रहती है। और आजकल के युग में देश की आर्थिक नीति देश की परराष्ट्रीय-नीति से निगडित रहती है। इस दृष्टि से यदि कभी देश की परराष्ट्रीय-नीति पर मजदूर संघ कोई प्रस्ताव पास करे तो उसे एकदम अनुचित नहीं कहा जा सकता। तथापि यदि कोई नाटक पार्टी परराष्ट्रीय नीति के बारे में कोई प्रस्ताव पास करने लगे तो उसे अनुचित ही कहा जायेगा। यदि कभी मजदूर संघ उठकर कहने लगे कि प्रतिमापूजन बुरी चीज है, अतः सारे देवालियों को सरकार अपने बज्जे में ले ले, तो वह मजदूर संघ के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खायेगा तथा वह पागलपन साबित होगा। देश में नाना प्रकार के बलब रहते हैं, उनका उद्देश्य होता है मनोरजन। अनेक विरोधी राजनैतिक मतों वाले लोग भी मनोरजन एव क्रीडा के लिये इकट्ठा होते हैं। उन स्थानों पर चालू राजनैतिक समस्याओं पर प्रस्ताव लाना अनुचित है। किंवदुना, बलब की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। तात्पर्य यह है कि संघ वा जो उद्देश्य हो, उसका व्यतिक्रम करके अथवा उससे असंगत कोई काम करना, संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का दुरुपयोग है। अतः बंसा न हो, इसके लिये सरकार को सजग रहना चाहिये। सरकार जो अनुश रखती है वे सार्वकालिक नहीं हो सकते। परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन करना होता है। आज जिसे हम स्वेच्छाचारिता कहते हैं, कल वही सदाचार बन जाता है। आज जो अनुचित प्रतीत होता है कल वही उचित हो जाता है। समाज एक लगातार बहने वाला प्रवाह है। समाज का जीवन निर्जीव नहीं होता, यह प्रतिक्षण अनुभव में आता है। तथा अनुभवों के अनुरूप नयी प्रथाएँ निर्मित होती हैं। नये आचरणों के नियम बनते और प्रस्थापित होते हैं। अतः संगठन की स्वतन्त्रता पर अनुश रखते समय सरकार को व्यापक दृष्टि से काम लेना चाहिए, यह जाहिर है। समाज के आत्यंतिक हित के लिए अनुश रखे जाने चाहियें तथा समाज के आत्यंतिक हित के लिए उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये एव अनुचित ढील भी नहीं दी जानी चाहिये।

उल्लिखित विवेचन में इस बात पर विचार किया गया कि सामान्यतया संगठन की स्वतन्त्रता की सीमाएँ क्या हो तथा किन-किन परिस्थितियों में सरकार हस्तक्षेप करे। तो भी प्रश्न यही उठता है कि संगठनों के भीतरी मामलों में सरकारी हस्तक्षेप उचित

है या नहीं और यदि हस्तक्षेप आवश्यक हो जाय तो किम परिस्थिति में किया जाय । सामान्यतया हर संगठन को अपने भीतरी मामलों में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये । संकराचार्य का मठ एक संगठित संस्था है । उसकी व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप उचित होगा ? इसी प्रकार अन्य धार्मिक संस्थाओं एवं देवालयों के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप उचित होगा ? देवालयों की व्यवस्था परम्परागत कल्पना के अनुसार चलनी है । देवता का दर्शन किसे हो, किस जगह से हो, यह हरिजनों के लिये खुला हो या नहीं, देवता की पूजा कौन करे, देवालय की आय का इन्तजाम कौन करे इत्यादि अनेक सवाल पैदा होते हैं । एक जमाना था जब सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी और जो परम्परागत व्यवस्था वाला संगठन होता था वही प्रभावी माना जाता था । पर अंग्रेजों के शासन के पश्चात् एक नई जायति आई तथा अनेक देवालयों की व्यवस्था में सरकार ने हस्तक्षेप किया । किंबहुना, यह हस्तक्षेप जनता की इच्छा से प्रेरित होकर सरकार ने किया है । अनेक स्थानों पर देवालय सम्बन्धी कानून बने हैं । प्रबन्धक कमेटियाँ नियुक्त की गई हैं । उस मामले में नियुक्ति एवं निर्वाचन की व्यवस्था कानून के अनुसार होती है । सामाजिक मुद्धार के युग के उदयकाल के पश्चात् जाति विषयक व्यवस्था में पहले जितनी कठोर नहीं रह गई है । सामाजिक समता के घोष ने सदमद्विवेक बुद्धि को चुनौती दी तथा आज सार्वजनिक मन्दिर सबके लिये खुल गये हैं । मन्दिर यदि सार्वजनिक नहीं तो सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह जाहिर है । तथापि निजी स्वामित्व के मामलों में जो कानून सरकार बनायेगी, वे निजी देवालयों के लिए भी लागू होंगे यह भी उता ही जाहिर है । सार्वजनिक देवालयों पर सरकारी नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि सम्बन्धित संगठनों एवं संघों की स्वतंत्रता में कुछ कमी आ गई । इसी प्रकार सार्वजनिक संस्थाओं—उन सार्वजनिक संस्थाओं में, जिन्हें सरकारी मदद मिलनी है, हर किमी को प्रबाधित प्रवेश मिलना चाहिये । इसी प्रकार जिन संस्थाओं में पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध किया जाता है उनमें भी सबको प्रवेश होना चाहिये । किमी विशेष धर्म एवं सम्प्रदाय की शिक्षा वहाँ नहीं दी जानी चाहिये । सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने में धार्मिक स्वतंत्रता, या संगठन स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं होना । उल्लिखित मामलों का, जिनमें सरकार हस्तक्षेप करती है, सम्बन्ध चूँकि सार्वजनिक जीवन से होता है, अतः इस प्रकार का हस्तक्षेप शक्य सिद्ध होता है । परन्तु जो मामले सार्वजनिक स्वरूप के नहीं हैं, मत्था घबवा संघ के अपने भीतरी मामले हैं, उनमें सरकार का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है । टेनिस क्लब में बिसे खेलने के लिये बुलाया जाय यह बनब का अपना निजी मामला है, सरकार को उनमें नहीं पड़ना चाहिये । यदि कोई महासद भीतरी मामले के बारे में कोई शिफायत करता है, तो प्रदालत उसका फैसला करेगी । पर इमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकेगा । गाड़ी में बैठने के बाद टिकट लेना पड़ता है; परन्तु ऐसा भी कुछ कम नहीं होता, जब गाड़ी में बैठे बर्ष भी टिकट लेना पड़े । अगर फरियाद प्रदालन में या सरकार के पाम न जाय तो सरकार भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करे, यह मुख्य सूत्र होना चाहिये । सामान्यतया आधुनिक राज्यों में काम करने वाली सभी संस्थाएँ कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होती हैं । उनके कामकाज के नियम संस्था के

संविधान में दिये जाते हैं। जहाँ वे नहीं दिये जाते, वहाँ कामकाज के सर्वमान्य नियम लागू होते हैं। रजिस्टर्ड होने के कारण उनके नियम गुल्जम-गुल्ना सरकार विरोधी नहीं होते। राज्य का तट्टा उलटने प्रथम समाज रचना को उलट-पलट करने के उद्देश्य से कोई मस्या उत्पन्न नहीं होती, ऐसी बात नहीं। पर वे संस्थाएँ इस उद्देश्य से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा बताया नहीं जाता प्रथम उन उद्देश्यों को लेकर उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ऐसी मस्याएँ सामान्यतया अपनी रजिस्ट्री नहीं कराती तथा गुप्त रूप से काम किया करती हैं। लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रथम संगठन तैयार किया, मस्या का उद्देश्य समाज विरोधी है, राज्य विरोधी है इन बातों का पता चलने के बाद केवल संगठन स्वतंत्रता की दुहाई देकर सरकार का चुपचाप बँटा रहना कब उचित कहा जा सकता है? पाँच डालू एक होटल में जमा हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है। उस समय यदि वे डालू कहने लगे कि यह हमारी संगठन स्वतंत्रता पर आक्रमण है, तो उसे आप कैसे उचित कह सकते हैं? उद्देश्य प्रबंध हो या उद्देश्यों के बंध होने पर भी उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बुल्लम गुल्ना प्रबंध हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में समाज की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करने का सरकार को पूरा अधिकार है। मान लीजिये सभा हो रही है; बीच में किसी ने 'साँप-साँप' कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया; फलस्वरूप सभा में गड़बड़ मच गई, और हाथापाई तक की नीबत भा पहुँची; उस समय यदि किसी ने उस चिल्लाने वाले से पूछा कि 'भैया' तुम काहे को चिल्ला रहे थे? वह जवाब दे कि हमें भाषण की पूरी स्वतंत्रता है, मैं अपने उस अधिकार को काम में ला रहा था, तो क्या कोई उसे माफ कर देगा? अतः अनेक स्थानों पर गैर-कानूनी काम होने से पहले ही, उस पर प्रतिबंधक अड्डा लगाना उचित सिद्ध होता है। डाका डालने से पहले होटल में जमा हुए डालूओं को पकड़ना न्याय्य एवं योग्य होता है तथा उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा संगठन स्वतंत्रता पर किसी किसिम का हमला नहीं होता। यही बात प्रतिबंधक नजरबंदी के बारे में भी कही जा सकती है। यह कहना कि व्यक्ति को तब पकड़ना चाहिये, जब वह प्रत्यक्ष कोई कृति करे, ऊपर-ऊपर देखने से सही जान पड़ता है। तथापि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो, जबकि यदि व्यक्ति को पकड़ा न गया तो उसकी तैयार की हुई योजना निश्चित रूप से सफल हो जायगी, तो व्यक्ति को नजरबंद करना ही चाहिये। हाथ में पलीता लिये कोई व्यक्ति वेग से बाहुर के कोठार की ओर दौड़ा जा रहा है। यदि उसे भाग लगाने के बाद पकड़ा जाय तो यह पागलपना होगा। पलीते के भाग लगते ही या लगाना आरम्भ करते ही उसे पकड़ना चाहिये। सभा में दंगे की पूरी संभावना हो, तो जिन लोगों के भाषण ज्यादा भडकीले होते हो, उन्हें पहले बोलने दिया जाय तथा भाषण होने के बाद पकड़ा जाय, इसके मानी होंगे घोड़े के तबले से बाहर भाग जाने के बाद तबले के दरवाजे को बंद करना। उचित परिस्थिति में प्रतिबंधक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिये। सरकार का ऐसा करना उचित ही कहा जायेगा। अतः उन मस्याओं या व्यक्तियों को जो सरकार का तख्ता उलट देना चाहते हैं, समाज में हिंसात्मक उपायों से परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने पैर जमाने का मौका देना एक प्रकार से अराजकता को न्योता देना हो जायेगा। व्यक्ति की भाँति राज्य को भी आत्मरक्षा का

अधिकार है तथा रक्षा की दृष्टि में प्रहार करने के बाद ढाल भागे करने के अधिकार के समान ही आवश्यकता पड़ने पर स्वयं पहले से प्रहार करने का भी अधिकार है। भाषण एवं संगठन की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य को विनष्ट करने अथवा समाज का विध्वंस करने की स्वतंत्रता भी मिल सकती है। अतः ऐसे प्रयत्नों को समय रहते कुचल देना उचित होता है। अधिष्णु शत्रु तथा अधिष्णु रोग की उपेक्षा करने वाले नाश को प्राप्त होते हैं, यह अनुभव सर्वत्र प्रसिद्ध है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध अथवा उसके वर्तमान स्वरूप के विरुद्ध उठ खड़े होने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का प्रतिहार करना बहुत जरूरी है। आज मंसूर के अनेक देशों में विशेष वृत्तिपुस्तक-ध्वेय की संस्थाओं एवं दलों पर रोक लगी हुई है। दल यदि तुल्यमखुस्ता काम करता हो, मौजूदा कानून के अनुसार उसकी रजिस्ट्री हुई हो, तो उसके बारे में कार्रवाई करने में कठिनाई नहीं होती। जब सरकार देखेगी कि वह संस्था आक्षेपाह्वं काम करती है, तो वह उसके अस्तित्व को कानूनी तरीके से खत्म कर देगी। तथापि बहुत से देशों में लुब्धिर कर काम करने वाली तथा हिंसात्मक उपायों से समाज में क्रान्ति लाने वाली संस्थाएँ काम करती हैं। उनके कामों तथा आन्दोलनों पर रोक लगाना आसान नहीं है। जब तक संस्था के उद्देश्य देखने में सीधे सादे एवं बंध हैं तब तक उन पर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिये यह कहना ठीक है। उद्देश्य लिखित रूप में कुछ और हैं तथा आचरण में कुछ और, एवं इस बात को पुष्टि करने वाले प्रमाण प्राप्त में मौजूद हों तो सरकार का उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो न हों, पर कुछ संदेह हो, तथा उसे मानने के लिये कुछ आधार भी हो, तो भी उसे ही से उनके खिलाफ कार्रवाई करना या मुकद्दमे चलाना ठीक नहीं। मुकद्दमे या खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई केवल इसी आधार पर नहीं होनी चाहिये कि अमुक एक मत प्रतिपादित हो रहा है। विचार एवं मत की स्वतन्त्रता के मानी ये हैं कि किसी भी विचारधारा पर अथवा मत पर प्रतिबन्ध नहीं है। उस मत एवं ध्वेय की प्राप्ति के लिये किस मार्ग का प्रचार किया जाता है, यह महत्त्व को वान है। यदि अबंध तथा हिंसात्मक मार्ग का प्रचार किया जा रहा हो तो सरकार का उसके बारे में कार्रवाई करना उचित ही होगा। यदि कोई बड़े कि देश में बड़ी भी सेना, पुलिस तथा अदालतें नहीं होनी चाहियें, सब वही एक-दूसरे के सौजन्य एवं सद्भावना पर आश्रित होकर समाज को काम करना चाहिये, तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस कहने में समाज में अराजकता फैलने की संभावना भले ही रहती हो, पर इस प्रतिपादन का उद्देश्य सर्वोदय समाज स्थापित करना है, ऐसा प्रतीत होने पर भी यदि सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है तो उसका अर्थ होगा कि सरकार मानवीय मन ही को अन्धन में डालना चाहती है। पर यदि कोई यह प्रचार करना शुरू कर दे कि इस प्रकार की समाज रचना के लिये हिंसात्मक उपायों से काम लेना चाहिये तो उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। यदि कोई यह सिद्धान्त प्रतिपादित करे कि, जिनके पास अधिक है, उन्हें अपने में से कुछ दान कर देना चाहिये, इससे समान विभाजन एवं अंतोपजनक विभाजन हो सकेगा, तो ऐसा



कहना गुनाह नहीं होगा। प्रस्थापित अर्थव्यवस्था का विरोधी मानकर इस विचार को नष्ट करने का प्रयत्न करना उचित नहीं होगा। सम्पत्ति का बँटवारा समान एवं न्यायोचित हो तथा इस काम के लिये जिसके पाम आवश्यकता से अधिक है, उससे उतना छीन लेना चाहिये, यह तत्त्वज्ञान कहना कुछ अनुचित नहीं होगा। यदि दान से काम न चलता हो तो कर लगाकर अधिक पैसा हासिल करने की बात कहने में भी कोई बुराई नहीं है। परन्तु दान के बदले डरा-धमका कर पैसा निकाल लेने की तथा कर एवं कानून की जगह लाठी से काम लेने की बात करना निःसंदेह अनुचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लोगों के मत को परिवर्तित करने के इरादे से कोई बात कही जाती है, कोई नया सिद्धान्त पेश किया जाता है, तब तक सरकार को कुछ नहीं करना चाहिये। पर जब वह विचार अथवा वह तत्त्व-प्रणाली विचारों की अवस्था से उठकर उच्चारण की अवस्था में आ जाती है एवं जब प्रत्यक्ष क्रिया को जन्म देने लगती है, तब उस क्रिया द्वारा मौजूदा हित सम्बन्धों पर प्रहार होता है। और यदि उस क्रिया में प्रचलित व्यवस्था को नष्ट कर देने तथा उखाड़ कर फेंकने का निश्चय नजर आने लगे तो सरकार का उस क्रिया के खिलाफ हथियार उठाना ठीक रहता है। बहुत दफा हम देखते हैं कि अनेक समस्याएँ दुरगी राजनीति से काम लेती हैं। ऊपर से कानून की चौखट में रहते हुए आन्दोलन के ताने बाने ठीक करके सगठन का जाल व्यापक करती रहती हैं और गुप्त रूप से अथवा भूमिगत पद्धति से एक नया सगठन तैयार किया करती है तथा उचित अवसर की प्रतीक्षा किया करती हैं। दिखाने को समाज की सेवा के लिये स्वयंसेवक तैयार किया करती हैं; उन्हें फौजी शिक्षा देती हैं। तथापि भले ही वे दिखायें कि यह सब समाज सेवा के लिए किया जा रहा है, वास्तव में वे लोग उस क्षण की प्रतीक्षा में रहते हैं, जब वे सारे राज्यनन्त्र को बदल कर उसे अपने कब्जे में ले सकें। ऐसी अवस्था में सरकार का क्या कर्तव्य है? यह सब होता हुआ देखकर वह चुप-चाप बँडे या इसका कोई अगाऊ बंदोबस्त करे। अगाऊ बंदोबस्त करना ही तो उसके लिये भरपूर प्रमाण होने चाहिये। बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रमाण तो होते हैं पर वे अदालत में अपराध को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं माने जाते। ऐसी हालत में सरकार क्या करे? यदि हर बात में कानूनी प्रमाणों के लिए आग्रह किया जाने लगे तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। किसी दल के उद्देश्यों में हिंसा की गन्ध न आती हो, पर उमकी नीति एवं कार्यपद्धति में हिंसा का निषेध न दिखाई देता हो, किबहुना, मुँह से अहिंसा एवं वैध उपायों की घोषणा करता हो पर उसके हृदय में हिंसा का हलाहल भरा हो, तो सरकार को, इस बात का पक्का यकीन होने पर, प्रतिबन्धक उपायों से अदृश्य काम लेना चाहिये। एक बात अवश्य स्पष्ट होनी चाहिये कि सम्बन्धित दल का उद्देश्य, उसके समूचे इतिहास को देखने पर, राज्य का तल्ला उलटना है, समाज में अान्ति साना है। इस बात के स्पष्ट हो जाने पर हाथ पर हाथ धरे बँडे रहना राजनीतिज्ञता के विरुद्ध है। यदि कोई दल केवल यही कहता हो कि किसी विशेष कानून को मत मानो, कोई विशेष कर मत दो, मोर्चों एवं जुलूमों पर रोक लगी हो तो उमका भग-करो, तो इस प्रहार के बहने भर में उस दल के विशद कार्रवाई करना उचित नहीं।

तथापि यदि यह दिखाई दे कि कोई दल कानून की प्रवृत्ति, प्रथवा लगान न देने की बात एक विशिष्ट दृष्टि से कह रहा है, उसके एक विशिष्ट कार्यक्रम का वह एक हिस्सा है, तो सरकार का चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं। कोई दल सरकार के विरुद्ध है, सरकारी नीति की आलोचना करता है, संगठित होकर वंसा प्रचार करता है, यह देखकर उस दल के विरुद्ध कार्रवाई करना गलत होगा। तथा वंसा कुछ कर बँटना कानून तथा सत्ता का दुरुपयोग करना होगा। प्रजातन्त्र में विरोधी दल को आलोचना करने तथा सरकार के विरुद्ध प्रचार करने का पूरा अधिकार है और होना भी चाहिये। सरकार नासायक है, मंत्री भ्रष्ट हैं, मंत्रियों की नीति राष्ट्रविरोधी है, इत्यादि स्वरूप की आलोचना राज्यद्रोह नहीं हो सकता। किंवा इस प्रकार की आलोचना करने वाला दल राष्ट्रविरोधी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो बात अपने को अप्रिय लगती है, वह घुरी एक अनिष्टकारक है, ऐसा गणित जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में गलत साबित होता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में भी गलत साबित होता है। कभी गलती न करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार कभी गलती न करने वाला दल अभी तक तो उत्पन्न हुआ नहीं है। अतः केवल अप्रिय बोलने तथा लिखने की वजह को लेकर ही किसी दल की प्रथवा व्यक्ति की स्वतन्त्रता को दवाने की चेष्टा करना अनुचित एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। सत्ताधारियों को लगता है कि जो कोई उनकी विचारधारा के विरुद्ध बोलता है, वह राष्ट्रविरोधी है। जो उनसे मिलकर काम नहीं करते, वे राष्ट्रविरोधी हैं। सत्ताधारियों को लगता है कि उनकी बात सबको मंजूर करनी चाहिये। और यदि कोई उनकी बात का विरोध करे तो उन्हें उसमें अपनी अप्रतिष्ठा नजर आती है। प्रजातन्त्र में सत्ताधारियों को उत्तरदायी होना चाहिये। बार-बार उनकी जाँच की जानी चाहिये। उन्हें अपनी बात विरोधियों को भी ग्राह्य प्रतीत करानी चाहिये। तात्पर्य यह कि प्रजातन्त्र में विचार-प्रदर्शन प्रथवा संगठित होकर काम करने वाले संगठनों की स्वतंत्रता की दृष्टि से सरकार को बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहिये। और जो भी हस्तक्षेप किया जाय, वह समाज के आत्यन्तिक हित को सामने रखकर किया है, इस बात का विश्वास जनता को दिनाया जा सकता चाहिये। मौजूदा कानून के विरुद्ध आलोचकों प्रथवा दलों ने कुछ किया हो, तो सिर्फ उसी आधार पर व्यक्ति एवं संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश उचित नहीं कही जा सकती। सम्बन्धित आलोचना एवं श्रुत्य सभी कुचलने योग्य समझे जाने चाहियें, जब उसने राष्ट्र के लिये खतरा पैदा होता हो, या उसमें अराजकता निर्माण होती हो।

लोगों का इकट्ठा होने तथा अपनी मर्जों से संगठित होने का अधिकार मौलिक है। "लोगों को इकट्ठा होकर अपने विचारों को प्रकट करना चाहिये। अपने मन में भाई हुई कल्पनाओं के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करना चाहिये। अपनी विचारधारा को लोगों का समर्थन प्राप्त हो इस उद्देश्य से उन्हें अपना प्रचार करना चाहिये। अपने दुःखों को और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये आवश्यक आवाज बुलन्द करनी चाहिये। आवश्यक क्रिया करनी चाहिये। ऐसी सामान्य स्थिति राष्ट्र में होनी चाहिये। पर लोगों को राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न करने, शांति भंग करने तथा

राज्य और अपने बीच मयपं उत्पन्न करने का कोई मौलिक अधिकार व्यक्तिशः या संघशः नहीं है। समाज की दृष्टि से यह निश्चित होना भी आवश्यक है कि लोगों को क्या करना चाहिये तथा किस सीमा तक व्यवहार करना चाहिये। सरकार से जबर्दस्ती कुछ कराने के उद्देश्य से जुलूम या मोर्चा निकालने अथवा हड़ताल करके समाज की रसद को रोक देना नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में नहीं बैठता। ऐसा करने से हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना होती है। अतः जिम्मेदार नागरिकों को ऐसा नहीं करना चाहिये। जिन कारणों को लेकर ऐसा किया गया हो, वे कारण महत्त्वपूर्ण हो या महत्त्वहीन हो, पर यदि उससे अशांति उत्पन्न होना निश्चित हो तो उसे बंद कर देना चाहिये। इस बात की गारंटी देना कि समाज के नागरिक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आयेगी, सरकार का पहला कर्तव्य है। यदि किसी नागरिक को लगे कि घर से बाहर निकलने पर उसकी खैर नहीं तथा घर में भी दगाइयों से बचने की कोई उम्मीद नहीं तो कहना होगा कि सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं किया। यदि शान्ति भंग होने का कोई खतरा न हो तो सभा, भाषण तथा जुलूस आदि पर रोक लगाना उचित नहीं। केवल मत प्रदर्शन या विरोधी मत प्रदर्शन की वजह से उस पर रोक लगा देना एक प्रकार से उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसका महत्त्व बढ़ाना है। रोक लगाना समस्या का समाधान नहीं है। उसमें जहाँ लोगों के विचार दबाये नहीं जाते वहाँ समाज के अन्य लोगों में उनके प्रति कौतूहल आरम्भ हो जाता है तथा सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। समाज में कुछ लोग प्रचलित एवं प्रस्थापित वस्तुओं के पहरेदार बने फिरते हैं। उन वस्तुओं के विरुद्ध यदि कोई बोले तो उनके गुप्ते की सीमा नहीं रहती। प्रचलित वस्तुओं के विरुद्ध मतभेद इन लोगों में अपराध प्रतीत होता है। और केवल मत को लेकर मुकदमे करने का फल यह होता है कि वे विचार दबते तो नहीं हैं, उल्टे उनका समाज में और ज्यादा प्रचार हो जाता है। सन् १९२१ में अन्धविधुओं पर यह कहकर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने एक विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया तथा उग पर भाषण दिया। इसका फल यह हुआ कि वह आक्षेपाहं प्रस्ताव हिन्दुस्तान में हजारों सभाओं द्वारा पास किया गया। स्वराज्य शब्द का उच्चारण करने भर से अदालत में मुकदमा चलाया जाना था, सजा होती थी। पर फल यह हुआ कि 'स्वराज्य हमारा जन्म मिट्टी अधिनार है' यह घोषणा लाखों मुखों में बाहर निकलने लगी। क्रान्ति का पोषक द्रव्य क्रान्तिकारकों के प्रयत्नों की अपेक्षा क्रान्तिविरोधियों की छटपटाहट अधिक है। जिस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता उसी बात पर सरकारी प्रतिक्रियाओं के कारण लोगों का ध्यान केन्द्रित हो जाता है। जब तक कोई विषय अदालत में नहीं पहुँचता, तब तक वह मार्गत्रनिष्ठ अर्थ का विषय नहीं हो पाता। और एक बार वह विषय अदालत में पहुँच गया कि लोग अधिक प्रयत्न में उम विषय में दिनचर्या लेने लगते हैं। मजा देकर जो बात गिद्ध करना थी, वह तो होती नहीं, उल्टा ही फल सरकार को भुगतना पड़ता है। और यदि सामान्य अदालत के स्थान पर विशेष अदालत द्वारा फैसला करने की कोशिश की गई तो क्रान्तिकारकों का प्रचार और अधिक होगा। अतः जहाँ केवल मत

हो प्रदर्शित किया गया है, वहाँ सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये तथा अदालत में मामले को ले जाकर घननी दुर्गति नहीं करवानी चाहिये। समाज में जब किसी एक आदमी के मन में अन्याय की भावना उत्पन्न हो जाती है, तब वह अपने मन की बात कहने में हिचकिचाता नहीं। पर जब वैसे ही विचार औरों के मन में भी घाने लग जाते हैं, तब मनुष्य बड़ी तीव्रता के साथ बदलने लगता है। उसका रोष, अन्याय के विरोध की तीव्र भावना, धर्म-धर्म: समाज के मन में बँठने लगती है। वह फिर वैयक्तिक न रहकर सामाजिक हो जाती है। अतः उस व्यक्ति की भावना के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि समाज पर उसका परिणाम क्या होगा? राज्य द्वारा की जाने वाली ज़ोर-जबर्दस्ती से समाज में राजकीय शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती।

जब पूरी ईमानदारी से परन्तु भावावेशपूर्वक मत प्रदर्शित किया जाता है, उस समय सरकार को उसके पोछे की भावना को ठीक से समझ लेना चाहिए तथा उसकी अभिव्यक्ति का मार्ग मुक्त करके अपने आचरण की दिशा निश्चित करनी चाहिए। यदि भावनाओं का सम्मान न किया गया तथा विचारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, तो समाज में उत्पन्न असन्तोष और अधिक भयानक स्वरूप धारण करता है। समाज में व्यक्तियों को इकट्ठा होकर संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, सरकार बिलकुल एकपक्षीय संस्था हो जाएगी। और एकपक्षीय संस्था का आगे चलकर तानाशाही में रूपान्तर हो जाएगा। समाज में जो संस्था होती हैं, वे इसलिए जन्म नहीं लेती कि सब काम सरकार की मर्जी के अनुसार ही किया करें। उनका अस्तित्व सरकार की कृपा पर अवलम्बित होता है, यह बात सही नहीं है। राज्य की कल्पना के उदय से पहले व्यक्ति मौजूद थे। समाज भी राज्य का अग्रज अर्थात् राज्य से पहले का जन्मा हुआ है। राज्य आयेगे और जायेंगे पर व्यक्ति कायम रहेगा। सरकार आयेगी और जायेगी पर राज्य कायम रहेगा। अतः सरकार को सदा-समय रखना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन उसकी मर्जी पर अवलम्बित नहीं है। अतः राज्य या सरकार अमर्याद रूप से कोई भी बात व्यक्ति अथवा संगठन पर नहीं लाद सकता। समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच समाधान-कारक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ है। राज्य व्यक्ति के लिए है पर व्यक्ति पूरी तरह से राज्य के लिए ही ऐसी बात नहीं। राज्य के रहने से व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सहयोग एवं व्यक्ति के कार्यों के संकलन के हेतु राज्य मुख्यतया कार्य किया करता है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें अलग-अलग होकर व्यक्ति नहीं कर सकते। अतः उन व्यक्तियों की ओर से संगठित रूप में उन्हें करने का काम राज्य किया करता है। तथापि जो काम राज्य व्यापक क्षेत्र में किया करता है, उसे सीमित क्षेत्रों में व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समुदाय किया करते हैं। ये समुदाय किन क्षेत्रों में काम करें, इसका नियमन राज्य का कार्य है, यह सही है; पर उसका यह अर्थ नहीं कि राज्य का चतुर्मुखी नियन्त्रण व्यक्ति पर स्थापित हो जाय। जब तक संगठनों का उद्देश्य राज्य के विरुद्ध नहीं होता तब तक संगठनों के कार्यों में राज्य की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार यह धरे

तात्पर्य यह कि यदि हम चाहते हैं कि राज्य में स्वतन्त्रता का सही वातावरण बना रहे तो हमें इस सायुज्यता को लाना होगा।

ऊपर हमने संगठन स्वतन्त्रता तथा तत्सम्बन्धी मतस्वतन्त्रता का अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया है। मत-स्वतन्त्रता के साथ-साथ थोड़ा-सा आचार-स्वतन्त्रता का भी विचार किया है। सामान्यरीत्या व्यक्ति को जो योग्य प्रतीत होता है, उसके करने का अधिकार अथवा स्वतन्त्रता होनी चाहिये। वह क्या खाये, क्या पहरे, कौसी पोशाक रखे, इन बातों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अनेक लोगों को अनेक किस्म के शौक होते हैं। उनके पूरा करने की भी छूट होनी चाहिए। कश्यों को कई किस्म के व्यसन होते हैं। उनके बारे में कितनी छूट रहे यह सवाल पैदा होता है। खाने-पीने, पहरने-ओढ़ने आदि के बारे में जो मर्यादाएँ होती हैं, वे समाज के मौजूदा आदर्शों एवं परम्पराओं के अनुसार होती हैं। एक समय था जब लहसन और प्याज निषिद्ध माना जाता था। वही हालत टमाटरो के बारे में भी थी। अब लहसन, प्याज तथा टमाटर के बिना खाने में मजा नहीं आता। एक समय था जब कुछ एक वर्ग पूरी तरह से शाकाहारी थे। आज उन वर्गों में भी विशुद्ध शाकाहारी लोग अल्पवाद की भाँति नजर आते हैं। और यह सारी प्रगति या परिवर्तन समाज के विचारों में हुए परिवर्तनों के साथ साथ होते चले गये। पोशाक की अबस्था यह है कि पहले लोग अंगरखे पहनते थे अब उनकी जगह शर्ट आ गये हैं। शर्ट से लोग बुशर्ट पर आगये हैं। धोती कभी की प्रचलन से उठ चुकी है। अब उसकी जगह पायजामा और पैंट आ गये हैं। पहले सिर पर पगडो, टोपी आदि कुछ-न-कुछ जरूर पहना जाता था। इन्हे पहने बिना बाहर जाना असम्भ्यता मानी जाती थी। अब सिर पर टोपी पहनने वाला हजारों में एक नजर आता है। पुराने ढंग की पगड़ी तो अब सप्रहालयों में ही दिखाई देती है। स्त्रियों के वेश-विन्यास में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं। नौगजी साडो चली गई और उसकी जगह गोल साडो आ गई। चोली के आकार भी आकुचित हो गये। केश-भूषा, जो पहले सम्य स्त्रियों में दृष्टिगोचर नहीं होती थी, अब सम्भ्यता का मुख्य लक्षण बन गया है। खाने-पीने व पहरने, ओढ़ने से सम्बन्धित सदाचार कहीं खत्म होता है और स्वराचार कहीं शुरू होता है, यह कहना कठिन हो गया है। पहले हम जिसे चालचरन कहा करते थे, वह अब नहीं रह गया है। सम्भ्यता ने नये-नये रूप धारण कर लिये हैं। किबहुना, क्षण-क्षण जो नव स्वरूप धारण करती है वही सम्भ्यता है, ऐसा कहने की नौबत आ गई है। कवि की प्रतिभा की भाँति नावीन्य अब उसका मुख्य लक्षण माना जाता है। ५०-६० वर्ष पूर्व बड़े बड़े शास्त्री पंडित शाभवी पीकर विद्वत्ताप्रचुर प्रवचन किया करते थे तथा शाभवी के व्यसन को व्यसन नहीं माना जाता था। उत्तर भारत में अफीम तथा शाभवी के व्यसन को लत नहीं माना जाता था। गाजा पीने वाले लोग ५० वर्ष पूर्व पडे-लिखो के समाज में कुछ कम नहीं थे। तमाखू तथा पीने वाले भी बहुत बड़े पैमाने में मौजूद थे। पर आज सिगरेट का व्यसन समाज का तथा सम्य समाज का भूषण हो गया है। शराब, गाँजा तथा ... ने रोक लगा दी है। काफी बड़े पैमाने पर उम पर अबुश लगा रखा है पैदा होता है कि सामाजिक आचरण में तथा वैयक्तिक आचरण में

समाज को वित्त सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ चीजें निःसन्देह बुरी हैं उनमें शरीर एवं मन दोनों को तन्दुरस्ती बिगड़ती है। ऐसी चीजों पर व्यक्ति के हित के लिये रोक लगाई जाय या नहीं। राज धर्मीय और गात्रे पर लगाई गई रोक का किसी ने विरोध विरोध नहीं किया। पर यदि धूम्रपान पर रोक लगा दी जाय तो स्कूल के विद्यार्थियों में लेकर हिमासय के स्वामियों तक सब के सब विरोध करने को उठ खड़े हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं। समाज की धारणा हो खली है कि धूम्रपान व्यग्न नहीं है। और इसी कारण सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्ति को स्वतन्त्रता का वह एक भग है। लोग मानते हैं कि धान-पान, पोसाक तथा कुछ एक छोटी मोटी धातुओं पर रोक लगाना व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर आक्रमण करना है, मदिरापान पाप है—पक्ष महापापों में से एक है, यह स्मृतियाँ तथा इस्लाम धर्म की हिदायतें बनाती हैं। यद्यपि किन्हीं धर्मों की दृष्टि से मुरापान अध्यात्मिक कृत्य नहीं है, तथापि इस बात में सक्ता मतलब है कि मनुष्य के जीवन के लिए वह हानिकारक है। तथापि जो लोग कहते हैं कि सद्गुण मध्यम मार्ग है एवं दुर्गुण किमी बात की प्रति करना है। उनकी दृष्टि में थोड़ी मात्रा में मदिरा सेवन बुरा नहीं है तथा ऐसे मदिरापान पर रोक लगाना स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार पर आक्रमण करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि समाज की स्वतन्त्रता एवं समाज के नैतिक जीवन की दृष्टि में इस विस्म के मामलों में हस्तक्षेप करना सरकार का एक कर्तव्य है। वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण के बारे में कोई भी आग्रहपूर्वक यह नहीं कह सकता कि यह सही है और यह गलत है उत्तरनिर्दिष्ट सदाचार एवं स्वराचार में भेद करना आसान नहीं है। अन्धा आचरण कहीं पश्म होना है तथा व्यसन कहीं से शुरू होता है, यह बताना कठिन है। हृषते में जित्ती दफा तिनमा देखना ज्ञान एवं मनोरंजन का साधन होता है तथा जित्ती दफा देखना व्यसन हो जाता है, यह बताना आसान नहीं है। तथापि कभी कभी आचरण में प्रतिरेक न होने पर भी वह समाज को प्रिय होता है। तो क्या सिर्फ इस विना पर कि वह समाज को प्रिय नहीं है सरकार उस पर रोक लगा दे ? जहाँ कोई कृत्य प्रतिरेकपूर्वक करने से व्यसन हो जाता है, तथा समाज को उसमें उग्र होना है एवं व्यक्ति की दृष्टि से भी वह घातक साबित होता है वहाँ प्रतिरेक न होने देने के लिये उस पर रोक लगाना समाज हित की दृष्टि से अभीष्ट ही रहता है तथा उससे किसी की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं होता। स्वतन्त्रता का अर्थ जो जी में भाये सो करने की छूट कोई भी मजूर नहीं करेगा। इस दृष्टि से संपूर्ण शराबबंदी लोकमत को पसंद हो तो करना चाहिये पर यदि लोकमत को पसंद न हो तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए। हर कोई कहने लगेगा कि अमर्याद शराब पीने से सुराई होती है, पर जब तक मुझे बेमा अनुभव नहीं आया तब तक मुझे शराब पीने की पूरी छूट होनी चाहिए, तो राज्य को यह बात मंजूर नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अनुभव हासिल करे और उसकी कीमत प्रदा करे, यह अयोग्य नहीं है तथापि किन्हीं क्षेत्रों में पहने के तथा धर्मों के अनुभवों को ध्यान में रखकर राज्य किन्हीं प्रमेयों को मिद्ध साबित करता है तथा उस दृष्टि से धंदुग रखे जाते हैं। हर कोई अनुभव हासिल करते-करते अपने सर्वस्व को गँवा देंगे

तो उसका कुछ दोष सामाजिक व्यवस्था एवं राज्य-मत्ता पर भी घाता है। प्रायः हरेक को उम्र बारे में अनुभव हासिल करने का मौका न दिया जाए तो उमरें कुछ बिगड़ती गहीं। जिन मामलों में समाज की घब्रिबग सुखमसुख सामाजिक जीवन में नजर आती है, उसके बारे में सरकार को पूरा विचार करने से रोक लगानी चाहिए। सामान्यतया जुए को एक ध्यमन माना गया है। स्मृतिपत्रों ने पूरे को एक महानाटक माना है पर यह भी कहा है कि सच्चा दानिय जुए तथा कुछ क मुनाये को कभी अस्वीकार नहीं करता। मोघा जुएपियों के झूठे में जाकर घांटे लगाना धमका धमक तरह में जुए में नला स्मृहणीय नहीं है तथापि मोघो की रेव को अनुमति देकर जुए को दग देना की सरकार ने मनोरजन की प्रतिष्ठा प्रदान की है। कबको में तान में लाता है तथा उममें पंगे भी लगाए जाने हैं। क्या वही रोक लगाना ठीक होगा? या यदि वही रोक लगा दो गई तो घर-पर में वही होना शुरू हो जायेगा, यह मोवकर उमरी अनेका की जाये? तात्पर्य यह कि सामाजिक धापरण के बारे में निरवध के साथ यह कहना कि प्रमुक वस्तु दोषाहं है कठिन है। प्रत जो बातें स्वभाव ही मुगी हैं, उनके किये जाने पर राजा का िया जाना उचित ही होगा। इसी प्रकार जो काम धनिरेक-पूर्वक िया जाता है वह भी राजा का पाग होता है, यह गही है तथापि प्रमुक लगाते समय सारामार विचार, मनुष्य स्वभाव, सामाजिक इतिहास तथा परम्परा आदि बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये। किन्ही धर्मों में विवाह के प्रवगर पर मदिरापान करना आवश्यक समझा जाता है। किन्ही गम्भदायो में मदिरापान करना पूजा का अग माना जाता है। प्रत सब बातों का विचार करके प्रमुक लगाना चाहिये। और जो प्रमुक लगाया जाय उस पर रोक से प्रमल िया जाना चाहिये।

ऊपर हमने बताया कि योग्य सेवन तथा अतिरेकी सेवन की सीमाओं को निश्चित करना कठिन है। सामान्यतया किता योग्य तथा किता अतिरेकी इनके सम्बन्ध में मानदण्ड निश्चित करना प्रभाव्य होते हुए भी आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, किता मदिरापान करने से आदमी बेहोश नहीं होता या उसकी तन्दुरस्ती पर बुरा असर नहीं होता इस बारे में कोई-न-कोई मानदण्ड निश्चित िया जा सकता है पर उसके साथ यह भी सही है कि मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस मिकदार को कम अधिक करना भी न्यायोचित रहता है। प्रायः भारत के अनेक देशों में मदिरा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है। पर प्रपवाद रूप में डाक्टर की सिफारिश पर परमिट दिये जाते हैं और वे पीने वानो की प्रकृति को देखकर दिए जाते हैं। पर किसके लिए सेवन उचित मिकदार में है, किसके लिये नहीं, यह ठहराना सम्बन्धित व्यक्ति का ही काम होना चाहिए। कम देने पर व्यक्ति छुटपटाता है तथा कभी-कभी पागल भी हो जाता है। अधिक देने से बेहोश हो जाता है तथा समाज के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक क्षेत्रों में योग्य एवं प्रवीण का निर्णय करने की छूट रहती है। किता खाया जाय, किसे कप चाम पी जाय, इन बातों पर सरकार नियंत्रण नहीं लगा सकती। डेर सारी आइस्क्रीम खाकर कुछ व्यक्ति मर गए, पर इस बात को लेकर सरकार का आइस्क्रीम खाने पर प्रतिबन्ध लगा देना उचित नहीं होगा। खाने, कपड़े-लत्ते, तथा मनोरजन के सम्बन्ध में व्यक्ति ही अपने लिए

निर्णय ले सकते हैं। सर्वसामान्य समाज में जो योग्य माना जाता है, सम्यक्तायुक्त माना जाता है, वही तक नियंत्रण सीमित रहना चाहिए। एक समय था, जब हर घर में तथा विद्यालयों के कमरों में देवी-देवताओं के चित्र लगे रहा करते थे। उसके बाद ऐसा समय आया जब उनकी जगह देना-भक्तों के चित्र नज़र आने लगे। पर राज कल यह भ्रष्टाचार है कि सखेरे-सखेरे चित्रपट को किसी नामिका भ्रष्टाचार या नायक का चित्र रूप में दर्शन न मिले तो अपने-क्यों को दिनभर कुछ सूझ नहीं पड़ता। देश-भक्तों या नेताओं की लोकप्रियता में कमी आ गई हो तो बात नहीं, हाँ, चित्रपट की नामिकाओं एवं नायकों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, यह जरूर सत्य है। किसी समाचार-पत्र का अंक उनके फोटो के बगैर नहीं बिकता। हफ्ते में यदि एक बार भी उनके बारे में रोचक समाचार पढ़ने को न मिले तो उस पत्र के पाठकों की संख्या घट जाती है, यह समाचार-पत्रों का अनुभव है। ये सब कुछ बहुत अच्छे लक्षण नहीं हैं, यह भले ही सत्य हों, तो भी सरकार द्वारा इन बातों पर नियंत्रण लगाया जाना अभीष्ट नहीं तथा उसका फल उलटा ही होगा, यह भी उता ही सत्य है। और सरकार को भी जब सामाजिक आचरण के बारे में नियंत्रण लगाना ही, सब पूरा विचार करना चाहिये। और जो उद्देश्य इन नियंत्रणों के लगाने में सोचे गए हों, वे सचमुच पूरे हो पायेंगे या नहीं, इसका पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। नियंत्रण लगाने से व्यक्ति की अपनी उत्तरदायिता में कमी आ जाती है। उसे तब अधिक विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। जो प्रतिबन्धित नहीं है, वही खाना, पीना, देखना तथा काम में लाना उसका काम रह जायेगा। पर साथ ही मनुष्य की बुद्धि भी चौकन्नी हो जाती है। उसने अपने मन में जो छिपाया हुआ हो, उसको देखने की कामना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। जो वाङ्मय भाषणवाहूँ हो उसे पढ़ने की उसकी उत्प्रेरणा तीव्र हो जाती है। उसके जीवन-पथ में जो वस्तु नहीं आई थी, वही अब प्रतिबन्ध लगाने के बाद आने लग जाती है और उधर उसके मन का खिचाव उत्पन्न होने लगता है। बहुत दफा जो बातें प्रतिबन्धित होती हैं, उन्हीं को करने की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है तथा रचना करना स्वाभाविक हो जाता है। यदि मनुष्य को प्रलोभनों से दूर रखा जाये, अनेक बातों के अनुभव पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो, मनुष्य का अपना मूल-चरित्र विकसित नहीं हो पाता। विकास तब होता है, जब प्रलोभनों के विद्यमान होने पर भी उनसे दूर रहने की बुद्धि उसमें उत्पन्न की जाती है। चोरी का कभी मौका ही नहीं मिल पाया, इसलिए चोरी नहीं की, इस प्रकार की गुजना अभावजनक है। किसी ने प्रेम ही नहीं किया इसलिए मैं ब्रह्मचारी ही रह गया हूँ, इस बहाने में जो नैतिकता है, वह अभावजनक है। इसके विपरीत, प्रलोभनों के रहते हुए भी जिम्मेदार रूप में काम लिया हो तथा प्रकृति के लिये तीव्र प्रेरणा के रहते हुए भी जिम्मेदार निवृत्ति में काम लिया हो, उसी व्यक्ति का मूल सच्चा है, कमीटो पर खरा उतरा है, यह कहा जा सकता है। अतः समाज को व्यक्ति पर कुछ उत्तरदायित्व अवश्य डालना चाहिए। श्रेष्ठ नैतिक आदर्शों की जानकारी व्यक्ति के मन को करानी चाहिए तथा प्रतिबन्ध की व्यवस्था की रचना करते समय सारासारा का विवेक करना चाहिए। व्यक्ति को उचित मात्रा में अनुभव प्राप्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अपने





चनेगा, वह कही गिरेगा भी । इन सब बातों का मौका उसे मिलना चाहिए । काँच के घर में रहने वाले पोथे की भाँति उसके जीवन की प्रवस्था नहीं होनी चाहिए । मनुष्य केवल सा-पीकर ही जीवित नहीं रहता । उसकी सजीवता उसके जीवित रहने पर ही अवलंबित नहीं रहती । जिंदा रहना है तो उसे सजीव रहना होगा, उसका मन उल्लसित होना चाहिए, उसके विचारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, और जो भी नियंत्रण उसके विचारों पर हो वह उसके अपने अनुभव द्वारा खोज कर निकाला गया होना चाहिए । दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को वृत्तित करना अपने जीवन के विकास को कुण्ठित करना सिद्ध होगा । अपने खुद के अज्ञित अनुभव के बल पर जब वह व्यवहार करता है तब वह उत्तरदायितापूर्वक काम करता तथा उसके व्यवहार में गौरव प्रतिष्ठित होता है । अर्थों की भाँति व्यवहार एवं विचार करने का उपदेश देना उस व्यक्ति को गुलाम बनाना है । मनुष्य किसी भी देवता का भजन कर सकता है, पर उस पर इस बात की सख्ती की जाये कि हर एकादशी को उसे देवालय में जाना ही चाहिए, तो वह वहाँ जायेगा, उसका शरीर वहाँ रहेगा पर उसके मन में किसी अन्य ही देवता का प्रवेश हुआ होगा । यदि ब्राह्मणियों द्वारा उसके मन पर जबर्दस्ती की जाय तो मन की विचारशीलता विलुप्त हो जायेगी । हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति होनी चाहिए । और वह शक्ति हर क्षण तथा हर कही नियम एवं प्रतिबंधों के निर्माण से उत्पन्न नहीं होती । व्यक्ति अपने खुद के अनुभवों के आधार पर जो सत्य स्वीकार करेगा, वही वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा । जो चोरी करना पाप है, ऐसा मन से मानता है, वह चोरी नहीं करेगा । जिस व्यक्ति की प्रकृति इसके विरुद्ध होगी वह, जब तक सामने पुतिस खड़ी है या अन्य कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, तब तक चोरी नहीं करेगा ; पर ज्यों ही वे लोग हट जायेंगे वह चोरी किये बगैर नहीं रहेगा । अतः व्यक्ति को स्वयं अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए । उसमें उसके भीतर की विवेक वृत्ति जागती है, उसमें उत्तरदायिता की भावना उत्पन्न होती है । यदि व्यक्ति को अपने जीवन का दृष्टिकोण निश्चित करने का मौका दिया जाए तो उसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों ही का अधिकतम लाभ है ।

व्यक्ति को उसके वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवनो में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इसमें वह अधिक उत्तरदायितायुक्त नागरिक-जनता है, ऐसा हम ऊपर कह आये हैं । कानून से सामाजिक आचरण के बारे में कुछ नियमन करना ही तथा उसे पूर्ण सफल करना ही तो यह काम बहुत ही विचारपूर्वक किया जाना चाहिए । पहली बात यह होनी चाहिये कि यह नियमन सामान्यतया सब लोगों को प्रिय होना चाहिये । जिन-जिन लोगों के जीवन इन नियमों एवं निर्बंधों से प्रभावित होने वाले हैं, कम-से-कम उन्हें तो अवश्य इन नियमों एवं निर्बंधों के औचित्य का अनुभव होना चाहिये । जिस कानून को लोगों का समर्थन—स्वयं प्रेरित समर्थन—नहीं मिलता तथा जिसके तत्त्वों के बारे में जनता उदासीन रहती है या जिसका विरोध करती है, उस कानून का पालन केवल दण्ड के भय से किया जायेगा ऐसा पहले ही से मान कर चलना खतरे से साती नहीं है । उससे कुछ

सोच उस कानून को मान सें तो मान सें; पर यह कानून एवम् गन्त है, यह स्वीकार करना ही होगा। जहाँ गारागार का विचार नहीं किया गया, ऐसे कानून के भंग करने की ओर जाने; जाने: सोचों की प्रवृत्ति होने लगती है। कानून के पालन की प्रतिष्ठा कम हो जाती है तथा कानून के भंग करने की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। समाज में यदि कानून की अवज्ञा करने वाले का अधिक सम्मान होने लगे तो निश्चय ही कानून या समाज में होने वाला आदर लुप्त हो जायेगा तथा समाज को धारण करने वाले अनेक प्रबन्धों में से कुछ टूट जायेंगे। कानून की अवज्ञा करने वालों को मर्दाने लगता है कि वे लोग कोई उतम काम, कोई दूरबीरता का काम कर रहे हैं। समाज की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रगति का आधार कानून है। कानून इन सब बातों का मर्यादा एवं प्रेरक होता है। कानून पर होने वाला कुठारापाय समाज के मूल पर ही होता है। समाज जड़-मूल से बरबरा उठता है। समाज का जीवन कानून के पालन के रूप पर टिका रहता है तथा समृद्ध होता है। कानून का प्रतिनिधि होता है पुनिग वाला। उनके बारे में जो सम्मान एवं भय होना चाहिये, वही लुप्त हो जाता है तथा लोगों के मन में यह धारणा पर कर लेनी है कि पुनिग वाला नागरिकों का शत्रु है, उसी स्वतन्त्रता में विघ्न उत्पन्न करने वाला दुःमन है। यह धारणा निश्चय ही हितायक नहीं है। आज उन लोगों का ज़ही-जही सम्मान होता है, जो शराब बन्दी के कानून की अवज्ञा करते हैं। हाथ-भट्टी लगाना एक बला समझी जाने लगी है तथा हाथ-भट्टी की शराब चुमाने एवं उसी विधो करने के काम में बट्टा-जे लोग अपना शौशल कार्य करने लग गये हैं। इसे एक पराक्रम का दोष माना जाने लगा है। और जो लोग ऐसा करते हैं, उनही यह कहकर प्रशंसा की जाती है कि वे लोग कानून की यह अवज्ञा समाज की सेवा के लिये एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये कर रहे हैं। जो प्रशंसा देशभक्त क्रातिचारियों, स्वातन्त्र्य चार्ने वाले सत्याग्रहियों को मिलनी चाहिये, वह प्रशंसा एवं ख्याति निम्न श्रेणी के वे समाचार-पत्र इन शराबबन्दी का कानून भंग करने वालों को दे रहे हैं। हाथ-भट्टी के समाचार तथा पुलिस वालों की इस काम में होने वाली फौजदारी या भ्रष्टाचार पर जहाँ जब लोग अलवारों में पड़ते हैं, तो समाज का एक वर्ग शराबबन्दी के कानून के विरुद्ध होने वाले आचरण को अच्छा समझने लगता है। चोरी-छिपे शराब पीना दूरबीरता का काम समझा जाने लगा है। तथापि यह भी विचार करने योग्य है कि इस कानून को बनाते समय इस बात का विचार नहीं किया गया कि समाज को यह कानून कहीं तक मान्य हो सकेगा। शराब-बन्दी के इस काम को यदि थोड़े से विवेक से किया जाता तो इस काम में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती, आज गाँव-गाँव में विधिपूर्वक शराब चुमाने की जो भट्टियाँ हो गई हैं, वे न होती। इस गैर-कानूनी पेशे में पड़कर सीधे-सादे व्यक्ति भी गुण्डे हो गये हैं। सीधे तरीके से शराब पीना सम्भव न होने के कारण अनेक ब्यसनी लोग बाममार्गी हो गये हैं। यदि शराबी को हम निर्व्यसनी बनाना चाहे और उनकी ओर में सहयोग न मिले तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। अतः हमें उनके सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि शराब को एकदम बंद करने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके शराब की मात्रा कम करते तो कदाचित् हमें उसका

सहयोग प्राप्त हो जाता और उसे हम इसव्ययन से मुक्त कराने में समर्थ हो पाते। कुछ दिन हम केवल हफने में एक दिन के लिये शराब-बंदी करते। उसके बाद दिन में केवल एक निश्चित समय में तथा एक निश्चित स्थान पर ही मिलेगी ऐसी व्यवस्था करते। इससे हम उसे इस दुर्व्यसन से बचाने में सफल हो पाते। पर एकदम अविशेष से, अव्यावहारिकतापूर्वक शराब-बंदी करने से कुछ माना में अच्छे फल प्रबन्ध मिले होंगे तो भी कुछ बुरे फल भी निश्चित ही हुए हैं। अनेक सामान्य लोग अपराधजीवी हो गये हैं। आज बम्बई में एक ऐसा जग उत्पन्न हो गया है, जिसे 'गण्डर वल्ड' (भूमिगत जगत्) कहा जाता है। संघटित अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इन सब बातों को टाला जा सकता था। शराब-बंदी से मद्गुणों की वृद्धि हो, जीवन अधिक सुखी एवं समययुक्त हो, यह उद्देश्य बहुत ही कम मात्रा में पूरा हो पाया है। समाज में किसी भी व्यसन की घोर देखने की जो एक नैतिक दृष्टि आवश्यक होती है, वह कम हो गई है तथा सर्वसामान्य वानावरण असंयत जीवन की घोर ले जाने वाला हो गया है। समाज की नैतिकता की रीढ़ खम गई है तथा समाज का नैतिकता से सम्बन्धित सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो गया है।

समाज में उत्पन्न हुई अनरिनिर्दिष्ट स्थिति समाज के नेताओं के लिये विचार करने योग्य विषय है। सरकार को बंशिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, उसके ऐसा करने के कारण ही सब हुआ है, ऐसा कहना सर्वोत्तम में मत्त नहीं है। पहले महामुद्र के बाद नवीन विचारों को लहर सारे समाज में फैल गई तथा नई पीढ़ी पर नवीन विचारों की एक छात्र बैठ गई है। पुराने नेता तथा पुराने लोग राष्ट्र का उपयोग वर्गवित्त के स्वार्थ की पूर्ति के लिये किया करते हैं। देश के तरुणों की प्रेरणा को मुद्दीभर लोगों के स्वार्थ के लिए काम में लाया जाता है। समाज के बहुसंख्यक लोग वस्तुतः पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में गुलाम हो जाते हैं और उन्हें गुलामी में ही बनाये रखने के लिये संस्कृति, तत्त्वज्ञान एवं साहित्य का उपयोग किया जाता है। समाज का आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरोध म्यून्न रूप नेता बना जाता है। सर्वसन्न-स्वतन्त्र इस आर्थिक व्यवस्था में मालदार लोग और ज्यादा मालदार होते जाते हैं। गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। समाज में ऐसा कोई विचार अवशिष्ट नहीं रह जाता, जो उनमें समन्वय की स्थापना कर सके। ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है, जिसमें मेहनत करने वाले ज्यादा मेहनत करें तथा पूँजीपतियों के हाथ में असीम सम्पत्ति पहुँच सके। सम्पत्ति एक ऐसी सत्त है, जो शासनसत्ता पर भी अपना प्रभुत्व जमा सके। इसका फल यह होता है कि समाज में अन्धकार बढ़ जाता है, संघर्ष की वृद्धि होती है तथा जो कुछ मौजूद है, उस सब को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की वृत्ति बढ़ जाती है। और तब यह वृत्ति पुराने सामाजिक मयम एवं अनुशासन को बचाने नहीं करती। पुराने के प्रति घादर घट जाता है। पुरानी दुनिया मार्ग दर्शक नहीं रह जाती। यह समझ कर कि जो कुछ मौजूद है, उसकी तरफदारी करने से अन्धकार को अक्षुण्ण रखने जैसा ही जाता है, लोगों के मन उसे दूर करने के लिये अधिक निर्भीक हो जाते हैं। ये छुल्लमचुल्ला अनुत्तरदायिता से काम लेने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा लोगों के जीवन में लोकमत के विरुद्ध क्रिये

गये हस्तक्षेप या फटा यह होना है कि समाज के सारे नैतिक बन्धनों का एवं सामाजिक अनुशासन या पूर्णतया उच्छेद हो जाता है। अतः सरकार के पास में, जहाँ नवीन विचारों की जनधारा बहुत वेग से बहा करती है, यदि कानून का परिपालन करना है तो कानून को अधिकधिक मात्रा में जनमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। यदि सरकार सरकार के स्वयं की ओर ध्यान न देते हुए सजा की मात्रा निश्चित करने लगे, परिस्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। न्याय के सम्बन्ध में लोगों के मन में आशंका नहीं रह जाती तथा जो सजा दी जाती है, उसके अनौचित्य को लेकर और अधिक चिड़ पैदा होती है। समाज में ऐसी अवस्था का रहना अभीष्ट नहीं है। यदि अप्रिय कानून को लादा गया तथा सखी में उसका परिपालन कराया गया तो उसके विरुद्ध जो भावना पहले ही मौजूद थी वह और अधिक होने लगती है। और उस समय बलिदान देने की एव हताशा होने की वृत्ति बहुत बड़े पैमाने पर समाज में उत्पन्न होती है। या कहिये उरग्न की जाती है। और उस समय कानून का परिपालन एक टेढ़ी खीर हो जाती है। इस प्रकार के सारे अनुभव को ध्यान में रखकर, कानून बनाने समय सरकार को जनता की भावनाओं का अधिक सम्मान करना चाहिये। कानून न बनाने से स्वतंत्रता का कितनी मात्रा में दुरुपयोग किया जाएगा तथा कानून बनाने से जो दुष्परिणाम होंगे, वे किस प्रकार के होंगे, इसका हिमाव लगाकर सरकार को कदम उठाने चाहिये। बहुत दफा कानून का उपहास होता है। साफ-साफ विरोध न भी हो तो भी उसे इतना तुच्छ गिना जाता है कि गुलनमबुल्ला कानून का भग करने से समाज में जो परिणाम दृष्टिगत हुआ करते हैं, यही परिणाम कानून का उपहास करने तथा उसे तुच्छ समझने से भी होने लगते हैं। इसी प्रकार सरकार को भी चाहिए कि व्यक्ति के किन्हीं कृत्यों को तान्त्रिक दृष्टि से दोषार्ह समझ कर तत्काल सजा का हथौड़ा अपराधी के सिर पर न चलाये। बहुत दफा उपेक्षा करने तथा तुच्छता प्रदर्शित करने से जो परिणाम होते हैं वे सजा से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। सत्याग्रहियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकारी कार्रवाई से बढ़ने वाली प्रतिष्ठा को देखकर कुछ एक महानुभावों ने सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिये सत्याग्रह के सिद्धान्त में विश्वास न होते हुए भी सत्याग्रही बनने का नाटकीय साहस किया और ठूँठ सरकार ने भी उन्हें १६० जुर्माना करके या द्वाग्रे से ऐसा मत करना यह उपदेश देकर छोड़ दिया। फल यह हुआ कि उन लोगों के प्रति लोगों का धैर्य-भर भी विश्वास नहीं रह गया। कहने का अभिप्राय यह है कि कानून का परिपालन कब किया जाय, कितनी चतुराई से किया जाय इन बातों का विचार विवेकपूर्वक किया जाना चाहिये। व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक महत्व की वस्तु है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिष्ठा का एक अंग है। आजकल बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर आमरण उपवास की घोषणा की जाती है। ऐसी घोषणाओं का जवाब उपेक्षा से देना ठीक रहता है। परन्तु उसका उद्देश्य यदि महत्वपूर्ण हो तो उस मामले में बड़ी चतुराई से काम लेना चाहिए। अन्न-सत्याग्रह द्वारा किसी अप्रिय वस्तु को करने के लिये बाधित करना एक प्रकार से हिंसा का ही आशय लेना है और बहुत दफा अन्न सत्याग्रह की बात मान लेने से कानून की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। वैसे

होने का मतलब यह हुआ कि कुछ-एक व्यक्तियों के हठ या पागलपन के लिए बहुसंख्यक लोगों की स्वतंत्रता की अवगणना करना। यदि सामान्यतया बहुमत द्वारा कोई कानून पास हुआ है, तो भ्रष्ट-सत्याग्रह की चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। बार-बार मरवाग्रह होने लगे तो लोग भी उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं तथा उस सत्त्व की प्रतिष्ठा एवं पवित्रता भी नष्ट हो जाती है। भ्रष्ट-सत्याग्रह की स्वतंत्रता हर किसी की है। तथापि यदि उस स्वतंत्रता का प्रसार सारे समाज पर पड़ता हो, तो सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिये। यदि बात मान लें तो वह नैतिक गलती होगी, तथा बंधानिक दृष्ट्या एक अनुचित बात होगी। और यदि उसे बंसे ही मरने दिया जाय तो भ्रजानी तथा भावुक वृत्ति वाला लोभमत् क्रुद्ध हो उठेगा और कुछ ऐसी बात हो जानी है, जिसकी उन्मीद तक नहीं की गई थी तथा उमका फन होता है सामाजिक धरुन्तोप। तात्पर्य यह कि कानून इस प्रकार के होने चाहिये, जो अधिक-से-अधिक लोकमत के अनुकूल हों। लोगों की भावना को बहुत अधिक ठेस न पहुँचाने वाली सरकारी नीति तथा उसका परिपालन होना चाहिए।

सामाजिक क्षेत्र में जिन बातों पर सरकार ने रोक लगा रखी है या प्रयुक्त लगा रखा है, उनके बारे में यदि लोकमत बहुत अधिक विरुद्ध हो तो जनता को उन वस्तुओं को प्राप्त कराने के लिये वाम-मार्ग का आश्रय लिया जाता है। शराब सीधे रास्ते से सरकार नहीं देती तो हाथ-भट्टियाँ पुरू हो जाती हैं तथा वाम मार्ग से निषिद्ध वस्तु का सम्भरण एक फायदेमन्द धन्या हो जाता है। और इस धन्ये में पड़नेवाले सीधे-सादे लोग भी उपरिनिर्दिष्ट रीत्या साहसी बन जाते हैं। अच्छे कार्य के लिए होने वाले कानून के उल्लंघन को समय-प्रसमय लोगों द्वारा प्रथम मिलते रहने से उस मार्ग का प्रचलम्बन करने की और लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है। उसके पीछे की उत्तम भावना तो जाता है। उमने लोगों की ह्पाति भी बडनी है। एक और हट जाती है और समाज का गुणडागर्दी करने वाला तन्व उसका उपयोग एक और हट जाती है और समाज का गुणडागर्दी करने वाला तन्व उसका उपयोग सरकारी विरुद्ध करने लग जाता है। कानून का उल्लंघन मगठिन रूप से होने लगता है। शराब-बन्दी के बाद शराब की विक्री का उद्योग-गैर-कानूनी उद्योग कित्ता सगठिन हो गया है, इसका अनुभव बम्बई राज्य के लोगों को बहुत अच्छा है। दवा के नाम पर शराब की विक्री की जानी है। अनेक मनोरंजन मस्याएँ, बाहर से मनोरंजन एव भीतर से मदिरा-पान करती हैं। शराब-बन्दी न होती तो शराब की बोलल के जो दाम होने मात्र उससे कई गुना दाम उसके मिलने हैं। अधिक मुनाफे की वजह से लोग अधिक धतरा भी मोच लेने के लिये तैयार हो जाते हैं। इंग्लैंड तथा अमे-रिका में निषिद्ध वस्तुओं की विक्री करने वाले व्यापारी लक्षपति हो गये हैं। यह बात नहीं कि उन्हें सजा नहीं मिलती। पर जेल जाने में उन्हें कोई खास तकनीक नहीं होती। किबहुना, उस उद्योग की वह एक सामान्य अवस्था मानी जाती है। रजिस्टर्ड न हुई पर उननी ही कार्यक्षम एवं मगठित ये अवैध व्यापार करने वाली संस्थाएँ होती हैं तथा बारी-बारी से जेल में जाने को उनकी तैयारी होती है। पुलिस भी यह सब जानती है तथा राज्य के बडे-बडे अधिकारी भी इस चोर-बाजारी में शामिल रहते हैं। उनके बीच एक किस्म का समझौता हुआ रहता है। इन सब उद्योग-धन्धों



सारी गेली निधनवीसोंमें घाली' (अर्थात् पुराने रीति-रिवाज सब चले गये और उनकी जगह नये-नये स्थापित होने लगे) यह ५० वर्ष पूर्व का रचा गया पद मुझे लगता है सनातन हो गया है। आज भी उसका उपयोग किया जाता है और अनन्त काल तक किया जाता रहेगा। लोकतन्त्र के युग में लोगों को इच्छा होने की छूट है। लोगों के मंगलिन होकर किये गये प्रयत्नों को यों सफलता न भी मिले तो भी प्रसिद्धि तो उन्हें कुछ-न कुछ मिल ही जाती है। समाज में चर्चा होती है। समाचार-पत्रों में उनके बारे में वाद-प्रतिवाद होता है। येन केन प्रकारेण इन महानुभावों द्वारा अनभोष्ट ठहराई गई बातें सर्वनाधारण जनता की धारों के सामने आ जाती हैं। ज्ञान के क्षेत्र में किए गए नए-नए आविष्कार उनकी दृष्टि में उदात्त मचाने वाले सिद्ध होते हैं तथा धार्मिक मामलों में युक्तिवाद को छोड़ा-सा भी स्थान दिया गया तो इनके माथे ठनक उठते हैं। देवता के सम्बन्ध में किए विनोद को वे लोग समझ नहीं पाते हैं तथा एकदम बहने लगते हैं कि सरकार को इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। बन्धुनिष्ठ लोगों का तत्त्वज्ञान उन्हें मुहाता नहीं। समाजवादी लोगों का तत्त्वज्ञान उन्हें मुहाता नहीं। प्रयत्नवाद उन्हें पचता नहीं। पुरानी हिन्दू धर्म की कल्पना के अनुसार समाज के सब लोगों को सीढी की भाँति काम व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वे लोग बहते हैं। हरिजनों का मन्दिरों में जाना वे लोग वर्जित नहीं कर सकते। साथ बैठकर भोजन करने को वे लोग महापाप समझते हैं। और जब कोई बात उनके मन के मुनाबिक नहीं होती तो बहते हैं कि बालगुरु ही उलट गया है। भैया, कलियुग है क्या किया जाय। ऐसा कहकर मुश्किल से प्रचलित बातों के साथ अनुकूलता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यह सनातनी प्रचलितवादी, पिंसी-पिटी, सड़ी-गली मनोवृत्ति केवल भारत में ही हो ऐसी बात नहीं, सभी देशों और सभी कालों में यह रहती है। उसका मुख्य लक्षण है, नये विचारों एवं नये प्रयोगों से शत्रुत्व। और इसीलिए इन लोगों की जिद के धागे सिर झुका कर राजद-सत्ता का कुछ-का-कुछ कर बँटना अनुचित एवं प्रगतिशील स्वतन्त्रता की दृष्टि से महितकर है।

सामान में हर व्यक्ति को मत की तथा विचार की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। और यदि यह स्वतन्त्रता न हो, तो मनुष्य एवं मानव यह पदवी यथायं नहीं हो सकती। दोनों शब्दों में मनु धातु है। उनका अर्थ है विचार करना। जो विचार करता है, वही मनुष्य या मानव ही सक्ता है। मत-मानव के मुख्य लक्षण विचार करने से प्रसंगत वातावरण, समाज में नहीं रहना चाहिये। मनुष्य के मन में जो विचार आते हैं, उनका सम्बन्ध उसके चारों ओर की परिस्थिति के साथ होता है। किसी लोकल में मनुष्य विचार नहीं किया करता। उसके विचारों का जन्म उसके चारों ओर उल्लस्य होने वाली परिस्थिति में से होता है। समाज की परिस्थिति विविध प्रकार की होती है। कोई बट्टत मुग्धी होता है तथा कोई दुःखी होता है। वही खाने और पहनने की सीमा नहीं होती तो बट्टी दर दर भट-बने एवं घुटने में सिर धिपाकर सर्दी बिताने की नीवत रहती है। भवृद्धि के बयानानुसार विरोध से भरा हुआ यह जग मुक्तमय है या दुःखमय है, यह कोई नहीं



वह सक्ता । और जिसे जिस किस्म का अनुभव घाया होगा, तथा जिस हालत में वह जीवन बिता रहा होगा, उस हालत के अनुसार ही वह व्यक्ति विचार करेगा । अतः सब लोगों को एक ही नर्तने से नाचना ठीक नहीं । कोई बात ऊपर के दर्जे के लोगों को प्रिय लगती है, तो वह नीचे के सभी दर्जों को प्रिय लगनी चाहिए ऐसी एकरूपता से जीवन में काम नहीं चलता । किसी को स्वयंवर नाटक में हविषणी के शालीन एवं स्नाहित्यपूर्ण हाव-भाव अधिक भाएंगे तो किसी को तमाशों में नाचने वाली किसी कौशल्या का ऊबड़-खाबड़ अभिनय ही अच्छा लगेगा । जहाँ अभिचि की यह अवस्था हो, वहाँ यह कहना कि फलां बात ऐसी होती तो अच्छा होता या बुरा होता, केवल बड़े भिजाज वालों का दिखावा भर होगा । अतः ऐसे भिजाज वालों का दबदबा रहे तो समाज की कलात्मक प्रगति उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती । मानसिक स्वतन्त्रता के चातावरण में कला का उत्तम विकास होता है । साहित्य प्रतिक्षणरमणीयता एवं रसोदरपं दिखलाता है । बहुत अधिक सोज्ज्वलता प्रगतिकारक समाज के राह में रोड़ा अटकाने वाली है । निरर्थक लम्बी नाक वाले आलोचक साहित्य-क्षेत्र में उछल-कूद मचाने लग जायें तो रसिकता मरुचित हो जाती है और कभी-कभी लुप्त तक हो जाती है । श्रेष्ठ साहित्यिक व्यक्तियों के जीवनो के लिए तथा श्रेष्ठ कलाकारों की कला के लिए इस प्रवृत्ति के व्यक्ति राहु एवं केतु का काम करते हैं । अतः समाज की सर्वाङ्गीण प्रगति के लिए समाज में मानसिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता है । विचारों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । साथ ही उपरिनिर्दिष्ट स्वरूप की विचारधारा के भूतों को समाज एवं सरकार की ओर से उपेक्षा एवं दुर्लक्ष द्वारा दान्त कर दिया जाना चाहिये । सामान्यतया व्यक्ति अपने व्यवसाय से बाहर अधिक नहीं भाँकता । नवीन विचारों का वह स्वागत किया करते हैं तो भी सब की इस बात का अहमास नहीं होता कि उनके लिए कुछ त्याग करना चाहिए अथवा अधिक जागरूक रहना चाहिए । अपना घर फूँक कर औरों के घर की घाग बुझाने वा धन्या सिर्फ धंकार की उलाह-पछाड करने वाले लोग ही किया करते हैं, ऐसा माना जाता है । अतएव सरकार को ही सावधानी बरतनी चाहिए । लोगों के मनो पर जो परंपरागत संस्कारों का बोझ लदा हुआ है, उन्हें हलका करने के सारे प्रयत्नों को सरकार को स्वागतान् मानना चाहिये तथा प्रतिक्रियावादी शोर-शराबे के सामने सिर झुकाकर मत-स्वतन्त्रता एवं विचार-स्वतन्त्रता पर संकुच नहीं लगाना चाहिए । स्वतन्त्रता चूँकि एक मौलिक प्रवृत्ति एवं अवस्था है, अतः यही मान कर चिन्ता चाहिए कि उसका मनुष्यों में ही होता है । स्वतन्त्रता के मानी स्वैराचार नहीं है यह मिथ करना उन लोगों का काम है जो इसका विरोध करते हैं । जो लोग कहते हैं कि स्वतन्त्रता को संकुच लगाया जाना चाहिए, उनका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे मिथ करें कि स्वतन्त्रता का जो उपयोग किया जा रहा है, वह दुरुपयोग है । और जब तक यह सामान्य जनता की बुद्धि में नहीं उतरता कि वास्तव में स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है तब तक सरकार को विचलित होने की आवश्यकता नहीं । स्पष्ट शर्तों में स्वतन्त्रता के विरोधी लोग नहीं बनें कि वे मनु-स्वतन्त्रता विवा विचार-स्वतन्त्रता के विरोधी हैं ।

क्योंकि वह स्वतन्त्रता उन्हें भी अभीष्ट होती है। तथापि वे कहेंगे कि समाज के हित के लिये हम चाहते हैं कि स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाये जायें। मानो समाज के हित का सारा टेका उन्होंने लिया हो। चूंकि वे लॉग अधिक जोर से खिल्लाते हैं, अतः उनकी बात मानी जाय, या उनका कथन समूचे समाज का कथन है, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। चूंकि देश के सारे समाचार-पत्र एकमत होकर किसी विचार-पारा प्रथवा आचरण पर दूट पड़ें तो उसे उसी रूप में ठीक समझकर तत्काल उसके विरुद्ध सरकारी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सम्बन्धित बात की प्रसामाजिकता एवं अनौचित्य का पता सरकार को स्वतन्त्र रूप से चला लेना चाहिये। और तभी उसके विरुद्ध कोई उपाय किया जाना चाहिए, जब पक्का विश्वास हो जाय कि वह बात वस्तुतः असामाजिक एवं अनुचित है। सारी दुनिया का अनुभव यह बनाता है कि विचार-स्वतन्त्रता से ही ज्ञान की उन्नति हुई है। राजकीय एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता इसी स्वतन्त्रता को कोख से पैदा हुई है। यदि यह स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धति का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकेगा, मत-प्रदर्शन तथा सगठन का अधिकार ये दोनों का भवित्व उज्ज्वल नहीं हो सकेगा, मत-प्रदर्शन तथा सगठन का अधिकार ये दोनों स्वतंत्रता की श्वासनलिका (लन्ग् ब्रॉफ फ्रीडम) हैं, यह महात्मा गांधी-कथन सत्य है।

## स्वतन्त्रता तथा सामाजिक अंकुश

पहले प्रकरण में हम स्वतन्त्रता के अर्थ के सम्बन्ध में सामान्य रूप से निरूपण कर आये हैं तथा यह भी विशद कर चुके हैं कि व्यक्ति की उन्नति तथा उसके मानसिक विकास के लिये स्वतन्त्रता की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही समाज की धारणा के लिये भी उसकी आवश्यकता है। दूसरे प्रकरण में हमने बताया कि स्वतन्त्रता की व्यापक कल्पना में विविध क्षेत्रों की स्वतन्त्रताओं का अन्तर्भाव होता है। उनमें से विचार स्वतन्त्रता तथा उसका आविष्कार जिसके द्वारा है, उस व्यक्तिगत मत-स्वतन्त्रता एवं सङ्गठन स्वातन्त्र्य का विवेचन किया। अब हम पहले स्वतन्त्रता का विचार सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से करने जा रहे हैं। स्वतन्त्रता व्यक्ति को अपने सुख एवं जीवन की परिपूर्णता की अनुभूति के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक है। अतः स्वतन्त्रता का अर्थ बतलाते हुए हमने यह बताया कि मनुष्य के सुख के मार्ग में जो प्रतिबन्ध या सीमाएँ रूकावट बनकर आती हैं, उनके अभाव को स्वतन्त्रता कहा जाता है। व्यक्ति के सुख का अर्थ लोग करते हैं कि व्यक्ति को होने वाली इस बात की अनुभूति कि जो कुछ उसके पास है, वह उसी के लिए है। पर यह कसौटी ठीक नहीं। व्यक्ति के सुख के सम्बन्ध में विचार करते हुए समाज के सन्दर्भ को एव परिस्थिति को आँखों के सामने अवश्य रखना चाहिए। यदि मनुष्य का प्रत्येक विचार कार्यान्वित हो जाए, या उसकी प्रत्येक इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो समाज में उपद्रव खड़ा हो जायेगा। क्योंकि अनेकों की इच्छाएँ अन्य अनेक व्यक्तियों की इच्छाओं के साथ टक्कर खाती हैं, अतः विविध जनो की इच्छाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है तथा उसके लिए किन्हीं मानकों एवं पैमानों की जरूरत होती है। भाषण स्वातन्त्र्य न हो तो स्वतन्त्रता नहीं रह सकती, यह सिद्धान्त आधुनिक विश्व में सर्वमान्य हो चुका है। इसी प्रकार समाज के किन्हीं इने-गिने या खास-खास लोगों की ही खास-खास अधिकार देकर अन्यो को उनसे वंचित रखना भी स्वतन्त्रता की कल्पना से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार थोड़े-से लोगों ने जिन बातों को मजूर किया हो, उन्हें सब पर लादना, या किसी विशिष्ट विचारधारा को सब पर लादना अथवा किसी परम्परागत विचारधारा को ही समाज की वैचारिक मृष्टि में सर्वाधिक शक्ति-शाली बना डालना—आदि बातें भी स्वतन्त्रता के अस्तित्व के अभाव को ही सूचित करती हैं। तालाब में पानी ढेर-सारा हो, पर उसका अस्तित्व तभी सार्थक है, जब वह प्यासों की अजलि में पहुँच जाये और उसमें प्यासा अपनी प्यास बुझा सके। यही बात सामाजिक जीवन के बारे में भी सही है। मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव आयेगे उन्हीं को वह अपनी आँखों के सामने रखेगा तथा उन्हीं के आधार पर वह अपनी धारणाएँ बनायेगा। इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करने तथा उनके अनुसार अपने मत या धारणाओं के बनाने की एवं उन्हें अभिव्यक्त करने की उमे

पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। यदि इस क्षेत्र में बिन्ही सास मर्तों एवं धारणाओं को ही शक्तिशाली बनने दिया गया तो उनके विरुद्ध भावाज उठाने प्रयत्न करने का प्रयत्न करने का प्रयत्न करने से मिलने पर भी यदि समाज में प्रचलित प्रथा या परम्परा के कारण मुदिकल हो जाये तो इसका प्रयत्न यही होगा कि वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। भले ही क्रिमी ने नाक बन्द न की हो, मुँह बन्द न किया हो, तो भी क्रिमी-न-क्रिमी ने दम डरकर घोट रखा है, ऐसा कहना होगा। रास्ता घुना है, पर उस पर चलने का मन को साहस नहीं होता, ऐसा कहना होगा। इनका परिभाषा यह हुआ कि राजसत्ता की भाँति समाज की सत्ता भी निहासन पर बँटकर लोगों पर दृक्कमत करती है। राजसत्ता कुछ नहीं करती, किसी विस्म की रकावट नहीं डालती तो भी बर्ग प्रनिकाम का लोकमत का फौजदार लोगों को डराना-धमकाता ही रहता है और लोग उसमें डरते रहते हैं। 'लोगों की न सही मन की लाज तो महसूस होती ही चाहिए' यह कहावत यहाँ उलटी हो जाती है: मन निलंज न भी हो, तो भी निरवयी बन जाता है; पर लोकमत का हीसा उसके सामने धाकर खड़ा हो जाता है और बहुसंख्यक लोग उसके सामने डर जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। 'सामाजिक प्रभु होने के कारण मनुष्य का सब कुछ समाज से बँध जाता है। समाज के वातावरण से सलग्न हो जाता है। वह कितना भी चाहे, अपनी इच्छा के अनुसार घुलकर बोल नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। इस मामले में राज्य की धोर से उस पर कोई पाबन्दी नहीं रहती, पर वह पाबन्दी रहती है लोकमत नामक एक महसूस किनु प्रत्यधिक शक्तिशाली सिपाही की धोर से। राह पर चलते वक्त यातायात का नियन्त्रण करने वाला पुनिषवाचा न भी हो तो भी वह अपनी इच्छा के अनुसार बड़ी जा-प्रा नहीं सकता। समा के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं, तो भी जमा हुए लोगों के सामने वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बोल नहीं सकता। यदि हम कहें कि उसका मन सामाजिक नियमों से डरता है, तो कोई प्रत्युक्ति नहीं होगी। इसका कारण यह है कि उसने अपने जीवन को दूसरों के जीवन के साथ एक कर दिया है तथा प्रन्वों के जीवन उसके जीवन के साथ एक हो गए हैं। जब वाप धोर प्रादनी एक-दूसरे के नजदीक आने हों दोनों के दोनों मन-ही-मन एक-दूसरे में डरते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ भी है। समाज में शान्ति बनी रहे, उसमें उत्पात न हो, तथा उम उत्पात से समाज को बचाने के काम में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए यह भावना प्रतजाने हर व्यक्ति में सामान्यतया उत्पन्न होती है। यह भावना ही है, जो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित करती है और इस कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो पाती। यह भावना समाज में समाज को प्राप्त हुए अनुभवों के धाधार पर उत्पन्न होती है और चूँकि व्यक्ति समाज का ही एक अंग है; अतः उसके भीतर भी इस भावना का पैदा होना अनिवार्य हो जाता है। दूध से भरे बटोरे में चीनी मिला दी जाये तो दूध की हर बूँद में चीनी की मिठास धा जायेगी। यदि पानी से भरे गिलास में नींबू निचोड़ दिया जाये, तो पानी के हर कतरे में नींबू की मिठास धा जायेगी। इसी प्रकार समाज में जो कुछ होता है, वह चाहे अच्छा हो या बुरा, लाभदायक हो या हानिकारक, उसका प्रभाव समाज के अंगभूत हर व्यक्ति पर

पड़ेगा तथा दम प्रकार समाज में जो परम्पराएँ जन्म लेगी हैं, जो धार्मिक मामले धारिते जाते हैं, वे सहज ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैतिक दृष्टि से बन्धनकारक हों जाते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे बहूत में बन्धन धारण करने पर मानव का मन से लेते हैं तथा उनका स्वयं 'दृग्म' माना हो जाता है। दमका यह मतमय नहीं कि सरकार अथवा राजसत्ता जिन परम्पराओं अथवा धार्मिकों को मान ले, वे पूरी तरह से उचित अथवा अशुद्ध हैं। 'दृग्म हुआ है' अतः यह उचित है। ऐसा अर्थसिद्ध रूप से मान लेना ठीक नहीं कहा जा सकता। पर स्वतंत्रता की रूपरेखा उम पर सगे प्रतिबन्धों की रूपरेखा के जानने में स्पष्ट होती है, यह मानना पड़ेगा। मूल के अर्थ को स्पष्ट रूप से ही जानने के लिए उमरी टीका को देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी सम्भलता चाहिये।

यों स्वतंत्रता तथा उम पर सगे प्रतिबन्ध परम्पर विरोधी शब्द प्रयोग होते हैं। तथापि, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें यह मानना ही होगा कि स्वतंत्रता सभी सही है, जब उस पर कुछ प्रतिबन्ध हो। अर्थात् बन्धन ही में मुक्ति निहित है, ऐसा कहना होगा। भाषा की रूपरेखा तथा शब्दों के अर्थों को ठीक ठीक जानने के लिये जिस प्रकार व्याकरण की आवश्यकता होती है, उन्ही प्रकार स्वतंत्रता की रूपरेखा को ठीक ठीक जानने के लिये बन्धनों की भी आवश्यकता है। जो बन्धन एवं प्रतिबन्ध समाज स्वयं निर्माण करता है, उनके पीछे अनुभव का एक बहुत बड़ा मकसद काम करता है। समाज के दीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर जो बन्धन अथवा प्रतिबन्ध जन्म लेते हैं, उन्हें स्वीकार करने में नैतिकता एक स्वाभिमान की कोई हानि नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में परीक्षा करने के बाद जो सिद्धान्त स्थिर हो जाते हैं, उनके बारे में फिर से सदेह प्रकट करना उचित साबित नहीं होता। तथा उन सिद्धान्तों को स्वयंसिद्ध मान कर आगे विचार किया जाता है, अगले परीक्षणों की योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार समाज के अनुभवों, किन्हीं धार्मिकों को स्वयंसिद्ध मान लिया जाता है, क्योंकि समाज के जीवन में वे पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं। एक दृष्टि से उन्हें सनातन रूप प्राप्त हो जाता है, तथा उन्हें सर्वसम्मत तथा विरोधहीन मान कर नागरिक लोग अपने जीवन की मजिल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में, जहाँ रास्ते कई दिशाओं में जा रहे हों, वहाँ यदि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, यह बताने वाली पट्टियाँ लगी हों, तो यात्री को बहुत सुविधा हो जाती है। उसे यह जानने के लिये परेशान या शंकाकुल होने की जरूरत नहीं रह जाती कि कौन-सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तथा उसके बाद उसका ध्यान रास्ते की मुसीबतों को दूर करने, अपनी चाल को तेज या धीमी करने के मामलों में कौशल करने और यह निश्चय करने में लग जाता है कि उसे उस रास्ते पर पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, रेल में जाना है या मोटर से जाना है। पर उसे इस बारे में शंका नहीं रह जाती कि रास्ता उसे कहाँ ले जायेगा। वह रास्ता कहाँ जायेगा, यह प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार समाज के अथवा जीवन के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की अवस्था भी सम्भली चाहिये। जीवन में प्राप्त अनुभव तथा उन पर आधारित धार्मिक तथा परम्पराएँ उसे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन

का यह रास्ता बर्हा जा रहा है। इतना ही वे आदर्श उभे यह भी बताते हैं कि उसे किस मार्ग पर जाना चाहिये। यह व्यक्ति की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उन आदर्शों की बात को स्वीकार करे या नहीं। उसे यह भी प्रेरणा हो सकती है कि वह अपने लिए कोई नया ही रास्ता खोज निकाले। उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है, वह जो कुछ करने जा रहा है, उसका फल क्या होगा तथा उमने अपने लिए जो रास्ता चुना है वह फल में उसे बर्हा ले जायेगा। जो अनुभव औरों को आया है, सामान्यतया वह अनुभव उसे भी आयेगा। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अनुभव में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहेगी। जिस रास्ते की कानून ने मनाही की है, उसका अनुसरण करने से समाज के लोगों द्वारा पुरस्कार मिलने के स्थान पर उसे कानून के पुत्रिम के डडे मिलेंगे। लोगों के अनुभव की वह मानेगा नहीं तो उसे अपने द्वारा उभाजित अनुभव की कीमत चुकानी होगी। उसे समाज की अपेक्षा, विरोध तथा बदनामी का पात्र बनना होगा। कानून को न मानने के कारण जो प्रायश्चित्त उसे भोगना पड़ेगा, उसे में काम चल जाय, ऐसी बात नहीं है। अतः कानून का उल्लंघन न करके सोचे रास्ते पर चलने में ही उसका फायदा अधिक है। यदि वह मन में यह पक्का निश्चय कर ले कि मुझे समाज के विरोध की पवाह नहीं करना है, समाज एवं लोकमत की सीमाओं को नहीं मानना है तथा अपने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा से उसे स्वतंत्रता का उपभोग करना है, तो वह कुछ समय के लिए, बैठा कर सकता है। पर ज्यों ही उसकी स्वतंत्रता एवं कानून में विरोध उत्पन्न हो जायेगा त्यों ही कानून के बन्धन उसे निष्क्रिय बना डालेंगे, इसमें संदेह नहीं। तब स्वतंत्रता का अर्थ एक दृष्टि से यह हो जायेगा कि कानून के अनुसार चलते हुए तथा कानून का विरोध न करते हुए, जो उपलब्ध हों, सिर्फ वही स्वतंत्रता है।

सच्ची स्वतंत्रता वहीं है, जो मौजूदा कानून के खिलाफ न जाय। इत्ता ही नहीं, कानून तथा स्वतंत्रता में जितनी अधिक सुसंगति रहे, स्वतंत्रता के उपभोग में उत्ता ही अधिक स्वारस्य रहेगा। पर यहाँ कानून का अर्थ, उसे किसी अधिभूत सत्ता अथवा व्यक्ति ने बनाया है, ऐसा सूचित नहीं है। यहाँ कानून का अर्थ—कानून का महाबल्य व्यक्ति एव समाज के अनुभव एपी ताने-बाने से बना है, ऐसा—व्यापक है। कानून का अर्थ, उसकी घोषणा कौन करता है, इस पर आधारित नहीं है, बरन् क्या घोषित किया जाता है, इस पर आधारित है। जनता की सहमति उसे प्राप्त होनी चाहिए यह मुख्य सूत्र है। यदि उस कानून के पीछे जनता की सहमति की मंगल-मायना नहीं रहेगी तो उसमें लोगो की स्वतंत्रता की सुसंगति नहीं रहेगी, यह स्पष्ट है। समाज के नाना-विध पूर्वग्रह, विविध अनुभव, एवं अभिप्राय तथा एक-दूसरे से मेल न खाने वाले हित सम्बन्ध आदि बातों की प्रतिक्रिया में से उस वस्तु का निर्माण होता है, जिसे लोकमत की मज्ञा दी जाती है। और ऐसे सांस्कृतिक लोकमत का स्वतंत्रता से सम्बन्ध आता है। ऐसे लोकमत में तथा स्वतंत्रता की मौलिक बल्पना में जितने सुसंगत एव मेल खाने वाले सम्बन्ध रहेगे, उतना ही उत्तम होगा। नागरिक—विशेष करके प्रजातन्त्र का नागरिक—का स्थान राज्यव्यवस्था में तथा समाजव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण होता है। उसका इत्ता ही कर्तव्य कर्म नहीं कि वह राज्य की आत्मा

एवं समाज की परम्परा को चुपचाप मान ले। उसे समाज में निर्माण होने वाले नाना प्रकार के सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों की ओर भी ध्यान देना होता है, उनके बारे में विचार करना होता है तथा अपने विचारपूर्ण अभिप्राय से समाज के कल्याण की दृष्टि से मार्गदर्शन करना चाहिए। और यदि वह यह नहीं करेगा तो अपने नागरिक होने का कर्तव्य पूरी तरह से पातन नहीं कर पायेगा। और तब अपनी दृष्टि में उसे जो योग्य प्रतीत होता है, वह करना उसका क्रमप्राप्त कर्तव्य हो जाता है। अतः उसे ऐसी परिस्थिति अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें विचार करना तथा योग्य अभिप्राय व्यक्त करना उसके लिए सम्भव हो सके। वह विचारपूर्वक जो अभिप्राय व्यक्त करता है, उसका यह तात्पर्य नहीं कि वह केवल तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर हो, अथवा किन्हीं भावनाओं के अधीन होकर ही अपना अभिप्राय व्यक्त करता है वरन् उसका तात्पर्य है दीर्घ दृष्टि से विचार करके व्यक्त किया गया अभिप्राय। इस अभिप्राय व्यक्त करने की क्रिया में वह बहुत गहराई के साथ विचार करता है। उसकी विचारधारा उथली नहीं होती। वास्तविक सत्य एवं महत्त्वपूर्ण वस्तु का वह विचार करता है। किसी की वही अथवा लिखी बात के आधार पर दिया गया अभिप्राय विचारयुक्त अभिप्राय नहीं कहा जा सकता। मनन किये बगैर दिया गया मत सच्चा मत नहीं है। सत्य का पता चलाने के लिए सूक्ष्म दृष्टि से जांच करनी होती है। उसकी भाँखों के सामने अथवा मन में मौजूद धारणाओं की ठीक से छानबीन करना होती है। जो विकृत एवं अप्रही वृत्ति से प्रकट किया गया हो, उसमें से उसे सत्य एवं प्रमाण युक्त वस्तु को ढूँढ़ना होता है और तब किसी न्यायाधीश की भाँति सत्य का पता चला कर अपना मत निर्धारित करना होता है। सच यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार विचार करके व्यवहार करने लगे तो समाज में दुःख के लिए कोई स्थान नहीं रह जायेगा। तथापि नागरिकों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श बार-बार लोगों के सामने उपस्थित किया जाय यह भी उतने ही महत्त्व का वस्तु है। केवल बाह्य शान्ति एवं सुव्यवस्था को देखकर ही समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्था की कल्पना कर लेना ठीक नहीं होगा। वास्तविक शान्ति वह है, जो समाज के मानसिक क्षेत्र में हो। इसी प्रकार समाज का अपना एक बौद्धिक जीवन होता है। उसमें यदि सतुलन एवं सामंजस्य हो, तो समझना चाहिए कि समाज में सुव्यवस्था है। सर्वत्र परस्पर विरुद्ध विचार प्रकट किये जाते हैं, वैचारिक उपद्रव मचा हो, क्या सम्भव है तथा क्या असम्भव है इसका विचार न करके जो मन में आया सो कह दिया ऐसी स्थिति ही अर्थात् 'बचने का दरिद्रता' यह न्याय प्रबल हो तो पहले समाज में वैचारिक अराजकता मच जाती है और उसके बाद 'भाज कर' सी काल कर' की-सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस दृष्टि से विचार करते हुए कहना होगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामने आने वाली घटनाओं तथा वस्तुस्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करना चाहिए।

सत्य तथा प्रचार (प्रोपेगण्डा) एक-दूसरे से मिले रहते हैं; अतः उन्हें ठीक से परस कर प्रचार के भूमे को दूर कर सत्य के अनाज के कणों को इकट्ठा करना

चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक नागरिक पर आती है? स्वतन्त्रता का दावा करना बहुत आसान है; पर उसके साथ आने वाले जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए।

जगर कहीं जिम्मेदारी को निभाना मुश्किल काम है। समाज में सत्य तथा अमर्य, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत, शक्ति तथा विरथायो—इनके स्वरूप को ठीक से समझ कर इनमें से जो सत्य हो, प्रस्तुत हो, जो दीर्घ-दृष्टि से उपयुक्त हो, उसे एक घोर निकाल कर उस पर अपनी बुद्धि को स्थिर करना तथा उसके आधार पर अपने आदर्शों को निश्चित करना तथा उनको सुरक्षित रख कर उन्हें बढ़ाना—आदि मामलों में नागरिक के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य को चमकाने का अवसर मिलता है। बहुत सी बातों को—जैसा हम पीछे कह आये हैं—स्वयंसिद्ध सिद्धान्त मानकर काम करना होता है। कभी-कभी पुराने गहनों को नया मुल्मना देना पड़ता है। इसी प्रकार पहले से मान लिए जाने वाले सिद्धांतों तथा स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों को भी प्राधुनिकता को कसौटी पर परखना पड़ जाता है। पूर्वग्रह (पारणाएँ) कैसे बनते हैं, बताना मुश्किल है। तथापि कभी जाने तथा कभी अनजाने हर व्यक्ति को इनका अनुभव प्राप्त होता है। और यदि कोई व्यक्ति के इन पूर्वग्रहों के विरुद्ध कुछ कह बैठे तो उसे स्वभावतः बुरा लगता है। जितनी-जितनी हवा ज्यादा तेज बहने लगती है, उतना-उतना ही मनुष्य अपने छोड़े हुए दुगाले को अधिकाधिक अपने साथ बिपटाने लगता है, वैसे ही उसके मन को भी स्थिति होने लग जाती है। और यदि कोई उसके पूर्वग्रह के विरुद्ध सामान्य प्रमाण पेश करने लगे तो उसका उपहास करने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ वस्तुस्थिति को 'करतवामनकरत्' सिद्ध नहीं किया जा सकता, वहाँ पूर्वग्रह विनीत नहीं हो पाते, बदलते नहीं। पूर्वग्रहों का सम्बन्ध उनके मतों एवं दृष्टिकोणों के साथ जितना अधिक हो उतना ही उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है। यदि निन्ही पूर्वग्रहों में सत्य का अंश कम तथा प्रचार का अंश अधिक रहे तो उनके विरुद्ध निरन्तर एवं अधिक मात्रा में प्रचार करने से वे गुप्त हो जाते हैं। और तब वे सत्य एवं वस्तुस्थिति की मात्रा में सीमित हो जाते हैं। परन्तु जहाँ पूर्वग्रहों का निर्माण होता ही प्रचार से है, वहाँ सिर्फ विरोधी प्रचार से वे दूर नहीं होते। और तब मनुष्य, मैं उस प्रचार का शिकार बन गया हूँ, ऐसा कहने को तय्यार नहीं होता। सत्यनिष्ठा की अपेक्षा अभिमान अधिक शक्तिशाली साबित होता है। न्यायानुसार काम करने की अपेक्षा अपने अज्ञान पर पर्दा डालने की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है। थोड़ा सा भी सत्य ऐसे असत्य प्रचार के रहस्य पर से पर्दा उठा देता है। इन बातों का अनुभव सब होता है, जब समाज में किसी घटना के सम्बन्ध में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो जाता है या किसी बड़े राजनैतिक अथवा सामाजिक प्रश्न के सम्बन्ध में गहरा असंतोष उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त महाराष्ट्र के आन्दोलन के समय सीधी-सादी बातों को किस तरह तीक्ष्ण-परीक्ष कर पेश किया गया तथा सरल मार्ग से चलने वाले को किस प्रकार विकृत बुद्धि का बनाया गया, यह अनुभव तो हाल ही का है। प्राधुनिक जगत् में प्रकट रूप में भी प्रचार किया जाता है। समाचारपत्रों एवं समाजों के द्वारा तो प्रचार होना ही है, पर वह ट्राम में, सोकस ट्रेन में, होटलों में, पान तथा चीड़ी की दुकानों में, केशकर्तनालयों में,



वाचनालयों में भी किया जाता है। तथा वह अधिक जहरोला होता है। यदि कहीं झूठे प्रचार को कोई झूठा बताने का प्रयत्न करे तो वह खुद ही झूठा साबित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से सचवाई का तथा वस्तुस्थिति का विचार नहीं करता। सर्वसाधारण जनता तो यही समझती है कि समाचारपत्रों में जो कुछ छपता है, वह सच ही होता है। झूठी चीज छप ही नहीं सकती। यह ठीक है कि अधिकांश जनता को सचवाई को तोड़-मरोट कर पेश करना या उसे दबा देना या झूठ को बड़ा-बढ़ाकर कहना अनुचित तथा अनैतिक प्रतीत होता है। परन्तु उस पर भाव्य मूँदकर विश्वास करने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यद्यपि हर व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु की छानबीन करके अपनी सम्मति बनाना उचित है तथापि हम देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। कर्ना समाचार कर्ना अखबार में छपा है, कर्ना सम्मति कर्ना व्यक्ति ने प्रस्ट की है इत्यादि बातों को ठोस सत्य मानकर ही लाखों लोग समाज में व्यवहार करते हैं। तथा स्वयं विचार करने का कष्ट करने को तैयार नहीं होते। साथ ही यह भी सच है कि, यदि उनके सामने कोई वास्तविकता को बार-बार पेश करता रहे, तो उनकी सम्मति तबदील हो जाती है। दूरी कारण समाज में अधिक भाषण एवं गैलन की स्वतंत्रता का होना जरूरी है। और जब विरोधी सम्मतिपों के पीछे की सचवाई जाहिर हो जाती है, तब अत्यधिक हठी एवं दुराग्रही व्यक्ति भी अपनी सम्मति को सन-साने बदलने की ओर प्रवृत्त होने लगता है। जब किसी बड़ी बल्की को दीमक लग जाती है, तो वह भीतर ही भीतर खोपची हो जाती है, और घात में कोई जोर का घनका लगता है, तब वह टूटकर फिर पड़ती है। यही अनुभव विचार मुष्टि में भी घाटा है। हम जिस बात को पूर्णतया सच मानकर उसके साथ चिपके रहते हैं, उसके बारे में यदि थोड़ा-सा भी माह उत्पन्न हो जाय, तो मन उन संदेह का शिकार बन जाता है। मन की हड़ना धीरे-धीरे कम जाती जाती है, तथा जैसे जैसे विचारों की सहरी उनके मन में उत्पन्न होती है, जैसे जैसे उमका हृद विराम कम होता चला जाता है तथा जब अंत में समाज में विशेष उत्पन्न होता है, तो तब वाद-विवाद शुरू हो जाता है। तब व्यक्ति की अवस्था पचतन्त्र की कमा के उग द्राजण की-नी हो जाती है, जिसे हम मान का विश्वास

तथा विस्फोटकता बलनातीत होती है, यह बुलाया नहीं जा सकता। 'दीर्घ' को उचित मर्यादा में रखते हुए, उनके सन्तर्भ को ध्यान में रखते हुए समाज में सत्य का प्रवेश करना होता है और यदि उन काम के निर्देशांतरा जाता बरख द्वेष के कारण विपाक हो गया हो, पूर्वप्रश्नों द्वारा प्रस्त हो, तो सत्य का पता चलाना एक मुश्किल काम हो जाता है। तथापि समाज की भलाई के लिए सत्य का पता चलाना ही पड़ता है। समाज की शक्ति इस कोशिस में रखी है, कि जो तयार है, या जिसे जान-बूझकर तयार किया गया है, उसे सब के गले के नीचे उतरवा दिया जाय। गुनरातो लोग पहले व्यापारी होते हैं, प्रत. हर मामले में वे सीधेवासी से काम लेंगे ऐसा मान कर उनके प्रवेश दृश्य एवं विचारों को परखा जाता है। महाराष्ट्रीयों को झटका, लूट-सूट करने वाला तथा दूसरों की भावनाओं को न समझने वाला माना जाता है। प्रत. उनको प्रवेश किया को इसी पूर्वग्रह के मादण्ड से नाया जाता है। तथा ऐसा करने से समाज की धारणा के लिए आवश्यक सन्तुलन बिगड़ जाता है। प्रत. विचारशील एवं सन्तुलनशील नागरिक जो हर सिक्के को ठोक बजा कर ही बचल करने वाले होते हैं, जिस समाज में जितने अधिक होंगे, वह समाज उतना ही अधिक सुस्थिर, सन्तुलनयुक्त एवं प्रगतिशील होगा।

समाज में हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जो समाचारपत्रों में सबको तथा बतव्यों को सही मानते हैं तथा जो सही नहीं मानते। और ऐसा होना समाज में सन्तुलन कायम रखने के लिए आवश्यक भी है। साधारण रूप से वस्तुस्थिति समाज के सामने उपस्थित होती है और उसके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसमें सत्य तो समाज की प्राणियों के सामने रहता है; पर उसकी व्याख्या में मतभेद होता है। परन्तु जहाँ सत्य एवं वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में ही निश्चय नहीं होता तथा सब मामला गड़बड़ में पड़ जाता है, वहाँ मतस्वतंत्रता है, यह पहना बठिन हो जाता है। जहाँ गमाचारपत्र सीधी-सादी बातों को भी तोड़ मरोड़ कर पेस करते हैं, तथा सभी प्रतिशक्ति से काम लिया जाता है तथा कभी उसे घटा कर पेस किया जाता है, वहाँ सत्य का प्राकलन ठीक से नहीं हो सकता। जानबूझ कर ही नहीं किया जाता। तब ऐसी परिस्थिति में मतदान की स्वतंत्रता एक घोषी बात हो जाती है। प्रत: व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सत्य का स्वरूप लोगों के सामने यथार्थ रूप में प्रा सके। दलगत राजनीति में यह होता है कि, 'इस समय जो कुछ हो रहा है, वही सत्य है', ऐसा लोगों के सामने पेस किया जाता है। तथा जिस प्रकार एक गुम्हार मिट्टी के लोदे को अपनी इच्छानुसार गवल देता है, उसी प्रकार यहाँ भी होता है। प्राजकल को समाचार-पत्र मृष्टि में इस प्रकार के बुलाल भरे पडे हैं तथा समाज उनको घादर प्रदान करता है। सत्य यह है कि ये लोग सत्य के थोक व्यापारी होते हैं। दुनिया में जो हुषा ही नहीं, अनुभव बताता है कि जिस प्रकार के कल्पित समाचार उन्हें पढने को मिनते थे। समा हर्द भी नहीं, पर छप गया कि सभा हर्द, पर समिति वालों के डर से वह तत्काल विसर्जित हो गई। जिस शहर की जनसंख्या एक लाख के भीतर-भीतर है,

और जिस सभास्थान में १० हजार से अधिक लोग समा नहीं सकते वहाँ एक लाख से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति बता कर कलकत्ता की अंधेरी कोठरी का प्रयोग करने का जादू मराठी समाचार पत्रों ने करके दिखाया है। भूठी सवरे छाप कर लोगों के मन पर भावुकता जन्य प्रशंसा का इतना प्रभाव डाला जाय कि जनसामान्य को सोचने तक की फुर्त न मिल सके, यह भी अनुभव जनता को आ चुका है। १९२४ में इंग्लैंड में जो निर्वाचन हुए उनमें होनोबाब के पत्र ने सारे निर्वाचन पर इसी प्रकार का प्रभाव डाला था। वास्तव में, वह एक जाली कागज था। तथापि उसका कितना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। अतः समाज में समाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उसका तथा विचारस्वतंत्रता एवं मतस्वतंत्रता का घनिष्ठ संबंध है। जब लोगों के सामने इस प्रकार के दल-निर्मित सत्य प्रथवा बढ़ा-चढ़ा कर कहे जाने वाले सत्य पेश होते हैं, तब सामान्य जनता हतबुद्धि हो जाती है। महाभारत में कहा है— 'सत्यं न तद् यच्छलमम्बुपैति' अर्थात् सत्य वह नहीं है, जिसमें कपट का अंश रहता है। सो जो सत्य कपट से युक्त है, उसे समाज में प्रसृत नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे सत्यों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रकार समाचारपत्रों में विशेष 'प्रमाण' नाम से जो बात कही जाती है, वह वास्तव 'प्रमाण' न होकर किसी के मस्तिष्क की मौलिक उपज होती है, जिसे मिच-मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य कितने विकृत रूप में लिख सकता है, इसका उदाहरण मेयो की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य गगणित हित संबंधों वाले लोग प्रसारित किया करते हैं। उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। छोटे-मोटे कारखाने के मालिकों को पूँजीपति कहकर उनके विरुद्ध वातावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सारी वेतन की माँग को क्रांति की घोषणा का रंग दिया जाता है। ऐसी अवस्था मनुष्य को जिन सत्यों के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्वतंत्रता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। आजकल की दुनिया में पत्रकारिता एक व्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रकार लोग पदार्थों में मिलावट (एडल्टरेशन) करते हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी वैचारिक सृष्टि में मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वही कहूँगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन करूँगा, सत्य ही को प्रतिष्ठा को स्वीकार करूँगा, लोगों के प्रोवेगण्डा का दास नहीं बनूँगा—इस श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार आज की दुनिया में 'मनुष्याणा महत्सुपु' कोई एक दो ही दृष्टिगोचर होते हैं। 'वस्तुस्थिति पवित्र है तथा टीका उन्मुक्त है' (फैन्टम आर सेक्रेड कामेंट्स आर फ्री) ये जो वर्तमान सृष्टि के अनिष्टों के महावाक्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग में अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नफे की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को लिखने की ओर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो मालिक कहे, वह लिखा जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। बिना प्रकार आजकल सिने सिनाये

कपड़े सरीदने की लोगों की रीति हो गई है, वैसे ही कुछ मत के सम्बन्ध में हो गया है। बने-बनाये मत पाठनों को समाचारपत्रों के द्वारा दिये जाते हैं। और प्रचार द्वारा जनता के ऊपर इन पूँजीपतियों के समाचारपत्रों का बड़ा पुलिसवालों से भी ज्यादा हो जाता है। जो कुछ लोगों के सामने आता या पेश किया जाता है वह इत्ता ध्यानपूर्वक या इत्ता भयानक दिखाया जाता है कि सामान्य मनुष्य सम्भ्रमित हो जाता है तथा अधिक विचार न करके जो कुछ समाचार पत्र में लिखा है, उसे सही मान लेता है। जादू टोना करके लोगों के मन को बस में करने की जो विद्या यी उसी का प्राधुनिक रूप सगठित एष पद्धतियुक्त प्रोपेण्डा है, ऐसा कहा जा सकता है। अपनी ओर से मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता। जिस प्रकार गोल गुम्बद में एक जगह कोई धावाज की जाय तो वह सब कहीं फँस जाती है तथा सबके कानों में वही धावाज पहुँचती है, उसी प्रकार एक ही मालिक के अधिकार में यदि बहुत से समाचारपत्र हों तो उन सब में एक ही प्रकार की विचारधारा आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगी तथा ऐसी कोशिश की जाती है कि लोगों को उससे भिन्न कुछ सुनने को मिले ही न। अनेक दृष्टिकोण, अनेक विकल्प लोगों के सामने नहीं आते। चुनाव करने के क्षेत्र सीमित होते जाते हैं। बिबहना, चुनाव के वास्ते कुछ रह ही नहीं जाता। जो कुछ सामने आता है, उसे लोग अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नागरिकों को विचारों तथा मत की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक नहीं। उनके मन विचार विमुख हो जाते हैं। कँदियों की यह अवस्था होती है कि जो कुछ उनकी धाली में परोसा जाता है, वही उनकी गाना पड़ता है, अन्यथा भूखे ही रहना पड़ता है। सो समाज की भी यही अवस्था होती है। ज्ञान के साधन में धनवान् ठेकेदारों गुरु होने लगती हैं। अतः लोगों के सामने वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करने की व्यवस्था किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। समाचारपत्र यदि सरकार के हाथ में चले जायँ या उनके नियंत्रण में चले जायँ, तो यही कुछ होता है। अतः समाचार-पत्र न तो पूँजीपतियों के हाथ में होने चाहिए, न सरकार के। जो कुछ कोई कहना चाहता है, उसके कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अतः समाचारपत्रों को न तो व्यापार का रूप धारण करना चाहिये न सरकारी विभाग का। इन दोनों में से कोई भी हालत हो जाय, तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं तथा उनके समाचारों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है तथा लोग अपने को भले ही स्वतंत्र मानते हों, पर उनकी वह स्वतंत्रता अर्थशून्य हो जाती है।

समाज में ज्ञान प्रचार के साधन व्यक्तिगत होते हुए भी यदि पूँजीपतियों द्वारा नियंत्रित हों, तो लोकमत एक ही सचि में ढल जाता है तथा सारे समाचार-पत्रों में उसी रूप में छप जाता है। फलतः सत्य का स्वरूप एक ही नम्बर के माल परदाएँ अधिक गहरी होने लगती हैं तथा समूचे व्यक्ति-विकास को चालना मिलती है। पर जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से व्यक्ति के सामने ऐसी चीज आती हो, जो सच न होते हुए बहुत सजाकर पेश की जा रही हो, वहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति उसे स्वी-

घोर जिस सभास्थान में १० हजार से अधिक लोग ममा नहीं माने वही एक सान से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति बता कर बलात्ता की धंधेरी मोठरी का प्रयोग करने का जादू मराठी ममाचार पत्रों में करके दिगलगाया है। झूठी गवरें छाप कर लोगों के मन पर भावुकता जन्म प्रशोभ का इतना प्रभाव डाला जाय कि जनमामान्य को सोचने तक की पुमंत न मिल सके, यह भी अनुभव जनता को घा घुना है। १९२४ में इंग्लैंड में जो निर्वाचन हुए उनमें होमोयाय के पण ने सारे निर्वाचन पर इसी प्रकार का प्रभाव डाला था। वारनय में, यह एन आली कागज था। तथापि उसका कितना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। मत. समाज में ममाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उसका तथा विचारम्यनप्रता एय मत-स्वतंत्रता का घनिष्ठ संबंध है। जब लोगों के सामने इस प्रकार के बन-निमित्त सत्य प्रपचा बढा-चढ़ा कर कहे जाने वाले सत्य पेश होते हैं, तब सामान्य जनता हतबुद्धि हो जाती है। महाभारत में कहा है— 'सत्यं न तद् यच्छतमभ्युपैति' अर्थात् सत्य वह नहीं है, जिसमें कपट का अंग रहता है। सो जो सत्य कपट से युक्त है, उसे समाज में प्रसृत नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सत्यों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रकार समाचारपत्रों में विशेष 'प्रमाण' नाम से जो बात कही जाती है, वह वास्तव 'प्रमाण' न होकर किसी के महिषिक की मौलिक उपज होती है, जिसे मिचं-मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य कितने विकृत रूप में लिख सकता है, इसका उदाहरण मेयो की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य गणठित हिन सबन्धों वाले लोग प्रसारित किया करते हैं। उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। छोटे-मोटे कारखाने के मालिकों को पूँजीपति कहकर उनके विरुद्ध वातावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सादी वेतन की माँग को क्रांति की घोषणा का रंग दिया जाता है। ऐसी अवस्था मनुष्य को जिन सत्यों के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्वतंत्रता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। आजकल की दुनिया में पत्रकारिता एक व्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रकार लोग पदार्थों में मिलावट (एडल्टरेशन) करते हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी वैचारिक सृष्टि में मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वही कहूँगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन करूँगा, सत्य ही को प्रतिष्ठा को स्वीकार करूँगा, लोगों के प्रोपेगण्डा का दास नहीं बनूँगा—इस श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार आज की दुनिया में 'मनुष्याणा सहस्रेषु' कोई एक दो ही दृष्टिगोचर होते हैं। 'वस्तुस्थिति पवित्र है तथा टीका उन्मुक्त है' (फैक्ट्स आर सेक्रैड कामेण्ट्स आर फ्री) ये जो वर्तमान सृष्टि के अनिपदों के महावाक्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग में अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नफे की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को लिखने की ओर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो मालिक कहे, वह लिखा जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रकार आजकल सिले सिलाये

कपड़े खरीदने की लोगों की रीति हो गई है, वस्त्र ही कुछ मत के सम्बन्ध में हो गया है। बने-बनाये मत पाठकों को समाचारपत्रों के द्वारा दिये जाते हैं। और प्रचार द्वारा जनता के ऊपर इन पूँजीपतियों के समाचारपत्रों का बड़ा पुलिसवालों से भी ज्यादा हो जाता है। जो कुछ लोगों के सामने आता या पेश किया जाता है वह इत्ता भावपूर्ण या इत्ता भयानक दिखाया जाता है कि सामान्य मनुष्य सम्भ्रमित हो जाता है तथा अधिक विचार न करके जो कुछ समाचार पत्र में लिखा है, उसे सही मान लेता है। जादू टोना करके लोगों के मन को बस में करने की जो विद्या थी उसी का प्राधुनिक रूप सगठित एवं पद्धतियुक्त प्रोपेण्डा है, ऐसा कहा जा सकता है। अपनी ओर से मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता। जिस प्रकार गोल गुम्बद में एक जगह कोई भावाज की जाय तो वह सब कहीं फैल जाती है तथा सबके कानों में वही भावाज पहुँचती है, उसी प्रकार एक ही मालिक के अधिकार में यदि बहुत से समाचारपत्र हों तो उन सब में एक ही प्रकार की विचारधारा भाषकों पढ़ने और सुनने को मिलेगी तथा ऐसी कौशिल्य की जाती है कि लोगों को उससे भिन्न कुछ सुनने को मिले ही न। अनेक दृष्टिकोण, अनेक विकल्प लोगों के सामने नहीं आते। चुनाव करने के क्षेत्र सीमित होते जाते हैं। निचूटना, चुनाव के वास्ते कुछ रह ही नहीं जाता। जो कुछ सामने आता है, उसे लोग अपने भाव स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नागरिकों को विचारों तथा मत की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक नहीं। उनके मन विचार विमुक्त हो जाते हैं। कंठियों की यह अवस्था होती है कि जो कुछ उनकी धारणा में परीसा जाता है, वही उनको पाना पड़ता है, अन्यथा सूख ही रहना पड़ता है। सो समाज की भी यही अवस्था होती है। ज्ञान के साधन में अनेकानेक टुकड़ों की शुरु होने लगती है। अतः लोगों के सामने वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करने की व्यवस्था किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। समाचारपत्र यदि सरकार के हाथ में चले जायें या उनके नियंत्रण में चले जायें, तो यही कुछ होता है। अतः समाचार-पत्र न तो पूँजीपतियों के हाथ में होने चाहिए, न सरकार के। जो कुछ कोई कहना चाहता है, उसके कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अतः समाचारपत्रों को न तो व्यापार का रूप धारण करना चाहिये न सरकारी विभाग का। इन दोनों में से कोई भी हालत हो जाय, तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं तथा उनके समाचारों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है तथा लोग अपने को भले ही स्वतंत्र मानने हो, पर उनकी वह स्वतंत्रता अर्थशून्य हो जाती है।

समाज में ज्ञान प्रचार के साधन व्यक्तिगत होते हुए भी यदि पूँजीपतियों द्वारा नियंत्रित हो, तो लोकमत एक ही माँचे में ढल जाता है तथा सारे समाचार-पत्रों में उसी रूप में छप जाता है। जननः सत्य का स्वरूप एक ही नम्बर के मात स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते समय मनुष्य का मन विकसित होता है, उसकी धृष्टाएं अधिक गहरी होने लगती हैं तथा समूचे व्यक्ति-विकास को चालना मिलती है। पर जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से व्यक्ति के नामने ऐसी चीज आती हो, जो सच न होते हुए बहुत सजाकर पेश की जा रही हों, वहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति उसे स्वी-

घोर जिस महास्थान में १० हजार से अधिक लोग मरना नहीं मानते वही एक साग में अधिक श्रोताओं की उपस्थिति बता कर बलात्ता की घोंपेरी कोटरी का प्रयोग करने का जादू मराठी समाचार पत्रों ने करके दिगलामा है। झूठी गपों पर लोगो के मन पर भावुकता जन्म प्रशोभ का इतना प्रभाव डाला जाय कि जनसामान्य को सोचने तक की पुनर्त न मिल सके, यह भी अनुभव जनता को प्राप्त हुआ है। १९२४ में इंग्लैंड में जो निर्वाचन हुए उनमें होनीयाय के पक्ष ने सारे निर्वाचन पर इसी प्रकार का प्रभाव डाला था। वास्तव में, यह एक नाली कागज था। तथापि उसका कितना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। अतः समाज में समाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उसका तथा विचारस्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता का घनिष्ठ संबंध है। जब लोगो के सामने इस प्रकार के वन-निर्मित सत्य प्रथवा वदा-नदा कर कहे जाने वाले सत्य पेश होते हैं, तब सामान्य जनता हतबुद्धि हो जाती है। महाभारत में कहा है— 'सत्यं न तद् वन्द्यमभ्युपैति' अर्थात् सत्य वह नहीं है, जिसमें बपट का अंग रहता है। जो जो सत्य बपट से युक्त है, उसे समाज में प्रसारित नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सत्यो के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रकार समाचारपत्रों में विशेष 'प्रमाण' नाम से जो बात कही जाती है, वह वास्तव 'प्रमाण' न होकर किसी के मस्तिष्क की मौलिक उपज होती है, जिसे मिच-मगला लगाकर लोगो के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य कितने विकृत रूप में लिप्त सकता है, इसका उदाहरण मयों की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य मण्डित हिन सबन्धों वाले लोग प्रसारित किया करते हैं। उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। छोटे-मोटे कारखाने के मालिकों को पूँजीपति बहकर उनके विरुद्ध आतावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सीधे सादे वेतन की माँग को क्रान्ति की घोषणा का रंग दिया जाता है। ऐसी अवस्था मनुष्य को जिन सत्यो के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्वतंत्रता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। राजकर्म की दुनिया में पत्रकारिता एक वत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रकार लोग पदार्थों में मिलावट (एडल्टरेशन) करते हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी वैचारिक सृष्टि में मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वही बहूँगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन करूँगा, सत्य ही को प्रतिष्ठा को स्वीकार करूँगा, लोगो के प्रोपेगण्डा का दास नहीं बहूँगा—इस श्रृंखला भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार आज की दुनिया में 'मनुष्याणा सहस्रं पु' कोई एक दो ही दृष्टिगोचर होते हैं। 'वस्तुस्थिति पवित्र है तथा टीका उन्मुक्त है' (फ्रैन्सिस आर सेक्रेड वामेण्ट्स आर फी) ये जो वर्तमान सृष्टि के उत्तिपदों के महावाक्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग में अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नफे की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को लिखने की ओर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो मालिक कहे, वह निश्चय जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रकार राजकर्म सिने सिलिये

बातावरण बनस्य होना चाहिए। प्रचार, घोषेबाजी, पूर्वग्रह तथा भ्रमत्व घोषणाओं के बाजार में सत्य को बेचा नहीं जाना चाहिए। और यदि ऐसा कोई गाहक टकर जाय, तो उसे मूर्ख समझा जाना चाहिए।

हमने ऊपर जो उदाहरण दिये हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि धाज की दुनिया में प्रचार में कितनी शक्ति है। सत्य को दबा देने के लिए इसमें भी वही अधिक प्रयत्न धाज की दुनिया में किये जाते हैं। वैन मरती न कर सके, इसके लिये जैसे वचन में ही उसे बधिया कर देते हैं, उसी प्रकार आदर्श के नाम पर लोगो के मनो को बधिया बना डालने के कुछ प्रयत्न बचपन ही से किये जाते हैं। प्राधुनिक लोगों की शिक्षा का महत्त्व अन्धो प्रकार ज्ञात है। इन कारण बचपन ही में बालकों के मन पर ऐसे संस्कार डालने की कोशिश की जाती है कि प्रागे चल कर उनके मन एक निर्धारित लोक को पीटने वाले बन सकें तथा उनके विचार एक निर्धारित नमूने के हो सकें। शिक्षा-वृद्धि में ऐसे दृष्टिकोण में काम लिया जाता है कि विद्यार्थियों के मन एक विशेष प्रकार धारण करते चले जाएँ। उसे जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह निष्पक्ष नहीं होता। उसमें सच को छिपाया जाता है। झूठी बातें कही जाती हैं। व्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में ज्ञान की लालसा उत्पन्न करके उनकी बुद्धि को चतुरस्र बनाने के स्थान पर उसे मोड़ दिया जाता है कि उन्हें जो कुछ कहा जायगा, उसे वे सच मान लेंगे तथा उसके बारे में इतने बठमुल्लापन से काम करेंगे कि उनके मन में इस बात की शका तक नहीं धायेगी कि जो कुछ उन्होंने सीखा या पढ़ा है, उसके प्रागे भी कुछ और सत्य हो सकता है। ज्ञान इस रीति से नहीं दिया जा जाता जिससे कि उनके मन में किसी प्रकार की चतुरस्रता उत्पन्न हो और जो उनके सामने प्राये, उनको ठीक से परख सकें। 'दावावाच्य प्रमाणम्' यह एक श्रेष्ठ आदर्श प्रतीत होने लगता है। वयस्क होने के उपरान्त स्वतन्त्रता का पूरा उपयोग करने के लिए, जिस वृत्ति की आवश्यकता है, वह उत्पन्न नहीं हो पाती। मत-स्वतन्त्रता तथा विचार-स्वतन्त्रता का क्या महत्त्व है, यह बचपन में ही बच्चों को थोड़ा बहूत बता देना चाहिए। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे लोग स्वतन्त्रता के प्रति रचि अनुभव कर सकें, स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने की उन्हें आदत पड़ जाय, मन में प्रयोगशीलता उत्पन्न हो, तथा वे ऐसी दृष्टि से काम लें, जो उनको भ्रमनी हो। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि बच्चों की दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप क्या हो, यह नागरिक स्वतन्त्रता की दृष्टि से बहूत महत्त्वपूर्ण है। बिलकुल बचपन से बच्चों के मन पर यह प्रभाव डाला जाय कि अपने देश में जो कुछ हुमा था या जो कुछ हो रहा है, वह सब श्रेष्ठ ही है, अपने देश का इतिहास श्रेष्ठ कर्तव्यों का इतिहास है, अपने पूर्वजों ने जो कुछ किया है, वह सब बहूत ही समझदारी का ही काम था, तो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके निकला हुमा व्यक्ति एक प्रकार का यांत्रिक नागरिक हो जाता है। वह निष्ठावाच्य रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु समाज की वैचारिक सन्पत्ति में वह अपने विचारों से कोई नयी वृद्धि नहीं कर सकेगा। वह निःसंशय आजाकारक बनेगा, पर उसके पास कोई स्वयंप्रज्ञा नहीं रहेगी। जिसे उपक्रमशीलता (इनिशिएटिव) कहते हैं, वह उसमें ज्यादा



कार कर लेता है तथा स्वतन्त्ररीत्या सत्य का अन्वेषण अपना मन्त्रिपरिषद् विचार करने का श्रम वह नहीं करता। जैसे तोता रटारूँ टूँ बात बोलता है, उगी प्रकार व्यक्ति के मन का तोता भी वही बोलने लगता है, जो समाज में उसे बार-बार सुनाये जाते हैं। तथा व्यापारी दृष्टि से चलाये गए समाचारपत्र या दलीय समाचार पत्र उग के मन के चारों तरफ अपने प्रचार का घेरा मञ्जूर करने रहते हैं। उनके बाद समाज में जो भी शब्दों के सिरके चल पड़ते हैं, उन्हें वह दगैर सरै-गोटे की परग किये, बगैर अनुभव पर बजाये, स्वीकार कर लेता है। बार-बार वही दान्द, वही वाक्य प्रयोग, वही नारे कान में आने जाते हैं, जिगका फल यह होता है कि उमकी अपनी भाषा भी वही हो जाती है। उम समय प्रत्येक कांग्रेसी उसे गुँटा प्रतीत होने लगता है। सरकार के हर काम मानदारों के हक में मालूम होते हैं। शान्ति के लिए जारी किया गया हर हुजूम उसे तानाशाही प्रतीत होता है। इत्ता ही नहीं, उगे अपनी धारणा सर्वथा निःश्रान्त, अपनी घोषणा एतमात्र सत्य तथा अपना मत ही उगे जन-मत प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार यदि सरकार का या सरकार के माध्यम से किया गया प्रचार उसके मन पर छा गया हो, तो सरकार की आत्ता की वह येदाज्ञा ममभना है। सरकार के किसी भी कृत्य को वह अनुचित नहीं मानता। यदि कोई मत स्वतन्त्रतापूर्वक सरकार की आलोचना कर बैठे, तो उने लगता है समाज की शान्ति को भग करने वाली तथा सरकार का तक्षता उलटने वाली कोई क्लान्तिकारी बात की जा रही है। उस अवस्था में उसे लगता है कि ऐसे आलोचकों को मीधी राह पर साना समाज की दृष्टि से वाञ्छनीय है। कोई सच्ची बात कहने लने तो उसे उसमें राज-द्रोह प्रतीत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी एक पक्ष एव उस पक्ष के तत्र ज्ञान के कारण उसकी स्वतन्त्र विचारशक्ति लुप्त हो जाती है तथा वह हठी बन जाता है। अपना स्वतन्त्र अनुभव प्राप्त करने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती। अपनी मतस्वतन्त्रता एव विचार-स्वतन्त्रता के अधिकार की वह खो बँठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विचार करने की उमकी आदत ही छूट जाती है। अतः समाज में किसी निर्धारित सचि में डले मत को मानना सच्ची विचार स्वतन्त्रता का विरोधी है। आप अपने दल की दृष्टि से जो कहना चाहते हैं, कहें; पर आपके उस कहने में सत्य का अश अवश्य रहना चाहिए। भडगीले या सचाई के बारे में भ्रम उत्पन्न करने वाले प्रचार से साधारण व्यक्ति चकर में पड जाते हैं। असाधारण व्यक्ति नाराज हो जाते हैं। सभी लोग तो विचारक नहीं होते, और न ही सब लोग सत्यान्वेषी होते हैं। अतः इन कोटि के प्राय सब लोग चुप रहने में तथा बलेड़े में न पडने में ही अपना भला समझते हैं। अभी-अभी शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में जो प्रचार किया गया तथा जिस प्रकार वह किया गया, उसमें सोच-समझ कर मतदान करने का वातावरण ही नहीं रह गया था। सरकार गुरुद्वारा को अपने कब्जे में कर रही है, नानक तथा अन्य गुहमों के चित्रों के स्थान पर नेहरू आदि के चित्र लगायेगी, इत्यादि बातें इत्ते बड़े पैमाने पर कही गईं कि सामान्य मनुष्य यह सोचने तक की तक्षार नहीं हुआ कि इसमें झूठ-सच क्या है। इम विस्म की बातों को देखते हुए हमें लगता है कि समाज में शातभाव में विचार करने का

से जीव अपनी कल्पना के अनुसार सुखी होते हैं, परन्तु समाधान में सन्तुष्ट होने की अपेक्षा संशयग्रस्त मनुष्य का होना अधिक मुखद है, ऐसा जो प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञानी का मत है, वह सर्वथा गलत नहीं है। चौकस मनोवृत्ति व हर समय सवाल-जवाब करने की भावत बहूतों को बुरी लगती है परन्तु समाज की वैचारिक तथा अन्य प्रगति इस प्रकार के जिज्ञानु लोगो पर ही निर्भर है। जिनके मन में कभी विचारो में ही हलचल न हो और जिनके मन में कभी कौतूहल का प्रवेश न हो, वे मन एकतरह से सुन्न और निस्तेज होते हैं और बचपन से अपनाये, स्वीकृत जीवन मूल्यों पर ही उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है। जहाँ तक उनके निश्चित दृष्टिकोण से मिले-जुके अनुभव होते हैं, वहाँ तक वे खींचते रहते हैं, परन्तु जहाँ उससे विपरीत अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पूर्व संचित उनकी पूंजी बेकार साबित होती है। नये तरीको से वे सोच नहीं सकते हैं, व नयी परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों के साथ अपने आपको ढाल नहीं सकते। जिससे उनका मन दुःखी होता है और पँरों तले की जमीन खिसक जाय इस प्रकार बौद्धिक दृष्टि से उस व्यक्ति का जीवन समाप्त-प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्र रूप से विचार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले व्यक्तियों की समाज को आवश्यकता है। जिनके मन पहले ही बन चुके हैं या जिन्होंने अपने मन की लिडकियाँ बन्द कर रखी हैं तथा जिनके मानस में नये जमाने की रोगनी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है तथा नये युग की गर्जना, कान होते हुए भी जिनके अन्त करण तक नहीं पहुँच पाती है, उनके जीवन का तो शोकान्त ही है। इस दृष्टि से हम विचार करें तो हम यह अनुभव करेंगे कि नागरिकों के अन्दर जितनी अधिक मात्रा में नये-नये विचारों को ग्रहण करने की तथा ग्राह्य-अग्राह्य के चुनने की पात्रता बढ़ेगी और जितने अधिक परिमाण में ऐसे नागरिकों की सख्या बढ़ेगी, उतनी ही अधिक मात्रा में समाज में समता—विचार तथा व्यवहार का साक्षात्कार होगा। कई तरह के प्रश्न समाज में खड़े होते हैं, उन पर आज की लोकशाही समाज-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय देनी पड़ती है और स्वप्रभिम-प्राय यताना पड़ता है। इसलिये यह जरूरी है कि उचित प्रश्न में जिन-जिन बातों का समावेश है उनका पृथक्करण कर उसमें सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तथा उनमें निहित तत्पर समाज की दृष्टि से उचित हैं अथवा नहीं इसका बारीकी से अध्ययन करना उसके लिए जरूरी है। अफवाह के माने खबर नहीं होती। गपशप के अड्डे भी एक तरह के रेडियो होते हैं, वहाँ सुनी हुई हर बात को सही मानने की वृत्ति अगर समाज में जोर पकड़ती गई तो किसी भी चीज को गम्भीरतापूर्वक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा। जहाँ पर समाचारपत्र, खबरें और सचवाई इनमें एकरूपता न था सके वहाँ किसी भी प्रश्न पर अपना सही अभिप्राय देना विचारवान व्यक्तियों के लिए भी कठिन हो जाता है। सत्य के लिए समाचार पत्र ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं है, परन्तु हर चीज की प्रथम जाँच करना तथा सत्य की खोज करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समाचारपत्रों में समाचारों की सचवाई के लिए सावधानी, स्वयं समाचारपत्रों को ही देसहितायं लेनी चाहिए। यद्यपि वृत्त पत्र व्यवसाय आज एक व्यापार

नहीं आ सकेगी। परिवर्तनशील जगत् के घटनाचक्र को समझने वाली बुद्धि राष्ट्र के नागरिकों में नहीं रहेगी और नये ढाँचे के अनुसार अपने आपको ढालने की व्यवहार कुशलता अगर उनमें न होगी तो उस राष्ट्र का या तो उत्थान होगा अथवा पतन होगा। उस राष्ट्र में चिमटे रहने व विपत्तियों से सदा सवर्ष करते रहने की बुद्धि बहुत कम मात्रा में दिखाई देगी। इस दृष्टि से देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बुद्धिमान, सुविचारी तथा सवर्षी नागरिक तैयार हो और इसके लिए बचपन से ही स्वावलम्बन की ओर उत्तेजित करने वाली थोड़ी बहुत शिक्षा उन्हें देना अत्यावश्यक है। आज एक घिसा-घिसाया पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाया जाता है और जिस प्रकार एक गडरिया भेड़ें हानता है व उन्हें एक निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाने देता, उसी प्रकार अध्यापक बच्चों के मन को सिमटे रहता है और उन्हें स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक सोचने का अवसर नहीं देता। राज्य के नियम भी कुछ ऐसे बने होते हैं कि वे विद्यार्थियों के वास्ते बुद्धि नवीनता लाने, प्रयोग-शील बनने तथा उनकी बुद्धि को हिलाडुला देने वाले प्रयोग की इच्छा उनमें जाग्रत नहीं होने देते। दंबयोग से यदि कोई ऐसा अध्यापक इस ओर अप्रसर हुआ, तो उसे तुरन्त अपने पद से वंचित होना पड़ता है। बालकों के मन पूर्वग्रहों से जकड़े न रहे, नित्य नवीन श्रवण करने के लिए उनकी उत्सुकता बने व जो नयी-नयी बातें उनके सामने उपस्थित होती हैं, उनको वे जिज्ञासापूर्वक ग्रहण करें, ऐसा वातावरण उन्हें बचपन से ही मिलना चाहिए। अगर उन्हें, उनके अनुकूल ऐसा वायुमण्डल बचपन से न मिले तो प्रागे चलकर वे देश के जागरूक नागरिक कदापि बन नहीं सकेंगे। जो बुद्ध भी उन्हें अधिकारपूर्वक अधिकृत रूप से कहा जायेगा, उसे बिना सोचे समझे स्वीकार करने की वृत्ति उनमें बढेगी। यह वृत्ति न केवल राजकीय, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में सक्रिय होगी। यह उक्ति सार्थक है कि शरीर व्यायाम से सुदृढ होता है, परन्तु मन की प्रदलता विचारों से बनती है। विचारों की कसरत का अभ्यास भी बचपन में ही शिक्षा द्वारा करने का मौका बच्चों को मिलना चाहिए। यह सर्वमान्य है कि बालक के मन पर प्रथम १५ वर्ष की आयु में जो संस्कार पड़ते हैं, वे ही सम्पूर्ण आयुष्य तक प्रभावशाली बने रहते हैं। यह भी सत्य है कि मनुष्य एकरस जीवन जीना नहीं चाहता, परन्तु फिर भी आम प्रचलित मार्ग छोड़कर अज्ञात और अनिश्चित रास्ता अपनाने की भी उमे मर्जी नहीं होती। जिन्दगी में कुछ साहसपूर्ण कार्य करने की व कुछ अद्भुत कर दिखाने की तथा आम लोगों से कम-से-कम कुछ विशेष करने की प्रवृत्ति बढूतो में होती है। उममें खतरे की संभावना की भी वे कल्पना करते हैं। जो जीवन में किसी भी तरह का सवर्ष न करते हुए सीधे रास्ते जाना चाहता है, उसे सामाजिक मान्यताओं का ही आश्रय लेना पड़ता है। आम तौर पर उसी तरह की मनोवृत्ति बचपन से दी हुई शिक्षा से सबल होती है, और परम्परागत घिसा-घिसाया मार्ग अपनाने की वृत्ति भी समाज में बढती जाती है। जब कोई भी प्रचलित जीवनक्रम से विसंगत जाने का साहस करता है, वह सामाजिक टीका का विषय बनता है। इसी सामाजिक टीका के डर से सीधे रास्ते चलकर अपना प्रपञ्च मुलमय करने की ही प्रवृत्ति प्रबल होती जाती है। इस प्रकार

से जीव अपनी कल्पना के अनुसार सुखी होते हैं, परन्तु समाधान में सन्तुष्ट होने की अपेक्षा संशयग्रस्त मनुष्य का होना अधिक सुखद है, ऐसा जो प्रसिद्ध ग्रीक नवत्वज्ञानी का मत है, वह सर्वथा गलत नहीं है। चौकस मनोवृत्ति व हर समय सवाल-जवाब करने की भावत बहती को बुरी लगती है परन्तु समाज की वैचारिक तथा अन्य प्रगति इस प्रकार के जिज्ञासु लोगों पर ही निर्भर है। जिनके मन में कभी विचारों में ही हलचल न हो और जिनके मन में कभी कौतूहल का प्रवेश न हो, वे मन एक तरह से सुन्न और निस्तेज होते हैं और बचपन से अपनाये, स्वीकृत जीवन मूल्यों पर ही उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है। जहाँ तक उनके निश्चित दृष्टिकोण से मिने-जुने अनुभव होते हैं, वहाँ तक वे खींचते रहते हैं, परन्तु जहाँ उमसे विपरीत अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पूर्व संचित उनकी पूँजी बेकार साबित होती है। नये तरीकों से वे सोच नहीं सकते हैं, व नयी परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों के साथ अपने आपको ढाल नहीं सकते। जिससे उनका मन दुःखी होता है और परों तले की जमीन खिसक जाय इस प्रकार बौद्धिक दृष्टि से उस व्यक्ति का जीवन समाप्त-प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्र रूप से विचार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले व्यक्तियों की समाज को आवश्यकता है। जिनके मन पहले ही बन चुके हैं या जिन्होंने अपने मन की खिडकियाँ बन्द कर रखी है तथा जिनके मानस में नये जमाने की रोशनी जाने की कोई गुँजाइश नहीं है तथा नये युग की गर्जना, कान होते हुए भी जिनके अन्तःकरण तक नहीं पहुँच पाती है, उनके जीवन का तो शोकान्त ही है। इस दृष्टि से हम विचार करें तो हम यह अनुभव करेंगे कि नागरिकों के अन्दर जितनी अधिक मात्रा में नये-नये विचारों को ग्रहण करने की तथा आह्व-अप्राह्व के चुनने की पात्रता बढ़ेगी और जितने अधिक परिमाण में ऐसे नागरिकों की संख्या बढ़ेगी, उतनी ही अधिक मात्रा में समाज में समतोल—विचार तथा व्यवहार का साक्षात्कार होगा। कई तरह के प्रश्न समाज में सड़े होते हैं, उन पर आज की लोकशाही समाज-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय देनी पड़ती है और स्वप्रति-प्राय बताना पड़ता है। इसलिये यह जरूरी है कि उचित प्रश्न में जिन-जिन बातों का समावेश है उनका पृथक्करण कर उसमें सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तथा उनमें निहित तत्व समाज की दृष्टि से उचित हैं अथवा नहीं इसका बारीकी से अध्ययन करना उसके लिए जरूरी है। अफवाह के माने खबर नहीं होती। गपगप के झूठे भी एक तरह के रेडियो होते हैं, वही सुनी हुई हर बात को सही मानने की वृत्ति अगर समाज में जोर पकड़ती गई तो किसी भी चीज को गम्भीरतापूर्वक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा। जहाँ पर समाचारपत्र, खबरें और सचार्इ इनमें एकरूपता न आ सके वहाँ किसी भी प्रश्न पर अपना सही अभिप्राय देना विचारवान व्यक्तियों के लिए भी कठिन हो जाता है। सत्य के लिए समाचार पत्र ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं है, परन्तु हर चीज की प्रत्यक्ष जाँच करना तथा सत्य की खोज करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समाचारपत्रों में समाचारों की सचार्इ के लिए सावधानी, स्वयं समाचारपत्रों को ही देशहितार्थ लेनी चाहिए। यद्यपि वृत्त पत्र व्यवसाय आज एक व्यापार

बन गया है, फिर भी उमरी भी कुछ मर्यादाएँ तथा मूल्यांकन निश्चि ज़रूरी है। हर समय उत्तेजित हो घटपट्टेदार निगमना भी ममय नहीं। एक निश्चित समाचारपत्र पर छटा निर्भर रहने वाले व्यक्ति को जब विचारी अनुभव पाना है तब उमरी परिणाम इस समाचारपत्र की प्रतिष्ठा पर परता है। समाचारपत्रों का भी देश में निष्ठा जितना ही महत्वपूर्ण स्थान है। इग्नित इन पर भी कुछ सामाजिक मर्यादाओं का होना ज़रूरी है। बानून जो प्रतिबन्ध लगावेगा वह बानून तथा भावना की दृष्टि में होगा ही, परन्तु समाज की तरफ से जो मर्यादाएँ लगाई जावेंगी वे सामाजिक अभिरचि, धार्मिक तथा मानविक मनुष्यन आदि इन दृष्टि से ही होंगी। निष्ठा के जरिये विविध आदर्शों की निर्माण करना तथा समाचारपत्रों द्वारा दुर्गम पूर्ववत् चरणन करना ये दोनों बातें मानविक स्वयन्त्रता की दृष्टि तथा विचार-स्वयन्त्रता की दृष्टि से प्रयोग्य हैं।

समाज में प्रचली व बुरी बातें, सोचों की शांत होती है। कालान्तर में घुसाई त्याग हो जाती है व अच्युतों को स्वीकार किया जाता है, परन्तु प्रायः वह क्रिया बड़ी धीमे-धीमे चलती है। प्रचार द्वारा, भटकीली बातों को अधिक धारण बनाया जाता है और फिर वे कुत्तों की जड़ की तरह फँसती हैं। मानवी स्वभाव ऐसा है कि किसी के विषय में कोई भी बुरी प्रकाश हो तो उसे लोग एक-दम गय मान लेते हैं। अफवाह हाथों के पैर से चलती है व गत्य चीटी की चान में घाता है। इग्निए कोई व्यक्ति एक बार टीका या वृत्तेटा का विषय बन जाने के बाद अगर वह मानुष भी हो जाय कि उमरी वह टीका प्रत्यय व अन्वयपूर्ण है, प्रपान् इमने काफी समय लगता है फिर भी उस व्यक्ति का टीकाकार द्वारा तिया टूटा विप्र उसके नाम के साथ चिपका ही रहता है। बेंबरलैन का दाता, चविल का बुगडानी स्वरूप जो एक बार टीकाकारों ने बनाया वह उनके साथ काफी अनेक साथ-साथ बना रहा। भारतीय राजनीतियों के साथ भी इमी प्रकार का अन्वय हुआ है। महाराष्ट्र में राजनीय जीवन में कोई भी प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार के विरुद्ध प्रचार तथा ट्रेपनुन टीका से बचा नहीं। निजक की भाषी प्रायु घपने लोग से टकार लेने में गई। श्री गोखले की टीकाकारों ने आतिरी दम तक नहीं छोडा। वर्तमान नेताओं में से किसी के विचारों के बदले उसके लिबास पर अधिक टीका की जाती है! किसी ने राजनीति में प्राये क्या होगा, इस विषय पर अगर अपने विचार प्रकट किए तो उसे गप्पी कहा जाता है, और किसी ने कार्य की दृष्टि से कुछ विचारपूर्वक वर्णन किया तो उसे शकी दिमाग की उपाधि दी जाती है। शाराज, महाराष्ट्र की राजनीति में सेवाजी के धारिस बहुत हैं, व उनकी परम्परा अभी तक चल रही है। किसी के पराक्रम को न मानना, सफलता के मिलने पर उसका श्रय उस व्यक्ति को न देना व असफल होने पर परिस्थिति को नहीं, प्रपितु उस व्यक्ति के मरवे दोष मडना यह वृत्ति महाराष्ट्र की राजनीति की स्थायी भाव बनती जा रही है। परन्तु हर घुसाई के साथ कुछ अच्युत भी होती है। इस दृष्टि से जहाँ समाज में वृत्तेटा वृत्ति पायी जाती है, वहाँ सूक्ष्मदर्शी, विद्याल मन से सज्जावना के साथ गुणग्राहकता का परिचय देने वाली वृत्ति भी पायी जाती है। पहली व दूसरी वृत्ति में अगर संतुलन

रहा तो समाज का नैतिक जीवन स्वस्थ रहता है व आत्म सम्मान की भावना भी। समाज के अन्दर जो गुणग्राही, विवेकी तथा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे जिन प्रकार से सोचते तथा आचरण करते हैं उनका परिणाम सामाजिक व्यवहार पर होता रहता है। उनके उदाहरण से "यद् यद् आचरति श्रेष्ठः" इस न्याय से विचार स्वातंत्र्य को उत्तेजना मिलती है। उन दृष्टि से समाज में जिनने श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे उनका प्रभाव, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, समाज के ऊपर पड़ेगा। परन्तु वे वास्तविक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अथवा उच्चकोटि के होने जरूरी हैं, साधारण होने पर वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रेष्ठ होने पर ही वे जनमत को आकर्षित कर सकेंगे और अपना प्रभाव जनता पर डालेंगे। 'एरण्डोऽपि द्रुमायते' यह उक्ति यहाँ लागू नहीं होती ! इसलिए वे व्यक्ति में उच्चकोटि के होने चाहिए। अगर वे विकसित भी हों, फिर भी उनकी विद्वत्ता के कारण तथा श्रेष्ठ चरित्र होने के कारण उनका प्रभाव अल्प पड़ता है। संगोपन क्षेत्र में राजबाड़े में जो काम किया और जो निस्पृहता दिखाई उसका परिणाम समाज पर हुआ था ; केशव मुन ने जो तुनारी बजाई थी उसकी आवाज उनके मरने के बाद भी लोगों के कानों में गूँज रही है। सन्त अण्णासाहेब पटवर्धन के चरित्र का असर उनमें सम्बन्धित हजारों लोगों के जीवन पर हुआ ! कर्मवीर बाबूराव पाटिल के अखण्ड सेवाकार्य से अनेकों को प्रेरणाएँ मिलीं। प्रसिद्ध समाज-सेवक अण्णासाहेब कर्वे का जीवन समाज-सेवकों के लिए अखण्ड 'सन्देश वाहक' है। तात्पर्य यह है कि समाज के अन्दर जहाँ मन के अन्दर दूषित पूर्वग्रह निर्माण कर निष्प्रभ व अविवेकी जीवन बनाने वाले लोग होते हैं, वहाँ सत्य के लिए, मत स्वातंत्र्य के लिए, आत्यन्तिक त्याग की प्रेरणा देने वाले लोग भी होते हैं। आगरकर को समाज ने बहूत परेमान किया, और अनेकों कष्ट पहुँचाए परन्तु फिर भी उनका काम रुका नहीं, चालू ही रहा। अन्त में उनकी विजय हो हुई। इस प्रकार की कार्य-निष्ठा दिखाने वाले दीवक समाज के अधिकारमय जीवन में प्रकाश देते रहते हैं। सत्य के लिए स्वयं बलिदान कर सत्य को अमर करने वाले कुछ व्यक्ति हर समाज के अन्दर होते ही हैं। कला-सगीत, तथा साहित्य क्षेत्र में व्येस का ध्वज ऊँचा उठाकर, विरोध सम्बन्धियों की आँधो-नोकान में निडर होकर चलने वाले व्यक्ति समाज के लिए भूषण होते हैं। सामाजिक चरित्र के वे प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के उदाहरण का समाज पर असर होता है, व उनके पद-चिह्नों पर चलने वाले कई लोग तैयार होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही सही अर्थ में विचार-स्वातंत्र्य तथा मानसिक आजादी के संरक्षक होते हैं।

शिक्षा-व्यवस्था, समाचार-पत्र तथा श्रेष्ठ जनो का आचरण—ये तीनों बातें समाज के आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से महत्व रखती हैं। स्वतंत्रता के उद्देश्य का सदा ऊँचा स्तर रहे इस दृष्टि से ही शिक्षा-व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु इस क्षेत्र में किसी भी मुद्दा का परिणाम तत्काल नहीं दिखाई देता है। आज भारत को आजाद हुए १४ वर्ष पूरे हो गए हैं और इन १४ वर्षों में छोटी-मोटी कम से कम १४ समितियों या आयोगों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी पेश कीं फिर भी शिक्षा क्षेत्र में जो अनिश्चितता तथा घनापल चल रही है, उसे देखते हुए बहुत दुःख होता

हे । भारतीय संविधान में भावी समाज के ध्येय के विषय में उल्लेख किया गया है । भावी आर्थिक व्यवस्था कौसी होगी, उसकी भी कल्पना स्थूल रूप से संविधान में दी गई है, राज्य किसलिए है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी भी मोटी रूपरेखा संविधान में निहित है । यह रूपरेखा निश्चय होने के बाद उसको प्रात्यक्षिक रूप देने की दृष्टि से समाज के हर क्षेत्र में योजनाएँ बननी चाहिए व वंसा कार्य होना चाहिए । जो कुछ भी कार्य हो या कदम उठाए जाएँ वे उन कार्यों, धादरों से व उद्देश्यों से विभक्त नहीं होने चाहिए । बारह वर्षों बाद अब संविधान की कुछ मौलिक बातों के विषय में चर्चा शुरू हुई है । विचार-स्वातन्त्र्य की दृष्टि से व मत-स्वातन्त्र्य की दृष्टि से तथा औपचारिक दृष्टि से यह ठीक है परन्तु एक ईंट पर दूसरी ईंट इस प्रकार ईंटें रचाते हुए दीवार खड़ी करने के बाद उसे गलत कहकर गिराने से कभी दीवार खड़ी नहीं हो सकती । ईंट व चूना अवश्य नष्ट हो जाएगा । मनुष्य के श्रम तथा समय फिजूल जाएँगे, केवल स्वयंकर्तृत्व का झूठा अभिमान बाकी रहेगा । इसलिए दीर्घ सोच-विचार व मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों की सब पहलुओं से चर्चा करने के बाद जो संविधान बना, उसकी मौलिक बातों के विषय में वादविवाद करना याने समाज की प्रगति को कुण्ठित करना या अममान्य कर देना ही है । एक बार जो ध्येय निश्चित हो गया, उसकी ओर बढ़ना चाहिए । नक्शा तैयार होने के बाद व उसके अनुसार काम चालू होने के बाद यह लिडकी यहाँ नहीं चाहिए, वह दरवाजा वहाँ ठोक नहीं है इस प्रकार की नुनाचीनी अगर चलती रही तो जो निर्माण कार्य होगा वह किसी हद तक भी फायदेमन्द नहीं होगा । वह मनपमन्द हो सकता है परन्तु सुखदायक नहीं होगा । क्योंकि वह अस्थिर मन से किया गया है इसलिए उसमें स्थैर्य नहीं होगा । कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मौलिक सिद्धान्त निश्चित करने के बाद जो कुछ भी किया जाए वह उन सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए । देश में नियोजनपूर्ण अर्थव्यवस्था होगी यह निश्चित होने के बाद उस व्यवस्था को निभानेवाले नागरिक बनने चाहिये । इस दृष्टि से ही शिक्षा-व्यवस्था अगर कायम हुई तो २० वर्षों बाद इस शिक्षा-व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जनमत का दृष्टिकोण बदला हुआ दिखाई देगा । शिक्षा-व्यवस्था के महत्त्व को समझने हुए, उसमें सममानुसार परिवर्तन करने के बाद भी उसका परिणाम तत्काल नहीं दिखाई देता । श्रेष्ठ पुरुष भी समाज में बने बनाए तैयार नहीं मिलते । यहाँ भी क्रमवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है । चारित्र्य-सम्पन्न व्यक्ति को भी सामाजिक मान्यता एकदम नहीं प्राप्त होती । इस मान्यता व बड़प्पन का वह धीमे-धीमे अधिकारी बनता है । श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सधर्म में से गुजर कर रास्ता निकालना पड़ता है । विरोध के बीच शान्ति ग्रहण कर आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं । इसी प्रकार से वह आम जनता से ऊपर उठता है । सासारिक दुनिया से ऊँच वातावरण में वह प्रवेश करता है । उसके चारित्र्य का प्रभाव जनता पर पड़ता है, परन्तु इस प्रकार के चरित्रवान पुरुषों को कोई खोजा नहीं करता है, पर एकबार जनता की निगाह में आने के बाद उनके लिए जनता से छिपना असम्भव हो जाता है । मजदूरों की तरह ये बाजार में खरीदे नहीं जा सकते । समाज के अन्दर जबकि जहरीला प्रचार चल रहा हो असत्य का बाजार गरम हो, इस परिस्थिति के बीच समाज-कल्याण की दृष्टि से

क्रिये जाने वाले प्रयत्नों की रचना बहुत मंघर गति से की जाती है। समाचारपत्रों को राज्य की सम्पत्ति का चौथा स्तम्भ माना जाता है। राज्य-व्यवस्था के मंडप के आधारभूत जिन चार स्तम्भों का वर्णन किया जाता है वे हैं, संसद् के दो गृह-राज्य-सभा व लोकसभा तथा राज्य की कार्यकारिणी सत्ता माने मंत्रिमंडल व चौथा स्तम्भ है समाचारपत्र ! आज के लोकशाही के युग में समाचारपत्र किस प्रकार से प्रतिष्ठा के चर चरते हैं इसका अनुभव सर्वविदित ही है ! जहाँ दृकुमशाही चलती है वहाँ के समाचारपत्र राज्यकर्ता के विचार प्रकट करने वाली जिह्वा ही बन जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बल्कि जहाँ पर पक्षीय दृकुमशाही शासन होता है वहाँ सरकारी मिलिक्यत के सिवाय अन्य कोई समाचारपत्र हो ही नहीं सकते ! इसलिए जहाँ लोकशाही राज्य है वही पर निजी मिलिक्यत के समाचारपत्र पनप सकते हैं। परन्तु जहाँ मत-स्वातंत्र्य तथा मुद्रण-स्वातंत्र्य पूरा-पूरा होता है, वहाँ के समाचारपत्र अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं व फिर झूठे समाचार देना, सत्य को विकृत रूप देना या उसको गुप्त रखना, तथा झूठ बताना आदि चलता है। समाचारपत्रों की नीति के नून वही विविध हितों के पुरस्कार कर्ताओं के हाथ में चले जाते हैं। जिनका अन्न वे खाते हैं, उनकी प्रशंसा पत्रकारों को करनी पड़नी है। सिनेमाओं के विज्ञापन मिनते हैं इसलिए सिनेमा चाहे जैसा हो, फिर भी उसको नुकताचीनी न करने की वे सह्यदारी लेते हैं। सत्य व न्याय की हामी भरने वाले समाचारपत्र कर्ता प्रत्यक्ष में उसके विपरीत चलते हुए नजर आते हैं। इसलिए शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाकर श्रेष्ठ पुरुषों के सांनिध्य में आकर सत्य क्या है यह जानने का मौका मिलने से पूर्व ही समाज में असत्य का इतना अधिक प्रचार होता रहता है कि सत्य की पहचान समाज में किसी की नहीं हो पाती। अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से सोचने लगे, सत्य व असत्य को छान-बीन कर परख कर उसे ग्रहण करने लगे तो वश्यों के हितसम्बन्धों को चोट पहुँचती है। इसलिए वे यह परखने की वृत्ति चाहते नहीं। सब लोग अगर सुनिश्चित हो गये, समझदार बन गये तो वे उनकी सम्पत्ति की जाँच-पड़ताल करेंगे तो उनकी झूठी प्रतिष्ठा का पर्दाफाश करेंगे यह डर समाज के इन पूँजोपतियों को सदा बना रहता है। इसलिए अधिक-से-अधिक प्रचार कर वे मनुष्यों के मनो को धीर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन प्रयत्नों में वे झूठे सिक्कों का समर्थन करते हैं, झूठे देवताओं के सामने धूपबत्ती जलाकर जनता की धोखे में डालकर समाज के अन्दर अपना स्थान कायम व मजबूत करते हैं।

समाज की उन्नति के लिए सामाजिक आदर्शों की रक्षा करना अत्यावश्यक है। उन्हें निश्चिन्ता या नीचता को लाने वाली हर बात का निषेध करना चाहिए। सामाजिक आदर्शों में नागरिक स्वतन्त्रता एक प्रमुख आदर्श है, इसलिए नागरिक स्वतन्त्रता पर सरकार की ओर से कभी हमला न हो, इसकी दोषा हरएक को लेनी चाहिए, परन्तु समाज के अन्दर के खानगी हित सबन्धों का सङ्गठन होने के कारण व समृद्ध होने के कारण वे वृत्त-पत्रों से फायदा उठाते हैं। क्योंकि वे जानते ही हैं कि तुरन्त फल देने वाले यही साधन हैं। जिस प्रकार कुछ देवता बहुत धीमे मनीषी से प्रसन्न हो जाते हैं, वैश्व एकाध मुर्गों मा बकरे का चढ़ावा ही इसके लिए काफी होता



है। इसी प्रकार से आधुनिक युग में समाचार-पत्र, यह देवता भी शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। थोड़े से विज्ञापन, कभी-कभी चाय पार्टी या कभी-कभी पीने का या रहने का इन्तजाम हो पाय तो उस पर भी काम चल जाता है और अगर इससे भी कुछ अधिक की आवश्यकता पटी तो कम्पनी के हिमाय से से पुरस्कार इस बात से ही उभरे पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रचार किया जाता है, वह इतना अधिक होता है कि उसमें समाज में जो अब तक के प्रस्थापित अभिराजि के सौजन्यपूर्ण संकेत होते हैं, वे एक तरफ रह जाते हैं। इस समय की लहर को समय पर प्रतिबन्ध न लगाने जाने पर और उसकी रोक-धाम न होने पर समस्त सामाजिक भूमि उसमें व्याप्त हो जाती है व बहुत बिगड़ परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अवसर पर कई बार जो कुछ अचछादर्श होती है, वे वह जाती है और नोंति सत्ता का किनारा इस अकल्पित बाढ़ से कट जाता है। अन्तिम ध्येय तो दूर रहा, परन्तु जो कुछ अल्प प्रगति की हुई होती है वह भी नाश हो जाती है। यह माना कि समाज में स्वातन्त्र्य होना चाहिये, परन्तु आज जिस स्वतन्त्रता का हम अनुभव ले रहे हैं, वह वास्तविक स्वातन्त्र्य की जाने दौड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इस स्वातन्त्र्य भरी स्वतन्त्रता पर ठीक समय पर प्रतिबन्ध लगाने में विलम्ब हुआ या जिस वास्तविक आजादी का लोप हो रहा है, उसे रोकने के लिए दोस कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वातन्त्र्य विरोधी मोर्चा पकका हो जाता है। लहर के साथ आया हुआ मूल फिर किनारे की भूमि पर जम जाता है व उसका श्रय बन जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ पर समाज के स्वातन्त्र्य विषयक निश्चय दृढ़ता से इस हमले का विरोध नहीं करते; जहाँ स्वतन्त्रता में सम्पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति गलत-धैर्य हो जाते हैं; वहाँ अमृत्य सत्य बन जाता है, गलत निर्दोष साबित हो जाता है और जो इस लहर के निर्माता होते हैं वे या तो स्वयं सत्ताधीन बन जाते हैं या सत्ताधीन लोगों को वे अपनी मुट्ठी में रखते हैं। जो सत्ताधीन होते हैं उनकी फिर लोकमत की परवाह करने की इच्छा नहीं होती। जो वास्तव में गलत है, ऐसा उनका विश्वास होना है, उसे भी भ्रूचारी लोकमत का जोर मिलने के कारण वे सही मानने लग जाते हैं। नैतिक दृष्टि से जो बात हीन है, ऐसा उनका मन बीनता है, उसकी अर्नतिवृत्ता भी नूफानी लोकमत के प्रवाह में घुन गई, ऐसा वे मानते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के उदाहरण आज की दुनिया में प्रायः दिखाई देते हैं। लोक सभा या विधान सभा में दिये जाने वाले जवाब केवल लोकमत उनके पक्ष में है इस घमंड में दिये जाते हैं। वस्तु स्थिति का विपर्यास उन्हें विपर्यास नहीं दिखाई देता। इस प्रकार सत्ताधीन लोग अपने किये हुए पाप या कृत्य को छिपाने का अधिकाधिक प्रयत्न करते हैं और इस विषय में नागरिक को विचार-स्वातन्त्र्य देने से इनकार करते हैं। सरकार के पास-पास चक्कर काटने वाले हित-सम्बन्धी चाटुकारों के समाचार-पत्र सरकार के इस कार्य का पक्ष लेते हैं। तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्र अयोग्य तरीके से जनता की स्वतन्त्रता को चोट पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु सरकारी भूट का समर्थन कर भूट की सत्य की प्रतिष्ठा दे देने हैं। जिस राज्य में स्वातन्त्र्य की सामंसा व्यभिचारी होगी, वहाँ कभी भी सच्चे स्वातन्त्र्य का आविष्कार नहीं होगा। सच्ची स्वतन्त्रता मानसिक प्रेरणारूप होती है। लोकमत से इसका सम्बन्ध होना अपरिहार्य नहीं है।

अध्याय का विरोध करने का अभ्यास मन की हुए बिना लोगों के कहने से प्रतिरोध करना, वकील की सहायता से मुकद्दमा लड़ने के समान है। आजादी के लिए व्याकुलता होनी चाहिए और वह मन का धर्म बन जाना चाहिए। अगर राज्य-कर्त्ताओं का भी वही धर्म नहीं हुआ तो उनका स्वातन्त्र्य विषयक दृष्टिकोण बाजार भाव की तरह बढ़ता-घटता रहता है।

समाज के अन्दर ऊपर कहे हुए अनुसार हित सम्बन्धों का संघटन होता है। समाचार पत्र जैसा प्रचार-साधन बच्चे में कर लोकमत को विशिष्ट विचारों की प्रकृति देने में ऐसे ही सफल होते हैं। परन्तु यह सब करने में उनका उद्देश्य केवल स्वार्थ साधने का होता है व यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता के माफ़त करते हैं। राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थन चाहती है, वह उसे समाचार-पत्रों के प्रचाररूपी मायाजाल से मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि समाज के अन्दर जो गरीब व साधन विहीन परन्तु, शीलवान व श्रद्धालु होते हैं उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती। सच्ची स्वतन्त्रता में समता का समावेश होता है, अतः सच्ची स्वतन्त्रता का इस अर्थ में संरक्षण करने के लिए उसकी लगे व व्याकुलता हर एक के अन्दर समान रूप से होनी चाहिए। अगर स्वतन्त्रता का परिणाम विभिन्न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वातंत्र्य अर्थशून्य है। समाज में सर्वत्र स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था (ला फ़ि अफ़ेअर) है। जिसका अर्थ है कि हर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग करने की स्वतन्त्रता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में कुछ लोग धनी, कुछ सामान्य व बहुगंध्यक लोग दरिद्री बन जाते हैं। यह परिस्थिति, क्योंकि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप बनी है इसलिए उनमें से जो अधिक-से-अधिक धनाढ्य बने होते हैं वे उसे कायम रखने की दृष्टि से उस प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। समता स्वरूपी स्वतन्त्रता का वे विरोध करते हैं। अन्य लोगों को सच्ची स्वतन्त्रता मिले, ऐसी उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। क्योंकि वास्तविक स्वतन्त्रता मिलने का अर्थ है, सामाजिक विषमताओं का अन्त होना। समाज के अन्दर जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दो विषम वर्गों का निर्माण, यही स्वतन्त्रता को समाज को देन है। वास्तव में समाज के अन्दर समता होनी चाहिए परन्तु समाज में यह विषमता पैदा होने पर एक बार जो सम्पन्न हो जाते हैं, वे सदा बैसे ही बने रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं। वे समाज की सामाजिक सत्ता व राज्य की राज-सत्ता इन दोनों की सहायता से विद्यमान विषमता को हमेशा के लिए कायम रखने का प्रयास करते हैं। केवल इतना ही नहीं, क्रि-बहुना विद्यमान विषमता ही प्वाभाविक स्थिति है, इस प्रकार का वेदान्त वे कहने लगते हैं। जो दरिद्री हैं, वे उन्हीं के योग्य भी हैं, अगर उनमें योग्यता होती तो वे कभी बैसे बनते ही नहीं तथा जो वर्तमान विषमता है, वह भी मनुष्य निमित्त नहीं है, इसलिए उसका दोष समाज-व्यवस्था को नहीं है। इस प्रकार के तरवज्ञान का पुष्ट प्रमाण दिया जाता है। जिनके पास कुछ है, जो धनिक व पूँजीपति हैं, वे इस प्रकार का कुछ वेदान्त बनाकर अपने मन का सन्तोष कर लेते हैं। वे अपनी मद्-प्रसद् विवेक बुद्धि को

है। इसी प्रकार से सांख्यिक युग में समाचार पत्र, यह देना भी सीधे प्रगल्भ होने वाला है। थोड़े से विज्ञापन, कभी-कभी चाय पार्टी या कभी-कभी पीने का या रहने का इन्तजाम हो पाय तो उन पर भी काम पत्र जाता है और अगर हमने भी कुछ अधिक की आवश्यकता पटी तो कम्पनी के दिग्गम में से पुरस्कार हम मागे में ही उने पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रचार किया जाता है, यह देना अधिक होता है कि उसमें समाज में जो सब तरफ से प्रत्यापित अभिमान के मोक्षपूर्ण करने होते हैं, वे एक तरफ रह जाने हैं। हम समाज की सहर को समय पर प्रतिबन्धन लगाने जाने पर और उसकी रोक-थाम न होने पर समस्त सामाजिक भूमि उगमें स्थान हो जाती है व बहुत बिगड़ परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय पर कई बार जो कुछ अचछाद्दी होती है, वे बट जाती है और नीति गन्ना का निनारा हम अस्मित बाढ से बट जाता है। अन्तिम ध्येय तो दूर रहा, परन्तु जो कुछ अन्त प्रगति की हुई होती है वह भी नष्ट हो जाती है। यह माना कि समाज में स्वातन्त्र्य होना चाहिये, परन्तु आज जिस स्वतन्त्रता का हम अनुभव से रहे हैं, वह वास्तविक स्वातन्त्र्य को लाने दौड़ रही है, गंगा प्रतीत होता है। हम स्वातन्त्र्य भरी स्वतन्त्रता पर ठीक समय पर प्रतिबन्धन लगाने में विलम्ब हुआ या जिस वास्तविक आजादी का सोच हो रहा है, उमे रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वातन्त्र्य विरोधी मोर्चा पत्रा हो जाता है। सहर के साथ आया हुआ भंड फिर निनारे की भूमि पर जम जाता है व उसका अंश बन जाता है। इतिहास हम बात का साक्षी है कि जहाँ पर समाज के स्वातन्त्र्य विपक्षक निश्चय दृढ़ता से इस हमने का विरोध नहीं करते, जहाँ स्वतन्त्रता में सम्पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति गलत-धर्म हो जाते हैं; यही पक्ष सत्य बन जाता है, गलत निर्दोष साबित हो जाता है और जो हम सहर के निर्माता होते हैं वे आ तो स्वयं सत्ताधीश बन जाते हैं या सत्ताधीश लोगों को वे अपनी मुट्ठी में रखते हैं। जो सत्ताधीश होते हैं उनको फिर सौजन्य की परवाह करने की इच्छा नहीं होती। जो वास्तव में गलत है, ऐसा उनका विश्वास होना है, उमे भी प्रचारी लोकमत का जोर मिलने के कारण वे सही मानने लग जाते हैं। नैतिक दृष्टि में जो बात हीन है, ऐसा उनका मन धोलता है, उसकी अनैतिकता भी तूफानी लोकमत के प्रवाह में धुन गई, ऐसा वे मानते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के उदाहरण आज की दुनिया में प्रायः दिखाई देते हैं। लोक सभा या विधान सभा में दिये जाने वाले जवाब केवल लोकमत उनके पक्ष में है इस घमंड में दिये जाते हैं। वस्तु स्थिति का विपर्यास उन्हें विपर्यास नहीं दिखाई देता। इस प्रकार सत्ताधीश लोग अपने किये हुए पाप या कृत्य को छिपाने का अधिकाधिक प्रयत्न करते हैं और इस विषय में नागरिक को विचार-स्वातन्त्र्य देने से इनकार करते हैं। सरकार के आस-पास चक्कर काटने वाले हित-सम्बन्धी चाटुकारों के समाचार-पत्र सरकार के इन कार्य का पक्ष लेते हैं। तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्र अयोग्य लोगों से जनता की स्वतन्त्रता को चोट पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु सरकारी गूठ का समर्थन कर भूठ को सत्य की प्रतिष्ठा दे देते हैं। जिस राज्य में स्वातन्त्र्य की सालसा व्यभिचारी होगी, वहाँ कभी भी सच्चे स्वातन्त्र्य का आविष्कार नहीं होगा। सच्ची स्वतन्त्रता मानसिक प्रेरणास्वरूप होती है। लोकमत से इसका सम्बन्ध हीन अपरिहाय्य नहीं है।

अप्याय का विरोध करने का अग्र्याम मन को हुए बिना लोगों के कहने से प्रतिरोध करना, यकील की सहायता से मुकद्दमा लड़ने के समान है। राजाजी के लिए व्याकुलना होनी चाहिए और वह मन का धर्म बन जाना चाहिए। अगर राज्य-कर्त्ताओं का भी वही धर्म नहीं हुआ तो उनका स्वातन्त्र्य विषयक दृष्टिकोण बाजार भाव की तरह बढ़ना घटता रहता है।

समाज के अन्दर ऊपर कहे हुए अनुसार हित सम्बन्धों का संघटन होता है। समाचार-पत्र जैसा प्रचार-साधन बच्चे में कर लोकमत को विशिष्ट विचारों की अफीम देने में ऐसे ही सफल होते हैं। परन्तु यह सब करने में उनका उद्देश्य केवल स्वार्थ साधने का होता है व यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता के मार्फत करते हैं। राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थन चाहती है, वह उसे समाचार-पत्रों के प्रचाररूपी मायाजाल से मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि समाज के अन्दर जो शरीर व साधन विहीन परन्तु, शीलवान व श्रद्धावान होते हैं उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती। सच्ची स्वतन्त्रता में समता का समावेश होता है, अतः सच्ची स्वतन्त्रता का इस अर्थ में संरक्षण करने के लिए उसकी सगन व व्याकुलता हर एक के अन्दर समान रूप से होनी चाहिए। अगर स्वतन्त्रता का परिणाम विभिन्न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वातन्त्र्य अर्थशून्य है। समाज में सर्वत्र स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था (ला भि अफेयर) है। जिसका अर्थ है कि हर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग करने की स्वतन्त्रता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में कुछ लोग धनी, कुछ सामान्य व बहुसंख्यक लोग दरिद्री बन जाते हैं। यह परिस्थिति, क्योंकि स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप बनी है इसलिए उनमें से जो अधिक-से-अधिक धनाढ्य बने होते हैं वे उसे कायम रखने की दृष्टि से उस प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। समता स्वरूपी स्वतन्त्रता का वे विरोध करते हैं। अन्य लोगों को सच्ची स्वतन्त्रता मिले, ऐसी उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। क्योंकि वास्तविक स्वतन्त्रता मिलने का अर्थ है, सामाजिक विषमताओं का कम होना। समाज के अन्दर जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दो विषम वर्गों का निर्माण, यही इस स्वतन्त्रता की समाज को देन है। वास्तव में समाज के अन्दर समता होनी चाहिए परन्तु समाज में यह विषमता पैदा होने पर एक बार जो सम्पन्न हो जाते हैं, वे सदा वैसे ही बने रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ये समाज की सामाजिक सत्ता व राज्य की राज-सत्ता इन दोनों की सहायता से विद्यमान विषमता को हमेशा के लिए कायम रखने का प्रयास करते हैं। केवल इतना ही नहीं, कि-बहुना विद्यमान विषमता ही स्वाभाविक स्थिति है, इस प्रकार का वेदान्त वे कहने लगते हैं। जो दरिद्री हैं, वे उसी के श्रेष्ठ भी हैं, अगर उनमें योग्यता होनी तो वे कभी बैसे बनते ही नहीं तथा जो वर्तमान विषमता है, वह भी मनुष्य निर्मित नहीं है, इसलिए उसका दोष समाज-व्यवस्था को नहीं है। इस प्रकार के तर्कज्ञान का पुष्ट प्रमाण दिया जाता है। जिनके पास कुछ है, जो धनिक व पूँजीपति हैं, वे इस प्रकार का कुछ वेदान्त बताकर अपने मन का मन्त्रोप कर लेते हैं। वे अपनी मद्-घसद् विवेक बुद्धि को घोसा देते रहते हैं और

अपनी ऐंगी कोरी सहानुभूति का वे पद-दलितों के सामने इतनी सफाई के साथ प्रदर्शन करते हैं कि उनके ये नक्राश्रु कई वार कड़ियों को वास्तविक माखूम देते हैं। समाज के अन्दर जो उपेक्षित, वंचित और दबे हुए लोग होते हैं वे कुछ अर्से तक इन ढोंगी लोगों की शर्करायुक्त सहानुभूति को मच मानकर चलते हैं। इस सम्पन्न वर्ग के प्रतिनिधि व उनकी प्राव-भगत पर पले उनके भाट, पद-दलितों के लिए सब-बुद्ध करने के लिए तैयार हैं, ऐसा डिडोरा उनकी तरफ से पीटते रहते हैं।

प्रत्यक्ष अन्याय के खिलाफ मोर्चा लेने की या उसका प्रतिरोध करने की मापा अगर उस गरीब श्रेणी के लोगों ने शुरू की तो ये समाज को उखाड़ फेरना चाहते हैं या ये राज्य-क्रान्ति करना चाहते हैं, इस प्रकार विपैने आरोप उनके ऊपर लगा कर सरकार को उनके विरुद्ध कारवाई करने के लिए बाधित किया जाता है। कई बार सिद्धान्त को मानकर उसके विवरण आदि के सम्बन्ध में विरोध प्रकट कर इस श्रेणी के नेता लोगों को भी चक्कर में डाल दिया जाता है। प्रकट रूप में "आप और हममें कोई भेद नहीं" यही कहते रहते हैं, परन्तु अन्दरूनी तौर से उस भेद को बायम रखने की ही नहीं परन्तु बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। कोई भी मालिक वर्ग हड़ताल की नौबत आने तक मजदूरों की माँगों को स्वीकार नहीं करता। हड़ताल में भी अगर फूट डसवाने में सफलता नहीं मिली तो अपने जी-हज़ूरियों के मार्केट हिंसात्मक कार्रवाइयाँ करवा कर राज-सत्ता को हड़ताल दबाने के लिए मौका दिया जाता है। कई वार थोड़ा सा कुछ देकर अधिकतर माँगों को टाल दिया जाता है। अनेको बार "माँगें योग्य है, परन्तु उन्हें प्राप्त करने का तरीका गलत है", इस तरह के पैतरे के बल पर भूमिका बाँधकर मजदूरों के निश्चय में डीलापन पैदा करने का प्रयास किया जाता है। साधारणतया सघटित मालिकशाही या संचितवृत्तिशाही (व्हेस्टेड इन्टरेस्ट) के विरुद्ध जोरदार व प्रभावशाली संघटन खड़ा करना एक मुश्किल कार्य होता है। प्रायः मनुष्यों के अन्दर साहसी वृत्ति की कमी पायी जाती है। हड़ताल में शामिल होने के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं इस सोच-विचार से कई उसमें शामिल नहीं होते। परन्तु अपने साथियों का साथ छोड़ना भी उन्हें असरता है। अपने साथियों के साथ की दोस्ती उनके जीवन के आनन्द का प्रेरणास्रोत होती है। कई एक लोग सम्मान के प्रलोभन से स्वार्थत्याग करने के लिए आगे आते हैं, तो कई एक भविष्य में हार होने की स्थिति में अपने अपमान की कल्पना कर पीछे हट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि त्याग करने के लिए कौन तैयार होता है या उससे कौन विमुक्त होता है, यह विशिष्ट व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार से व्यक्ति का मन सोचेगा, उन विचारानुसार ही वह व्यक्ति भविष्य में उसे क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध में निर्णय करती है और अपने जीवन में सुख प्राप्ति की अथवा दुःख की टालने की योजना निश्चित करती है।

मन परिवर्धित्यनु रूप चलता है, इसका मतलब समाज के अन्दर जो विचारधाराएँ प्रचलित हैं, या जिन मूल्यों का मान किया जाता है उन सबका परिणाम जाने-अनजाने मन पर पड़ना है। जिस विचार का सामाजिक परिस्थिति से जरा भी सम्बन्ध न हो, ऐसा कोई भी विचार व्यक्ति के मन में आना सम्भव नहीं है। जो विचार

स्वातंत्र्य व्यक्ति को होता है, उसकी यही मर्यादा है। इस दृष्टि में अगर देखा जाए तो समाज के अन्दर की विचारधारों जितनी विविध व व्यापक होंगी व सामाजिक मूल्यों का माप-दण्ड जितना अधिक-से-अधिक सुविचारपूर्ण तथा सद्भावनापूर्ण को प्रेरित करने वाला होगा, व्यक्ति का विचार उतना ही अधिक सार्थक होगा। सामाजिक नियमन व प्रचार से अगर, सामाजिक विचार-प्रवाह और मूल्यों का गला घोट दिया गया तो विचार स्वातन्त्र्य की मात्रा न घटने पर भी उसका दर्जा घट जाता है। मनुष्य समाज का घटक होता है। संघ या संस्था का सदस्य होता है, फिर भी जिन अनुभवों में वे वह गुजरता है, वे उसके अपने होते हैं। सड़क सार्वजनिक है इसलिए वह इस रास्ते को नहीं धेर सकता। जहाँ कहीं भी वह चले उसके अपने कदमों के अनुसार उसकी स्थान मर्यादा व गति सीमित रहेगी। जहाँ वह बंदम रखता है, उसके लिए तो उतना ही रास्ता है, इसलिए समाज में कितना भी अनुभव भरा हो उसमें से जितना वह स्वयं ग्रहण करेगा व उसके लिए हिस्से में आएगा, उसी के अनुसार वह सोचेगा व उसी में से वह अपने व्यवहार की रूपरेखा तथा सर्वेक्षित निश्चित करेगा। उसके साथ हुए अन्याय, उसके अनुभव में आई हुई कड़वाहट व उसके साथ की गई वैईमानी आदि यह सब उसका अनुभव अपना होगा और इस कारण उसके मन पर इनका जो परिणाम हुआ होगा, उसे वह अपने व्यवहार से ही मिटा सकता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संगठन या संघ कुछ नहीं कर सकता। साथी घोसा दें, बच्चे सापरवाही दिखाने लग जाएँ, औरत लड़ाकू बन जाय तो इसके लिये समाज क्या कर सकता है व राज्य भी क्या कर सकता है फिर भी जीवन के कुछ क्षेत्र के अनुभव अनेक व्यक्तियों के एक से ही होते हैं। एक ही चाल में रहने वाले कई किरायेदार होते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में व्यक्तिगत अनुभव भिन्न-भिन्न होते हैं। परन्तु उस चाल या भकान के अन्दर की गन्धी, नल के पानी की कमी, संडामों की कमी, आदि के बारे में उन सबका अनुभव एक समान ही होगा। इसलिए इन अनुविधाओं और दुःख को दूर करने के लिये जो कुछ भी करना होता है, उसके लिए जो कार्रवाई करनी होती है उसका व्यावहारिक व क्रिया का स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिसमें सबका हित-सम्बन्ध एक है या जो सबको प्रसरता है, उसके बारे में कुछ तो भी करना चाहिये। अथवा कुछ होना चाहिए ऐसा सब अनुभव करते हैं। एक दृष्टि से उसमें सबका हितैक्य होता है। जब हितैक्य न हो व एक की आवश्यकता भी दूसरे जैसी तीव्र न हो, तब सब को मिसकर कुछ करने की इच्छा नहीं होती। यहाँ सामाजिक प्रतिक्रिया सम्भव नहीं होती। यहाँ सामाजिक क्रिया सम्भव नहीं होती। व्यक्ति, व्यक्ति की आवश्यकताएँ व हित सम्बन्ध विभिन्न होने पर उनका अनुभव भी भिन्न होता है। इसलिए एक-दूसरे के विषय में सोचने की या एक-दूसरे के दुःख-दर्द के समझने की इच्छा उनमें से किसी की नहीं होती। एक दिग्ने में कई पानी बेंडे हों व दिग्ने में सूँव भीड़ हो तब सब मिसकर नये यात्री को अन्दर घाने से रोक्ते हैं। परन्तु वे हों यात्री अगर अलग-अलग दिग्ने में हों तो एक दिग्ने के यात्री दूसरे दिग्ने में चढ़े हैं अथवा

नहीं, इसकी पूछताछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितैष्य है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफ्तरों में वे काम करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचेंगे। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़क सराब हो, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि में उनका हितैष्य होने के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठावेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितैष्य के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुख के कारण व समान कार्य के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। जहाँ हितैष्य है वहाँ सामुदायिक क्रिया व सामाजिक वर्ताव (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरों की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महसूस होती है। हड़ताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड़ताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितैष्य है, समान अनुभव है, इसलिये सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह अगर एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को ठुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितैष्य है। हड़ताल की खबर अखबार में आते ही उसको जो प्रतिक्रिया धनिक श्रेणी के लोगों पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगों से भिन्न होगी। कहीं भी हड़ताल हुई या वेतन-वृद्धि की माँग की गई तो धनिक मालिक लोगों को वह हड़ताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होती है। बड़े पैमाने पर हड़ताल होने पर अनेक कारणों पर विचार किये बिना ही, वह हड़ताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर कुछ खुले रूप में या परिमित मात्रा में हितैष्य है, वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के वर्ग में एक तरह का भ्रातृभाव दिखाई देता है। इसलिये उनके हित में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलेंगे वे सबके लिए समान होने। एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जितनी अधिक मात्रा में हित-सम्बन्धों में समानता होगी उतने ही अधिक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों को भवसर मिलेगा। स्वतंत्र वायुमण्डल में समान-हित सम्बन्धों का अधिकाधिक निकट आना क्रम-प्राप्त ही है। विचार-विनिमय होता रहता है और उसी में से सामुदायिक भावना का सहज निर्माण होता है। परस्पर हितबलम्बी होने के कारण भ्रातृभाव निर्माण होता है व उसी में से समाज के अन्दर समानता होनी चाहिये। सबके लिए समानता जरूरी है इस प्रकार का भाव भी तभी निर्मित होता है। स्वभावतः फिर किसी को अधिक या किसी को विशेषाधिकार होने चाहिए। इसके विरुद्ध मन की भावना बनती जाती है। जिनको समाज में विशेष अधिकार या खास सहुलियतें मिली होती हैं, उन्हें छोड़ने की मर्जी नहीं होती, क्रिबहुना वे जिन विशेषाधिकारों का या सहुलियतों का उपयोग कर रहे हैं, वह समाज की दृष्टि से तथा सामाजिक उन्नति के लिए इष्ट है इस प्रकार का दावा पैदा किया जाता है। उनके उस दावे के विरुद्ध लोकमत तीव्र न

होने पाए इसलिए वस्तु-स्थिति लोगों के सामने न आने पाए इस प्रकार की कोशिश में वे लगे रहते हैं। सत्य या असत्यित का जनता के सम्मुख आना व उस पर खुले आम बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है ऐसा उनका विचार होता है। उनके पास जो धन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐसा प्रामाणिक खयाल होता है। इसलिए वे उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक मामलों में दिखाई देती ही ऐसी बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी यही दिखाई देता है। वेद-विद्या केवल वरिष्ठ श्रेणी के लोग ही ग्रहण करें, वह अधिकार केवल उन्हीं का है, यह विचारधारा समाज के अन्दर विषमता को बढ़ावा देने वाली है। "न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति" यह बात भी समाज के कल्याण के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी था जब स्त्रियों की आजादी देने पर धर्म नष्टप्राय होगा यह डर धार्मिक रूप में कइयों में सुभाषा हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विशेष रूप से अधिकार प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिखाई देती है। विषमता के परिणामस्वरूप जिनको जो भी कुछ अधिक प्राप्त है, धन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद्द भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विशेषाधिकार के विरुद्ध या इस विषमता के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के अन्दर सच्चा स्वातंत्र्य होगा, तभी हो सकेगी। जिस स्वातंत्र्य में से समता के भाव का विकास होता है उसके मुकाबले में सामाजिक परम्पराएँ तथा सामाजिक सभित्तियाँ डट कर खड़ी हो जाती हैं। नया सत्य जो समाज के अन्दर सब व्यक्तियों को समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक सभित्तियाँ विरोध करती हैं। इस विरोध के कई रूप हो सकते हैं। साँक्रेटिस को जहर पिलाया जायेगा, कोरनेलिस को देश-निर्वासन किया जाएगा; एरुनाय को ब्रह्मचर्य का कोष सहना पड़ेगा, ज्ञानेश्वरादि बन्धुओं को धार्मिक संस्कारों से वंचित रखा जाएगा। परन्तु विषमता अधिक, काल तक समाज में नहीं रह सकती। नागरिक स्वातंत्र्य का प्रयोग जितना अधिक बेखटके किया जाएगा उतनी मात्रा में समाज के अन्दर की विषमता कम होगी स्वतन्त्रता का परिणाम समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का इतिहास है।

सामान्यतः राष्ट्र की सभ्यताओं का कौसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विषयक नियन्त्रण कौसा भी हो, जहाँ लोगों में अधिक-से-अधिक मात्रा में हितव्य है वहाँ स्वातंत्र्य अधिक परिमाण में होगा क्योंकि स्वतन्त्रता के फलस्वरूप वहाँ समानता तथा समता की सीमाएँ बड़ी हुई होगी। हितव्य होने में वहाँ समानता की भावनाएँ होती हैं और उन समानता की भावनाओं का स्वतन्त्र वातावरण में पोषण होता है। इसलिए इसकी व उसके साथ स्वतन्त्रता की भी संभाल होती है। इसके विपरीत जहाँ पर बड़े परिमाण में हितव्य नहीं होता और उसके अभाव में विषमता अधिक होती है वहाँ स्वातंत्र्य में अवरोध होता है, क्योंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छिन जायेगा इस डर से वे स्वतन्त्रता पर मर्यादाएँ लगाते रहते हैं। वेदान्त कर्ता है कि समस्त सब दुःखों की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिहास में क्या घपराप हुए और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन्हें विनाश कर यहाँ बसाने की आवश्यकता नहीं है।



नहीं, इसकी पूछताछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितैक्य है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफ्तरों में वे काम करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचेंगे। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़कें सराब हों, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि में उनका हितैक्य होने के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठावेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितैक्य के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुख के कारण व समान कार्य के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। जहाँ हितैक्य है वहाँ सामुदायिक क्रिया व सामाजिक वर्तव्य (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरों की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महसूस होती है। हड़ताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड़ताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितैक्य है, समान अनुभव है, इसलिये सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह अगर एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को टुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितैक्य है। हड़ताल की खबर प्रखबर में आने ही उसकी जो प्रतिक्रिया घनिक श्रेणी के लोगों पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगों से भिन्न होगी। वही भी हड़ताल हुई या वेतन-वृद्धि की माँग की गई तो घनिक मालिक लोगों को वह हड़ताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होनी है। बड़े पैमाने पर हड़ताल होने पर अनेक कारणों पर विचार किये बिना ही, वह हड़ताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय ये लोग बघाते हैं। जहाँ पर कुछ गुने एन में या परिमित मात्रा में हितैक्य है, वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के वर्ग में एक तरह का भ्रान्तभाव दिखाई देता है। इसलिये उनमें हित में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलने में वे सबके लिए समान होंगे। एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जिनकी अधिक मात्रा में हित-सम्बन्धों में समानता होगी उतने ही अधिक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों की अवसर मिलेगा। स्वतंत्र वामुण्डन में समान-हित सम्बन्धों का अधिकाधिक निश्चय प्राप्त हो ही है। विचार-निमित्त होना रहता है और उमी में से सामुदायिक भावना का सृष्टि निर्माण होता है। परस्पर हितावलम्बी होने के कारण भ्रान्तभाव निर्माण होता है व उमी में से समाज के अन्दर समानता होनी चाहिये। सबके लिए समानता जम्पो है इन प्रकार का भाव भी सर्वा निमित्त होता है। स्वभावतः फिर किसी की अधिक या किसी को विशेषाधिकार होने चाहिए। इनके विरुद्ध मन की भावना बननी जनी है। जिनको समाज में विशेष अधिकार या सामुदायिक नियमों मिलनी होनी है, उन्हें होने की मन्त्री नहीं होनी, सिवट्टा वे जिन विशेषाधिकारों का या सृष्टिपत्तों का उपयोग कर रहे हैं, वह समाज की दृष्टि में तथा सामाजिक उन्नति के लिए हट्ट है इन प्रकार का दावा पैदा किया जाता है। इनके उम दावे के विरुद्ध गोरमन तीव्र न

होने पाए इसलिए यस्तु-स्थिति लोगों के सामने न घाने पाए इस प्रकार की मोक्षिम में वे लगे रहते हैं। सत्य या प्रसलियत का जनता के सम्भूत प्राना व उस पर पुने प्राम बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है ऐमा उनका विचार होता है। उनके पास जो धन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐमा प्रामाणिक खयाल होता है। इसलिए वे उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल धार्मिक मामलों में दिखाई देती ही ऐमा बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी यही दिखाई देता है। वेद-विद्या केवल बरिष्ठ श्रेणी के लोग ही ग्रहण करें, वह अधिकार केवल उन्ही का है, यह विचारधारा समाज के अन्दर विपमता को बढ़ावा देने वाली है। "न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति" यह बात भी समाज के कल्याण के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी था जब स्त्रियों को शाजादी देने पर धर्म नष्टप्राय होगा यह डर वास्तविक रूप में कश्मियों में समाया हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विशेष रूप से अधिकार प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिखाई देती है। विपमता के परिणामस्वरूप जिनको जो भी कुछ अधिक प्राप्त है, धन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद्द भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विरोधाधिकार के विरुद्ध या इस विपमता के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के अन्दर सूचना स्वातंत्र्य होकर, तभी हो सकेगी। जिम स्वातंत्र्य में मे समता के भाव का विकास होता है उसके मुकाबले में सामाजिक परम्पराएँ तथा सामाजिक दण्डित्याँ डट कर खड़ी हो जाती हैं। नया सत्य जो समाज के अन्दर सब व्यक्तियों को समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक दण्डित्याँ विरोध करती हैं। इस विरोध के कई रूप हो सकते हैं। सॉक्रिटिस को जहर पिलाया जायेगा, कोरन्टीस को देश-निर्वासन किया जाएगा; एरुनाय को ब्राह्मवृन्द का कोर सहना पड़ेगा, ज्ञानेश्वरादि बन्धुओं को धार्मिक संस्कारों से वचित रखा जाएगा। परन्तु विपमता अधिक काल तक समाज में नहीं रह सकती। नागरिक स्वातंत्र्य का प्रयोग जितना अधिक बेखटके किया जाएगा उतनी मात्रा में समाज के अन्दर की विपमता कम होगी स्वतंत्रता का परिणाम समता की स्थापना में होता है ऐमा संसार का इतिहास है।

सामान्यतः राष्ट्र की सस्यामो का कँसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विपयक नियन्त्रण कँसा भी हो, जहाँ लोगो में अधिक-से-अधिक मात्रा में हितवय है वहाँ स्वातंत्र्य अधिक परिमाण में होगा क्योंकि स्वतंत्रता के फलस्वरूप वहाँ समानता तथा समता की सीमायें बढी हुई होंगी। हितवय होने से वहाँ समानता की भावनायें होती हैं और उन समानता की भावनामो का स्वतंत्र वातावरण में पोषण होता है। इसलिए इसके व उसके साथ स्वतंत्रता की भी संभाल होती है। इसके विपरीत जहाँ पर बडे परिमाण में हितवय नहीं होता और उसके अभाव में विपमता अधिक होती है वहाँ स्वातंत्र्य में अवरोध होता है, क्योंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छिन जायेगा इस डर से वे स्वतंत्रता पर मर्मादाएँ लगाते रहते हैं। वेदान्त कर्ता है कि सम्पत्ति सब दुखो की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिहास में क्या अघराप हुए और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उन्हें विशद कर यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है।

नहीं, इसकी पूछताछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितैष्य है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफ्तरों में वे काम करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचेंगे। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़कें सराब हों, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि में उनका हितैष्य होने के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठावेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितैष्य के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुःख के कारण व समान कार्य के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। जहाँ हितैष्य है वहाँ सामुदायिक क्रिया व सामाजिक वर्तव्य (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरों की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महसूस होती है। हड़ताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड़ताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितैष्य है, समान अनुभव है, इसलिये सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह अगर एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को ठुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितैष्य है। हड़ताल की खबर अखबार में आते ही उसकी जो प्रतिक्रिया धनिक श्रेणी के लोगों पर होगी, वह गरीब श्रेणी के लोगों से भिन्न होगी। वही भी हड़ताल हुई या वेतन वृद्धि की माँग की गई तो धनिक मालिक लोगों को वह हड़ताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होनी है। बड़े पैमाने पर हड़ताल होने पर अनेक कारणों पर विचार किये बिना ही, वह हड़ताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय वे लोग बताते हैं। जहाँ पर बुद्धि खुले रूप से या परिमित मात्रा में हितैष्य है, वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के वर्ग में एक तरह का भ्रातृभाव दिखाई देता है। इसलिये उनके हित में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलेंगे वे सबके लिए समान होंगे। एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जिनकी अधिक मात्रा में हित-सम्बन्धों में समानता होगी उतने ही अधिक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों को अवसर मिलेगा। स्वतंत्र वायुमण्डल में समान-हित सम्बन्धों का अधिकधिक निरवृत्त प्राना क्रम-प्राप्त ही है। विचार-विनिमय होना रहता है और उसी में से सामुदायिक भावना का सहज निर्माण होता है। परन्पर हितावनम्बी होने के कारण भ्रातृभाव निर्माण होता है व उसी में से समाज के अन्दर समानता होनी चाहिये। सबके लिए समानता जम्परी है इस प्रकार का भाव भी तभी निर्मित होता है। स्वभावतः फिर किसी भी अधिक या किसी को विशेषाधिकार होने चाहिए" इसके विरुद्ध मन की भावना बनती जाती है। जिनको समाज में विशेष अधिकार या मान सृष्टिनियमों मिली होती हैं, उन्हें छोड़ने की मर्जी नहीं होती, सिबहुना वे जिन विशेषाधिकारों का या सृष्टिनियमों का उपभोग कर रहे हैं, वह समाज की दृष्टि में तथा सामाजिक उन्नति के लिए हट्ट है इस प्रकार का दावा वेन किया जाता है। उनके उम दावे के विरुद्ध जोरमत्त तीव्र न

होने पाए इसलिए वस्तु-स्थिति लोगों के सामने न भ्रान्ति पाए इस प्रकार की वीक्षित में वे लगे रहते हैं। सत्य या असत्य वा जनता के सम्मुख माना व उस पर खुले घाम बहस होना माने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है ऐसा उनका विचार होता है। उनके पाम जो धन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐसा प्रामाणिक खयाल होता है। इसलिए वे उसको रक्षा के लिए सब कुद्व करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल धार्मिक मामलों में दिखाई देती ही ऐसी बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी यही दिखाई देता है। वेद-विद्या केवल वरिष्ठ श्रेणी के लोग ही ग्रहण करें, वह अधिकार केवल उन्हीं का है, यह विचारधारा समाज के अन्दर विषमता को बढ़ावा देने वाली है। "न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति" यह बात भी समाज के कल्याण के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी था जब स्त्रियों को घाजादी देने पर धर्म नष्टप्राय होगा यह डर वास्तविक रूप में कइयों में सुमाया हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विदोष रूप से अधिकार प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिखाई देती है। विषमता के परिणामस्वरूप जिनकी जो भी कुछ अधिक प्राप्त है, धन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद्द भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विदोषाधिकार के विरुद्ध या इस विषमता के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के अन्दर सच्चा स्वातन्त्र्य होगा, सभी हो सकेगी। जिस स्वातन्त्र्य में मे समता के भाव का विकास होता है उसके मुकाबले में सामाजिक परम्पराएँ तथा सामाजिक रूढ़ियाँ टूट कर खड़ी हो जाती हैं। नया सत्य जो समाज के अन्दर सब व्यक्तियों को समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक दमितीयाँ विरोध करती हैं। इस विरोध के बड़े रूप हो सकते हैं। सॉक्रेटिस को जहर पिलामा जायेगा, कोरनीस को देश-निर्वासन किया जाएगा; एकनाथ को ब्रह्मचर्य का कोश मढ़ना पड़ेगा, ज्ञानेश्वरदि बन्धुओं की धार्मिक संस्कारों से वंचित रखा जाएगा। परन्तु विषमता अधिक-काल तक समाज में नहीं रह सकती। नागरिक स्वातन्त्र्य का प्रयोग जितना अधिक देखटके किया जाएगा उतनी मात्रा में समाज के अन्दर की विषमता कम होगी स्वतन्त्रता का परिणाम समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का इतिहास है।

सामान्यतः राष्ट्र की सत्ताओं का कंसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विषयक नियन्त्रण कंसा भी हो, जहाँ लोगों में अधिक-से-अधिक मात्रा में हितैक्य है वहाँ स्वातन्त्र्य अधिक परिमाण में होगा क्योंकि स्वतन्त्रता के फलस्वरूप बड़ी समानता तथा समता की सीमाएँ बढ़ी हुई होंगी। हितैक्य होने से वहाँ समानता की भावनाएँ होती हैं और उन समानता की भावनाओं का स्वतन्त्र वातावरण में पोषण होता है। इसलिए इसकी व उसके साथ स्वतन्त्रता की भी संभाल होती है। इसके विपरीत जहाँ पर बड़े परिमाण में हितैक्य नहीं होता और उसके अभाव में विषमता अधिक होती है वहाँ स्वातन्त्र्य में अवरोध होता है, क्योंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे द्वेष जायेगा इस डर से वे स्वतन्त्रता पर मर्यादाएँ लगाते रहते हैं। वेदान्त कहता है कि सम्पत्ति सब दुष्टों की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिहास में क्या अवरूप हुए और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उन्हें विनाश कर यहाँ बसाने की आवश्यकता नहीं है।

जिस समाज में मुट्ठी-भर लोगो के हाथ में अधिकतर सम्पत्ति होती है व बहुसंख्यक लोग दरिद्री होते हैं, वहाँ शोषक व शोषित, इन दो वर्गों में समाज का बँट जाना अनिवार्य है। जहाँ पर ऐसी परिस्थिति होगी वहाँ शोषक वर्ग शोषित वर्ग की स्वतन्त्रता के विषय में बेफिकर होता है क्योंकि वह सत्ताधारी-वर्ग होता है। स्वतन्त्रता के विषय में उनका दखता दिखाना याने अपने हाथों से अपने स्वार्थ पर आग रखने के समान ही है। पुनः आज की दुनिया में सम्पत्ति का त्याग कर वनवास जाने वाले बृद्ध बिनकुल भी दिखाई नहीं देते। वह जमाना अब बदल गया है, इसके विपरीत जहाँ-तहाँ सम्पत्ति के दास व उसके लिए जान देने वाले और जान लेने वाले ही दिखाई देते हैं। समाज में समता होनी चाहिए, स्वातन्त्र्य होना चाहिए और भ्रातृ-भाव होना चाहिए आदि विचार-विषय समाज में प्रभावयुक्त नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं कि इनका दिखावा भी यहाँ नहीं किया जाता। मतदान का अधिकार सब को प्रदान कर सब को राजकीय समता है यह बड़े जोरदार तरीके से दिखाया जाता है। परन्तु जब सम्पत्ति के समान बँटवारे की माँग की जाती है तब एकदम उसके समाज को उखाड़ फेंकने वाली माँग बताने का ढोंग किया जाता है। जिस बात में धन का कोई सम्बन्ध नहीं होता उस बात में दौ गई स्वतन्त्रता का उल्लेख राज्य-सत्ता बड़ी शान से करती है। परन्तु आर्थिक विषमता समाज अधिक लम्बे समय तक सहन नहीं कर सकता। समाज में अनेक श्रम करते हैं व छोड़े-से आराम करते हैं, कुछ खाते हैं व कुछ-एक चैन से बँठ कर खाते हैं। यह स्थिति, यह दृश्य जो श्रम करने वाले हैं, खपने वाले हैं, वे अधिक समय तक चुपचाप बरदाश्त नहीं कर सकते। समाज की रचना एक पिरामिड की तरह होती है। निम्न स्तर के लोगो की ऊपर स्तर के लोगो के साथ मिलने की स्वाभाविक इच्छा होती है। अन्य समाज के परिमाण में जितना धनिकवर्ग छोटा होगा, उतने ही परिमाण में वहाँ आर्थिक विषमता अधिक होगी। विरोधी भावना की गुरुमात या अन्याय का प्रतिकार करने की क्रिया सदा ही इस निम्न श्रेणी में गुरु होती है। जिस वर्ग के हाथ में सम्पत्ति होती है, उसी के हाथ में सत्ता होती है यह इतिहास का अनुभव है। जिसके पास पैसा है उसके लिए इस समाज में कोई भी वस्तु असम्भव नहीं। जिसके पास पैसा न हो उसको इस विषम समाज में मजदूर की तरह खपने के सिवाय अन्य कोई भूमिका नहीं। सम्पत्ति अज्ञानी को व मूर्ख को चाहे जो सामाजिक पदवी प्रदान कर सकती है। सम्पत्ति की सहायता से विद्वत्ता को गुलाम बनाया जा सकता है। जो गुलाम न हो वे सम्पत्ति के सहारे विपकाये जा सकते हैं, यह परिस्थिति इस विषम समाज में दिखाई देती है। उमी स्थिति को कायम रखने के लिए जिनके धन होता है वे खटपट करते रहते हैं। इसके लिए वे राज्ययन्त्र का भी उपयोग करते हैं। सम्पत्ति व गुण इनका विषम समाज में परस्पर सम्बन्ध होना भी जरूरी नहीं। इसलिए अपमानित विद्वत्ता, घृणित दारिद्र्य तथा निष्फल जीवन ये सब इकट्ठे होकर सामाजिक विषमताओं को हटाने के प्रयत्नों की गुरुमात कर देते हैं। उनकी वास्तव में अन्य जनों से अधिक पाने की या उनके पास अधिक होवे ऐसी इच्छा नहीं होती। उनकी माँग केवल दूसरो के बराबर भित्ति व उनसे कम न पाने की होती है। जो माँगने वाले होते हैं उन पर यह ईर्ष्या-ग्रह आरोप लगाया जाता है। जिनके पास माँग की जाती है, उन पर सरामद व

यदान्त्रता का ही इतनाम मड़ा जाता है। इस समानता की माँग को टुट्टराया जाता है, क्योंकि माँग स्वीकार करने से ही तत्काल सत्ता मर्यादित हो जाती है, व अधिकार के बल पर प्राप्त होने वाले सुखों से वंचित होना पड़ता है। समता स्वीकार करना याने सत्ता को त्याग देना व सत्ता को छोड़ना या कम करना, इसका अर्थ है उनकी जो आवश्यकताएँ पहले थीं वे अब उस रूप में प्रभावशाली नहीं रह सकती। उत्पादन का उद्देश्य ही बदल जाता है। उत्पादन फिर केवल फायदे के लिए या कुछ इने-गिने लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं होता परन्तु उसका हेतु अब सारे समाज की आवश्यकताओं की पूरा करना यही होता है। सत्ता के विलय होते ही समाज के अन्दर कौनसी शक्तियाँ प्रभावशाली होनी चाहिए तथा उनका नियन्त्रण करने का अधिकार भी उस सत्ता के साथ खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जीवन विषयक जिसकी जो कल्पनाएँ होती हैं या जिन मूल्यों को वे श्रेष्ठ मानते हैं वे सब चबनाचूर हो जाते हैं। फिर सोके पर धाराम से बँठकर प्रेम-कथा पढ़ने के बदले हाथ में भाड़ू लेकर काम करना पड़ता है। गर्मी में भायेरान और सर्दी में अण्ड रमणीय स्थल, कल की कोई फिकर नहीं, हाथ से भी काम करने की कोई जरूरत नहीं, इस स्थिति से दो कमरों के पर्वट में रहना व समाज के अण्ड नागरिकों की भाँति काम करना भाग्य में घाता है। जहाँ तक हो सके ऐसा न हो इसलिए उसको टालने की भरसक कोशिश की जाती है। आज भी भारत में यह अनुभव घा रहा है। दुनिया के बहुत बड़े भाग से पूँजी-पति प्रणीत लोकशाही का अन्त हो गया है। कुछ राष्ट्रों में वह अभी चल रही है तथा भारत में भी आज लोकशाही और लोकशाही के बनावटी चेहरे तो कम-से-कम जहूर हैं, परन्तु पूँजीपति का वड्डपन तथा विलासशाही का मशौन्माद अभी भी भारतीय समाज में और राजकीय क्षेत्र में कायम है।

जिस समाज में विचार-स्वातन्त्र्य तथा भाषण स्वातन्त्र्य होता है, उस समाज का ध्येय समाज के अन्दर घुसी हुई विषमता को हटाने का होता है और जहाँ पर ऊपर वह अनुसार मुट्टी भर लोगों के हाथ में सब सम्पत्ति तथा सम्पत्ति-निर्माण के साधनों का केन्द्रीयकरण होता है वे समता की माँग का हर तरह से संबंधा विरोध करते हैं। क्योंकि यह माँग उनके मूलभूत स्वार्थ पर कुल्हाड़ी होती है। इसलिए वे न केवल समता की माँग को अस्वीकार करते हैं अपितु समता माँगने के अधिकार को भी अस्वीकार करते हैं। स्वातन्त्र्य हो व समता न हो इस परिस्थिति में स्वातन्त्र्य व समता इनमें संघर्ष निर्माण होता है। स्वतंत्रता के नाम पर उसको मर्यादित करने के विरोध में आवाज उठाई जाती है।

समाज में समता उदरान करने वाली व्यवस्था होगी, तो वह अनिवर्ण्य उत्पादन, विभाजन तथा उपभोग करने के अधिकार या स्वतन्त्रता को अस्वीकार करती है। इसके विपरीत समाज में अगर समता न हो तो वह स्वातन्त्र्य अर्थसूय है, इसकी कल्पना व अनुभव होने के कारण समता के लिए लड़ने वाले चुन नहीं बैठने, फिर समाज में जिनके पास है व जिनके पास नहीं, धनी व निर्धन, खरनेवाले व उनके अम पर चँन से खरनेवाले इन सब वर्गों में आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। इनमें कुछ इने-गिने व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो स्वच्छुशी से सम्पत्ति को त्याग देवें परन्तु श्रीमान्

सत्ताधीन वर्ग ने स्वयुक्ती से अपनी सम्पत्ति या सत्ता का त्याग किया हो ऐसे उदाहरण इतिहास में कभी नहीं हुए। अपने विशेष अधिकार कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जिस प्रकार चीटा अगर गुड़ की भेली को चिपक गया कि वह उसे छोड़ना नहीं, उगता फिर चाहे टूट जाय मगर वह भेली को नहीं छोड़ता। वैसे ही स्थिति समाज में दिखाई देती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति हो या सामाजिक सम्पत्ति ही दीर्घकाल तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका उपभोग करने के बाद भी उसे छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अपने आपको उस सम्पत्ति का विद्वस्त दिवाने का आविर्भाव किया जाता है। स्वयं को केवल सेवक मात्र कहकर निरर्थक स्वार्थ को प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी वर्गश्रेष्ठत्व होने के नाते शील श्रेष्ठत्व भी अनायास प्राप्त है ऐसा दावा पेश किया जाता है। "ब्राह्मण चाहे जितना भी भ्रष्ट पयो न हो फिर भी वह श्रेष्ठ ही है" ऐसा कहने में मन को संकोच नहीं होता। अपितु स्वयं जो करते हैं या कहते हैं वह न्यायसंगत है, समाजहित में है ऐसा ही प्रतिपादन किया जाता है। न्याय की बलना व समाज-हित की बलना माने उस सम्बन्धित वर्ग की बलना बन जाती है। अपने अधिकार व सम्पत्ति को कायम रखने के लिए साधनों की धुंधला बरतने की उनको आवश्यकता नहीं अनुभव होती। स्वार्थ संरक्षणार्थ जहाँ भले-बुरे का विचार किये बिना दुराग्रह किया जाता है व विवेक को निर्मलता की मंशा दी जाती है वहाँ यह सघर्ष केवल विचार-विनिमय अथवा अहिंसा की सीमा में न रहकर सीधा हिंसा को स्वीकार कर लेता है। जिस समाज में आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप सम्पत्तिका केन्द्रीयकरण होता है व बहुमध्यक लोगों के हितों में गरीबी तथा दरिद्रता आती है वहाँ उन बहुमध्यात लोगों को स्वतंत्रता व समता देना अस्वीकार किये बिना पूँजीवादी तथा सघन समाज जीवित नहीं रह सकता। और जिस समाज में स्वातंत्र्य व समता इन दोनों में समन्वय होने के बदले अगर सघर्ष व विरोध उत्पन्न हो तो उस सघर्ष का परिणाम जो निकलता है उसे इतिहास ने दिखा ही दिया है। आर्थिक व्यवस्था फिर क्रान्तिकारक तरीके से बदलती है। विशेष अधिकारी, उनके अधिकारी से वंचित हो जाते हैं व रसातल को पहुँचते हैं। अगर वे थोड़े-थोड़े अधिकार देते तो बाकी बचे हुए अधिक समय तक टिकते परन्तु अब वे सब-के-सब एकदम छीन लिये जाते हैं। समय के साथ थोड़ा विवेक व विचार के साथ काम लिया जाय तो परिस्थिति कुछ और ही होती ऐसा महसूस किया जाता है, परन्तु इस पश्चात्ताप की भावना से समाज का परिवर्तन अवश्य होगा यह पहचानकर सुदीर्घ दृष्टि से विचार करने वाले योजना बनाकर शान्तिपूर्ण तरीके से उस परिवर्तन को प्रत्यक्ष अमल में लाते हैं। पूरे समाज के अन्दर परिवर्तन लाना कोई साधारण बात नहीं होती। कामकेल के समय में इंग्लैण्ड में जो हुषा व फ्रेंच राज्य क्रान्ति के समय जो हुषा उसका अन्तर सहज रूप से दिखाई देता है। सन् १९१७ में रूस में जो क्रान्ति हुई उससे दुनिया के सब धनिकों को वास्तविक मार्गदर्शन होना चाहिये था परन्तु वह नहीं हुषा अपितु उसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि स्वतंत्र्य व समता को स्थिर करने के लिए हुई इन घटनाओं से स्वातंत्र्य और समता प्रस्थापित हुई। जो विद्यमान है उसको रखने के लिए प्रयत्न हुए। हर कीमत को चुकाकर उसको स्थायी रखने की

कोशिश हुई। परन्तु उसमें भी अधिक कीमत देकर भी वह टिक नहीं पाया। क्रान्ति की शुरुआत करने वाले मूत्रधारों की कल्पना नाटक के प्रयोग में दिखाई नहीं दी। नान्दी तथा नाटक का प्रन्त उसमें बहुत ही विसंगत नजर आया। इतिहास के इस सामाज्य अनुभव के लिए भारत एक भ्रमवाद है। भारत में पूर्णतया अहिंसात्मक क्रान्ति नहीं यह सच है परन्तु सम्पूर्ण हिंसात्मक क्रान्ति हुई यह भी सच नहीं है। भारत की आजादी का विरोध करने वालों ने समय को पहिचाना और सत्ता हस्तान्तरित कर दी तथा भारतीय नेताओं ने भी सब पादर्वभूमि को ध्यान में रखकर मिली हुई आजादी को बहुसंख्यक प्रजा की दृष्टि से अर्थपूर्ण करने के प्रयत्न जारी किये। उनकी वही दृष्टि आज भी स्थायी है।

विषम समाज में भी आधुनाप्र समाज रचना बदलने के लिए विरोध होता है। फिर वहाँ प्रवर्तित राज्यसत्ता का रूप कैसा भी क्यों न हो। इंग्लैंड के लिए यह कहा जाता है कि पानून की शरण लेकर वैध तरीकों से पाने पालियामेंट के मार्फत वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। पालियामेंट की सत्ता इतनी प्रभुत्वपूर्ण है कि वहाँ केवल पुरुष को स्त्री बनाना पालियामेंट के बस की बात नहीं मन्वया यह ही वहाँ की कर्तुम् अकर्तुम् मन्वया कर्तुम् समर्थ संस्था है। कल अगर पालियामेंट चाहे तो राजपद भी नष्ट कर सकती है, सात समा को नष्ट कर सकती है परन्तु यह नहीं होता। उसका कारण अंग्रेजी समाज के कुछ आदर्शों की रक्षा करना मात्र ही है। यहाँ के सत्ताधीन वहाँ की समाज-रचना या अर्थ-व्यवस्था के मूलभूत तत्वों के विषय में दृढ़निश्चयी होकर भी वहाँ की अर्थ-व्यवस्था या समाज-व्यवस्था में मूलग्राही फरक नहीं होगा यह निश्चित ही है। क्योंकि जिन नीति मूल्यां पर या राजनैतिक सिद्धान्तों पर पूरा संविधान रचा गया है या संकेत कायम किये गये हैं, वे सब एक तरफ रखने पड़ेंगे तथा वर्तमान सामाजिक और राजकीय जीवन का स्वयं व संतुलितता नष्टप्राय होगी। हित सम्बन्ध केवल आर्थिक ही होते हैं ऐसी बात नहीं। उनका विभिन्न स्वरूप होता है जो कहीं स्पष्ट व कहीं अस्पष्ट रूप से विद्यमान होते हैं। निश्चित रूप से उंगली उठाकर उनका अस्तित्व यही पर है यह कहा नहीं जा सकता परन्तु वे ही ही नहीं ऐसा भी कोई कह नहीं सकता। तात्पर्य ये सत्ताधीन अंग्रेजी मौलिक बातों में परिवर्तन लाना चाहें तो लोकशाही राज्य के होते हुए भी वे नहीं ला सकेंगे। इसका कारण स्पष्ट ही है, स्वतंत्रता के नाम पर अगर बुनियादी व मूलभूत बातों के अन्दर परिवर्तन लाकर प्रस्थापित हितों के सम्बन्ध में कमी आती हो तो प्रयत्नों को दबाया जायेगा। समाज में धन की रक्षा के लिए फौट की तरह संविधान का उपयोग किया जाता है। वास्तव में संविधान की व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण संविधान पूर्णतया बदलना संभव होता है, परन्तु समाज के अन्दर विह्वल भावनाओं से प्रेरित होकर विद्वेष फैलाकर वह असंभव कर दिया जाता है। समाज में धर की हुई आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए जब वैध तरीकों को अनाकर योजना का सुभाव पेश किया जाता है, तब समाज पर उन्माद हो रहा है, ऐसा आक्रोश किया जाता है। वारिस या मृत्यु-कर मनुष्य को अपनी ह्वात में नहीं देने पड़ेंगे फिर भी जीते जी उसका विरोध किया जाता है। विषम समाज में सन्तुष्टि व योग्यता इनमें किसी प्रकार का कार्यकारण सम्बन्ध नहीं



होता। गुप्त में मिथा हुआ घोर बिना सोपना के प्रायः मन छोड़ने के लिए कोई संवार नहीं होता तथा जो प्रायः है उनसे य उम मन को मनाने के लिए हर कोई संवार रहता है। उनके मनाने के लिए भी मुक्तिपुत्र नामें संवार दिया जाता है। वास्तव में समाज का उदात्त समाज में होता है। समाज ही उसकी रक्षा करता है। निजी समाज का निर्माण भी समाज में ही होता है घोर सामाजिक राज्यस्थापना उसकी रक्षा करती है। जिसे हम व्यवस्थापन विचारण कहते हैं वह भी समाज की मापदण्ड पर ही आधारित है करना सामाजिक विषयता को दूर कर समाज दृष्ट करने के कार्य है, जिनके पास है उनमें केहर जिनके पास नहीं है उन्हे उगे देना धर्मो उन्हे उठे हुए लोगों को नीचे माना घोर जो गये पुढे है उसकी ऊपर उठाना तथा इन प्रकार समाज की धार्मिक भूमि को समान करना। इन समाज में समस्त सामाजिक भूमि हुई तो उगमें जिनके पास जम्हल में उगदा होना है उनका महत्त्व कम हो जाता है। घोर इन प्रकार समाज में धाम्पूनाप्रवर्धन लाने वाली कुछ योजनाएँ वैधानिक तरीकों में प्रमत्त में लाने का प्रयत्न किया गया तो उगमें धनक बाधाएँ लगी की जाती है। प्राने तिलाक धरर घट्टवन हो तो उगमें पधनियट्ट दूधमनगाली कहना व धरर स्वयं घट्टमत साथ हो, उगे सास्त्रोक्त लोकाही कहना इन प्रकार के ह्यम दिग्गई देने हैं। स्वतंत्रता के नाम पर विद्यमान विषयता को बाधन रचना ही इष्ट है ऐसा प्रतिपादन किया जाता है। वर्तमान विषयता से पीड़ित तथा उन्दिन लोग समाज के नाम पर परिवर्तन लाने में प्रयत्नशील होने हैं परन्तु कभी सात्त्विकतापुत्र निगाह से उनकी प्रवृत्ति न किया जाता है या कभी वास्तविक दृष्टिकोण से उगका विरोध किया जाता है। इन दोनों दृष्टियों में सामाजिक संस्था तथा धर्म का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकाही समाज में भी वैधानिक रास्ते में सामाजिक रचना में धाम्पूनाद परिवर्तन लाना सहज काम नहीं होता। भारत में मार्ग विषयक नीति निर्धारित होने के बावजूद भी पिछले दश वर्षों में कोई सास प्रगति नहीं हुई। कई राज्यों में भूमि-सम्बन्धी कानून की तरफ की चीटी की चाल की तरह धीम हो रही है। कई स्थानों पर जो कानून पास किये गये हैं उन्हें विधान बाह्य बनाकर कोटे की शरण ली जाती है। कुछ स्थानों पर दृष्टते को लिनके का सहारा इन लाने राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की पुरजोर माँग की जाती है। पिछले दश वर्षों की भारत की धार्मिक नीति के ऊपर धरर गौर किया जाय तो वह धनिक वर्ग की सुस रखते हुए निर्धारित की गई है, ऐसी उनकी धालोचना की जाती है, यह सर्वथा अयोग्य है ऐसा नहीं कह सकते।

संविधान की व्यवस्था के कारण धार्मिक रचना में परिवर्तन लाना कठिन है। समाज के लिए अक्षयप्राय विषयता को धरर रातम न किया गया तो भविष्य में समाज की क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना दुनिया की पूँजीप्रधान लोकाही की जनता को भली प्रकार से है। हिन्दुस्तान में लोकाही समाज सत्तावाद बनाये रखने का ध्येय भी संविधान में दिया गया है। देश के बहुमह्यक कांग्रेसियों ने उसे स्वीकार कर लिया है। समाजवादी तथा प्रजासोशलिस्ट पार्टी को भी यह मान्य है, हिन्दू सभा ने भी उसे धयनाया पर उसे हिन्दू-समाज सत्तावाद यह सत्ता दी है घोर इस भिन्न भिन्न नाम में भिन्न भिन्न माल चुनाव के बाजार में विक्री के लिए रखा जाता है, यह सत्य

है। आज या कल में कभी-न-कभी जनता समझदार होगी, जाँच-पड़ताल कर व परख कर माल खरीदे करेगी यह भी सच है परन्तु इस लोकशाही समाजवाद में लोकशाही समाजवाद के लिए उन्मुक्त सावित हो रही है या समाजवादी रूपी घोड़े के पैरों में लोकशाही रूपी वेड़ी पड़ी हुई है यह कहना मुश्किल है। लोकशाही के नाम पर हरेक बात पर लोकसभा में या विधान सभा में विधिवत् सब कुछ होना चाहिए, यत्किञ्चिन् भूल अगर हो जाती है तो कोर्ट का सहारा लेने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। आर्थिक ढाँचा बदलने के हेतु से पिछले बारह वर्षों में जो प्रयत्न लोकशाही तरीके से किये गये उसमें तर्क अधिक मंत्र कम ऐसा अनुभव हुआ। व्याकरण सही पर कई बार मन में यह आशंका उठती है कि लोकशाही की इस तान्त्रिक कविता में वास्तविक काव्य का निर्माण होगा या नहीं। अगर लोकशाही को एक तरफ रख देते हैं तो हिंसा को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि लोकशाही व हिंसा दोनों परस्पर विरोधी हैं। लोकमतात्मक शासन की माला पहनने के बाद मूँगफनी के दाने जैसी विशिष्ट छुराक ही खानी चाहिए अन्य कुछ खाना पाप होता है। लोकशाही के तरीकों से सफलता शीघ्र भी नहीं प्राप्त होती और सम्पूर्णतया मिलती भी नहीं है इसलिए अगर हिंसा को स्वीकार किया तो सफलता भी हासिल होगी तथा आर्थिक रचना भी समतापूर्ण बन सकेगी। लेकिन स्वतंत्रता की बलिबेदी पुर बलि चढ़ानी पड़ेगी तभी यह सच हो सकेगा। इस जटिल प्रसंग में क्या-क्या चाहिये इसका निर्णय सच्चे स्वतंत्रतावादी लोगों को लेना है। जो आज समता का विरोध करते हुए एक तरह से स्वतंत्रता की ही जड़ काट रहे हैं, उनके खिलाफ लोकशाही का एकमात्र हथियार है। मुक्तिवाद और युक्तिवाद से ही उनके मन में परिवर्तन लाना है। सब जनता के मन में समता की भावना तीव्र करनी है, संघटित करनी है और उसी से एक अहिंसात्मक परन्तु प्रभावात्मक शक्ति का निर्माण करना है। जो विजय हमें प्राप्त करनी है, वह हम बहुसंख्यक हैं इस नाने नहीं परन्तु न्याय, सत्य और युक्ति हमारी तरफ है इसलिए। जो स्वार्थ से ग्रन्थे हो गये हैं उन्हें रोतनी दिखानी है, और सच्चाई का साक्षात्कार कर दिखाना है। वह अपरिहार्य है इसलिए भी नहीं अपितु न मानने में अन्याय है, इस भावना के साथ उनमें मान्यता प्राप्त करनी है। लोकशाही में सत्य और युक्तिवाद की जय हो इसके लिए समाज में काफी प्रचार करना पड़ता है। गोनियों के बल पर प्रचार करना अनिष्टकारी है, मोठे शब्दों के युक्तिवाद से ही करना होना है। लाठी से मारपिट्टाई कर रास्ता निकालना नहीं बल्कि युक्तिवाद से लोगों को समझा-बुझाकर 'लोक यमुना' खुली-खुली से बहे, इसके लिए बाट निकलने ऐसी परिस्थिति को निर्माण करना पड़ता है। प्रचार का कार्य आसान नहीं तथा वह मुफ्त में भी नहीं किया जा सकता। जो सत्ताधीश होते हैं उनके पीछे सशस्त्री भागीवादात्मक बाहु फँसाकर खड़ी होती है। इसलिए उन्हें पैसों की कमी नहीं होती। क्रिया के कार्यकर्ता भी मिलते हैं परन्तु समता का दृढ़ संकल्प किसे हुए समाज में न्याय की स्थापना हो इसलिए हाथ में प्रयत्नों का कंगन बाँधने वाले हजारों श्याममूर्ति होते हैं। अन्त में उनकी कोशिशों से कुछ न कुछ मश अवश्य प्राप्त होता है। बाद-विवाद में कई बार दिमाग चकराने वाली बातें कही जाती हैं, परन्तु

दिमाग घात व सही रखकर जो काम करते हैं, वे ही सफल होते हैं। प्रचार-कार्य में उद्देश्यों का विपर्याय किया जाता है, व्यक्ति के चरित्र पर खींचे गये जाते हैं। पुजारी के व्यवहार से देवता बदनाम होता है ! कई बार समाज में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि इस आशीर्वाद और सपनों से किसी हठमत्तशाही को मंजूर कर लेना अधिक श्रेयस्कर है। परन्तु धीरे-धीरे इन सब मनोवृत्तियों का प्रबल सप्राम फल होना जाता है। दो प्रतिरैनी प्रचार के बीच का एक मध्यम मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और उम मार्ग को मान्यता भी प्राप्त होती है। अर्थात् यह स्वर यथावक नहीं होना, परन्तु होकर रहता है, यह सब सत्य है।

लोकशाही वातावरण किस प्रकार गरम हो जाता है और किस प्रकार ठंडा होता है यह ऊपर कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिचार इस वातावरण में ही जीवित रहता है और कार्यक्षम बना देता है। जिन चीजों का धार्मिक महत्त्व नहीं है, उनकी चर्चा तो लोकशाही समाज में हर समय चलती ही रहती है। परन्तु जब धार्मिक चर्चा का विषय बन जाते हैं, जब संपत्ति, उसका स्थायित्व, उसकी नैतिकता या उपयुक्तता के विषय में चर्चा छिड़ जाती है, उम समय वाद-विवाद को रण चढ़ना है। वर्ग हित की दृष्टि से फिर पक्ष स्पष्ट होने जाते हैं, इतना ही नहीं बल्कि वे आग्रही बनते हैं, जिद्दी बनते हैं व फिर समझदारी, विचार व युक्तिवाद इसको लो वेंते हैं। वही स्थिति युद्धकाल में दिखाई देती है। युद्धकालीन परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति शान्तिपूर्वक, युक्तिवाद से कुछ समझाने लगे तो उम देगदोही कहा जाता है। मंगुवत महाराष्ट्र आन्दोलन में किसी ने विवेकपूर्ण बात कही, उमे महाराष्ट्रदोही कहा गया। जबकि जिन्होंने मारी उमर सत्य को छुपा तक नहीं, सांख्यिक सीलवृत्ति से सदा दूर रहे, वे सब उस समय महाराष्ट्र के अनन्य भक्त बने हुए दिखाई दे रहे थे। तात्पर्य यह कि जहाँ वर्गनिष्ठ स्वार्थ का सम्बन्ध होता है वहाँ वाद-विवाद विज्ञेय का विषय बन जाता है। विचार-विनिमय से वहाँ मत-परिवर्तन होने के लिए कोई गु जाइस नहीं होती। फिर वहाँ जाने परवर को लकीर बन जानी है। उस स्थिति में सत्य या न्याय का विचार नहीं किया जाना। जो हम कहते हैं वही सही है ऐसा आग्रह किया जाता है और विवेक के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होना। यही स्थिति युद्धकाल में भी होती है। परन्तु युद्धकाल में देश की सुरक्षा की दृष्टि से विवेक को देने में सत्ताधीस लोभो को धोखा दिखाई देता है। सत्य व सत्ता इनका परस्पर विरोध हुआ तो व्यक्ति या वर्ग के मदमें में सत्य की शरण लेनी पडती है। परन्तु व्यक्ति या वर्ग सत्य को एक तरफ रखकर स्वार्थ की शरण लेते हैं। जब कभी प्रचलित हित-सम्बन्धो का विरोध करने वाले विचार या विवेकपूर्ण विचार समाज की मान्यता को प्राप्त होते हैं तब प्रचलित हित-सम्बन्धो के संरक्षक याने सत्ताधीस तत्काल सम्पूर्ण राज्य वश की सहायता लेकर इस प्रभावित होने जा रही विचार-धारा को कुण्ठित कर देते हैं। मिथ केन का इतिहास यही दर्शाता है। साम्यवादी विचारो को प्रकट करना यही मिथ के अपराधियों के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप था। एक विशिष्ट बात करनी चाहिये और कुछ विशिष्ट कार्यक्रम

होना चाहिए, इस प्रकार के कृति विरहित विचार भी आक्षेपास्प माने जाते हैं। विशिष्ट तत्त्वज्ञान पर भी आरोप लग सकता है यह बात मिश्र केश में भारत ने अनुभव की। आज हिन्दुस्तान में विचार स्वातंत्र्य है, इसलिए केवल विशिष्ट विचारों को मानना या विशिष्ट तत्त्वज्ञान का प्रदर्शन भयवा चर्चा करना चाहे वह समाज विरोधी क्यों न हो, अपराध नहीं माना जाता फिर भी कोई भी कार्यक्रम जो विद्यमान हित-सम्बन्धों से सम्बन्धित हो, उस विषय में खुली छूट है, दिना नहीं कह सकते। वास्तविक स्थिति ऐसी है कि विभिन्न घर्षों के कौन-कौन से तत्त्व हैं और उनमें क्या अजीब, नासमझपूर्ण खयाल है उन पर विचार करना शुरू करते ही सरकारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। नास्तिक विचार प्रतिपादन करने के लिए भारत में खुली छूट है। परन्तु हिन्दू देवी-देवता या अन्य धर्मार्थ लोगों के पवित्र स्थानों के विषय में कुछ भी आलोचना की गई तो कानून उसे नज़र अन्दाज कर देगा, परन्तु तत्सम्बन्धित सामाजिक भावनाएँ साठियाँ चलाकर अपना प्रभाव दिखायेंगी। मारांश राज्य सत्ता तथा सामाजिक शक्ति सदा ही प्रचलित हित सम्बन्धों की रक्षा के लिए तत्परता दिखाती है। धर्म या संस्कृति की अपेक्षा जहाँ सम्पत्ति का प्रश्न हो, वहाँ यह तत्परता तत्कालिक हृदयों का रूप ग्रहण कर लेती है। समाज के अन्दर समता प्रस्थापित करनी क्योंकि उसके बिना स्वातंत्र्य अधूरा है और आर्थिक समता कायम करने में सबसे अधिक विरोध सहना पड़ता है। आर्थिक विषमता तथा समाज के लिए आवश्यक हितैष्य इनका अधिक काल तक एक साथ रहना असम्भव है। जहाँ आर्थिक हितैष्य न हो वहाँ अन्य क्षेत्र में भी सच्चा हितैष्य निर्माण करना नहीं हो सकता। मालाबार हिल पर रहने वालों में तथा परत की बिल्डिंग में रहने वालों में तिनाय ऊपर के आसमान के और कोई समानता नहीं होती। मनुष्य के विचार आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही बनते हैं। समाज के ऊपर के दम व नीचे के नब्बे इनमें जो एक तरह की मानसिक शान्ति होनी चाहिये, उसे मजबूत करने के लिये समान दृष्टिकोण नहीं होता इसलिए वह सामाजिक शान्ति स्थापित नहीं हो पाती। विषमता के कारण सामाजिक विचारों में व व्यवहार में विकृति उत्पन्न होती है। विद्वेष उत्पन्न होता है। कुछ सहूलियतों बाद में दी जाती हैं। जो चाहिए नहीं होता उसे दान में दिया जाता है। अपरिहार्य लाचारी स्थिति में जो छोड़ना भी पड़ता है, वह भी सन्तोष के साथ नहीं छोड़ा जाता है और जो दान सद्बुद्धि से नहीं होता और जिसमें घुड़ हेतु नहीं होता सद्भावना का आविष्कार नहीं होता है। उस दान से सन्तोष के गुब्बज में घृणा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार सम्पत्तिशाली वर्ग से जो लिया जाता है उसमें न सन्तोष का भाव होता है न कृतज्ञता के लिये कोई स्थान ही। समता समाज में लानी है तो स्वतंत्रता को सम्भाल जरूरी होनी चाहिए और स्वतंत्रता और समता इन दोनों को ही निश्चिन्त करना है तो तत्सम्बन्धित राज्य-व्यवस्था का लोकताही स्वरूप होना आवश्यक है। लोकताही नहीं होगा तो समता निर्माण नहीं होगी और समता नहीं होगी तो लोकताही भी हितकर नहीं होगी।

लोकताही का प्रमुख लक्षण यह है कि उसमें हर व्यक्ति को मुक्त भोगने का, प्रकृत जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इस अधिकार में समानता स्थान का कार्य

राजकीय कानून के प्रतिरिक्त सामाजिक गंस्या तथा गंजेत द्वारा भी होना चाहिए । समाज के अन्दर अग्रर आपिक विपमता होगी तो सामाजिक गंस्या घोर गंजेत भी उस विपमता के भाव को बढ़ावा देने वाले होते हैं । साधिक विपमता के कारण महज ही जिनके पास धन की बमी होती है उन्हें गुप्त प्राप्ति के साधन बम गुनभ होने हैं और जिनके पास धन सम्पत्ति तथा पैसे की कमी नहीं होती उन्हें गुप्त भोगने के साधन उपलब्ध होने हैं । विपम समाज में व्यक्ति की माँगों को न्याय की कमीटी पर नहीं परगा जाता । समाज में जो उत्पादन होता है वह वास्तविक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नहीं बल्कि माँग के अनुसार समरण यह अर्थशास्त्र का नियम यहाँ लागू होता है । सही अर्थ में माँग बढ़ी होती है, जिनके पीछे क्रयमान हो, वही माँग प्रभावमय होती है । दरिद्री लोगों के मन में लाखों इच्छाएँ होती हैं फिर भी उनकी इच्छानुसार वस्तुओं का उत्पादन समाज में नहीं किया जाता । जो चाहिए उनको सरीदने के लिए अग्रर आपके पाम चाहे जितना हो सो समाज की अर्थव्यवस्था आपके उस माँग को पूरा करेगी अन्यथा नहीं । माँग व उनका संभरण इनका हम प्रकार सम्बन्ध होने के कारण उनमें सामाजिक न्याय का विचार नहीं किया जाता । इसी प्रकार सामाजिक हेतु और प्रयोजन इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता । जहाँ और जिस मात्रा में आधिक-शक्ति या क्रय-शक्ति होगी उमी मात्रा में उत्पादन होगा । इनका सीधा अर्थ यही निकलता है कि जिनके पाम पैसा है, धन है वही व्यक्ति उत्पादन के चौबरी बन जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अरना चौबरी बन दिखाने हैं । सभी समाज में विपमता के विविध हृदय दिखाई देने हैं । राजशाही असोक होटल के साथ ही गंदी भोंपड़ियाँ उमी मूर्ध प्रकाश के नीचे बसी हुई दिखाई देती हैं । सजी हुई इमारतों के बाजू में ही गंदे टीन की कतरन तथा लकड़ी के फरों के साथ बनाई हुई झुग्गियाँ नजर आती हैं । हर सामाजिक क्षेत्र में जिनके पास धन है उनके लिये ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग खुले हुए होने हैं । सामाजिक प्रतिष्ठा के मडप में उनका प्रवेश सहज होता है । न किये हुए कर्तृत्व का श्रेय भी उन्हें बहाल किया जाता है । औरों द्वारा रचित काव्य कृतियाँ या कला कृतियाँ उनके नाम पर प्रकाशित की जाती हैं या उन्हें पुरस्कृत कर उनके लिए सरस्वती के मन्दिर में अर्जित प्रवेश को मुनभ कर दिया जाता है । इस स्थिति में जो निर्धन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके मन अधिक समय तक स्थितप्रज्ञावस्था में नहीं रह सकते । समाज में प्रचलित अन्याय से उनके मन में चिड पैदा होती है । उस चिड में क्रोध और क्रोध के कारण उनके विचार तीव्र गति से क्रान्ति की ओर झुकने जाते हैं । समाज में प्रचलित यह अन्याय अनैतिक है, सो तो स्पष्ट दिखाई देता है । प्रयत्न और सफलता इनमें पारस्परिक कार्यकारण भाव न होने के कारण परमात्मा या सुदैव इनसे भी मुकाबला करने के लिए खुले हुए मन तैयार हो जाने हैं । जिन तत्त्वों पर समाज आधारित है यह कहा जाता है कि उन्हीं तत्त्वों को फिर खुले अर्थ अमान्य किया जाता है । आज तक जिन देवताओं की पूजा होती या की जाती थी, वे सब झूठे हैं, इसका साधारकार जनता को होने लगता है । प्रतिष्ठा के सिक्के जय बजाये जाते हैं सब वे खरे नहीं हैं, इसका अनुभव आता है । केवल मात्र सिक्कों से फिर मूल्यांकन नहीं किया जाता । तात्पर्य से प्रचलित समाज व्यवस्था की नीव फिर डोबाडोल हो जाती क्योंकि

उसकी जड़ हिलाई जाती है। तब स्वतंत्रता की लाल मा से प्रेरित जनता को समता के बिना सच्चा स्वातंत्र्य नहीं यह तथ्य प्रकट हो जाता है और समता प्रस्थापनार्थ किये जाने वाले प्रयत्नों में वह अधिकाधिक योग देती है। लोकशाही का आन्दोलन वस्तुतः समता स्थापन करने का आन्दोलन होता है, यही दृष्टिकोण १९वीं शताब्दी के अनेक राज्य-शास्त्र विचारदो ने रखा है। उनकी विचारधारा से ग्राम तौर पर यह जाहिर होता है कि जिस समाज में कुछ लोग धनशाली व सत्ताधीश व कुछ निर्धन तथा दुर्बल होते हैं, वहाँ वही निर्बल और निर्धन जनता विफलता और विमनस्कता की शिकार बन जाती है। बहुसंख्यक जनता की इस उदासीनता तथा विफलता की भावना से बहुत-सी सामाजिक शक्ति और कर्तव्य का ह्रास होता है, क्योंकि उनकी योग्यता और कर्तव्य शक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, न मौका दिया जाता है, इसलिए उनकी योग्यता और कर्तव्य सूचितावस्था में ही पड़ा रहता है। जिनके हाथ में सत्ता है, ऐसे इनेगिने व्यक्ति अपना प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर डालते हैं और उनकी इच्छाएँ प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। उनकी राय सामाजिक राय समझी जाती है और बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा की जाती है। जो अल्पसंख्यक सत्ताधीश होते हैं वे स्वयं मान्यताशील होते ही हैं परन्तु उस सीमित गुट में अन्य लोगों को न माने देने का, उनका प्रयत्न रहता है फिर उनका यह गुट जन्म पर, सम्पत्ति पर, संस्कृति पर अथवा सम्प्रदाय पर आधारित हो, उन सब में यह लक्षण समान रूप से दिखाई देता है। जो अपने गुट की पैदाइश न हो उसको वे स्वीकार नहीं करते। उनकी भाव मनुष्य में अन्य विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता और न ही अन्य आदर्श वहाँ जा सकते हैं। कोई नये आदर्शों का या नये विचारों का तीव्रता से प्रतिपादन करने जंग तो उसे समाज के लिये भयानक और विद्रोही माना जाता है। अगर वही बातें वह मुक्तिवाद से पेश करे तो उनकी महत्त्व नहीं दिया जाता, इसका कारण उनकी वर्गनिष्ठ दृष्टि और वर्गश्रेष्ठत्व का अभिमान ही है। जनमाधारण में जो वचित हैं, दरिद्री और असहाय हैं, उनकी ओर वे न्याय देने की वृद्धि से नहीं देखते और जो कुछ थोड़ी-बहुत उदारता दिखाते हैं, उसमें वर्गनिष्ठ अभिमान ही बू होनी है। दिया हुआ दान के रूप में स्मृत दिखावे के लिए होता है। यह दिखावा सस्था को दान का नाम देकर दिया जाता है या शिलाभ्यास के पत्थर पर अरना नाम खुदवा कर दिया गया हो, वर्गश्रेष्ठत्व की भावना इतनी तेज होती है कि समाज के राज-मार्ग पर वह मोटे-मोटे हरफों में लिखकर प्रकट की जाती है। बहुजन समाज जब अपना विरोध करता है, उस समय उनके वर्गीय महंकार को टेम पहुँचती है और उग्र समय प्राप्य परिस्थिति में से विवेकपूर्ण मार्ग ढूँढ़ना मुश्किल हो जाता है।

विपक्ष समाज में जो सम्प्रतिशाली होने है, वे अपने हित-सम्बन्धों के क्षेत्र में ही अपने विचारों के घोड़े दौड़ाते हैं। बहुसंख्यक दरिद्री समाज को दवाने में और शुद्ध समझने से जो प्रतिक्रिया होती है, वही अन्त में जाकर इस श्रेष्ठ श्रेणी के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। अपने ही मनसूबों में मग्न हो जाने के कारण बदबने हुए समाज का परिणाम पहले उनके ध्यान में नहीं आता और अपने के बाद दीर्घ दृष्टि से सोच-विचार कर बदम ठठाने की क्षमता भी उनमें नहीं होती। इसके विपरीत जो दरिद्री हैं, उनमें धीरे-धीरे वर्ग-भावना

है। शुभ्र मे अज्ञानवश तथा गंगठन के अभाय में उन्हें नया चाहिए, यह वे स्वयं बता नहीं सकते। दीर्घ काल तक एक विनिष्ट मनोवृत्ति में जीवन व्यतीत करने के कारण इस अगघटित यगं मे हिम्मत नहीं दिगार्ई देनी, आत्मविश्रवा का मोप हुआ होता है, फिर धीरे-धीरे जन गगठन वी शुभ्रगान होती है। उग गमय उनमें जो श्रोथ या ड्रेप उत्पन्न होता है, उगे वय, वंगे और निम के विश्द प्रदगित करें, यह उनकी समझ में नहीं आता। एक अर्थ मे गमाज का प्रभावशाली श्रेष्ठ यगं इग बहु-मस्थक बहुजन समाज के चरित्र तथा नील को कुण्टन भी कर देता है। उनके अन्दर समायी हुई जिम्मेवारी की भावनाओ को कुचल देता है। सम्पत्ति से तो उन्हें दूर रग्या ही जाता है। परन्तु श्रेष्ठ मानसिक धन से भी उन्हें विमुग विद्या जाता है। इसका परिणाम यह दिगार्ई देता है कि बहुजन समाज, जो उसे अप्रिय हैं उन्हें तोड-फोडकर-उखाडकर फेंक देता है और अपने आपको व्यक्त कर देता है। उनमें रचनात्मक या विधायक प्रवृत्ति दिगार्ई नहीं देती। बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय क्षेत्र में गघटित तरीके से अपना वनृत्व दिखाने का और विधायक कार्य करने का अवसर न मिलने के कारण अज जो वे प्रयत्न करते हैं, उनका स्वरूप अधिकतर विध्वंसक अथवा विघटनात्मक ही होता है। छोटे-छोटे सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलते रहने से समाज के अन्दर की विधायक प्रवृत्तियो को चालना मिलती है। आर्थिक क्षेत्र में या स्थानीय स्वराज्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो डिग्री की मोहर नया हुआ ज्ञान न होते हुए भी कई व्यक्ति प्रभाव-शाली कार्य दिखाने हैं, परन्तु ऐसे अवसर समता न होने पर कम ही मिलते हैं! व्यक्ति को अपना कर्तृत्व, अपने अन्दर छिपी हुई योग्यता और भव्यता दिखाने की गु जाइश नहीं होती। केवल धन से ही अपनी श्रेष्ठता दिगारकर सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को बढावा देकर औरों को अवसर देने से इनकार किया जाता है। हर स्थान में कार्य में बढावा मिलने के कारण सहज ही ऊँची श्रेणी के लोगो की बुद्धिगता चमक जाती है और कार्य भी उज्ज्वल दिगार्ई देता है। देश का वास्तविक और सच्चा धन उसके बुद्धिमान् तथा कर्तृत्ववान नागरिक है। राष्ट्र की वास्तविक रक्षा, तेज हथियार अथवा एक क्षण में भस्म कर देने वाले वम नहीं कर सकते। वल्कि नागरिको के अन्दर का धैर्य और उनके अन्दर विद्यमान वेधडक साहस से ही राष्ट्र का सही रक्षण होता है देश की सच्ची पगति दो-चार शास्यज अथवा दस पाँच उद्योगपतियो के कर्तृत्व पर निर्भर नहीं करती परन्तु आम जनता के ज्ञान का सार तथा सामान्य नागरिको की उपक्रमशीलता और प्रयत्नपरायणता इनपर निर्भर है। इसलिए बहुमस्थक जनता जितना ज्ञान प्राप्त करेगी और अपना कर्तृत्व दिखानेगी उतना ही राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है। जिस देश को कर्तृत्व की आवश्यकता होती है, दुर्दान्दचयी नागरिको की भी जरूरत होती है। उस समय वह गरज पूरी हो जाती है। हिन्दू समाज को चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार बाँट कर उसके एक चौथाई अग को दुर्बल वपो बना दिया गया था, इसका रहस्य समझना चाहिए। जब थोडे से लोगो के हाथ में सम्पत्ति और तदनुसार सत्ता होगी तो ये ही कुछ लोग आम जनता के महत्वपूर्ण काम करेंगे। तब इने-गिने लोगो की इच्छा ही जनता की इच्छा मानी जाती है। समाज में विद्यमान सम्पत्ति के निर्माण के साधन इस तरीके से बरते जाते

है कि उससे जो सम्पत्तिशाली वर्ग है, उनके मुक्त और बंभव में अधिक वृद्धि होती है और अन्य जनता बुद्धि, साधन, धन और हिम्मत में हीन बन जाती है। इससे राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रभावशाली राष्ट्र अर्थात् जिनमें धाम जनता प्रबल और प्रभावित हो ऐसा नहीं हो पाता।

श्रेष्ठ वर्ग सम्पत्ति के कारण सत्ताधीन बन जाता है और सत्ताधीन होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस राष्ट्र में यह वर्ग बड़ा बहुत भी प्रगतिशील रहा अथवा उसकी दृष्टि जग भी जनताभिमुख रही तो वहाँ वह अधिक काल तक प्रभावशाली रहा ऐसा प्रायः देखने में आया है। परन्तु जहाँ इस वर्ग ने अहंकारी और स्वार्थलोलुप बन सब धुप-साधनों की पूजा अपनी ही जब में रखी कि वहाँ उसका पतन जब कभी हुआ वह कल्पनातीत हुआ है। जिस प्रकार मकान की आयु बढ़ाने के लिए सब को समयानुसार मरम्मत करनी चाहिए या हथियार काम देते रहें इसलिए उन्हें बदल-बदल करने पड़ते हैं अथवा फल अन्धी आवे इसके लिए धीरे धीरे चुनकर लेते पड़ते हैं, उसी प्रकार का कार्य समाज में भी रखना हो तो जिन कारणों से यह वर्चस्व कायम हुआ उन कारणों का हमेशा बने रहना जरूरी है तथा समयानुसार उनमें कुछ परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। व्यक्तिगत गुण दोष वग-परम्परा पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति के आदर्श तथा जीवन मूल्य में कुल-परम्परा का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वही नियम विशिष्ट वर्ग को भी लागू होता है। विशिष्ट वर्ग के जीवन विषयक कुछ मूल्य होते हैं। परम्पराएँ भी होती हैं और कुछ भावनाएँ भी। इन सब की सार-सम्भाल या परिवर्धन नहीं हुआ तो उस श्रेणी का पतन होने लगता है। व्यक्ति को जिन प्रकार अपना स्वयं का कुछ मौलिक वैशिष्ट्य डालकर पुराने मानसिक आभूषणों को चमकाना पड़ता है, इसी प्रकार वर्ग का भी होता है। व्यक्ति को विद्या परम्परानुक्रम से आयेगी ही यह जरूरी नहीं है, वही बात वर्ग के लिए भी लागू होंगी है। कभी किसी समय दिखाए हुए पराक्रम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाए जायेंगे यह जरूरी नहीं है। इसलिए उनका महत्त्व घटता जाता है। विद्या, विक्रम तथा चारित्र्य यह किसी एक वर्ग की अपनी भित्तिगत नहीं होती। वगपरम्परागत वह चलती ही रहेगी यह भी सच नहीं है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ इनमें वह शीघ्रता से ही दशप्रथी बन जाता है या कभी दशप्रथी अरुण बनेगा ही ऐसा अनुभव नहीं है। समरागण में तलवार चलाकर अपना रण-कीर्ण दिखाने वाले लोगों के बच्चों में साधारण धर्म की भी कमी दिखाई देती है। क्षत्रिय कुल में पैदा होने से हर कोई भीम या अर्जुन बन जाय यह जरूरी नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वर्ण व्यवस्था में भी परम्परागत ज्ञान और पराक्रम का वारसा कायम रहे, यह जरूरी नहीं। चारित्र्य तथा शील का ज्ञान, जाति अथवा जन्म इनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। जिस प्रकार संत किसी भी कुल में पैदा हो सकते हैं उसी प्रकार चरित्र-वान् और शीलवान् का भी है। ज्ञान और पराक्रम के बारे में भी यही है। समाज में भ्रमर मिलने से कई प्यादों से फर्जी बन जाते हैं। भेड़ बकरी चराने वाले राज-कर्ता बन गये हैं और जितनी अपनी सही तरफ करनी नहीं आती है, वे करोड़ों रुपयों का लेनदेन करने वाले कारखानेशर बन गये हैं। उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों में ऐसी





दिखाई देने लगे कि वहाँ भी पराक्रम के क्षेत्र निर्माण हो जाते हैं। नये विचारों के, नये आदर्शों के दित्तिन समाज के सामने दिखाई देने लगते हैं।

जैसे-जैसे सत्ताहीन तथा उपेक्षित जनता में अन्धाय की भावना तीव्र होती जाती है वैसे-वैसे उम भावना का आविष्कार स्फोटक रूप धारण करने लगता है। धीरे-धीरे जनता की माँगों का स्वरूप केवल निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने तक या निश्चित अन्धाय को दूर करवाने तक ही सीमित नहीं रह पाता। जिन कारणों से यह अन्धाय या विषमता उत्पन्न हुई ऐसा वे अनुभव करते हैं, उन्ही कारणों को अर्थात् सामाजिक रचना को ही बदलना जरूरी है यह प्रतिपादन किया जाता है। अब उनकी माँगों की ओर उपेक्षा वृत्ति से देखा जाना या उनका हीन दृष्टि से निर्देशन करना आदि परिस्थिति बदल जाती है। गत्ताधीन तथा प्रभावशाली वर्ग अब डगमगा जाता है। पुरानी घोषणाएँ अर्थशून्य सी वे अनुभव करते हैं। उसी वर्ग द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को भी जनता भूल जाती है तथा उनके वे कार्य ईम नदारी पूर्ण थे यह भी मानने को तैयार नहीं होती। ऊपर से इस वर्ग के सम्बन्ध में जो परम्परागत आदर की भावना होती है वह भी नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बौद्धिक चतुराई दिखाने पुराने माल को नये का रूप देकर उसे बाजार में खपाने का कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, जनता उस धोखे में नहीं आ पाती। जो अविश्वास पैदा होता है, वह सम्पूर्ण वर्गगत होने के कारण उसके लिए अस्वाभाविकता व्यक्ति को भी सबके साथ ही लपेट लिया जाता है। पराभूत हुआ सत्ताधीन व सम्पत्तिशाली वर्ग अपनी हार से अनुभव लेकर समझ से भागे का रास्ता पार करते हैं। यह सब अचानक होता है। परिस्थिति के अनुसार चलकर निभाने की वृत्ति उच्च श्रेणी में आम तौर पर नहीं दिखाई देती। जिस देश के उच्चवर्ग में परिस्थिति के अनुसार अपने आपको मोड़ने का स्वभाव हो वहाँ उस वर्ग की राजसिंहासन से हटने पर भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा तथा महत्त्व बना रहता है। व्यक्ति हो चाहे वर्ग हो अगर वह समाज में साथ निभाकर नहीं चलता है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। क्रिबहुना, बाल प्रवाह के साथ उसके पैरों तले की रेत खिसक जाती है व थोड़े समय के लिए वह न तैर सकता है न ही डब सकता है। इयर से उन्नत लुडकने वाली विश्वकुसी उसकी स्थिति बन जाती है। समय को पहचानकर किस समय क्या व कैसे सम्भव है इमको ध्यान में रखकर उसके अनुसार व्यवहार शासन को ही राजनीति कहते हैं। अभिमान के कारण कुछ व्यक्ति परिस्थिति के साथ बनाकर काम नहीं लेते और कुछ व्यक्ति अज्ञानवश उसे समझ नहीं सकते इसलिए कई बार गाड़ी छूटने के बाद प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जाय वैसे ही स्थिति इस वर्ग के लोगों की बन जाती है। हिन्दुस्तान के सनातनधर्मीय लोगों की ऐसी ही स्थिति है। हिन्दू पक्ष की भी आज के भारतीय तथा महाराष्ट्रीय राजकारण में वही स्थिति बनी हुई है। उनका पुराना सिक्का राजनीति के क्षेत्र में कोई स्वीकार नहीं करता है। उनका जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित तत्त्वज्ञान आज के युग में किसी को जँचता नहीं है। तात्कालिक भावनाओं का फायदा उठाकर कमी बीच-बचाव कर भी लिया तो भी अज्ञानाकृत प्रतिष्ठा मिली हुई नजर नहीं आती। दुनिया की परिस्थिति का परिवर्तन, नयी आर्थिक रचना सम्बन्धी प्रभाव से हुआ सिद्ध तत्त्व-

ज्ञान, दुनिया में हुई ज्ञान्ति इन सब का महत्त्व जिन पक्षों ने पहचाना नहीं वे पक्ष समाज में टिक नहीं सकते। समाज सत्तावादी तत्त्वज्ञान का ही दुनिया में चालू सिक्का है। उसकी पूँज काज संसार के बन-जगलों में गुनाई देने लगी है, इसलिए हिन्दू समाज सत्तावाद नाम का एक नया वाद भारतीय जनता के सम्मुख आया। पिछले पचास वर्षों में उसे प्रगतिमय पक्ष कहते थे। यह पक्ष भी बहुजन समाज के अन्तर्करण को नहीं पहचान पाया। काज प्रगतिमय पक्ष का नाम भी भारतीय राज-कारण में दोष नहीं रहा। तात्पर्य, नई दुनिया में बहुजन समाज पूर्णरूप से जाग्रत हो गया है। वह हर स्थान पर सत्ता काजू कर रहा है। बहुजन समाज अब 'शापाम् बस्यात् लवणो न भव्यात्' इस प्रकार की साधारण सूलियतों से घुस नहीं हो सकता। उत्पादन क्षेत्र में अब केवल अधिक से अधिक वेतन इतनी ही माँग नहीं रही। मजदूर अब मिलिकृत चाहते हैं। बहुजन समाज की माँग व्यक्ति के लिए योग्य न्याय प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रही, उसे अब सत्ता में हिस्सा चाहिए और वह उस सत्ता में अपना अधिकार जताना चाहते हैं। बहुजन समाज ने याने थमी समाज ने अब सत्ता को पहचान लिया है। राजनीति में अब उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि भविष्य में उनकी मनोती की जायेगी, उनकी आरती उतारी जायेगी। बहुजन समाज में अब रागण के कारण अर्थन्य निर्माण हो गया है। औद्योगिक ज्ञान्ति के कारण व्यक्ति को उत्पादन पत्र का एक हिस्सा मानने लगे थे। वह परिस्थिति अब नहीं रही। उत्पादन सृष्टि में अब उसका महत्त्व बढ गया है। हितैक्य के कारण हजारों व्यक्ति काज एक साथ आते हैं व अपने हितों के सम्बन्ध में सघटन द्वारा रक्षा करते आये हैं। जिस व्यवसाय में जो व्यक्ति काज काम कर रहे हैं, उस व्यवसाय का काज वे एक महत्त्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। रेलवे मजदूर, पोस्ट वाले इस प्रकार की व्यावसायिक भावना काज के समाज में सर्वत्र दिखाई देती है। इसलिए काजकल की इस नई दुनिया में इस बदली हुई परिस्थिति का विचार करना चाहिए। राजकीय क्षेत्र में प्राप्त स्वातन्त्र्य को अर्थपूर्ण करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में भी उसका होना जरूरी है और वहाँ उसको सार्थक होने के लिए समता का लाना आवश्यक है। अतः लोकशाही, अगर एक क्षेत्र में अधिकार सारे संसार को दिया जाता है, तब सामाजिक सत्य की दृष्टि से भी सब समान होना ही चाहिए। इस विचार का निर्माण होता है व उस विचार में से ही राजकीय क्षेत्र में स्वातन्त्र्य समता की दृष्टि से महत्त्व का है। और इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र में भी स्वातन्त्र्य उसी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस तथ्य को जो पक्ष नहीं पहचानेगा वह पक्ष प्राधुनिक युग में प्रभावशाली नहीं हो सकेगा। कुछ ऐतिहासिक कारणों से कई देशों में धनी वर्ग ने बस-परम्परागत सत्ता को अर्थात् करने के लिए बहुजन समाज की सहायता ली। परन्तु उनकी सहायता से स्वातन्त्र्य प्राप्ति हुई इसका भान होते ही उन्होंने अपनी मदद की कीमत माँगी शुरू कर दी। फल तोड़ने के लिए कन्धे पर चढ़ाया हुआ बूटा; फल तोड़ने के बाद फिर नीचे उतरने के लिए राजी

ही न हो कुछ ऐसी ही परिस्थिति कई पाश्चात्य राष्ट्रों में हो गई। राजकीय स्वतन्त्रता तथा समता के लिए बहुजन समाज को साथ लेकर सत्ताधीन वर्ग और उत्पादक वर्ग के विरुद्ध मध्यम श्रेणी ने लड़ाई की। उस लड़ाई के परिणाम तथा उस लड़ाई का यद्यत् राजकीय क्षेत्र तक ही सीमित करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु जब एक बार राजादी का वायु-मण्डल निर्माण हो जाता है तब यह जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है, यही अनुभव इंग्लैंड तथा अन्य राष्ट्रों में प्राया है। समता की भाँव सब धार्मिक क्षेत्रों में होने लगी व पिछले पचास वर्षों में लोकशाही द्वारा राजकीय क्षेत्र में चालू किया हुआ आन्दोलन धार्मिक क्षेत्र तक चला गया। साम्यवादी देशों में अब प्रायः धार्मिक क्षेत्र के अन्दर भी समता प्रस्थापित हो गई है। यत्कि सब उत्पादन पर जनता को अधिकार हो यह तत्त्वज्ञान वहाँ कार्यप्रवण हो गया है। जहाँ साम्यवाद नहीं है परन्तु लोकशाही है वहाँ भी मजदूरों के हित कल्याणार्थ मजदूरों के लिए पिछले ५० वर्षों में जो कानून-कानून बने हैं, उन सबका उद्देश्य धार्मिक विषमता को मिटाने का है। यद्यत् साम्यवादी कई कानून-कानून बनाने के बावजूद भी उन देशों में मन्तोपमय धार्मिक समता कायम न हो सकी, इसलिए मजदूर वर्ग अभी भी सन्तुष्ट नहीं है। वे अब निश्चित रूप से मानिक बनना चाहते हैं व जो उद्योग-धर्मों के मालिक हैं वे अपने स्वायत्त के हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब सघटित मजदूर समस्याओं ने अब सब उद्योग-धर्मों का राष्ट्रीयकरण ही अपना ध्येय निश्चिन कर लिया है। उस ध्येय को माध्य करने के लिए लोकशाही का ही एतन्मात्र मार्ग है। इस तथ्य को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अर्थात् आज जो व्यक्तिगत पूँजीवादी हैं व जिनके पास अपनी मिल्किटन है ऐसा वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में जो लोग समता तथा स्वतन्त्रता की जयत्रयकार करने थे वही उद्योगपति, वही पूँजीवादी आज भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। जब तक उनके स्वार्थ को धौच नहीं पड़ेवती तब तक राजनीतिक स्वतन्त्र्य का आदर्श उन्हें स्वागतार्थ मानूम होता है। धार्मिक क्षेत्र में विषमता बनी रहे इसी दाँत पर राजकीय क्षेत्र में समता तथा स्वातन्त्र्य का पुरस्कार उन्होंने किया था ऐसा लगता है। स्वातन्त्र्य का सही अर्थ इस वर्ग की समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। उन्हें यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि मजदूरों को उत्पादन पद्धति तथा उत्पादन व्यवस्था में योग्य स्थान न देने में औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति प्रस्थापित नहीं हो सकती। सम्पत्ति निर्माण अर्थात् उत्पादन व्यवस्था में मजदूरों का स्थान इतना महत्त्वपूर्ण है कि इनका महामोग न मिलने पर या उन्हें अमनुष्ट रखकर उत्पादन नहीं हो सकेगा। कम-से-कम यह उत्पादन फायदेमन्द नहीं होगा यह बात अब स्पष्ट है। इसलिए मालिक वर्ग को नये जमाने के साथ निभा लेना चाहिए। अब केवल राजकीय समता सूचक गांधी टोपी पहनकर काम नहीं बनेगा। जो कुछ वे प्राप्त करेंगे, मजदूरों के श्रम के बल पर तथा उनकी सहायता से ही। इसलिए मजदूरों को उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। केवल इसलिए कि मालिक वर्ग वर्तमान शरकारी पक्ष का है व मजदूर संघटन भी उसी पक्ष का है इसलिए उनमें द्वैतव्य हो यह जरूरी नहीं है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा विभिन्न वर्गों पर किण्व प्रसार हुई यह देगना अत्यन्त मनोरञ्जक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जिन्होंने प्रयत्न किए उन्हें अगर हम वर्गों की दृष्टि में देखें, उनमें उच्च वर्गों के लोगों का प्राधान्य दिखाई देगा। स्वातन्त्र्य प्राप्ति के प्रयत्नों का नेतृत्व निश्चय रूप से मध्यम वर्गीय था। धनिक वर्गों तथा मरहूदादी वर्गों को मध्यम वर्गों मरदा करने निश्चय मालूम देना है। राष्ट्रीय समाज यद्यपि देश के लिए सड़नी थी फिर भी उगना अन्तर्गत स्वरूप पूर्णतया बहुजन हिताय बहुजन गुणाय था, ऐसा कहना मुश्किल ही है। राष्ट्रीय समाज की तात्त्विक पारदर्शिता समाजसत्तावाद के प्रतिष्ठान नहीं थी परन्तु समाज सत्तावाद का स्पष्ट पुनर्गठन उगम नहीं था इसलिए स्वातन्त्र्य प्राप्ति के पहले पहर में मध्यम वर्गों तथा धनी वर्गों द्वारा गता ग्रहण करने के बाद समाजसत्तावाद का अन्त हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन में आम जनता ने हिस्सा लिया था, संघटित मजदूर-गण की महानुभूति थी, य ममयानुसार मजदूर-गण भी उसमें शामिल होते रहे थे। परन्तु आजादी की लालगा सम्पूर्ण समाज में थी य सम्पूर्ण समाज वह चाहता था। लडाई का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था इसलिए गम्ता "जानबुल" ने कांग्रेस को सत्ता हस्तान्तरित की। राष्ट्रीय समाज के नेतृत्व में स्वातन्त्र्यप्राप्ति एक सामान्यतः विचारों की एकता थी। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वतन्त्रता के अर्थ सम्बन्ध में तथा उगके यथार्थ करने के विषय में आन्त में तात्त्विक मतभेद उत्पन्न हुए यह सर्वविदित ही है। कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ ज्ञान-युक्त श्रद्धा के साथ समाज सत्तावादी विचार रखने वाले व्यक्ति थे तो कुछ ऐसे भी थे जो पुरानी अर्थव्यवस्था के विषय में अधिक चिन्तितमा प्रिना किए उत्पादन बड़ाकर देश को समृद्ध करना चाहते, बँटवारे का प्रश्न उतना महत्त्व का नहीं, ऐसा मानने वाले थे। जहाँ कुछ व्यक्तियों का कहना था कि समाज सत्तावाद की स्थापना करने की दृष्टि से सत्ता का उपयोग किया जाना चाहिए, उनमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, वहाँ 'धीरे गाडी हाँक रे मेरे जवाहर लाल रे', ऐसी मलाह देने वाले भी कुछ मौजूद थे। राजनीय विचारों की एक गुदडी कांग्रेस ने निर्माण की थी य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि निश्चय कार्य करना असम्भव हो गया। प्रचलित समाज का स्वरूप बदलता है और उस विषय में कुछ नियोजन करना जरूरी है यह विचार भी कइयों के मस्तिष्क में नहीं आता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी यदि अन्नादि दारिद्र्य जारी रहे तो वह आजादी मिलकर भी बेकार साबित होगी ऐसी आशका कइयों के मन में आती थी और उनकी वह शका सही भी थी। धार्मिकवर्गों ने राज्यसत्ता को छोड़कर समाजसत्तावादी विचारों का विरोध करना शुरू-शुरू में पसन्द नहीं किया। कांग्रेस में रहकर ही समाजसत्तावाद को और जोर से अप्रसर होने वाले रथ की गतिविधि कम करने में या सम्भव हुआ तो उसे रोक रखने के इरादे से भारत के पूँजीवादियों ने कुछ वर्ष प्रयत्न किए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषण स्वातन्त्र्य होने के कारण अतिरेकी विचारधारा समाज के सम्मुख आने लगी। परिणामस्वरूप समाज सत्तावादी विचार-प्रवाह समाज में जोरों के साथ बढ़ने लगा। एक तरफ पूँजीवाद अपने तरीके से राज्यसत्ता पर अपना

प्रभाव-शालिता या तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का दारिद्र्य तथा भ्रष्टान राज्या-  
सत्ता को चुन नहीं बैठने देते थे । सत्ता स्वीकार करते हुए थोड़ी सी लोकशाही राज्य  
संस्था में थी ही परन्तु जब भारत ने अपना संविधान बनाया व उसे स्वीकार किया  
उसके बाद नया युग शुरू हुआ । विचारों का मार्गदर्शन करने वाला तत्त्वज्ञान प्राप्त  
हुआ तथा लोकशाही साधनों के जो आदर्श संविधान ने स्वीकार किए हैं, उन  
आदर्शों को अमल में लाना चाहिए, यह स्पष्ट हो गया । सार्वजनिक मतदान का  
अधिकार सबको प्राप्त हुआ और इसलिए चुनाव का महत्त्व अल्पनातीत बढ़ गया ।  
जो पार्टी चुनकर आएगी उसके तत्त्वज्ञान वा निष्ठा समाज में प्रभावशाली  
होगा और इसका मंत्र ही सब जगह पढ़ा जाएगा यह भी स्पष्ट हो गया ।  
समाज का जो स्वरूप हम चाहते हैं उसे जनमत द्वारा अमल में लाना जरूरी हो  
गया । तलवार के बल पर सत्ता ग्रहण करना हराम हो गया । मतदान की पेट्टी  
सत्ता देनेवाली वस्तु बन गई । कम से कम सत्ता प्राप्त करने के मार्ग के सम्बन्ध में  
तथा साधनों के विषय में सब पार्टियों की तत्त्वज्ञान की दृष्टि में एकताव्यता थी ।  
बहुमत मान्यता यह लोकशाही उपनिषद् का महावाक्य था । बहुमत प्राप्त न होने  
पर राज्य के कानून को अमान्य करना या बहुमत पर आधारित सरकार का अर्थ  
तरीकों से विरोध करना आदि इस प्रकार की बातें लोकशाही धर्म विरोधी मानी  
जाने लगीं । राज्य जिस मौलिक तत्त्व पर आधारित होता है, इस विषय में सब एक  
राय होते हैं । उन आदर्शों को कैसे कार्यान्वित किया जाए, कल इस सम्बन्ध में  
विभिन्न पार्टियों में फरक होता है । अगर यह प्रवृत्ति राष्ट्र में नहीं होगी तो वही  
लोकशाही कामयाब नहीं हो सकेगी यह स्पष्ट है । कई पार्टियाँ बहुमत प्राप्त नहीं  
कर पातीं और फिर वे लोकशाही की मर्यादाओं को मानने के लिए तैयार नहीं  
होतीं । लोकशाही का सपना फिर उन्हें शृंखला से प्रतीत होता है । समाज का हित  
विरोध होना है और इस हित विरोध का शान्तिपूर्ण तरीकों से परिहार करना इसी  
का नाम लोकशाही है । अधिक से अधिक जनता का अधिक से अधिक परिमाण में  
हित साधने वाली अगर कोई राज्य व्यवस्था है तो वह लोकशाही ही है, यही इतिहास  
का अनुभव है । परन्तु इस लोकशाही को अगर सफल बनाना है तो उसकी मर्यादाओं  
तथा उसके संयमों का पालन करना अत्यावश्यक है । अगर सत्ताशुद्ध पार्टी अपने  
हाथ आई हुई सत्ता का उपयोग जनता की दवाने के लिए करेगी तो वहाँ लोकशाही  
चल नहीं सकेगी । जो व्यक्ति जोर, जबर्दस्ती पर विश्वास करते हैं या कानून का  
दुरुपयोग कर अपनी मत्ता कायम रखना चाहते हैं वे निश्चित रूप से अदूरदृष्टि  
वाले व्यक्ति हैं । लोकशाही मत्ता सब के लिए है इसलिए उसे बरतने वाले के मन व  
चुद्धि भी व्यापक व विशाल होनी चाहिए । सर्व समाज के हित का कार्य पूर्णरूप से  
अगर यदास्वी करता हो तो समाज के सब लोगों को अपनाया सत्ताशुद्ध पार्टी के  
लिए आवश्यक है । जनता को साथ लेकर चलना चाहिए । केवल प्राप्त सत्ता को  
कायम रखने के लिए सत्ता का उपयोग करना लोकशाही की विद्वन्मना मान है तथा  
स्वतंत्रता में लोगों की आजादी जैसे छिनना ही है ।

लोकशाही राज्य व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधा जा सकता है। परन्तु लोकशाही व्यवस्था में प्रचलित अर्थव्यवस्था पर यह स्थिति निर्भर करती है। आर्थिक व्यवस्था जितनी मात्रा में समता स्वरूप होगी, न्याय्य वितरण, आधारित होगा, उतनी ही मात्रा में सुखद तथा समृद्ध वातावरण लोगों को प्राप्त होगा और जीवन के लिए जो आवश्यक है, समाज में जो अधिकाधिक निर्माण होगा उसमें उन्हें न्याय्य हिस्सा मिलता रहेगा यह विश्वास उनमें पैदा होगा। इसके विपरीत जहाँ इस तरह का विश्वास निर्माण नहीं होता वहाँ जनता मतदान करे फिर भी वह वही मतदान नहीं होता। जहाँ जनता का मन सत्तारूढ़ सरकार की नीति से समरस अपितु प्रत्यक्ष सक्रिय सम्मति से राज्यकार्य चलता है वहाँ प्रगति की गति तीव्र होती है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है। धन के वितरण में अधिकाधिक समानता है, न्याय मिल रहा है इस विश्वास में से जनता की सम्मति प्राप्त होती है। परन्तु जहाँ तीव्र आर्थिक विपत्तियाँ हों वहाँ यह सम्मति जो कि प्रगति का चैतन्य समझी जाती है; राज्यसत्ता को प्राप्त नहीं होती। विपत्तियों व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया जाता है और अगर राज्य के कारोबार में आम जनता की सम्मति न हो तो सामाजिक सघर्ष और अशांति पैदा होती है। विद्यमान अन्याय का सदा ही विरोध हो, यह जरूरी नहीं है। कभी होता है और कभी समाज स्तब्ध बना रहता है। कभी हलचल तो कभी शान्त चुप्पी इस प्रकार यह निषेध का आन्दोलन चलता रहता है। छोटी-मोटी शिकायतों से, छोटे-मोटे दुःख से दुःखी लोग अनुभव से आदी बन जाते हैं और कई बार उन्हें अनिर्वास मानकर अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं। परन्तु यह दिल का जलम हमेशा के लिए ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता। आर्थिक अन्याय से फिर सामाजिक अन्याय का निर्माण होता है और उसी से सामाजिक आत्मा को बलेश पट्टेचता है। विद्यमान पीढ़ी अगर निषेध करना छोड़ भी दे तो नये उत्साह के नये प्रयत्नवादी मैदान में आते हैं। जनता के साथ किये गये अन्याय तथा राजसत्ता द्वारा दिव्याई गई उपेक्षा ऊपर से लोग भूल गये हो ऐसा प्रतीत होता है परन्तु उससे जनमत के अन्दर एक गहरा धाव हो जाता है, यह बात निश्चित है। एक क्षण ऐसा भी आता है कि उस उपेक्षा और अन्याय का प्रदर्शन किसी वरिष्ठ घटना से इतना स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष ब्रह्मा भी चिढ़ जाए ऐसा भी प्रसंग आता है। कुछ लोग अगर कुछ देर तक विशिष्ट अन्याय को सहते रहे तो बाकी लोगों को वह अन्याय, अन्याय नहीं, महानुस होता है, ऐसी सत्ता-धीरो की धारणा होती है। लोग कुछ समय के लिए हलचल मचाएँगे फिर अन्त में मान जाएँगे ऐसा उन्हें विश्वास होता है। डण्डे के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा माननेवाले डण्डेशाही महात्मा राजकीय मृष्टि में भी होते हैं। जिस द्विभाषी को जनता नहीं चाहती थी उसे पुलिस के जोर से जनता पर लादा जा सकता था ऐसा भी युक्तिवाद अभी तक किया जाता है। कुछ लोगों ने अन्याय सहा इसलिए वह न्याय नहीं बन सकता है। डर के कारण कोई बोलता न हो या बोलने से कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए मौन धारण किया है। इस परिस्थिति में जो हो रहा है वह सर्वमान्य है ऐसा निष्कर्ष निकलना यह राजनीति में बड़ी भारी

गलती है परन्तु फिर भी अनुभव से भी समझदार न बनने वालों को सत्तापीय वर्ग में कमी नहीं है। अपना निजी अनुभव अर्थात् सब का अनुभव ऐसा समझने वाले लोग भी सत्तापीय वर्ग में होते हैं। इसलिए जनता की जरूरतें उन्हें अनावश्यक दिखाई देती हैं और उन्होंने स्वयं जो योजना बनाई हो वही जनताहितायें हैं ऐसी धारणा उनकी होती है। इसलिए छोटी-छोटी बातों में भी सघर्ष करना पड़ता है। काम के घण्टे कम करने का प्रश्न ही या वेतन कम और बाजार भाव अधिक यह सवाल हो या मंघटन को मान्यता देने का प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न के बारे में जनता के अनुभव को ध्यान में लेकर उस प्रश्न का हल निकालना उन्हें योग्य नहीं लगता। जनता की सम्मति ही देश की स्वतन्त्रता तथा संरक्षण की पहिचान है, इस तथ्य को धगर भूल गये तो समाज का भविष्य अनिश्चित हो गया, यही इसका मतलब होता है। सरकार या संतुष्ट सत्तापूज पार्टी को चाहिए कि अपनी नीति जनता को भली भांति समझा दे तथा जनता को यह विश्वास हो जाये कि यह नीति उसके अनुभव से मेल खाने वाली है। सत्तापीय वर्ग का अनुभव कुछ भी रहा हो परन्तु जनता का अनुभव प्रस्तुत होने के कारण प्रभावशाली होना चाहिए। जो हुकूमतशाही तथियत के होते हैं या मनमानी चलाने वाले होते हैं उन्हें जो कुछ उसका अनुभव होता है, वही ठीक है, ऐसा लगता है। उसमें कुछ गलत है ऐसा वे नहीं सोचते और कुछ दोष हो तो भी उसे उनकी अधिकार की कलम ठीक कर सकती है ऐसा उन्हें आत्मविश्वास होता है। परन्तु जब तक जनता को उनकी बात पटती नहीं है, जनता के अनुभव को जँचती नहीं है तब तक केवल डण्डे के बल पर उसे जनता पर लादना याने राज्यसत्ता के विरुद्ध बगावत तथा सघर्ष को आह्वान देना ही है। इस प्रकार से चलाया गया सामन धणिक यगस्वी होता है परन्तु उसके अन्तिम परिणाम अत्यन्त भयावह होते हैं। जिस सरकार के पीछे जनता की सम्मति हो, जिस सरकार के कारोबार में जनता का हादिक सहकार्य हो वही सरकार सफल होती है। और उसकी यह सफलता स्थायी भी रहती है। जनता की सहपति होने के कारण नीति को अर्थात्नित करने में सहूलियत होती है व यदि फिर भी कुछ दिक्कतें पैदा हो गईं तो उन्हें शीघ्रता से दूर किया जा सकता है। अगर जनता ने यह अनुभव किया कि उसकी आवश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं तो वास्तव में जनता कामधेनु बन जाती है। सरकार जो जो भूमि चढ़ देने के लिए संघार हो जाती है। जनता फिर यह अनुभव करती है कि उसकी इच्छानुसार उसके विचारों की कदर करते हुए तथा उसके अनुभव का खयाल कर कार्य किया जा रहा है। इसके विपरीत यही सरकार अपनी ही विचारधारा, अपना ही तत्त्वज्ञान व अपने ही निर्णय हमेशा आगे ढकेलती रहे तो आज या कल उसका विरोध अवश्य होगा और उस विरोध से कठिन प्रसंग निर्माण हो जाता है। फिर जो कुछ होता है वह लोगों की अपहृ मा प्रतीत होता है। वे भी नागरिक हैं और उनके नागरिक अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, यह भावना तीव्रता के साथ उनमें उभरती है। जो होना नहीं चाहिए या वह हो रहा है, कुछ तो भी मन को क्लेश पहुँचाने



वाली घटनाएँ हो रही हैं, ऐसा वे अनुभव करते हैं और दिन-प्रतिदिन उसे सहना उन्हें असह्य हो जाता है। दिल-तथा मन-भारकर रहने की परिस्थिति फिर अधिक समय तक नहीं सही जाती। चुनाव द्वारा, सत्याग्रह द्वारा अथवा खुल्लम-खुल्ला विद्रोह द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकाला जाता है। विद्यमान सरकार अच्छी है या बुरी यह जानने के लिए किसी वेदाम्यासजड़ पण्डित से पूछने की आवश्यकता नहीं। किसी शास्त्रज्ञ की बुद्धिमत्ता पर या केवल ताकिक दृष्टि से किए हुए विचारों पर भी उसे निर्भर नहीं करना। अपितु जनता का उस सरकार के राज्य के कारोबार के विषय में जो अनुभव होता है उस पर निर्भर करना है। यह अन्तिम कसौटी होने के कारण जनता को नाराज करना या उसकी सहमति की परवाह किये बिना राज चलाना लोकशाही स्वतंत्रता के खिलाफ है।

जनता की सम्मति गृहीत मानकर कोई भी राजसत्ता साधारण परिस्थिति में राज्य कर सकती है, परन्तु असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न होते ही गृहीत सम्मति दृश्यमान न होने के कारण व जनता के सहकार्य के अभाव में सरकार सम्भ्रमित हो जाती है। जनता की भावनाओं को चोट पहुँची हुई होने के कारण वह भी सरकार की सहायता नहीं करती इसलिए राज्य सत्तारूढ लोगों को चाहिए कि वे लोकमत जानते रहने का हमेशा प्रयत्न करते रहे। लोकमत जानना जितना आवश्यक है उतना ही वह कार्य कठिन है। लोकमत यह रसायन कई बातों और विचारों से तथा सामाजिक भावनाओं से बनता है। कई बार वह वस्तुस्थिति को पूर्णतया बिना आकलन किए हुए बनता है, इसलिए वस्तुतः वह भिन्न होते हुए भी असंग दिखलाई देता है। समाज की भिन्न-भिन्न मर्यादाएँ प्रचारार्थ कार्य में चतुर होती हैं, इसलिए वास्तविक स्थिति या सत्य सदा प्रकाश में आयेगा यह जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में सत्याग्रहों का और पार्टियों का सघटन होने के कारण प्रचार के साधन उनके हाथ में होते हैं और वे सत्य का विपरीत व विकृत स्वरूप लोकमत के बाजार में ला सकते हैं। हजारों तारों राज्य सत्ता को भेजी जाती है। सैकड़ों सभाओं में सत्य का विपरीत स्वरूप लोगों के सामने पेश किया जाता है। बहुत से प्रतिनिधि मण्डल अधिकारियों को आकर मिलते हैं तथा अखबारों में निश्चित तरीकों से प्रचार किया जाता है। इस प्रकार की चालें केवल एक ही पक्ष से नहीं की जाती परन्तु अन्य सभी पार्टियों की ओर से भी अपने-अपने तरीकों से सर्वथा विरोधी लोकमत है यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में सच्चा लोकमत क्या है, यह जानना सर्वथा मुश्किल हो जाता है। चुनाव द्वारा आम तौर पर लोकमत का अन्दाज हो जाता है, यह सच है, परन्तु फिर भी चुनाव के वातावरण में सम्पूर्ण सत्य तथा सम्बन्धित परिस्थिति का लोगों के सामने आना जरूरी नहीं है। कई बार विवेक की अपेक्षा भावना अधिक प्रबल होती है और उमी की विजय हो जाती है। और इस क्रिया में वास्तविक लोकमत चुनाव में भी प्रकट नहीं हो पाता। परन्तु आम तौर पर चुनाव में लोकमत का प्रदर्शन होता है, इसी सिद्धान्तानुसार लोकशाही आधारित है और लोकशाही में लोकमत के बदलते ही वह फरक समाज की

नजर में आता है और राज्यकर्ता लोग अगर मदान्ध न हों तो उन्हें भी वह दिग्याई देता है। परन्तु लोकमत में दिखलाई देने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सत्ताधीश पार्टी स्पर्धी नहीं मानती इसीलिए कई बार वही सरकार जो देश में अप्रिय समझी जाती है, उसका विधान सभा में बहुमत होता है। इसलिए वह अपनी सत्ता का दावा तथा नियन्त्रण नहीं छोड़ती। स्वेज नहर की घटना के बाद इंग्लैण्ड में मन् १९५६ में यही दिखलाई दिया। इस समय अगर चुनाव किया जाता तो सत्ताधीश कंज़रवेटिव पक्ष हार जाता परन्तु वदते हुए लोकमत को परवाह किये बिना कंज़रवेटिव पक्ष पगोड़ता गया और आगे आने वाले चुनावों में फिर उसने अपना बहुमत कायम रखा। जनता की सम्मति गृहीत मान कर कहीं तक कोई पक्ष राज्य नियन्त्रण की गाड़ी खिच सकता है इसका सही अन्दाज लगाना राजकीय कौशल का काम होता है। सत्ताधीश पक्ष को सम्पूर्ण सत्ता जनता के समक्ष रखना चाहिए, इस नैतिक बन्धन का वह हमेशा पालन करे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए सत्ताह्व पक्ष स्वयं जो नीति निर्धारित करता है, उसे लोगों को पटाने के लिए जी-जान से प्रयत्न किया जाता है। वही सत्य तथा वस्तुस्थिति जनता के सम्मुख रखी जाने की स्वतंत्रता दी जाती है जिससे उनकी सत्ता को किसी प्रकार से खतरा न पहुँचता हो व फिर सत्ता तथा लोकशाही के मूल्यों को सत्ता व सरकार मान देते हैं, यह दावा पेश कर दिया जाता है परन्तु जनता के मन में उनके साथ किया गया अन्याय और सामाजिक अधिक विषमता काफ़ी गहरा घर किए हुए होते हैं इसलिए उसके यह सत्ताधीश वर्ग विरोधी पूर्वग्रह जब फूट पड़ेंगे इनका कोई भरोसा नहीं होता। अन्याय की भावना और यह पूर्वग्रह स्वतंत्रता के वातावरण से विसर्ग होते हैं। सत्ताधीश अपनी राय तथा विचारधारा को ही सामाजिक हितार्थ सही मानते हैं, केवल अपने ही अनुभव को सच मानते होने के कारण उसमें विपरीत कुछ हो सकता है या उसमें कुछ सत्य की मात्रा हो सकती है, यह वह अनुभव नहीं कर सकते। जब मकटकालीन परिस्थिति में देश के सामने दुर्भर प्रसंग खड़ा हो जाता है, उस समय राज्य हितार्थ तथा मरक्षणार्थ नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता को या तो स्थगित कर दिया जाता है या मकुचित कर दिया जाता है। थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी भी जाती तो कुछ लोग देशप्रेम के कारण अथवा कुछ डर के कारण या उदासीनतावश अपने विचारों को प्रकट नहीं करते। जो लोग विद्यमान सत्ताधीश पक्ष के होते हैं, उन्हें दुगुना जोश आता है और उनकी वाचाल अयंविहीन बकवास को ही समाज की राय समझा जाता है। विरोध के अभाव में जो सत्ताधीश पक्ष में बोला जाता है वही लोकमत निर्विवाद सरकार की तरफ का बन जाता है। युद्ध प्रसंग में जनता की मन स्थिति आम तौर पर अस्थिर होती है। हार विषयक जो कुछ ध्वयं बुरा-भला कहा जाता है, उसे मानने की ओर उसकी मनोवृत्ति होती है। शान्तिकाल की अपेक्षा संकटकाल में सत्य का जनता के सम्मुख आना अधिक जरूरी तथा समाज-हित की दृष्टि से इष्ट होता है। परन्तु प्रत्यक्ष अनुभव इसके विपरीत होता है। लोग चुप हैं, इसलिए वे मन्तुष्ट हैं; वे बोलते नहीं इसीलिए उनको सरकारी नीति जँच गई है, ऐसा मान लिया जाता है और यह वृत्ति केवल हुकूमतशाही सरकारों की ही होती है ऐसा नहीं है, लोकशाही

सरकारों का भी यही हाल होता है। विरोधतः जिस लोकशाही सरकार की धर्म-व्यवस्था का स्वरूप पूँजीवादी होता है और जिस समाज में आर्थिक विषमता होती है, वहाँ यह स्थिति दिखाई देती है। पूँजी प्रधान लोकशाही में लोग सरकार की तरफ से बोलते हैं, उन्हें ही लोकमत का प्रतिनिधि माना जाता है। अपनी विचार-धारा के खिलाफ जो विचार रखने हैं उन्हें आन्तिकारी तथा समाजविद्रोही या अगर कोई भी अपने विचार जाहिर न करते हुए चुपचाप रहे तो उनकी मौन सम्मति मानकर अपना राजकाज चलाते हैं। विरोधी मतों को दबा देना या उनके विरुद्ध सामाजिक शक्ति का प्रयोग करना समाज के हित में ठीक नहीं होता। मर्य न वह कर चुप बैठे रहने का फल भी समाज के हित में बुरा होता है। दो-चार उपद्रवापी व्यक्ति एव दो-एक सटपट करने वाली सस्थाएँ उठें और कुछ-का-कुछ कहते फिरें, और उसी को लोगों की इच्छा मान लिया जाए तो वह मच्चे लोकतन्त्र तथा मच्ची स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। ब्रिटिश लोगों के राज्यपाल का अनुभव हमें बताता है कि लोकमत को अपने अनुकूल मानित करने के लिए किन्ही विरोध अखबारों के लेखों को प्रमाण रूप में पेश किया जाता था। जिन्हें समाज में कोई पूछता-ताछता नहीं था, उन्हें अनेक खिताब देकर उनकी सम्मति को ही लोगों की सम्मति घोषित कर दिया जाता था। लोकतन्त्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतन्त्री सरकार की स्थिरता एव कार्यक्षमता लोगों की मच्ची निष्ठा एव मच्चे सहयोग पर निर्भर करती है। लोकमत का सच्चा सोना कौन सा है तथा पीतल कौन-सा है वह सघर्ष के समय तत्काल पता चल पाता है। अतः सरकार को समाज में शान्ति एव सन्तुलन बनाए रखने के लिए मच्चे लोकमत का बड़ी सावधानी से पता चलाना चाहिए तथा उसके अनुसार अपने कार्य की दिशा निर्दिष्ट करनी चाहिए।

साधारणतया जहाँ विचार-स्वतन्त्रता, मत-स्वतन्त्रता रहती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति एव प्रत्येक दल अपने मत एव विचारधारा ही को सही बतलाता है तथा दूसरे दल की विचारधारा को गलत एव समाजद्रोही मानता है। यह भी कहता है कि उसके दल को छोड़ अन्य कोई दल सत्य की रक्षा के लिए चिन्तित नहीं रहता। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्ण सत्य के अभाव में व्यक्ति को स्थिति का सही-सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ग्रन्थे लोग हाथी के भिन्न-भिन्न अवयवों को हाथ से छूकर उसके रूप के बारे में भिन्न-भिन्न मत कायम करते हैं, उसी प्रकार समाज के व्यक्ति भी अपना-अपना मत कायम किया करते हैं। और इस सारे घपले में समाज की सगठित मस्थाएँ एव सगठित दल स्वतन्त्र विचार के व्यक्तियों को अपने प्रोपेगण्डे की भरमार से निष्प्रभ कर डालते हैं। भूठमूठ की भडकीली खबरें छाप कर, अनर्गल लेख लिखकर प्रचार का ज्वालामुखी धधकाकर मत कायम करने की स्वतन्त्रता को धर्महीन बना डालते हैं। तब व्यक्ति कहने लगते हैं 'मेरा मत अमुक समाचारपत्र का सा, अमुक दल का सा तथा अमुक नेता का सा है।' तैयार कपडे खरीदने की भाँति ही तैयार मत स्वीकार करना व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। किबहुना, दल द्वारा, नियंत्रित राजनीति में व्यक्ति का व्यक्तित्व कम होता जाता है तथा सामाजिक एव सगठनात्मक भाव उसके जीवन में अधिक होता जाता

है। यदि कोई स्वतन्त्र रूप में अपने कथन को प्रस्तुत करना चाहे तो उसके मार्ग में गाहे-बगाहे रकावटें उत्पन्न की जाती हैं और यदि इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जोर पकड़ने लग जाए तो वह समाज में समता की स्थापना करने की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। और मिके उसी एक बजह से समाज में प्रस्थापित हित-सम्बन्ध तथा उनका शसनाद करने वाले समाचार-पत्र ऐसे व्यक्तियों एवं उन व्यक्तियों के प्रयत्नों पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। इत्ता ही क्यों, विपन्न समाज में शिक्षा का प्रबन्ध कुछ ऐसा किया जाता है, जिससे जहाँ तक बन पड़े नवीन विचारों का प्रसार न होने पाये। पाठ्यक्रम की पुस्तकों से लेकर विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ शिक्षाक्रम तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। 'मगन तराजू भाण' (मगन तराजू से आम्हो), 'महादू वेल सोड' (महादेव, बँलों को खोल दे), 'मोरू पोथी वाच,' (मयूर पण्डित, पुस्तक पढो) इत्यादि वाक्य सिर्फ भाषिक महत्त्व के ही नहीं हैं। इन वाक्यों में से मौजूदा सामाजिक व्यवस्था झोकती है। अतः विचारों के दाँत मनुष्य को आने से पहले इस बात की खबरदारी रखी जाती है कि कहीं वे शूलदन्त न हो जाएँ। इस स्थिति में यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि हर व्यक्ति जो ब्यस्क हो गया है, स्वतन्त्र बुद्धि का निकलेगा ही। विपन्न समाज में व्यवसाय की व्यवस्था भी स्वतन्त्र विचारों के लिए कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं होती। न्याय व कानून के क्षेत्रों में समाज की आवश्यकता की अपेक्षा पिछले उदाहरण (प्रिसिडेंट) पर अधिक जोर दिया जाता है। नई परिस्थिति के लिए पुराना कानून झपूरा साबित होता है, यह जानते हुए भी कानून के उद्देश्यों को छोड़कर कानून के दब्दों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। समाज की समस्याएँ, समाज एवं राज्य की सत्ताएँ समाज के परम्परागत एवं प्रचलित आदर्शों को ही सनातन मानने की वृत्ति को प्रथम देती हैं। सत्य का प्रचार करने की प्रतिज्ञा के साथ जन्म लेने वाले समाचार-पत्र भी सत्य ही का कथन करेंगे ऐसा कहते-कहते सिर्फ सत्य को ही भुला बैठते हैं। जो न्याय्य होगा उसी का समर्थन करेंगे ऐसी घोषणा करते करते सिर्फ न्याय्य बस्तु का ही परित्याग कर बैठते हैं। राजनीति में ग्राम जनता के मुल के लिए अपने प्रिय व्यक्तियों से भी सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़े तो हम बैसा करेंगे, ऐसा कहने वाले शासन की बागडोर हाथ में लेते ही अपने प्रिय व्यक्तियों का हित सम्पादन करने में जुट जाते हैं। उन्हीं की निष्पत्तियाँ करते हैं। हम मारे देश एवं सारी जनता के हैं, कहते-कहते अपने ही तालुके एवं गाँव को देश मानने लग जाते हैं तथा अपने ही नाते-रिस्ते के लोगों तथा गाँव भाइयों एवं जातभाइयों को ग्राम जनता मानने लग जाते हैं। इस वातावरण में यदि कोई विरोध करे तो समाज का वातावरण ऐसा बना दिया जाता है, जिससे ये विरोध करने वाले लोग समाज में रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। देश में रहते हुए भी निर्वासित हो जाते हैं। जनता में भाषण करने की स्वतन्त्रता के होते हुए भी वे अपनी उस स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकने। सत्ताधीश सदा इस बात का यत्न करते हैं कि उन लोगों के किसी भी विचार का प्रभाव प्रस्थापित हित के विरुद्ध न पड़ सके। तथापि इन सब कीशियों का फल तात्कालिक ही होता है। अन्त में जो बात होना होती है, वह होके ही रहती है।

आर्थिक विपन्नता के कारण सख्या में निहित शक्ति कम हो जाती है। जनता बहुसंख्यक होकर भी सामर्थ्ययुक्त नहीं होती। प्रत्यसंख्यक लोग अपनी सम्पत्ति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर सामर्थ्यशाली होकर सत्ताधीन बन जाते हैं। साक्षात् सत्ताधीन न भी हो तो भी सत्ताधारी लोग उनके द्वारा पर नाचने लग जाते हैं। कि-बहुना, सम्पत्ति, मान, वगैरे आदि बातें राजसत्ता को अपनी दासी बना लेती हैं। किंवा भावार्थ के शब्दों में कहना हो तो राजकीय सत्ता उपरिललित्त वर्गों की कार्यकारिणी समिति बन जाती है। इस परिस्थिति में बहुसंख्यक लोगों का सुख का मार्ग कटक-कीर्ण हो जाता है। उनको आभोग्नति में दूर रखने के बार-बार प्रयत्न किये जाते हैं। वास्तविक शक्ति तो जनता की होती है, पर वह मुट्टी भर लोगों के लिये उपयोग में लाई जाती है। जो बहुसंख्यक जनता एवं बहुजन समाज को न्यायानुसार देना चाहिए, उसके विषय में विकृत दृष्टिकोण से काम लिया जाता है और राज्यसत्ता की सारी बुद्धि-शक्ति बहुजन समाज को उनके न्याय्य अधिकारों से वंचित रखने के उपाय ढूँढने में खर्च की जाती है। पुरानी दिवायतों को नई शकल में पेश किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन बढ़ाए जाते हैं तथा कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का सवाल उठ खड़ा होने पर यह सौजसबल कारण सामने किया जाता है कि उनके वेतन में वृद्धि करने से आर्थिक संतुलन बिगड़ जायगा। समाज में जो सामग्री होती है, उसका उपयोग उचित रीति से होना चाहिये, अतः उसका उपयोग गरीबों के लिए नहीं किया जाता। आज या कल करेंगे यह एक सर्वथा क्षुद्र बातों में भी गापी जाती है। तात्पर्य यह कि बहुसंख्यक होने पर भी बहुजन समाज सगठन के अभाव में अपनी शक्ति को प्रभावी नहीं बना सकता। सीधो-सादी बातों में भी उसे निराशा का मुँह देखना पड़ता है। उन्हें जिस बात की जरूरत होती है उसकी जरूरत अपने जीवन को सार्थक करने के लिए होती है। और सार्थक जीवन समाज को प्रगति-परायण बनाने के लिए जरूरी होता है। कम से कम उसका परिणाम तो वैसा ही होता है। राजनैतिक स्वतंत्रता डोल पीटने के लिए नहीं होती। उसके द्वारा जीवन को श्रेष्ठ उद्देश्यों एवं आदर्शों को हासिल करना होता है। महात्माजी ने गोलमेज परिषद् में कहा था कि मुझे स्वतंत्रता माये पर पट्टा बांध कर उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं चाहिए। वरन् मुझे अज्ञान, दरिद्रता एक अभावों की स्थिति में तथा निस्सहाय वृत्ति में पड़े हुए देश को सजान, सुखी, उत्साही बनाने तथा उन्नति की ओर अभिमुख करने के लिए उसकी आवश्यकता है। अतः यदि मिली हुई स्वतंत्रता से हमारे उद्देश्य की सिद्धि न हो तो कहना होगा कि अब तक हमने जिस देवता का पूजन किया है, वह पापाण ही है। नितान्त भक्त निन्दुर शत्रु बन जाता है। जनता को ऐसी स्वतंत्रता अभीष्ट नहीं प्रतीत होती तथा राजकर्तागण भले ही अपने लोग हो अपने सम्बन्धी हो तो भी ऐसा लगता है कि वे अपने सहायक या अपने को सुख देने वाले नहीं हैं। युग-युग की दरिद्रता एवं विपन्नता को दूर करने के लिए बहुजन समाज को आर्थिक न्याय की आवश्यकता होती है। जनता की माँग आर्थिक समता की होती है। श्रम करने को वह तैयार होती है पर उनका वह श्रम सफल होगा या नहीं इस बात का सन्देह बना रहता है। और ऐसी स्थिति में उसको राज्य के

कारोवार में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रह जाती। वह उदासीन हो जाती है। कुछ काल पश्चात् उसमें विरोध की भावना जाग जाती है तथा आगे चल कर वह बट्टर विरोधी बन जाती है। उसे अनुभव होने लगता है कि बहुसंख्या में होने पर भी वह अल्पसंख्यक सत्ताधारियों के हाथ का खिलौना बनी हुई है। जनता के कुछ लोग बोलते जरूर हैं, तो भी सामान्य जनता मौन रहती है। पूँजीवाद-प्रधान प्रजातन्त्र में हाँकने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक संगठित दल होता है। बहुजन समाज जिस सामष्टिक एवं सामुदायिक जीवन को बिताया करता है, उसमें उसे कोई प्रेरक-वस्तु दृष्टिगत नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु नहीं नजर आती जिसके लिए दुनिया भर की मुमोवतें भेरी जायें तथा मृत्यु तक का आलिगन करने में हिचकिचाहट महसूस न हो। राज्य एवं राष्ट्र के प्रति सामान्यतया जनता की निष्ठा रहती है। पर पुजारी दुराचारी हो तो भक्त के मन की जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था राज्यरूपी देवालय में पुजारी रूपी सरकार के आचरण को देखकर जनता के मन में भी उत्पन्न होती है। व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसके मन में किसी न किसी वस्तु के प्रति दृढ़ निष्ठा होती है। किबहुना, निष्ठाधून्य व्यक्ति का मिलना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। कुछ काल के लिए वह निष्ठाधून्य रह सकता है तथापि वह किसी न किसी निष्ठा की धरण में चला जाता है। और एक बार निष्ठा के जागरित हो जाने पर जिस वस्तु के प्रति निष्ठा है, उसकी कितनी भी विरोधी आलोचना क्यों न हो, उनका विश्वास डगमगाता नहीं। राजनीति में भी ऐसी ही अवस्था है। विभूति-पूजा का विरोध करने वाले भी समय पाकर विभूतिपूजक बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी नेता पर विश्वास हो जाने के बाद उसकी बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी राजनैतिक दाय-पेच मानी जाने लग जाती हैं। उनके मुँह से निकली सीधी-सादी बातें भी भविष्यवाणी समझी जाती हैं तथा पूरी अन्धधृद्धा से उन पर विश्वास किया जाता है। जो निष्ठा एवं जो मनोभाव व्यक्ति के बारे में रहते हैं, वही निष्ठा एवं मनोभाव लोकतन्त्र में दल के बारे में अथवा संगठन के बारे में लोगों के मन में दिखाई देते हैं। मजदूर संघ के बारे में निष्ठा उत्पन्न हो जाय तो उस संघ अथवा उसके नेता कुछ क्यों न करें उसे ठीक ही माना जायगा। जितना हितैक्य अधिक स्निग्ध होगा, नेताओं एवं अनुयायियों के सम्बन्ध जितने घनिष्ठ होंगे उतनी ही निष्ठा अधिक दृढ़ एवं सक्रियशाली होगी। तब सरकार की भी परवाह नहीं की जाती। जब व्यक्ति यह मानने लगते हैं कि मजदूर संघ उनका अपना है, रेलवे फेडरेशन उनका अपना है, क्लास फोर यूनियन उनका अपना है तथा उनके हित के लिए प्रयत्न किया करता है तथा सदा जागरूक रहता है, तो उनकी निष्ठा अपने संगठनों के प्रति अधिक मजबूत हो जाती है तथा यदि कभी सरकार और संगठन के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाय, तो वे अपने संगठन के प्रति अधिक बफादार हो जाते हैं। सरकार भले ही संघ के कार्य को देशविनाशक बहे या देशद्रोही कहे, पर उनकी निष्ठा में अन्तर नहीं आता। लोग अपने संघ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इस प्रवृत्ति का कारण यही होता है कि राज्य के कार्यकलापों में उनके अनुभवों की परवाह नहीं की जाती

तथा संघ के सारे कार्य उनके अनुभवों के ही आधार पर हुआ करते हैं। किंवहुना, व्यक्तियों के अनुभव ही संघ की कार्य प्रवण शक्ति होती है।

आर्थिक विषमता के रहते समाज भले ही ऊपर से एकात्म दृष्टिगत हो, पर वास्तव में वह वैसा नहीं होता। एक गाड़ी में जिस प्रकार अलग-अलग दर्जों के डिब्बे होते हैं उसी प्रकार वर्ग व्यवस्था में समाज के व्यक्तियों के भी दर्जें हुआ करते हैं। समाज के दो स्पष्ट विभाग होते हैं। एक उन लोगों का वर्ग जिनके पास सम्पत्ति है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है तथा जिन्हें, जो कुछ वे चाहते हैं, करने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरा उन लोगों का वर्ग, जो गरीब हैं, अमगठित हैं, अज्ञानी हैं, उपेक्षित हैं एवं वंचित हैं। थोड़ी देर को हम यह मान सकते हैं कि राष्ट्र नामक एक औपचारिक छत्र के नीचे ये दो राष्ट्र हैं, जो युद्ध के पतरे में आमने-सामने खड़े हैं। जो अभाव-ग्रस्त वर्ग होता है, जिसके पास सत्ता एवं सम्पत्ति कुछ भी नहीं, वह सगठित हो जाता है, तथा जो संघ एवं सगठन उसका उद्धार किया करता है, उसके प्रति वह निष्ठावान बन जाता है। बाहरी दुश्मन देश के साथ लड़ाई होते समय नागरिकों के मन में जो स्वामिभक्ति, तीव्र देश प्रेम एवं त्याग की भावना काम किया करती है, वैसी ही भावना इस अभावग्रस्त वर्ग के लोगों के मन में भी कार्य-प्रवण होती है। मालदार वर्ग उन्हें अपना मजमुच का शत्रु वर्ग प्रतीत होने लगता है। उस समय वह वर्ग अपने संघ के लिए सब प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। हड़ताल की नैतिक पृष्ठभूमि हमेशा स्वार्थत्याग पर आधारित होती है। सत्ताधारी वर्ग कुछ बयो न करे, उस पर दुष्ट उद्देश्यों का आरोप किया जाने लगता है। अगर कहीं सत्ताधारी लोग न्यायानुसार आचरण करें भी, तो भी उममें से लोगों को वेईमानी की गंध आने लगती है। सत्ताधारी मालदार वर्ग उन्हें मानव रूप में राक्षसवर्ग प्रतीत होता है। श्रीक इसी प्रकार मालदार वर्ग को भी सामाजिक न्याय मांगने वाले, आर्थिक समता मांगने वाले सगठन समाजद्रोही एवं देशद्रोही प्रतीत होते हैं। अभावग्रस्त वर्ग को जो वस्तु अभीष्ट प्रतीत होती है, उससे इनकार करना ही सम्पत्तिशाली वर्ग को अपनी भलाई की बात प्रतीत होती है। अभावग्रस्त लोगों को जो अनुभव आता है, वह चूंकि सम्पत्तिशाली लोगों को नहीं आया होता, अतः उन अनुभव को सत्य मानने को उनका मन तैयार नहीं होता और वे लोग अपने ही अनुभव को सही समझते हैं। तथा उसी को ध्यान में रखकर वे अपनी सत्ता स्थापित किया करते हैं। तब अभावग्रस्त वर्ग को लगता है कि समाज के चित्रपट में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, वे सिर्फ गाड़ी खींचने तथा बडों के चलने के रास्ते पर चढ़कर बिछाने भर को हैं। इस प्रतीति का परिपाक आगे चलकर न टलने वाले मधुर्ष में होता है। नये विचारों की प्रगति के लिए ऐसी अवस्था में कितनी बठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, इस बात को भारत के लोग भली-भाँति जानते हैं। यों देखा जाय तो वेदोक्त कर्म करने में बहुजन समाज को कोई बहुत बडी सम्पत्ति भिन्नने वाली नहीं थी, हा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक सांस्कृतिक अभिमान जल्द प्राप्त होने वाला था। तथापि इस सौधी-मादी बात के लिए भी ऊपर के वर्ग के लोगों ने कितना विरोध किया, इस बात का इतिहास अभी ताजा है। राजनीति में प्रगतिशील एवं त्याग वृत्ति वाले 'बेमरी' जैमें समाचारपत्र भी साठ वर्ष पहले वेदोक्त

कार्यों का अधिहार बहुजन समाज को नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया करते थे और जहाँ सत्त्वानों का सम्पत्तिमान् यर्न का सम्बन्ध आया, वहाँ तो अपने को शान्तिकारक कहने वाले लोग भी जातिविषयक एवं वर्ग-विषयक भावना में प्रेरित होकर बहुजन समाज का विरोध करने लगे, ऐसी घटना महाराष्ट्र के इतिहास में घटित हुई है। सत्त्वानों को विगोन हो जाना चाहिए तथा वहाँ की प्रजा को गुलामी से मुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करने वाले लोग प्रतिगामी लोगों की आलोचना का विषय बने। यह भी कहा जाने लगा कि मस्थान तो पुराने वैभव की निगानी है, नवीन आशाओं का सतत बहने वाला झरना है। मस्थानिकों के वृष्टियों को, उनके अत्याचार एवं अनाचार को सार्वजनिक आलोचना की प्रकाश-ज्योति में लाने का प्रयत्न करने वाले की जान तरु खतरे में पड़ जाती थी, इस बात को अभी तक महाराष्ट्र में भुलाया नहीं जा सकता। बहुत से मस्थानिकों ने अंग्रेजों के रहने तक बहुजन समाज की स्वतन्त्रता का विरोध ही किया था। प्रजा-परिषद् के सदस्यों के साथ कैसा दुर्घटार किया जाना था, इस इतिहास को लोग अभी तक भुला नहीं पाये हैं। अनेक मस्थानिक तो ऐसे भी थे जो अपने रियासत में होने वाले दुष्टियों का भडाफोड न होने देने के विचार में रियासत में बाहर छपने वाले नमाचारपत्रों को आर्थिक सहायता भी किया करते थे। रियासत में बाहर के माहितियों को पुरस्कार देकर रियासत में न मिल सकने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा को रियासत के बाहर से प्राप्त किया करते थे। विरोध को नष्ट करने के दान तथा दण्ड दोनों उपाय काम में लाये जाते थे। गरदारों, इनामदारों तथा जागीरदारों का अब कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं रह गया है। सामाजिक सेवा तथा उपयोगिता ये दोनों बातें अब इस वर्ग से नहीं प्राप्त हो सकती, यह बात जानने हुए भी आज भी इन लोगों के भाट अभी कहीं मिल जाते हैं। 'सोत' की 'साटेमाती' में जनता को मुक्त करने के लिए जो प्रयत्न किये गये, उनका समर्थन करने वाले नमाचार-पत्र तथा लोग रत्नागिरी की गलियों से लेकर पूना के मदासिब पेठ के 'हीद' तक मौजूद थे। तात्पर्य यह है कि समाज की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, उनका प्रायः विरोध ही होता है। प्रचलित समाज व्यवस्था तथा विषम आर्थिक परिस्थिति को बनाये रखना चाहिए, ऐसा कहने वाला एक वर्ग सब कहीं मिल जाता है। कारण यह है कि विषम आर्थिक स्थिति में जिसको जो अनुभव आता है, उसके अनुसार ही उसकी बुद्धि एवं भावना बना करती है। जिस व्यक्ति के पास सम्पत्ति है, वह चाहता है कि उसकी वह सम्पत्ति तब तक उसके पास बनी रहे, जब तक सामान में चाँद और मूरज मौजूद हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मनोभावना होती है कि उसके पास भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए।

जिस समाज में आर्थिक विषमता बनी रहती है, उस समाज में स्वभावतः प्रत्येक को, विशेषतः मानदार लोगों को एक प्रकार की अनिश्चिन्ता एवं भीति प्रतीत होती रहती है। आज की बात क्या रह सकेगी? आज इना अत्याचार हो गया है। कम अधिक हो जाएगा क्या? आज इन्तों को तो कुचल दिया, कम की क्या होगा? आज जबदस्ती नेतों में हथ चलाया, कल कहीं हमारे घरों पर तो हल



नहीं चल जायगा ? आज मिन के बाहर लोगों ने नारे लगाए हैं। क्या वहीं मिल के भीतर पुनः प्रथोडा तो नहीं बना बैठेंगे ? हम प्रकार की भौति समाज के सभी स्तरों पर काम करने वाले लोगों को बर्बाद नहीं है। मन् १९१५-१६ के लगभग यह धुम हुई और तब से ऊपर के वर्ग में एक भिन्न स्तर का वातावरण उत्पन्न हो गया है तथा वह आज भी बना हुआ है। लगभग मन् १९२०-२१ में विविध संस्थानों (रियासतों) में सम्मानियों के विनाशकारी आन्दोलन धुम हुआ और तब मन् १९८० तक कोई सम्मानिक चीज की नींव तो सजा हो, ऐसा नहीं हुआ। मन् १९०० में मुदी राम बोस ने विस्तारित किया। उमरी आजाज का एक अग्रजों की छाती में घटघटाट पैदा करती रही जब तक कि वे लोग १९८७ में भारत छोड़ो चल नहीं गये। नाशयें यह कि जहाँ समता नहीं है, वहाँ बाहर में मने ही शानि दियाई दे पर मन में शानि नहीं रह पाती। आज या तब क्या हो जाए, इगरी निश्चित नहीं रह जाती। अपना मन ही अपने को वाट पाने की दौड़ने लगता है और जितनी बलना तक नहीं थी, वही बात होने लग जाती है। समाज में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर आता है, पर राज्यकर्ताओं की हम बात की निश्चिति नहीं रह जाती कि वे और सब तक उगी प्रकार बने रहेंगे। एक बार ऐसे शान दियाई देने वाले वातावरण में जरा-सा भी स्फोट हो गया कि बस हर व्यक्ति सोचने लगता है कि जो कुछ हाथ लगता है, उसे लो और भाग गडे हो। मन् १९४५ में अग्रजों की भौति संस्थानिकों को भी पकरा करीब हो गया था कि अब भारत में अग्रज नहीं रहेंगे। अतः उनमें से बहनेरे महानुभावों ने आने वाले २-३ बरसों में जितनी भी दौलत निजी बनायी जा सकती थी, उनी बना ली और जब अपनी मना को निलाजनि देन का मौका आया, सब देना गया कि अनेकों का धन कोष एकदम गाली हो गया है। इतिहास का यह अनुभव है कि जब एक बार अमत्तोप एव अन्याय के प्रति रोष लोगों के मन में जडे जमा लेता है, तब वह सिर्फ मौके की तात में रहता है। मत्ताधारी तथा पूंजीपति लोग, किन्ती भी कोशिश क्यों न करें, वह मौका टल नहीं सकता। सामोपचार से काम लिया जाता है, भेदोपचार से काम लिया जाता है, दण्डोपचार से काम लिया जाता है, अतः भविष्य को टालने की भरमक कोशिश की जाती है, पर पहाड की चोटी पर से नीचे लुडना हुआ पत्थर पहाड की तलहटी तक पहुँचे बिना नहीं रह पाता। सारे के सारे सत्ताधारी, सारे के सारे मातदार लोग अपनी प्रतिष्ठा के शिखर से ढरकने के बाद सीधा तलहटी पर ही आगर के दम लेते हैं। इतिहास का यही मिडान्त है। कही-कही उन्हें कुछ सहूलियत दी जाती है। वही काउंसिलें बनती हैं, कही द्विकक शासन-पद्धति रहती है, पर इन सहूलियतों के बावजूद भी उनका जो आगीर होना होता है, वह होके ही रहता है। सहूलियतों की राजनीति से अभीष्ट की मिद्धि कभी नहीं होती। उगटे इससे बहुजन समाज को यही अनुभूति होती है कि अर सत्ताधारियों के दिन फिर चुके हैं। बहुत दफा दूरदर्शी सत्ताधारी लोग बड़ी सूझ-बूझ से काम लेते हैं और उसके कारण उनका अन्त कुछ देर के लिए टल जाता है। नाटक के बीच जैसे कोई प्रहसन होता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। पर उसमें नाटक का

आगे होना नहीं सकता। बहुत बार सत्ताधारी लोग नवीन विचारों का स्वागत करते हैं। पर उसके पीछे यही छिपा होता है कि उनके विचारों के ऊपर वे लोग जो हमला करना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय उन्हें मिल जाए। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले के ६० वर्षों में सब किस्म के प्रयोग करके देख लिए थे। पर अल्पसंख्यक राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने जो उनसे छीना जा रहा था, उस को स्वेच्छा से छोड़ दिया तथा पुण्य का सम्पादन किया। भारत के अनेक संस्थानिष्ठों (देशी राजाओं) ने विरोध करने का प्रयत्न किया; पर अनेकों अंग्रेजों का उदाहरण श्रीलंका के सामने रखकर आत्मसमर्पण कर दिया, यह भी सत्य है। इतिहास का अनुभव यह है कि सत्ताधारी लोग जहाँ तक वन पड़ता है, अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते। पर जब अनिवार्य हो जाता है तब छटाक-छटाक करके अपना सिर का माप पूरा करते हैं। तथा जब देखते हैं कि अब अंत धा ही पहुँचा है, तब जो कुछ बचा-बुचा रह गया है, उसे स्वीकार करने में ही अपनी रीर है, ऐसा समझ जाते हैं और तब वे ममत्त पाने हैं कि अपनी दुनियाँ का आत्मा कर देने में ही स्वतन्त्रता की दुनियाँ का उदय है। स्वतन्त्रता का युद्ध जब एक बार छिड़ जाता है, तब वह अनेक पीढ़ियों तक उत्तराधिकार की भाँति पहुँचता रहता है। तथा इनमें सदेह नहीं कि युद्ध का पर्यवसान स्वतन्त्रता की प्राप्ति में होगा है।

स्वतन्त्रता की लड़ाई के शुरू होने पर उसका अन्त सदा स्वतन्त्रता की प्राप्ति में होता है, यह इतिहास का निरन्तर डीक है। तथापि स्वतन्त्रता के युद्ध के आरम्भ होते ही सत्ताधारी एवं उनके साधियों अर्थात् मालदार लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। तथा जिस प्रकार कस को सब कहीं श्रीकृष्ण ही दिखाई देता था, वैसी ही अवस्था सत्ताधारियों की हो जाती है। तब उन्हें रामायण में भी राजद्रोह दिखाई देने लग जाता है। सीधे साधे भजनों में भी उन्हें लगता है कि राजद्रोह वा पाठ पढाया जा रहा है। 'कीचक-वध' नाटक का अभिनय उन्हें अपने ऊपर धीतने वाले प्रसंगों का चित्र प्रतीत होता है। समाज में जरा सी खुलकर चर्चा होने लगी कि उनकी दृष्टि में राजद्रोह का प्रचार शुरू हो जाता है। कदम-कदम पर उनके मन रूपी घोड़े को संताजी घोरपड़े नजर आने लगते हैं। तब इन बड़े एवं मालदार लोगों को लगता है, ठाठें मारने वाले जनसमुद्र के इस असन्तोष को कोई दवा दे—कुचल दे। तब वे अपने सहायक सत्ताधारियों से आग्रह करते हैं कि वे इस आन्दोलन को दबा दें। भक्त्य एवं सम्पत्ति की एक दृष्टि से मिलीभगत होती है। फलस्वरूप एक कानून के जोर पर, तो दूसरा सामाजिक ताकत के जोर पर लुट-खसोट करना आरम्भ कर देता है। सत्ताधारी लोग कानून के मुताबिक हिंसा किया करते हैं तथा सम्पत्ति-शाली लोग प्रोपेण्डा के साधन को काम में लाकर समाज की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। पर दोनों ही सत्य एवं युक्ति से डरा करते हैं। किसी भी समाज में जब कुछ लोग खुल्लम-खुल्ला अत्याचार करने लगते हैं, तब उन्हें भी किन्हीं तत्त्वों एवं युक्तियों का आधार लेना पड़ता है। ईमनीति की कथा में भेड़िये को भी मेमने को खाने से पहले उस पर पानी खराब करने का आरोप लगाना पड़ा। और जब यह आरोप साबित न हो सका तो उसे मेमने के बाप पर गाली देने का आरोप

करना पड़ा और सभी यह भेदने को गा मारा । यही कुछ मनुष्य के बारे में भी गूही है । मनुष्य जितना भी दुःख क्यों न हो, जितना भी तानातानाह क्यों न हो, फिर भी वह यह प्रयत्न किया करता है कि उसने जो कुछ कष्ट किया है, वह न्यायमय है । किसी भी कष्ट को करने के बाद उसे फटकार सुनाने यात्री मदगद्विरेक बुद्धि को मनवाने की आवश्यकता महसूस होती है । अब जब हिंसा के सामने अहिंसा खड़ी हो जाती है, तब हिंसा की शक्ति घट जाती है तथा समय आने पर हिंसा सरणामति प्राप्त करती है । अहिंसा पक्ष की युक्तियों को माना जाय तो अपने को मरता एक सम्पत्ति पर उदक छोड़ना पट जायगा, किंवा उनकी बुद्धि उन्हें बहती है । अब युक्ति अथवा विवेक को ये स्थान नहीं देने । उनके मान मुनने को किया को भूल जाने हैं । विरोधियों के गुनाहों के आगे घुटने टकरकर उन्हें कुछ महसूस करने की सोचें तो उन्हें लगता है कि उनका दावा गलत है, ऐसी स्वीकारोक्ति देनी पड जायगी । युक्ति का सम्मान करने से यह सिद्ध हो जायगा कि वे स्वयं अमान्य वा साथ देने वाले हैं । अब जब भी कोई उनके काम-काज अथवा वर्चस्व के सम्बन्ध में शक्य प्रकट करता है, तब उसे समाज एवं राज्य का द्रोही कहकर ये सत्ताधारी एवं मालदार लोग उसका निर्मूलन करने में प्रयत्न हो जाने हैं । तब होना यह है कि राज्य हमें सुख एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला है, यह श्रद्धा जनता के मन में से बड़ी तीव्र गति से उठ जाती है । जनता के वास्तविक सुखों एवं दुखों को और ध्यान नहीं दिया जाता और यदि कभी ध्यान दिया भी गया तो उसपर विचार नहीं किया जाता । मित के प्राण लेवा वानावरण में ८ घंटे काम करने के बाद मजदूर शरीर से तो थकता ही है, पर वहाँ उसके साथ जो सलूक किया जाता है, उससे उसका मन भी थक जाता है एवं उदास हो जाता है । ऐसी हालत में वह किसी 'चाल' की गद्दी कोठरी में, १०-१५ की कोठरी में तीन जोड़ों के साथ अपना कुनबा चलाता है । मालिक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और सरकार के प्रतिनिधि तो केवल १० वरस में एक बार केवल महुंमनुमारी के समय ही वहाँ जाते हैं । जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी चुनाव के पहले वाले सप्ताह को छोड़ फुरसत ही नहीं मिलती । उनके नगे-अधनगे बच्चे रास्ते में घूमने-फिरते हैं । उनकी पढाई-लिखाई का कोई इन्तजाम नहीं रहता । कहने का अभिप्राय यह कि बहुसंख्यक जनता के जीवन का अनुभव मालिक लोगों को तथा सत्ताधारियों को नहीं होता । पुराने इतिहास के तात्पर्य पर मौजूदा वकत में सत्ताह्व बने रहने का अधिकार बताया जाता है । उसके विरुद्ध कुछ कहा सुना जाए तो कानून एवं सुन्यवस्था के नाम पर जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है । विपक्ष समाज के इन दो राष्ट्रों—अर्थात् मालदार एवं गरीब वर्गों में रहने वाले लोग अलग-अलग दुनिया में रहते हैं और जब कभी वे एक जगह आते हैं तब ऊपर की दुनिया वाले लोग इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी इस्त्री वाले कपड़ों की कीज कही बिगड न जाए । दोनों की अभिरुचियों में भी बहुत अन्तर होता है । यदि एक वर्ग को बालगन्धर्व का नाटक पसन्द आता है तो दूसरे को पट्टे बापुराव का तमाशा पसन्द आता है । एक को ललित एवं मधुर बोलने वाले नायको से युक्त उपन्यास

अधिक अच्छे लगते हैं तो दूसरे की अभद्र बातों से भरी कितायें अधिक अच्छी लगती हैं। आचार-विचार एवं मस्कृति आदि सभी बातों में विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मजदूरों की सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ वरिष्ठ वर्ग का समाज सत्तावादी कार्यकर्ता भी भिन्न प्रतीत होने लगता है। उसके हाव-भाव, उसकी भाषा भिन्न प्रतीत होती है। उसकी सहानुभूति भले ही बहुजन-समाज के प्रति उमड़ी पड़ती हो तो भी बहुत दफा उसके आसू नश्राधु होते हैं। अधिक मे अधिक न्याय प्रदान करने की भावना से कहें तो कहना होगा कि उसकी सहानुभूति बौद्धिक होती है पर उसमें आत्मीयता का पुट नहीं रह पाता। तात्पर्य यह कि दोनों दुनियाओं के लोग जब एक जगह आते हैं, तो वहाँ निश्चय से एकता उत्पन्न हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। केवल इत्ते भर से कि वे एक ही गाड़ी में सवार हैं, यथार्थ रूप में सहयात्री नहीं हो सकते। शरीर एक स्थान पर भले ही दीखें पर मनो के बीच का फासला दो ध्रुवों के बीच के फासले जितना होता है। बहुजन समाज किसी बात को जोर से कह कर पेश करे तो उसे धमकी माना जाता है। कोई बात पूरी ताकत से पेश की जाए तो वहाँ हिंसा की बू आने लगती है। और समाज में आर्थिक विषमता हो तो सामाजिक न्याय नहीं मिलता। सामाजिक न्याय के अभाव में समाज में अस्थिरता बनी रहती है। उसमें मनुजन नहीं रह जाता। और यदि कहीं सामाजिक न्याय प्रदान करने का दृश्य दिखाई भी दे तो भी जनता उसके मुलावे में नहीं आती। उल्टे उसे यही लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडे का कोई जहर भरा होगा। और इस सबका फल होता है वर्ग-संघर्ष का निर्माण और एक बार वर्ग-संघर्ष छिड़ गया कि फिर इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता कि दोनों पहलवान अहिंसा एवं बंधता के अलावे में रह कर ही कुश्ती लड़ेंगे। जिस समाज में जिन्दगी में होने वाली आमदनी तथा उसके लिए किये गये प्रयत्नों में कोई कार्यकारण भाव नहीं रहता वहाँ विफल हुए-हुए प्रयत्न, खण्डित हुए-हुए मनोरथ, पैरो तले रौंदी गई महत्वाकाक्षाएँ हिंसा का आश्रय लेती हैं। या तो न्याय्य बस्तु दी जाए या फिर हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहा जाय। इनके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं नजर आता। और जब न्याय से इनकार करने की क्रिया लगातार चलती चली जाती है तथा विनाश का तट समीप आने लग जाता है, तब सत्ताधारी एवं मालदार लोग बुझने के पहले जैसे बोया खेती से भभकता है, उस प्रकार जो कुठ पास रह गया है, उसे और अधिक मजबूती से धामे रखने का आत्मीय प्रयत्न किया जाता है। जलियान वाला बाग पहल होता है और तब कहीं युग का परिवर्तन नजर आता है। जैसे-जैसे मचाई एवं युक्ति की जीत होती चली जाती है वैस-वैस पूँजीवादी हित-सम्बन्ध विखरने लग जाते हैं और अन्त में सत्य विजयी होता है। उसके विजयी होने का अर्थ है स्वतन्त्रता का विजयी होना। स्वतन्त्रता के विजयी होने का अर्थ है समता का विजयी होना। मालदार एवं गरीब वर्गों में छिडे मुद्द का पर्यबसान मालदार लोगों की पराजय में होता है। विनाश एवं सर्वनाश के बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जिसका जो न्याय्य है, वह उसे दिया जाय। न्याय के साथ मुठभेड़ उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर है आत्ममर्षण। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अपनी मुट्टी में

बन्द वस्तु को वह तब तक नहीं छोड़ता, जब तक उसका हाथ टूट नहीं जाता। न्याय के साथ भगड़ने में कितना नुकसान है, इसकी जानकारी नहीं होती और जब जानकारी होती है, तब उनका सब कुछ लुट चुका होता है। चोटी उलट्टे या बड़ की पारवी टूटे, इस दृढ़ निश्चय के साथ भगड़ने को तैयार होने वाले सत्ताधारी एवं सम्पत्तिशाली लोग ही शिखानष्ट हो जाते हैं, यही भय तक का अनुभव हमें बताता है।

स्वतंत्रता एवं सत्ता के बीच यदि लड़ाई छिड़ जाए तो अन्त में सत्ता का पराभव हो जाता है, यह सही है, तो भी उस क्षण के आने तक के बीच के काल में स्वतंत्रता पराभूत हुई नजर आती है, तानाशाही का भाव बड़ा हुआ नजर आता है। पहली लड़ाई के बाद का जर्मनी का इतिहास हमें बताता है कि वहाँ के लोगों ने लोक-राज्य की स्थापना की; परन्तु युद्ध के अनन्तर भी कुछ काल के लिए स्तब्ध एवं पराभूत हुआ-हुआ सत्ताधारी एवं सम्पत्तिमान् वर्ग सिर ऊपर उठाने लगा, स्वतंत्रतावादी पक्ष एवं सगठित मजदूर दल को जो कुछ करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। अन्त में फल यह हुआ कैसरशाही की अपेक्षा भी अधिक स्वतंत्रता का हनन करने वाली हिटलरशाही आई और कुछ काल पश्चात् हिटलरशाही का लोप हो गया। कुछ स्वतंत्रता मिली; पर उसकी कीमत अभी तक जर्मन लोगों ने पूरी तरह चुकाई प्रतीत नहीं होती। तथापि १९वीं-२०वीं सदी के जगत् का इतिहास सामान्यतया यही प्रदर्शित करता है कि अन्त में स्वतंत्रतावादी जनता सफल होती है। १९वीं सदी में तथा २०वीं सदी में भी राष्ट्रवाद का विचार अधिक शक्तिशाली था। और राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता की कल्पना को मिलाकर एक नई विचारधारा संसार भर में फैल गई, तथा सभी कहीं राष्ट्रराज्य (नेशन-स्टेट) की माँग ने जोर पकड़ा। सामान्यतया यह विचार उत्तरोत्तर स्पष्ट होता गया कि स्वतंत्रता की दृष्टि से राज्य एवं राष्ट्र की मर्यादाएँ समान होनी चाहिएँ। इसी का यह अर्थ हुआ कि एक राज्य में एक सरकार के नीचे दो राष्ट्रों का बना रहना नैतिक दृष्टि से अनुचित है तथा इसी को साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर राज्य करना एक प्रकार से उस राष्ट्र को गुनामी में रखना है। १९वीं तथा २०वीं सदी में भी यह राष्ट्र राज्य का स्वयं निर्णय का आन्दोलन शक्तिशाली रूप से चल रहा था एवं वह बहुत बड़ी मात्रा में सफल हो गया है, ऐसा नजर आता है। राष्ट्र एवं स्वतंत्रता की कल्पना में से राष्ट्रीय स्वतंत्रता नामक एक चैतन्य युक्त भावना का उदय हुआ है। राष्ट्र का अर्थ यदि एकत्व एवं पृथक्त्व का मिश्रण किया जाए तो उचित होगा। हम आपस में एक हैं पर अन्वियों से भिन्न हैं। इन दोनों भावनाओं का मिश्रण राष्ट्रीय भावना में है। ऐक्य एवं पार्थक्य के सगम में से राष्ट्र का तीर्थोदक उत्पन्न होता है और इसी भावना का परिणाम आज अफ्रीका महाद्वीप में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। १९वीं सदी में जर्मन नामक एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, इटली नामक राष्ट्र का निर्माण हुआ। एशिया के साम्राज्य में से उत्तर की ओर अनेक देश बाहर निकले तथा वे राष्ट्र बन गए। पहले महायुद्ध के पश्चात् स्वयं-निर्णय के तत्त्व के अनुसार अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र यूरोप में उत्पन्न हुए। २०वीं सदी के आरम्भ में अंग्रेजी साम्राज्य के

कुछ विभाग औपनिवेशिक स्वायत्तता के सिद्धान्त के अनुसार भिन्न-भिन्न राष्ट्र बने और गत १० वर्षों में अर्थात् दूसरे महायुद्ध के अनन्तर भारत, पाकिस्तान तथा सीलोन स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदित हुए अर्थात् राष्ट्र राज्य बने। अफ्रीका में भी उल्लिखित रीत्या राष्ट्रवाद का वातावरण उत्पन्न हो चला है। साम्राज्यवाद अर्थात् पुराना साम्राज्यवाद बड़े वेग से नष्ट हो रहा है। किवहना, नष्ट किया जा रहा है। जिन प्रकार समुद्र-मन्थन से अमृत निकला था, उसी प्रकार पहले महायुद्ध में स्वयनिर्णय का सिद्धान्त निकला। तथापि दूसरे महायुद्ध तक यह अमृत मिलावट में माली नहीं है, ऐसा अनुभव हुआ। क्योंकि स्वयनिर्णय से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, यही मही है, तो भी संसार में असांख्य अधिक बढ़ गई। दूसरे महायुद्ध का कारण, लोग कहते हैं कि स्वयनिर्णय की मांग तथा राष्ट्र राज्य की महत्वाकांक्षा ही थी। लोगों का यह कहना एकदम गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फ्रेंच साम्राज्य के विनाश में उत्पन्न राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना समूची १९वीं सदी में प्रभावशाली रही। पहले महायुद्ध में उम भावना को स्वयनिर्णय का सहारा मिला। और उममें से, जैसा कि हम पीछे कहेंगे हैं, अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र-राज्य उत्पन्न हुए तथा राजनैतिक चित्रपट पर उनका उपयोग पाद्य के समान किया गया। पहले महायुद्ध में स्वयनिर्णय का उदय हुआ तथा स्वयनिर्णय में से दूसरे महायुद्ध का जन्म हुआ। संसार में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अब एक प्रचण्ड शक्ति बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच की घटनाओं का निर्माण करने वाली तथा उमका नियमन करने वाली दुहरी शक्ति बन गई है।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की कल्पना में राष्ट्र तथा स्वतन्त्रता ये दो कल्पनाएँ आती हैं। स्वतन्त्रता के अर्थ एवं आशय का विवरण इस ग्रन्थ में पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका है। व्यक्ति एवं स्वतन्त्रता का राज्य में जो सम्बन्ध होता है, वैसा ही कुछ सम्बन्ध राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के बीच में होता है। राष्ट्र अन्तर्गतत्वा एक भावना है। उम भावना का वर्णन किया जा सकेगा पर सर्वथा तर्कशुद्ध व्याख्या करना कठिन है। राज्य का एव राज्य विषयक कल्पना के विकास का ऊहापोह एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत लेखक के 'राज्य शास्त्र विचार' नामक ग्रन्थ में किया गया है। तथापि यहाँ उसका संक्षेप में वर्णन करना अभीष्ट होगा। राष्ट्र एक मानसिक भावना है और उद्गम भी मानसिक परिस्थिति में से ही हुआ है। मैं भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्रीय हूँ, इस भावना में जो-जो बानें अन्तर्भूत होती हैं, उनकी पूरी जानकारी मुझे होती है। मैं भारतीय हूँ तथा ऋग्वेद में लेकर कालिदास तक जो कुछ भी रचा गया है, गाया गया है, उन सबके बारे में विद्यमान आत्मीयता इस भावना में मौजूद रहती है। राष्ट्र की भावना के साथ ही प्रादेशिक भावना की कल्पना भी मन में आती है, यह सच है। तथापि प्राचीन काल में इस भावना के भीतर सब कहीं प्रादेशिकता का अन्तर्भाव नहीं होता था, यह ऐतिहासिक मत्य है। लोग उन दिनों स्थिर नहीं हुए थे और जीविका के लिए उन्हें निरन्तर टोलियाँ बना कर घूमना पड़ता था। प्रत्येक टोनी में एकता की भावना रहनी थी। अर्थात् एक दृष्टि से राष्ट्र की भावना थी। यह टोनी किम प्रवाण बनी यह देखना भी महत्वपूर्ण



राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी अधिकार होता है। नागरिक के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त, चालू सम्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति तक, सब बातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य यदि नागरिकों के जीवन एवं धन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दे तो उसे अनुमति रहती है। अन्य किसी से उसके लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं रहती। अपने उद्देश्य तथा ध्येय क्या हैं, उनको कार्यरूप में परिणत करने के साधन क्या हो, राज्य का संरक्षण एवं संचयन किस प्रकार किया जाए, कार्यपालन की व्यवस्था क्या हो, इत्यादि बातों को निश्चित करने का अधिकार उसी का है। अन्य किसी के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। राज्य में किसी आने दिया जाए, किस भाग का आयात या निर्यात किया जाए, इस बारे में राज्य को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय, सजा, पढ़ाई-लिखाई, आदि की व्यवस्था करने—मक्षेत्र में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में जो भी आये करने की पूरी छूट प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को प्राप्त है। प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य का कानून की दृष्टि में अर्थ है—सब प्रकार की शक्तियों में भुक्त होना। राज्य यदि जगत् के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कुछ गलत काम कर बैठे, ऐसा कोई प्रयोग कर बैठे, जो दुनिया में कभी किया नहीं गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह सब राज्य के अधिकारक्षेत्र में आता है। अधिकार में रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका यह अर्थ नहीं कि न्याय या अभीष्ट कार्य ही किया गया है। यदि राज्य सस्था के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि राज्य ने अनेक बार अन्याय के कानून एवं कृत्य किए हैं। नि.सन्देह इस बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्याण का ही काम किया करता है। जो बात व्यक्ति के लिए अन्याय की सिद्ध होती है, वह राज्य के लिए अन्याय की बात नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। व्यक्ति के जीवन के लिए लायू होने वाले नैतिक आदर्श राज्य के जीवन के लिए लायू ही सकते। वे अप्रस्तुत एवं अप्रये मावित होते हैं। राष्ट्र जब राज्य होता है, तब राष्ट्र के सारे व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन की केवल शक्ति का वह योग मात्र नहीं होता। उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति राज्य को प्राप्त होती रहती है। जब चार व्यक्ति एकत्र आते हैं, तब वह सिर्फ योग [ + ] नहीं रह जाता, संगठन हो जाने के कारण वहाँ गुणा [ × ] होता है। व्यक्तिगत धर्म का जोड़ और घटा तो वहाँ रहता ही है पर उसके साथ ही संगठन का भी धर्म वहाँ रहता है। सामान्य जीवन में भी घबराने वाले व्यक्ति यदि चार लोगों के समूह में चले जाएँ तो उनमें धर्म बिराजने लगता है, इसका रहस्य एकदम साफ है। इसी के साथ व्यक्ति की अहिंसा, अहंभाव, अभिमान आदि सारी बातों का भी व्यक्ति जब समष्टि रूप में आता है, तब गुणा [ × ] हो जाता है। एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के बीच जो पृथक् भाव होता है, वह राष्ट्र के होने में और अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा राष्ट्र के राज्य बन जाने पर उस पृथग्भाव को एक कानूनी रूप प्राप्त हो जाता है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। यह पृथग्भाव राष्ट्रीय भावना के मूल में होता है। अथवा जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, यह भाव ही उसका मुख्य लक्षण होता है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो नैतिक आदर्श प्रभावशाली होते हैं, वे नि.सन्देह राष्ट्रीय



होगा। सम्भव है कि वे एक ही परिवार के लोग हों, या अन्य किसी कारण से वे एकत्र आये हों, या वे एक ही भाषा बोलने वाले हों। तथापि ज्ञात काल से इतना मालूम है कि ये टोर्गियाँ, ये जनसमूह अस्तित्व में आए हुए हैं। वंश, भाषा, समान नेतृत्व आदि बातों के होने भर से राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो जाती है ऐसा बहना ठीक नहीं। यह तो होना ही चाहिए। पर इसके साथ-साथ कुछ और भी होना चाहिए। वह केवल आधिभौतिक नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक भी होना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले लोगों के अनेक राष्ट्र हैं। एक ही वंश के लोगों के अनेक राष्ट्र हैं। एक ही राजकीय अनुशासन में रहने वाले अनेक राज्य हैं। समान परम्परा, समान पराक्रम, तथा एक साथ मिल-जुलकर भोगे गये सुख-दुःख आदि सब बातें राष्ट्र की भावना की मदद करने वाली तथा समर्थन करने वाली होती हैं, यह सही है तथापि मानव का ऐतिहासिक उन्नति से सम्बन्धित अस्थिरता से लेकर स्थिरता तक 'चरैवेति' वृत्ति से लेकर अचल स्थिति की घटना तक जो प्रवास हुआ है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। घुमन्तू टोलियाँ पहले पैदल धूमती थीं। बाद में बाहनों का युग शुरू हुआ। गधे, घोड़े, ऊँट आदि साधनों को काम में लाया जाने लगा। उमके बाद रथों एवं गाड़ियों का उपयोग होने लगा। इस उन्नति के साथ-साथ कहीं जमीन में पैदा हुए अन्न-धान्य का पना चला और कुछ टोलियाँ वहाँ रहने लग गईं। वस्ती होने के साथ-साथ वस्तु की भावना भी उत्पन्न हुई। तब वह क्षेत्र सबका न रहकर कुछ खास लोगों का हो गया। तथा सामुदायिक मिश्रणियत का भाव वहाँ काम करने लगा। अपनी टोली से बाहर के लोग अपने से अलग हैं, यह भाव उत्पन्न हुआ और तब झगड़े हुए, लड़ाईयाँ हुईं, भूमि का कुछ भाग पराक्रम का हिस्सा हो गया। जहाँ लोग लड़े और उन्होंने विजय प्राप्त की, वे स्थान, पूजा-स्थान एवं पवित्र-स्थान हो गए। जहाँ पूर्वज लोग धारातीर्थ में पड़े थे, वे स्थान तीर्थ बन गए, श्रद्धा-स्थान बन गए और तब टोली के राष्ट्र-विषयक अध्यात्म-भाव के लिए वह भूमि आधिभौतिक भाग बन गई। उसके देह और आत्मा ये दो रूप हो गए। तब राष्ट्र एक निश्चित प्रदेश हो गया, जिसमें वे लोग रहने लगे जो अपने को एक एक अन्यो से भिन्न मानते थे। राष्ट्र की भावना में आत्मीयता के साथ ही पृथक्त्व का भाव भी रहता है। किबहुना, पृथक्त्व की भावना से ही राष्ट्र का लक्षण स्पष्ट हो जाता है। अपनी भूमि निश्चित हो जाने के बाद, उम पर जो कोई आक्रमण करता है, उसका डटकर मुकाबला किया जाता है। इसी कल्पना का विकास होता चला गया तथा आज सारे जगत् में राजनीति की रचना राष्ट्र राज्य के तत्त्व के अनुसार ही हुई है।

१६वीं सदी के आरम्भ तक हर राष्ट्र स्वतन्त्र राज्य था, ऐसी बात नहीं। पर प्रत्येक राष्ट्र को स्वतन्त्र राज्य होने का जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा थोड़ा सा विचार १६वीं सदी के आखीर-आखीर में यूरोप के राजनीतिक तत्त्वज्ञान में समाविष्ट हो चुका था। इसका अर्थ है अपने आप में स्वतन्त्र एवं प्रभुत्व-सम्पन्न सगठन होना। प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य का अर्थ है अपने क्षेत्र में एकमात्र उभोका मत्ताधारी होना। उसकी आज्ञा का उत्तरण दण्डनीय शून्य सिद्ध होना है। मजा का पात्र सिद्ध होता है।

राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी अधिकार होता है। नागरिक के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त, चानू सम्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति तक, सब बातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य यदि नागरिकों के जीवन एवं वित्त पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दे तो उसे अनुमति रहती है। अन्य किसी में उसके लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं रहती। अपने उद्देश्य तथा ध्येय क्या हैं, उनको कार्यरूप में परिणत करने के साधन क्या हों, राज्य का सरक्षण एवं सवर्धन किस प्रकार किया जाए, कार्यपालन की व्यवस्था क्या हो, इत्यादि बातों को निश्चित करने का अधिकार उसी का है। अन्य किसी के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। राज्य में किसे अग्नि दिया जाए, किस माल का आयात या निर्यात किया जाए, इस बारे में राज्य को किमी में पूछने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय, सजा, पचाई-लिखाई, आदि की व्यवस्था करने—गंभीर में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में जो भी कार्य करने की पूरी छूट प्रमुख सम्पन्न राज्य को प्राप्त है। प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य का कानून की दृष्टि में अर्थ है—सब प्रकार की सत्ताओं से मुक्त होना। राज्य यदि जगत् के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कुछ गलत काम कर बैठे, ऐसा कोई प्रयोग कर बैठे, जो दुनिया में कभी किया नहीं गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह सब राज्य के अधिकारक्षेत्र में आता है। अधिकार में रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका यह अर्थ नहीं कि न्याय्य या अभीष्ट कार्य ही किया गया है। यदि राज्य सस्था के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि राज्य ने अनेक बार अन्याय के कानून एवं कृत्य किए हैं। निःसन्देह इस बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्याण का ही काम किया करता है। जो बात व्यक्ति के लिए अन्याय की सिद्ध होती है, वह राज्य के लिए अन्याय की बात नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। व्यक्ति के जीवन के लिए लागू होने वाले नैतिक आदर्श राज्य के जीवन के लिए लागू नहीं हो सकते। वे अप्रस्तुत एवं अव्यवहार्य होते हैं। राष्ट्र जब राज्य होता है, तब राष्ट्र के सारे व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन की केवल शक्ति का वह योग मात्र नहीं होता। उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति राज्य को प्राप्त होती रहती है। जब चार व्यक्ति एकत्र आते हैं, तब वह तिरुं योग [ + ] नहीं रह जाता, सगठन हो जाने के कारण वहाँ गुणा [ × ] होता है। व्यक्तिगत धर्म का जोड़ और घटा तो वहाँ रहता ही है पर उसके साथ ही सगठन का भी धर्म वहाँ रहना है। सामान्य जीवन में भी घबराने वाले व्यक्ति यदि चार लोगों के समूह में चले जाएँ तो उनमें धर्म विराजने लगता है, इसका रहस्य एकदम माफ है। इसी के साथ व्यक्ति की अस्मिता, अहमाव, अभिमान आदि सारी बातों का भी व्यक्ति जब समष्टि रूप में आता है, तब गुणा [ × ] हो जाता है। एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के बीच जो पृथक् भाव होता है, वह राष्ट्र के होने में और अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा राष्ट्र के राज्य बन जाने पर उस पृथक्भाव को एक कानूनी रूप प्राप्त हो जाता है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। यह पृथक्भाव राष्ट्रीय भावना के मूल में होता है। अथवा जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, यह भाव ही उसका मुख्य लक्षण होता है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो नैतिक आदर्श प्रभावशाली होते हैं, वे निःसन्देह राष्ट्रीय

जीवनगत नैतिक आदर्शों की तुलना में घटिया दर्जों के होते हैं। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को मार डाले तो वह हत्या का अपराध हो जाता है। पर यदि हजारों व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को मार डालें तो उसे युद्ध की सजा दी जाती है। जब दो राज्यों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है तो वैयक्तिक भगडों में उत्पन्न होने वाले रोप की अपेक्षा कई गुना अधिक रोप जनता प्रदर्शित किया करती है और युद्ध का फल पराजित राष्ट्रों की जनता की स्वतन्त्रता के अपहरण के रूप में परिणत होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी नियन्त्रण रखा जाए। व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ कानून के अनुकूल रहने वाली स्वतन्त्रता किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो स्वतन्त्रता हर राज्य के उपभोग के लिए रहती है, उस पर भी कुछ नियन्त्रण जगत् की शान्ति की दृष्टि से अवश्य होना चाहिए और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता रहती है। और इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का महत्त्व हुआ करना है, किबहुना, यह कहना अधिक उचित होगा कि जब जगत् के सारे राज्य एक दूसरे की स्वतन्त्रता को मानने के लिए तैयार होंगे तभी उनकी अपनी स्वतन्त्रता सार्थक एवं प्रभावशाली हो सकेगी।

राज्य की सत्ता अमर्याद है। तथापि राज्य का स्वरूप एवं गौरव इस बात पर निर्भर करता है कि उस सत्ता का उपयोग किस तरह किया जाता है। वह यदि किन्हीं खास व्यक्तियों, गुटों या वर्गों के हित के लिए उसका उपयोग करेगा, तो देश में सामाजिक शांति नहीं रह जाएगी, यह हम पहले कह आए हैं। आज की दुनियाँ में मालदार वर्ग अपने काम का जाल केवल देश में ही नहीं, परदेश में भी फैलाया करता है। पहले व्यापार पहुँचता है, पीछे में सत्ता पहुँचती है। पहले तराजू पहुँचती है तब तलवार पहुँचती है। कम-से-कम भारत के लिए तो यह अनुभव जाना पहचाना है। देश की सरकार मालदार लोगों के इशारे पर काम किया करती है। तथा तब मालदार लोगों की प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। साहूकार या मालिक के अपमान को जिस प्रकार काश्तकार लोग अपना अपमान मान बैठते हैं, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में पूँजीपतियों का अपमान हो जाए या उनके साथ कुछ अन्याय हो जाए तो उसे राष्ट्र का अपमान मानकर राज्यसत्ता पूँजीपतियों की सहायता के लिए दौड़ी-दौड़ी जाती है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की कोठियों की रक्षा के लिए अंग्रेजी राज्य की पलटनें यहाँ आईं। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों के मालिक मालदार अंग्रेज लोग थे। इस कारण अंग्रेजों की सेनाएँ उनकी रक्षा के लिए अफ्रीका में गईं। आज भी दक्षिण अमेरिकी राज्यों में यूनाइटेड स्टेट्स के पूँजीपतियों की सहायता के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार दौड़ी-दौड़ी जाती है। पूँजी चाहे तेज के उद्योग में लगी हो, या फौलाद के उद्योग में या चाय के बागानों में, एक बात साफ है कि अपने देश की पूँजी जब दूसरे देश में जाती है, तब राज्य उसकी रक्षा का भार अपने सिर पर ले लेता है। कभी-कभी यह बात जाहिर नहीं रहती फिर भी पूँजीपतियों को इस बात का पूरा यकीन होता है कि उनके देश की

सरकार उनका साथ जरूर देगी और जब अनेक पराये देशों में अपनी आर्थिक पकड़ को मजबूत करने के लिए राजकीय सत्ता दौड़ कर पहुँचती है, तब वहाँ साम्राज्यवाद स्थापित हो जाता है और तब पिछड़े हुए प्रदेश एवं पिछड़े राष्ट्र पूँजीवादी प्रभाव-शाली राष्ट्रों के गुलाम हो जाने हैं। अधिक उन्नत राष्ट्र के पूँजी लगाने के कारण पिछड़े देशों की कुछ उन्नति जरूर होती है तथापि उसके राजनीतिक परिणाम अच्छे नहीं होते। कानून एवं व्यवस्था के सुधरने पर भी, रहन-सहन का दर्जा बढ जाने पर भी चरित्र पतनोन्मुख हो जाता है, एवं उत्तरदायिता की प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। दूसरी ओर पूँजी लगाने वाले देश की अग्रगण्य आर्थिक उन्नति होती है। १८वीं सदी में भारत की सम्पत्ति इंग्लैंड में पहुँची और उसके बल पर इंग्लैंड की पूँजी एवं उद्योग बढे। किबहुना, इंग्लैंड में १९वीं सदी में जो आर्थिक सम्पन्नता दृष्टिगत होती थी, वह भारतीय सम्पत्ति का ही फल था। फिलीपाईन एवं दक्षिण अमेरिकी संस्थानों का अमरीका ने जो शोषण किया था वही अमरीका की समृद्धि का कारण बना। आर्थिक पंजे में आने वाले राष्ट्रों की थोड़ी बहुत आर्थिक उन्नति होती है, पर उनका आदर्श क्षयोन्मुख हो जाता है। राज्य कितना भी अच्छा राज्य क्यों न हो उसे स्वराज्य की प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। स्वराज्य का अर्थ है आत्मविश्वास। उससे नागरिकों के रचनात्मक कर्तृत्व को एक प्रकार का उत्तेजन प्राप्त होता है। स्वराज्य का अर्थ जहाँ गलती करने का अधिकार है, वहाँ अपनी गलती को सुधारने की उत्तरदायिता भी है। कोई भी राज्य प्रजा के संतोष की नोक पर ही खड़ा हुआ करता है और यदि प्रजा को यह अनुभव हो जाए कि राज्य के कार्यकलापों में उसकी अनुभूतियों का कोई स्थान नहीं है, तो वह अप्रसन्न हो जाती है। जिन कानूनों एवं व्यवस्थाओं का अनुभव उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, वे उनकी अनुभूतियों के लिए विसंगत हो जाते हैं। किबहुना, प्रकृति का विचार किए बिना विक्रिस्ता करने के लिए जैसे कोई किसी पेटेंट दवा का सेवन करता है, उसी प्रकार का व्यवहार यहाँ भी नजर आता है और जहाँ राज्यकर्ता एवं प्रजा एक ही समाज के घटक नहीं होते, एक संस्कृति के उत्तराधिकारी नहीं होते, वहाँ उत्पन्न होने वाला प्रारम्भिक स्वरूप का अग्रंतोष अतिशीघ्र तीव्र हो उठता है। विदेशी सत्तापारी लोग साम, दाम, दण्ड एवं भेद इन चारों उपायों को काम में लाते हैं। भीति के वातावरण में बने रहने के कारण अपनी रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग करने की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। जनता का समर्थन प्राप्त न होने के कारण उस राज्य सत्ता के लिए दमनवक्र के अनिश्चित अन्त्य कोई उपाय नहीं रह जाता। अतएव विश्वशांति की स्थापना की दृष्टि में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं पिछड़ों को उन्नत बनाने के हेतु तथाकथित उन्नतिवाद आदि सब निरपयोगी साबित होते हैं।

राष्ट्रराज्य हो जाने के कारण वहाँ का पूँजीवादी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चला जाता है और तब वह अपने स्वार्थ के लिए अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को दाँव पर लगाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि विश्वशांति बनी रहे तो राष्ट्रराज्य की दानि एवं अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ अक्रुश अवश्य होना चाहिए।

संसार के लोगों को जिस शान्ति, मम्यता एवं मरकृति की सामान्यतया कामना रहती है, उसको बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रराज्य पर नियंत्रण होना चाहिए और जिस क्षेत्र में एकाधिक प्रभुत्वमम्पन्न राज्य हों, वहाँ किसी एक राज्य की ओर से पतवा जारी नहीं होने देना चाहिए। वैसे यदि हो जाए तो वह राष्ट्र साम्राज्य न भी हो, तो भी उसकी वृत्ति साम्राज्यवादी अवश्य हो जाती है। आज की दुनियाँ में राज्यों की स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के खातिर आवश्यक ऐक्य एवं हितैक्य को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति एवं समाज के हितों के बीच सघर्ष हो जाने पर समाज के हित को प्रमुख समझा जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रराज्य के हित में सघर्ष हो जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय हित को प्रमुख समझा जाना चाहिए। विश्व की आवश्यकता को राज्य की आवश्यकता की तुलना में अधिक प्रमुख समझा जाना चाहिए। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ विवाद उपस्थित करे तो अन्यो को उसका न्याय करने के लिए आगे आना चाहिए। विचार-विनिमय एवं शान्तिमय उपायों से उन मसालों को हल किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से उचित है। राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद कई प्रकार के होते हैं। दो राज्यों के बीच की सीमा को निश्चित करना बहुत जरूरी है। अधिकार की सीमावाला प्रदेश राज्य का एक मुख्य लक्षण है। इस प्रकार के राज्य की सीमा का इकतर्फी निर्धारण काम नहीं आता। दूसरे सम्बन्धित राज्य से विचारविमर्श करके ही यह काम किया जाना चाहिए। आजकल की दुनियाँ में यातायात के साधनों के क्षेत्र में इत्ती प्रगति हो गई है कि विभिन्न देशों एवं विभिन्न महाद्वीपों के बीच का अन्तर अर्थहीन हो गया है। अनेक स्वतन्त्र राज्यों के रहते हुए भी अवस्था यह है कि विश्व की मारी प्रजा में एक प्रकार की जागतिक एकत्व की भावना काम करने लग गई है। विनोवा जी की 'जय जगत्' की घोषणा विद्यमान परिस्थिति के सर्वथा अनुरूप एवं विश्व के भविष्य की दृष्टि से सर्वथा अर्थपूर्ण है। आज दुनियाँ के किसी भी कोने में कोई 'खुटक' हो जाए, मारी दुनियाँ में उसकी प्रतिध्वनि गूँज उठती है। कोरिया में लड़ाई हुई और पूना में महंगाई हो गई। इन दोनों घटनाओं में ऊपरी तौर से कोई कार्य-कारण भाव न भी नजर आए, तो भी वह है निश्चित। और जैसे मुहुल्ले में गडबड हो जाने से हर एक घर-मालिक सावधान हो जाता है, उसी प्रकार आज के विश्व की स्थिति है। व्यक्तिगत राष्ट्र के सारे व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर अवलम्बित रहते हैं। आज यदि कोई राष्ट्र अलिप्त रहना भी चाहे, तो भी नहीं रह सकता। उसकी इच्छा हो या न हो, अपने भगडों में उसे पडना ही पडता है। यू० एन० ओ० की चावडी में बैठना ही पडता है। चौबरीगीरी करनी पडती है। एवं शान्ति बनाए रखने के लिए विवादों को निपटाने की कोशिश करनी ही पडती है। उसमें भाग लेना ही पडता है। कोई राष्ट्र सम्बन्ध-विच्छेद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। विश्व की शान्ति में प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। विश्व की राजनीति में सन्तुलन रहे, तो उसकी अपनी राजनीति में भी सन्तुलन बना रह सकेगा। आज

हर राष्ट्र जो भी कुछ करता है, उसका असर सूक्ष्मरीति से क्यों न हो, विश्व के सभी राष्ट्रों पर पड़ता है। इंग्लैंड में किस दल की जीत हुई, अमेरिका में किम दल का प्रेसिडेंट चुना गया, चीन के राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, क्रुम्चेव का स्थान अटल है या नहीं, आदि मय बातों का प्रभाव सिर्फ सम्बन्धित राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहता। केरल में साम्यवादी पक्ष सत्ताधीन बना। इसका अर्थ कई लोगों ने यह किया कि चुनाव के मार्ग से साम्यवाद के विजय की आशा है। अर्थ मार्ग से तथा अर्धसंश्लेष साधनों से उस सरकार को अपदस्थ किया गया। इस घटना का असर केवल हिन्दुस्तान की राजनीति पर ही हुआ ही, ऐसी बात नहीं, बल्कि किसी-न-किसी अंश में अन्य राष्ट्रों की राजनीति पर भी उसका असर हुआ है। अफ्रीका में काते अफ्रीकियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस बात का असर विश्व की राजनीति पर हुआ है। अमेरिका में नीचो लोगों को अभी तक ममान अधिकार नहीं दिए जाते। इसका असर केवल अमेरिकी चुनावों तक ही सीमित नहीं रह गया है। हर राष्ट्र का घरेलू भगड़ा भी आज विश्व के चौराहे पर चर्चित होता है। यदि कोई किसी नए शस्त्र या शस्त्र का आविष्कार करे तो उसका असर अन्य राष्ट्रों पर होना है तथा अधिक विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण की होड़ लग जाती है और उससे सारे विश्व में खतरनाक हालत पैदा हो जाती है। सीधे-सादे क्षेत्रों की भी आज यही हालत है। अतः इन बातों से एक राष्ट्र का नहीं, कई राष्ट्रों का सम्बन्ध आता है। इन मामलों में कुछ-न-कुछ नियन्त्रण एवं सामुदायिक मार्ग-दर्शन अवश्य होना चाहिए। यदि विवाद केवल दो राष्ट्रों के बीच हो तो उचित यह होगा कि वे दोनों आपस में मिलजुल कर शान्तिपूर्वक कोई सुलह-समझौता कर लें। पर यदि ऐसा न हो तो उम अवस्था में जो आग सुनोगी, वह उन दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रह सकेगी। राह चलते दो आदिमियों में कोई फसाद हो जाए तो कुछ लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ इस पक्ष के तो कुछ उस पक्ष के और तब दगा शुरू हो जाता है। दुकानें बन्द हो जाती हैं। लोक-व्यवहार स्तब्ध हो जाता है। लगभग यही कुछ तब होता है, जब दो राष्ट्रों में भगड़ा शुरू हो जाता है। अतः जिन बातों में लोगों के अधिक हित सम्बन्ध निगडित नहीं होते, उन बातों में सारे विश्व के लिए एकमूर्तता लाई जानी चाहिए। एक नीति होनी चाहिए। इस बात को कोई नामजूर नहीं करेगा। अफ्रीका, चरस आदि का नियमन, यातायात का नियमन, महामारी का नियमन, तथा मजदूरों से सम्बन्धित नीति आदि बातों में पर्याप्त सहयोग आधुनिक विश्व के अनेक राष्ट्रों के बीच बना हुआ है। व्यापार-विपयक क्षेत्र में भी कुछ प्रथाएँ एवं व्यवस्थाएँ अब सर्वसम्मत हो चुकी हैं। यही नहीं, अन्न-धान्य के बारे में भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निर्माण हो चुकी हैं। तथा एक दृष्टि से इस क्षेत्र के द्वारा समूचे विश्व का नियमन किया जाता है। गेहूँ, चावल तथा दवाइयों की सप्टाई के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निर्माण हो चुकी हैं तथा बिन्ही विशेष नियमों के अनुसार उनका काम चलता है। यही नहीं संसार में पूँजी के वितरण की दृष्टि से भी 'वर्ल्ड बैंक ऑफ मॉनीटरी फंड' सार्वभौम संस्थाएँ अस्तित्व में आ चुकी हैं। विश्व में अब पहले जैसी आर्थिक एवं व्यापार-विपयक परिस्थिति नहीं रह गई है। इन दोनों क्षेत्रों में कुछ नियम काम में

लाए जाते हैं तथा 'बटयूट कम्पटीशन' अब पर्याप्त कम हो गए हैं। तात्पर्य यह कि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच हितैक्य निर्माण हो जाने के कारण शान्ति भंग करने वाली अनेक बातें सुप्त हो गई हैं और यह सब इसलिए हुआ कि व्यक्तिगत राष्ट्रों या राज्यों ने स्वच्छता में जागतिक नियमनों एवं नियन्त्रणों को स्वीकार किया है।

गत आधी सदी में जो दो महायुद्ध हुए तथा जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए—रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के—उनके कारण हर राष्ट्र का विश्व-सम्बन्धी दृष्टिकोण बदल गया है। एक दृष्टि में गारा विश्व एक हो गया है। अतः किसी खास देश की उन्नति में विश्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। विश्वशान्ति तथा विश्व-प्रतिष्ठा के लिए विश्व के सारे देशों की उन्नति होना जरूरी है। सारे विश्व की उन्नति के लिए किसी एक शास्त्र, एक नियन्त्रण तथा एक नियामक की आवश्यकता होगी। कोई बात दुनियाँ के भले के लिए है या बुरे के लिए, इसे निश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च मत्ता का होना बहुत जरूरी है और आधुनिक विश्व में स्वभावतः ऐसी सत्ता का स्वरूप मन्था या सगठन ही हो सकता है। नगर का यह शास्ता या नियन्त्रक धर्मोपदेशक की तरह का हो, तो उससे काम नहीं चल सकता। केवल लाभ की कुछ बातें कहने वाले का सा उमका रूप नहीं होना चाहिए। नियम देने तथा उम पर अमल-करवाने वाला यह सगठन हो तो उसके लिए सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्रों को अपनी प्रभुता में कुछ बंभी तो करवानी होगी ही। जिस प्रकार ममाज का अग बनने के बाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता कुछ अकुशित हो जाती है, उसी प्रकार स्वतन्त्र राष्ट्रों का नियमन करने वाले जागतिक सगठन का अग बनने के बाद राष्ट्रों को भी अपनी स्वतन्त्रता को कुछ अकुशित करवाना होगा। इस प्रकार के जागतिक सगठन तभी सार्वभौम एवं वायंशम हो सकते हैं, जब उसका अग बने हुए सब स्वतन्त्र राज्य अपने प्रभुत्व का कुछ अंश उम सगठन को दे दें। मध्य-युगीन राज्यस्वतन्त्रता की कल्पना कभी की नामशेष हो चुकी है। उन्नीसवीं सदी की राज्यस्वतन्त्रता की कल्पना अधूरी एवं अग्रस्तुत है। आज के युग में अगर किसी भी राज्य की स्वतन्त्रता को सार्थक होना है, तो उसे अपनी स्वतन्त्रता पर थोड़े बहुत अनुग तथा जागतिक सामन को स्वीकार करना ही होगा। यदि कोई राष्ट्र विश्व की सर्वोच्च मत्ता की बात को मानने में इनकार करने लगे तो उसे बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज दक्षिण अफ्रीका के राज्य की यही हालत है। आज यदि कोई स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठा के गवाल को लेकर हठवादिता में काम करने लगे, तो उसका यह आचरण अदूरदर्शिता का द्योतक होगा। जिस प्रकार व्यक्ति को न्याय देना राज्य का कर्तव्य है, उसी प्रकार राज्यों को न्याय देना अन्तर्राष्ट्रीय सगठन का कर्तव्य है। मयुका राष्ट्र मग अथवा हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मन्थाने आज विश्व में प्रमुग मानी जाती हैं। क्रोध अथवा शक्ति के शब्द पर कोई अपने हठ पर घटा रहना चाहे तो यह सम्भव नहीं हो पाएगा। विवादों को सुक्ति एवं विचार-विनिमय द्वारा निरटाना चाहिए। या तो तत्पार के अंतर पर उनका निरटान किया जा सकता है या फिर सुक्ति

के जोर पर लिया जा सकता है। युक्ति की स्वीकार कर विवेक बुद्धि के निर्णय के अनुसार सबालों को हल करना स्वतन्त्रता का लक्षण है। वादी प्रतिवादी दोनों पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। अतएव दसत्र को हाथ न लागते हुए शासन की शरण में जाकर उन्हें युक्ति प्रतियुक्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि हर राज्य अपनी स्वतन्त्रता की पूर्णता के विषय में आग्रह करने लगे और कहने लगे कि वह जागतिक लोकमत की स्वीकार नहीं करेगा तो विश्व में शान्ति नहीं रह पायेगी तथा पूर्ण स्वतन्त्रतावादी राष्ट्र भी अपनी स्वतन्त्रता को बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। आजकल के युग में यदि कोई राष्ट्र अपने ही हठ पर अड़ा रहना चाहे तो अन्य राष्ट्र उसे वैसा नहीं करने देंगे। स्वैज नहर के सवाल से अमेरिका तथा रूस का सीधा सम्बन्ध नहीं था, तो भी उन्होंने इस सवाल पर अपना अभिप्राय प्रकट किया। अतः वह सवाल बातचीत एवं मुलह समझौते से निपट गया, युद्ध से नहीं। अफ्रीका महाद्वीप में आज जो उपनिवेशवाद की अन्त्येष्टि होने जा रही है, उसका भी मूल कारण विश्व की राय ही है। इम्पेरियल आज अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दे रहा है; बेल्जियम कांगो को स्वतन्त्रता दे रहा है। फ्रेंच राष्ट्र अपने उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर रहे हैं। इन सब घटनाओं का यही अर्थ है कि ये राज्य एवं उनके अधीनस्थ प्रदेशों के भगड़े आज विश्व की चर्चा के विषय बन गए हैं। गाँव में भगड़ा होने पर उस गाँव का पटेल भगड़ने वालों को चावडी पर बुलाता है और उनके भगड़े को खत्म करता है। वही स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब दो राष्ट्रों में भगड़ा होने पर विश्व का लोकमत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र सभ बीचबचाव के लिए उपमं पड़ता है। यदि कोई केवल भावना एवं शक्ति के जोर पर विश्व की समस्या को मुलभाना चाहे तो न्याय्य दृष्टि से वह मुलभा नहीं पाएगा। जो विजयी होगा वह उन्मत्त हो जाएगा तथा जो पराजित हो जाएगा, वह बदला लेने की ठानेगा। अतः उचित यही होगा कि विश्व शान्ति को बनाए रखने के लिए विवदमान राष्ट्रों को चाहिए कि वे विवेक, विचारविनिमय, एवं युक्ति की राह चुनें।

राज्यों के विवादों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी विवेक एवं युक्ति के मार्ग ही से होना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का फैसला मुलह समझौते से न हुआ तो युद्ध का टालना असम्भव हो जाएगा और तब उस युद्ध की किन्हीं विनोद क्षणों तक ही सीमित करना कठिन हो जाएगा। किसी भी क्षण दो राष्ट्रों के बीच का भगड़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर सकता है। मुलह समझौते से जब सवाल हल नहीं होते, युद्ध की सम्भावना पक्की हो जाती है, तब सम्बन्धित राष्ट्रों के मन भीतिग्रस्त हो जाते हैं। और तब गुटबन्दी (ग्रलाएंस) शुरू हो जाती है। नाना प्रकार के रक्षा सम्बन्धी समझौते किए जाते हैं। दुनिया भर में डर तथा अनिश्चितता का वातावरण छा जाता है। और यदि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न छिड़े तो भी युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। अगर घर में रहने वालों को मालूम हो जाए कि घर में साँप धुसा हुआ है तो वे चैन की नीद नहीं सो सकेंगे और वे मीठ बुरी तरह चिन्ताग्रस्त हो जाते हैं। ठीक यही अवस्था जीत की हो जानी है। अपनी स्वतन्त्रता के दुरभिमान के कारण, अपनी राष्ट्रीय भावना के अमर याद आविष्कार





कारखाने में मजदूर, स्कूल में इतिहास भूगोल पढ़ाने वाला अध्यापक, आदि सबके सब सिपाही समझे जाते हैं तथा कोई भी तोप के गोला से तथा बमशरी से सुरक्षित नहीं रह पाता। आधुनिक युद्धों में समूचे राष्ट्र को युद्ध के पैतरे में बड़ा होना होता है। समूचा राष्ट्र युद्धकाल में हर तरह में मगड़ित होता है। अन्य समय में भूपगवत् प्रतीत होने वाली नागरिक स्वतन्त्रताएँ युद्ध में विजय के मार्ग में रुकावट प्रतीत होती हैं। इसलिए युद्ध की तोप का पहला गोला छूटते ही नागरिक स्वतन्त्रताएँ जड़मूल से हिल उठती हैं। राज्य युद्ध में विजय हासिल करने के इरादे से इन स्वतन्त्रताओं को खत्म कर देता है। युद्ध के गुरु होते ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताएँ खत्म हो जाती हैं। युद्ध काल में भले ही समूचा राष्ट्र युद्धक्षेत्र बनता हो, राष्ट्र के सबके सब लोग लड़ाकू बनते हों, तो भी युद्ध गुरु होने से पूर्व, युद्ध की शैशवी के समय तथा युद्ध की घोषणा होने तक लोगों को अपनी राय जाहिर करने की छूट रहती है। युद्ध गुरु होने से पूर्व के इस काल में यदि लोकमत जागरित न हो तो सत्ताधारी एवं उनके सहायक वर्ग तथा व्यक्ति अपने स्वार्थ की दृष्टि से युद्ध के प्रश्न पर विचार करते हैं। एक बार युद्ध छिड़ गया कि फिर विचार-विनिमय, सुनहूँ समझौता आदि बातें मुद्विल हो जाती हैं। जब कुछ देर तक युद्ध चालू रहता है और दोनों पक्षों को उनके कुछ परिणाम भोगने पड़ते हैं, तब कुछ-कुछ विवेक जागता है। तथापि जो महत्वपूर्ण समय होता है, वह युद्ध गुरु होने से पूर्व का ही होता है और उन दिनों बहुमतवादी लोगों ने यदि राज्यसत्ता को विवेक का रास्ता न मुझाया तो जो वर्ग सत्ताधारी होते हैं वे उस विकट परिस्थिति से फायदा उठाते हैं तथा दलगत राजनीति का खेल खेलते हैं। उनका तो खेल होता है और तानाब के मंदकों की तरह सामान्य जनता की जान जाती है। सत्ताधारियों के हाथों में सही माने में पूरी सत्ता आ जाती है। और यदि उनके विच्छेद तत्काल शान्ति न हो तो किन्हीं भी बात की कोई मर्यादा नहीं रह जाती। तथा ये वर्ग ही राष्ट्र का पर्यायवाची बन जाते हैं जिसके फलस्वरूप राज्य की स्वतन्त्रता उनके स्वराचरण का साधन बन जाती है। तथा देश एवं देश की सम्मति और संस्कृति इनके हाथों चौपट हो जाती है। देश पर आने वाली आपत्ति एवं संकट के ये वर्ग सिल्पकार भावित होते हैं। इन सब बातों को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विद्व के व्यवहारों में राज्य की स्वतन्त्रताओं पर अत्रुष का होना बहुत जरूरी हो जाता है। अन्याय होते समय व्यक्ति उदासीन रहे, अपने दिल के डर से चुपचाप रहे, विरोधी पक्ष त्याग करने से बतराएँ तो इन बातों का फल यह होता है कि मौजूदा राज्य सत्ता युद्ध के पूर्व बेलगाम हो जाती है तथा विद्व की शान्ति खतरे में पड़ जाती है। कील के कारण नाल, नाल के कारण ढोड़ा तथा ढोड़े के कारण घुड़मवार खत्म हो जाता है—इस किस्म की परिणाम की गृहला निर्माण होती है।

चाहे समाज हो या राष्ट्र ही, दोनों की वृत्ति एवं स्वरूप उनके घटक भूत नागरिकों की वृत्ति पर अवलंबित रहते हैं। दो व्यक्तियों के तथा दो राष्ट्रों के बीच के व्यवहार में समानता होती है। जिस प्रकार किसी राज्य में अनेक हित-सम्बन्ध होते हैं, और उनके सम्बंध में व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति एवं संघ के

बीच तथा व्यक्ति एव राज्य के बीच वार्ताएँ आचार धारण क्रिया करती हैं। सुख-आनन्द एव मनोरंजन के उद्देश्य से लोग एक जगह जमा हुआ करते हैं। मघ बनते हैं। किबहुना, राज्य के सम्बन्ध में भी यह भाव स्पष्ट रहता है। अतः व्यक्तियों के व्यवहार में समाज जिन नीतितत्त्वों को चाहता है, वही नीतितत्त्व राष्ट्रों के व्यवहार में भी अपेक्षित समझे जाते हैं। मजदूर मघ का आचरण कैसा हो तथा उमका सम्बन्ध राज्य के साथ किस प्रकार का रहे इस बारे में जो विचार समाज में प्रकट किए जाते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में विभिन्न राष्ट्रों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रकट किए जाने वाले विचारों से मेल राने वाला होना चाहिए। आम तौर पर व्यक्ति से वगैर पूछे, उमकी राय वगैर लिए यदि कोई फैसला उस पर लाद दिया जाए तो व्यक्ति उसका विरोध करता है, निन्दा करता है। राज्य के विभिन्न मघों एव सस्यामों से पूछे वगैर, उन्हें अपनी बात पेश करने का मौका दिए वगैर राज्य कोई निर्णय करे तो वे उसे चुपचाप मज़ूर नहीं करते। उसकी निन्दा एव विरोध करते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी किसी के विरुद्ध निर्णय लेते समय यदि कोई विचार-विनिमय न करे तो वहाँ भी विरोध होता है। तात्पर्य यह है कि जो भावना व्यक्ति की होती है, वही जाति, समाज एव राष्ट्र की होती है। अनेक दानों वाले मकई के भुट्टे की मिठास उसके हर दाने की मिठास पर अवलंबित होती है। कस्तूरी के गोले तथा उसके कण के मुगन्ध में क्वालिटी का फरक नहीं होता, मिर्च क्वालिटी का फरक होता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कोई व्यवस्था करनी हो, तो जिन राष्ट्रों पर उसका प्रभाव पडता है, उनका विचार अवश्य करना चाहिए। सन् १९२० में वर्साय के राजमहल में बैठकर यूरोप एव अफ्रीका के देशों की जो बाँट की गई, उससे सन्तोष एव समाधान के स्थान पर भावी अनर्थ का ही बीजारोपण किया गया। जिस बात को व्यक्ति नहीं मान सकते, उसे समष्टि या समाज भी नहीं मान सकता, यह स्पष्ट है। अतः राज्य के कामकाज को व्यक्ति का समर्थन प्राप्त हो तो राज्य में सुख रहता है, शान्ति रहती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में व्यक्तिगत राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हो, तभी वास्तविक शान्ति की व्यवस्था स्थिर धनी रहेगी। आजकल राष्ट्रसभ में बहस होती है, विचार-विनिमय होता है तथा किसी भी राष्ट्र को खत्म करने या नुकसान पहुँचाने जैसी बात नहीं की जाती। यह शुभ लक्षण है। व्यक्ति जब समाज में आता है, तब उसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार राष्ट्र राज्य जब अधिक व्यापक विश्व मंगठन में आता है, तब उसके विकास के लिए अधिक अनुकूलता हों जाती है। उसका कर्तृत्व उत्साही बनना है। विश्व मंगठन में आने से उसकी स्वतन्त्रता थोड़ी सी अकुशित हों जाती है, यह निश्चित है। परन्तु उसी अकुश के कारण राष्ट्रराज्य की स्वतन्त्रता अधिक सुरक्षित होती है। गाँव में पुलिस की चौकी ही न हो, तो लडाई-फनाद हो जाने पर उसका अन्त सिर फुटीवल ही में होगा। पर यदि लोगों को मान्य हो कि गाँव में पुलिस चौकी मौजूद है, तो फसाद होते ही या होने की नीवत आते ही कोई न कोई दौडा-दौडा पुलिस चौकी पर जाता है। चौकी हो तो डम बात का इत्मीनान हो जाता है कि अपने ऊपर कोई यो ही हमला

नहीं करेगा। यही इस्तीफाना विश्व संगठन के रहने अनुभव होता है। राष्ट्रमंडल की मौजूदगी की वजह से मौजूदा राष्ट्र राज्य सुरक्षित हैं। और जैसे-जैसे विश्व संगठन के माध्यम से राष्ट्रों का पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा वैसे-वैसे उनकी सुरक्षा मजबूत होती चली जाएगी। प्रगति की अधिक गति प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण से राष्ट्रीय के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक नैतिकता आती है तथा व्यवहार में भी अधिक उपयुक्तता आती है। जो अनुभव व्यक्तिगत जीवन में आता है, वही अनुभव व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रराज्यों को आता है। व्यक्ति के समाज में रहने के कारण जो जी में आए वह करने का अधिकार उसे नहीं रहता। समाज की दृष्टि से कुछ अंकुश उस पर लगाने पड़ते हैं। उसी प्रकार विश्व में राष्ट्र राज्य के उदित होने भर से उसे अमर्याद सत्ता नहीं प्राप्त होती। उसकी स्वतंत्रता एवं सत्ता पर भी अंकुश रहता है और उसे मानना लाभदायक ही होता है। समाज में भले ही राज्य का कर्तृत्व बढ़ा-चढ़ा हो, उसके आदेश माने जाते हो, पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी वह उसी तरह अपना सिक्का चलाना चाहे तो नहीं चल सकेगा। समाज में भी जो सत्ता प्राप्त हुई होती है, वह बिना किसी शर्त के नहीं होती। कागज पर भले ही वह पूरी हो, विधान में भले ही उस पर कोई शर्त न लगी हो, तो भी अघ्याहृत अंकुश उसमें अवश्य होते हैं। कोई सत्ताधारी उनका उल्लंघन सहना नहीं किया करना। क्योंकि उस प्रकार का उल्लंघन करने में सत्ता का उनके हाथ से छिन जाना अनिवार्य हो जाएगा इस बात की जानकारी उन्हें रहती है और कोई भी सत्ता इन अंकुशों की मौजूदगी के कारण अपने को अपमानित अनुभव नहीं करती। इसी प्रकार जब कोई भी राष्ट्रराज्य विश्व के राजमार्ग से जाता है, तब वह भी औरों के साथ-साथ किन्हीं अंकुशों को स्वीकार करता है तथा उनमें किसी प्रकार का अमान्य समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में थोड़े से नियमनों का उद्देश्य ध्यान में रखकर अस्तित्व में आई हुई सत्ता है, 'लीग ऑफ नेशन्स'। सन् १९२० से लेकर १९३९ तक अर्थात् दो महायुद्धों के बीच के काल में लीग ऑफ नेशन्स कुछ नियमन किया करती थी। उसी का एक भाग है 'आई० एल० ओ०' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। इस सत्ता ने मजदूरों से सम्बन्धित क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। तथापि व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की स्वतंत्रता पर प्रभावशाली रूप में अंकुश लगाने के काम में लीग ऑफ-नेशन्स की सफलता नहीं मिली। मंचूरिया पर किए गए जापान के आक्रमण को रोकना उसके लिए सम्भव नहीं हुआ। एडिसोनिमा पर होने वाले अत्याचारों को उसे आँखें बन्द करके देखना पड़ा। तो भी यह हमें यह सक्तते हैं कि विश्व नियमन की दृष्टि से तो एक प्रशंसनीय कदम था। अनेक मौकों पर लीग ने बहुत से अच्छे निर्णय किये थे। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में उसने ऐसे फैसले किए जो दोनों पक्षों को मजूर हुए। तथापि जो कुछ घटित हो रहा था, उसका, धीरे-धीरे के साथ सामना वह न कर सकी। कारण यह था कि उसके पास दण्ड-विषमक कोई योजना नहीं थी। छोटे राष्ट्रों के प्रश्न पर वह जोर से बोलती थी पर जब बड़े राष्ट्रों ने कलह उत्पन्न होना था, तब लीग के अस्थापक एवं मार्गदर्शक लीग कुछ नहीं करते थे। क्योंकि वे

लोग जानते थे कि उनका फैसला माना नहीं जाएगा। सन् १९१६-२० में किन्हीं स्थानों पर वह चुप रही, कहीं उसने आँसू बन्द कर लीं, कहीं उसने तत्त्वभ्रष्टता से काम लिया। उसके संगठन में बड़े राष्ट्रों का प्रभाव अधिक था और उसी के कारण हुआ यह कि मसार में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित हुई वह लीग की मसूदा दूसरे महायुद्ध के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करने में कारणीभूत हुई। दो युद्धों के बीच की शान्ति दूसरे महायुद्ध के पूर्व का उद्योग-धर्म साबित हुई। सस्त्रास्त्रों के प्राथमिक प्रयोग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में किए। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इस काल में यह निश्चित किया कि उनके शत्रु कौन है तथा आने वाले युद्ध की कुण्डली तैयार की और विश्व-शान्ति को कठिन एवं युद्ध को अटल बना दिया। ३-४ सौ बरसों के प्रयत्न से मसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपनी स्वतन्त्रता पर थोड़े से अकुश स्वीकार किए थे। तथापि लीग का जन्म शान्ति के मूल पर कुठारवत् सिद्ध हुआ यही कहना चाहिए। युद्ध बन्द हो चुका था; पर मन के भीतर का द्वेष एव मन्ताप ठण्डा नहीं हुआ था। विजयी राष्ट्रों के मन में बदले की भावना काम कर रही थी। पराजित राष्ट्रों में भी वही भावना उत्पन्न हो चली थी। अतः इस परिस्थिति में लीग के नैतिक स्वरूप के अधिकार को भी लोगों ने कुछ अधिक महत्त्व नहीं दिया। विश्व के राष्ट्रों के बीच ऐसी अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ थीं, जिन पर मतैक्य होना कुछ कठिन नहीं था। जिन क्षेत्रों में आम तौर पर हितैक्य नजर आता था, उनमें लीग ऑफ नेशन्स ने कुछ काम किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह हुई कि वह एक ऐसी कचहरी बन गई, जहाँ वादी-प्रतिवादी लोग आकर वाद-विवाद किया करते थे। अनेक बार लोकमत का दावा प्रभावशाली साबित हुआ। तो भी लीग को बड़े राष्ट्रों का मन्त्रा समर्थन प्राप्त नहीं था। उलटे लीग का उपयोग उन्होंने मौजूदा अन्याय को बदस्तूर कायम रखने के लिए किया। पराजित राष्ट्र का प्रदेश छीन लिया गया। उसके उपनिवेशों को विजयी राष्ट्रों के हाथ में वहाँ की जनता का पालन करने के लिए दे दिया गया। सद्भावना का प्रदर्शन लीग की हर सभा में किया जाता था। पर उस सद्भावना का आगे और कुछ नहीं बना। एक विचार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की राजनीति में जड़ें जमाने लगा था और वह यह था कि आदर्शों के विभेद के रहते हुए भी अनेक राष्ट्र चाहे तो किसी नद् उद्देश्य से एकत्र आ सकते हैं तथा सहयोग के बल पर कुछ एक क्षेत्रों में तो अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय नियमन को लागू करवा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई वस्तु उन दिनों निर्माण नहीं हुई थी। तो भी दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का ध्यान इस बात की ओर अवश्य गया कि अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मौजूद है।

लीग के सम्बन्ध में लोगों ने जो बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, वे यद्यपि पूरी न हो पायीं, तो भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, विश्व-शान्ति की दृष्टि से एवं विश्वव्यवस्था की दृष्टि से आगे कदम जरूर बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुजनसमाज को सही मानो में स्वतन्त्रता दिलानी है, तो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने से बात नहीं बनेगी। वितरण की व्यवस्था न्यायो-

चित्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार है, इत्यादि बातें मौलिक स्वरूप की समझी जाने लगी तथा पहले महायुद्ध के बाद यह सिद्धान्त भी अधिक प्रबल रूप से लोगों के सामने आया कि देश के भीतर के पूँजीवाद का पोषण विश्व के पूँजीवाद द्वारा होता है। देश के भीतर के पूँजीवादी देश की सीमा में बाहर हाथ-भर फैलाने लगते हैं तथा अपने उत्पादन को उचित मुताफा दिलाने के लिए वे देश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को दौंव पर लगाते हैं। कमी-कमी तो मुट्टी भर लोगों के फायदे के लिए समूचे राष्ट्र को युद्ध में पड़ना पड़ जाता है। इस दृष्टि से विश्व में यदि कोई सार्वभौम नियमन क्रम में आए तो ठीक रहेगा, ऐसा लोगों को प्रतीत होने लगा था तथा इसी से लीग का निर्माण हुआ। लीग के जीवन-काल में अनेकों ने ये विचार प्रतिपादित किए थे कि विश्व में एक विश्व राज्य होना चाहिए। अमेरिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार बन कर खड़ा होने वाले थ्रो विल्की ने तो 'एकविश्व' नामक एक ग्रन्थ लिखा था। विश्व में एक राज्य की बात केवल कल्पना न रहकर १० वर्ष पूर्व वृहत् चर्चा का विषय बन चुकी थी। दूसरे महायुद्ध के आरम्भ से पूर्व लीग यदि अपनी नीति पर मजबूत रहती तो कदाचित् एक विश्व राज्य की कल्पना अधिक स्पष्ट रूप से साकार हो गई होती। दूसरे महायुद्ध के बाद यही कल्पना किंचित् भिन्न रूप में लोगों के सामने आ रही है। विश्व की शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसकी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करने की दृष्टि से किसी नियामक व्यवस्था का होना अच्छा है, ऐसा लोगों की समझ में आ गया है। जिस प्रकार राष्ट्र के लिए आर्थिक विपन्नता का होना बुरा एवं अन्याय-कारक है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में किन्हीं राष्ट्रों का आर्थिक दृष्ट्या सम्पन्न होना तथा किन्हीं का विपन्न होना, किन्हीं का मालदार होना तथा किन्हीं का गरीब होना शान्ति का पोषक नहीं है। विश्व में अनिर्वच्य स्वतन्त्रता होनी चाहिए, इस मत का अमेरिकन अध्यक्ष ह्यूवेल्ट ने बहुत जोरदार रूप में प्रतिपादन किया था। महायुद्ध में हिटलर के विरुद्ध संगठित हुए राष्ट्रों की इस मामले में एक राय थी कि मरार में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, उन्नति की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा नागरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए और इसी मन्त्र्य में से राष्ट्रमण्डल (यू० एन० ओ०) का जन्म हुआ। यू० एन० ओ० की मदद एक दृष्टि से विश्व का एक राज्य होने के तत्त्वज्ञान के अन्तर्गत प्रगतिशील विचारों का निदर्शक है। यू० एन० ओ० के संविधान में विश्व की एक पार्लियामेंट की कल्पना के बीज मौजूद हैं। किन्हीं भी विवादों की सुनवाई राष्ट्रमण्डल में होती है। उन पर बहस होती है, फैसले किए जाते हैं, वृहत् जल्दी के मामलों पर विचार करने के लिए जो सिक्यूरिटी काउंसिल काम करती है, उसका स्वरूप राज्य की कार्यकारी सत्ता से कुछ मिलता-जुलता है। यू० एन० ओ० के संगठन ने गत १४ वर्षों में अनेक महायुद्धों के अथवा कृत्रिम युद्धों के प्रसंगों को दाला है। युद्ध न होने देने के लिए युद्ध के कारणों को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस संगठन के होने से किसी भी देश की इस बात का अनुभव नहीं होता कि उसकी स्वतन्त्रता घट गई है। यू० एन० ओ० में संलग्न आई० एल० ओ० नाम का मजदूरों का संगठन आज भी मजदूरों के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्ट्या

प्रभावशाली है। इस सगठन ने जो कुछ मजूर किया होगा उसे इस सगठन के सभासद राष्ट्रों का मजूर करना नैतिक कर्त्तव्य सिद्ध होता है और आम तौर पर उगे मजूर किया भी जाता है। यू० एन० ग्रो० या राष्ट्र मघ के फैसलों को मानना अब केवल नैतिक बन्धन भर रह गया हो ऐसी बात नहीं है। दण्ड-व्यवस्था भी हो चुकी है और उचित समय पर राष्ट्रसघ अपनी दण्ड-व्यवस्था पर अमल भी करने लग गया है। राष्ट्रसघ में हुए फैसलों से तथा उनका पालन करने की परम्परा से किसी भी राष्ट्र को यह अनुभव नहीं होता कि उसकी स्वतंत्रता में कमी आ गई है। राष्ट्रमघ व्यक्तिगत राष्ट्रों की रक्षा की दृष्टि से लीग की अपेक्षा अधिक समर्थ एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। चूँकि राष्ट्रमघ में हर किसी की सुनवाई होती है, अतः राष्ट्रों की सीमाएँ पहले से अधिक सुरक्षित हैं। और यदि चीन राष्ट्रमघ का सदस्य होता तो आज का सीमा विवाद उत्पन्न न हुआ होता। या बहुत ही शीघ्र खत्म हो गया होता। सघ के नियमन एवं नियन्त्रण के कारण किसी भी राज्य की पार्लियामेण्ट की सार्वभौमता पर आक्रमण हुआ है, ऐसा किसी को प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत मघ की स्थापना के बाद से करोड़ों लोग एवं लाखों मील के प्रदेश दूसरों की गुलामी से मुक्त हो गए हैं। मुक्त होकर जो देश स्वतन्त्र हुए वे स्वतन्त्र राज्य के रूप में राष्ट्रसघ के सदस्य बन गए हैं। सदस्य हो जाने के बाद उन्होंने मानो स्वतन्त्रता के अपने-अपने विमान ही उतारे हैं, ऐसा दृष्टिगत होता है। राष्ट्रसघ बन जाने के कारण किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में बलपूर्वक कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। उलटे शिक्षा, व्यापार, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में राष्ट्रमघ के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, उनसे सभार के ज्ञान में बढ़ती ही हो रही है। राष्ट्रसघ की एक शाखा 'यूनेस्को' सांस्कृतिक एवं कल्याण के क्षेत्रों में जो काम कर रही है, वह प्रशंसनीय है तथा इन कामों से किसी भी राष्ट्र के जीवन पर कोई अक्रुश आया है, ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। विश्व के धान्य का संचरण एवं वितरण, अग्रगण्य बच्चों के सम्बन्ध में कुछ नियमन राष्ट्रमघ के हाथों किया जाता है तथा उससे विभिन्न राष्ट्रों के जीवन में सहायता होती है, यह बात हर कोई मानेगा। न्यायदान के कार्य में अथवा नैतिकता से सम्बन्धित किसी भी मामले में राष्ट्रसघ किसी प्रकार का नियमन नहीं करता। किन्तुना, प्रत्येक राष्ट्र का जो व्यक्तिगत या खास जीवन होता है, उसमें राष्ट्रमघ अडगा नहीं लगता। उलटे राष्ट्रमघ के कामों से जीवन के उन क्षेत्रों में सहायता ही होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सामुदायिक रीति के जीवन के किन्हीं क्षेत्रों में मारे जगत् में समानता लाने से तथा उन क्षेत्रों में नियमन करने में राष्ट्र की प्रगति ही होती है तथा इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमन अभीष्ट है, ऐसा लोगों को अब अधिकाधिक समझ में आने लगा है। और जिन क्षेत्रों में समानता है, उनमें किसी विश्वव्यवस्था द्वारा अधिकाधिक नियमन किया जाना अभीष्ट ही सिद्ध होगा। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण एवं उन्नति के लिए आवश्यक बातें एवं सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, इसे स्वीकार कर लेने के बाद केवल एक-दो राष्ट्रों में नियोजन-व्यवस्था के होने से वे सब प्राप्त नहीं हो सकती। सारी दुनियाँ में नियोजन की व्यवस्था का होना जरूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि सारी दुनियाँ में नियोजन किया जाए, तो उसे करने के लिए

किसी विश्व मंडला एवं विश्वव्यवस्था का होना आवश्यक है । तथा इस दृष्टि से यदि विश्व राज्य की स्थापना ही तो अच्छा ही होगा । एक विश्व राज्य की स्थापना से विश्व में सबकी भाषा और धर्म एक हो जाएँगे तथा गध कही एक जंसापन एवं एक ही भाषा में ढला जीवन नजर आने लग जाएगा, ऐसा समझना ठीक न होगा । मानव यों एक ही है । यह मौलिक एतना एक विश्व राज्य की स्थापना से सदेह हो जाएगी । अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रखने टूट, एक व्यापक एवं विनाश जीवन में हिस्सा लेने तथा समरम होने का अवसर उसे इस व्यवस्था में प्राप्त हो जाएगा । विश्व व्यवस्था में सम्मिलित होने से स्वतन्त्रता हाथ से चली जाती है, महत्त्व कम हो जाता है, अनेक चन्धन निर्माण हो जाते हैं, इत्यादि जो बातें कही जाती हैं, वे सच नहीं हैं । चित्र को यदि फेंम में, बँटा दिया जाए तो, जिस प्रकार वह चित्र अच्छा दिखाई देता है, उसमें प्रमाणबद्धता आ जाती है, वसा ही अनुभव यहाँ भी होता है । जगत् में नियमन हो जाने में व्यक्तिगत राष्ट्र की स्वतन्त्रता अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है । क्योंकि उस व्यवस्था में अधिक विश्वमनीयता एवं अधिक सुरक्षा होती है । और राष्ट्र की दृष्टि से अधिक विश्वमनीयता, अधिक सुरक्षितता एवं अधिक दान्त का अर्थ है व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भी अधिक सायंकता एवं अधिक समृद्धि । व्यक्ति इस प्रकार से विश्व व्यवस्था के कार्यों में औचित्ययुक्त सिद्ध होता है तथा उस व्यवस्था से उसकी प्रगति होती है और इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करना जहाँ उसके अपने हित में है वहाँ वह उगका कर्तव्य भी है ।



## स्वतन्त्रता, समता तथा कानून

स्वतन्त्रता की कल्पना के बारे में विचार करने समय हम यह ध्याए हैं कि मध्ची स्वतन्त्रता समता के बिना अर्थहीन है। और यदि हम चाहते हैं कि नागरिकों को समता एवं स्वतन्त्रता दोनों का अनुभव प्राप्त हो तो हमें राज्य के गठन एवं गविधान को प्रजातन्त्रात्मक रूप का बनाना होगा। पाश्चात्य देशों में जब राज्य-विषयक कल्पनाओं का विचार प्रजातन्त्र की दृष्टि से होने लगा एवं व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा राज्य के अधिकारों के बीच का विरोध स्पष्ट अनुभव होने लगा, तब स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में भी अनेकों को भय लगने लगा तथा वेसा ही कुछ समता से सम्बन्धित कल्पनाओं के मामले में भी हुआ। हम पहले यथा ध्याए हैं कि जब हम स्वतन्त्रता तथा समता के बारे में विचार करने बैठते हैं, तब यह निरपेक्ष भाव में नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में कल्पनाएँ एक आधार लेने लगती हैं; एक अनुकरण धारण करने लगती हैं, अतः स्वतन्त्रता एवं समता दोनों ही की कल्पना के बारे में विचार करते समय हमें लगेगा कि दोनों ही कल्पनाएँ निरपेक्ष नहीं हैं और हमें यह याद रखना होगा कि इन पर हमें समाज के मन्दर्भ में ही विचार करना चाहिए। हमें स्वतन्त्रता एवं समता की वृत्तियों को ध्यान में रख कर विचार करना होता है। स्वतन्त्रता का अर्थ है विद्यमान परिस्थिति में व्यक्ति को अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार। पर यह निर्णय उसे परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, शक्यता, मुक्ति तथा औचित्य का विचार करके लेना होता है। व्यक्ति सामान्यतया अपने सुख तथा व्यक्तित्व की रक्षा की दृष्टि से विचार किया करता है। और स्वतन्त्रता उसके अभीष्ट को प्राप्त करने का एक साधन है। अपने ध्येय की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। उद्देश्य तथा आदर्श में हीन स्वतन्त्रता को कोई अंगीकार नहीं करता। चमचा केवल चमचा होने से प्रिय नहीं होता। उसके द्वारा कटोरी में रखी हुई वामुन्दी (दूध की खडी) निकालनी होती है अतः वह प्रिय होता है। ठीक यही बात स्वतन्त्रता की भी है। मुझे लिखने के लिए स्वतन्त्रता चाहिए। बोलने के लिए स्वतन्त्रता चाहिए। किन्हीं व्यक्तियों को मैं देखना चाहता हूँ, किन्हीं क्षेत्रों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, अतः मुझे संचार की स्वतन्त्रता चाहिए। यह बात साफ है कि केवल प्राथमिक आवश्यकताओं—अन्न, वस्त्र एवं निवास—की पूर्ति से ही मनुष्य सुखी नहीं हो जाता। यह सब तो चाहिए ही, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ चाहिए। ये सब चीजें उसे बगैर मेहनत के हासिल हो जाएँ तो भी उसका असन्तोष

दूर नहीं हो पाता। उसका जीवन केवल अन्वय नहीं होता। अतः वह कुछ और अधिक करना चाहता है। अतः उसे वह सब करने के लिए ध्वंस एव स्वतन्त्रता की आवश्यकता रहती है। उसके बगैर उसका जीवन अधूरा रह जाता है। वह चलता है, पर उसमें गति नहीं आ पाती। यह गुनता है, पर उसमें श्वणीय कुछ भी नहीं रहता। सधोप मे यह जीवित तो रहता है, पर उसमें जान नहीं होती। स्वतन्त्रता की भाँति समता को भी समाज के सन्दर्भ में कार्यप्रवण होना चाहिए। समता का अर्थ एक जैसा होना नहीं है। या विधि शास्त्रगत समानता भी नहीं है। इसी प्रकार केवल न्यायभाव (इक्विटी) भी उसका अर्थ नहीं है।

मनुष्यमात्र में मानवता एवं अध्यात्म की दृष्टि से समानता मौजूद है। समता का वस यही अर्थ लिया जाना चाहिए। समता का अर्थ किसी एकसाल में से निकलने वाले सिक्कों की सी समता नहीं है। अर्थात् हरेक की वही शक्ति हो, वही बल हो, वही कीमत हो—ऐसी समता न तो होती है न हो ही सकती है। बनावटी समता स्वतन्त्रता की कमी को पूरी नहीं कर सकती। इसी प्रकार तर-तम भाव की उत्पन्न करने वाले अन्यायपूर्ण कानून भी स्वतन्त्रता के लिए सुमंगल नहीं हैं। लोभ, गद, अहंकार आदि से सामाजिक विषमता पैदा होती है, यह सही है। तथापि समता की माँग या प्रवृत्ति, मत्सर, भय, या डाह आदि बातों से पैदा होती है, यह कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मृष्टि में न्याय तो मौजूद है; पर सब कहीं समता का भाव भी मौजूद है, यह कहना सच नहीं है। मृष्टि में किस्म-किस्म के पेड़ पौधे हैं, किस्म-किस्म के फल हैं; फूल हैं, किस्म-किस्म के ऊँचे-नीचे धरातल हैं; अतः मृष्टि को समता अभिष्ट नहीं, यह कहना उचित न होगा। समता का अभिप्राय यह है कि वह विषमता में से उत्पन्न होती है। उसे निर्माण करने वाली कोई शक्ति वहाँ सूचित होती है; सकल्पित होती है; तथा जहाँ वही भी कुछ विषम एवं अन्याय-युक्त वस्तु दृष्टिगत हो, उसे समता एव न्याययुक्त बनाने के लिए कार्यशील होती है। स्वतन्त्रता एवं समता में सम्बन्ध की स्थापना करनी होती है। मूलतः वे दोनों परस्पर विरोधी भाव हैं, ऐसा कुछ एक व्यक्तियों का कहना एकदम गलत नहीं कहा जा सकता।

स्वतन्त्रता को पाश्चात्य राजनीतिज्ञ लोग प्रगति एवं विकास का साधन मानते हैं। स्वतन्त्रता प्रगति की जान होने के कारण उसका सम्बन्ध देश की राज्य-व्यवस्था के साथ आता है, यह स्पष्ट है। और यदि देश की राज्यव्यवस्था स्वतन्त्रता का पोषण करने वाली न हुई तो प्रगति एकदम रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर वह प्रगति जनसामान्य के अनुभव का विषय नहीं बन सकेगी तथा जिस रूप में वे उसे देखना चाहते हैं, वैसी वह नहीं हो सकेगी। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी में स्वतन्त्रता की कल्पना पाश्चात्य राजकीय क्षेत्र में अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई। राज्य प्रजा के मुल के लिए है, यह कहने का मौका उन्हें मिले, इसका असली अर्थ हमारा राज-कार्य में लोकमत को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। तथा लोगो के अनुभव किया कि लोकमत का महत्त्व बढ़ाने के लिए राज्य में प्रजातन्त्र की स्थापना करनी ही होगी। प्रजातन्त्र का अर्थ है राज्य के कामकाज में लोगों का

हाथ होना। केवल गरीब बटुवन समाज के प्रति महाभुक्ति होना ही उग्रता धर्म नहीं है। प्रजातन्त्र को केवल एक जीवन दृष्टि मानने में भी काम नहीं चलेगा। प्रजातन्त्र का धर्म केवल राजकीय क्षेत्र में लोगों का परिणामकारक प्रभाव समझना भी ठीक न होगा, क्योंकि यह बटु ही मरुभूमि है। प्रजातन्त्र का यह भी धर्म नहीं कि राज्य का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से राज्य के कामकाज में भाग लेता है। विद्यमान प्रजातन्त्र का स्वरूप यह है कि लोग धर्म प्रतिनिधियों के द्वारा राजकीय कामकाज पर धरना प्रभाव डालते हैं तथा प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सबको—धर्यान् वयस्को को होता है। यह अधिकार देने के मामले में समानता होती है। मौजूदा प्रजातन्त्र का रूप बनाना ही तो कहा जा सकता है कि कानून की दृष्टि से तथा राजनीति की दृष्टि से समाज का होना—धर्यान् सब पर एक ही कानून लागू होगा तथा सबको मतदान का अधिकार रहेगा। माय ही जो बहुसंख्यक होगी उसके अनुसार ही राज्य का कामकाज चलाना भी इस एतना ही कल्पना में समाहित है। प्रजातन्त्री-शासन में अल्पसंख्यकों की रक्षा, मौखिक अधिकारों की व्यवस्था, बहुमत वालों पर प्रतिबन्ध आदि बातें भी होती हैं तथापि प्रजातन्त्र का धर्म लोगों का शासन व्यवस्था पर प्रभाव यह सामान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकन दाम्पत्रज्ञ जेफरसन प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में कहता है कि प्रजातन्त्र उन व्यवस्था को कहते हैं, जिसमें गुणो से एवं योग्यताओं से श्रेष्ठ व्यक्तियों को राज्य का कामकाज चलाने के लिए चुना जाता है। उन्होंने धर्यान् चलकर यह भी कहा कि जब तक अमेरिका ग्रेती-प्रधान है, तभी तक यह सम्भव है। पर जब अमेरिका उद्योग-प्रधान हो जाएगा, बड़े-बड़े शहर यहाँ बस जाएँगे, तब अमेरिका का प्रजातन्त्र ध्वस्त हो जाएगा। केवल मर्यादा की दृष्टि से विचार करें तो कहना होगा कि जिन राज्य-व्यवस्था में अधिकतम लोगों को मतदान का अधिकार है, वही प्रजातन्त्र अधिक है। पर प्रजातन्त्र का यह स्वरूप औपचारिक है। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा राष्ट्र, जहाँ निरकुश शासन-पद्धति है, बहुत प्रगतियुक्त हो, तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि वहाँ प्रजातन्त्र है। इसके विपरीत यदि ५१ प्रतिशत लोग देश पर कल्पनाशील निरकुश शासन करें तो भी उसे प्रजातन्त्र ही माना जाता है तथा इस प्रजातन्त्री शासन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता। इस प्रकार का दलगत अधिनायकतन्त्र व्यक्तिगत अधिनायकतन्त्र की अपेक्षा कहीं अधिक लोकद्रोही तथा अधिक दलीय स्वार्थ से युक्त साबित होता है। आज भी सोवियत रशिया तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्र प्रजातन्त्री होने का ही दावा करते हैं। वस्तुतः व्यक्ति की दृष्टि से प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता के वहाँ दर्शन नहीं होते। तथा सर्वथा प्रजातन्त्र का आधार लेकर ही हिटलर अधिनायक बना, यह इतिहास का विलकुल ताजा उदाहरण है। सामान्यतया व्यक्तिगत अधिनायक प्रजातन्त्री मार्ग से भले ही आया हो, अन्त में उसका नाश होता है तथा स्वतन्त्रता की विजय होती है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इस अन्तिम क्षण के आने तक कितने ही व्यक्तियों का अन्त हो जाता है। कितने ही नैतिक एवं प्रजातन्त्री मूल्यों का नाश हो जाता है।

स्वेच्छाचारी शासन में से होते हुए प्रजातन्त्री राज्य के मार्ग ही में स्वेच्छा-चारी शासन गुजरा करता है। यह कोई आज का ही अनुभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में भी लोगों को यह अनुभव प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख अरस्तू के ग्रन्थों में पाया जाता है। ऐसा ही कुछ अनुभव फ्रेंच राज्य प्रान्ति के बाद फ्रांस को भी प्राप्त हुआ। 'स्वतन्त्रता, समता, एवं भ्रातृभाव' इस आवाज में ही स्वेच्छाचारी शासन की रणभेरी सुनाई दी तथा उम काल में भी ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जो कहते थे कि अन्न में प्रजातन्त्र अर्थात् स्वतन्त्रता की ही जीत होगी। उन्नीसवीं सदी में फ्रेंच प्रान्ति के बाद जो परिणाम दिखाई देते थे, वे प्रजातन्त्र के लिए अनुकूल थे, यह ठीक है, तथापि यह कहना ठीक न होगा कि उस प्रजातन्त्र की ओर प्रवृत्त विचारों के भीतर अधिनायकतन्त्र का समर्थन करने वाली विचारधारा थी ही नहीं। एडमण्ड बर्क, लॉर्ड एवटन, सीले, मेन आदि द्वारा लिखित ग्रन्थों में प्रजातन्त्र के गर्भ में ही अधिनायकतन्त्र के प्रादुर्भूत होने का भय प्रदर्शित किया गया था और मूढम दृष्टि से विचार करने से पता चलेगा कि इस भय का कारण यह है कि स्वतन्त्रता की कमी को पूरा करने के लिए समता की आवश्यकता प्रतीत होगी और फिर उमी के भीतर से अधिनायकतन्त्र जन्म लेगा। सब कही समानता होनी चाहिए, सामाजिक भूमि समतल होनी चाहिए, यह वृत्ति जब एक बार घर कर लेती है, तब वह चुप नहीं बैठती। तब यह विचार आता है कि ऊपर के वर्गों को नीचे घसीटा जाए तथा नीचे के वर्गों को ऊपर लाया जाए। तब वहाँ समावेशकता दृष्टिगोचर होती है। और ऐसी अवस्था में स्वतन्त्रता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक दफा सबको समान बनाने का विचार दिमाग में आ जाए कि बस उस दृष्टि से रखा जाने वाला हर कदम विचारों की गति को जोरदार कर देता है। आग में घी के पडने से आग और तेज हो जाती है। यही कुछ यहाँ भी होने लगता है। और यदि इस क्रिया का विरोध न हो, तो सारे राष्ट्र में समानता पैर जमाने लग जाती है। और सबसे बुरी बात यह हो जाती है कि जो नमूना सामने आए, उससे मेल कायम न कर सकने वाला हर व्यक्ति पापी एवं अनैतिक समझा जाने लगता है। वह कृत्रिम समझा जाने लगता है। सच तो यह है कि जो नमूना उस समय सामने आता है, वह स्वयं कृत्रिम होने हुए भी स्वाभाविक समझा जाता है। और आज भी जिस देश में एक जैसे सचि के नमूने में विश्वास किया जाता है, उस देश के लोगों को अन्य देशों की विविधता अस्वाभाविक प्रतीत होने लगती है। सब लोगों को समान बनाने की धुन में जब लोग समानता की सीमाओं को भूल जाते हैं, तब प्रगति के लिए आवश्यक प्रवृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं, ऐसा कुछ लोगों का धारणा है। उन्नीसवीं सदी में कुछ लोगों ने यह तर्क भी उपस्थित किया कि समानता से ध्वेयनिष्ठा समाप्त हो जाती है, निरी यान्त्रिकता एवं अंतर्ग्रहणता आ जाती है; उलटे विविधता के रहने से मगठन शक्ति बढ़ जाती है एवं विविधता में जीवन है तथा समानता में मृत्यु है। फ्रेंच प्रान्ति के बाद समता एवं सद्गता एक उन्मादक वृत्ति बन गई तथा फल यह हुआ कि अनेकों की स्वतन्त्रता घट गई। मनुष्य का स्वभाव यह है कि जो नजदीक होती है, उसके बारे

में उसे धारणीयता एवं मानन्द की अनुभूति होती है। मेरी मनी, मेरा धर्म, मेरी बैठक, मेरी जीवन-व्यवस्था आदि बातों में मेरा-मन विद्यमान होने के कारण उसे मानन्द अनुभव होता है। हार्मोनियम एक होने पर भी अनेक ध्वनि उगमे अनेक रागों का स्वर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार समाज के एक होने हुए भी उसमें विविधता के लिए स्थान होना चाहिए। पर समाज की भुन में केवल राजकीय समता एक सामाजिक समता तथा ही सीमित न रहकर सब ध्वनियों के सर्वांगीण जीवन में भी समाज ताने का संज्ञानिगत साधक होने तथा तथा लोगों के हाथ में शासन-शक्ति के सा आने के कारण विविधता पर हस्त होने लगे। विविधता पर होने वाले हमलों की वजह से उगी जगह विरोध की भावना भी जोर पकड़ती चली गई। सामान्यतया समता एक सद्गता के नाम से निरहुन सामन पुन हो गया। जर्मनी में यही अनुभव देखने को मिला। अरस्तू समाज तथा निरहुन सामन के धारणी सम्बन्धों को जानता था। उन्नीसवीं सदी में अनेक राजनीतियों ने अरस्तू के उक्त कथन की धारण ज्ञान के द्वारा पुष्टि की।

प्राचीन ग्रीक देस का इतिहास बताता है कि लोगों को गुनाहद करके, उनके भीतर की हीन भावनाओं को उभारा गया तथा समाज के भीतर जो कुछ अचारी बातें थी उन्हें नष्ट कर दिया गया तथा इस मामले में सम्पत्ति एवं गुणों का भी विचार नहीं किया गया। समता एक सद्गता के नाम पर वहीं-वही तो ऐसी अविशेषपूर्ण विचारधारा को बढ़ावा मिला कि प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक ध्वनित का स्वामित्व है। वास्तव में समता एक सद्गता की सीमाओं को पहचान लेना चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि समता यदि सम्भव है, तो केवल प्रजातन्त्र में ही सम्भव है तथा वह वही समता हो सकती है जो स्वतन्त्रता की पूरक हो, गुनाही वाली समता नहीं। सब के लिए कानून एक ही हो, यह ठीक है। पर एक ही कानून विषम सामाजिक परिस्थितियों के लोगों पर लागू देना ठीक नहीं। उसे कानून भले ही बहा जाए, पर न्याय नहीं कहा जा सकता। एक ही कानून का दोर और भीड़-दोनों पर लागू किया जाना कोई पसंद नहीं करेगा। पर साथ ही एक ही कानून लागू करने की आवश्यकता भी निर्विवाद है। प्रजातन्त्र में कानून बहुमत द्वारा बनाया जाता है और तब बहुमत का निर्णय प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है। प्रजातन्त्र में सामान्य रूप से हर व्यक्ति समझता है कि वह किसी से कम नहीं है; अतः दूसरों को धरने से कम करने की प्रवृत्ति एवं प्रवन्ध होने लगते हैं। जहाँ दूसरों के बडप्पन धरना श्रेष्ठत्व को—चाहे वह व्यक्ति विषयक हो, चाहे वर्ग विषयक—कम करने में सफलता नहीं मिलती, वहाँ व्यक्ति द्वेष एवं वर्ग द्वेष की भावना समाज में धर कर जाती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि समता की प्रवृत्ति द्वेष भावना के साथ किन्हीं उत्कृष्ट भावनाओं को भी जन्म देना करती है। समता केवल द्वेष पर आधारित भावना है, यह कहना ठीक नहीं है। अतः प्रजातन्त्र का कार्य एक प्रविधा ऐसी होनी चाहिए कि द्वेष सीमित हो जाए तथा समता से उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ भावना अधिक कार्यक्षम साबित हो। बहुता को स्वतन्त्रता एक समता का यह सम्बन्ध प्रिय नहीं है। तो भी एक बार सब कही समता स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो कुछ

अनुदार प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह सच है; पर फिर भी वह देर तक टिका नहीं करती। समाज में औदार्य का उदय, सुस्थिति प्राप्त हो जाने पर, वेग से होने लगता है। कुछ लोग स्वभावतः उदार होते हैं। विपमता की स्थिति में जैसे मत्सर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अभावग्रस्त प्राणी को देखकर अभावहीन व्यक्ति के मन में उसकी महापता करने की भावना भी उत्पन्न होती है। और जब विपमता कम होने लगती है, उस समय सुस्थिति एवं किञ्चित् समता की स्थिति होने के कारण औदार्य को प्रोत्साहन मिलता है। बहुता की सम्मति में, प्रजातन्त्र सङ्कुचित भावनाओं को अधिक प्रथम देता है। पर यह सही नहीं है। लगभग १०० वर्ष पूर्व मेकॉले ने कहा था कि प्रजातन्त्री संस्थाएँ, विद्युत् प्रजातन्त्री संस्थाएँ, आज नहीं कल स्वतन्त्रता एवं सम्यता दोनों का नाश कर देंगी तथा जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, वहाँ यह अधिक शीघ्रतापूर्वक होगा। तथापि गत १०० वर्षों का अनुभव यह है कि सुस्थिति युक्त अमेरिका ने तथा समता-युक्त रशिया ने राजनैतिक कारणों से क्यों न हो, जितनी उदारता प्रदर्शित की है, वह स्पृहणीय है। तथा यह उदारता निश्चित ही सम्यता का एक लक्षण है। गत १०० वर्षों में प्रजातन्त्र के अस्तित्व के कारण राज्यों में स्वतन्त्रता एवं सम्यता का जोष हो गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। आर्थिक कारणों से प्रजातन्त्री संस्थाओं के रूप विविध हो गए तथा स्वतन्त्रता का अर्थ नया-नया रूप लेता चला गया। लॉर्ड एवटन का कथन है कि यदि फ्रेंच राज्यशान्ति में समता का तत्त्व न होता, तो राज्यशान्ति सफल न हो पाती। क्योंकि तब केवल स्वतन्त्रता अवशिष्ट रह गई होती। फ्रेंच शान्ति के समय मध्यम वर्ग को स्वतन्त्रता चाहिए थी तथा निम्न वर्ग को समता चाहिए थी। हमारे मत में आज भी वही अवस्था है। मध्यम वर्ग की आमन्त्रित समता की अनेका स्वतन्त्रता के प्रति अधिक होती है। इसका कारण उनकी बौद्धिक पादवं-भूमि है। निम्न वर्ग वालों को समता अभीष्ट होती है। कारण उनके जीवन में शरण-शरण तथा पदे-पदे विपमता के घुरे अनुभव आते रहते हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रता—स्वतन्त्रता एवं समता के बीच क्या वास्तव में कोई विरोध है? इस ग्रन्थ में आरम्भ से लेकर यही विचार-धारा प्रतिपादित की गई है कि प्रजातन्त्र न हो तो स्वतन्त्रता नहीं, तथा समता न हो तो स्वतन्त्रता का अपूरापन दूर नहीं होता। वह सार्थक नहीं हो पाती। तथापि कुछ लोगों का मत है कि समता के बिना भी अर्थात् यथार्थ समता के बिना भी प्रजातन्त्र का काम चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक विपमता के रहने ही सच्चा प्रजातन्त्र बन सकता है और सच्चा प्रजातन्त्र वही है, जहाँ आर्थिक मामलों में अनिर्वच्य स्वतन्त्रता हो। आज भी भारत में हाल ही में स्थापित नये राजनैतिक दल 'स्वतन्त्र पार्टी' की मुख्य भूमिका यही है। उस दल को आर्थिक क्षेत्र में नियोजन नहीं चाहिए। क्योंकि वह नियमन एवं नियन्त्रण नहीं चाहता। प्रजातन्त्र केवल इसी लिए चाहिए कि यदि वह दल इस धाण प्रजातन्त्र का विरोध करने लगे तो राजनीति के क्षेत्र में उसके लिए पैर रखना भी असम्भव हो जाए। नए-नए राजनैतिक विचार एवं सिद्धान्त लोगों के सामने आ रहे हैं। अतः लोगों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उन पर विचार करना चाहिए। आज विद्वत् की स्थिति ऐसी है कि प्रजातन्त्र के सम्बन्ध

में लोग कुछ अच्छा या बुरा अनुभव पा चुके हैं। तथा सामान्य रूप से प्रजातन्त्री व्यवस्था में स्वतन्त्रता का सम्पोषण होता है, सुख की आशा होती है, ऐसा अनुभव आया हुआ है। और जहाँ प्रजातन्त्र को तुच्छ दृष्टि से देखा गया अथवा उमका विपरीत अर्थ किया गया, वहाँ जो परिस्थिति पैदा हुई, वह विचार करने योग्य है। जर्मनी, इटली इन दो राष्ट्रों में महायुद्धों के बीच के काल में जो कुछ हुआ उससे कुछ लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में घट गया हो, तो भी दूसरे महायुद्ध के बाद यह भी मान्य हो गया कि प्रजातन्त्र को छोड़ अन्य कोई उपाय भी नहीं रह गया है। सोवियत रशिया में गत ४० वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसका अर्थ इतना ही है कि प्रजातन्त्र का जो अर्थ इंग्लैण्ड और अमेरिका में लगाया जाता है, वह वहाँ नहीं लगाया गया। एक बात निश्चित है कि प्रजातन्त्र की कल्पना में कहीं-कहीं समता अवश्य निहित है। और आज के युग में समता का आलाप अलापे बगैर काम नहीं चल सकता। अतः अधिनायकतन्त्र को भी कहीं प्रजातन्त्र का नाम देने का अर्थहीन प्रयास किया जाता है। लोगों के मत से जब हिटलर का निर्वाचन हुआ तब भी उसे प्रजातन्त्र का नाम दिया गया। पाकिस्तान में जब जनरल अयूब निर्वाचित हुए, तब भी उसे प्रजातन्त्र का ही लक्षण माना गया। लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया जाता है, वह यह कि व्यक्ति के बीच चुनाव नहीं होता तथा जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो गया है वह ऐसा कुछ काम करता है कि मन में कुछ क्यों न हो, हाथ से तथा मन से उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो कुछ इष्ट है, वही लिखा जाता है। हिटलर को ६८ प्रतिशत मत प्राप्त हुए तथा अयूब को ६६ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसे देखकर समता का भाव प्रजातन्त्र की आत्मा है, यह स्वीकार करके उसे विकृत रूप दिया जाता है। यदि प्रजातन्त्र का स्वरूप सीधा-सादा रख दिया जाए, तो समता का भाव जीवन के सब क्षेत्रों में फैलेगा और तब समाज को उल्लू बनाने की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी। आज भी जो नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है, वह भी प्रजातन्त्र का मन्त्र पढ़कर ही किया जाता है। प्रजातन्त्र केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं रुका रहता, उसके कदम आर्थिक प्रजातन्त्र की ओर मुड़ जाते हैं। और आर्थिक प्रजातन्त्र का अर्थ हुआ राष्ट्र का स्वामित्व, नोकरशाही, योजना, नियमन एवं नियंत्रण और इन सबका प्रभाव व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर पड़ता है। अतः स्वतन्त्रता की दुहाई देकर समता का ही विरोध करने की प्रवृत्ति जैसे यूरोप एवं अमेरिका में है, वैसे ही भारत में भी जोर से शुरू हो गई है तथा उसी विचारधारा का एक अग्र मानकर प्रजातन्त्र का भी विरोध होने लगा है। प्रजातन्त्र का अर्थ प्रजा मात्र के सुख के लिए यत्नशील एवं सब को न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था मान लेने के बाद उसका कार्यक्षेत्र अनन्त हो जाता है तथा उसे कार्यक्षम बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन पर उसे अमर्याद सत्ता देनी पड़नी है। सामान्य लोगों के लिए व्यक्तिशः करना सम्भव नहीं है, यह सोचकर राज्य सारी योजना को अपने हाथ में ले लेता है। और तब व्यक्ति इस समाज का घटक होने की दृष्टि से महत्त्वहीन हो जाता है तथा राज्य के आज्ञाधारक नागरिक का भाव उनमें बढ जाता है, ऐसा आक्षेप किया जाता है। समाज एवं राज्य के भीतर का भेद तब खत्म हो जाता है और जो

जीवन निर्माण होता है, उसमें सामाजिक सुस्थिति भले ही संतोषजनक हो, व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुप्त हो जाती है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, पर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से वंचित हो जाता है, ऐसा भी आशेष किया जाता है। व्यक्ति का निरकुल शासन खत्म हो जाता है तथा एक नये वर्ग का निरकुल शासन शुरू हो जाता है। शरीर की भाँति मन को भी यह कषायद सिगाई जाती है। जनता के जीवन का स्तर अवश्य ऊँचा हो जाता है, पर उससे जीवन सुनी हो गया हो यह बात नहीं होती। निःसंदेह राज्य प्रजा का है; शासन-व्यक्ति प्रजा के हाथ में है, पर कोई भी यह महसूस नहीं करता कि वह उसे अपने उपयोग में ला सकता है। न जाने कौन, न जाने कहाँ, क्या निर्धारित करता है और एक मशीन की भाँति सब काम हो जाते हैं, ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है। सब कुछ राज्य के द्वारा ध्यात होता है, व्यक्ति को व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्णय करने के योग्य कुछ रह ही नहीं जाता। जन्म से लेकर ही व्यक्ति की चिन्ता की जाती है, उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था राज्य करता है। उसे किम रोजगार में लगाना है, यह राज्य निश्चित करता है। कहाँ रहें, कौन रहें, यह राज्य निर्दिष्ट करता है। कौन-सा गाना गाया जाए, कौन-सी किताबें पढ़ी जाएँ, इसका निर्णय राज्य करता है। अपने कपड़ों को छोड़ कुछ और भी मेरे पास है, ऐसा व्यक्ति को महसूस नहीं होता। तथा कपड़े भी वह अपनी इच्छानुसार नहीं पहन सकता, ऐसी स्थिति, अनेकों की राय में, आज साम्यवादी राष्ट्रों में दिखाई देती है। और यह सब झुआ है, प्रजातन्त्र के नाम पर, समता की परिपूर्णता के लिए तथा इसमें स्वतन्त्रता पूरी तरह लुप्त हो गई है।

सवाल यह पैदा होता है कि यह सब होते समय लोग किस तरह महन कर लेते हैं? समता की भावना का आधार, जैसा कि हम पहले कह आए हैं, भ्रष्ट एव ड्रेप है; अतः व्यवहार में जिस प्रकार मनुष्य सोचना है कि, मेरा काम बने न बने, दूसरे का काम नहीं बनना चाहिए, यही कुछ हालत यहाँ भी है। सब कुछ हम कर रहे हैं, हम उम बित्र में हैं, हम विश्वास के कारण समता की भावना का आविष्कार अतिरेकीपने से राज्यव्यवस्था एवं राजकीय काम-काज में होता है। इतिहास में हम अनेक बार देखते हैं, कि घटना का बाह्य रूप कुछ और होता है तथा उनका प्रत्यक्ष अनुभव कुछ और। आकार तथा आशय सदैव एक दूसरे के अनुरूप रहें ऐसा देखने में नहीं आता। सामान्यतया लोग उदासीन होते हैं तथा उनके प्रतिनिधि उनके अज्ञान के बल पर व्यापार करते हैं तथा बहुत बार हम देखते हैं कि राज्य तो लोगों का है परन्तु लाभ एक वर्ग-विशेष का हो रहा है। 'यल्क सुदा वा, मुल्क वादशाह वा तथा अमल कम्पनी सरकार का' यह वहावत ईरान में ही सही थी, ऐसी बात नहीं—उसमें निहित अनुभव प्रत्येक काल में सही गांधित होता है। निरकुल शासन में स्वतन्त्रता नहीं रहती यह कथन अर्थहीन है। क्योंकि वहाँ स्वतन्त्रता कभी रह ही नहीं सकती। परन्तु प्रजातन्त्र में भी स्वतन्त्रता न हो यह सत्य हृदय में सत्य की तरह चुभने वाला है। यह बात तो भ्रष्टरा को बुरूप बहने अथवा पुणे नगर के निवासी को राजनीति से अनभिज्ञ बतलाने जैसी ही



वात हुई। पर मन १९वीं तथा २०वीं शती का अनुभव हमें बताया है कि निरानुसंग सामन्य की भीति प्रजातन्त्र में ही अधिक रहती है। जब प्रख्यात राजनीतिविचारक लोग ऐसी बात कहते हैं, तो उसे केवल गंभीर-व्यक्ति कह कर, प्रथम उन्हें उपहासास्पद मानकर उनकी उमंगों पर देना ठीक नहीं होगा। प्रायः ही राजाजी जैसे विचारक कहते हैं कि प्रायः के प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता नहीं है; केवल भोटिंग-शाही से काम लिया जाता है। उनकी इस बात को सुनकर कुछ लोग यह बँटते हैं कि राजाजी तो शक्ति मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं, मत्तरी हैं। पर यह तर्क गंभीर नहीं है। बुद्धिमत्ता भी इससे प्रदर्शित नहीं होगी। भाग्य का गविधान प्रख्यात राजनीतिज्ञों ने बनाया है। प्रायः तर्क के दुनियाँ भर के गविधानों को अपने सामने रखकर, उन गणके अनुभवों को अपने सामने रखकर, अपने देश के अनुभवों को अपने सामने रखकर तथा बुद्धि द्वारा लिए गए अनुमान को अपने सामने रखकर इस गविधान को बनाया गया है। इस गविधान में स्वतन्त्रता, समता तथा प्रजातन्त्र पर अधिक जोर है। कियहना, वह इन्हीं पर आधारित है। प्रायः की राज्यशास्त्रिता का श्रेष्ठ स्वतन्त्रता, समता तथा आनुभाव में ही होना हुआ बोनापार्टीडम की भोटिंगशाही में जानकर लुप्त हो जाता है। इस इतिहास को अभी कोई भूला नहीं है। समाज की धारणा अधिकार एवं आज्ञाधारकता इन दो तत्वों पर हुई है। किसी एक का कहा सब लोगों को सुनना होता है। वीगा न हो, तो समाज नाम की वस्तु रह ही नहीं सकती। अधिकार को काम में लाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या पूरे समाज के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो सकते हैं। एक बार अधिकार को आद्य तत्त्व मान लेने के बाद समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से छोटे बड़े वजन और भाव तो बन ही जाते हैं। अधिकारों को एक ढाँची तैयार हो जाती है और उसके बाद उससे विपमता का भाव उत्पन्न होता है। अधिकार के सन्दर्भ में मौजूद विपमता जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लग जाती है। और अतः बहुतेरों का कहना है कि सारा समाज अधिकार एवं विपमता की नींव पर खड़ा होता है। इस मूलभूत तत्त्व से प्रविसंगत समता ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बनी रह सकती है। समता के नाम पर गुणों को देश से निर्वासित करना तथा चारित्र्य का नाश करना सदैव समाज के हित का घात करने वाला समझा जाना चाहिए। इसके ये मानी नहीं कि समाज में स्वतन्त्रता के नाम पर, तथा निसर्ग एवं सामाजिक न्याय विपमता का परिपोषक है, ऐसा कहकर स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा दिया जाए। उस अवस्था में सम्पत्ति को केन्द्र बनाकर वास्तविक वाद-विवाद उठ खड़ा होता है तथा अर्थ-व्यवस्था पर धर्म एवं धर्म पर राज्य आधारित है, यह चाणक्य का सूत्र लागू हो जाता है। सम्पत्ति की विपमता लोगों ने मानी नहीं, इसका अर्थ लोग गुण प्रथम बुद्धिमत्ता का आदर नहीं करते, ऐसा करना ठीक नहीं। सम्पत्ति के मामले में मनुष्य का सही रूप प्रायः के सामने आ जाता है। जब तर्क मनुष्य सम्पत्ति में हाथ नहीं डालता, तब तक उपनिषदों में उपवर्णित धर्म का बोल-बाला रहता है। धन की माया बताया जाता है। सच्चा धन विद्या है, ऐसी घोषणा की जाती है। पर ज्योंही

चोड़ा-या घाय कर बड़ा या मृत्युकर लगाया गया कि, मरने के बाद जिन लोगों का सम्बन्ध नहीं घाता वे भी जीने-जो शोर मचाने लग जाते हैं। समाज में जो लोग बचिन रह गए हैं, उन्हें बचित ही रगना चाहते हैं। मन की दृष्टि से तथा सम्मान की दृष्टि से समानता के पक्ष में होने हुए भी वे लोग प्रायःपूर्वक यह प्रतिपादन करते हैं कि मर्यादा की दृष्टि में विषमता अवश्य होनी चाहिए।

मारी १९वीं सदी में यूरोप के राजनैतिक विचार ममता के लिए जितने धनु-रून दिखाई देने थे उतने ही वे ममाज की स्थिरता एवं प्रगति के लिए आधिक-विषमता का भी प्रायःपूर्वक प्रतिपादन किया करते थे। इस विचार के साथ कि प्रजातन्त्र में ही स्वतन्त्रता सम्भव है, यह भी कहा जाता था कि प्रजातन्त्र एवं स्व-तन्त्रता दोनों एक-दूसरे से अलट्टा चीजें हैं। प्रजातन्त्र वा विकृत रूप ही निरकुण्ड गानन है—हा होगा वह जनता के नाम पर ही किया जाने वाला—ऐसा वारम्बार प्रनिपादन किया जाता था। एक बड़े जर्मन विचारक ने ऐसा सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि प्रजातन्त्र जीम का राज्य है और उगी में से तलवार वा राज्य निर्माण होता है। यही नहीं ; ऐसे भी तत्त्वज्ञानी लोग थे जो कहते थे कि यदि स्वतन्त्रता चाहते हो तो फिर से राजतन्त्र की स्थापना करो और भी इस देश में ऐसे सदागिब पेटी विद्वान् अवश्य मिल जाएँगे, जो कहेंगे कि मौजूदा शासन से अप्रयोज्य वा शासन वहीं अच्छा था। लोगों ने १९वीं सदी का जो अवधारण लगाया है, वह यो है कि स्वतन्त्रता के लिए प्रजातन्त्र आता है और आते ही वह स्वतन्त्रता की छाती पर चढ बैठता है तथा जब वह ममता की दिशा में प्रसर होता है, तब वही स्वेच्छाचारी एवं निरकुण्ड शासन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रजातन्त्र का मतलब है समान गुनामगोरी। लोगों के राज्य का मतलब है, वह राज्य जहाँ सब काम सरकार ही करती है। प्रजातन्त्र का अर्थ है मत्ता का पूर्ण केन्द्रीकरण तथा ऐसी परिस्थिति, जिनमें लोग उपजमयूय तथा उदासीन होने हैं। यूरोप के इतिहास में कही-कही ऐसा प्रनुभव अवश्य आता था जो इन व्याख्या में मेल रचता था। २०वीं सदी में गत ६० वर्षों में प्रजातन्त्र की जो प्रगति हुई है, उसका यदि अवधारण लगाता हो तो परस्पर विरोधी बातें भी कही जा सकती हैं। आज सोवियत यूनियन तथा जनवादी चीन में जो कुछ हो रहा है, वह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। स्वतन्त्रता की मौलिक कल्पना के विरुद्ध है, ऐसा कहा जा सकता है। इसी प्रकार, जब वहाँ लोगों की इच्छा के अनुरूप काम हो रहा है तथा वह लोगों के मतानुसार है, तब यह कहना कि वहाँ प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता नहीं है एक दुःसाहम की बात है। जहाँ मियाँ-बीवी राजी हों, वहाँ काजी बना करेगा ? जहाँ राजकर्ताओं और लोगों में सायुज्यता की स्थिति है, अर्द्धत है, वहाँ कौन किस पर अरता अधिकार चलाता है, यह कहना कठिन है। जहाँ वर्ग-भेद ममाज धारणा का स्थायी भाव बना हुआ है, वहाँ के लोग भले ही कहें कि सोवियत एशिया एवं चीन में स्वतन्त्रता नहीं है ; पर इस कहने का फल सम्बन्धित लोगों की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार समता के तत्त्वज्ञान का अतिरेक करने से राज्य अधिक बलवान् होता है और समता के लिए दी गई सत्ता को राज्य फिर सभी कही काम में लाने लगता है, इस कहने का भी कोई अर्थ नहीं है।' क्योंकि

जहाँ सत्ता का उपयोग सब लोगों की दृष्टि से अधिक से अधिक सम्बन्धित लोगों का परान्द है, वहाँ यदि राज्य अधिक बलवान् हो जाए, तो उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। विचारों की स्वतन्त्रता अथवा बौद्धिक स्वतन्त्रता नहीं है, ये हमेशा के प्रारोप वहाँ सम्बन्धित लोगों की दृष्टि से अर्थहीन साबित होते हैं।

जैसा हम पीछे कह आए हैं, एक बार समता का विचार काम करने लगा कि उसे फिर केवल राजनीति या समाज के क्षेत्र तक ही सीमित रखने की कोशिश सफल नहीं हो पाती। कम से कम प्रजातन्त्र के मार्ग से वे सफल नहीं हो पाते। स्वतन्त्रता हासिल होने के ये मानी नहीं कि भूलों मरने की स्वतन्त्रता हासिल हुई है। समता मिलने का अर्थ 'सब की मनदान की समानता' इतना करा देने से, जिन्हें यह अधिकार मिला है, उनकी तमन्ती नहीं हो पाती। गरीबी तथा दुःख उन्हें चैन में घंठने नहीं देते और तब पेट की समस्या एक शक्ति बन जाती है। मेरे पान कुछ भी नहीं और तेर पान सब कुछ है, इस विषय अवस्था में भ्रान्तभाव का नारा बुलन्द करने से काम नहीं चल सकता। बन्धुत्व की भावना के अभाव में भ्रान्तभाव एक प्रकार की चीज है। *आपस में गुन-दुग का मन-मिलाप नहीं, तो वहाँ मन्वा बन्धुभाव नहीं हो सकता तथा स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता का नारा निरर्थक हो जाता है। दुग एवं दरिद्रता*

स्वतन्त्रता एवं समता का पक्ष पोषण करने वाली व्यवस्था का रूप लेना है, तो राष्ट्र के स्वतन्त्र प्रवृत्ति वाले लोगों को अपने विचारों को सुल्लभ-मुल्ला प्रकट करने की तथा उनका प्रचार करने की छूट दी जानी चाहिए। यदि सब लोगों के मन एवं मत एक ही सचि में ढले हुए हो, तो प्रगति नहीं हो पाएगी। त्रिवृटना, जो नैतिक धर्म समाज के आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, वह भी नहीं रह जाएगा। इस दृष्टि में देखने पर बहुत दफा ऐसा अनुभव आता है कि कानून की अपेक्षा लोकमत का अन्याय एवं जबरदस्ती ही अधिक उग्र होती है। आज यदि हम भारत का अनुभव अपने सामने रखें तो अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग उन्नत व्यवहार करते हैं। और उसका फल यह होता है कि अनेकों को भुक्ना पड़ता है। अनेकों को चुपचाप बैठना अधिक अच्छा लगता है और यदि यह सब इसी तरह चलने दिया गया तो आप देखेंगे कि प्रजातन्त्र धीरे-धीरे तानाशाही की दिशा में जा रहा है और जो कुछ सरकार राज्य के काम-काज में करती है, सत्ताधारी दल के लोग वही कुछ समाज में करते हैं और यह सब होता है, प्रजातन्त्र के नाम पर। जिस प्रकार लोग भगवान् का नाम लेकर डाका डालते हैं, उसी प्रकार प्रजातन्त्र का नाम लेकर लोग समाज की स्वतन्त्रता पर डाका डालने लग जाते हैं।

यदि प्रजातन्त्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्थान न हो तो वह प्रजातन्त्र न रह कर, दलगत राज्य व्यवस्था का रूप लेकर तानाशाही में परिणत हो जाता है, ऐसा हम मन सौ सालों से देखते आ रहे हैं। जहाँ प्रजातन्त्र अर्थात् बहुमत नैतिक एवं वैध संघम का पालन करता है, वहाँ वह अच्छे अर्थों में अनुभव का विषय बनता है। परन्तु जहाँ बहुमत राजकीय काम-काज को अपने हाथ में ले लेता है, समाज में अपने को सरकार मान बैठता है, सरकार का मत ही अपना मत समझना है, वहाँ धर्म-धर्म, व्यक्ति की स्वतन्त्रता में सिकोड आने लगता है, तथा जिस प्रकार लोकमत व्यक्ति पर हावी हो जाता है, उसी प्रकार कानून भी हावी होने लग जाता है। सोवियत रनिया अथवा जनवादी चीन में वहाँ का एक भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि वहाँ प्रजातन्त्र नहीं है। समाज के वगीचे में सौ फूल हैं और उनमें से किसी को भी मसला नहीं जाता ऐसी आवाज बुलन्द की जाती है। आर्थिक विषमता जिस राज्य में कम होती जाती है तथा सामाजिक व्यवस्था अधिक समानता के स्तर पर चली जाती है, वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात करना तथा अधिक शक्ति-शाली रीति से उसका प्रदर्शन करना चार्वाक लोगों के मत का प्रतिपादन करने जैसी बात हो जाती है। जो राज्यकर्ताओं अथवा शासकों का एक नया 'वर्ग' निर्माण होता है, वही सही मानों में सत्ताधारी होता है। उनके आदेशों को तथा आज्ञाओं को उस राज्य में माना जाता है। जन्म तथा सम्पत्ति के आधार पर मौजूद वर्गवाद लुप्त हो जाता है तथा एक नया वर्गवाद पैदा होता है। समता का जो 'वर्ग विरहित समाज' ऐसा अर्थ किया जाता है, वह व्यर्थ साबित होता है। विभूति-पूजा तथा व्यक्ति-निष्ठा की निन्दा करते-करते मूर्ति-पूजा से भी अधिक तीव्र स्वरूप की निष्ठा व्यक्ति के बारे में उत्पन्न होती है। आज भी इसका अनुभव हमें विश्व में दृष्टिगत होता है। इमरसन का कहना है कि समाज को चलाने के लिए किन्हीं भौतिक

व्यक्तियों की जरूरत होती है। श्रेष्ठ एवं धार्मिक व्यक्तियों के अभाव में जन-सम्बन्ध चींटियों और मक्खियों के जमाव के से हो जायेंगे। इमरसन का यह कथन एकदम निरर्थक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्ग को खत्म कर दिया, सामन्तशाही को समाप्त कर दिया, राजतन्त्र को परलोक में पहुँचा दिया, इतने में सामान्य मनुष्य अपने कर्षों पर पड़े हुए राजकीय उत्तरदायित्व के बोझ को नहीं संभाल सकता। यह समझ कर अब तो सब का नाम ही ही गया है, किंगों का नाम बाकी नहीं रहता अतः प्रजातन्त्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेगी ही, ऐसा धारणा नहीं दिया जा सकता। राजा की जुल्मशाही उसकी जगह लेती है और बहुमत द्वारा तोड़े गए जुल्म व्यक्ति द्वारा तोड़े गए जुल्मों से ज्यादा तीव्र होते हैं। व्यक्ति जुल्म करता हो तो उसका सफाया करके उसका आत्मा किया जा सकता है। पर यदि बहुमत जुल्म करता हो तो उसका निवारण बहुत कठिन हो जाता है। उस जुल्म को बनाए रखने के साथ बहुमत के स्वार्थ निगडित रहते हैं और जो विरोधक होने हैं, वे कानून तथा लोकमत के घेरे में जा पड़ते हैं। राजकीय अन्याय के साथ सामाजिक अन्याय भी चलता रहता है। तथा चर्की में पिन्ने वाले गेहूँ के दानों की सी हालत अल्पसंख्यकों की हो जाती है। उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ता है या किया जाता है। कोई साईबेरिया में जाता है, तो कोई फाँसी पर झूलता है और यदि कोई रहना ही चाहता है तो उसकी अवस्था कैदखाना न होते हुए भी कैदखाने में पड़े कैदी की सी हो जाती है।

बहुमत के जुल्म का खतरा प्रजातन्त्र में रह सकता है या हो सकता है, इन दोनों मामलों में मतभेद की कोई जरूरत नहीं है। अनेक जगहों पर वैसे अनुभव होता भी है। बहुमतशाही के शुरू हो जाने पर सरकार कानून की शक्ति हाथ में होने के कारण, उस क्षेत्र में भी कानून के द्वारा सरकार पहुँच जाती है, जिसे सामाजिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद खाना-पीना, मनोरंजन, श्रौट तथा बौद्धिक क्षेत्र में कानून दखल देने लग जाता है। बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय स्थापित हुआ प्रजातन्त्री राज्य अल्पजन के अहित तथा दुखों के निर्माण का कारण बन जाता है। व्यक्ति के सुख के लिए प्रयत्नशील राज्य रूपी सगठन या तो व्यक्ति को व्यक्तित्व शून्य कर देता है या फिर उसका नाश कर देता है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति ने जो सिद्धान्त सत्तार को दिए उनके आज अनुभव में आने वाले राजनैतिक रसायन निर्माण हो जायेंगे, ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हुआ था। राजतन्त्र अथवा सामन्तवादी शासन एक ध्वस्त-शाली सामाजिक एवं सामूहिक भाव था। प्रजातन्त्र की तत्त्वप्रणाली के आधार राष्ट्र की कल्पना की अपेक्षा व्यक्ति की कल्पना पर, हम देखते हैं, सारी १९वीं सदी में, जोर दिया जाता रहा और जब फिर से व्यक्तियों में सामाजिक भाव अथवा सामुदायिक भाव निर्माण करने का प्रयत्न किया गया, तब सगठित राष्ट्र उत्पन्न न होकर तितर-बितर व्यवहार करने वाले लोकसमूह उत्पन्न हुए, यह प्रसिद्ध राजनीति-शास्त्रज्ञों का कहना है। अमेरिकन कवि व्हिटमैन कहता है कि अकेला मैं गाता हूँ और अपने को स्वतन्त्र समझता हूँ। पर प्रजातन्त्र शब्द का साम्राज्य शुरू हो जाने के बाद मेरा व्यक्तित्व स्वतन्त्र लुप्त हो गया तथा अब मैं 'जनता' बन गया हूँ।

बहुतों को यह 'जनता-भाव' प्रिय नहीं है, यह निर्विवाद है। तथा आज भी जनता इस भावना का अथवा बहुजन ममाज इस कल्पना का उल्लेख सर्वत्र सद्भावनापूर्वक करता हो, ऐसी बात नहीं है। अप्रिय वक्ता पर पत्थर तथा चपल फेंकने वाले समाज को देखकर आज भी शिष्ट लोग 'यह देखिए आपकी जनता' कहकर चिढ़ाते हैं, यह असत्य नहीं है। अतएव प्रजातन्त्र वाला विरोध ओठों द्वारा सीधे न होकर व्यजना द्वारा होता है। भीतर ही भीतर वह विरोध काम करता रहता है, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं और जब वेपेंदी की लुटिया जैसे लोग नेता बनकर शान बघारते हुए धमकी की भाषा बोलने लगते हैं, तब इतिहास के मुँह से वरबस निकल पड़ता है—“मेरी सारी साधना का क्या यही फल है?” सारी १९वीं सदी में स्वतन्त्रता एव समता के लिए, प्रजातन्त्र के लिए जो क्रान्तियाँ हुईं, उनका जो फल हुआ, वह आज मास्को तथा पेरिस में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लोग प्रतिपादन करते हैं। पूर्वग्रह तथा एकांगी विचारों को यदि हम एक ओर रख दें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि प्रजातन्त्र में जनताशाही का बोलबाला हो जाय, तो व्यक्ति के विकास, स्वतन्त्रता तथा अच्छे शासन के लिए थोड़ा खतरा अवश्य पैदा हो जाता है। और जो 'समता' के नाम से घोषित की जाती है, उसी में अत्याचार-पूर्ण विपमता के बीज छिपे रहते हैं। कुछ लोग इस पर यह उपाय सुझाते हैं कि प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है श्रेष्ठ नेतृत्व की। अतः उसका संगोपन एव सर्वर्षन किया जाना चाहिए। प्रजातन्त्र किसी एक व्यक्ति को यथासंभव बड़ा नहीं बनने देना। नेता की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि “नेता वह है, जो अपने अनुयायियों की बात सुने।” पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, प्रजातन्त्र की क्या समस्याएँ हो सकती हैं, इसका थोड़ा सा विवेचन हमने ऊपर किया है। स्वतन्त्रता को बनाए रखते हुए विपमता को बढ़ावा देना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें समाज में विफल जीवन का क्षयरोग फैल जाता है। जनता के नाम से अधिकार दिया जाए तथा व्यक्ति के नाम से उसे अर्थघन्य कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्वतन्त्रता हो; पर नए विचारों का कोई प्रतिपादन न कर सके, केवल इसलिए कि नए विचारों को राष्ट्रद्रोह का नाम दिया जाता है यह भी ठीक नहीं। इन सबमें से कोई धोच का रास्ता जरूर ढूँढा जाना चाहिए। और उस दृष्टि से विचार करने के लिए स्वतन्त्रता तथा समता की कल्पनाओं का अधिक पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है।

राज्य का एक मुख्य ध्येय है, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना तथा उनमें विद्यमान सर्वश्रेष्ठ गुणों एवं शक्तियों का उपयोग राज्य के अन्तिम ध्येय की पूर्ति के लिए करना। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करता है, जिससे व्यक्तियों को ऊपर कही बातों का अधिकाधिक सुअवसर मिल सके। ऐसा मानकर राज्य द्वारा किए गए आदेशों को योग्य एवं न्याय्य मानकर तिरोधार्य किया जाता है। जितने अधिक व्यक्तियों को ऐसा अनुभव आएगा, उतनी ही अधिक मात्रा में राज्य के कामों का औचित्य लोगों को महसूस होता जाएगा। व्यक्ति के विकास की योजना का अभिप्राय है, उसके मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में

योजना। और फ्रेंच राज्यशान्ति के बाद से जो मौलिक अधिकार सर्वसम्मत हुए हैं, वे हैं—स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि फ्रेंच शान्ति से पूर्व ये अधिकार मौजूद ही नहीं थे। यह कहना अधिक उचित होगा कि ये तीनों तत्त्व राज्य सस्था की उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वे उससे पूर्व ठीक से प्रकट नहीं हो पाए थे। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इन मौलिक तत्त्वों को फ्रेंच राज्य शान्ति ने साकार कर दिया तथा अर्थ को शब्द का शरीर प्रदान किया। मौलिक अधिकार अथवा स्वतन्त्रता का सम्बन्ध राज्य एवं समाज दोनों से रहता है तथा उसमें, न्याय एवं औचित्य का भाव अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता भले ही तीन अलग-अलग चीजें हों, परन्तु उनकी मुख्य कल्पना एक ही है और वह है न्याय। इन तीनों तत्त्वों के पीछे न्याय की भावना ही काम करती है और राज्य इन तत्त्वों का सगोपन एवं सवर्धन किया करता है। सगोपन एवं सवर्धन की यह क्रिया कानून के मध्यम से होती है। यदि मैं किसी भी राज्य का नागरिक न रहूँ तो, स्वतन्त्रता, समता आदि सारे अधिकार बेकार हो जाएँगे। क्योंकि उन पर आक्रमण होने की दशा में प्रतिरक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अतः जो भी स्वतन्त्रताएँ हैं वे नागरिक की हैं। कानून उनकी रक्षा करता है। भले ही वह कानून लिखित रूप में हो या अनिखित रूप में। राज्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ में नैसर्गिक अधिकारों आदि की चर्चा हम कर चुके हैं। जन्मसिद्ध अधिकार तो सभी कहीं प्रसिद्ध हैं। यो देखा जाए तो, निसर्गसिद्ध अधिकारों को तब तक अधिकार की सजा दी ही नहीं जा सकती, जब तक ये समाज की कल्पना से सम्बद्ध न हों। यही वान जन्मसिद्ध अधिकारों के मामले में भी कही जा सकती है। जन्मसिद्ध अधिकारों का विवेचन भी समाज की पृष्ठभूमि में ही किया जाना चाहिए। अतः स्वतन्त्रता के जितने भी अधिकार हैं, वे सब व्यक्ति को उस राज्य के कानून के अनुसार मिलते हैं, जिसका वह नागरिक होता है। उम राज्य में जन्म लेने के साथ ही ये अधिकार उसकी बनीं वन जाने हैं। जिस प्रकार निसर्ग ने मनुष्य के लिए इशामोच्छ्वास की व्यवस्था कर दी है, उसी प्रकार राज्य भी उतनी ही स्वाभाविकता के साथ इन अधिकारों के लिए भी कुछ-कुछ व्यवस्था किए रखता है। ये स्वतन्त्रताएँ तथा तद्विषयक अधिकार व्यक्तियों के विभाग के लिए राज्य को ज़रूरी हो जाते हैं। तथा समाज की दृष्टि में भी सरके अधिनाधिक विभाग के लिए ये अधिकार ज़रूरी हो जाते हैं। मनुष्य का जैसा एक पार्थिव देह होता है, उसी प्रकार इन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों में निर्दिष्ट उमका एक नैतिक देह भी होता है। और जिस प्रकार शरीर में मेहनत करके वह अपने नागरिकता के कर्तव्यों को पूरा करता है, उसी प्रकार अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वह इन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों को उपयोग में लाता है।

उपरोक्त विवेचन में जो स्वतन्त्रताएँ अथवा अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से मिलने रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। 'स्वतन्त्रता या ममता?' ऐसा प्रश्न ही वहाँ नहीं उठता। सब प्रकार की स्वतन्त्रताएँ उसके नैतिक जीवन के लिए तथा विभाग के लिए सामुदायिक रूप से अपरिहार्य होती हैं।

साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्वतन्त्रता के उद्देश्य एवं प्रयोजनों का विपर्यास न होने पाए। मनुष्य में नीति नाम की कोई-न-कोई भावना अवश्य होती है और सूक्ष्म विचार करने पर, उसी भावना में से इन सब स्वतन्त्रताओं की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति पर, उसकी अपनी दृष्टि में, कोई न कोई नैतिक जिम्मेदारी अवश्य होती है। समाज से रात-दिन का सम्बन्ध आने के कारण उसका भी उसे ग्रहण होता है। और इस दृष्टि से विचार करने पर, एक दृष्टि से यह सत्य प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता आदि अधिकार स्वाभाविक हैं तथा निसर्ग निमित्त हैं। क्योंकि वे सब उसके स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। पर इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्वतन्त्रताएँ तथा अधिकार समाज की पृष्ठभूमि को छोड़कर नहीं रह सकते। और इसी कारण यह मानना पड़ता है कि उनका स्वरूप राजनैतिक तथा कानून से सम्बन्धित है। इन्हें कानून तथा समाज की पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता इसलिए है जिससे वे स्वतन्त्रताएँ एवं अधिकार शक्तिशाली बन सकें और यह बात कोरी कल्पना से या कागज पर लिख भर देने से नहीं बन सकती। आज भी अनेक राज्यों के संविधान के अनुसार सारे नागरिक समान हैं, सबको समान अवसर प्राप्त हैं, परन्तु अनुभव एकदम भिन्न है। डंका भले ही पीटा जाए पर क्रिया में वैसा नहीं होता। अतः मेरे जो अधिकार या स्वतन्त्रताएँ हैं, उनका नियमन अथवा नियन्त्रण, किंवहुना, उनका जनकत्व भी मुझ से भिन्न व्यक्ति के हाथ में है। एक अर्थ में, मानवीय स्वभाव में से प्रसूत होने के कारण वे स्वाभाविक हैं तथा व्यक्ति से भिन्न सगठनों की मौजूदगी के कारण तथा उनके द्वारा निर्मित होने के कारण उन्हें सामाजिक एवं राजनैतिक कहना भी आवश्यक हो जाता है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति के अधिकार तथा स्वतन्त्रताओं का जन्म राज्य द्वारा होता है तथा यदि उनका जन्म राज्य से न हो, तो वे सब अर्थहीन हो जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव हमें न्यूनाधिक मात्रा में यही बताता है। जिन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों को कानून का समर्थन एवं संरक्षण नहीं मिलता वे व्यर्थ हो जाते हैं। अमेरिका में आज भी किन्हीं क्षेत्रों में नीग्रो लोगों को मजदूर के नागरिक अधिकार (सिविल राइट्स) प्राप्त हैं। पर वे लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि कानून द्वारा संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि जो राज्य जितनी मात्रा में आदर्श होगा अर्थात् अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं सामर्थ्ययुक्त होगा, उतनी ही मात्रा में नागरिकों के अधिकार सार्थक होंगे। केवल निसर्गदत्त एवं ईश्वरदत्त आदि आडम्बरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से उन्हें अर्थपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। कठोर अनुभव देने वाले जग में, कानून कठोर हो, निष्ठुर रूप से निष्पक्षपाती हो, तो व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताओं का उपयोग कर पाता है। अन्यथा नहीं।

हम ऊपर कह आए हैं कि कोई भी राज्य नौ फीसदी आदर्शवादी नहीं हो सकता। उसका निर्माण इतिहास की प्रक्रिया में ही होता है तथा निरन्तर वह इतिहास के प्रवाह में बहता जाता है। इस कारण उसके आदर्शवाद में कुछ कम-अधिक होता जाए, तो उसमें अचरज की कोई बात नहीं। राज्य का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को विकास का अवसर देना है और यदि इस अवसरदान में न्याय भाव न



रहे, तो जो भ्रवसर दिया गया है, वह कुछ लोगों को तो डेर सारा फायदा पहुँचाएगा और कुछ लोगों को नुकसान। इन दृष्टि से न्याय नामक एक श्रेष्ठ भावना को राज्य की कल्पना के साथ जोड़ दिया गया है। और तब न्यायदान के अनुरोध से यदि कभी-कभी कुछ 'सम-विषय' हो जाए तो उसे दोषास्पद मानना ठीक नहीं होगा। न्यायदान के लिए किन्हीं व्यवस्थाओं एवं नियमों को अनिवार्य रूप में मंजूर करना चाहिए। तथा ये नियम भी ऐसे होने चाहिए, जो न्यायदान के उद्देश्य को सफल बना सकें। इसके मानी ये हुए कि जितनी मात्रा में व्यक्ति को इन नियमों के अनुसार विकास का भ्रवसर मिलेगा, उतनी मात्रा में उनकी सफलता होगी। और तब यह प्रश्न पैदा होगा कि स्वतन्त्रता को प्राथमिकता दी जाए या न्याय को और तब तात्त्विक दृष्ट्या इस सव्या का परिहार करना पड़ता है। तब फिर प्रश्न का स्वरूप 'स्वतन्त्रता या समता' न रहकर 'न्याय या व्यापक स्वतन्त्रता' ऐसा हो जाता है। एक बार राज्य का ध्येय निश्चित हो जाने के बाद, उसके माध्य की दृष्टि से, न्याय की श्रेष्ठता निर्विवाद हो जाती है। स्वतन्त्रता तो राज्य का मूल आधार है। स्वतन्त्रता के मानी है कि राज्य का हर व्यक्ति अपने विकास के विषय में स्वतन्त्र है। उसके स्वतन्त्र होने के कारण, कानून के माध्यम से राज्य द्वारा दिए गए स्वतन्त्रता से सम्बद्ध सारे अधिकारों का वह पूरी तरह उपयोग कर सकता है तथा वैसे करने का अधिकार उसे प्राप्त है, यह मानना होगा। व्यक्ति जब विचार करने लायक उम्र का हो जाता है, तब वह अपनी कल्पना के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करेगा, ऐसी राज्य की ओर से उम्मीद की जाती है। जहाँ स्वतन्त्रता है, वहाँ जिम्मेदारी भी है, ऐसी मानकर काम किया जाता है। जहाँ जिम्मेदारी का अहसास नहीं, वहाँ स्वतन्त्रता का मही आनन्द या उपभोग भी नहीं हो सकता। क्योंकि स्वतन्त्रता तो राज्य ने हर व्यक्ति को दी हुई है और हरेक को वह हासिल हो, इस ख्याल से हरेक को जिम्मेदारी का अहसास होना जरूरी है। तथा सब को इस बात की जानकारी राज्य द्वारा बनाया गया बायदा करा देता है। इसके मानी हुए कि मही मानो मे हरेक को स्वतन्त्रता वही है, जिसे राज्य का कानून स्वीकार करे तथा नियन्त्रित करे। तथा इसी स्वीकृति तथा नियन्त्रण से उसका स्वरूप निश्चित होता है।

स्वतन्त्रता की भाँति हमें समता के अर्थ को भी समझना चाहिए। समता का कानून द्वारा निर्धारित अर्थ कर देने से काम नहीं चलता। कानून की निगाह में सब समान हैं, ऐसा मानने या कह देने भर से सब लोग समान नहीं हो जाते। अतः कानून के निगाह वाली समता तथा उसमें भिन्न समता—दोनों का विचार किया जाना चाहिए। नैतिक दृष्टि से सब लोग समान है यह हुई नैतिक समानता। तो वह राज्य के मौलिक कानून द्वारा स्थापित समता में परिवर्तन कर देती है। समाज में मानदार आदमी को मिलने वाले तथा गरीब आदमी को मिलने वाले न्याय में जो भिन्नता हम देखते हैं, उसका असली अर्थ यह होता है कि मालदार तथा गरीब के सम्बन्ध में कानून की निगाह में जो समता है, उस पर समान रूप से अमल नहीं किया जाता। लोगों में वर्गों की मौजूदगी हो सकती है, पर कानून में वर्गीय न्याय

अथवा कानूनी समता का वर्गीय स्वरूप नहीं होना चाहिए। जहाँ कानून का सवाल आता है, वहाँ कानूनी समानता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जहाँ राज्य के कानून का सम्बन्ध न आता हो, वरन् सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध आते हों, वहाँ की समता कानून की समता के क्षेत्र से बाहर हो जाती है। व्यक्ति की पात्रता, योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सम्पन्नता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। यह भेद केवल पूँजीवादी समाज में ही नहीं, वरन् साम्यवादी राष्ट्रों में भी नजर आता है। तो भी कानून के क्षेत्र में समता अवश्य रहनी है। प्रत्येक को पूरी स्वतन्त्रता देने से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसमें मिलता-जुलता प्रभाव सबको समान मानने से भी पड़ता है। और आज तो दुनियाँ के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि या तो स्वतन्त्रता को सीमित करके समता की स्थापना की जाए, या फिर स्वतन्त्रता को निःसीम करके समता को उखाड़ फेंका जाए। इस सवाल को हल करना हो, तो हमें स्वतन्त्रता तथा समता दोनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर काम करना होगा। तभी कोई बड़िया हल ढूँढा जा सकेगा। एक बात साफ जाहिर है कि "आज के भारतीय कानून के मुताबिक सब व्यक्ति समान हैं" इसका अर्थ यही है कि अदालती कानून की निगाह में सब समान है, सामाजिक मामलों में यह समानता नहीं है। आर्थिक मामलों में तो यह समानता बतई नहीं है। यों गौर से देखा जाए तो हरेक को समता की दृष्टि में सामाजिक क्षेत्र में काम करने तक का पूरा अवसर नहीं मिलता। तो भी यदि कानूनी समता को यदि कुछ और व्यापक बना दिया जाए तो सामाजिक समता का कुछ अंश वहाँ आ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मतदाता है तथा हर बालिग व्यक्ति को राज-नैतिक क्षेत्र में समान अधिकार हैं। मालदार आदमी के तथा गरीब आदमी के मत का महत्त्व समान है। विद्वविद्यालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परन्तु पैसों के अभाव में गरीब होनहार विद्यार्थी वहाँ दाखिल नहीं हो पाता। उन्हें या तो मुन्शी-गोरी करनी पड़ती है या मिलों में मजदूर बनना पड़ता है। सही मानों में सबके लिए पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम करना हो तो पढ़-लिख सकने की परिस्थिति सबको हासिल होनी चाहिए। समान योग्यता के रहते, पैसों या माधनों की विपमता के कारण समाज में विपमता बढ़ती है। अतः यदि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समता को बढ़ाया जाए, तो निःसन्देह कानूनी समता की मार्थकता भी बढ़ जाएगी। वैयक्तिक योग्यता, आर्थिक माधन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा आदि की समता के वातावरण में जाना राज्य का कर्तव्य है। पैसा होने पर ही कानून अपने व्यापक अर्थ में सबके चास्ते समान हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैयक्तिक विकास के लिए स्वतन्त्रता एवं समता की जरूरत है। और चूँकि सबको इन बातों की जरूरत है, अतः सबके हित सम्बन्धों में एकवाक्यता होना चाहिए। इसी को कहते हैं 'बन्धुता'।

'बन्धुता' तथा 'समता' दोनों विचार 'स्वतन्त्रता' के विचार से ही जन्म लेते हैं तथा उनके न रहने से स्वतन्त्रता अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाती, इस प्रमेय का प्रतिपादन हमने इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर किया है। व्यक्ति के विकास के

निष्पत्तिसूत्र का नियमन एवं नियमन करने वाली व्यवस्था का ही धर्म है 'राज्य' । इस व्यवस्था को ध्यान में रखने में हम देखते हैं कि जो धर्मों का गुण दृष्टि में व्यक्ति के सामने में गरी है, गरी धर्मों गुण एवं साधुनिष्ठ दृष्टि में समाज के सामने में भी गरी है और गरी सामान्य 'राज्य' नामक संस्था में भी प्रतिबिम्बित होता है । धर्मों की विद्या तथा साधुनिष्ठता गरी धर्मों वाली का उन्नीय किन्तु बिना एकदम निरर्थक है । इसी प्रकार व्यक्ति के व्यवस्था में गरी जाने वाली धर्मों समाज धर्मता राज्य-व्यवस्था के उन्नीय के बिना निरर्थक है । सामान्यतया, मनुष्य को इसका धर्म है, यह हमें देवता होता । साधारण और पर कटा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान् एवं विवेकी प्राणी है । धर्म विवेकी व्यक्तियों को भी शिक्षणी बन कर बना भी उन्नीय जीवन का एक धर्म हो सकता है । मनुष्य का साधारण धर्म होता साधुनिष्ठ, जिसमें जो धर्म सब के लिए एक है, उन्नीय धर्म का प्रथम सब धर्म बन सकते । कोई भी व्यक्ति किसी धर्म व्यक्ति का उपयोग इस धर्म में न करे जिसमें वह धर्म धर्म में दूर बना जाए । और इस प्रकार का व्यवहार करने में ही व्यवस्था है । व्यक्ति की दृष्टि में तथा राज्य की दृष्टि में नियमन तथा मर्यादा भी है । इन स्वाभाविक मर्यादाओं (सीमाओं) को राज्य कानून के द्वारा स्पष्ट किया करता है । पर उन्नीयता सिद्धान्त को स्वीकार करने में जो धर्म स्पष्ट होती है, वह यह है कि राज्य स्वतंत्र है, अपनी मर्यादा के मुताबिक काम करने की पूरी छूट है उन्नीय । उनका सब हो, तो उन्नीय धर्म में व्यवस्था राज्य में कानून की सीमा में रहने वाले व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । निःसन्देह, ये व्यवस्था कानूनी स्वतंत्रता के ही धर्मों राज्य में व्यवस्था है । तथापि राज्य के साथ सामान्यता भी है तथा समाज एवं राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह कहना होगा कि राज्य के कदम समाज के समूचे जीवनधर्म में नहीं उतर सकते । जहाँ राज्य तथा समाज धर्मिभाष्य हो जाएँ, या उनमें साधुनिष्ठता का भाव उन्नीय हो जाए तो क्या परिस्थिति हो जाएगी, यह कहना मुश्किल है । सोवियत समाज की राज्य-व्यवस्था में धर्म भी सामाजिक जीवन छोड़ा स्वतंत्र है । धर्म स्वतन्त्रता का विवेचन करने समय केवल कानून द्वारा प्रतिष्ठित, सुस्थापित, गौरवित तथा आश्वासन-समन्वित स्वतन्त्रता ही उन्नीय धर्म नहीं करना चाहिए बल्कि समाज के जीवन की स्वतन्त्रता का भी उसमें समावेश किया जाना चाहिए । समाज में भी व्यक्ति को हमारे की स्वतन्त्रता में बाधक न बनने हुए अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करने की छूट होनी चाहिए । कानूनी स्वतन्त्रता की रक्षा एवं कानून की प्रतिष्ठा के लिए सामाजिक धर्म की स्वतन्त्रता को दया दिया जाता है, उन्नीय पर हमला किया जाता है तथा ऐसा करते समय कहा जाता है कि यह सब व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए ही किया जाता है । यह कहना वैसा ही है, जैसे कोई डाकू नष्ट कि हम तो यात्री के कंधे पर पड़े बोझ को हलका कर रहे हैं, और उसका गारा रफा-पंगा लूट कर ले जाए । सामाजिक जीवन में धार्मिक स्वतन्त्रता का महत्त्व है और धार्मिक स्वतन्त्रता का होना व्यक्ति के विकास की दृष्टि में आवश्यक है । मन्दिर, मस्जिद तथा गुम्बदों को, यह कहकर कि उनका दुरुपयोग होता है, नष्ट कर देना ठीक नहीं । तथा यह कहकर कि धर्म एक अफीम की गोली है, उसका उन्नीय करना भी

अनुचित है। धर्म के नाम पर पैसा बटोरने के मामले में अंगर राज्य हस्तक्षेप करके उस पर प्रतिबन्ध लगा दे, तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। राज्य व्यक्ति के विकास के लिए यत्नशील रहना है और यदि समाज की सम्पत्ति विषमता के कारण अथवा विवृत्त उपयोग के कारण समाज में अन्याय तथा अमान्ति को जन्म देने लगे, तो राज्य के कानून द्वारा की जाने वाली मदागलत को धार्मिक स्वतन्त्रता के अग्रहरण का नाम देना तर्कमग्न नहीं कहा जा सकता। और यह कहना भी नहीं कि सामाजिक जीवन में केवल राज्य की शक्ति ही प्रभावी होती है। जैसा हम पहले कह आए हैं, सामाजिक शक्ति भी अपना प्रभाव डालती है। जाति में बहिष्कृत कर देना, पतित बहकर घोषणा करना, आदि बातें सामाजिक शक्ति की शक्त हैं। विधवा स्त्री या असुर्य जाति का कोई व्यक्ति रास्ते में नजर आ जाए, तो उसे अग्रवृत्त समझने का अर्थ हुआ बिना किसी अग्रराय के सामाजिक सजा का भोगना। सामाजिक जीवन के अनेक व्यवसायों में उन व्यवसायों की नीति के अनुसार समाज-शक्ति प्रायश्चित्त कराया जाती है। फलों के घर काम नहीं करना है, फलों के घर लकड़ियाँ नहीं तोड़ना है वगैरह-वगैरह बातें आज भी कही-बही नजर आ जाती हैं। यह नहीं है कि दुनियाँ में बटनी हुई आधुनिकता के माय-माय समाज की शक्ति अर्थात् उनकी दण्ड देने की शक्ति कुछ कम होती जा रही है और यही कारण है कि सामाजिक शक्ति अन्याय रीति से दण्ड देने लग जाए तो समाज की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए कानून द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप उचित ही कहा जाएगा। उससे सामाजिक स्वतन्त्रता कम नहीं होती बल्कि उसके अर्थों उपयोग की अनुकूलता में वृद्धि होती है।

यहाँ तक हमने जो विवेचन किया, वह यह कि केवल कानूनी स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रता न होकर सामाजिक स्वतन्त्रता भी स्वतन्त्रता की मूल रूपना में समाविष्ट है। और जिस प्रकार कानूनी स्वतन्त्रता के लिए कभी-कभी सामाजिक स्वतन्त्रता का अग्रहरण किया जाता है, उसी प्रकार कभी-कभी कानूनी स्वतन्त्रता को सामाजिक स्वतन्त्रता के बनाए रखने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। क्योंकि राज्य सबका अग्रस्थान होता है अर्थात् सबसे अन्तिम आधार राज्य ही होता है। स्वतन्त्रता का एक रूप नहीं है, कई रूप हैं। इतना ही क्यों, जिसे हम कानूनी स्वतन्त्रता कहते हैं, उसके भी रूप एक से ज्यादा होने हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानूनी स्वतन्त्रता अष्ट एवं अन्तिम होते हुए भी निःसीम अथवा निरपेक्ष नहीं है। जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति स्वतन्त्र है, तो उसके ये मानी नहीं होते कि वह सर्वथा निरपेक्ष एवं निरकुरा रूप में स्वतन्त्र है। हर व्यक्ति की स्वतन्त्रता हर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए अर्थात् अस्तित्व में है। स्वतन्त्रता का उपयोग सभी करना चाहते हैं। पर वह उपयोग बारी-बारी से नहीं किया जाता। सबको एक साथ तथा एक ही समय स्वतन्त्रता चाहिए। इसीलिए वह स्वतन्त्रता सबके लिए समान एवं एक जैसी होनी चाहिए। मुझे साइकिल पर बैठकर हर रास्ते पर से जाने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे साइकिल का उपयोग इस रूप में करना है, जिससे दूसरों के तत्सम अधिकार में किसी किसिम की रुकावट न आने पाए। अन्यथा साइकिल सब

का कारण न होकर दुर्घटना का ही कारण बन जाएगी। सामाजिक जीवन में जो स्वतन्त्रता के अधिकार सबको प्राप्त हैं, इगलिट् प्रत्येक को अपनी मर्दाना को ममानते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। किसी उपयोग में देने पूर्ण सगाई है, कोई कारगना मद्रा किया है, तो जो चाहे सो माग देता करे, जिसको चाहे, जोकर या कारकून रगया दूँ, जितना चाहे उतना बेतन दूँ—इतने स्वातन्त्र एवं निमीम अधिकार या स्वतन्त्रताएँ धार्मुनिक समाज में पूर्णोपतियों को नहीं दिए जा सकते। मातृक या पूर्णोपति को मिलने वाली स्वतन्त्रता समाज के अन्य मद्रम्यो, विवेक करके काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली स्वतन्त्रता के साथ भेग न माने वाली नहीं होनी चाहिए। काम कैसे किया जाए, क्या बेतन दिया जाए, किस परिस्थिति में काम किया जाए आदि मामलों में मजदूर को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसे भी काम की बातों तथा परिस्थितियों को निश्चित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता मापेक्ष है तथा मना है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वतन्त्रताएँ नियन्त्रित होनी चाहिए। और इसका ही यह अर्थ हुआ कि जहाँ नियमन एवं नियन्त्रण नहीं, वहाँ हर व्यक्ति को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। कुछ लोगों को मिलेगी तथा कुछ लोग उगमे बचिन रह जाएंगे। स्वतन्त्रता की कल्पना रेगागणित के सिद्धान्तों की भाँति निरपेक्ष तथा सामयिक समाज की पृष्ठभूमि से अछूती नहीं रह सकती। बर्क के धन्दों में स्वतन्त्रता को अविनाशी, नैतिक तन्तु नियन्त्रणयुक्त होना चाहिए और इन मामले में मतभेद की कोई यजह नहीं है। केवल व्यक्ति की दृष्टि में स्वतन्त्रता का नियमन होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ नैतिक भावना भी है। सबको स्वतन्त्रता मिले यह नैतिक आवश्यकता है। वह व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता है, यह हम पहले बना आए हैं और उस नैतिक आवश्यकता में से स्वतन्त्रता की कल्पना का उद्गम हुआ है, यह मान लेने के बाद स्वतन्त्रता की जो व्यवस्था होगी, उसे उस मौलिक नैतिक कल्पना से भेग माने वाली होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उम दृष्टि से भी स्वतन्त्रता का नियमन होना चाहिए। यह नैतिक आवश्यकता व्यक्ति की है—किसी कल्पना से परे के व्यक्ति की नहीं, बल्कि निश्चित, मात्रार एवं स्पष्ट व्यक्तित्व से युक्त तथा किन्हीं ध्येयों से प्रेरित व्यक्ति की है। और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता में से नैतिक आवश्यकता के रूप में स्वतन्त्रता की कल्पना का प्रसव हुआ है। दृष्टिकोण चाहे कुछ हो—व्यक्तियों के सम्बन्धों का दृष्टिकोण हो या मूल नैतिक आवश्यकताओं का दृष्टिकोण हो—स्वतन्त्रता का नियोजन त्रमप्राप्त एवं अपरिहार्य हो जाता है। राज्य में अत्रिहत स्वतन्त्रता किसी को भी प्राप्त नहीं होती। जो भी स्वतन्त्रता है, वह मापेक्ष एवं नियमनयुक्त है। ऐसा होने के कारण ही वह सबको अधिकाधिक माना में उपलब्ध हो सकती है। तथा इस मात्रा को निश्चित करते समय प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य तथा विशेष आवश्यकताओं को आँसों के सामने रखा जाता है। परन्तु मात्रा निश्चित करते समय स्वतन्त्रता का अधिकार सभी का माना जाता है। स्वतन्त्रता भले ही नियमनयुक्त हो, उसकी मात्रा भले ही निश्चित हो तो भी वह स्वतन्त्रता है, इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता। कस्तूरी चाहे कण हो,

या ढेर सारी हो, पर है तो वह कस्तूरी ही। अधिक गहराई से विचार करने पर प्रतीत होगा कि निरपेक्ष तथा नियमन रहित स्वतन्त्रता हो तो बहूनों के जीवन में स्वतन्त्रता का अभाव हो जाएगा तथा जिनके जीवन में थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता है भी उनकी वह स्वतन्त्रता अनिश्चिन्ता की खाई में जा पड़ेगी। इसके विपरीत यदि स्वतन्त्रता सापेक्ष एवं नियमनयुक्त हो तो वह अधिक सही हो जाती है तथा मात्रा एवं गुण दोनों दृष्टियों में व्यक्तियों एवं समष्टि दोनों के लिए अधिक उपयोगी एवं उत्तम होती जाती है, ऐसा हमें इतिहास बताना है।

हम यहाँ 'कानूनी स्वतन्त्रता' इस नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कानून तथा स्वतन्त्रता दोनों का आपसी सम्बन्ध द्योतित होता है। राज्य में यदि हम न्याय चाहते हैं, तो उसके लिए स्वतन्त्रता जरूरी है। इस कथन में स्वतन्त्रता को साधन तथा न्याय को साध्य माना गया है। कई बार हम देखते हैं कि साध्य तथा साधन एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसी ही अवस्था है। कानून तथा स्वतन्त्रता के बीच मौजूद सम्बन्ध का अधिक विवरण हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इत्ता कहना चाहेंगे कि स्वतन्त्रता भी एक कानून ही है। या कहिये कि कानून का एक महत्त्व का हिस्सा है। कानून का अर्थ 'काजी हाऊस' या 'चेक के टीके' का कानून न होकर 'कानून की भावना' है। जिस प्रकार विद्या कहने से किसी खास विद्या का ग्रहण न होकर उसके व्यापक अर्थ का ग्रहण होता है, उसी प्रकार यहाँ हमने भाववाचक कानून शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि 'समाज में कानून प्रचलित है' इसका अर्थ यह है कि कानून के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ हैं, वे प्रचलित होती हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि 'फर्ना कानून कानून के मुताबिक नहीं है' इसका अर्थ यह होता है कि कानून के सम्बन्ध में जो मुख्य एवं मौलिक कल्पनाएँ (सिद्धान्त) हैं, उनके मुताबिक नहीं है और जब हम कहते हैं कि 'कानून के मुताबिक राज्य चल रहा है' तो उस समय प्रत्यक्ष स्वतन्त्रता ही उस कानून के रूप में काम किया करती है। स्वतन्त्रता तथा कानून का परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कम-से-कम आधुनिक राज्य में तो हो ही नहीं सकता। तथापि हमेशा उनमें एकमर्त्य बना रहता हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार स्वतन्त्रता के रूप भिन्न होते हैं, उसी प्रकार इस भाववाचक कानून के रूप भी भिन्न हो सकते हैं। स्वतन्त्रता के रूप एवं क्षेत्र भिन्न होते हैं, इस बात का उल्लेख सामाजिक स्वतन्त्रता पर विचार करते समय हम कर चुके हैं। स्वतन्त्रता पर विचार करते समय उसके तीन रूप स्पष्ट रूप से आँखों के सामने आते हैं एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता या नागरिक स्वतन्त्रता। बर्नैक स्टोन नामक राजनीतिज्ञ ने नागरिक स्वतन्त्रता के भी तीन प्रकार बताए हैं। जीवन, स्वास्थ्य तथा विरोध सम्बन्धी सुरक्षा की स्वतन्त्रता। दूसरा है, व्यक्ति की विहार स्वतन्त्रता। अर्थात् जहाँ भी जाना उसके लिए आवश्यक एवं ईप्सित हो, वहाँ जाने की स्वतन्त्रता। तथा अपनी मालमत्ता के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता। अर्थात् अपनी सम्पत्ति के उपयोग, उपभोग तथा उसकी व्यवस्था सम्बन्धी स्वतन्त्रता। आधुनिक नवविधानों में सामान्यतया इन तीनों स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाता है। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार नामक परिच्छेद में यह व्यवस्था की

गई है। आधुनिक भाषा में इन्ही स्वतन्त्रताओं का वर्गीकरण शरीर स्वातन्त्र्य, बौद्धिक स्वातन्त्र्य तथा व्यवहार स्वातन्त्र्य के रूप में किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसी प्रकार धूमने-फिरने की अवधि जहाँ मर्जी हो वहाँ जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। बौद्धिक स्वतन्त्रता में विचारों की स्वतन्त्रता एवं धार्मिक स्वतन्त्रता का अन्तर्भाव होता है। व्यवहार सम्बन्धी स्वतन्त्रता में किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किसके साथ व्यवहार किया जाए, किसके साथ करार किया जाए आदि बातें आती हैं। इन सब स्वतन्त्रताओं का उल्लेख 'नागरिक स्वातन्त्र्य' इस समावेशक शब्द द्वारा किया जा सकता है। नागरिक स्वतन्त्रता के साथ व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते अलग किसम की एक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। वह राज्य का नागरिक है। राज्य एक सगठन है और उसका सदस्य होने के नाते उसे वह स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसे राजकीय स्वातन्त्र्य कहा जा सकता है। एक समय था जब इस स्वतन्त्रता का रूप अभावात्मक था। और उसमें जोर इस बात पर नहीं था कि नागरिक क्या करे, बल्कि इस बात पर था कि राज्य सत्ता क्या न करे। और इंग्लैंड के इतिहास में स्वतन्त्रता की यह जो अभावात्मक व्याख्या की गई थी उसका कारण एक प्रकार से ऐतिहासिक परिस्थिति ही थी। जहाँ यह भावना काम करती हो कि राजकीय सत्ता अपने से एक भिन्न वस्तु है तथा उसके हमले से अपने को बचाना है, वहाँ राजकीय स्वातन्त्र्य का रूप, उसके विरोधात्मक होने के कारण, अभावात्मक हो जाना है। मैं नागरिक हूँ, अतः मुझे अपने शरीर एवं धन की सुरक्षा का अधिकार है। मैं नागरिक हूँ, अतः मुझे अपने दुःखों का निवारण करने के लिए कहने का अधिकार है। न्यायप्राप्ति के लिए मुझे अदालत में जाने का अधिकार है। इन सब बातों के पीछे राज्य तथा व्यक्ति के बीच विभेद रूपी द्वैतभाव मौजूद था। आज राज्य अथवा राज्य सत्ता नागरिक से अलग नहीं है। सरकार या राज्य सत्ता कोई ऐसी अभूतपूर्व वस्तु नहीं, जो हाथों के कान में से उत्पन्न हुई हो या स्वर्ग लोक से भूलोक पर अवतीर्ण हुई हो; उसका निर्माण हमी नागरिकों ने किया है। हमी से वह उत्पन्न हुई है। अतः हममें और उसमें अद्वैत है। इन पृष्ठभूमि में राजनैतिक स्वतन्त्रता एक भावात्मक वस्तु हो जाती है। यह हमी ने निश्चित किया है कि सत्ता रूपी पालकी में कौन बैठे। हमी उस पालकी को ढोते भी हैं। और जब थक जाते हैं या एक निश्चित समय बीत जाता है तब पालकी में बैठने वाले पालकी उठाने वाले बन जाते हैं तथा जो अब तक पालकी को उठाना था वह पालकी में जा बैठता है। स्वतन्त्रता इस बात की नहीं कि किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उत्पादित सरकार की गतिविधियों को सीमित करना है बल्कि इस बात की है कि सरकार को उत्पन्न करना है, उसे नियन्त्रण में लाना है; उसे किस तरह चलाना होगा, इस बात को निश्चित करना है। सरकार नामक मत्स्या को किसी ने हम पर लादा नहीं बल्कि हमने स्वयं उसे स्वीकार किया है। इत्ता ही क्यों, हमने स्वयं उसका चुनाव किया है। यह कार्यात्मक भाव आज राजकीय स्वतन्त्रता में हमें दृष्टिगोचर होता है। चुनाव द्वारा सरकार स्थापित होती है। लगातार विचार-विनिमय के बाद वह कार्यान्वित एवं नियन्त्रित होती है तथा इस क्रिया में प्रत्येक नागरिक यथारहित भाग लेता है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा नागरिक होने के नाने उपलब्ध राजकीय स्वतन्त्रता के साथ-साथ राज्य में व्यक्ति को एक अन्य स्वतन्त्रता भी उपलब्ध होनी चाहिए। वह है आर्थिक स्वतन्त्रता। वहाँ उम व्यक्ति का रिस्ता श्रमिक या कारकून का होना चाहिए। श्रम का स्वरूप चाहे शारीरिक हो या मानसिक—पर राज्य में उसका होते रहना जरूरी है। वह श्रम चाहे मरकारी क्षेत्र में हो या गैर-मरकारी क्षेत्र में। श्रमिक व्यक्ति उक्त श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाता है। समाज की दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्त्व है तथा राजकीय दृष्टि से नागरिक स्वतन्त्रता का। परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता का महत्त्व दोनों ही दृष्टियों से है। आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को गत १०० वर्षों में अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि राजकीय स्वतन्त्रता के रहने पर ही आर्थिक स्वतन्त्रता बनी रह सकती है। कुछ का खयाल है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में वह मौजूद है। तथा कुछ लोगो के खयाल में आर्थिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त बेकार की चीज है तथा उसके कारण विचारों में थोड़ी-थोड़ी विलप्टता आ जाती है। साथ ही यह खयाल भी उठ खड़ा होता है कि यदि आर्थिक स्वतन्त्रता को जुदा माना जाए तो फिर धार्मिक स्वतन्त्रता को जुदा क्यों न माना जाए? धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में स्पष्ट रूप से आ जाती है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा नागरिक स्वतन्त्रता भी एक दृष्टि से एक ही है। नागरिक स्वतन्त्रता राजकीय स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देती है, अतः उसे राजकीय स्वतन्त्रता का स्वतन्त्र नाम दिया जाता है, ऐसा कहने में कोई कठिनाई नहीं। आर्थिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध भले ही नागरिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता के साथ आता हो, तो भी उस स्वतन्त्रता के सिद्धान्त में समूचे समाज के आर्थिक सम्बन्धों का विचार समाविष्ट रहता है। और इस दृष्टि से आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को आधुनिक युग में अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। नभी आर्थिक एवं सामाजिक मामलों से आर्थिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध आता है; राजकीय स्वतन्त्रता भी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए प्रभिलपित होती है; अतः सभी स्वतन्त्रताओं में उसका अधिक मूल्य है। सारे तर्क एवं शब्द-जाल को एक ओर करके हम कह सकते हैं कि नागरिक स्वतन्त्रता में सभी स्वतन्त्रताओं का समावेश हो जाता है। स्वतन्त्रता के किस स्वरूप को अधिक महत्त्व देना है, यह ठीक से निश्चित हो जाए तो आगे की सारी बातें सुगम हो जाती हैं। और जिस प्रकार एक ही उद्गम से भिन्न-भिन्न जलधाराएँ बह निकलती हैं, उसी प्रकार ये तीनों प्रकार की स्वतन्त्रताएँ भी एक ही उद्गम से निकलती हैं तथा वास्तव में एक ही वस्तु हैं। यदि वास्तविक रूप इन तीनों का सुरक्षित रहे, तो ये बनी रहती हैं, अन्यथा जो स्वतन्त्रता हमें दिखाई देगी वह दिखावटी होगी। नागरिक एवं मतदाता होने के नाते प्राप्त राज्य संचालन सम्बन्धी स्वतन्त्रता के साथ-साथ, उसके जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक अर्थ-व्यवस्था भी समाज में रहनी चाहिए। इस बात को कहने की स्वतन्त्रता तथा अधिकार होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था तथा समाजगत आर्थिक सम्बन्धों में उसका क्या स्थान हो, यह बताने का उसका अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित नहीं है। समाज की दृष्टि से समूची आर्थिक व्यवस्था कंसी रहे, उनमें उद्योगों की रूपरेखा क्या रहे, व्यापार की स्थिति क्या हो इत्यादि बातों के सम्बन्ध में





है। जिस प्रकार 'विसमिन्ता' का नाम लेकर कोई बकरा काटता है, उसी प्रकार राजनैतिक क्षेत्र में भी यह मुल्लापन क्रिया जाता है। देश की रक्षा के नाम पर वर्गद्वेष तथा जातीय बलह आदि को प्रथम दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर श्रमिकों की प्राथिक स्वतन्त्रता पर हमला किया जाता है, यह तो रोजमर्रा का किस्सा है। पूँजीपति लोग समझते हैं, जब पूँजी हमारी है, अबल हमारी है तब शासन सत्ता भी हमारी ही होनी चाहिए। अधिक नफे के लिए वे श्रमिकों के हित की उपेक्षा करते हैं। मजदूरों को ठीक लगता हो तो काम करें, न सगे तो काम छोड़ दें। मालिक और मजदूर का रिश्ता करार के कानून के मुताबिक है, उगमे राज्य सत्ता या सरकार को दबल देने की जरूरत नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है और करार स्वातन्त्र्य के नाम पर आधिक स्वातन्त्र्य को दबा दिया जाता है। तथा बेचारे मजदूर और बारकून वस्तुतः गुलाम बन जाते हैं। अन्य ग्रंथों में 'अर्थस्य पुष्टो दामः' का अनुभव आता है और जब यह हालत प्रजातन्त्र के युग में परावाण्टा को पहुँच जाती है, तब राजनैतिक स्वतन्त्रता बीच में पड़ती है। परन्तु यदि बहुमत वाला दल पूँजीपतियों के चंगुल में हो, तो राजनैतिक स्वतन्त्रता के नाम पर श्रमिकों को नए-नए कायदे कानून बना कर दवाने की कोशिश की जाती है। उनके सगठनों को गैरकानूनी ठहराया जाता है। हड़ताल करने का उनका अधिकार कट-छँट जाता है। कभी-कभी तो वह बहुत ज्यादा मिक्कुड़ जाता है। इस विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है कि स्वतन्त्रता कोई मौखी-सादी तथा आसान कल्पना नहीं है। स्वतन्त्रता की भावना में प्रेरित होकर लोग एक ओर एकत्रित होते हैं, संगठित होने हैं, प्रयत्नशील होते हैं, उपर दूमरी और स्वतन्त्रता के विविध रूपों के सामने आते ही वे बिखरने लगते हैं, विघटित होते हैं, विसंगत दृष्टिकोण पैदा करने लग जाते हैं और फिर उनका आचरण भी उसी प्रकार का होने लग जाता है। स्वतन्त्रता की पताका के नीचे एकत्रित हुए लोग पताका के रंग के बारे में झगड़ने लगते हैं। लाल या तिरगी, सफेद या हरा ? और तब स्वतन्त्रता के नाम के नीचे राष्ट्र में राज्य चलाने की अहमहमिका वाले अनेक लोग पैदा हो जाते हैं तथा हर व्यक्ति अपने ही दल को सच्चा स्वतन्त्रतावादी प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है। तात्त्विक दृष्टि से तो स्वतन्त्रता नामक तत्त्व न्याय की कल्पना के अन्तर्गत है। अतः देखना यही होता है कि राज्य का कानून इस तत्त्व के अनुसार है या नहीं। तथापि जब राज्य का कानून तथा उसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता कार्यान्वित होने लगती है, तब स्वतन्त्रता के विविध स्वरूपों में उगी प्रकार समन्वय की स्थापना करनी होती है, जिस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्वतन्त्रताओं के मध्य की जाती है और इसके लिए इकहरी तथा एकांगी विचारसरणी से काम नहीं चलेगा। न्याय का अर्थ होना है सम्बन्धित हितसम्बन्धों तथा व्यक्तियों में अधिक-से-अधिक समन्वय की स्थापना। स्वतन्त्रता के साथ समता का भी समन्वय करना चाहिए। स्वतन्त्रता एवं समता के साथ बन्धुता का भी समन्वय करना चाहिए। यह समन्वय का काम समाज की न्यायवृद्धि के द्वारा किया जाता है। जितने अंश में यह सम्बन्धन कायम

होता जाएगा, उतने धन में स्वतंत्रता का मंत्री स्वयं सविनयाही होता जलना पीर तब स्वतंत्रता का समान के मध्य विचार का समान मंत्री उभरना जाएगा। स्वतंत्रता का विचार बड़े समान रूप देगा है कि प्रत्येक व्यक्ति का राज्य की निगाह में एक स्वतंत्र व्यक्ति रहता है तथा उस कानूनी व्यक्ति के कारण राज्य के मध्य में व्यवहार करने की उगे स्वतंत्रता होती है। उगी प्रकार समान की दृष्टि में कानून के मध्य में एक व्यक्ति को एक दूसरे के समान होना चाहिए। यह स्वतंत्रता में समानता चाहिए कि मंत्री एक व्यक्ति के बीच एक कानूनी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं, किमी नीति व्यक्ति का मंत्री। व्यक्ति का मनन १०० पीर हो या २०० पीर, ट्राम या रेल का विचार उगे प्रोरो के बराबर ही देना होगा। करने वाले सभी व्यक्ति नीति दृष्टि में बराबर हैं। पर दूसरे के मानी नहीं कि माना एक जैसी है। धंध या कानूनी दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्ति समान है। अपना कानून के मध्य में यह एक बराबर है। कानून या राज्य व्यक्ति को नागरिक की जो प्रतिष्ठा प्रदान करता है यह कम अधिक नहीं हो सकती। यह सबको समान हो जाती है। किचट्टना, उगाय समान होना अनिवार्य होता है। कर्मान्तु इसी दृष्टि में राज्य के लिए, हर व्यक्ति के चलने चलन-प्रचलन पैमाना स्थाना बंदिन हा जाता होगा। कारण कुछ क्यों न हो, यह माक है कि धंध व्यक्ति समान होता है। किमी विरसविद्यालय का कानूनी हा या बड़ी काम करने वाला कोई कुछी हो, विद्वान् पंडित हा या अतिशय धनवान् मजदूर हो मादान की दृष्टि में उगाय धंध व्यक्ति समान होता है। कानून भंगे ही यह समानता प्रदान कर पर जीवन के अन्य धंधों में भी यह समानता बनी रहेगी, एसा कोई नहीं कह सकता। एंगी कोई उम्मीद राज्य द्वारा बर्धाई नहीं जा सकती। पठरीक के घोड़े जिन तरह घुरू-घुरू में एक ही बनार में होते हैं, पर विजय स्वयं तब पट्टेचने हुए कोई पहला घाता है, तो कोई दूसरा। यदि समाज में भी इस प्रकार की विषमता घा जाए तो उसके लिए राज्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राज्य तथा समाज का काम तो समानता के मार्ग में राठी स्वावटों को यथासम्भव कम करना है। उसके लिए उचित वातावरण तैयार करना है। भगवान् ने हर किमी को वैर दिए हैं, पर वेग सबको एक जैसा नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि राज्य को प्रारम्भ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, जिसमें अधिक में अधिक समानता हो। संक्षेप में, जो अधिकार एक हक प्रोरो को हैं, वे मुझे भी होने चाहिए तथा सबको बराबर का भवसर मिलना चाहिए। अधिकारों के मामले में धर्म एवं वर्ग का चंचु प्रवेश नहीं होना चाहिए। वयस्क हो जाने पर नियमानुसार प्रत्येक को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। कानून द्वारा मिलने वाली समानता का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक की योग्यता भी समान हो जाएगी। इसी प्रकार समान अधिकारों का यह अर्थ नहीं कि हर किसी को हर बात में समानता होगी। जब तक कानून समानता के तत्त्व को लेकर काम करेगा, तब तक राज्य में समानता बनी रहेगी, यह मानना होगा। इस तात्त्विक पृष्ठभूमि

के कारण बहुत दफा समानता का अर्थ पूरी तरह से ध्यान में नहीं आता। सब लोग कानून की निगाह में समान हैं, इसका अर्थ यह है कि सबका कानूनी व्यक्तित्व समान है। कानून की न्यूनाधिकता के साथ-साथ वैध व्यक्तित्व भी न्यूनाधिक होता जाता है तथा उभी अनुपात में कानूनी समता का स्वरूप भी न्यूनाधिक होता जाता है। कुछ एक विचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि कानूनी समानता का विचार करते समय व्यक्ति की योग्यता तथा उसकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। रेलों की निगाह में भले ही सबके लिए टिकट की समानता हो, पर जीवन के हर क्षेत्र में समानता नहीं हो सकती। यदि कोई लाने की कोशिश करे तो वह भ्रमम्भव बात होगी। इसका यह मतलब नहीं कि सब कहीं कृत्रिम विपमता को बेरोक-टोक बढ़ने दिया जाए। केवल सम्पत्ति की विपमता के कारण वैध व्यक्तित्व को भी विपम कर डालना उचित नहीं। तथा विशेष बुद्धिमत्ता के कारण वैध व्यक्तित्व को भी विपम कर डालना उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार वैध अथवा कानूनी व्यक्तित्व (लीगल परमनालिटी) की समानता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता लाने की बात कहना भी ठीक नहीं होगा। कानूनी समानता की बात को लेकर साम्प्रतिक समानता तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा की समानता की उम्मीद करना तथा नैसर्गिक पात्रता में भी समानता लाने का प्रयत्न करना या उसे मान कर चलना ठीक नहीं होगा। एक निश्चित सीमा तक वैध व्यक्तित्व की समानता तथा सामाजिक समानता में मेल का होना उचित है। पर दोनों समानताओं के क्षेत्र के पूरी तरह से एक होने का दावा ठीक नहीं सकेगा और आज तक कभी टिका भी नहीं।

आज के युग में सारी राजनैतिक विचार-धारा समता की दिशा में प्रजाहित हो रही है। आज की इस मनोवृत्ति एवं एतद्विषयक दृष्टिकोण को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता जब तक पिछले युग की बातों का सम्यक् ज्ञान न हो जाए। पिछले युग में अनेक दातान्द्रियों तक समाज के बहुनृण्यक लोगों के साथ कानूनी तौर पर भी विपमता युक्त व्यवहार किया जाता था। तब लोगों को कानून की यह विपमता तथा अन्य क्षेत्रों की विपमता एवं विपमतायुक्त न्याय-व्यवस्था अनुचित नहीं समझी जाती थी। धनी आदमी अगर कोई गुनाह कर बैठे तो न्यायाधीश लोग उसका न्याय एक भिन्न ही दृष्टि से किया करते थे। सामान्य व्यक्ति का सामान्य गुनाह भी कभी-कभी बहुत भयंकर गुनाह समझा जाता था। यदि कोई व्यक्ति समाज में रहकर काम करने के लिए राजी हो; पर उसे रोजगार न मिले तो वास्तव में यह उसका अपराध नहीं कहा जा सकता; पर कानून ऐसे व्यक्तियों को आकार मानकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर डालता था एवं उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। पाश्चात्य देशों में ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, जहाँ व्यक्ति को किसी भी नए नगर में तब तक प्रवेश नहीं मिलता था, जब तक उसके हाथ में काफी पैसे न हों, या उसे कोई नौकरी न हो। राजनैतिक क्षेत्र में तो यह विपमता इती स्वाभाविक समझी जाती थी कि उसके विरुद्ध कुछ खोलना भी अप्रथम माना जाता था। राज्यद्रोह तो वह था ही। इंग्लैण्ड में सन् १८३२ तक बहुत ही छोड़े व्यक्ति मतदान

का अधिकार रखते थे। १९१८ में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति को मारान का अधिकार मिला। भारत में १९५० तक यह परिस्थिति थी कि मारान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था, जो पर मालिक हो, निराधार हों, धारणर दो हों, जमीन बों हों तथा सगान दो हों, या जो जमीन मेकर गुर उग पर गेरी करने हों। जो केवल केन-गलनर होना था, उमे मारान का अधिकार नहीं था। धरने ही देन में यह धारणर समभा जाता था। निरधार व्यक्ति को माराधिकार नहीं था। निधिन मनुष्य को भी तब तक माराधिकार नहीं था, जब तक यह गदरीपर पर का निराधार या मालिक न हो। यह भी इसी प्रकार बेरोदी का धारणर समभा जाता था तथा राज-नैतिक दृष्टि में प्रनिष्ठागुण्य था। कहने का मान्य यह है कि गरिपान वन जाने के बाद स्वतन्त्र भारत में धारणर माराधिकार सार्वत्रिक हो गया है। यही कारण है कि धर इग विषमता के दूर हो जाने के बाद समता स्थापित हो गई है तथा मर कही समता का माननिक यालावरण निर्माण हो गया है। धीर धर यह कहा जा सकता है कि सामान्यता धंध धरिणर समान हो गया है। जति, धन, निग धरवा धर्म—जिमी भी दृष्टि में दन मामनो में भेदभाव में काम नहीं किया जाता। राज्य के कानून की निगाह में धर भारत के सभी व्यक्ति समान हैं। सबको समान धरि-कार होने मात्र से प्रत्येक को उनका इस्तेमाल करने का समान धरणर या धरिणर नहीं मिल जाती। यह गही है सबके गाय न्याय किया जाएगा। न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पर हरेक के पास कोर्ट की फीम या वकील की फीम देने की पैसे मौजूद हों गेमी धार नहीं है। यानुनी समता में सामाजिक धरवा सामाजिक समता स्थापित नहीं हो पाती तथा प्रत्येक के लिए उन्मुक्त दिताई देने वाले न्याय तथा शिक्षा के प्रवेश द्वार वस्तुन उन्मुक्त नहीं हो पाते। गरीब का तडका पहले दम में पास होकर भी गिफ पैसे की कमी के कारण धरली पडाई नहीं कर सकता तथा विद्वविद्यालय के दरवाजे खुले होने पर भी वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार यदि गरीब पर धन्याय हो जाए तो वह रपधो-रिसो की कमी के कारण न्याय की तराजू के पलड़े को अपनी धीर नहीं झुका सकता। कोर्ट की प्रविषा तथा नियम बहुत महंगे होते हैं। एक तरह से न्याय को मोल लेना होता है तथा उसकी कीमत चुकाने की हैसियत हरेक में नहीं होती। इसके साथ ही हम धार्मिक युग में कुछ ऐसी सव्याएँ भी देखते हैं, जो गरीब मविवरुनो की सहायता किया करती हैं। बहुत दफा राज्य भी इस क्षेत्र में सहायता करता है। तथापि धरली सवाल तो यह है कि जिसे हम सामाजिक समता कहते हैं, उसका सही मानों में लोग धनुभव कर सकें। जब तक यह नहीं होता, तब तक धंध समता का कोई धर्य नहीं रह जाता। यह सामाजिक समता लाने का प्रयत्न कौन करे? यदि धार कहें कि राज्य करे, तो उसकी राह में जो कठिनाइयाँ तथा सीमाएँ हैं, उन्हें भी धारणो ठीक से समभा लेना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में लाई जाने वाली समता स्वाभाविक गति से सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रवेश करती है धीर यदि वह धारिक क्षेत्र में भी पडुँवने लगे, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। राजनैतिक समता का यह पहला पडाव है। सामाजिक रपता समता की समूची यावा का दूसरा पडाव है। मतदान की दृष्टि से सब लोग समान

हैं। तब सवाल उठता है कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी वे लोग समान क्यों न हों? एक बार नागरिक होने के नाते किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाने के बाद उसे सार्वजनिक भण्डलों, शिक्षा-क्षेत्रों, मनोरंजन के स्थानों तथा उपाहारगृहों आदि में प्रवेश करने से रोकना असम्भव हो जाता है और इसी कारण राज्य अपने क्षेत्र में सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करता है। देवालय एवं मन्दिर खोले जाते हैं। मत्स्याग्रह तथा उपवास से लोकमत को जागरित किया जा सकता है; समाज की आत्मा को जगाया जा सकता है; समाज की सदसद्विवेक बुद्धि को उद्वुद्ध किया जा सकता है; तथापि इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए कानून की ही आवश्यकता पड़ती है। कानून शक्तिशाली लोकमत का हथियार है। वह एक हुक्म है। अर्थात् यदि कोई उसका पालन न करे, तो उसे सजा दी जा सकती है। पर साथ ही वह एक प्रकार का हानि भी है। तथा वह नागरिक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करता है, कि कानून जो कुछ कहता है, वह सामान्यतया और कुछ नहीं तो कम से कम योग्य एवं न्याययुक्त तो अवश्य है तथा इस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थापित होने के बाद समता अपने तीमरे पड़ाव की ओर चल पड़ती है। एक बार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलने लगा तो समझ लीजिए कि आर्थिक समता की दिशा में आप ने अपना पहला कदम रखा। असली अवसर एवं समता तब है, जब शिक्षा के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति को राज्य की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता मिलने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में विषमता का अर्थ हुआ सांस्कृतिक क्षेत्र में विषमता। शिक्षा का अवसर न मिलने से मन की प्रगति विशेष नहीं हो पाती। ज्ञान एवं विज्ञान से वह व्यक्ति वंचित रह जाता है और जो लोग पैसे के धनी होते हैं, वे शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी धनी हों जाते हैं। गरीब लोग इन दोनों वस्तुओं से हाथ धो बैठते हैं। फलस्वरूप समाज में इन दोनों वर्गों के बीच की विषमता की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है। अच्छे संस्कार शिक्षा का फल हैं। अर्थात् यदि शिक्षा न मिले तो अच्छे संस्कार भी नहीं आ पाते। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में मिलें, कभी उद्दण्ड व्यवहार नहीं करेंगे। वे सम्यता का परित्याग नहीं करेंगे तथा उनके जीवन में अहंकार एवं दंभ की बढवू नहीं आएगी। यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जाए, तो आप देखेंगे कि संस्कृति भी अधिक व्यापक हो जाएगी तथा वह अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होने लगेगी। यह सही है कि एक चन्द्रमा के प्रकाश के कारण ही रात ज्योतिष्मती कहलाती है। पर अनन्त तारों के टिमटिमाने से भी आकाश के सौन्दर्य में वृद्धि होती है। परम्परागत तथा आनुवंशिक होने के कारण अनेक व्यवसाय अच्छे होते हैं, अतः वहाँ अधिक एवं प्राधुनिक स्वरूप का ज्ञान देना निरर्थक है, ऐसा कहना मूल्यता का द्योतक सिद्ध होगा। परम्परागत प्रणाली से खेती करने तथा खेती के शास्त्र को समझकर खेती करने में जो फर्क है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिम्बावट के देखने में बढिया होने के साथ-साथ यदि शुद्ध लेखन के नियम का पालन भी किया गया हो, तो पाठक का मन प्रमत्त हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में शिक्षा की प्राप्ति से सामान्य आचर-विचार भी उन्नत होते हैं तथा उनमें सम्यता का स्तर ऊँचा होता

है। धर्म-न्यूनताम आशयशा सिद्धा हर व्यक्ति को अत्यन्त शान्त होनी चाहिए और यदि किसी को और अधिक पढ़ना हो तो उसकी सुविधा राज्य को बननी चाहिए। सिद्धा एवं सरस्वती के क्षेत्र में १०० प्रतिशत समता का स्थापित होना मुश्किल है। कोई कहे कि ऐसा हो सकता है, तो यह स्पष्ट ही सूर्यशा का दोष गिना होगा। पहली बात तो यह है कि जिनकी आदृष्टियाँ हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ हैं। अर्थ 'मुण्ड' में 'मति' की 'भित्तिका' भी एक निर्गमिष्ठ मय है। इन मय को उठाया नहीं जा सकता। व्यक्ति की स्वाभंगता को दृष्टि में भी यदि हम सोचें तो हम पाएँगे कि वही-वही व्यक्ति पर समता का सादना उसकी स्वतंत्रता का धारण करना गिना होता है। यदि ऐसा नियम कर दिया जाए कि हर कोई एक ही सिद्धा को पुनर्कें पड़े, एक ही सिद्धा के नाटक तथा किन्हीं विषयों देंगे, तो हमें समता को स्थापित हो जाएगी, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्पष्ट ही धारण हो जाएगा। जो विचार मुक्तता के दिमाग में घाने हैं, वही हर व्यक्ति के दिमाग में घालें ऐसा होना तो सम्भव है ही, पर इसकी उम्मीद करना भी बेवज्रही में कम नहीं है। विद्वान्-विद्या-या का तत्त्वज्ञ, मामलेदार की बचतरीय काम करने वाला कारक, पण्डों की दुकान में गज लेकर कण्डे फाड़ने वाला विपत्ता, बुधवार बाग में कूँभों और बाण्टी हाथ में लिए सदा रहने वाला रगरेज आदि लोगों की मानसिक भूमि समान नहीं है। धन, उनमें समान विचारों की अपज नहीं हो सकती। गुण एक ही पाठ करने सब सिद्धाओं को पढ़ाना है, पर उसका फल जुदा-जुदा देगने की मिलता है। धानाग में बरसने वाला माफ पानी जहाँ-जहाँ गिरेगा, वहाँ-वहाँ जमीन के गुण-धर्मों के अनुसार अलग-अलग स्वाद का हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी बात यह है कि समाज में व्यक्ति जिस काम की करता है, उसके मन की रचना भी उसके अनुसार तथा उसके लिए उचित रूप धारण करती चली जाती है। दो-चार रेतों के पारकून एक जगह जमा हो जाएँ, या दो-चार मिल के मजदूर एक जगह जमा हो जाएँ या दो-चार सासदार एक जगह जमा हो जाएँ, तो आप देखेंगे कि श्रविक समूह की चर्चा का विषय एक-दूसरे से जुदा होगा। इत्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि सब लोग धामनीर से अपने-अपने व्यवसाय के बारे में ही बात-चीत करेंगे। इन दोनों बातों का विचार करने पर आप पाएँगे कि स्वाभाविक विविधता एवं व्यावसायिक विविध दृष्टिकोणों के कारण सब कही समता का होता असम्भव एवं अनुचित है। तथापि इन दो बातों की सीमाओं का खयान रखते हुए विषमता के प्रकारों को जितना कम किया जा सके, उतना अच्छा होगा। समाज में सब वही एक-सा पन रहे, तो वहाँ, सम्भव है, अनुशासन रह जाए, पर सौन्दर्य की गारण्टी नहीं दी जा सकती। औचित्य का भी बिस्वास नहीं दिलाया जा सकता। सब तो यह है कि, मानवीय जीवन में जितनी विविधता रहेगी, उतना ही सौन्दर्य अधिक होगा, सम्भ्यता व्यापक बनेगी तथा प्रगति अधिक तीव्र गति से होगी और यह भी कहा जा सकता है कि विविधता या विषमता समता की मौलिक भावना के लिए विसंगत नहीं है। समता का अर्थ एकजैसापन नहीं है। समता का अर्थ सिक्कों जैसा एकजैसापन नहीं है। जो भी समता उत्पन्न हो, उसे व्यक्ति के विकास में से उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्ति पर सीमाओं या प्रतिबन्धों को लादकर या उनमें

उसे जकड़कर समता नहीं लाई जा सकती। समता का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। वह जिससे सिद्ध होता हो, वही बात समाज में की जानी चाहिए और यदि कोई समता को 'एकजैसापन' मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो फल समता के मौलिक मूल्यों को कम करने वाला ही होगा। समता के तत्वों को धार्मिक क्षेत्र में लागू करना अधिक मुश्किल है। तथा यहाँ भी राज्य ही को अग्रसर होना चाहिए। इत्ता ही नहीं, इसकी सारी जिम्मेवारी उसे अपने ऊपर लेनी चाहिए। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा।' यह उपदेश उपनिषद् काल में चला आ रहा है। जो हाथ नहीं लगता, उसका त्याग किया जाता है। हाथ से मछली निकल गई तो मछुहारा समझ लेता है, चलो मैंने उता धर्म-कर्म कर डाला। यही अनुभव युगों से चला आ रहा है। जो जबरत से ज़ादा हो, वह मान चोरी का माना जाए, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है। मार्कम ने 'अतिरिचन मूल्य' (सरप्लास वैल्यू) के सिद्धान्त द्वारा उसको आधुनिक जामा पहना दिया है। तो भी आवश्यकताओं की इतनी वृद्धि की जा रही है कि, जो कुछ हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह अधिक सिद्ध ही नहीं होता, उलटे कम प्रतीत होता है। महारवाकांक्षा तथा लोभ की न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित थी न आज ही है। लोगों की सद्भावना पर, समाज में निर्माण होने वाली सम्पत्ति का वितरण जब तक आश्रित रहेगा, तब तक धार्मिक दृष्ट्या विषमता ही समाज का एकमात्र स्थायी भाव बनी रहेगी। जो सम्पत्ति अपने पाम है, वह परोपकारार्थ है, यह कहने के लिए कोई नाराज नहीं होता : पर करने का हौसला क्रिमों में नहीं। 'दानं मविभागः' यह सही है। दान का अर्थ है, सम्पत्ति का सम्यक् एवं समान विभाजन। पर इम किरम का दान तो कोई भी नहीं करता। जीवन-काल में तो कोई करता ही नहीं ; मरने के बाद भी मृत्यु-पत्र द्वारा वह यह लिख जाता है कि उसके धन का उपयोग उसकी इच्छा के अनुसार ही किया जाए और कानून भी ऐसा करने की स्वीकृति देता है। मृत व्यक्ति की इच्छा उसकी अर्जित सम्पत्ति पर तत्काल नाग की भौलि पहरा देती रहती है। इन सब बातों को देखते हुए धार्मिक समता की अनायाम स्थापना गुवरां अशक्य है और यदि स्थापना हुई भी तो उसका टिकना मुश्किल है। अब तक का संसार का अनुभव हमें यही बताता है। तात्पर्य यह है कि धार्मिक समता का प्रयत्न राज्य का कर्तव्य मानकर १९वीं सदी से लेकर दुनिया के विभिन्न राज्यों ने इम दिशा में कोशिश की है। २०वीं सदी में तो इम दिशा में और भी बड़े प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से गत १०० वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर यह धार्मिक स्वतन्त्रता दृष्टिगोचर हो रही है। पर उसे पैमाने पर धार्मिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे। धार्मिक समता का विचार दो दृष्टियों से किया जाना चाहिए। एक दृष्टि यह कि धार्मिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी प्रकार धार्मिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार आता है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार करने समय देश की उत्पादन व्यवस्था तथा उसके सगठन एवं प्रक्रिया का विचार करना पड़ता है। कारणाने पर राष्ट्र का स्वायत्तत्व होने पर भी यह देखना जरूरी है कि उसमें काम करने वाले मजदूरों एवं व्यवस्थापक लोगों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में अर्थात् धार्मिक



है। धर्म: न्यूनताम धारण्यक निशा हर व्यक्ति को धारण्य प्राप्त होनी चाहिए। धर्म यदि किसी को धर्म अधिक पढ़ना हो तो उसकी मुक्ति का राज्य को बननी चाहिए। निशा एवं मनुष्य के क्षेत्र में १०० प्रतिशत समता का स्थापित होना मुश्किल है। कोई कहे कि ऐसा हो सकता है, तो यह स्पष्ट ही सुचना का घोषणा मित्र होगा। पहली बात तो यह है कि जिसकी धार्मिकता है, उसको प्रकृति है। प्रकृति 'सुख' में 'मति' की 'भिन्नता' भी एक नियमित मित्र है। इस राज्य को उठाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को स्वतंत्रता की दृष्टि में भी यदि हम सोचें तो हम पाएंगे कि वही-वही व्यक्ति पर समता का मानना उसकी स्वतंत्रता का धारण्य करना मित्र होगा है। यदि ऐसा नियम कर दिया जाए कि हर कोई हर ही सिद्ध की पुस्तकें पढ़े, एक ही सिद्ध के नाटक तथा फिल्मों विषय देगे, तो हमने समता को स्थापित हो जाएगी, पर व्यक्ति को स्वतंत्रता का स्पष्ट ही धारण्य हो जाएगा। जो विचार मुक्तान के दिमाग में घाने हैं, यही हर व्यक्ति के दिमाग में घाने ऐसा होना तो सम्भव है ही, पर हमकी उम्मीद करना भी बेवकूफी से कम नहीं है। विश्वविद्यालय का तत्त्वज्ञ, मामलेदार की पचहरी में काम करने वाला पारखन, पत्रों की दुकान में गज लेकर कपड़े फाड़ने वाला विप्रेता, बुधवार बाग में कूबी धीर बांटी हाथ में लिए गढा रहने वाला रगरेज आदि लोगों की मानसिक भूमि समान नहीं है। धन-उत्पन्न समान विचारों की उपज नहीं हो सकती। गुरु एक ही पाठ धारण्य सब निधियों को पढ़ाता है, पर उसका फल जुदा-जुदा देगने को मिलना है। धार्मिक में हमने वाला साफ पानी जहाँ-जहाँ गिरेगा, वहाँ-वहाँ जमीन के गुण-धर्मों के अनुसार फल-फलक स्वाद का ही जाएगा। इसी प्रकार दूसरी बात यह है कि समाज में व्यक्ति जिम काम को करना है, उसके मन की रचना भी उसके अनुसार तथा उसके लिए उचित रूप धारण करती चली जाती है। दो-चार रेलवे के कारकून एक जगह जमा हो जाएँ, या दो-चार मिन के मजदूर एक जगह जमा हो जाएँ या दो-चार सातदार एक जगह जमा हो जाएँ, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक समूह की चर्चा का विषय एक-दूसरे से जुदा होगा। इत्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि सब लोग धार्मिक से धारण-धारण व्यवसाय के बारे में ही बात-चीत करेंगे। इन दोनों बातों का विचार करने पर आप पाएँगे कि स्वाभाविक विविधता एवं व्यावसायिक विविध दृष्टिकोणों के कारण सब कही समता का होना असम्भव एवं अनुचित है। तथापि इन दो बातों की सीमाओं का मयाल रखते हुए विषमता के प्रकारों को जिता कम किया जा सके, उत्ता अच्छा होगा। समाज में सब कही एक-सा पन रहे, तो वहाँ, सम्भव है, अनुशासन रह जाए, पर सौन्दर्य की गारण्टी नहीं दी जा सकती। शोचिन्त्य का भी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। सब तो यह है कि, मानवीय जीवन में जितनी विविधता रहेगी, उत्ता ही सौन्दर्य अधिक होगा, सम्भ्यता व्यापक बनेगी तथा प्रगति अधिक तीव्र गति से होगी और यह भी कहा जा सकता है कि विविधता या विषमता समता की मौलिक भावना के लिए विसंगत नहीं है। समता का अर्थ एकजैसापन नहीं है। समता का अर्थ सिक्को जैसा एकजैसापन नहीं है। जो भी समता उत्पन्न हो, उसे व्यक्ति के विकास में से उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्ति पर सीमाओं या प्रतिबन्धों को लादकर या उनसे

उसे जकड़कर समता नहीं लाई जा सकती। समता का मुख्य उद्देश्य है ध्यवित्त का विकास। वह जिससे सिद्ध होना हो, वही बात समाज में की जानी चाहिए और यदि कोई समता को 'एकजैसापन' मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो फल समता के मौलिक मूल्यों को कम करने वाला ही होगा। समता के तत्त्वों को आर्थिक क्षेत्र में लागू करना अधिक मुश्किल है। तथा यहाँ भी राज्य ही को अप्रेसर होना चाहिए। इत्ता ही नहीं, इसकी सारी जिम्मेवारी उसे अपने ऊपर लेनी चाहिए। 'तेन त्वक्तेन भुञ्जीया।' यह उपदेश उपनिषद् बान में चला आ रहा है। जो हाथ नहीं लगता, उसका त्याग किया जाता है। हाथ से मछली निकल गई तो महुहारा ममभ लेता है, चलो मैंने उता धर्म-कर्म कर डाला। यही अनुभव युगों में चला आ रहा है। जो जहरत से ज्यादा हो, वह माल चोरी का माना जाए, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है। मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' (सरप्लस वैल्यू) के सिद्धान्त द्वारा उसको आधुनिक जामा पहना दिया है। तो भी आवश्यकताओं की इतनी वृद्धि की जा रही है कि, जो कुछ हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह अधिक सिद्ध ही नहीं होना, उलटे कम प्रतीत होना है। महत्त्वाकांक्षा तथा लोभ की न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित थी न आज ही है। लोगों की सद्भावना पर, समाज में निर्माण होने वाली सम्पत्ति का वितरण जब तक आश्रित रहेगा, तब तक आर्थिक दृष्ट्या विषमता ही समाज का एकमात्र स्थायी भाव बनी रहेगी। जो सम्पत्ति अपने पास है, वह परोपकारार्थ है, यह कहने के लिए कोई नाराज नहीं होता; पर करने का हौसला किसी में नहीं। 'दानं नविभागः' यह सही है। दान का अर्थ है, सम्पत्ति का सम्यक् एवं समान विभाजन। पर इस किसम का दान तो कोई भी नहीं करता। जीवन-काल में तो कोई करता ही नहीं; मरने के बाद भी मृत्यु-पत्र द्वारा वह यह लिख जाता है कि उसके पन का उपयोग उसकी इच्छा के अनुसार ही किया जाए और कानून भी ऐसा करने की स्वीकृति देता है। मृत व्यक्ति की इच्छा उसकी अर्जित सम्पत्ति पर तथक नाग की भाँति पहरा देती रहनी है। इन सब बातों को देखते हुए आर्थिक समता की अनापाम स्थापना सुनरां असम्भव है और यदि स्थापना हुई भी तो उसका टिकना मुश्किल है। अब तक का संसार का अनुभव हमे यही बताता है। तात्पर्य यह है कि आर्थिक समता का प्रयत्न राज्य का कर्तव्य मानकर १९वीं सदी से लेकर दुनिया के विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में कोशिश की है। २०वीं सदी में तो इस दिशा में और भी बड़े प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से गत १०० वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर यह आर्थिक स्वतन्त्रता दृष्टिगोचर हो रही है। पर उल्टे पैमाने पर आर्थिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे। आर्थिक समता का विचार दो दृष्टियों में किया जाना चाहिए। एक दृष्टि यह कि आर्थिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी प्रकार आर्थिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार आता है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार करने समय देश की उत्पादन व्यवस्था तथा उसके संगठन एवं प्रक्रिया का विचार करना पड़ता है। कारखाने पर राष्ट्र का स्वामित्व होने पर भी यह देखना जरूरी है कि उसमें काम करने वाले मजदूरों एवं व्यवस्थापक स्तरों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में अर्थात् आर्थिक

विपमता वाली व्यवस्था में इन दोनों श्रृंखलों के लोगों के जीवन-स्तर में तथा आमदनी में अन्तर रहेगा। ऐसी स्थिति में समता की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हो सकेगी। उत्पादन समान रूप से हुआ हो, तथा मान लीजिए, आमदनी भी न्यूनधिक मात्रा में सबकी समान रही हो, तो भी हम देखते हैं कि, इत्ते भर से समता का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब तक उत्पादन एवं निर्माण के कार्य में ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी क्रिया में तम होए कार्यकर्ता लोग यह अनुभव नहीं करेंगे कि हम सब एक ही दर्जे के भागीदार हैं, तब तक समता भाव वहाँ पनप नहीं सकेगा। अतः प्रतिष्ठा की दृष्टि से समता भाव को पनपाना ही तो सारे औद्योगिक क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की सगठन की भावना काम करनी चाहिए, जिसमें मजदूर एवं मॅनेजर, हथौड़े से काम करने वाले एवं कलम से काम करने वाले सब लोग अपने को एक ही भूमिका पर अनुभव करें। इस दृष्टि से विचार करने से यह साफ हो जाता है कि यह समता तभी सम्भव है, जब इन उद्योग-धन्धों का नियन्त्रण एवं नियमन सरकार के द्वारा किया जाए। अन्यथा नहीं। तब ये प्रश्न महत्त्व के हो जाते हैं कि सरकार यह सब क्या करे, कितनी मात्रा में करे तथा किस प्रकार करे। तथापि यहाँ इन प्रश्नों का विचार करने की आवश्यकता नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि समता का वातावरण उत्पन्न करने के हेतु प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के समान हो होनी चाहिए। प्रतिष्ठा एवं साक्ष में, आमदनी एवं सम्पत्ति में विपमता का रहना भी ठीक नहीं। अतः राष्ट्र की सम्पत्ति के तथा चाल आमदनी के बीच की विपमता को दूर करने का काम भी राज्य ही को करना होगा और इस दृष्टि से सम्पत्ति के वितरण तथा उसके संग्रह के सम्बन्ध में गत ६० वर्षों में, आधुनिक राज्यों द्वारा, सर्वथा पूँजीवादी राज्यों द्वारा भी, प्रयत्न किए गए हैं। नाना प्रकार के कर लादकर चाल आमदनी एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सौच लेता है। इसी प्रकार मजदूरी बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी की रकम निश्चित करके, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का प्रबन्ध करके सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक संच करके आमदनी की विपमता को कम करने के प्रयत्न सब कहीं हो रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क डॉक्टरों, सहायता आदि बातों को अङ्गीकार करके समाज के कम आमदनी वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा किया जा रहा है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक है, उसकी दान बुद्धि पर भरोसा न रखकर आजकल के राज्य कर के रूप में उसकी आमदनी में से अपना हिस्सा लेते हैं तथा जिनके पास कुछ भी नहीं या आवश्यकता से कम है, उनकी सुख-सुविधाओं का प्रबन्ध इस प्रकार प्राप्त धनराशि से किया करते हैं। रुपये पैसे की दृष्टि से जो लोग ऊपर हैं उन्हें नीचे लाने तथा जो नीचे हैं उन्हें ऊपर लाने की इन दो क्रियाओं द्वारा आर्थिक समता का समतल निर्माण करने के प्रयत्न सब कहीं किए जा रहे हैं। तो भी यह कहना होगा कि केवल कर लेने तथा समाज कल्याण के कार्यक्रम को हाथ में लेने ही से अधिक विपमता बहुत बड़े पैमाने पर दूर नहीं हो सकती। यह इंग्लैण्ड तथा अमेरिका का अनुभव हमें बताता है। आवश्यकता से अधिक आमदनी होने पर लोग बचत करना आरम्भ कर देते हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त अनुभव हमें बताता है कि इस प्रकार से बचत करने वालों की

संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में किन्हीं क्षेत्रों में इस मामले में जांच की गई थी; उसी से यह जानकारी प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि वही-वही मालिक और मजदूर दोनों ने मिलकर धन्ये की भागीदारी का तत्त्व स्वीकार किया है तथा उसके फलस्वरूप, अनेक स्थानों पर स्वामित्व के वे अधिकार जो इने-गिने आदिमियों के हाथ में रहा करते थे अब अधिक लोगों के हाथ में चले गए हैं। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें आर्थिक समता स्थापित हो गई है। आज अमेरिका में पूँजी लगाने वालों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो गई है। बोमा करवाने वालों की संख्या भी अधिक हो गई है। तो भी समाज के सभी व्यक्तियों को इस व्यापक स्वामित्व के अधिकार अभी तक नहीं मिला पाए हैं। यह ठीक है कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा मालदार हो गए हैं; यह भी ठीक है कि देश में पहले के मुकाबले समृद्धि बढ़ गई है; तथापि देश की कंगाली तथा साम्प्रतिक विपन्नता में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। कोई स्वेच्छा से भले ही भागीदारी में उत्पादन करे, या सारा उत्पादन राज्य के नियंत्रण या स्वामित्व में दे डाले; पर इसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए—आर्थिक समता की स्थापना। इस मामले में अधिकचरे प्रयत्नों से काम नहीं चलेगा। जब तक व्यक्तिगत क्षेत्र में थोड़ा-सा देने तथा डेर सारा पेट में कर लेने की कोशिशें जारी हैं, तब तक गरीबों में आर्थिक समता की स्थापना नहीं हो सकती। अधिकांश लोगो को थोड़ा-सा अधिक मिल जाने से ही काफी खुशी होती है। पर उसका असर उनकी नैतिक भावना एवं आचरण पर पड़ता है। इंग्लैण्ड के पिछले सान के चुनावों में यही दृष्टिगोचर हुआ। जिन लोगो के रहन-सहन का स्तर बढ़ गया वे लोग उन्हीं लोगो को भुला बैठे, जिनकी महानुभूति एवं सहयोग से उन्हें यह फल प्राप्त हुआ था। सुखी होने ही लोग आदनों को भूल जाते हैं। मजदूर-दल की पराजय का वहुनों ने यही कारण बताया है। सारा का सारा समाज मालदार हो जाए तो भी कोई दावे के साथ यह कह नहीं सकता कि वहाँ आर्थिक समता स्थापित हो ही जाएगी। उलटे, लोग इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज के सधन हो जाने से समाज नैतिक गिरावट का शिकार बन जाता है।

सही मानों में बंध समता की स्थापना करनी हो तो आर्थिक समता सम्बन्धी प्रतिष्ठा तथा आमदनी की दृष्टि से बहुत सा काम करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि बंध समता केवल मिथ्या न बनी रहे, वरन् एक व्यवहारसिद्ध वस्तु बन जाए तो आर्थिक समता के क्षेत्र में हमें बहुत ही तीव्र गति से प्रगति करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति जागरूकता की दृष्टि से समझ है, ऐसा वह देने भर से समता सिद्ध नहीं हो जाती। जब तक आर्थिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक आमदनी में समता नहीं, तब तक बंध समता एक आदर्श वस्तु ही बनी रहेंगी। केवल मनोरथ करने से ही किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इभीष्ट वस्तु की याचना करने से ही यह थोड़े ही सिद्ध होता है कि वह वस्तु मिल भी गई है? अदालत के सामने समानता बरती गई, मतदान के क्षेत्र में समानता मिल गई, इससे यह थोड़े ही सिद्ध होता है कि नौकरी के मामले में भी वही व्यवहार होगा? मतदान का अधिकार मिलने का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक सासदार या आमदार हो सकेगा। उलटे, ऐसा अनुभव है कि

सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजनैतिक कारणों से योग्यता की अपेक्षा उपयोगिता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेवा की अपेक्षा राजनैतिक सुविधा ही अन्तिम कसौटी साबित होती है। सत्य की अपेक्षा प्रोपेगण्डा को अधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रत्येक को भाषण करने की स्वतन्त्रता है, पर आजकल के दिनों में सभा बुलाना तथा उसका इन्तजाम करना पैसे का मामला हो गया है। भते ही कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण करने वाला हो, पर पैसे एव वसीले के अभाव में उसकी भाषण बना दरिद्र व्यक्ति के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और बिलीन हो जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि सही मानों में व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों का तभी आनन्द उठा सकता है, जब उसके पास आर्थिक समता एवं आर्थिक प्रतिष्ठा हो। समान नागरिकता के लिए आर्थिक समता की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं कि आर्थिक समता बिल्कुल निरपेक्ष या एक ही नाप की हो। आर्थिक समता का सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध अर्थात् कानूनी समता से जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें उस सम्बन्ध को स्वतन्त्रता एव समता के मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विकास के साथ भी जोड़ना चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी नैतिक एव मानसिक पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए समाज तथा राज्य अस्तित्व में आए हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा समता ये दो साधन हैं। अतः जितनी मात्रा में व्यक्ति के विकास के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाएगा, उती मात्रा में व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध होते जाने चाहिए। समता के नाम पर आर्थिक क्षेत्र में एक सिरे से सब के साथ एक ही नाप का बरताव करने से व्यक्ति का विकास न होकर हास ही होगा। तथा सामाजिक दृष्टि से सम्पत्ति का अनुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ जायेगी। हर व्यक्ति के कंधों पर एक जिम्मा ही बोझ लाद देने से न्याय न होकर अन्याय ही होगा। अतः उचित ही बोझ लादना चाहिए, जिम्मा वह आसानी से उठा सके। ऐरावत पर अम्बारी रखना उचित होगा पर चिऊँटी की पीठ पर अनाज की कनी ही रखना उचित होगा। सामान्यतया यह विचारधारा स्वीकार करने योग्य है। उस अवस्था में हमें आर्थिक मामलों पर विचार करते समय आर्थिक आमदनी, नैतिक प्रगति तथा व्यक्ति विकास इन तीनों में परस्पर सगति बैठाने के उपाय पर विचार करना चाहिए। यह मामला काफी कठिन है, इसमें सन्देह नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार समान हो, वैध व्यक्तित्व समान हो, यह सबको मंजूर है। इसे देखते हुए कोई यह सिद्धान्त बना सकता है कि उपरोक्त समता की स्थापना के लिए सम्पत्ति का विभाजन तथा स्वामित्व शतप्रतिशत समान होना चाहिए। उनमें पूर्ण समत्व होना चाहिए। पर थोड़ा सा विचार करने पर हम देखेंगे कि यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि में तथा अपने उद्देश्य की दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। अतः इस मामले में कुछ निश्चिन्त एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाले तत्त्वों को डूँड निकालना चाहिए। अब हमें देखना होगा कि यदि हम हाथ में आई सम्पत्ति अथवा साधनों के यथाप्रमाण तथा यथोचित उपयोग को कसौटी बनाएँ तो

व्यक्ति विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; ममाजगत भ्रातृत्व साधन सम्पत्ति को दुरुपयोग से बचाने के हेतु किन्हीं निश्चित शर्तियों का होना बहुत आवश्यक है, यह हम ऊपर कह आए हैं। यह स्पष्ट है कि जिस साधन सामग्री को व्यक्ति के हाथ में देना है, उसका उपयोग करने की क्षमता उसमें है या नहीं यह देख लिया जाए। संगीत में रचि हो या न हो, गले में मिठास हो या न हो, समता के नाम पर सबको गारगियां बाँट देना, या संगीत के अन्य साधन बाँट देना स्पष्ट ही सामाजिक सम्पत्ति का दुरुपयोग है। साथ ही यह मानना भी ठीक नहीं कि एक व्यक्ति जो उपयोग करेगा, दूसरा व्यक्ति उससे अधिक भ्रष्टा उपयोग करेगा। साधन सामग्री का वितरण करते समय व्यक्ति की विद्यमान पात्रता एवं सम्भाव्य पात्रता दोनों का विचार किया जाना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य जहाँ किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहाँ वह अपनी पात्रता को बढ़ाने की भी कोशिश करना रहता है। प्रशरो की लिखावट शुष्क-शुष्क में भ्रष्टी नहीं होनी पर आगे चलकर वह मुधर जाती है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रयत्न करने पर जैसा किसी अभीष्ट की प्राप्ति होनी है, वैसे उसमें पात्रता भी आती जाती है। गन्ना जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसमें रस भी बढ़ता जाता है और मिठास भी बढ़ती जाती है। इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की वृद्धि के साथ-साथ समझदारी भी बढ़ती जाती है, यह कहावत सच्चे अनुभव पर आधारित है। मनुष्य के प्रयत्नों का फल उसकी वाह्य सृष्टि में तो नजर आता ही है, उसकी मानसिक सृष्टि में भी उसका भाशात्कार होता है। किसी दिलीप रचना से उसके रचयिता की कारीगरी का बोध तो होता ही है, पर साथ ही रचयिता में उसके कारण आत्म-विश्वास की भी उत्पत्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, कर्तृत्व विषयक आत्म-विश्वास अपने आप में कित्ता भी क्यों न हो, कैसा भी क्यों न हो, होता जरूर है। प्रत्यक्ष निर्मित कम हो सकती है। उसका सौन्दर्य तथा स्वरूप भी साधारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी उस कृति जितनी ही मर्यादा है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करते हैं, वह हमारा है, ऐसा कह सकने की परिस्थिति होनी चाहिए। वह परिस्थिति ही पात्रता एवं कर्तृत्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संग्रह की वृत्ति ही मनुष्य को प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है तथा सुप्त योग्यता को प्रकट होने का अवसर प्रदान करती है और यह क्रिया व्यक्ति के विकास की दृष्टि में एक घण्ट वस्तु समझी जानी चाहिए। किबहुना, व्यक्ति विकास की युद्धि तभी अपेसर होती है, जब व्यक्ति को लगता है कि वह भी कुछ कर सकता है तथा कुछ हासिल कर सकता है। उस समय व्यक्ति विकास की प्रेरणा अति मूढम दृष्टि से तथा मंग्राह्य युद्धि से निर्माण होती है तथा व्यक्ति विकास का फल प्रत्यक्ष संग्रह रूप से ही दृष्टिगत होता है। उस प्रकार फल के दृष्टिगत होने से मनुष्य का व्यक्ति-भाव बढ़ता तथा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हर व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली विकास की प्रेरणा एक नमान नहीं होती और इसी कारण व्यक्ति विकास के फलस्वरूप होने वाली प्राप्ति भी स्वभावतः एक जैसी नहीं हो सकती। उसमें समानता नहीं हो

सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजनैतिक कारणों से योग्यता की अपेक्षा उपयोगिता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेवा की अपेक्षा राजनैतिक सुविधा ही अन्तिम कसौटी साबित होती है। सत्य की अपेक्षा प्रोपेगण्डा को अधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रत्येक को भाषण करने की स्वतन्त्रता है, पर आजकल के दिनों में सभा बुलाना तथा उसका इन्तजाम करना जैसे का मामला हो गया है। भले ही कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण करने वाला हो, पर जैसे एव वसीले के अभाव में उसकी भाषण कला दरिद्र व्यक्ति के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि सही मानों में व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों का तभी आनन्द उठा सकता है, जब उसके पास आर्थिक समता एवं धार्मिक प्रतिष्ठा हो। समान नागरिकता के लिए आर्थिक समता की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं कि आर्थिक समता विलकुल निरपेक्ष या एक ही नाप की हो। आर्थिक समता का सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध अर्थात् कानूनी समता से जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें उम सम्बन्ध को स्वतन्त्रता एवं समता के मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विकास के साथ भी जोड़ना चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी नैतिक एवं मानसिक पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए समाज तथा राज्य अस्तित्व में आए हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा समता ये दो साधन हैं। अतः जितनी मात्रा में व्यक्ति के विकास के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाएगा, उतनी मात्रा में व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध होते जाने चाहिए। समता के नाम पर आर्थिक क्षेत्र में एक सिरे से सब के साथ एक ही नाप का बरताव करने से व्यक्ति का विकास न होकर हास ही होगा। तथा सामाजिक दृष्टि से सम्पत्ति का अनुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति के बन्धों पर एक जित्ता ही बोझ लाद देने में न्याय न होकर अन्याय ही होगा। अतः उतना ही बोझ लादना चाहिए, जितना वह प्रामाणी से उठा सके। ऐरावत पर अम्बारी रखना उचित होगा पर चिऊँटी की पीठ पर अनाज की बनी ही रखना उचित होगा। सामान्यतया यह विचारधारा स्वीकार करने योग्य है। उस अवस्था में हमें धार्मिक मामलों पर विचार करते समय आर्थिक आमदनी, नैतिक प्रगति तथा व्यक्ति विज्ञान इन तीनों में परस्पर मगनि बैठाने के उपाय पर विचार करना चाहिए। यह मामला काफी कठिन है, इसमें संदेह नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार समान हो, वैध अस्तित्व समान हो, यह सबको मंजूर है। इन देगने हुए कोई मह मिदान्त बना मरना है कि उपरोक्त समता की स्थापना के लिए सम्पत्ति का विभाजन तथा स्वामित्व जनप्रतिष्ठान समान होना चाहिए। उममें पूर्ण समत्व होना चाहिए। पर सोडा का विचार करने पर हम देखेंगे कि यह मिदान्त व्यावहारिक दृष्टि में तथा अपने उद्देश्य की दृष्टि में मफल नहीं हो सकता। अतः इस मामले में कुछ निश्चित एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाले तरीकों की दृष्टि निश्चयता चाहिए। अब हमें देगना होगा कि यदि हम हाथ में धाई मगनि अथवा साधनों के यथाप्रमाण तथा यथोचित उपयोग को बगौटी बनाएँ तो क्या होगा।

व्यक्ति विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; समाजगत प्राथिक साधन सम्पत्ति को दुरुपयोग से बचाने के हेतु किन्हीं निश्चित बर्गीकरणों का होना बहुत आवश्यक है, यह हम ऊपर यह भाए हैं। यह स्पष्ट है कि जिस साधन सामग्री को व्यक्ति के हाथ में देना है, उसका उपयोग करने की क्षमता उपलब्ध है या नहीं यह देखा लिया जाए। संगीत में रचि हो या न हो, गले में मिठाग हो या न हो, समता के नाम पर सबको मारगियाँ बाँट देना, या संगीत के अन्य साधन बाँट देना स्पष्ट ही सामाजिक सम्पत्ति का दुरुपयोग है। साथ ही यह मानना भी ठीक नहीं कि एक व्यक्ति जो उपयोग करेगा, दूसरा व्यक्ति उससे अधिक धन्य उपयोग करेगा। साधन सामग्री का वितरण करते समय व्यक्ति की विद्यमान पात्रता एवं सम्भाव्य पात्रता दोनों का विचार किया जाना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य जहाँ किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहाँ वह अपनी पात्रता को बढ़ाने की भी कोशिश करता रहता है। अक्षरों की लिखावट गुरु-गुरु में अच्छी नहीं होनी पर आगे चलकर वह सुधर जाती है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रयत्न करने पर जैसे किसी अमीर की प्राप्ति होती है, वैसे उसमें पात्रता भी आती जाती है। गन्ना जैसे-जैसे बढ़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसमें रस भी बढ़ता जाता है और मिठास भी बढ़ती जाती है। इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की वृद्धि के साथ-साथ समझदारी भी बढ़ती जाती है, यह बहावत सच्चे अनुभव पर आधारित है। मनुष्य के प्रयत्नों का फल उसकी बाह्य सृष्टि में तो नजर आता ही है, उसकी मानसिक सृष्टि में भी उसका साक्षात्कार होता है। किसी शिल्प रचना से उसके रचयिता की कारीगरी का बोध तो होता ही है, पर साथ ही रचयिता में उसके कारण आत्म-विश्वास की भी उत्पत्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, कर्तृत्व विषयक आत्म-विश्वास अपने आप में कितना भी क्यों न हो, कैसा भी क्यों न हो, होता जरूर है। प्रत्यक्ष निमित्त कम हो सकती है। उसका सौन्दर्य तथा स्वरूप भी साधारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी उस कृति जितनी ही मूल्य है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करते हैं, वह हमारा है, ऐसा कह सकने की परिस्थिति होनी चाहिए। वह परिस्थिति ही पात्रता एवं कर्तृत्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संग्रह की वृत्ति ही मनुष्य को प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है तथा मुक्त योग्यता को प्रकट होने का अवसर प्रदान करती है और यह क्रिया व्यक्ति के विकास की दृष्टि से एक श्रेष्ठ वस्तु समझी जानी चाहिए। किंवदन्ता, व्यक्ति विकास की वृद्धि तभी अवसर होती है, जब व्यक्ति को लगता है कि वह भी कुछ कर सकता है तथा कुछ हासिल कर सकता है। उस समय व्यक्ति विकास की प्रेरणा अति मूढम दृष्टि से तथा सग्राह्य वृद्धि से निर्माण होती है तथा व्यक्ति विकास का फल प्रत्यक्ष संग्रह रूप में ही दृष्टिगत होता है। उस प्रकार फल के दृष्टिगत होने से मनुष्य का व्यक्ति-भाव बढ़ता तथा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हर व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली विकास की प्रेरणा एक समान नहीं होती और इसी कारण व्यक्ति विकास के फलस्वरूप होने वाली प्राप्ति भी स्वभावतः एक जैसी नहीं हो सकती। उम्र में समानता नहीं हो



सकती। इस प्रकार की आरम्भ तथा अन्त में दिखाई देने वाली विपमता को दूर करना सम्भव नहीं और यदि वह समाप्त हो जाए तो सापेक्ष किसी भी व्यक्ति के मन में उपार्जन एवं प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की इच्छा ही नहीं होगी। किंबहुना, व्यक्ति विकास की प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी और तब यह सब समाज के भौतिक एवं आध्यात्मिक विनाश का कारण बन जाएगा। तब सवाल यह पैदा होता है कि प्राप्ति के माप से जो विपमता दृष्टिगत होती है, उसे कैसे दूर किया जाए। प्रेरणा में जो विपमता निवास करती है, उसको दूर करना सामाजिक प्रयत्नों के बस की बात नहीं है। प्रेरणा-मत्त वृद्धि को रोकने के लिए प्राप्तिगत विपमता को जिस प्रकार दूर किया जाए? जो प्राप्ति प्रयत्न का फल नहीं है, उसे हर कोई अनुचित मानेगा। जिस प्राप्ति का सम्बन्ध प्रयत्न से नहीं है, जो सामाजिक परिस्थिति के कारण या दैवयोग से मिली है, उसे पूरी तरह से उसी के पास रहने देना, जिसे वह मिली है, अनुचित है, यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया जा सकता है। उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति के लिए व्यक्ति का प्रयत्न विशेष कारणीभूत नहीं होता। किसी की इच्छा को ध्यान में रखकर उसे जन्म नहीं दया जाता। व्यक्ति से कोई पूछता नहीं कि उसे वहाँ जन्म देना चाहिए। अपने बाल-वच्चो को मुस्थिति में देखने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। सम्पत्ति का उपार्जन करते हैं। परन्तु वह प्राप्ति अथवा सम्पत्ति उसके प्रयत्न का फल है, बाल-वच्चो के प्रयत्न का नहीं। इस दृष्टि से उत्तराधिकार में मिलने वाला धन प्रयत्नो का फल नहीं है। यदृच्छा से अथवा दैवयोग से यह सब होता है। अतः राज्य को इस बात का नैतिक अधिकार है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली विपमता को कम करने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार यदि प्रयत्न एवं प्राप्ति का अनुपात विपम हो, तो राज्य को प्राप्ति तथा सम्पत्ति को अपने हाथ में लेने का पूरा नैतिक अधिकार है। बहुत दफा राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थिति के कारण व्यापार में बहुत भारी नफा होता है। सप्ताह में कुछ शुरू हो गया, कुछ वस्तुएँ प्रलम्ब हो गईं, साथ ही चीजों के दाम बढ़ गए और आदमी को भारी नफा हुआ। यहाँ जो कुछ हुआ उसमें आदमी के अपने प्रयत्नो का कुछ भी हाथ नहीं है। अतः इस रीति से प्राप्त हुई सम्पत्ति यदि राज्य ले-ले तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि जहाँ प्रयत्न एवं प्राप्ति में ठीक अनुपात नहीं है, वहाँ राज्य को इस विपमता को दूर करने का पूरा अधिकार है।

विवेकहीन दृष्टिकोण से अधिक समता स्थापित करने का प्रयत्न अनुचित है। उससे व्यक्ति के प्रति अन्याय तो होगा ही, समाज की प्रगति में भी रुकावट पड़ेगी। उस समय कुछ करने-धरने की साध ही नहीं रह जाएगी। ऊपर चढ़ने तथा आगे बढ़ने की रफ़्तिक लुप्त हो जाएगी। जब तक समाज में थोड़ी-बहुत विविधता एवं विपमता नहीं रहती, तब तक प्रयत्नो के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। पहाड़ की चोटी नजर आनी हो, तो उस पर चढ़ने की भावना जोर मारती है। समाज यदि सर्वथा विविधता शून्य हो—एकदम सपाट हो—समता-युक्त हो, तो उसकी प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा

जा सकेगा। लोगों की प्रयत्नशक्ति को बढ़ावा देने वाला तथा प्रयत्न करने वाले को प्राप्ति विषयक विश्वास दिलाने वाला वातावरण रहे तो समाज में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट भावनाएँ काम करने लगती हैं। कर्तृत्व चौगुना हो जाता है; व्यक्ति विकास को बल मिलता है तथा वह समाज मन्दगति न रहकर प्रगतिशील हो जाता है। तब आदर्शों की दिशा में उसके कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय समाज की आर्थिक दशा एकदम ऊँचलुंगल हो जाती है तथा किसी प्रकार का कोई अकुण रह नहीं जाता। जैसे कि हम ऊपर कह आए हैं, जहाँ प्रयत्न तथा प्राप्ति में कोई अनुपात नहीं है और यदि है तो अनुचित अनुपात है, वहाँ राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा जो आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करना चाहिए। किंवदन्ता, वैध समता की पूर्ति के लिए राज्य का ऐसा करना कर्त्तव्य हो जाता है। यह हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ आर्थिक विषमता होगी वहाँ सामाजिक समता का पनपना असम्भव है तथा राजनैतिक समता अर्थहीन हो जाती है और वैध समता केवल विताव में ही धरी रह जाती है। अतः जहाँ-जहाँ आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर होती हो, वहाँ-वहाँ सरकार को हस्तक्षेप करके, कानून बनाकर उसको दूर करना चाहिए। समता का विचार केवल समता की ही दृष्टि में करने से काम नहीं चलेगा। समता का तत्त्व निरपेक्ष नहीं है, यह हम पीछे बहूँ आए हैं। समता तथा स्वतन्त्रता एक प्रकार से प्रजातन्त्री जीवन की दो श्वाभ नलियाँ हैं। अतः इन दोनों का सामञ्जस्य बहुत जरूरी है। तथा यह सामञ्जस्य वहीं सम्भव है, जहाँ बन्धुता होगी। अतः बन्धुता की कल्पना के साथ ही इन दोनों कल्पनाओं का सामञ्जस्य होना चाहिए। केवल स्वतन्त्रता पर ही बल देने से काम नहीं चलेगा। 'स्वतन्त्रता या समता' यह सबाल कुछ एक राजनीतिज्ञों ने भारत में उत्पन्न किया है। हमें स्वतन्त्रता और समता दोनों ही चाहिए। स्वतन्त्रता हमें मिल चुकी है तथा समता की दिशा में हमारा इतिहास कदम रख रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है, कि जो तत्त्व नया-नया आता है, उसके प्रति अधिक अनुराग प्रदर्शित किया जाता है। पर ऐसा करना बाज ओकात बहुत खतरनाक साबित होता है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतन्त्रता की प्रेरणा भले ही प्रथम हो तो भी समता की कल्पना उसके प्रयत्नों का चैतन्य है। यह सच है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् उसी में से समता प्राप्त होती है, तो भी यह प्रसूति सुलभ नहीं होती। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अनेक हृदय समान रूप से स्पन्दन करते हैं। अनेक जिह्वाएँ एक ही भाषा बोलती हैं। तथापि समता के प्रयत्नों में यह एकता, यह 'समाना आकृति' तथा 'समाना हृदयानि' दृष्टिगोचर नहीं होते। 'जितने व्यक्ति उतनी ही प्रकृतियाँ' इस न्याय से ईर्ष्या, मत्सर आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कल तक दिखाई देने वाली एकाता आज लुप्त होनी जा रही है, अतः समता के दिखार तक पहुँचने की कामना करने वालों तथा नवीन समाज की निर्मिति करने वालों को अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। पहले उन्हें चाहिए कि संविधान में लिखित समान अवसर वाली बात को मायंक करे। प्रथमर।

मिलने पर ही मनुष्य का कर्तव्य उभरता है। गाने का अद्वयमर मिलने पर ही जाना जा सकता है कि गले में मिठास है या नहीं। स्वतन्त्रता का अर्थ है गुनामी से छुटकारा तथा आर्थिक समता का अर्थ है गरीबी एवं दुःख को गुनामी से छुटकारा, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं। आर्थिक समता का अर्थ है समान प्रतिष्ठा तथा गुणों से सम्बन्ध रखने वाली विषमता। स्वतन्त्रता की प्राप्ति अब भारत को हो चुकी है; अब आर्थिक विषमता को दूर भगाना है। तथा ऐसे नए समाज की स्थापना करनी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रतिष्ठा प्राप्त हो एवं सबकी न्यायपूर्ण आर्थिक प्राप्ति हो। चूंकि सब समान होंगे इसलिए सब भुगी भी होंगे और तभी स्वतन्त्रता का सच्चा अनुभव लोगों को प्राप्त होगा तथा राज्य ने कानून द्वारा जो समता प्रदान की होगी वह सार्थक हो जाएगी।

स्वतन्त्रता तथा समता में कोई विमल्य नहीं है। सबाल 'यह या वह' का नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। तथा सारे समाज में इस भावना का मौजूद होना ही बन्धुता है, ऐसा हम कह सकते हैं। 'एक के विरुद्ध एक' इस भाव के नष्ट होते ही 'एक और एक' ऐसा संगठन का भाव उत्पन्न होता है और विरोध के दूर होते ही सहयोग का वातावरण निर्माण होता है। जहाँ समष्टिभाव आया—सबके सुख का भाव आया कि वहाँ बन्धुता अपने आप आ जाती है। यह हमारा है ऐसा कहते ही हम उसके हो जाते हैं तथा 'हम और वह' ऐसा भेदभाव विलीन हो जाता है और तब भावनात्मक एकरता स्थापित हो जाती है। अपने जीवन की न्यूनताओं की भरपाई के लिए औरों के जीवनो में न्यूनता खाने का प्रयत्न जैसे अनुचित है, वैसे ही अपने को अधिक की आवश्यकता है अथवा अपने पास अधिक मौजूद है, इसलिए औरों के पास मौजूद चीजों को उनसे ले लेना या उनको न देना भी अनुचित है। तथा जहाँ इस प्रकार की वृत्ति बनी रहेगी वहाँ भावनात्मक एकता नहीं रह सकती। सामुदायिक हित में व्यक्ति का हित है तथा 'सर्वेषामविरोधेन' इस वृत्ति से जहाँ व्यक्ति उपभोग करता है, वहाँ बन्धुता निवास करती है; भावनात्मक एकता निवास करती है। जहाँ लोगो से लेने या खसोटने की वृत्ति न होकर देने की तथा दान करने की वृत्ति है, वही बन्धुता निवास मरती है। समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुता ये तीनों कल्पनाएँ विकल्पात्मक नहीं हैं। उनके बीच एक प्रकार की मौलिक एकता है। किंबहुना, एक ही बीज में से फूटने वाली अनेक कोपलों की तरह उनकी अवस्था है। तथा यह जो मौलिक एकता है, उसी का नाम है न्याय। राज्य समाज को इसी न्याय के प्रदान करने की प्रतिज्ञा करके जन्म लेता है। राज्य नामक संगठन का उद्देश्य अथवा प्रयोजन राज्य के हर व्यक्ति को तथा सामुदायिक दृष्टि से समाज को न्याय देना है। तथा इसी विचार से एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज में स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता का उपयोग किया जाता है। राज्य नामक संस्था यह सब आज्ञा निकाल कर, आदेश देकर तथा कानून बनाकर किया करती है। जिन्हें अधिकार प्राप्त हैं, उनसे सलाह ली जानी चाहिए; जिन्हें कष्ट है, उनके कष्ट का निवारण किया जाना चाहिए। स्वतन्त्रता, समता आदि के मामले में अधिकारों की

निमित्त करके राज्य उन अधिकारों को सार-सँभार करता है तथा उनका पुरस्कार करता है। ऐसा करते समय राज्य स्वतन्त्रता देकर समता का, अथवा स्वतन्त्रता और समता देकर बन्धुता का उच्छेद नहीं करता। राज्य के नागरिकों के सम्बन्धों का कुछ ऐसा ताना-बाना बह करता है, जिससे मुख एव मन्तोष का महावरण घुना जा सके और उसका यह सब काम मौलिक न्याय भावना के अनुसार ही हुआ करता है। न्याय की कल्पना केवल तार्त्विक सिद्धान्त या निराकार कल्पना की अपेक्षा कुछ न कुछ साकार तथा साधात् स्वरूप की होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय की कल्पना मौजूद रहती है। न्याय का प्रत्यक्ष स्वरूप उसकी आँसों के सामने माधारणतया मौजूद रहता है। 'मिठास' कहने पर मनुष्य के मन के सामने कोई निराकार वस्तु नहीं आती वरन् उसका आकार चीनी की शक्ल में, गुड़ की शक्ल में, आमों की शक्ल में, घाहू की शक्ल में—किमी न किसी शक्ल में आकर के खड़ा हो जाता है। न्याय-विषयक यह कल्पना अनेक युगों से मनुष्य के मन में है। अनेक संस्कारों द्वारा वह आकार धारण किए हुए है। तथा यह क्रिया अनन्त काल तक चलती चली जाएगी। अतः समाज में जब न्याय की माँग की जाती है तथा राज्य की ओर से वह दिया जाता है, तब उसके साकार होने का भाव अधिक रहता है तथा न्याय यह कोरी कल्पना न रहकर एक सामाजिक वस्तुस्थिति बन जाती है। प्रत्येक मन में तद्विषयक आकृति उत्पन्न होती है और जब मन अधिक विचार करने लगता है और विचार करते समय प्रत्येक परिस्थिति विचारों के चोखट आँक देती है और तब उस चोखट में प्रत्यक्ष न्याय क्या है इसका चित्र सम्बन्धित मन अंकित करने लग जाता है। समाजगत मानवी सम्बन्धों को एक दूसरे से जोड़ने का काम न्याय किया करता है। न्याय का अर्थ नीतिमत्ता नहीं। वह नीति का विरोधी भी नहीं। न्याय आचारमूर्ति नहीं है। पर आचार-मूर्ति से उसकी जान-पहचान अवश्य रहती है। मानसिक मूर्ति में निवास करने वाली कोई अव्यक्त भी भावना न होकर वह प्रत्यक्ष जीवन में काम करने वाला एक शक्तिशाली संकल्प है। व्यक्तियों के मन में क्या है, इसकी अपेक्षा व्यक्तियों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का वह विचार किया करता है। इसके मानी यह नहीं कि व्यक्ति के मन के विचारों को वह नहीं मानता। उसका काम समाज के जीवन को अधिक सुखी एवं दान्त बनाना तथा इस दृष्टि से रहने में जो रूकावटें आती हैं, उनको दूर करना है। तथा यह सब काम समाज एवं व्यक्ति को आवश्यकताओं तथा समाजगत नैतिक आदर्शों एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का पूरी तरह विचार करके किया जाता है।

न्यायविषयक-भावना सब प्रकार की स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि है अतः उसका विचार स्वतन्त्रता की दृष्टि से महत्त्व का साबित होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि न्याय की भावना मानसिक मूर्ति में निवास करने वाली भावना नहीं है। तथापि प्रत्यक्ष मूर्ति में, सामाजिक मूर्ति में व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध प्रत्यक्ष आचार नियमों से जुड़े रहते हैं। न्याय भावना में निहित तार्त्विक विचारधारा कार्य किया करती है। व्यक्ति न्याय माँगता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह ऐसी वस्तु **माँगता**

है, जो उसके लिए उसकी अपनी दृष्टि में योग्य है। पर इसके साथ ही सामान्यतया उसकी यह भी इच्छा रहती है कि श्रमियों का नुकसान न हो। तथा उसकी यह भी इच्छा होती है कि उसके तथा श्रमियों के बीच जो सम्बन्ध हो, वे दोनों को गुण देने वाले हों। पर इन तीनों आचार-क्षेत्रों में उसके मन में मौजूद न्यायविषयक तात्त्विक भावना सर्वथा अप्रस्तुत रहती हो, ऐसी बात नहीं। किन्तुना, यदि वह बैंगी न रहे तो इन तीनों आचार-क्षेत्रों में उसका आचरण यथार्थ रूप से न्याय भावना में युक्त नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत समाजगत व्यवहार में श्रमियों प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा में उचित हिस्सा मिल सके इस दृष्टि से जो न्याय-व्यवस्था होनी है उसे विभाजनात्मक न्याय कहना उचित होगा। व्यक्तिगत के आरम्भ व्यवहार में जहाँ न्याय की दृष्टि से न्यूनता हो, अथवा जहाँ न्याय की दृष्टि से आवश्यक से अधिक पहुँचा हो, वहाँ जब न्याय भावना की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था का रूप मशीननात्मक होता है। कमी को पूरा करने वाला तथा अधिक को कम करने वाला होता है। समाज में केवल एकपक्षीय देना या एकपक्षीय लेना नहीं होता। समाज का व्यवहार एक-मार्गी यातायात जैसा नहीं होता। कुछ लोग उत्पादन करते हैं तो कुछ लोग उपभोग करते हैं। कुछ लोग बेचते हैं तो कुछ लोग मोल लेते हैं। श्रम से मूल्य तथा मूल्य से श्रम ऐसा यह परस्परबलम्बी सम्बन्ध होता है और इन सब व्यवहारों का साकल्यपूर्वक विचार करके जो न्याय-व्यवस्था बनती है, उसका स्वरूप निःसन्देह समष्ट्यात्मक होता है। वहाँ विचार 'अ व्यक्ति' या 'ब व्यक्ति', 'अ समूह' या 'ब समूह' ऐसा नहीं होता। व्यक्ति तथा वर्ग किन्तुना समाज के समग्रहित का विचार उस व्यवस्था में किया जाता है। सक्षेप में कहे तो न्याय-व्यवस्था मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का हर क्षेत्र में तथा हर दृष्टि से विचार करती है। ऐसा करते समय न्याय-व्यवस्था स्वतन्त्रता तथा समता का भी विचार करती है। उपभोग की वस्तु स्वतन्त्रता, अपेक्षित वस्तु समता तथा आवश्यक वस्तु सहयोग आदि सभी का समन्वय करने को न्याय भावना अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य समझती है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जो कहते हैं, स्वतन्त्रता चाहिए, समता नहीं। क्योंकि यदि समता शक्तिशाली हो जाए और शक्त प्रतिशत शक्तिशाली हो जाए तो समाज वर्ग-विहीन हो जाएगा। उसमें विविधता नहीं रहेगी। यदि सबको हर चीज समान मात्रा में मिलने लग जाए और किसी को भी अधिक कमाने तथा अधिक संप्रह करने का अधिकार नहीं रह जाए, तो उसका अर्थ यही होगा कि व्यक्ति को कोई स्वतन्त्रता नहीं है। अतः अनेक लोग स्वतन्त्रता के झण्डे के नीचे खड़े होकर समता पर आक्रमण किया करते हैं। इसी प्रकार स्वतन्त्रता के नाम पर सहयोग तथा बन्धुता की भावना का भी विरोध किया करते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि सहयोग तथा बन्धुता के नाम से समाज की श्राय तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व न रहकर समाज का स्वामित्व हो जाएगा और सबका स्वामित्व हो जाने पर तथा व्यक्ति का स्वामित्व न रहने पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता घट जाएगी। इसी ही नहीं, व्यक्ति की नैतिक उत्थति रुक जाएगी तथा जीवन में किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रह जाएगी। व्यक्ति का कर्तृत्व सभी विकसित होता है, जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसकी मेहनत का

कृष्ण उमे मिनेणा तथा उसार उमत्रा स्वामित्व रहेगा । इमते उमके भीतर के मध्य एव उक्त सदगुणों का उदय होता है । स्वामित्व के मानों हैं, उद्योग, दान, विनिमय आदि करने का अधिकार । उदाहरण तो मैं कहूँ, पर धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु पर मेरा अधिकार न हो, सब अधिकार औरों को अथवा समाज को चले जाएँ तो स्वभावतः मुझे लगेगा कि मैं बेकार की भेहनत क्यों करूँ ? सो, इस तरह स्वतन्त्रता एवं समता के बीच जो मध्य उत्पन्न हो जाता है, उसे कम करने का काम न्याय भावना करता है । इत्ता ही नहीं, स्वतन्त्रता के क्षेत्र में भी अनेक मध्य उत्पन्न हो जाते हैं । आर्थिक स्वतन्त्रता और नागरिक स्वतन्त्रता में विरोध उत्पन्न होता है । कभी राजनैतिक स्वतन्त्रता में और नागरिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक स्वतन्त्रता में विरोध उत्पन्न हो जाता है । अतः ऐसे एक तत्त्व की बहुत आवश्यकता है, जो स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता में सामञ्जस्य एव सन्तुलन कायम कर सके और वह तत्त्व है इन तीनों के मूल में विद्यमान न्याय भावना । न्याय भावना से यहाँ समावेशक न्याय भावना अभिप्रेत है, विनाशक नहीं । जिन प्रकार सोने की कसौटी पर कमकर परखा जाता है तथा किसी वस्तु को तराजू पर तोल कर उसका वजन देखा जाता है, उसी प्रकार समाज की दृष्टि में स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की योग्यता आदि की न्याय की कसौटी पर परखा जाता है । मनुष्यों में आपस में क्या सम्बन्ध हों, उनके आचरण को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने वाले तत्त्वों, आदर्शों आदि का आपस में क्या सम्बन्ध हो; मनुष्यों में आपस में तथा तत्त्वों एवं आदर्शों में आपस में क्या सम्बन्ध हो यह निश्चित करना न्याय भावना का काम है । जो काम गुलदमने की सौदर्य पूर्ण रचना करने वाले माली का है, वही काम समाज में न्याय भावना का है ।

राज्य का आध्यात्मिक भाव है न्याय और चूँकि न्याय की कल्पना में समानता एवं सन्तुलितता है अतः 'न्याय की तराजू' यह शब्द-रचना प्रचलित है । हम 'तराजू' को न्याय का प्रतीक मानते हैं । इस न्याय का काम व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, विविध विचारधाराओं के बीच, तथा व्यक्ति एवं विचारधाराओं के बीच एक प्रकार का सन्तुलन कायम करना है । सच्चे न्याय का लक्षण यही है कि वह किसी एक का पलड़ा दूसरे के पलड़े से ज्यादा भारी न होने दे । समाज की रचना समाजवादी ढंग की होने के बाद न्याय-भावना में व्यक्ति का विचार करने की जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति इस प्रकार का आरोप कर सकता है । समाजवाद ने राज्य में सम्बन्धित व्यक्ति विकास की मौलिक कल्पना का परिष्कार नहीं किया । उनसे समाजवाद का तो दावा यह है कि समाजवाद ही में व्यक्ति को अधिक न्याय मिलता है तथा व्यक्ति का विकास अधिक होता है । क्योंकि उन बातों का पीपक वातावरण समाजवादी समाज में ही अधिक मिलता है । यह सत्य नहीं कि समाजवादी समाज में व्यक्ति की भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है । व्यक्ति की इच्छा शक्तिशाली नहीं रहनी यह भी सत्य नहीं । समाज की आवश्यकताएँ वस्तुतः समाज के व्यक्तियों की ही आवश्यकताएँ हैं । आधुनिक जग में न तो व्यक्तियों से रहित समाज की कल्पना की जा सकती है और नाहीं समाज से रहित व्यक्तियों की । अतः व्यक्ति के



व्यक्ति के मन में कोई सा विचार पैदा हुआ और वह कानून बन गया—ऐसी बात नहीं। भले ही कैमिडर हमें वेतन देता हो, तथापि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वेतन देने वाला अमली व्यक्ति कौन है। वनिए से हम अनाज खरीदते हैं, पर हम वनिए को अनाज का उत्पादक कभी नहीं कहते। इसी प्रकार भले ही अधिकार-पद द्वारा कानून की घोषणा हुई हो, पर वास्तव में कानून को बनाने वाला समाज है यह हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई एक व्यक्ति या समूह कानून का जन्मदाता नहीं हुआ करता। समूचे समाज की इच्छाओं, अपेक्षाओं तथा अनुभवों पर वह आधारित होता है। ये सब बातें समझ लेने पर यह बात साफ हो जाती है कि कानून भले ही हुक्म की शक्ल में हमारे सामने आता हो। पर वास्तव में उसका रूप ग्रामन्त्रण का सा होता है। अतः जैसा हम पीछे कह आए हैं, कानून के पालन का अर्थ है, अपनी ही आज्ञा का अपने आप पालन करना। समाज की सदसद्विवेक बुद्धि का नाम कानून है, ऐसा जो कहा गया है, सो ठीक ही है। सदसद्विवेक बुद्धि की बातों को सुनना जितना बाछनीय एवं हितकर है, उतना ही बांछनीय एवं हितकर है कानून का पालन। हुक्मनुमा होने के कारण कानून पर अमल कराने का काम राज्य किया करता है। जब कानून द्वारा स्वतंत्रता, समता इत्यादि अधिकार घोषित किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था को पेश किया जाता है, तब समाज के लिए उसका पालन अनिवार्य हो जाता है। कानून की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर जब हम विचार करते हैं, तब स्वतंत्रता, तथा अन्य व्यवस्था, तथा मौलिक अधिकार आदि का उपयोग नागरिकों को कानून के अनुसार ही करना चाहिए यह स्पष्ट हो जाता है। दस रुपए के मोट की कीमत एक दमड़ी की भी नहीं है, उसे जलाकर एक चमचा चाय भी नहीं तैयार की जा सकती, तो भी यदि बाजार में उसे दिया जाए तो दस रुपए कीमत की चीजें मिल सकने का आश्वासन तथा गारण्टी होती है। क्योंकि वह गारण्टी राज्य द्वारा दी गई है। इसी प्रकार स्वतंत्रता की हुण्टी को राज्य के कानून द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में हमें स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। जिस स्वतंत्रता को तथा जिन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति नहीं प्राप्त होती, वह या वे या तो शैल-चित्ती का सपना साबित होती है या होने हैं, या वह या वे तभी तक आदमी को हासिल होती या होने है, जब तक आदमी के बाजुओं में जोर रहता है। जहाँ शक्ति है, वहीं भक्ति है, जहाँ यह सब कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। अतः हमेशा कानून द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून द्वारा स्वीकृत समता होनी चाहिए। समाज परिवर्तित होता है, मनुष्य के विचार परिवर्तित होते हैं। ठीक इसी प्रकार कानून भी परिवर्तित होता रहता है। वह कोई नित्य या पत्थर की लकीर नहीं है। मनुष्य बँटगा तो उसका भाग्य भी बँट जाएगा, मनुष्य खड़ा होगा, तो उसका भाग्य भी सड़ा हो जाएगा; मनुष्य चेतगा, तो उसका भाग्य भी चल पड़ेगा। इसी प्रकार यदि समाज अगतिक हो जाएगा, तो कानून भी अगतिक हो जाएगा; यदि समाज चलने लगेगा, तो कानून भी चलने लगेगा; यदि समाज दौड़ने लगेगा, तो कानून भी दौड़ने लगेगा। समाज की अवस्था के अनुरूप ही कानून की भी अवस्था होनी चली



जाएगी। यदि हम वही कि कानून समाज जीवन का रक्षक, पोषक एवं प्रेरक है, तो हमारा यह कहना उचित ही होगा। एक राजनीतिज्ञ ने बड़े ही मुन्दर शब्दों में कहा है कि राज्य कानून की सन्तान भी है और कानून का बाप भी। न्याय-भावना ने राज्य को जन्म दिया तथा राज्य ने न्याय-भावना को कानून का रूप प्रदान किया, इस वस्तुस्थिति से कोई इनकार नहीं कर सकता और दृष्टीके समाज के रक्षायी एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के जीवनो में कानून का महत्त्व है।

कानून का महत्त्व एवं प्रतिष्ठा इसलिए है, क्योंकि कानून न्याय की तराजू हाथ में लेता है तथा व्यक्ति-व्यक्ति के बीच के तथा व्यक्ति एवं समाज के बीच के सम्बन्धों के पल्लों को हमेशा बराबर रखता है। कानून का प्रतीक तराजू को माना जाता है। पर कानून को तलवार की उपमा भी दी जाती है। दोनों उपमाओं का आशय यही है कि उसी काम को करना तथा अमल में लाना चाहिए, जो उचित है। और इसी कारण अमल कराने के मामले में कानून का शक्ति स्वरूप ध्यान में आता है। हिंसा द्वारा समाज में अनुयाय या अनर्थ न होने देने के लिए कानून बनता है, अतः कानून के हाथ मजबूत करने के लिए हिंसा भी अनिवार्य हो जाती है, इस कथन में विरोध है। पर उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। यह हम पहले बता आए हैं कि कानून लोगों की स्वीकृति पर आधारित है, अतः उस स्वीकृति को शक्ति-शाली बनाने की दृष्टि से उचित ही हिंसा काम में लाई जानी चाहिए, जितनी कानून का पालन कराने के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक हो। अतः कानून का मुख्य रूप स्वीकृति—जन स्वीकृति है, तथा हिंसात्मक रूप गौण है, यह स्पष्ट हो जाता है। यह कहना ठीक होगा कि कानून का निर्माण शक्ति में नहीं हुआ, किन्तु कानून का पालन न होने पर परिणामस्वरूप शक्ति का उपयोग किया जाता है। सामान्यतया जो बात लोगों को उचित जान पड़ती है, उसे वे प्रसन्नतापूर्वक मान लेते हैं। कानून को मानने की भी इच्छा मनुष्य के मन में तभी उत्पन्न होती है, जब वह उसे उचित जान पड़ता है। अतः लोगों की इच्छा प्रबल होगी, तो कानून के औचित्य के बारे में लोगों का विश्वास भी प्रबल होगा, यह विश्वास प्रबल होगा, तो कानून का पालन भी प्रबल होगा। उस समय पुलिस वाले का हाथ का इशारा अवश्य काम करना है, पर उसकी कमर से बंधा हुआ हथियार नहीं। वह सजावट की वस्तु भर बनकर रह जाता है। सजा या दण्ड कानून की पृष्ठभूमि नहीं है, वरन् कानून की शक्तिशाली पृष्ठभूमि है नैतिकता, इस बात को भुला देना खतरनाक होगा। कानून का भंग करने में व्यक्ति का फायदा हो तो हो; पर समाज का फायदा तथा राज्य की सुरक्षा उसमें कतई नहीं। शक्ति अथवा हिंसा कानून का एक गौण स्वरूप है। किंबहुना, यदि कानून को मनुष्य की मदसद्विवेक बुद्धि का फल एवं उसका प्रतिनिधि माना जाए, तो उसके हिंसात्मक रूप की सकट काल में काम आने वाला एक हथियार समझना चाहिए। कानून का पालन न करने वाले को दण्ड न दिया जाए या उसके लिए इसका प्रबन्ध न किया जाए, तो कानून 'अजागलस्तन' की भाँति एक निरर्थक वस्तु बन जाएगी। उससे समाज की न शोभा बढेगी, न रक्षा ही होगी। कानून के साथ दण्ड एवं सजा सम्बन्धी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

उसका स्वरूप प्रतिबन्धक प्रतिहिमा का हो या मुधार का हो, इस गहराई में जाने की यही जरूरत नहीं है क्योंकि प्रस्तुत लेखक ने अन्य ग्रन्थ में इस विषय का विचार किया है। यहाँ सिर्फ इती बात का विचार करना है कि जो भी दण्ड-व्यवस्था हो वह सामाजिक भलाई के लिए होनी चाहिए। समाज की रक्षा एवं भलाई के लिए जो भी कुछ करना जरूरी हो, यह किया जाना चाहिए। समाज एवं राज्य की स्वतन्त्रता के लिए यदि किन्हीं व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को रद्द करना जरूरी साबित हो, तो वैसा जरूर करना चाहिए। इसमें किसी के प्रति अन्याय होना है, ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है। सजा व्यक्तिगत होती है; पर वह समाज के सम्बन्ध में दी जाती है तथा उसका परिणाम व्यक्ति के रण-पक्षे के रूप में नहीं; वरन् समाज की रक्षा एवं स्थिरता स्वी पूँजी के रूप में देना जाना चाहिए।

हर व्यक्ति को प्रतीत होना चाहिए कि कानून का पालन उसका कर्तव्य है। राजा के दर से घुरे काम न करना तथा स्वभावतः घुरे काम न करना इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। किसी भी कारण से क्यों न हो, नैतिक अथवा वैध कानून के पालन को जब कर्तव्य माना जाएगा, तभी समाज की धारणा हो सकेगी एवं राज्य में स्थिरता प्राप्त सकेगी। समाज के प्रति अतएव राज्य के प्रति जब तक व्यक्तिमात्र के कुछ कर्तव्य नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति भी स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा से वंचित ही रहेगा। व्यक्ति को समाज के प्रति विद्यमान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कारण अनेक हो सकते हैं, तथापि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, यह बात अद्वय निश्चिन्त होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, राजा विष्णु का भ्रम होता है; अतः उसका बर्हा मानना चाहिए। यह भी एक विचारधारा रह चुकी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राज्यसत्ता परम्परा से चली आ रही है तथा राज्यसत्ता का बर्हा इसलिए मुना जाना है, क्योंकि बर्हा करना एक प्रयास ही है। राज्यसत्ता की उत्पत्ति का विचार करते समय प्रयास वाले दृष्टिकोण से विचार करना एकदम अप्रस्तुत सिद्ध होता है। लोग कहते हैं कि ऋषियों का कुल नहीं पूछना चाहिए। इसी प्रकार राज्यसत्ता का मूल खोजने में कानूनी मन्तोप शायद महमूम हो, पर प्रस्तुत समय में उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। क्लाइव अथवा वारन हेस्टिन्स ने जाली काम करके तथा जाली दस्तावेज बना कर सत्ता हस्तगत की यह सत्य ही सचता है; पर जो सत्ता उनके हाथ आई वह पूरी तरह खरी साबित हुई, शक्तिशाली साबित हुई। चुनावों में भ्रूठमूठ का प्रोपेण्डा किया, लोगों की भाँस में धूल भोकी, यह भले ही मत्य हो, पर चुनावों के फलस्वरूप राज्यसत्ता हाथ आई है इन प्रकट सच्चाई से इनकार करना निरर्थक है। जब एक बार सत्ता का स्वामित्व हाथ में आ गया कि फिर वह कैसे हाथ में आया, यह सवाल गौण बात हो जाती है। अतः जो भी सत्ता विद्यमान हो, उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य ही जाते हैं। पर इसके ये मानी नहीं कि मौजूदा राज्यसत्ता को खरम करने तथा उसमें परिवर्तन लाने का प्रजा को कोई अधिकार ही नहीं है। राज्यसत्ता चलाने वाला कोई क्यों न हो, पर राज्यसत्ता को समाज में मौजूद रहना चाहिए। अतः उसके प्रति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य अवश्य होने चाहिए। किसी मुद्रा पर लगी हुई मुहर बदल सकती है; पर उसमें काम में आने

वाला सोना या रूपा नहीं। मुद्रा की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, पर वह निर्मूल नहीं किया जा सकता यह भी उता ही सच है; अतः निर्धारित कर्तव्यों का पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ताश के खेल में अभीष्ट पत्ते नहीं आए तो उन्हें फिर से पीसा जा सकता है; पर अभीष्ट पत्ते के न आने पर कोई उन्हें पाटकर नहीं फेंकता और यदि कोई फाड़कर फेंक देता है, तो फिर ताश का खेल ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि राज्य-विषयक भर्त्सना कानून-विषयक निर्धारित सत्तंत्रता का पालन व्यक्ति न करे, तो समाज एवं राज्य का ताश के पत्तों का खेल ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि कर्तव्य-पालन व्यक्ति तथा राज्य के बीच हुआ एक स्थायी करार है। यद्यपि यहाँ हम करार सम्बन्धी राजनैतिक तत्त्वज्ञान का सम्पूर्ण विवरण तो नहीं करेंगे तो भी इत्ता जरूर कहेंगे कि इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को मानने से व्यक्ति को ऐसी सरकार, जो उसे पसन्द नहीं है, बदलने का पूरा नैतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। करार की शर्तों को निश्चित करने वाला कोई नहीं है, यह सच है, तथापि राज्य के उद्देश्य आधुनिक युग में, राज्य के संविधान में स्पष्ट होते हैं तथा यदि मौजूदा सरकार उनके अनुसार आचरण न करे, तो व्यक्ति के राज्य एवं कानून विषयक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और उम्र अवस्था में समय पड़ने पर कर्तव्य का पालन न करना, कानून का भंग करना या उसकी अवज्ञा करना क्षम्य एवं नैतिक आचरण सिद्ध होता है।

हम पीछे बता आए हैं कि राज्य का उद्देश्य सब कहीं न्याय देना तथा न्याय की स्थापना करना है और इसका माध्यम है कानून। सब कहीं न्याय देने के लिए स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता की आवश्यकता होती है। किंबहुना, उसके सिवा न्याय, न्याय ही नहीं हो सकता। अतः कानून के पालन का वास्तविक अर्थ है न्याय की कल्पना एवं उसके आदर्शों के अनुसार आचरण करना। कानून रक्षा-कवच तथा सवर्धक चतन्य दोनों है। दवा भी है और अन्न भी। दोनों अवस्थाओं में पथ्य का पालन आवश्यक है। अतः राज्य के प्रति व्यक्ति मात्र का निर्धारित न्यूनतम कर्तव्य है यथाविधि प्रचलित हुए कानून का पालन करना। ऐसा नहीं होगा, तो इससे केवल व्यक्ति एवं सरकार के बीच स्थापित सम्बन्धों में बिगाड ही नहीं आएगा वरन् सामाजिक जीवन पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह स्वीकार करना चाहिए कि राज्य के कानून में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। उसमें वह सब होना चाहिए, जो समाज की दृष्टि से वाञ्छनीय है और जब कानून इस दृष्टि से पूर्ण होगा, तब उसका पालन करना सतप्रतिबद्ध कर्तव्य हो जाता है। कानून का यह पालन इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक पीढ़ी ने प्रत्येक काल में राज्यसत्ता के साथ कोई करार किया होता है या कोई औपचारिक प्रतिज्ञा की होती है। यह कर्तव्य-पालन सामाजिक दृष्टि से स्वाभाविक होता है तथा व्यक्ति के जन्म के साथ वह उत्पन्न होता है। न्याय के बदलते ही कानून बदल जाता है और नव उत्ती माना में कर्तव्य का भी रूप बदल जाता है, यह बात सही है, पर अनेक बार व्यक्ति के सामने यह सवाल पंदा होता है कि उसका यह कर्तव्य-पालन राज्य के प्रति है या राज्य जो कानून बनाता है, उसके प्रति है? यदि वह केवल राज्य के

प्रति हो, तो उस कर्तव्य का स्वरूप भिन्न होगा तथा केवल न्याय के प्रति ही, तो उमका स्वरूप भिन्न होगा। मब कही इम मवाल को बहुत अधिक महत्व प्राप्त होता जा रहा है। ऐमे व्यक्ति एवं समूह हैं, जो कहते हैं कि राज्य का मौजूदा गठन हमारे नैतिक आदर्शों एवं न्याय-विषयक कल्पनाओं में मेल नहीं खाता। ऐसी अवस्था में सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्तियों को किस मात्रा में कानून का पालन करना चाहिए। राज्य चूँकि सबको न्याय देने वाला संगठन है, अतः उमका कहा मानने की बात से सामान्यतया कोई इनकार नहीं करेगा। पर इमवा यह अर्थ नहीं कि राज्य के मत्ता-घारी अधिकारियों का हर आदेश तथा हर काम न्याय्य ही होगा। सामान्यतया राज्य का कहा मानने के सिद्धान्त की सीमाएँ पर्याप्त स्पष्ट हैं। जब राज्य औपचारिक रीति से कानून बना कर व्यक्तियों के कर्तव्य का मार्ग निर्दिष्ट करता है, तो उम समय उमका कहा सुनना और मानना व्यक्तियों का कर्तव्य मावित होता है। ऐसा कहने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। व्यक्ति ही सविधान की व्यवस्था के अनुसार अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं और वही से कानून की निर्मिति होती है। समाज की भावनाओं एवं धारणाओं को सुव्यवस्थित रूप देकर कानून बनाया जाता है। उमका जनक जनता ही होती है और चूँकि कानून एवं न्याय हमें ने बनाया है, अतः हमें उमका पालन करना ही चाहिए। यह व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य ही जाता है। केवल यह मोक्षकर कि कानून के कारण उम कर्तव्य को हुवम की अवल प्राप्त हो गई है या उसका पालन न करने से सजा मिलती है, उमको न मानना उचित नहीं। विद्वामित्रो पतरे की भाँति—'न मा न मम' कहने से काम नहीं चरेगा। इम कर्तव्य में राज्य की नीव जो न्यायविषयक कल्पना है, उमें अधिक महत्व प्राप्त है और सामान्य रूप से वह कल्पना समाज को स्वीकृत होती है। किसी व्यक्ति अथवा किसी गुट को, किसी विशेष प्रसंग में, राज्य की कोई आज्ञा या कोई आदेश पसन्द नहीं आया तो एक मिरे में सबकी मब आज्ञाओं की भंग कर देना या कानून को नामजूर कर देना ठीक नहीं। कोट में एकाध वटन ज्यादा है या कम है, ऐसा कह कर कोई कोट को फाडकर फेंक नहीं देता। उसमें आवश्यक सुधार करके लोग उमे अपने काम में ले आते हैं। यही बात यहाँ भी ममझनी चाहिए।

राज्य-विषयक मत्व ज्ञान को यदि संक्षेप में कहना हो, तो वह मकने हैं कि राज्य नामक संगठन न्याय की स्थापना के लिए है और न्याय का व्यापक अर्थ है व्यक्ति, व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समाज के बीच मौजूद सम्बन्धों में उचित सामंजस्य, जिनमें अधिकाधिक लोगों को अपनी अधिराधिक उन्नति करने का अधिकाधिक मौका मिल सके। जिन प्रकार मने के हर हिस्से में मिठाम रहती है, उसी प्रकार समाज एवं राज्य की हर मस्था एवं भावना में न्याय का निवाम होना चाहिए। न्याय की इम भावना के निर्माण में अनेक व्यक्तियों के मन भाग लेते हैं। समाज की दृष्टि से वही न्याय है, जो अनेकों को अथवा सर्वसामान्य रूप से अधिकाधिक लोगों को योग्य प्रतीत होता है। समाज को जो प्रतीत होता है, राज्य कानून के रूप में उसी की स्पष्ट एवं कार्यप्रयण किया करता है और चूँकि यह काम राज्य को करना होता है अतः उममें हुवम का भाव काम करना है। एक दृष्टि से

में विचार-विनिमय एवं विचार मन्थन करके जिन तत्त्वों को गौरव सब सामाजिक स्तर के श्रेष्ठ है। यह सिद्धि एक व्यक्ति का विचार समाज का होगा है। उसे राज्य का सविधान स्वीकार करना है तब में उसे कार्यप्रवण करता है। अतः जंगल हम कहते हैं, जंगल हमारी है, वानुन उगी के अनुसार चलना है और चूँकि यह वानुन न्याय को है, अतः उसे मानना व्यक्ति का अनिवार्य हो जाता है। इस प्रतिपाद तथा विनोदना प्रजातन्त्री राज्य-व्यवस्था में जिन प्रकार नागरिकों के इच्छा को, उनकी भावना तथा उनके आदर्शों को देना जाता है, उगता हुए प्रजातन्त्री राज्य-व्यवस्था में अज्ञात अथवा कानून का अंग करना जाता है। अनैतिक भी माना जाता है। इस सामान्य नियम का जिन अर्थवाद हो सकता है, यह हम पहले बना चुके हैं। प्रजातन्त्र व्यवस्था स्वामित्व या प्रभुत्व लोगों के हाथ में रहता है। वह अंगीकृत नियमों के अनुसार ही वह सविधानी बनता है। तत्सम्बन्धी नियम प्रजातन्त्री राज्य के सविधान में स्पष्ट की जाती हैं। जनमन अथवा स्वामित्व या प्रभुत्व लोगों के हाथ में रहता है। इसी स्थिति में प्रजातन्त्र के प्रवृत्तियों का अर्थवाद मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र के तन्त्र, प्रजातन्त्री राज्य का जीवन तन्त्र है। इसीलिए जनमन को काम करने का दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अनुभव तथा दृष्टिकोण प्रकट मुनाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र के तन्त्र, पास हुए कानून को मानना व्यक्ति का नैतिक एवं बंधवर्तव्य हो जाने पर भी यदि कभी किन्हीं व्यक्तियों को अथवा समूहों को कानून पसन्द न हो, तो उन्हें अपने विचारों को जाहिर करने का अधिकार चाहिए। स्वतन्त्रता होनी चाहिए। तथापि प्रजातन्त्री पद्धति से पाम राजनैतिक दृष्टि से निष्ठापूर्वक एक राजनैतिक कर्तव्य के रूप में पाला जाना सामाजिक या नैतिक कर्तव्य के रूप में उसका न पालना व्यक्ति के लिए न प्रतीत हो तो उता अर्थवाद माना जाना चाहिए। कानून की पृष्ठभूमि व्यवस्था में जनविचार एवं जनसम्मति होने तथा उसमें न्याय होने के कारण का मूल हेतु सिद्ध किया जाता है। चूँकि राज्य इस हेतु को कार्यान्वित कर सगठन है, अतः राज्य-सम्बन्धी निष्ठा एवं राज्य-सम्बन्धी कर्तव्य निरपेक्ष उसके बारे में किसी प्रकार की शर्तें नहीं होती। क्योंकि राज्य के सम्बन्ध न रहें तो समाज का बना रहना असम्भव है। न्याय का मिलना तो और भी है। समाज-सम्बन्धी निष्ठा के लिए शर्तें हो सकती हैं, परन्तु राज्य-सम्बन्ध के लिए शर्तों के रहने से काम नही चल सकेगा। राज्य की तात्कालिक सत्ता सरकार के हाथ में रहती है। अतः यदि कोई कानून इसलिए मजूर न हो मोजूदा सरकार ने बनाया है, तो इसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता। तब सरकार के हाथ में रहती है। अतः यदि कोई कानून इसलिए मजूर न हो फौक देना इसका इलाज नहीं हो सकता। या तो निब बदल डालिए या उसे लीजिए। सरकार को बदलने की व्यवस्था प्रजातन्त्री सविधान में रहती है। एक रीति है। परन्तु केवल रीति न होकर रस भी है। व्याकरण अर्थ

केवल व्याकरण नहीं है। उसमें अर्थ भी है। प्रजातन्त्र का अर्थ है चुनाव। पर किसी भी ऐसे-वैसे नरक खैरे द्वारा किया गया चुनाव नहीं। अन्तः जो पसन्द न हों, उसे बदल डालना उचित है। परन्तु जो मौलिक भाव है और जिसका कार्यकारी रूप राज्य है, उसके सम्बन्ध में निरपेक्ष निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। यह माना कि राज्य के प्रभुत्व में सभी का भाग है। पर उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता या सरकार है, यह भी उता ही सही है। माना कि हिमालय प्रचण्ड है, पर उल्लेख होता है तो कैलाश निचर का। यही स्थिति यहाँ है। अतएव तब तक कानून का विरोध करना ठीक नहीं जब तक वैसा करना अपरिहार्य न हो जाए।

प्रमग-विरोध में अपवाद को मान्य करने के बाद जिस स्थिति में अपवाद क्षम्य साबित होते हैं, इसका भी संशेष में विचार करना चाहिए। यदि किसी को कोई वस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसकी मौलिक श्रद्धा के विरुद्ध जाती हो, तो उसे आज्ञा का भंग करना चाहिए, कानून का अन्वयण करना चाहिए, ऐसा हम पहले कह आए हैं। यह भी सही है कि व्यक्ति कितना भी व्यक्तिगत भावों में भरा हुआ क्यों न हो, कुछ-न-कुछ सामाजिक भाव उसमें निवास करता ही है। किंबहुना, जो सामाजिक तत्त्वों से युक्त नहीं, उममें व्यक्तिगत तत्त्व भी नहीं रह सकते, ऐसी एक दीखने में अर्थगत पर वास्तव में पूर्ण सुमंगल व्याख्या की जा सकती है। जंगल में रहकर भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। समाज में उमका सम्बन्ध शत-प्रतिशत छिन्न नहीं रहता। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार गंगा के प्रवाह में से निकाले हुए चुन्नु-भर पानी के समान होते हैं। उस चुन्नु-भर पानी के गुण-दोष धारा में बहने वाले पानी के गुण-दोषों के समान ही होते हैं। व्यक्ति का शारीरिक जीवन समाज से भले ही दूर चला जाए पर उसका मानसिक एवं वैचारिक जीवन समाज से जुड़ा रहता है। अतः व्यक्ति का आचरण एवं विचार वास्तव में सामाजिक होंगे हैं। अतः व्यक्ति को कोई भी काम करते समय यह अवश्य सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। वह अपनी इस जिम्मेदारी से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता। यदि उमने इस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने नैतिक कर्तव्य से विमुक्त हो रहा है। केवल इसलिए कि हमें कानून का कोई अर्थ पसन्द नहीं है, हम कानून के पालन की जिम्मेदारी में बचने की बात सोचें, तो उसमें बात नहीं बनेगी। उम कानून का पालन करना उमका राजनैतिक कर्तव्य है। लोगों की सम्मति से कानून पाम होता है, इस वस्तुस्थिति में मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए अन्तों द्वारा अधिकारपूर्वक की गई किसी बात की, नापसन्द बहकर उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह कह सकता है कि राजनैतिक कर्तव्य में बड़कर भी एक और कर्तव्य है और उम कर्तव्य की पुकार उम आज्ञा भंग करने का आदेश दे रही है। राजनैतिक कर्तव्य का पालन किया जाए या अपनी मरम्दिवेक बुद्धि का कहा माना जाए, यह दुविधा मनुष्य समाज में बड़ों के सामने बहुत दफा आकर खड़ी हो जाती है। कर्तव्य पालन से समाज का हित होगा या नहीं, पालन न करने से समाज का हित होगा या नहीं, यह हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से विचार



केवल व्याकरण नहीं है। उसमें अर्थ भी है। प्रजातन्त्र का अर्थ है चुनाव। पर किमी भी ऐरे-नैरे तरह वीरे द्वारा किया गया चुनाव नहीं। अतः जो पसन्द न हो, उसे बदल डालना उचित है। परन्तु जो मौलिक भाव है और जिसका कार्यकारी रूप राज्य है, उसके सम्बन्ध में निरपेक्ष निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। यह माना कि राज्य के प्रभुत्व में सभी का साम्राज्य है। पर उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता या सरकार है, यह भी उता ही सही है। माना कि हिमान्य प्रचण्ड है, पर उल्लेख होना है सो कैलाश शिखर का। यही स्थिति यहाँ है। अतएव तब तक कानून का विरोध करना ठीक नहीं जब तक बैसा करना अपरिहार्य न हो जाए।

प्रसंग-विरोध में अपवाद की मान्य करने के बाद जिस स्थिति में अपवाद क्षम्य साबित होने हैं, इसका भी संक्षेप में विचार करना चाहिए। यदि किमी को कोई वस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसकी मौलिक श्रद्धा के विरुद्ध जानी हो, तो उसे आज्ञा का भंग करना चाहिए, कानून का अवमान करना चाहिए, ऐसा हम पहले कह आए हैं। यह भी सही है कि व्यक्ति कितना भी व्यक्तिगत भावों में भरा हुआ क्यों न हो, कुछ-न-कुछ सामाजिक भाव उसमें निवास करता ही है। किवहुना, जो सामाजिक तत्त्वों में युक्त नहीं, उसमें व्यक्तिगत तत्त्व भी नहीं रह सकते, ऐसी एक दीखने में अमंगल पर वास्तव में पूर्ण अमंगल व्याख्या की जा सकती है। जंगल में रहकर भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। समाज में उसका सम्बन्ध शत-प्रतिशत छिन्न नहीं रहता। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार गंगा के प्रवाह में से निकाले हुए चुल्लू-भर पानी के समान होने हैं। उन चुल्लू-भर पानी के गुण दोष धारा में बहने वाले पानी के गुण-दोषों के समान ही होते हैं। व्यक्ति का पारिरीक जीवन समाज से भले ही दूर चला जाए पर उसका मानसिक एवं वैचारिक जीवन समाज से जुड़ा रहता है। अतः व्यक्ति का आचरण एवं विचार वास्तव में सामाजिक होने हैं। अतः व्यक्ति को कोई भी काम करते समय यह अवश्य सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। वह अपनी इस जिम्मेदारी से अपनी पिंड नहीं छुड़ा सकता। यदि उसने इस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने नैतिक कर्तव्य में विमुक्त हो रहा है। केवल इसलिए कि हमें कानून का कोई अंश पसन्द नहीं है, हम कानून के पालन की जिम्मेदारी से बचने की बात सोचें, तो उसमें बात नहीं बनेगी। उन कानून का पालन करना उनका राजनैतिक कर्तव्य है। लोगों की सम्मति से कानून पास होता है, इस वस्तुस्थिति में मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए अर्न्तों द्वारा अधिकारपूत्रों की गई किमी बात की, नापसन्द बहकर उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह यह कह सकता है कि राजनैतिक कर्तव्य से बंधक भी एत और कर्तव्य है और उन कर्तव्य की पुकार उसे आज्ञा भंग करने का आदेश दे रही है। राजनैतिक कर्तव्य का पालन किया जाए या अपनी मदमद्विषा बुद्धि का कटा माना जाए, यह दुविधा मनुष्य समाज में बहनों के सामने बटून देता आचर सड़ी हो जानी है। कर्तव्य पालन से समाज का हित होगा या नहीं, पालन न करने से समाज का हित होगा या नहीं, यह हरेक व्यक्ति अपनी बुद्धि में विचार



## एक दृष्टिक्षेप

प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक राज्य एवं स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जो विचार किया गया है, उसकी एक विशिष्ट भूमिका है। आधुनिक राज्य की कल्पना कैसे निर्माण हुई, उसका स्वरूप वहाँ व कैसे बदलता गया, किस पद्धति से बदला, इत्यादि बातों का बहुत विस्तार से विचार नहीं किया। तत्सम्बन्धी विचार प्रस्तुत लेखक के 'राज्यशास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में किया गया है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता तथा उसके विविध स्वरूपों का भी विस्तार विचार 'राज्यशास्त्र-विचार' एवं 'राज्य व्यवहार विचार' नामक ग्रन्थों में किया गया है। कानून सम्बन्धी विचार 'विधिशास्त्र विचार' नामक ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन सब कल्पनाओं के पीछे जो नैतिक एवं तात्त्विक भूमिका है, उन्हीं को ध्यान में रखकर विचार किया गया है और अब मौजूदा सप्ताह में प्रजातन्त्र स्वरूप का राज्य एक चालू राजकीय फैशन हो गया है, ऐसा कहे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। आधुनिक राज्य सामान्य-तया प्रजातन्त्रात्मक राज्य हैं। कम-से-कम कोई भी राज्य अपने को स्वेच्छाचारी एवं निरकुश राज्य कहने को तैयार नहीं है। परिस्थिति यह है कि जहाँ वस्तुतः अधिनायकतन्त्र चल रहा है, वहाँ भी यही प्रदर्शित किया जाता है कि वह भी प्रजातन्त्रात्मक राज्य ही है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि किसी राज्य को अधिनायकतन्त्र कहना उसको गाली देने जैसा है। दुनियाँ का लोकमत उसका समर्थन नहीं करता। शगव-बन्दी होने पर जैसे कुछ लोग चोरी-छिपे शराब पीते हैं, उसी प्रकार अधिनायकतन्त्र पर लोकमत द्वारा बन्दी होते हुए भी कुछ लोग औरों की आँखों में धूल भौंक कर चोरी-छिपे अधिनायकतन्त्र का प्रयोग करते जरूर हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिखाई देती है। अब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिनायकतन्त्र की रसी भर भी प्रतिष्ठा नहीं रह गई, इस सचार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार व्यक्ति को समाज अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, उसी प्रकार राष्ट्रों एवं राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सम्मति अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है, यह बात अब अधिकाधिक अनुभव का विषय बनती जा रही है। एक दृष्टि से विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों को आपस में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में कुछ मूल्य मत २०० वर्षों में निर्माण हो गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को अपने सामने कौन से आदर्श रखने चाहिए, इस बारे में भी सर्वसम्मति मूल्य निर्माण हुए हैं। व्यक्ति स्वा-तन्त्र्य, राजकीय स्वातन्त्र्य, सामाजिक समता, आर्थिक न्याय आदि बातों को अब

किसी का प्रमाद या अनुग्रह नहीं समझा जाता। इसके विपरीत अब ये बातें इतनी नैसर्गिक एवं आवश्यक प्रतीत होने लगी हैं कि, जहाँ ये बातें नहीं हैं, या अधूरे रूप में हैं, वहाँ कुछ न कुछ न्यूनता एव दोष है, ऐसा जग मानने लगा है।

यह जो स्थिति आज प्राप्त हुई है, वह फ्रेंच राज्यशान्ति में प्रारम्भ हुई विचार-धारा का फल है। राजकीय स्वतन्त्रता एवं समता यदि संसार के किसी एक ही राष्ट्र में रहे तो काम नहीं चलता। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी रहना चाहिए। तभी वह किसी राष्ट्र विशेष में रहेगी एवं वृद्धिगत होगी और तभी ममार में स्वतन्त्रता, समता तथा शान्ति का वातावरण निर्माण हो सकेगा। स्वतन्त्रता, अधिनायकतन्त्र तथा समाज की कोई भी प्रवृत्ति सामाजिक रोग की भाँति फैला करती है। जैसे एक दिग्ने से दूसरा दिग्ने जलता है, एक उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण सामने आता है, वैसे ही कुछ इन मामलों में भी होता है। गत २०० वर्षों में यही अनुभव लोगों को आया है। फ्रेंच राज्य शान्ति के पश्चात् अनेक अधिनायकतन्त्री राष्ट्रों में स्वतन्त्रता एव न्याय के लिए आन्दोलन हुए हैं। अनेक कृत्रिम तौर पर बने हुए राज्य एव साम्राज्य ढह गए। इसी प्रवृत्ति के साथ अनेक असंगठित राज्य संगठित हुए तथा मात्स्य न्याय से अनेक छोटे देशों को निगल कर शक्तिशाली देशों ने बड़े-बड़े साम्राज्य भी स्थापित किए। उपनिवेशवाद भी फ्रेंच शान्ति के अनन्तर स्वतन्त्रता एव राष्ट्रीयता की भावना की लहर के साथ-साथ ही बढ़ता गया। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों में अनेक राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया। एक ही समय संसार के एक हिस्से में तो स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की भावना की लहर दौड़ रही थी, वहाँ दूसरे हिस्से में उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी जोर-शोर से बढ़ती जा रही थी। पहले महायुद्ध का फल यह हुआ कि अधिक लोग तथा अधिक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए तथा थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो, प्रजातन्त्र के कदम आने की ओर बढ़े। पहले महायुद्ध के अनन्तर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) विन्हीं उदात्त हेतुओं को लेकर स्थापित हुआ। राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ यह संगठन उन लोगों के कृत्यों का समर्थक संगठन बनकर रह गया, जिन्होंने दूसरों के देशों को हड़प कर अपने कब्जे में ले लिया था। फनस्वरूप राष्ट्रों के बीच मौजूद झगड़ों को दूर करने की उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस संघ की पूर्वाह नहीं की। फल यह हुआ कि दो महायुद्धों के बीच के काल में औपचारिक प्रजातन्त्र तो कुछ जगहों पर दिखाई दिया पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा न हो सकी। समता तो थी ही नहीं; पर अब उस पर विचार करना भी राष्ट्रद्रोह समझा जाने लगा। कानून सिर्फ पूँजीपतियों का हुजम बनकर रह गया। कहीं-कहीं तो व्यक्तिगत अधिनायकतन्त्र स्थापित हो गया। पहले महायुद्ध के बाद प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एव सर्व-साधारण समता की जो उम्मीद पैदा हो गई थी, वह भले ही मरी न हो, तो भी मूर्च्छित अवस्था हो गई थी। सब कहीं हिटलरवादी, मुसोलिनीवादी तथा स्टालिन-वादी नामक निशाहियों ने सगर के जनसामान्य के नाक में दम कर रखा था। अनेक देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ पर सामान्य जनता का दारिद्र्य दूर नहीं हो सका। आर्थिक दुष्प्रों के लिए स्वतन्त्रता ही एकमात्र औषधि है, यह भावना इड हो

गई। पर दृढ़ धोपध का उपयोग नहीं हो गया। इसके विपरीत घनेक युद्धिमान् नोका  
 घणिनायातन्त्री राज्यध्याय्या का स्तुति पाठ करने गये। साधुनिज न्याय्यता ही मही  
 मानो में स्वतन्त्रता है तथा सुरक्षा ही समता है, ऐसे गिद्वानों का निर्णय स्व से  
 प्रतिपादन दिया जाने गया। सुरिधा के सामने तथ्यों की दृष्टता दिया गया। नैतिक  
 जीवन दारोरीय सरक्षण के समक्ष स्तम्भ हो गया। संघर्ष एव युद्ध को रोकने के  
 लिए लिए गए प्रयत्नों की पराकाष्ठा ही युद्ध को नजदीक गीत गई। उने उमने  
 धपरिहायं बना दिया और तब दूगने महायुद्ध की घोषणाएँ—दूगने धरने-धरने धगाधो  
 में तथा पीछे में युद्ध के मंशानो में—जग्यागो की मनगनाट्ट के गाय धारम्भ हुई।  
 दूगरे महायुद्ध का ध्येय युद्धधमान राष्ट्रों ने धानी-धानी धोर में घोषित दिया। तथा  
 दो युद्धधमान समूहों में टिगी धान की कोई समानता नहीं थी। विक्टूना, इग्लैण्ड,  
 धमेरिका एव रशिया के समूह में ट्रिटसर के विरोध के गिनाय धोर कोई भी बन्धन-  
 कारक समान भावना नहीं थी। स्त्रवेन्ट साद्व की धार स्वतन्त्रताएँ गौरवास्पद थी,  
 इमने सन्देह नहीं। उगके धारण महायुद्ध के बाद राष्ट्रवादी स्वातन्त्र्य एव ध्यनिधन  
 स्वातन्त्र्य को बडावा मिलने की उम्मीद बड गई थी। युद्ध को सत्तम हुए एक द्वादसादि  
 (म० त०) बीत गई है। युद्ध के बाद फिर एक धार प्रजातन्त्र एव स्वतन्त्रता की  
 कल्पना को बल मिला। इन १३ धर्षों में समुन्न राष्ट्र गध (यू० एन० धो०) ने कुछ  
 प्रधाधो एव परम्पराधो को जन्म दिया है। गायो में धुलित धोरी के धा जाने से टष्टे  
 बनेडे कुछ कम हुए हैं या एक निधिन गीगा से धागे नहीं बडे हैं ऐसा कुछ-कुछ-  
 धनुभव जस्त्र धाया है। तथापि समार में गुटबन्दी कम नहीं हुई है। पुराने स्वार्थो-  
 की कल्पनाएँ नया धोला पहनकर सामने धाने लगी हैं। धकीना के राष्ट्र धव दवाधव  
 स्वतन्त्र होते जा रहे हैं। पर इन दो गुटो ने सारे विश्व को जो बांट डाला है, उसके  
 धारण प्रत्येक गुट में धामिल हुए राष्ट्रों की स्वतन्त्रता पूरी तरह से छिनती चली जा  
 रही है, यह भी स्पष्ट दिशाई दे रहा है। धत यह भले ही सही हो कि धान के  
 समुक्त राष्ट्र सध दे पहने वाले राष्ट्र गध की धपेक्षा अधिक समर्थ सगठन निर्माण  
 किया है तथा छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को पहले की धपेक्षा अधिक धभयदान मिल-  
 रहा है, तथापि राष्ट्र की स्वतन्त्रता धभी निधिवाद नहीं है तथा ध्यकितगत स्वतन्त्रता  
 का धर्थ केवल राजकीय स्वतन्त्रता नहीं रह गया है। स्वतन्त्रता का धर्थ सिर्फ यही  
 रह गया है कि राष्ट्र स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता का वास्तविक धर्थ होता है राष्ट्र की  
 स्वतन्त्रता के साथ-साथ निर्धारित सीमा के भीतर ध्यकित की भी स्वतन्त्रता। ध्यकित  
 की स्वतन्त्रता का केवत इतना ही धभिप्राय नहीं कि उसे प्रजातन्त्री राज्य में स्थान  
 मिल गया है अथवा धार्थिक दृष्ट्या उसका जीवन सार्थक एव समृद्ध हो गया है।  
 जिस सामाजिक सदर्भ में वह ध्यकित निवास करता है, वहाँ सामाजिक एव धार्थिक  
 समानता होनी चाहिए। केवल समाज के सधन हो जाने से, जीवन के स्तर के ऊँचा  
 हो जाने से ही स्वतन्त्रता की पूर्णमासी उदित हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।  
 सिर्फ यही कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता रूपी चन्द्रमा की कुछ एक कलाधों का  
 उदय हो गया है। स्वतन्त्रता की प्रसादपूर्णमासी जब धिपमता से भरे धार्थिक एव  
 सामाजिक जीवन रूप कलक से एकदम मुक्त हो जाएगी, तभी उसे पूरी तरह पूर्ण-

मामी कहा जा सकता है। यह अवश्य सच है कि गत १३ वर्षों में ससार भर की जनता में थोड़ा-मा आशा एवं साहस का वातावरण उत्पन्न हुआ है। साथ ही लोगों में यह भावना भी काम करने लगी है कि व्यक्ति की उन्नति एवं विकास को राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के साथ निगडित होना चाहिए और यही कारण है कि एतद्विषयक चर्चा-सब कहीं घुले रूप में होने लग गई है।

दो महायुद्धों के बाद संसार में समता एवं स्वतन्त्रता विषयक विचारधारा पर्याप्त ध्यापक हो गई है। उसे विशालता भी प्राप्त हुई है। पर इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता स्वी स्थायी भाव की अभी पूरी तरह से स्थापना नहीं हो पाई है। विद्रव उष्णयुद्ध भले ही न हो तो भी शीत युद्ध का वातावरण असदिग्ध है। कुछ राज्यों को अपने विकास के लिए इस वातावरण की आवश्यकता महसूस होती है। क्षण भर को विप खाकर जीवित रहने का यह प्रयत्न है। अल्प परिमाण में खाया गया विप दवा का काम देता है, ऐसी मानवीय दृष्टि से विचार करने पर भी यह शीतयुद्ध मानसिक सतोष का कारण नहीं बन पाता। ऐसा लगना है कि भविष्य को सादेसाती ने प्रस निया है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आर्थिक समता की ओर दृष्टिशेष करने पर कहीं-कहीं परिस्थिति सतोषजनक अवश्य नजर आती है तो भी बहुसंख्यक प्रदेशों में वह अभी तक असतोषजनक चली जा रही है। सामाजिक समता एवं आर्थिक न्याय के वगैर स्वतन्त्रता परिपूर्ण नहीं होती। यदि हम चाहते हैं कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें ससार भर की आर्थिक परिस्थिति को बहुत बड़े पैमाने पर सुधारना होगा तथा औद्योगिक उन्नति करनी होगी। इस बात के लिए जहाँ आशाजनक स्थिति है, वहाँ सामान्य रूप में लोग कानून को मानते हैं। जिस वातावरण में अर्थ-व्यवस्था प्रगमनशील हो, रोजगार बढ़ रहा हो, कर्तव्यशक्ति के विकास के लिए अवसर मौजूद हो, वहाँ साहम, प्रयत्नशीलता, उत्कट गुण एवं मृज्जनशीलता कार्यप्रवण रहने हैं तथा प्रजातन्त्र द्वारा प्रदत्त विचार-स्वातन्त्र्य के कारण उपयुक्त वातावरण अधिकाधिक वृद्धिगत होता जाता है। इसके विपरीत जहाँ आर्थिक व्यवस्था दुर्बल, कामचलाऊ एवं विषमतापूर्ण होगी वहाँ केवल भविष्य के बारे में ही नहीं वर्तमान के बारे में भी लोग सन्देह करने लग जाएँगे और तब उन्हें नियन्त्रण से रहने के लिए राज्यसत्ता उनकी मौलिक स्वतन्त्रता में काट-छाँट करना शुरू कर देती है। तब वहुनों को नए विचार भयानक लगने लगते हैं। और जो बातें प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में स्तुत्य मानी गई हैं, वे ही निन्द्य साबित होती हैं। लोगों की सिका-यतो की उपेक्षा होने लगती है। उस समय अनेक बार ऐसा होता है कि या तो लोगों को कुचल दिया जाता है या फिर अपनी सुविधा के लिए किसी के साथ दुश्मनी मोल लेकर देश में सबूट एवं युद्धकालीन परिस्थिति घोषित कर दी जाती है तथा न्याय्य वस्तु को बहुत दूर धकेल दिया जाता है। मदद करने के लिए आम-पास 'ग्रयूब' अथवा 'मउदजेडुग' जैसे लोग मिल ही जाते हैं। यह ठीक है कि लोगों की उन्मीदी को कुचल कर अथवा उनका ध्यान राष्ट्रीय सकट की ओर आकृष्ट करके कुछ समय खींचा जा सकता है। राष्ट्र के संरक्षण के लिए प्रजा की भावनाओं को उभाड़कर अवसरवादियों की रक्षा की जाती है। राज्य की सीमाओं की रक्षा के

बहाने स्वतन्त्रता पर आक्रमण करके स्वतन्त्रता की ही गोमा को संकुचित करने का प्रयत्न किया जाता है। दो महायुद्धों के बाद भी अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हो सकी, जिसमें कहा जा सके कि अब स्वतन्त्रता तथा समता के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है। यह भी कहना सम्भव नहीं कि सारे विश्व में स्वतन्त्रता के लिए उत्साह एवं समता के लिए ममता मौजूद है। स्वतन्त्रता एवं समता का अर्थ भी जितने व्यापक पैमाने में हम पीछे कर आये हैं, अभी बहुतेरे स्थानों में, उतना भी नहीं रिया जाता है। अमेरिका में आज भी स्वतन्त्रता का अर्थ नियन्त्रण एवं नियोजन रहित अर्थव्यवस्था तथा गुले बाजार की व्यवस्था ही समान-मन्धि है, ऐसा माना जाता है। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों में स्वतन्त्रता का अर्थ सत्ताधारी वर्ग की राय ही दिखाई देता है। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में यदि कुछ विचार होता है, तो वह भी वर्ग के हित की दृष्टि से होता है। एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों में अगणित एवं अगण्य लोग आज भी दारिद्र्य के दलदल में फँसे हुए हैं। कुछ यूरोपियन राष्ट्रों में महायुद्धजन्य पराजय के कारण आशामय जीवन नष्टप्राय हो गया है। तथा जहाँ स्वतन्त्र एवं सधन समाज एकत्र आए हैं, वहाँ तुच्छता की भावना तथा नैतिक ह्रास दृष्टिगत होता है। सच्ची स्वतन्त्रता का अर्थ—अग्नी भाँति अन्य देशों की तथा परदेशों की जनता को भी स्वतन्त्र एवं सुखी होना चाहिए ऐसी बुद्धि—है। पर वंसी बुद्धि कहीं दिखाई नहीं देती। गत १३ वर्षों में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, ऐसी बात नहीं। स्वतन्त्रता का विचार लोग—हम जीवित हैं, ऐसा अनुभव होने पर—करने लगते हैं। घर, दार, बाजार तथा पडोस—सब कहीं दरिद्रता हो, जीना भी दुश्वार हो जाए, तो लोगों के मन—कल आने वाला दिन कैसा होगा तथा आज का दिन कैसे बीतेगा—इन्ही बातों के विचार में डूबे रहते हैं। व्यापक एवं तेजस्वी नैतिक भावना उनके मन का स्पर्श तक नहीं करती। और इसीलिए आवश्यकताओं से पिंड मुक्ति (फ्रीडम फ्रॉम वाण्ट्स) महायुद्ध के दिनों में एक महत्त्वपूर्ण घोषणा साबित हुई। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार घोषित हुआ। तथा इसी अधिकार के अनुरोध से नियोजन व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में आकर्षक सिद्ध हुई। तथापि सामान्य जनो की उन्नति के लिए आवश्यक नियोजन व्यवस्था को स्वतन्त्रता पर हमला बत्ताकर उसका विरोध करने वाले लोग केवल अमेरिका में ही हैं, ऐसी बात नहीं, भारत में भी सीलोन से लेकर श्रीनगर तक मौजूद हैं। और यदि एक राष्ट्र में स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाले एवं गुलामी में रहने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते अथवा एक ही राष्ट्र में सम्पन्न एवं विपन्न—ये वर्ग बहुत समय तक नहीं रह सकते, इस ऐतिहासिक अनुभव को मान्य करने के बाद अब समूचे विश्व में भी कुछ राष्ट्र स्वतन्त्र एवं सम्पन्न तथा कुछ राष्ट्र दाम्प्य एवं दारिद्र्य से ग्रस्त नहीं रह सकेंगे। इसी प्रकार एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अनुरोध को दूर करने के लिए उसके सम्पर्क में आने वाले समाज के भीतर वाले तथा बाहर वाले लोगों को भी स्वतन्त्र होना होगा। इसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए अन्य राष्ट्रों को भी स्वतन्त्र होना चाहिए, यह नैतिक विद्वान्त मय सर्वसम्मत हो चुका है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापकता में उसका प्रचार किया जा

रहा है। और इसी कारण गत १०-१२ वर्षों में विश्व की धर्मव्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ नियन्त्रण मंजूर कर लिया गया है। मंगुस्त राष्ट्र संघ के मारफत, इन दृष्टि से अनेक बातों की गई हैं। यह सब ठीक तरह से ही, इनके लिए विश्व में महयोग एवं शान्ति की जरूरत है। तो भी अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के टण्टों की दूर करने का एकमात्र मार्ग अभी तक युद्ध ही समझा जाता है। एक युद्ध के उपसंहार के बाद का समय अगले युद्ध की प्रस्तावना का समय बन गया है। सामाजिक सुधार एवं प्रगति जिस संकल पर जा पहुँची है, उसे देखने हुए कहना होगा कि यदि सारे विश्व में स्वतन्त्रता, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं स्वराज्य की स्थापना न हुई तो, यह गारी प्रगति खटाई में पड़ जाएगी। सारे विश्व की राजनीति—कम-से-कम आज की राजनीति—सामान्यतया दो गुटों में विभक्त हो गई है। एक तीसरा अस्तगतित किन्तु अघ्यारत गेमा तदस्य गुट है। तो भी इन राजनीति के कारण वहीं भी कोई खडका क्यों न हा, उमका प्रभाव सारे विश्व पर पडता है। और यदि इन राजनीति में वक्रता आ जाए तथा सम्पूर्ण विश्व के व्यवहार में वक्रता के धाने की सम्भावना बढ जाए तो उससे राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। अनेक स्थानों पर यह खतरा हमें साफ-साफ दिखाई भी देने लगा है। राजनीति में हठवादिना बढ जाए; तो देश में शान्ति की ज्वालाओं के भडक उठने की सम्भावना हो जाती है तथा यदि यही हठवादिना अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रवेश कर जाए तो युद्ध के पूर्व के अगुम सजुन दिखाई देने लगते हैं। आज यदि कहीं युद्ध छिड़ जाए, तो उमका रणांगण कोई विशेष प्रदेश अथवा महाद्वीप न होकर सम्पूर्ण भूगोल एवं खगोल उम युद्ध की लपटों में चला जाएगा। देश के मिर पर सड़ी भूमि निःशेष हो जाएगी तथा देश भी देश रह सकेंगे या नहीं, कहना कठिन है। और यदि कहीं बैसा हो गया तो समूची स्वतन्त्रता एवं नैतिकता क्यावशेष हो जाएगी। अन्ध के ही भस्म हो जाने के बाद यह कहना आवश्यक हो जाता है कि उसके भीतर का प्रतिपादिन साहित्य भी भस्म हो जाएगा। और यही कारण है कि आज व्यक्ति-व्यक्ति के लिए एक राष्ट्र-राष्ट्र के लिए विश्वशान्ति, मदभाव एवं सहयोग की सन्न जरूरत है। और यह सद्भाव, महयोग एवं शान्ति तब तक संसार में स्थापित नहीं हो सकती, जब तक राष्ट्रों के बीच आर्थिक विपमता मौजूद है। अतः आज के राष्ट्रों में जो सम्पन्न एवं अभावप्रस्तो का चित्तशोभक दृश्य दिखाई देता है, उसे दूर हो जाना चाहिए। उसे दूर करना ही तो यह स्पष्ट ममझ लेना चाहिए कि शक्ति का प्रयोग अनुचित एवं निष्पयोगी है। और इसी कारण उस क्षेत्र में भी विचार-विनिमय एवं चर्चा द्वारा अभीष्ट वातावरण की निमित्त का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जिस प्रकार एक राष्ट्र के विभिन्न पक्षों में मौलिक विचारधारा के सम्बन्ध में, मौलिक गृहीत कृत्यों के सम्बन्ध में एकवाक्यता रहनी है तथा उससे राष्ट्र की प्रगति होती है, ठीक उसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस प्रकार के किन्हीं मौलिक गृहीत कृत्यों के सम्बन्ध में एकवाक्यता होनी चाहिए। और राष्ट्रों में जब तक यह मौलिक थडा न होगी कि सन्न प्रश्नों एवं समस्याओं का हल हमें शान्ति, सुविचार एवं विचार-विनिमय द्वारा ही करना है, तब तक न तो कोई प्रगति होगी और न ही विश्व का भविष्य

सुनिश्चित हो सकेगा। आज यदि प्रस्फोट नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, क्योंकि विश्व की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रही है, सुखी जीवन बिताने की उसकी भूख उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्वृण्ड होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफलता क्षणजीवी ही सिद्ध होगी, पर उससे उसका तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युगयुगान्तर तक नहीं किया जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जबर्दस्त की बात मान लेने से उसका जबर्दस्तपन और बढ़ता ही चला जाता है। चुप बैठे ही रहे या तटस्थ बने रहें तो आज की यह चुप्पी या तटस्थता कल के विनाश की नान्दी साबित होगी। अतः जहाँ मौलिक श्रद्धा का सवाल उठता है, वहाँ तटस्थ रहने से काम नहीं चलता। गोल-मोल बातें बहुत देर तक कूटनीति पांडित्य की सूचक नहीं रह सकती। राह चलते हर भगडे में शामिल होना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है, यह ठीक है तथापि जहाँ खुल्लम-खुल्ला गाय बध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भंग किया जा रहा हो, निर्दयता एवं असह्य अन्याय हो रहा हो, वहाँ दौड़कर न पहुँचना भी कर्तव्य-च्युति का लक्षण हो जाता है। और यू० एन० ओ० की धर्मसभा में जिन लोगों ने इस प्रकार की तटस्थता से काम लिया उन्होंने अपनी आत्मा को तो अवमानित किया ही, साथ ही उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अभद्र मोड़ भी दिया है, ऐसा कहना होगा। सत्कार में शान्ति बनाए रखने के लिए अनथक प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि शान्ति के अभाव में विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों की राष्ट्रीय एवं वैयक्तिक—दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं का लोप हो जाएगा।

यो विश्व के इन दो गुटों में केवल आदर्श विषयक ही भेद हो, ऐसी बात नहीं। सामान्यतया यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शों के मामले में बहुत दूर तक दोनों में समान क्षेत्र है। फर्क है साधनों के मामले में तथा विशेषतया सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण में। लक्ष्मी विश्व के समस्त दुखों का आदिकारण है, ऐसा यदि कोई कहे तो वह ठीक ही है। समुद्रमथन से निर्माण होने वाली यह लक्ष्मी सर्वत्र गडबड़ एवं मथन उत्पन्न करने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी सम्पत्ति के बारे में पाश्चात्य प्रजातन्त्री राज्यों का दृष्टिकोण साफ है। वहाँ हम देखते हैं कि सम्पत्ति विषयक इस दृष्टिकोण पर—इस अर्थव्यवस्था पर हमला होने पर उसका मुकाबला सम्पत्तिमान् वर्ग रबनपात एवं गृहयुद्ध की भी पर्वाह न करते हुए करता है। यही नहीं यदि प्रजातन्त्र समता की माँग करने लगे तो वे प्रजातन्त्र का भी गलाघोटने के लिए आगा-पीछा नहीं देंगे। दो महायुद्धों का अनुभव हमें यही बताता है। साथ ही यह भी सत्य है कि अनेक देशों में सम्पत्ति का उत्पादन बंद जाने से समाज सघन हो गया है। ऊपर के लोगों को नीचे नहीं आना पडा। नीचे के लोग ऊपर चले आए हैं। अतः वर्गों के रहने हुए भी वहाँ वर्ग युद्ध की तीव्रता बहुत कम हो गई है। तथापि विषमता रह रहकर उठने वाला पेट का दर्द नहीं है, वह एक स्थायी सामाजिक रोग है। उम रोग का इलाज केवल अको के जादू से नहीं किया जा सकता। गाँव को कोई वस्तु मिले तो उमका यह अर्थ नहीं कि गाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल जाती है। अतः समाज

के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक वस्तु तो मिलनी ही चाहिए। पर ही उतने से वाम चलता नहीं है। आज के युग में जरूरियात, सामाजिक श्रौसत आदि की श्रौशा भी जिस बात की महान आवश्यकता है, वह है यह दिखाने का प्रयत्न कि उनके पास श्रौरों की श्रौशा जो चीजें ज्यादा है, वे सब बहुत मेहनत से तथा श्रौशानदारी से कमाई हुई हैं। अधिनायकतन्त्र में दरिद्रता श्रौरोपी के कठपरे में रहती है! प्रजातन्त्र में वह माभीदार बनती है तथा उन्नति का प्राथमिक श्रौरोप सम्पत्तिमान् वर्ग के ऊपर होता है तथा जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक चैन नहीं मिलता और जब उनी वस्तु मिल जाती है, तब लोगों के चित्त तब तक धेचैन रहते हैं जब तक सब को समान मात्रा में आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल जाती और तब तक स्वतन्त्रता भी उस समाज में मार्थक नहीं हो पाती। अतः सम्पत्ति की निर्मिति पर सामान्य रूप से समाज का स्वामित्व होना चाहिए। उसके निर्माण में जिन-जिन लोगों ने हाथ बटाया हो, उन्हें तो उमका हिस्सा खलिहान ही में मिल जाना चाहिए और देश में यह व्यवस्था तभी संभव होती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में इसके लिए अनुकूल वातावरण विद्यमान हो। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रादशों के सामर्थ्ययुक्त होने से राष्ट्रों में अनेक भागों में श्रौभीष्ट परिस्थिति का निर्माण संभव हो जाता है। विश्व में इतनी अनुकूलता अभी मौजूद नहीं है। यदि सारा जग एक हो जाए, 'जय हिंद' एवं 'जय सोवियत' के श्रौयान पर 'जय जगत्' की घोषणा सर्वमान्य हो जाए, तो राष्ट्रीय सीमाएँ, राज्यों की सीमाएँ निरर्थक हो जायेंगी और एकदम मही भागों में समृद्धि एवं सम्पत्ति श्रौविभाज्य सावित हो तो उसके उचित मात्रा में उपभोग का श्रौवसर सबको प्राप्त होगा। आज की परिस्थिति में राष्ट्रवाद के प्रभावशाली होने के कारण जागतिक श्रौान्ति एवं कल्याण के लिए राष्ट्र श्रौथवा राज्य अपनी प्रभुसत्ता को छोड़ा-सा भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज के नियमों एवं राज्य के कानूनों का पालन किया करता है। क्योंकि उसका जीवन-चिन्त उस चौखट में मटोक बैठता है। ऐसी कोई चौखट अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में अभी निर्माण नहीं हो पाई है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी के प्रति विनति करने की श्रौपेक्षा अधिक कुछ नहीं करता। श्राजा देने की स्थिति अभी उसे प्राप्त नहीं हुई है। आज भी उसकी कीमत उतनी ही है, जितनी विसी गाँव के चार चौखटियों द्वारा दिए गए फँसले की हो सकती है। कारण उसे मनवाने के लिए समर्थ दण्ड व्यवस्था मौजूद नहीं है। बिलकुल ताजा उदाहरण अफ्रीका की राजनीति को देखने से मिल जाता है। यदि निकट भविष्य में मयुवत राष्ट्र संघ एक श्राज्ञापक निर्णय देने वाला तथा उसे क्रियान्वित कराने वाला सगठन हो जाए तो निश्चित ही विश्व में श्रौान्ति एवं समृद्धि की मागल्यपूर्वक प्रनिष्ठा हो जायगी।

हम इस श्रौथ्व में लिख चुके हैं कि आज की दुनियाँ में श्राधिक समृद्धता के अभाव में स्वतन्त्रता का कोई श्रौर्थ नहीं है। देश में यदि श्राधिक समता एवं सम्पन्नता को श्रााना है, तो उसके लिए वैयक्तिक स्वामित्व को कम करना होगा तथा सम्पत्ति की निर्मिति एवं उसके स्वामित्व को अधिकधिक लोगों के हाथ में



मुनिश्चित हो सकेगा। आज यदि प्रस्फोट नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, क्योंकि विश्व की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रही है, सुखी जीवन बिताने की उसकी भूल उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्दण्ड होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफलता क्षणजीवी ही सिद्ध होगी, पर उससे उसका तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युगयुगान्तर तक नहीं किया जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जबर्दस्त की बात मान लेने से उसका जबर्दस्तपन और बढ़ता ही चला जाता है। चुप बैठे ही रहे या तटस्थ बने रहें तो आज की यह चुप्पी या तटस्थता कल के बिनाश की नान्दी साबित होगी। अतः जहाँ मौलिक श्रद्धा का सवाल उठता है, वहाँ तटस्थ रहने से काम नहीं चलता। मोल-मोल बातें बहुत देर तक कूटनीति पांडित्य की सूचक नहीं रह सकती। राह चलते हर भगडे में शामिल होना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है, यह ठीक है तथापि जहाँ सुल्लम-सुल्ला गाय वध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भंग किया जा रहा हो, निर्दयता एवं असह्य अन्याय हो रहा हो, वहाँ दौड़कर न पहुँचना भी कर्तव्य-व्युक्ति का लक्षण हो जाता है। और यू० एन० ओ० की धर्मसभा में जिन लोगों ने इस प्रकार की तटस्थता से काम लिया उन्होंने अपनी आत्मा को तो अवमानित किया ही, साथ ही उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अभद्र मोड़ भी दिया है, ऐसा कहना होगा। समार में शान्ति बनाए रखने के लिए अनवरत प्रयत्न किए जाने चाहिएँ। क्योंकि शान्ति के अभाव में विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों की राष्ट्रीय एवं वैय-वित्तक—दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं का लोप हो जाएगा।

यों विश्व के इन दो गुटों में केवल आदर्श विषयक ही भेद हो, ऐसी बात नहीं। सामान्यतया यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शों के मामले में बहुत दूर तक दोनों में समान क्षेत्र है। फर्क है साधनों के मामले में तथा विशेषणया सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण में। लक्ष्मी विश्व के समस्त दुग्धों का आदिनारण है, ऐसा यदि कोई कहे तो वह ठीक ही है। समुद्रमयन से निर्माण होने वाली यह लक्ष्मी सर्वत्र गठबद्ध एवं मयन उत्पन्न करने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी सम्पत्ति के बारे में पारस्परिक प्रजातन्त्री राज्यों का दृष्टिकोण साफ है। वहाँ हम देखते हैं कि सम्पत्ति विषयक इस दृष्टिकोण पर—इस अर्थव्यवस्था पर हमता होने पर उगना मुद्दावना सम्पत्तिमान् वर्ग रक्षण एव गृहयुद्ध की भी पराई न करते हुए करता है। यही नहीं यदि प्रजातन्त्र ममता की माँग करने लगे तो वे प्रजातन्त्र का भी गलाघोटने के लिए आगा-पीछा नहीं देंगे। दो महायुद्धों का अनुभव हमें यही बताना है। साथ ही यह भी सत्य है कि अनेक देशों में सम्पत्ति का उत्पादन बंद जाने में ममात्र मधन हो गया है। ऊपर के लोगों को नीचे नहीं घाना पडा। नीचे के लोग ऊपर चले आए हैं। अन्न बगों के रहने हुए भी वहाँ बगें दुद्ध की तीव्रता बढ़ा कम हो गई है। तथापि विषमता रह रहकर उठने वाला गेट का दर नहीं है, वह एक स्थायी सामाजिक गंग है। उग रोग का इलाज केवल अन्न के आदू में नहीं किया जा सकता। गाँव को कोई बन्धु मिले तो उगता यह धरप नहीं कि गाँव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह मिल जानी है। अतः ममात्र

अथवा समृद्ध जीवन यदि स्वतन्त्रता में से निर्माण न होता हो, तो वह स्वतन्त्रता टिक नहीं सकती और ऐसी स्वतन्त्रता अब अभीष्ट भी नहीं है। और यदि इस प्रकार का समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विश्व के लिए एक ही आर्थिक व्यवस्था एवं एक स्थूल नियोजन व्यवस्था की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में अनुकूल प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। जो निम्न राष्ट्र के प्रति है, वही निम्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी शनैः-शनैः उत्पन्न की जानी चाहिए। और इसीलिए ससार के प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित एवं सुविचारी होना चाहिए। यदि युद्धकाल में वेणुमार खर्च करके राष्ट्र को सगठित किया जा सकता है, तो यह बात कोई स्वीकार नहीं करेगा कि राष्ट्र को सुशिक्षित करने के लिए सगठन नहीं किया जा सकता। और अनैव संपत्ति का विनियोग बड़े-बड़े जहाज बनाने, अस्त्रिकों को भेद डालने वाले आयुध तैयार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त करने की क्षमता वाले अगुवम सरीखे साधनों का निर्माण करने में न करके मनुष्य के मन को उन्नत एवं विवेकी बनाने के काम में किया जाना चाहिए। आज यन्-साधन बढ़ रहे हैं। तन्त्र-विषयक शोधकार्य बहुत बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। तथापि इन क्षेत्र में होने वाली प्रगति के साथ मनुष्य की मानसिक उन्नति के क्षेत्र में उतनी प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। और जब तक मनुष्य का मन विवेकी, निष्ठावान् तथा दृढ़तायुक्त नहीं होगा, तब तक उसके हाथ में आधुनिक हथियारों का पकड़ाना सतरे से खाली नहीं। आज यदि ससार की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रहना है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक श्रान्ति का होना आवश्यक है। और जब तक वह श्रान्ति नहीं होगी तब तक समता एवं आर्थिक सम्पन्नता उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी तथा सामाजिक सम्बन्धों में जिस सन्तुलन की जरूरत होती है, वह नहीं रह सकेगा। मानसिक श्रान्ति के अभाव में ससार के अन्दर स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की स्थापना कठिन ही जाएगी तथा शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता में जीवन किस प्रकार रहा जाए, इस बात की चिन्ता ही प्रमुखता पा जाएगी।

आज के विश्व में तान्त्रिक क्षेत्र में हुए शोध एवं बोध पर तथा जो विचार-प्रवाह आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दृष्टिगत होने हैं, उन पर विचार करने से एक बात साफ जाहिर होती है कि भले ही स्वतन्त्रता विषयक तत्त्वज्ञान एवं तद्विषयक सिद्धान्त स्वीकृत हो चुके हों, उन्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी हो, तो भी यह कहना कठिन है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे या उन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होगा ही नहीं। अतः सुरक्षा की आवश्यकता एकदम स्पष्ट है तथा उसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सगठन निर्माण किया जाना चाहिए। और इस समय जो थोड़ा-बहुत मौजूद है, उसे तात्पर्य बनाया जाना चाहिए। अन्वय जहाँ भी हो, चाहे वह राष्ट्रीय सन्दर्भ में हो, या अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में, उसके विरोध में यदि आवाज न उठाई गई, उसके मुनासले के लिए प्रबल सगठन नहीं किया गया, तो दोनों ही क्षेत्रों में स्वतन्त्रता परास्त ही जाएगी—पराभूत हो जाएगी। यदि चुपचाप अन्वय को सहन कर लिया जाए, तो दिशाऊ एवं धोखे-धालने में घूर सींगी की

देना होगा। यह सब प्रजातन्त्र में ही अधिक सम्भव है। ऐसा इतिहास का अनुभव है। उसी अनुभव को आधार बना कर हमने इस ग्रन्थ में आर्थिक व्यवस्था का विवेचन किया है। व्यक्तिगत स्वामित्व एवं प्रजातन्त्र व्यवस्था अब एक साथ नहीं बनी रह सकती और यदि व्यक्तिगत स्वामित्व अधिक हठ ठानने लगे तो उसका क्या फल होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। प्रजातन्त्र का रूप चाहे कुछ क्यों न हो, वह अनन्त काल तक व्यक्तिगत स्वामित्व को समाज में बने रहने नहीं दे सकता। अब विश्व की राजनीति में महत्त्व का सवाल इतना ही रह गया है कि इस व्यक्तिगत स्वामित्व को थोड़ा-थोड़ा करके समाप्त किया जाए या शान्ति द्वारा एकदम समाप्त किया जाए। आर्थिक विपन्नता एवं विपन्नता को केवल एक देश में से उखाड़ देने से काम नहीं चलेगा। पाल में यदि एक भी ग्राम सड़ा हुआ हो, तो सारे के सारे ग्राम सड़ जाते हैं। इसी प्रकार आज की दुनियाँ में अगर कहीं भी आर्थिक विपन्नता एवं विपन्नता मौजूद रहे, तो उससे सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था के बिगड़ जाने का खतरा पैदा हो जाता है। अतः इस प्रश्न पर विचार तथा उसके प्रतिकार की योजना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। यह करते समय, जाहिर है कि, आज के युग के अतिरेकी राष्ट्रवाद एवं अतिरेकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर रोक लगानी होगी। यह भी जाहिर है कि विश्व के हित के लिए जिस प्रकार थोड़े से समय में काम लेना पड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित के लिए भी प्रत्येक राष्ट्र को समय से काम लेना होगा। आज भी हर राष्ट्र में ऐसे दल मौजूद हैं कि जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं की पूर्वाह नशी करते। 'दुनियाँ भर के काम करो, एक हो जाओ' यह गर्जना दुर्लक्षणीय नहीं है। विश्व का साम्यवादी दल राष्ट्रों की सीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि उसे स्वीकार करने का अर्थ यह होता है कि वे लोग मौलिक तत्त्वज्ञान ही को स्वीकार नहीं करने। सीमाविषयक वाद-विवाद कम्प्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान की दृष्टि में अर्थहीन है। और यही कारण है कि अनेक राष्ट्रों में राष्ट्रवादी दलों द्वारा कम्प्यूनिस्ट दल का विरोध होता है। राष्ट्रवाद अभी तक पर्याप्त शक्तिशाली है तथा अनेक बार कम्प्यूनिस्ट कहलाने वाले दलों में, कम्प्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान को भी मात देता है। समाजसत्तावाद के बारे में भी कहा जा सकता है कि वहाँ भी ठीर-ठीर पर राष्ट्रवाद एवं धार्मिक साम्प्रदायिकता की छाप पड़ी हुई है। त्रिदिचयन सोशलिज्म, हिंदू सोशलिज्म, चायनीज सोशलिज्म ये शब्द भिन्न-भिन्न कल्पनाओं के ही द्योतक हैं। उनमें कुछ साम्य व्यवस्था रहता है। भारत तो वही है, पर एक आम्बेडकर चाकल का है तो दूसरा वासुदेवी चावल का। ऐसी विविधता दृष्टिगोचर होती है। तथापि आज जो अभीष्ट है, वह वह साम्य है, जो भौगोलिक सीमाओं को नगण्य मानता है या उनकी उपेक्षा करना है। जो प्रादेशिक मयुक्ता आज दिखाई देती है वह एक मजिल ही समझी जानी चाहिए। मयुक्त भारत सध एक मयुक्ता का भाव है और उग भाव में प्रादेशिकता के साथ-साथ ध्वंसविषयक साम्य भी है। यह मयुक्ता की भावना अधिक व्यापक माया में होनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व का कदम आगे बढ़ेगा। लोगों को अब बागज पत्रों में निम्नी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। सुर्ग

अथवा समृद्ध जीवन यदि स्वतन्त्रता में से निर्माण न होता हो, तो वह स्वतन्त्रता टिक नहीं सकती और ऐसी स्वतन्त्रता अब अभीष्ट भी नहीं है। और यदि इस प्रकार का समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विश्व के लिए एक ही आर्थिक व्यवस्था एवं एक स्थूल नियोजन व्यवस्था की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में अनुकूल प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। जो निष्ठा राष्ट्र के प्रति है, वहीं निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी शनैः-शनैः उत्पन्न की जानी चाहिए। और इसीलिए सत्कार के प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सुविचारी होना चाहिए। यदि युद्धकाल में बेधुमार खर्च करके राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है, तो यह बात कोई स्वीकार नहीं करेगा कि राष्ट्र को सुशिक्षित करने के लिए संगठन नहीं किया जा सकता। और अतएव सम्पत्ति का विनिमोग बड़े-बड़े जहाज बनाने, अंतरिक्ष को भेद डालने वाले आयुध तैयार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त करने की क्षमता वाले अणुबम सरीखे साधनों का निर्माण करने में न करके मनुष्य के मन को उन्नत एवं विवेकी बनाने के काम में किया जाना चाहिए। आज यथ-साधन बढ़ रहे हैं। तन्त्र-विषयक शोधकार्य बहुत बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। तथापि इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति के साथ मनुष्य की मानसिक उन्नति के क्षेत्र में उतनी प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। और जब तक मनुष्य का मन विवेकी, निष्ठावान् तथा दृढ़तायुक्त नहीं होगा, तब तक उसके हाथ में आधुनिक हथियारों का पकड़ाना खतरे से खाली नहीं। आज यदि सत्कार की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रहना है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक क्रान्ति का होना आवश्यक है। और जब तक वह क्रान्ति नहीं होगी तब तक समता एवं आर्थिक सम्पन्नता उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी तथा सामाजिक सम्बन्धों में जिस सन्तुलन की जरूरत होती है, वह नहीं रह सकेगा। मानसिक क्रान्ति के अभाव में सत्कार के अन्दर स्वतन्त्रता, समता तथा बंधुता की स्थापना कठिन हो जाएगी तथा शस्त्रास्त्रों की प्रतिभोगिता में जीवित किस प्रकार रहा जाए, इस बात की चिन्ता ही प्रमुखता पा जाएगी।

आज के विश्व में तान्त्रिक क्षेत्र में हुए शोष एवं बोध पर तथा जो विचार-प्रवाह आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं, उन पर विचार करने से एक बात साफ जाहिर होती है कि भले ही स्वतन्त्रता विषयक तत्त्वज्ञान एवं तद्विषयक सिद्धान्त स्वीकृत हो चुके हों, उन्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी हो, तो भी यह कहना कठिन है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे या उन पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होगा ही नहीं। अतः सुरक्षा की आवश्यकता एकदम स्पष्ट है तथा उसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठन निर्माण किया जाना चाहिए। और इस समय जो षोड़ा-बहुत मौजूद है, उसे ताकतवर बनाया जाना चाहिए। अन्वय जहाँ भी हो, चाहे वह राष्ट्रीय सन्दर्भ में हो, या अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में, उसके विरोध में यदि आवाज न उठाई गई, उसके मुनासले के लिए प्रबल संगठन नहीं किया गया, तो दोनों ही क्षेत्रों में स्वतन्त्रता परास्त हो जाएगी—पराभूत हो जाएगी। यदि चुपचाप अन्वय को सहन कर लिया जाए, तो दिपाऊ एवं बोझने-बालने में दूर लोगों की

वन आती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र सत्य का परिचय करके केवल सुविधा की पूजा करते हैं, तत्त्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सग्रह करते हैं, ऐसी की वन आती है और तब फिर कहीं तिब्बत का-सा शोकान्त नाटक देखने की मिलता है, कहीं काँगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं। चुपचाप रहना तथा चुपचाप आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्रता के लिए बाधक एवं भारक होता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुल्लमखुल्ला होने वाले अन्याय को निर्वलता से देखते रहना तथा उसकी निन्दा भी न करना एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागिरी की प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। केवल यह सोचकर कि आर्थिक क्षेत्र में सघर्ष छिड़ जाएगा, अथवा आर्थिक मामलों में मिलने वाली सहायता रुक जाएगी, चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पष्टवादिता से काम लिया जाना चाहिए। तथा जब आप देखें, सत्य, शान्ति एवं प्रजातन्त्र पर आंच आने वाली है, उस समय आपको 'नरो वा कुञ्जरो वा' की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पष्टवादिता से काम लेना चाहिए। शान्ति एवं समृद्धि ये दो बातें सर्वतोपरि इष्ट हैं तथापि इन दोनों की अपेक्षा भी स्वतन्त्रता को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार हम स्वामित्व को गौण एवं स्वतन्त्रता को मुख्य मानते हैं, उसी प्रकार हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानना चाहिए। यदि हम किसी जगह स्वतन्त्रता को गौण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य मान लें तो उससे स्वतन्त्रता कलाहीन हो जाएगी, नामशेष हो जाएगी। अतः विश्व में स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए हमें उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इसका अर्थ यह होगा कि हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर न्यायपूर्ण व्यवस्था से काम लिया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में, सम्पत्ति वा स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में छोटे या बड़े किसी भी पैमाने में—रहने देना, स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सम्पत्ति की निर्मित के सम्बन्ध में एकाधिकार का वातावरण बनाए रखना सतरे से खाली नहीं है। वर्गविहीन समाज अब नवीन समाज का एक स्पष्ट लक्षण होता जा रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप यह होना चाहिए कि विश्व के सब राष्ट्रों को एक ही सतह पर लाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् का संगठन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज भी गुटबन्दी करके हाथ में आए हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस) को हाथ से न जाने देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिवेशवाद अभी गया नहीं है। काया बदलने पर भी आत्मा अभी वही चला आ रहा है। अतः ममार की प्रगति एवं स्वतन्त्रता के इच्छुक लोग यदि आज सगठित नहीं हुए तो प्रगति एवं स्वतन्त्रता दोनों ही ठण्डे पड़ जाएंगे। सम्पत्ति वा स्वामित्व जब तक दोनों क्षेत्रों में—मुट्टी भर लोगों के हाथ में रहेगा, तब तक स्वतन्त्रता की सुरक्षा अमम्भव है। और सम्पत्ति के स्वामित्व को थोड़े से लोगों के हाथ में बनाए रखने के लिए जितना अधिक प्रयत्न होना रहेगा, उतना ही अधिक खतरा स्वतन्त्रता के लिए पैदा होता जाएगा,

यह स्पष्ट है। आज जहाँ ये प्रयत्न किए गए हैं कि सम्पत्ति किन्हीं मुठ्ठी भर लोगों के प्रवृत्ति वगैरे विशेष के हाथ में न रहे, वहाँ एक नई सम्पत्ता का, एक नई समाज रचना का उदय हो रहा है। और गत ४० वर्षों में आपसी फूट में से निकल कर नसार के अन्य राष्ट्रों की विरोधी करामातो का मुकाबला करते हुए, दूसरे महायुद्ध के सर्वनाशी जवड़े में से सोवियत रशिया ने एक नई संस्कृति, एक नई सम्पत्ता निर्माण की है, यह मानना होगा। उसमें स्वतन्त्रता की दृष्टि से जो कमी है, उसे ध्यान में रखते हुए संसार में एक नई संस्कृति एवं सम्पत्ता का निर्माण होना आवश्यक है।

चिन्ताशान्त करने वाली बेकारी आज सोवियत रशिया में नहीं है। पढ़ाई-लिखाई सतम हुई कि बेकारी शुरू हो गई, ऐसी बात वहाँ नहीं है। नियोजनपूर्ण प्रयत्नव्यवस्था द्वारा व्यक्तियों एवं कामों का, कार्यों एवं कार्यकर्त्ताओं का मयोजन इस प्रकार किया जाता है, जिससे समूचे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा सामान्य जनो का जीवन-स्तर बढ़ता जाए। जिन धार्मिक संकटों को अपरिहार्य माना जाता था, तेजी और मन्दी को एक स्वभाविक बात समझा जाता था, माँग और पूर्ति के सिद्धान्त को परमेश्वरी आज्ञा का स्वरूप दिया जाता था, इन सब बातों को भ्रम सोवियत रशिया ने बदल डाला है। उपभोग के लिए उत्पादन—इस एकमात्र हेतु को ध्यान में रखकर भ्रम निवर्तकों को धार्मिक राज्य में से निर्वासित कर दिया है। इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में एक नए आत्म-विश्वास एवं आत्मप्रतिष्ठा का वातावरण निर्माण हो गया है। श्रम को तप माना जाता है तथा उससे होने वाली निमित्त समाज के कल्याण एवं व्यक्ति के सुख के लिए ही दिखाई देती है। 'तेन त्यक्त्वेन भुञ्जीयाः' यह स्वार्थ त्याग की भूमिका आज इस नए मस्वृत्त समाज की पार्श्व-भूमि बन गई है। इसके साथ तुलना करने पर प्रतीत होगा कि संसार के अन्य राष्ट्रों में जहाँ पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रभावी है, वारिद्वय, विपन्नता, विफलता, बेकारी

तथा धार्मिक अस्थिरता की समस्या अभी हल नहीं हुई है। और जब तक पुरानी दुनियाँ में, पुराने मन्त्रों का पाठ करने वाली संस्कृति कायम है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अमेरिका में सम्पत्ति की मालकी अधिक लोगों के हाथ में है। बहुत सख्यक लोग बीमदार हैं। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पूँजी में जिन लोगों ने अपने पैसे लगा रने हैं, ऐसी की संख्या भी खूब बढ़ गई है। और अमेरिका में पूँजीवाद तो है पर वह प्रजातन्त्री पूँजीवाद है तथा सम्पत्ति की निर्मिति में अनेकों का हिस्सा (पॉपुलर कैपिटलिज्म) है। बैसा होने पर भी उत्पादनपद्धति में जब तक श्रम करने वाले मजदूरों को भाग लेने वालों के समान अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तब तक पूँजी-वादी उत्पादन के दोष बने रहेंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखेंगे कि अमेरिका में सम्पन्नता अधिक है। जीवन का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, तो भी एक सामाजिक संतोष व निश्चित विषयक आत्मविश्वास अभी तक वहाँ नहीं है। अतः सोवियत पद्धति के किन्हीं मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार सोवियत संस्कृति को स्वतन्त्रता-विषयक कुछ मूल्य स्वीकार करना चाहिए। इससे स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता के मध्य उचित सन्तुलन रखा जा सकेगा। जीवन को संरक्षण एवं स्वतन्त्रता दोनों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता एवं संरक्षण

वन आती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र सत्य का परित्याग करके केवल सुविधा की पूजा करते हैं, तत्त्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सग्रह करते हैं, ऐसी की वन आती है और तब फिर कहीं तिब्बत का-सा शोकान्त नाटक देखने को मिलता है; कहीं कांगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं। चुपचाप रहना तथा चुपचाप आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्रता के लिए बाधक एवं भारक होता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुल्लमखुल्ला होने वाले अन्याय को निर्वलता से देखते रहना तथा उसकी निन्दा भी न करना एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागोरी को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। केवल यह सोचकर कि आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष छिड़ जाएगा, अथवा आर्थिक मामलों में मिलने वाली सहायता रक जाएगी, चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पष्टवादिता से काम लिया जाना चाहिए। तथा जब आप देखें, सत्य, शान्ति एवं प्रजातन्त्र पर आँच आने वाली है, उस समय आपको 'नरो वा कुञ्जरो वा' की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पष्टवादिता से काम लेना चाहिए। शान्ति एवं समृद्धि ये दो बातें सर्वतोपरि इष्ट हैं तथापि इन दोनों की अपेक्षा भी स्वतन्त्रता को सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार हम स्वामित्व को गौण एवं स्वतन्त्रता को मुख्य मानते हैं, उसी प्रकार हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानना चाहिए। यदि हम किसी जगह स्वतन्त्रता को गौण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य मान लें तो उसमें स्वतन्त्रता कलाहीन हो जाएगी, नामशेष हो जाएगी। अतः विश्व में स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए हमें उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इसका अर्थ यह होगा कि हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर न्यायपूर्ण व्यवस्था से काम लिया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में, सम्पत्ति का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में छोटे या बड़े किसी भी पैमाने में—रहने देना, स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सम्पत्ति की निर्मिति के सम्बन्ध में एकाधिकार का बातावरण बनाए रखना खतरे से खाली नहीं है। वर्गविहीन समाज अब नवीन समाज का एक स्पष्ट लक्षण होता जा रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप यह होना चाहिए कि विश्व के सब राष्ट्रों को एक ही सतह पर लाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् वा सगठन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज भी गुटबन्दी करके हाथ में आए हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस) को हाथ से न जाने देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिवेशवाद अभी गया नहीं है। काया बदलने पर भी आत्मा अभी वही चला आ रहा है। अतः गंवार की प्रगति एवं स्वतन्त्रता के इच्छुक लोग यदि आज सगठित नहीं हुए तो प्रगति एवं स्वतन्त्रता दोनों ही उण्डे पड़ जाएंगे। सम्पत्ति वा स्वामित्व जब तक दोनों क्षेत्रों में—मुट्टी भर लोगों के हाथ में रहेगा, तब तक स्वतन्त्रता की सुरक्षा असम्भव है। और सम्पत्ति के स्वामित्व को थोड़े में लोगों के हाथ में बनाए रखने के लिए जितना अधिक प्रयत्न होना रहेगा, उतना ही अधिक खतरा स्वतन्त्रता के लिए पैदा होना जाएगा,

यह स्पष्ट है। आज जहाँ ये प्रयत्न किए गए हैं कि सम्पत्ति किन्हीं मुट्टी भर लोगों के अथवा वर्ग विशेष के हाथ में न रहे, वहाँ एक नई सम्यता का, एक नई समाज रचना का उदय हो रहा है। और गत ४० वर्षों में आपसी फूट में से निकल कर सत्कार के अग्र्य राष्ट्रों की विरोधी करामातों का मुकाबला करते हुए, दूसरे महायुद्ध के सर्वनाशो जवड़े में से सोवियत रशिया ने एक नई संस्कृति, एक नई सम्यता निर्माण की है, यह मानना होगा। उसमें स्वतन्त्रता की दृष्टि से जो कमी है, उसे ध्यान में रखते हुए संसार में एक नई संस्कृति एवं सम्यता का निर्माण होना आवश्यक है।

चिन्ताशान्त करने वाली बेकारी आज सोवियत रशिया में नहीं है। पढ़ाई-लिखाई सतम हुई कि बेकारी गुरु हो गई, ऐसी बात वहाँ नहीं है। नियोजनपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा व्यक्तियों एवं कामों का, कार्यों एवं कार्यकर्ताओं का संयोजन इस प्रकार किया जाता है, जिससे समूचे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा सामान्य जनों का जीवन-स्तर बढ़ता जाए। जिन आर्थिक संकटों को अपरिहार्य माना जाता था, तेजी और मन्दी को एक स्वाभाविक बात समझा जाता था, माँग और पूर्ति के सिद्धान्त को परमेश्वरी आज्ञा का स्वरूप दिया जाता था, इन सब बातों को अब सोवियत रशिया ने बदल डाला है। उपभोग के लिए उत्पादन—इस एकमात्र हेतु को ध्यान में रखकर अब सिवके को आर्थिक राज्य में से निर्वासित कर दिया है। इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में एक नए आत्म-विश्वास एवं आत्मप्रतिष्ठा का वातावरण निर्माण हो गया है। श्रम को तप माना जाता है तथा उससे होने वाली निमित्त समाज के कल्याण एवं व्यक्ति के सुख के लिए ही दिखाई देती है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' यह स्वार्थ त्याग को भूमिका आज इस नए संस्कृत समाज की पार्श्व-भूमि बन गई है। इसके साथ तुलना करने पर प्रतीत होगा कि संसार के अग्र्य राष्ट्रों में जहाँ पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रभावी है, दारिद्र्य, विपन्नता, विफलता, बेकारी तथा आर्थिक अस्थिरता की समस्या अभी हल नहीं हुई है। और जब तक पुरानी दुनियाँ में, पुराने मन्त्रों का पाठ करने वाली संस्कृति कायम है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अमेरिका में सम्पत्ति की मालकी अधिक लोगों के हाथ में है। बहु-संख्यक लोग बीमोदार हैं। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पूँजी में जिन लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं, ऐसी की संख्या भी खूब बढ़ गई है। और अमेरिका में पूँजीवाद तो है पर वह प्रजातन्त्री पूँजीवाद है तथा सम्पत्ति की निमित्त में अनेकों का हिस्सा (पॉपुलर कैपिटलिज्म) है। बँसा होने पर भी उत्पादनपद्धति में जब तक श्रम करने वाले मजदूरों को भाग लेने वालों के समान अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तब तक पूँजीवादी उत्पादन के दोष बने रहेंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखेंगे कि अमेरिका में सम्पन्नता अधिक है। जीवन का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, तो भी एक सामाजिक सतोष व निश्चित विषयक आत्मविश्वास अभी तक वहाँ नहीं है। अतः सोवियत पद्धति के किन्हीं मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार सोवियत संस्कृति को स्वतन्त्रता-विषयक कुछ मूल्य स्वीकार करना चाहिए। इससे स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता के मध्य उचित सन्तुलन रखा जा सकेगा। जीवन को संरक्षण एवं स्वतन्त्रता दोनों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता एवं संरक्षण





धनेक वार कर्तव्य को जानते हुए भी लोग उदासीन हो जाते हैं। इस दृष्टि में विचार करने से प्रतीत होता है कि कानून के विरुद्ध एक निश्चित सीमा में रहकर व्यवहार करना अनैतिक नहीं ममत्ता जाना चाहिए। किसी वस्तु को नया होने के कारण शान्तिकारक अथवा समाज-उच्छेदी मान लेना उचित नहीं। जो नया है, उसे परखना चाहिए। जो पुराना है, उसे भी परखना चाहिए। परम्परा की मुद्रा को देख कर किसी वस्तु को शतप्रतिशत उपयोगी मान लेना ठीक नहीं। सिक्के भी कुछ दिन पश्चात् घिस-पिट जाते हैं। इसी प्रकार आदर्श भी घिसते-पिटते रहते हैं तथा निमृन्व्य हो जाते हैं। अतः स्वतन्त्रता एवं सामाजिक न्याय की कल्पना मनातन स्वरूप की नहीं हो सकती। उसमें परिवर्तन होता रहना है। यह परिवर्तन समय के अनुसार काल की नाडी परीक्षा करके किया जाना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि स्वतन्त्रता का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। प्रतिक्षण अधिकार उस पर आक्रमण करता रहता है। मौजूदा कल्पना में जिन्हें उसके कारण सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है, वे लोग अपरिवर्तनवादो, हठी एवं आग्रही बन जाते हैं। तथापि जिस प्रकार वायु को राह पूछने की जरूरत नहीं होती; मृत्यु को मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार स्वतन्त्रता की रक्षा एवं विकास के लिए किसी विरोध घ्येय अथवा माधन के आग्रह की जरूरत नहीं होती। प्रयत्न तो निरन्तर होते रहते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे प्रयत्न समझदारी के साथ किए जाएँ। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए समाज के प्रचलनों एवं गत्याओं को सजीव तथा कार्यप्रवण होना चाहिए। नया समूचा घातावरण युक्तिवाद के अनुकूल होना चाहिए। जो युक्तिवाद को स्वीकार नहीं करते वे हिंसा में काम लेना शुरू करते हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए दूसरों की स्वतन्त्रता पर आक्रमण करने में भी नहीं चूकते। अतः आज भले ही पहले की अपेक्षा स्वतन्त्रता का धेन अधिक विस्तृत हो गया हो, अधिक लोगों को उसका अनुभव प्राप्त होता हो, तो भी हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि वह गलत के सभी लोगों को प्राप्त हो तथा सही मानों में प्राप्त हो। और इसी दृष्टि में हमने राज्य एवं स्वतन्त्रता की कल्पना का सविस्तार विवेचन इस ग्रन्थ में किया है।



## शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	प्रसूद	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	प्रसूद	शुद्ध
१	१६	मग्न स्वल्पना	मत्ता स्वल्पना	१२१	१४	क्रान्ति	क्रान्ति
		का	की	१२४	३५	करना थी	करनी थी
७	१४	त्वेय	द्वेष	१२५	२४	मर्जी गर	मर्जी पर
८	२५	विरवविद्यालयीन	विरवविद्यालयीय	१२६	३	मथ	मन
१७	१६	महता	महत्ता	१२७	१६	इनकार	इन्कार
२१	२२	वंश	वंश	१२८	२३	आकुंचित	आकुंचित
२७	८	कोई	कोई	१२८	२३	पेश भूषा	पेश भूषा
२७	१५	मटल	मण्डल	१३०	५	दूत	दूत
३५	२७	जप	जप	१३२	११	नशीली	नशीली
३८	३	मुद्रा	मुद्रा	१३२	१८	हित में	हित में है
४०	१०	सर्वगामान्य	सर्वमामान्य	१३६	३६	भनृहरि	भनृहरि
४३	३०	पहेली	पहिले	१४१	१४	भवित्य	भवित्य
६०	१७	होगी	होगी	१४२	२१	लोगों की	लोगों को
६५	१६	लगाए जाने	नगाए जाने	१४३	२६	आने हो	आने है
		चाहिए	चाहिएँ	१४४	११	प्रयोग	प्रणीत
७०	२६	न करने के	न करने में	१४५	१	इतना ही	इतना ही नहीं
७४	१०	कुद्द	कुद्द	१५०	२३	अवस्था	अवस्था में
८१	८	नागनिक	भागनिक	१५४	११	सिमटे	सिमटे
८४	११	तो में राज्य की	तो राज्य की	१५५	३४	समानार पत्र	समानार पत्र
८८	३५	नाम की संस्था	नाम की संस्था			ही	पर ही
८९	१५	राज्य कानून	राज्य का कानून	१५६	१	विधि	विधि
		बनाकर	बनाकर	१५६	१५	कुत्ते की	कुत्ते के
८५	२६	सर्वमामान्य	सर्वमामान्य	१६१	१७	(ला कि अफेवर)	ला भी या फेवर
९५	३६	उचित व्यवस्था	उचित व्यवस्था	१६३	२६	तीव्र	तीव्र
		के न हो	न हो	१६८	२०	बहुसंख्यान	बहुसंख्यक
१००	३३	निकालने के	निकालने	१७२	२५	बन जाती है	बन जाती है
१०४	३४	चाहिए	चाहिए	१७२	३५	केम	देश
१०८	१६	किया जाना	किया जाना	१७५	६	कर्तृत्व	कर्तृत्व
११५	२२	निजी	निजी	१७८	२३	किमी में भी	किमी में भी
११६	१५	मुद्रा	मुद्रा	१७९	१२	ईमानदारी	ईमानदारी
११६	३१	लागू नहीं पड़ता	लागू नहीं होता	१७९	२३	निभाकर	निभाकर
११७	३७	त प्रदर्शन,	मत प्रदर्शन	१८०	८	शापाम् वन्दान्	शाकाय वा स्वात्
११८	१८	स्वमित्व	स्वमित्व			लवणेन भक्ष्यान्	लवणाय वा स्वात्



